उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

M.J.M.C. -06

विश्व-संचार : अवधारणा एवं आयाम

खण्ड 01

विश्व-संचार की विकास यात्रा

इकाई-1

विश्व में मुद्रण कला का विकास

इकाई-2

विश्व में समाचारपत्रों का विकास

इकाई-3

विश्व में संवाद समितियों का विकास

इकाई-4

नई सूचना एवं संचार व्यवस्था

इकाई-5

सार्क राष्ट्रों में जनसंचार माध्यम

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	वरिष्ठ परामर्शदाता - कार्यक्रम संयोजक
प्रो0 के0 पी0 सिंह	सदस्य
प्रो0 ए0 एन0 द्विवेदी	सदस्य
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा	-	पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी	-	हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा	-	पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह	-	पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार	-	हिन्दुस्तान (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. अरूण कुमार गुप्ता कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, 2019

मुद्रक : चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा. लि. 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड इलाहाबाद 211002

्यक्रम-परिचय

'विश्व-संचार' : अवधारणा एवं आयाम' में निम्नलिखित पाँच खण्ड हैं :-

1- विश्व-संचार की विकास यात्रा

2- प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणा

3- अन्तर सांस्कृतिक संचार

4- अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभिन्न आयाम

5- वैश्वीकरण एवं मीडिया

प्रथम खण्ड में मुद्रण कला, समाचारपत्र तथा न्यूज एजेंसी को विश्व के परिप्रेक्ष्य में रण स्पष्ट किया गया है। संचार ही गति है तथा जड़ता ही मौत है। जीवन और जगत में जीवन्तता के निमित्त मुद्रण, पत्र-प्रकाशन तथा संवाद प्रेषण की महत्ता है जिसे पढ़कर आप समय और के साथ चल सकते हैं। सार्क राष्ट्रों की संचार व्यवस्था तथा नई सूचना व्यवस्था से सुपरिचित आप भूमंडलीकरण के दौर में आगे बढ़ सकते हैं।

संस्कृति सदाशयता, सत्कर्म तथा सहजीवन की त्रिवेणी है। जो संस्कृति सबको साथ लेकर है, वही पवित्र है। पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों ने हर समय पर हर स्थान में मानवता का ढ़ाया है। ग्रीक, अरब, बौद्ध, चीनी, तथा विश्व में प्रचलित सभी संस्कृतियों ने उदात्त भावनाओं चार किया है। विश्व की प्रमुख भाषाएँ संस्कृतिक संचार की संवाहिका हैं। इन सभी तथ्यों पर डालने में द्वितीय खण्ड की भूमिका है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तथा उसके धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों को र के साथ तृतीय खण्ड में बतलाया गया है। समसामयिक संदर्भों में अन्तर सांस्कृतिक संवाद ल्लेखनीय योगदान है। महाबली मीडिया साम्प्रदायिक सौहार्द, पारस्परिक सद्भाव का संवाहक धुनिक प्रौद्योगिकी ने समय, स्थान को जीत लिया है, संचार माध्यमों ने संवाद-शून्यता को कर दिया है फलतः विश्व अब एक कुटुम्ब के समान परिलक्षित हो रहा है। इन सभी मुद्दों ण्ड चार में चिन्तन-मनन किया गया है। पाठ्यक्रम के पाँचवे खण्ड में वैश्वीकरण तथा मीडिया र्भित विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। संचार के परम्परागत, मुद्रित तथा इलेक्ट्रानिक ों ने संघर्ष, तनाव तथा वैमनस्य को दूर कर आपसी भाई-चारे की स्थापना में अहं भूमिका है। नव संस्कृति के संवाहक मीडिया तथा विश्व-संस्कृति के अनुकरणीय पहलुओं को जानकर क ओर ज्ञान-समृद्ध होंगे तो दूसरी ओर एक आदर्श विश्व नागरिक बनेगें।

कार्यक्रम - परिचय

''विश्व संचार : अवधारणा एवं आयाम'' - नामक पाठ्यक्रम में पाँच खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड की विविध इकाइयों का प्रारूप निम्नवत् है-

इकाई की रूपरेखा

X.0 प्रस्तावना

X.1 उद्देश्य

X.2 उपवर्ग 1 (मुख्य भाग)

X.2.1

X.2.2

X.2.3

X.2.4

X.3 उपवर्ग 2 (मुख्य भाग)

X.3.1

X.3.2

X.3.3

X.3.4

X.4 सारांश

X.5 शब्दावली

X.6 संदर्भ ग्रंथ

उद्देश्य में निम्नलिखित दो बातें सन्निहित हैं -

- ☐ इकाई में प्रस्तुत सामग्री
- ☐ इकाई के अध्ययनोपरान्त आपकी जानकारी का अनुमान

विषयवस्तु को सहज रूप में सुग्राह्य बनाने के निमित्त इकाई को अनेक वर्ग-उपवर्ग में बाँटा गया है। आवश्यकतानुसार उन्हें बड़े, मझले और छोटे आकार में मुद्रित किया गया है। पूरे पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई में यही पद्धति अपनायी गयी है। इकाई के अन्त में सारांश प्रस्तुत है ताकि प्रमुख तथ्य आपको स्मरण रहें इकाई में आये कठिन शब्दों एवं महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को सोदाहरण समझाने का प्रयास शब्दावली में किया गया है। संदर्भ ग्रंथ के अन्तर्गत उपयोगी पाठ्यक्रम पुस्तकों की चर्चा है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, प्रश्नों के द्वारा पाठ्य सामग्री की अवधारणा में आपको सहायता मिलेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को जान लेने के बाद आप विषयवस्तु की गहराई में प्रविष्ट होंगे।

ज्ञान शक्ति है, विज्ञान महाशक्ति है और संचार विज्ञान तो एक अलौकिक शक्ति है। भावनाओं, विचारों, सूचनाओं, संवेदनाओं सम्बन्धी उत्प्रेरक संकेतों का आदान-प्रदान ही जनसंचार

नसे हमारे समग्र जीवन मूल्यों और संस्कृतियों की रचना होती है। जन-समुदाय, जनमत, जनतंत्र, सभ्यता, जन-शिक्षा, जन-संस्कृति, जन-सम्पर्क की सफलता के मूल में जनसंचार के क्षेत्र में हो त-नूतन तकनीकी क्रान्ति का ज्ञान ही अब एक मात्र सहारा है। बहुआयामी संचार और जनसंचार में एक विज्ञान, कला, शिल्प और प्रौद्योगिकी है जिसका अध्ययन-अध्यापन युग की हार्यता है। विश्व-संचार : अवधारणा एवं आयाम, मीडिया शोध, हिन्दी पत्रकारिता, विकास रिता, जनसम्पर्क और विज्ञापन, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा फिल्म से सम्बद्ध चार प्रश्नपत्रों में रा पाठ्यक्रम समाहित है। हर प्रश्नपत्र में पांच खण्ड और हर खण्ड में प्रायः पाँच इकाइयाँ लित हैं। इस पाठ्यक्रम का अध्येता सम्पादक, रिपोर्टर, जनसम्पर्क अधिकारी, ब्यूरो चीफ, न्यूज एंकर, विशेष संवाददाता, फीचर लेखक, इलेक्ट्रानिक मीडिया विशेषज्ञ एवं यशस्वी कार के रूप में आजीविका प्राप्त कर सकता है तथा इतिहास के पृष्ठों पर अपना अमिटछाप सकता है।

खण्ड परिचय : विश्व-संचार की विकास यात्रा

प्रथम-खण्ड में निम्नलिखित पाँच इकाइयाँ हैं :-

(क) विश्व में मुद्रण कला का विकास

(ख) विश्व में समाचारपत्रों का विकास

(ग) विश्व में संवाद समितियों का विकास

(घ) नई सूचना एवं संचार-व्यवस्था

(च) सार्क राष्ट्रों में जनसंचार माध्यम

पत्रकारिता और मुद्रण कला का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सुसम्पादित पत्र तभी ग्राह्य होते हैं जबकि वे सुमुद्रित हों। मुद्रण कला का विकास ज्ञान का विकास है। ठप्पा, शिलापट्ट, भोजपत्र से होता हुआ मुद्रण आज सेटेलाइट, आफसेट, डिजिटल प्रणालियों तक पहुँच चुका है। मुद्रण की क्षिप्रता ने संचार-जगत को सर्वाधिक प्रभावित किया है। समाचार पत्रों की विकास यात्रा तथा उनकी लोकप्रियता के मूल में मुद्रण की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों से ऐसे दैनिक, साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हो रहा है जिनसे जन-मानस उद्वेलित है। समाचार के अढ़तिये समाचार समितियाँ पलक झपकते ही एक कोने का समाचार दूसरे कोने तक पहुँचा रही हैं। नई सूचना और संचार व्यवस्था ने मानवता की जितनी सेवा की है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मनुष्य की गतिशीलता के मूल में संचार साधनों की विपुलता है। सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) की सूचना एवं संचार व्यवस्था ने विश्व में सहयोग भावना, समानता, अखण्डता राजनीतिक स्वतंत्रता का मानदण्ड स्थापित किया है। उपर्युक्त तथ्यों से सुपरिचित होकर आप जनसंचार और पत्रकारिता के उद्देश्यों को सार्थक सिद्ध कर सकेंगे।

ई प्रथम - विश्व में मुद्रण कला का विकास

उद्देश्य

प्रस्तावना

विश्व में मुद्रण का विकास

1.2.1 मुद्रण का प्रारम्भिक स्वरूप

1.2.2 चीन में मुद्रण की शुरूआत

भारत में मुद्रण कला का विकास

1.3.1 भारत की प्राचीन मुद्रण पद्धति

1.3.2 टाइप मुद्रण का प्रारम्भिक रुप

1.3.3 टाइप के नमूने

1.3.4 प्वाइंट

1.3.5 प्वाइंट के लाभ

टाइप विन्यास एवम् मुद्रण कला

विश्व में आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी

भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास

1.6.1 आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी

1.6.2 चित्र

1.6.3 डिजिटल कैमरा

सारांश

शब्दावली

सन्दर्भ ग्रन्थ

प्रश्नावली

1.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरांत आप निम्नांकित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

(i) मुद्रण का अर्थ।

(ii) विश्व में मुद्रण कला का विकास।

(iii) मुद्रण कला के विविध रूप।

(iv) मुद्रण कला का तकनीकी विकास क्रम।

(v) भारत में मुद्रण कला का आरम्भ एवं विकास।

(vi) मुद्रण कला की वर्तमान स्थिति।

1.1 प्रस्तावना

संचार की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने तथा संदेशों एवं ज्ञान को आने वाले समय के लिए संरक्षित रखने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुँचाने के लिए मुद्रण कला का विकास हुआ। हम यदि मानव सभ्यता के विकास का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपनी भावनाओं को उकेरने की इच्छा आरम्भ से ही रखता था। प्रारम्भ में जब भाषा-संकेतों का बिकास व्यवस्थित नहीं हुआ था, उसने गुफा एवं शिलाचित्रों के माध्यम से यह कार्य किया। तदन्तर जब सभ्यता का विकास और विस्तार हुआ, भाषा को सुगठित स्वरूप मिला, सामयिक जीवन को स्थायित्व मिला तथा ज्ञान की विविध शाखाओं का प्रस्फुटन हुआ, तब मनुष्य को मुद्रण की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता ने उसे उत्प्रेरित किया तथा लकड़ी के ठप्पों, मिट्टी के स्तरों, शिलापट्टों, कपड़ों, भोजपत्र, ताड़पत्र से होता हुआ मुद्रण के विकास का यह सिलसिला वर्तमान मुद्रण की सेटेलाइट ऑफसेट, डिजिटल प्रणालियों तक पहुँच चुका है।

1.2 विश्व में मुद्रण का प्रारम्भिक विकास

संचार के क्षेत्र में मुद्रण कला का जन्म एक महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। परम्परागत संचार की सीमाओं को लांघकर इसने संदेशों को इसके स्थायी रूप में दूर-दूर तक प्रसारित करना संभव बनाया। मुद्रण प्रारम्भ करने की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली यह स्पष्टतया निर्धारित करना कठिन है परन्तु पतिकृति अंकन की आवश्यकता इसके मूल में रही होगी, यह कहा जा सकता है। प्रारम्भिक रूप से मुद्रण कला का प्रयोग व्यक्तिगत चिह्नों तथा राजकीय चिह्नों एवं मुद्राओं के लिए किया गया। इस दृष्टि से मुद्रा तथा मुद्रण शब्दों की समीपता दृष्टव्य है। चीनी भाषा में भी 'यिन' शब्द मुद्रा एवं समस्त प्रकार के मुद्रण का बोध कराने वाला है।

चीन में 'हीरक सूत्र' नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। इसे ही संसार की प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। इसमें ढाईफुट लम्बे, एक फुट चौड़े छः पृष्ठ हैं जो सारे के सारे सोलह फुट लम्बे एक कागज पर चिपके हुए हैं। यह ब्लॉक के रूप में हुआ है।

विश्व में मुद्रण कला के विकास का श्रेय चीन को दिया जाता है। सन् 105 में चीन स-त्साई ने कपास तथा मलमल के मिश्रण से मुद्रण आधार अथवा कागज बनाया जिसका न एवं चित्रांकन में प्रचुर उपयोग हुआ। सन् 712 में चीन में ही एक सीमाबद्ध एवं स्पष्ट क प्रिंटिंग प्रेस की शुरूआत हुई। चीन और जापान में यह प्रणाली अत्यन्त लोकप्रिय हुई। प्रणाली से जापान की रानी ने दो लाख श्लोक मुद्रित कराकर जनता में वितरित कराया। ई0 770 में वांग-वांचिस ने एक प्राचीन धर्म ग्रंथ 'धर्म सूत्र' को मुद्रित किया। एक अन्य गग एक हजार पृष्ठों का बौद्ध ग्रंथ भी इसी समय छापा गया। सन् 935-954 के मध्य समय चीन ने अपना प्रथम मुद्रापत्र (करेंसी) छापा था।

यूरोप में भी मुद्रण कला चीनी व्यापारियों द्वारा ही पहुँचाई गई। 13वीं सदी में मार्कोपोलों क मुद्रण के नमूने यूरोप ले गया जिससे वहाँ ताश के पत्तों और धार्मिक चित्रों का मुद्रण शुरू । रोम में धातु और लकड़ी के टंकक (Movable types) से मुद्रण कला का विकास ।

प्राचीन काल की अनेक लिपियों में से एक लिपि मुद्रालिपि के नाम से जानी जाती है। त के आविष्कार के संदर्भ में मूल रुप से लिखित एवं सर्वमान्य तिथि के बारे में नहीं ज्ञात है। त का अर्थ यदि मूल प्रति के साथ बहुत सारी प्रतियों के उत्पादन तथा स्याही का स्थानान्तरण सतहों के दबाव द्वारा लिया जाए तो इसका इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। के कोरिया एवं जापान में धार्मिक दस्तावेजों का मुद्रण आठवीं शताब्दी से ही शुरु हो गया ये धार्मिक दस्तावेज लकड़ी के गुटकों द्वारा तैयार किए जाते थे। जिसमें जिन जगहों पर ही की आवश्यकता नहीं होती थी उस मुद्रण की सतह को काट कर अथवा सुखाकर स्याही आवश्यकता वाले स्थान से नीचे कर दिया जाता था, इसी स्थान को मुद्रण सतह कहा जाता सामान्यतः इस विधि का उपयोग उस काल में बहुत कम किया गया। इस विधा का थोड़ा ोग कपड़ो पर कुछ कागजों तक ही सीमित रहा।

नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बौद्ध ग्रन्थों तथा धार्मिक दस्तावेजों का मुद्रण बड़ी संख्या में एशिया के देशों में किया गया। सबसे पहले मुद्रित ग्रंथ के रूप में 'धारणी सूत्र' का उल्लेख त जाता है। यह कोरिया में सन 704 से 751 ई0 के बीच मुद्रित हुआ माना जाता है। के पश्चात 770 ई0 में धर्मसूत्र नाम की पुस्तक छपी। साथ ही एक हजार पृष्ठों वाली बौद्ध क "त्रिपिटक" भी उसी समय की छपी मानी जाती है। 11 मई 868 ई0 में तिथि सहित णित प्राचीनतम पुस्तक 'वज्रसूत्र' को माना जाता है।

इसके बाद दसवीं शताब्दी में चीन में इस विधि की छपाई में कुछ उल्लेखनीय प्रगति ऐसी कहा जाता है कि चीन के लोग पत्थर तथा अन्य धातुओं पर डिजाईन बनाकर छापते कोरिया में लगभग 10,00,000 कांस्य मुद्राक्षर की ढलाई राजा के संरक्षण में सन् 1402 में होने के प्रमाण मिले हैं। इनका उपयोग पुस्तकों की छपाई के लिए भी किया गया। धातु ने परिवर्तनशील एवं चल मुद्रकों से मुद्रित होने वाली पहली पुस्तक सन 1214 से 1241 ीच कोरिया में छपी।

चीन के 'पी-शेंग' नामक व्यक्ति ने दसवीं शताब्दी में पत्थर के ऊपर खुदाई करके से छपाई करने के अतिरिक्त चिकनी मिट्टी के पके हुए टाइप 'बेक्ड-क्ले' भी बनाया। पूर्व में त की धीमी विकास दर का प्रमुख कारण उनके प्रमुख अक्षरों का अत्यधिक मात्रा में होना

आधुनिक मुद्रण कला के अविष्कारक जॉन जेनफेलियसन नामक व्यक्ति थे जिनका जन्म 1394 से 1406 के बीच जर्मनी में मेन्ज शहर में हुआ इनके जन्म की सही तिथि का पता नहीं है। यही व्यक्ति आगे चलकर जॉन गुटेनबर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुटेनबर्ग ने ऐसे त्रिआयामी परिवर्तनशील एवं चल मुद्रक अक्षर बनाए जिनका मुद्रण कार्य में बार-बार उपयोग करना सम्भव हो सका जिन्हें मूल अथवा लिखित प्रति के अनुसार संयोजित करने के उपरांत उस पर स्याही लगाकर गुटेनबर्ग द्वारा बनायी गयी मुद्रण मशीन के सहयोग से कागज के साथ रखकर दबाने पर स्याही का स्थानान्तरण लिखावट के अनुसार कागज पर हो जाता था। छपाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन मुद्रकों को अलग-अलग खांचों में अगले मुद्रण कार्य में प्रयोग हेतु रख दिया जाता था। मुद्रण के विकास की कड़ी में गुटेनबर्ग ने परिवर्तनशील टाइपों को ढालने हेतु मिट्टी से लेकर कई तरह की धातुओं तथा उसके सम्मिश्रणों का प्रयोग किया और अंततः लेड नामक धातु का त्रिआयामी परिवर्तनशील एवं चल मुद्रक अक्षरों को ढालने में प्रयोग किया जाने लगा। विकास की कड़ी में लेड को टिन और एन्टीमनी के साथ मिलाकर जिसमें लेड धातु की मात्रा सर्वाधिक लगभग 90 प्रतिशत तक थी, एक मिश्रित धातु तैयार हुई जो कि ढलाई के बाद स्याही के सम्पूर्ण ग्रहण एवम् स्थानान्तरण हेतु आदर्श साबित हुई।

परिवर्तनशील एवं चल मुद्रकों द्वारा सबसे पहला मुद्रित दस्तावेज 30 पंक्तियों का सन 1954 ई0 में पोप निकोलस वी द्वारा मुद्रित करवाया गया एक दस्तावेज था। यह दस्तावेज गुटेनवर्ग फ्यूस्ट और स्कोयफर की मुद्रण शाला में ही मुद्रित किया ऐसा प्रतीत होता है। बाइबिल की 100 से कुछ कम प्रतियां भी लगभग इन दिनों मुद्रित हुई थीं।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार 36 पक्तियों वाली बाइबिल, 42 पंक्तियों वाली बाइबिल से पहले की मुद्रित मानी जाती है जिसका आधार बाइबिल फान्ट की प्रतियों में अक्षर दो कालम में तथा दोनों सिरों पर सीधे थे तथा बहुत ही बारीकी से तैयार किए हुए थे। आज के संयोजक विधियों की तुलनानुसार यह प्रणाली बहुत ही कठिन एवं समयसाध्य है। 42 पंक्तियों वाली बाइबिल गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से भी जानी जाती है। इसका मुद्रण सन् 1453 ई0 से शुरू होकर सन् 1455 में पूर्ण हुआ।

सन 1466 ई0 में दो आर्चविशपों के बीच मेन्ज की सत्ता को लेकर हुए संघर्ष के कारण मुद्रण कला पर दो वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा देने के कारण इस कला का विस्तार मेन्ज शहर के बाहर ही सम्भव हो सका इस कला से जुड़े कारीगर बेकार हो गए फलतः वे मेन्ज शहर को छोड़कर जाने का फैसला करने पर मजबूर हो गए तथा मुद्रण कला के अभ्यास से सम्बन्धित सभी साजो-सामान को भी अपने साथ ले गये।इस प्रकार गोपनीय कला का विस्तार पूरे यूरोप में सम्भव हो सका और यूरोप के विभिन्न स्थानों पर पुस्तकों का मुद्रण आरम्भ हो गया।

इसी बीच विलियम कैवस्टन नामक व्यक्ति मुद्रण की पद्धति की जानकारी तथा अभ्यास हेतु कोलोजेन गया और सन् 1475 में उसने अपनी प्रथम रेडपाल नामक मुद्रणशाला की स्थापना की।

.3 भारत में मुद्रण कला का विकास

भारत में आधुनिक मुद्रण कला को विकसित करने में पुर्तगाली मिशनरियों का विशेष दान रहा। सन् 1550 ई0 में इन मि नरियों द्वारा इस कला को यहाँ लाया गया तथा गोवा पहला प्रिन्टिंग प्रेस स्थापित हुआ। इस प्रेस का उपयोग मुख्यतः धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के ए होता था इसके बाद कोचीन तथा बम्बई आदि शहरों में भी ऐसे प्रेस स्थापित किए गए।

भारत में सबसे पहले प्रेस की स्थापना सन् 1674 में बम्बई में की गयी। सन् 1772 5 मद्रास में भी प्रिन्टिग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत प्रायः सभी प्रमुख शहरों में मुद्रण की पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी।

भारत में 1780 तक किसी प्रकार के समाचार पत्र के प्रकाशन के प्रमाण नहीं मिलते। विचारणीय बात है कि जनमत का इतना सशक्त माध्यम इतने लम्बे समय तक उपेक्षित ही । इसके कारणों की विस्तृत चर्चा डा0 बी0 एम0 शकधर ने की है। ये लिखते हैं कि भारत पिछड़ापन, संचार के तकनीकी साधनों का गरीबी तथा निरक्षरता अभाव इस उपेक्षा के प्रमुख रण थे। तत्कालीन भारत में पत्रकारिता लाभदायक व्यवसाय नहीं समझा जाता था तथा उसके ए काफी धन नियोजित करना पड़ता था। उस समय यूरोप में सम्पादक का कार्य भी सम्मानजनक समझा जाता था। इसके अतिरिक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों निजी व्यवसाय करने की काफी छूट दे रखी थी। अतः ये कर्मचारी नहीं चाहते थे कि चारपत्रों में उनके बारे में कुछ छपे और उनका पर्दाफाश हो। अतः उन्होंने न सिर्फ स्वयं प्रेस से अलग रखा वरन् उसे हतोत्साहित भी करने का कार्य किया। अतः यह कहा जा सकता के भारतवर्ष की प्रारम्भिक परिस्थितियाँ प्रेस के विकास की दृष्टि से अनुकूल नहीं थीं।

3.1 भारत की प्राचीन मुद्रण पद्धति -

मानवीय सभ्यता की शुरूआत के बाद लाखों वर्षों तक संवाद का ढंग अपरिवर्तित रहा। ढंग में परिवर्तन की शुरूआत लिपि के विकास के साथ हुई। भारत में शुरूआती दिनों में पत्र पर लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की बात प्रकाश में आती है। लिपि के विष्कार के पश्चात् लिखने की सामग्री के अभाव में मनुष्य अपनी बात पत्थरों पर और वृक्षों छाल पर खोदकर लिपिबद्ध करता था। विचारों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रणाली ठीक थी, परन्तु इसमें समय और श्रम बहुत लगता था। तब मनुष्य ने स्याही का विष्कार किया और लकड़ी को नुकीला छीलकर उससे ताड़ के पत्रों और भोजपत्र पर लिखना भ किया। यह प्रणाली पहले की अपेक्षा संतोषजनक थी। अतः लम्बे समय तक लिखने की प्रणाली चलती रही। ताड़पत्रों पर लिखी हजारों ज्ञान-गर्भित प्राचीन पुस्तकें आज भी हमारे में सुरक्षित हैं।

इस सभी प्रणालियों से ज्ञान को सुरक्षित भले ही रखा जा सकता था, ज्ञान के प्रचार-र के लिए इनकी उपयोगिता प्रमाणित न हो सकी। जब तक पुस्तकों का अभाव था एक गुरू व्रक रूप से दस-बीस विद्यार्थियों तक ही अपने विचार को बाँट सकता था। कालान्तर में जब कें ताड़पत्रों पर लिखी जाने लगीं उस समय भी समस्या का कोई विशेष समाधान नहीं हुआ। बार में एक ही व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ सकता था। बहुत से लोगों ने अपनी सुविधा के सार पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवायीं। लेकिन इसमें समय और श्रम का बहुत अपव्यय

होता था और कई बार अशुद्धियाँ भी पायी गयीं, और ये अशुद्धियों परंम्परा में आ गयी तथा जब मूल से उसका मिलान होता तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। यह स्थिति करीब 17वीं शताब्दी तक बनी रही। इस बात की पुष्टि भारत के मुगल शासक औरंगजेब द्वारा अपना घर खर्च चलाने के लिए कुरान की हस्तलिखित प्रतियों को लिखवाने की चर्चा से स्पष्ट हो जाती है, कि भारत में हस्तलिखित व्यवस्था काफी पुरानी है।

1.3.2 टाइप मुद्रण का प्रारम्भिक रूप-

चौदहवीं शताब्दी तक लकड़ी के मोटे तख्तों पर अपेक्षित आलेख को खोदकर उससे छपाई की जाती थी। जाहिर है उसमें समय और श्रम का अपव्यय होता था और हर काम के लिए हर बार लकड़ी के नए तख्ते पर आलेख को खोदना पड़ता था। अक्षरों की अलग-अलग आकृतियों को बनाने की पद्धति पन्द्रहवीं शताब्दी से विकसित हुई। आरम्भ में यह आकृतियाँ ताँबे और पीतल जैसी धातुओं पर बनाई जाती थीं। इनसे एक समस्या का समाधान तो किसी अंश में हो गया, एक आकृतियों को बार-बार काम में लाया जा सकता था, परन्तु इसमें खर्च बहुत होता था। दूसरे प्रत्येक आकृति हाथ से बनानी पड़ती थी। अतः इसमें छपाई में दिक्कत होती थी और छपी हुई चीज ऊबड़ - खाबड़ और भद्दी दिखती थी। भिन्न-भिन्न प्रयोगों को करते हुए मनुष्य आज की स्थिति में पहुँचा है। आज तो टाइप बनते हैं, उसमें सीसे के साथ राँगा और ऐंटीमनी का मिश्रण रहता है। यूरोप से ही यह पद्धति भारत आई। शुरूआती दिनों में अंग्रेजी और नागरी अक्षरों के ही टाइप तैयार कराये गये लेकिन अब अपने यहाँ देश की सभी भाषाओं के टाइप बनते हैं और उनकी छपाई होती है।

अंग्रेजी में अक्षरों के दो प्रकार होते हैं बड़े (Capital) और छोटे (Small)। टाइपों में भी स्माल और कैपिटल में दो भेद होते हैं। अंग्रेजी में हेडिंग टाइप की इतनी ज्यादा किस्में हैं कि किसी भी प्रेस के लिए उन सब को अपने यहाँ रखना संभव नहीं है। सामान्य प्रेसों में कुछ ऐसे टाइप चुन लिए जाते थे जो अधिक प्रचलन में हों।

हिन्दी टाइपों की समस्या अंग्रेजी की तरह आसान नहीं हैं। हिन्दी में टाइपों की किस्में भले ही कम हो, समस्या कम नहीं है। हिन्दी अक्षरों में मात्राएं दाये-बांये ऊपर-नीचे चारों ओर से लगती हैं। फिर संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी करना पड़ता है। सत्तर साल पूर्व की तुलना में हिन्दी के टाइपों की किस्में और रूपों में पर्याप्त उन्नति हुई है और दिनों-दिन नए-नए प्रकार के टाइप बनते ही जा रहे हैं फिर भी हिन्दी में अभी हेडिंग टाइपों की बहुतायत नहीं है। अतः 16 से 72 प्वाइंट तक के प्लेन और इटैलिक तथा 16 से 36 प्वाइंट तक के ऑर्नामेन्टल टाइपों की कुछ किस्में प्रेस में उपलब्ध रहती हैं। हिन्दी की छपाई में आमतौर से 12 प्वाइंट पाइका टाइप का ही अधिक प्रयोग होता है।

1.3.3 टाइप के नमूने -

अक्षर मुद्रण-प्रणाली को समझने के लिए टाइप के विभिन्न अंगों और उनके उपयोग को जानना चाहिए। फाउन्ड्री से ढ़लकर आए हुए टाइप और उसके विभिन्न अंगों के विवरण से टाइप की आवश्यक जानकारी मिलती है। यह निम्नांकित प्रकार से है -

(1) फुट - टाइप जिन दो पैरों पर खड़ा रहता है उसे फुट कहा जाता है।

ग्रुव - दोनों पैरों के बीच के खाली जगह को ग्रुव कहते हैं।

निक - बॉडी के सामने नीचे की ओर एक जगह का कुछ हिस्सा दबाकर खाँचा बना दिया जाता है। इससे टाइप के सही फेस को पहचानने में सुविधा होती है और कंपोजिंग उल्टी-पुल्टी नहीं हो पाती इसी खाँचे को निक कहते हैं।

फ्रंट - बॉडी के सामने का हिस्सा जिसमें खाँचा रहता है।

पिनमार्क - बाईं ओर का निशान।

बैक - बॉडी के पीछे का हिस्सा।

सेरिफ - फेस के दाँए-बाँए निकला हुआ भाग।

शोल्डर - टाइप का वह समतल भाग जिसके ऊपर फेस होता है।

बेवेल - फेस और टाइप के बीच का टेढ़ा भाग।

) साइड - एक ओर का किनारा।

) फेस - टाइप के सबसे ऊपरी भाग में जो अक्षर अंक मात्रा या चिन्ह होता है उसे फेस कहते हैं।

) काउंटर- म0 प0 स0 द0 प0 आदि अक्षरों के अगल-बगल जो स्थान खाली रह जाता है उसे काउंटर कहते हैं। टाइप पर इसका नंबर नहीं दिया जाता क्योंकि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है।

टाइप के फेस और आकार-प्रकार कई तरह के होते हैं। छोटे टाइप पुस्तकों या समाचार की छपाई में और बड़े हेडिंगों, नोटिसों, विज्ञापनों आदि की छपाई में प्रयुक्त होते हैं। छोटे आमतौर पर रोमन और इटालिक, इन दो किस्मों के होते हैं। रोमन टाइप सीधे और लक तिरछे होते हैं। बड़े टाइप सीधे-तिरछे होते ही हैं, मोटे, पतले, फूलदार और हाथ लिखे जैसे भी होते हैं। इन्हें डिस्प्ले टाइप भी कहा जाता है।

.4 प्वाइंट का अर्थ

पहले टाइपों के फेस के अनुसार उनके अलग-अलग नाम होते थे। 12 प्वाइंट के को पाइका, 11 प्वाइंट के टाइप को स्मॉल पाइका, कहा जाता था। लेकिन इनमें एक त थी। सभी कारखानों में एक ही श्रेणी के टाइप समान नहीं होते थे। अतः यदि प्रेस में ारखानों के टाइप हुए तो उनकी कम्पोजिंग भिन्न-भिन्न हो जाती थी जो देखने में ठीक नहीं थे। प्रेस, टाइप में जिन कारखानों का टाइप होता था, हमेशा उसी का टाइप खरीदने के बाध्य हो जाता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए टाइप प्वाइंट-पद्धति से बनाये जाने इससे किसी भी कारखाने का कोई भी टाइप इस्तेमाल करने की सुविधा हो गई।

प्वाइंट वस्तुतः टाइप के फेस की मोटाई की एक माप है। एक इंच की मोटाई 72 की होती है। एक-एक इंच का 68 वाँ हिस्सा है। एक-एक को 12 से विभाजित करने क प्वाइंट की मोटाई मालूम हो जाती है। इसी माप के अनुसार विभिन्न फेस के टाइपों को -अलग नाम दिया गया है। इस व्यवस्था को जान जाने के बाद अब 12, 16, 18, 32, 48, 72, प्वाइंट के टाइपों का अर्थ समझा जा सकता है।

1.3.5 प्वाइंट के लाभ -

टाइप जबसे प्वाइन्ट-पद्धति से बनने लगे, छपाई के काम में काफी सुविधा हो गयी है। अब विभिन्न फेसों के एक प्वाइन्ट के टाइपों को एक ही पंक्ति में आसानी से कम्पोज किया जा सकता है। इससे लाइन बाँधने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह विभिन्न बॉड़ी के टाइपों को भी एक पंक्ति में कम्पोज किया जा सकेगा। मान लें कि 12 प्वाइंट की कम्पोजिंग के बीच 18 या 20 प्वाइंट के कुछ अक्षर कम्पोज करने हैं। ऐसी स्थिति में 18 या 20 प्वाइंट के पहले और बाद में 12 प्वाइंट के नीचे छपा 8 का लेड देकर उस लाइन को जस्टिफाई या बराबर कर लिया जाएगा।

1.4 टाइप विन्यास एवम् मुद्रण कला-

मुद्रण कार्य को सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिए समाचारपत्रों, पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन के लिए अनेक प्रकार के छोटे तथा बड़े प्वाइंट के टाइपों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टाइपों को पुस्तक में प्रयोग करने के लिए उनकी क्रमबद्धता तथा आकार का विशेष ध्यान दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। किस टाइप को किस स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए उसका चुनाव मुद्रण कार्य में महत्वपूर्ण है। टाइपों का चुनाव उनकी क्रमबद्धता के अनुसार ही करना चाहिए। अनेक प्रकार के शीर्षकों में प्रयोग किया जाने वाला टाइप मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक तथा उसके अन्य शीर्षकों के आधार पर ही चुनना चाहिए। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के प्वाइंटों तथा विभिन्न प्रकार के आकार वाले टाइपों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मोनो टाइप, बोल्ड टाइप, इटेलिक टाइप, जिनकी अनेक प्रकार की श्रृंखलायें होती हैं, रोमन, यूनिवर्स, कन्डेन्स, रोकवेल, गिल्सन आउट लाइन, सैडो, बैम्बो सोविनियर आदि। टाइपों के आकार के साथ-साथ उनके प्रकार पर भी, क्रमबद्धता के अनुसार ध्यान रखना आवश्यक है।

टाइप 4 प्वाइंट से लेकर 72 प्वाइंट तक के होते हैं। इसके ऊपर भी टाइप होते हैं जिन्हें 72 के बाद के प्वाइंटों की संज्ञा न देकर संख्या के अंको का उल्लेख किया जाता है। जैसे 100 नम्बर, 120 नम्बर आदि।

समृद्ध देशों में कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों तथा प्रकाशन संस्थानों के कार्यालयों में तो पृष्ठ सजाने वाले सम्पादक अलग ही होते हैं। सज्जा-सम्पादक/सम्पादकीय कम्पोज तथा विज्ञापन विभागों में सम्पर्क स्थापित करके पृष्ठों को हर दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने में प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार समाचार पत्रों में विज्ञापनों की सजावट पर ध्यान देकर उन्हें यथास्थान विभिन्न पृष्ठों पर सजाने का कार्य करने वाला विज्ञापन सम्पादक होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को रखना उच्च कोटि के समाचार - पत्रों के लिए ही सम्भव है। हमारे देश में अनेक बड़े-बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों तथा अनेकों प्रकाशन संस्थानों में इस कार्य के लिए अनेक व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है।

गुटेनबर्ग की परिवर्तनशील टाइपों की खोज के बाद मुद्रण कला के विकास का अगला चरण सन् 1800 से शुरु होता है। विश्व में प्रचलित अथवा व्यवहार में लाई गई प्रमुख मुद्रण प्रणालियों को हम निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं-

लेटर प्रेस मुद्रण-इसका विकास सन् 1800 में इंग्लैण्ड के स्टेनहोप ने किया। इसमें लकड़ी की जगह लोहे की प्रिन्टिंग प्रेस बनाई गई जिस पर एक घंटे में 200 प्रतियाँ छापी जा सकती थीं। यह परिष्कृत रूप में आज भी लोकप्रिय है।

लिथोग्राफी मुद्रण-इसका विकास सन् 1781 में एलियास सेनेफिल्डर (जर्मनी) ने लिथोग्राफी मुद्रण का विकास किया। इसके विकास से छापी तथा न छापी जाने वाली सतहों का एक साथ प्रयोग संभव हुआ। सन् 1904 में ऑफसेट लिथोग्राफी विकसित की गयी।

सिलेण्डर या रोटरी मुद्रण- फ्रेडरिक कोइंग ने सन 1812 में यह तकनीक ईजाद की। यह एक घंटे में 1000 तक प्रतियों का मुद्रण कर सकती थी। सन् 1814 में द टाईम्स ने यह प्रणाली अपनाई।

ग्रैवियॉर मुद्रण - यह लेटर प्रेस के विपरीत तकनीक पर आधारित होती है। इसमें नीचे दबी मुद्रण सतह पर दबे भागों में ज्यादा द्रवित स्याही भरी जाती है। सन् 1910 में वेब रोटरी लेटर प्रेस व ग्रेवियॉर सिलेण्डर की मदद से अखबारों का मुद्रण आरम्भ हुआ।

वर्तमान मुद्रण प्रणालियाँ-वर्तमान समय में मुद्रण प्रणालियां काफी तकनीकी प्रगति कर चुकी हैं। ऑफसेट मुद्रण की व्यस्था डिजिटल हो गयी है तथा वेब ऑफसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा है। यह प्रणाली पुस्तकों तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि में सर्वाधिक व्यवहृत है। स्क्रीन प्रिण्टिंग की प्रणालियाँ भी प्रचलन में हैं। छोटे मुद्रणालय लेटर प्रेस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। करेन्सी नोट व प्लास्टिक छपाई में लेटर प्रिण्टिंग तथा ग्रेवियॉर पद्धति प्रयोग में लाई जाती है।

5 विश्व में आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी-

अमरीका में इस प्रौद्योगिकी की शुरूआत हुई । अब यह सम्भव होने लगा कि कम्प्यूटर टेप के प्रयोग से जो समाचार टेली प्रिन्टर से प्राप्त हों वे सीधे फोटो कम्पोजिंग प्रणाली के ार पर कम्पोज हो जायें। जिसका निगेटिव बनाकर छापने की प्लेट बनाई जा सके। उस अमरीका में यह व्यवसाय महँगा साबित हुआ। उस दौरान उनके पास हजारों लाइनों टाइप नें थीं जिन पर समाचारों को भेजे जाने वाली सामग्री कम्पोज होती थी और उन सबको बेकार , नई कम्प्यूटर-युक्त प्रणाली खरीदना बहुत महँगा साबित हो रहा था। परन्तु जापानियों को कम्प्यूटर द्वारा फोटो-कम्पोजिंग की प्रणाली अच्छी लगी। इसका मुख्य कारण यह था कि ी भाषा में 750 चिह्न थे, जिसके कारण उनका कोई लाइनो टाइप नहीं बन सका और से ही कम्पोजिंग होती थी जिसमें देर लगती थी। पूर्व में यहाँ छोटे समाचार पत्रों का चलन रन्तु बाद में जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो पत्रों में विज्ञापन बढ़ने लगे। ऐसी ी में उन्होंने फोटो कम्पोजिंग प्रणाली को अपना लिया।

जापानी पत्रों की सफलता को देखकर अमरीका ने भी इस प्रणाली को अपना लिया। ण्ड में फोटो कम्पोजिंग प्रणाली का प्रयोग अमरीका,स्वीडन, फ्रांस और जापान के बाद में । वास्तव में इस प्रणाली का सम्बन्ध वेब आफसेट प्रणाली से था जिसमें समाचार पत्र छपते यूरोप में स्वीडेन, नार्वे, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैण्ड, आयरलैण्ड, और ब्रिटेन सबी में अब प्रणाली बहुत प्रचलित हो गयी है। इंग्लैण्ड में नाटिंघम ईवनिंग पोस्ट में 1973 के श्रमिक

विवाद के बाद फोटो कम्पोजिंग प्रणाली शुरू हुई।

बी0 डी0 यू0 या बी0 डी0 टी0 की शुरूआत-

इस प्रणाली में यह होता है कि जिस समय रिपोर्टर, अग्रलेख लेखक या उप-सम्पादक कोई समाचार बनाता है, तो वह टाइप करता है और उसकी टाइप की गयी सामग्री उसके आँख के सामने टी0 वी0 स्क्रीन की तरह एक कैथोड रे-ट्यूब-स्क्रीन पर आ जाता है। वह जिस रूप में समाचार देना चाहता है, उस रूप में समाचार आया है या नहीं, यह भी उसके सामने आ जाता है, वह उसमें कोई संशोधन करना चाहे तो वह भी हो सकता है। वही स्क्रीन उपयुक्त सम्पादक की मशीन के ऊपर भी आ जाती है और उसको उसमें कोई सम्पादन सम्बन्धी संशोधन करना होता है, तो वह उसे अपने टाइप राइटर पर कर देता है। विज्ञापन विभाग में भी इसी प्रकार विज्ञापन तैयार किया जाता है और जब विज्ञापन लेखक संतुष्ट होता है कि वह जो चाहता है और जिस प्रकार का चाहता है उस प्रकार विज्ञापन का डिस्प्ले किया जा रहा है तब वह उसे अनुमोदित करता है। इसके उपरान्त वह कम्प्यूटर में चला जाता है।

बी0 डी0 यू0 के प्रयोग से दिमागी थकावट भी ज्यादा होती है। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि अन्ततोगत्वा समाचार पत्रों के प्रकाशन का पूर्ण दायित्व उन्हीं लोगों पर आता है जो समाचार लिखते हैं। इसमें न कम्पोजिटर आता है न प्रूफरीडर। इन्ही कारणों को ध्यान में रखकर ब्रिटेन में नयी प्रौद्योगिकी के विकास में देरी लगी।

1.6 भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास-

भारत में भी छपाई की नयी प्रौद्योगिकी का श्री गणेश अमरीका और ब्रिटेन की तरह छोटे स्थानों से शुरू हुआ। हिन्दी में सर्वप्रथम इन्दौर की 'नयी दुनिया' ने फोटो कम्पोजिंग शुरू की। इसके बाद मध्य प्रदेश के अन्य पत्रों, रायपुर के 'देश बन्धु' और भोपाल के 'भास्कर में यह प्रणाली शुरू हुई। दिल्ली में भी नये प्रकाशित 'जनसत्ता' और 'पंजाब केसरी' में फोटो कम्पोजिंग प्रणाली पहले शुरू हुई। 'हिन्दुस्तान' और 'नवभारत टाइम्स' में बाद में इसका प्रयोग किया गया। दिल्ली के अंग्रेजी पत्रों में भी अपेक्षाकृत कम प्रसार संख्या वाला 'पेट्रियाट' पहले फोटो कम्पोजिंग प्रणाली की ओर गया और बड़े पत्र बाद में। यही हाल कलकत्ता में भी हुआ।

मद्रास में 'हिन्दू' ने छपाई में एक नया परीक्षण किया और अब वह उसकी व्यवस्था का अंग हो गया है। 'हिन्दू' में सबसे पहले पूरा कम्पोज किया हुआ पृष्ठ तार की लाइनों द्वारा उसके कोयम्बटूर स्थित प्रेस को भेजा गया जहाँ पर उसे छपाकर वितरित कर दिया गया। इस प्रकार समाचार पत्र केवल एक स्थान पर सम्पादित हुआ और दूसरे स्थान पर प्रकाशित। दूसरे कार्यालय में सम्पादकीय विभाग रखने की जरूरत नहीं रही। वर्तमान में हिन्दू एक कदम और आगे चला गया है। उसने भारतीय संचार उपग्रह की सहायता से 'हिन्दू' पत्र का दिल्ली संस्करण छापने का प्रबन्ध किया है। दिल्ली में इस पत्र का कोई सम्पादकीय कार्यालय नहीं रहेगा केवल समाचार ब्यूरो होगा और पृष्ठ बनेंगे। पूरा पत्र मद्रास में सम्पादित होगा वहाँ पर ही कम्पोज होगा और पृष्ठ बनेंगे, उन पृष्ठों को उपग्रह के द्वारा फोटो की तरह दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ पर उनका निगेटिव बनाकर उन्हें छाप दिया जायेगा। इस प्रकार एक पत्र अपने कई संस्करण छाप सकेगा।

आज भारतीय समाचार समितियों में अब कम्प्यूटर प्रणाली जारी हो गयी है। प्रत्येक को कम्प्यूटर संचलाना जरूरी हो गया है और प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसका एक परिणाम तो यह हुआ है कि समाचार को कम्प्यूटर के बाद समाचार सम्पादक का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। कम्प्यूटर उसकी ता को जांच कर सारे देश से प्राप्त समाचारों के अनुपात से उस समाचार को भेजता है। ह भी है कि विदेशों के समाचारों को भी विदेशी कम्प्यूटर प्रणालियों के द्वारा सीधे आते उनके सम्पादन-संशोधन की गुंजाइशें सीमित हो गयी हैं। विदेशों से जो समाचार आते हैं ी मात्रा में ज्यों के त्यों भारतीय समाचार पत्रों तक पहुँचने लगते हैं। इस प्रकार प्रेस की की बहुत सीमा तक यह निर्णय करने लगी है कि कौन-कौन समाचार लिखेंगे किस प्रकार चार भेजे जायेंगे और किस तरह वितरित होंगे। वैसे कहें तो यह प्रक्रिया नयी नहीं है पूर्व में पत्रकार कलम और तार का प्रयोग करता था, फिर उसने शार्टहैण्ड पैंसिल और ाइटर का प्रयोग शुरू किया, टेलीफोन का प्रयोग शुरू हुआ जो बाद में टेलेक्स और र से मिल गया।

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी -

नयी सूचना प्रौद्योगिकी का दौर शुरू होने से समाचार पत्र कार्यालयों में छपाई, सूचना सूचना संप्रेषण और डिजाइन आदि के क्षेत्रों में प्रगति तेज हुई। यह प्रक्रिया नयी टेक्नॉलोजी वीं सदी के अंतिम दशक से तीव्र हुए युग में और भी तेजी से जारी है। इस नयी जी ने समाचार पत्रों के विभिन्न घटकों का काम आसान कर दिया है। इस दौर के शुरू पूर्व भारत में आमतौर पर सम्वाददाता समाचार टाइप करके तारघर में पहुँचाते थे और उसे समाचार पत्र के प्रकाशन केन्द्र तक क्लोज सर्किट टेलीप्रिंटर से भेजा जाता था। यह डाक तार विभाग के नियंत्रण में रहती थी। इसलिए कई बार समाचार देर से पहुँचते थे। मय बाद साधन सम्पन्न समचार पत्रों ने अपने महत्वपूर्ण कार्यालयों को सीधे टेलीप्रिंटर से जोड़ना शुरू किया। यह व्यवस्था खासी खर्चीली थी पर इसकी विश्वसनीयता इसका ाकर्षण था। इस सुविधा का लाभ गिन-चुने समाचार पत्र ही हासिल कर सकते थे, समाचार पत्रों के समग्र विस्तार पर इसका असर दिखाई नहीं दिया।

नयी सूचना टेक्नोलाजी सिर्फ कम्प्यूटर तक सीमित नहीं है, यद्यपि कम्प्यूटर इसका टक है। इसके विस्तार में कम्प्यूटर की केन्द्रीय भूमिका है। वास्तव में इसका नामकरण र द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के विकास के साथ हुआ। संचार माध्यमों का विकास से टेलीप्रिंटर और टेलीफोटो तक हुआ तो भी यह संचार माध्यम ही रहे। कम्प्यूटर का से शुरू हुआ सफर 80 के दशक से पहले तक कम्प्यूटर युग ही रहा। सूचना टेक्नोलाजी वास्तव में तभी हुआ जब अमेरिकी कम्पनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स (आई0 बी0 ने 1980 में छोटे माइक्रो कम्प्यूटर को सर्वसुलभ बनाने के लिए पर्सनल कम्प्यूटर के प्रस्तुत किया और वह 1969 में प्रयोगात्मक संचार जाल के रूप में जन्मे इन्टरनेट से ।

इनटरनेट की कल्पना अमेरिकी रक्षा विभाग के वैज्ञानिकों ने ऐसी आपातकालीन संचार के रूप में की थी जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। वर्ष 2000 तक लगभग 180 देशों तक इसका प्रसार हो गया और इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है।

एक अनुमान के अनुसार आज हर पांच मास में इसके सूचना तंत्र में शामिल कम्प्यूटरों की संख्या और इसके माध्यम से गुजरने वाली सूचनाओं का समग्र आकार दुगुना हो जाता है। 1993 में व्यापारिक रूप से व्यक्तिगत इन्टरनेट कनेक्शन सुलभ करने की शुरुआत के कुछ ही महीने में इसका प्रयोग करने वालों की संख्या करोड़ो में पहुँच गयी और कम्प्यूटर आधारित संचार का एक नया युग शुरू हो गया।

पत्रकारिता जगत पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव व्यापक रहा। सूचना टेक्नोलाजी क्रांति ने समाचार जगत ही नहीं रेडियो एवं टी0 वी0 जैसे समाचार माध्यमों पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। उदाहरण स्वरूप, भारत में इस क्रांति से पहले स्टूडियो के बाहर (घटनास्थल) से सीधे लाइव टी0 वी0 प्रसारण राष्ट्रीय दिवसों अथवा खेल के मैदान तक सीमित था। सूचना क्रांति के बाद के दौर में सामान्य फोन लाइनों तथा विडियो फोन या सेटेलाइट फोन तथा ओ0वी0 वैन का इस्तेमाल कर के देश के किसी भाग से या विदेशों से भी ऐसा सीधा प्रसारण करने के लिए सिर्फ घटना के समय वहाँ किसी पत्रकार तथा ओ0वी0वैन का उपलब्ध होना ही पर्याप्त है। किसी भी घटना का चित्र समाचार पत्र कार्यालय या टी0 वी0 स्टेशन तक पहुँचाने के लिए टेलीफोटो जैसी भारी-भरकम व्यवस्था के बजाय सिर्फ एक डिजिटल कैमरे को लैप टॉप कम्प्यूटर तथा फोन लाइन से जोड़कर किया जा सकता है।

समाचार कक्ष तक समाचार पहुँचाने का काम भी लैप-टॉप या पर्सनल कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए घटना स्थल से निकटस्थ टेलीफोन तक ही पहुँचना होता है। समाचार और फोटो प्रकाशन केन्द्र तक पहुँचाने की इस सुविधा को सर्वत्र सुलभ कराने की दिशा में अगला कदम लैपटाप को बेतार मोबाइल फोन से जोड़कर आज भी उठाया जा सकता है। इंटरनेट को मोबाइल फोन से जोड़ना आज संभव ही नहीं सामान्य होता जा रहा है।

1.6.2 चित्र -

समाचार पत्रों व पत्रिकाओं टी0 वी0 और इंटरनेट पर समाचारों के साथ तालिकाओं, रेखाचित्रों, ग्राफ, नक्शों व कार्टूनों आदि का प्रयोग उन्हें सुग्राय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फूलन देवी की हत्या, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ अमेरिका की मदद से उत्तरी गठबंधन से सशास्त्र बलों के अभिदान की प्रगति, संसद भवन पर आतंकवादी हमले आदि घटनास्थलों के बारे में जो जानकारी इन घटनाओं की प्रत्यक्ष तस्वीरों के माध्यम से दिखाना संभव नहीं था उसे दिखाने के लिए नक्शों रेखाचित्रों आदि का इस्तेमाल सामान्य तरीका है। उदाहरण स्वरूप संसद पर हमले के समय वहाँ उपस्थित कैमरा टीमों ने जिस तरह दृश्यों को कैमरों में कैद किया, वहीं से दिखा सके। वह सब जो उनके सामने नहीं घटा उसे दिखाने के लिए नक्शों, रेखाचित्रों आदि का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह फूलन देवी की हत्या के स्थल पर घटना के समय कोई फोटोग्राफर न होने के कारण सुलभ तस्वीरें तो उनके आवास के मुख्य द्वार के बाहर खून के छीटों व आवास के बाहर लगी नाम पट्टी आदि की ही थीं, घटना क्रम को स्पष्ट रूप से पाठकों या दर्शकों तक पहुँचाने के लिए नक्शे पर कारों से रास्ते आदि को दिखाकर ही किया जा सका।

नयी सूचना टेक्नालोजी के दौर में कम्प्यूटर से तालिकायें, ग्राफ और चार्ट बनाना बहुत गया है। माइक्रोसाफ्ट वर्ड आदि कई अति आधुनिक शब्द संसाधन साफ्टवेयर इस्तेमाल का बनाना आसान है, क्योंकि इसमें तालिका बनाने के लिए सुलभ क्रमादेश (साफ्टवेयर फी लचीला है। इसको एक-दो बार प्रयोग कर के कम अनुभवी व्यक्ति भी तालिका है। इस व्यवस्था का प्रयोग कर अधिकांश समाचार पत्र तालिका चार्ट विकसित करने हानगरों के विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं रहे।

कम्प्यूटर में सुलभ कोरल ड्रा, पेंट ब्रश जैसे साफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नक्शों आदि को बनाना भी आसान हो गया है। इस तरह के साफ्टवेयर के साथ पहले से बनी तियों, जिन्हें क्लिप आर्ट कहा जाता है का भी उपयोग किया जा सकता है। तालिकायें, आदि। बनाने के लिए पहले जहाँ आर्टिस्ट को काफी समय लगता था अब कम्प्यूटर से उसके कार्य रफ्तार बढ़ा दी है। कम्प्यूटर से बने चार्ट आदि की आकृतियों में ई और ज्यादा बारीकी भी संभव है जिसे हाँसिल करने में परम्परागत कलाकार को स की जरूरत रहती थी। अब यह कहा जा सकता है कि पेंट ब्रश, कोरेल ड्रा जैसे प्रौद्योगिकी के औजारों ने समाचार पत्रों के चेहरे-मोहरे को आकर्षक बनाया है और काम को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डिजिटल कैमरा -

क तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है- यह कहावत काफी पुरानी है। समाचार पत्रों में ोग पाठक को घटना के करीब ले जाता है। उससे पाठकों को पहचान कराता है तथा यों से दो चार होने का मौका देता है जिन्हें शब्दों में आसानी से बयान नहीं किया जा त्र समाचार की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं।

कीसवीं सदी के पहले दशक के शुरु में सुलभ आधुनिकतम डिजिटल कैमरे से ली ा आठइंच गुणा दस इंच का प्रिंट फिल्म वाले परंम्परागत कैमरे से ली गई इतनी ी से कम स्पष्ट नहीं लगता। समाचार पत्रों के लिए इसकी सुग्राह्यता का मुख्य कारण वालिटी नहीं है क्योंकि ज्यादातर समाचार पत्रों में लगने वाले कागज तथा उनकी क्रिया को देखते हुए बारीकी का ज्यादा महत्व नहीं रहता। इस तरह के कैमरे से ोटो घटना स्थल से समाचार पत्र कार्यालय पहुँचने में समय की बचत तथा उसके ्या से गुजरने की तकनीकी इस प्रौद्योगिकी का मुख्य आकर्षण है।

रिकी पत्रिका पी0 सी0 वर्ल्ड के एक समीक्षक के अनुसार जापान की मिनोल्टा धुनिकतम (अक्टूबर 2001) कैमरे से ली गयी तस्वीर आरम्भिक डिजिटल कैमरे वीरों की तुलना में काफी ज्यादा बारिकियाँ दिखाने में सक्षम है। समाचार पत्रों के रों की उपयोगिता के कुछ और कारण भी है। कैनन (जापान) द्वारा बनाए गए डी0 कैमरे तेजी से तस्वीरें ले सकते हैं और एक सेकंड में आठ तस्वीरें लेकर यह वह सही क्षण का मुद्रा पकड़ने की क्षमता देते हैं जो परम्परागत कैमरों में सम्भव कैमरों के उपलब्ध होने के बाद फुटबाल मैच का गोल क्रिकेट में खिलाड़ी का ा कैच लपकना आदि उसी तरह स्पष्ट दिखाई देता है जैसे टी0 वी0 के पर्दे पर माध्यम से दिखाया जाता है। एक सेकेन्ड में आठ तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर

को न तो आठ बार क्लिक करना पड़ा है और न ही फिल्म के आठ फ्रेम खपाने पड़ते हैं। वह उस नायांब फोटो को पकड़ सकता है जिसे देखने की पाठक को प्रतीक्षा है और जो एक फ्रेम में हजार शब्दों से ज्यादा संदेश देने में सक्षम है। नयी सूचना प्रौद्योगिकी ने फोटोग्राफों के लिए सही क्षण को कैद करके फोटो तैयार करने और उसके सम्प्रेषण के अलावा फोटो का इस्तेमाल करने वालों के काम को भी आसान बना दिया है।

कम्प्यूटर फाइल के रूप में किसी फोटो को दूरदराज भेजना आसान होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में समाचार पत्रों के जिला स्तर के संस्करणों में स्थानीय तस्वीरों का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है उससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी हैं और टी0 वी0 जैसे चित्र माध्यम से मुकाबला करने की क्षमता भी।

1.7 सारांश -

इस पाठ में आप को सूचना टेक्नोलाजी के उन पहलुओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया है जो पत्रकार के रूप में उनके ज्ञान के लिए सहायक हों जैसे कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाना। प्रयास यह है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में नयी टेक्नालोजी की उपयोगिता तथा क्षमताओं का पता चल सके ताकि वह इसका उपयोग करने में रूचि ले और पत्रकारिता में प्रवेश करने के बाद अपना काम भली प्रकार कर सकें।

1.9 शब्दावली -

प्वाइंट - टाइप के फेस की मोटाई

फ्रंट - बाडी के सामने का भाग

साइज - एक तरफ का किनारा

1.9 संदर्भ ग्रन्थ-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं पत्रकारिता - डॉ0 हरिमोहन

(2) ई-जर्नलिज्म : - डॉ0 अर्जुन तिवारी

(3) पत्रकारिता और जन संचार सिद्धान्त एवं विकास - डॉ0 अनिल कुमार उपाध्याय

1.10 प्रश्नावली

1.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न-

(1) विश्व में मुद्रण कला का विकास कब हुआ

(2) भारत में मुद्रण के विकास में मिशनरियों का योगदान बताइए।

(3) भारत की प्राचीन मुद्रण पद्धति पर प्रकाश डालें।

10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

) आधुनिक प्रौद्योगिकी और भारत में मुद्रण कला के विकास पर एक लेख लिखें।

) कम्प्यूटर के अविष्कार के साथ समाचार पत्रों का भी विकास हुआ स्पष्ट करें।

10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

चीन में छपाई का उल्लेख किस सन में मिलता है ?

(क) 205 ई0, (ख) 175 ई0, (ग) 180 ई0 (घ) इनमें से कोई नहीं

भारत में मुद्रण कला के विकास में सहयोग था

(क) ब्रिटिश मिशनरी, (ख) फ्रांसिसी, (ग) पुर्तगाली मिशनरी (घ) जर्मन यात्री

कम्प्यूटर द्वारा फोटो कम्पोजिंग प्रणाली की शुरूआत सर्वप्रथम-

(क) अमेरिकीयों ने किया, (ख) जापीनियों ने किया, (ग) ब्रिटेन में हुआ।

(घ) जर्मनी में हुआ।

0.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

(घ)

(ग)

(क)

इकाई द्वितीय - विश्व में समाचार पत्रों का विकास

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 हस्तलिखित पत्र

2.3 आधुनिक पत्रकारिता एवम् समाचार पत्रों का विकास

2.3.1 भारत में आधुनिक पत्रकारिता का प्रारम्भ

2.3.2 स्वातन्त्र्योत्तर भारत में पत्रकारिता का विकास 1948 के बाद

2.3.3 विश्व के पत्र एवम् उनकी प्रवृत्तियाँ

2.4 विश्व के प्रमुख समाचार पत्र

2.4.1 'द टाइम्स'

2.4.2 लमांद

2.4.3 कोरियरे डेलासेरा

2.4.4 असाही शिम्बुन

2.4.5 न्यूयार्क टाइम्स

2.4.6 प्रावदा

2.4.7 डाइवैल्ट

2.4.8 वाशिंगटन पोस्ट

2.4.9 विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता

2.5 पत्रों की स्वतंत्रता एवं प्रेस परिषद

2.6 एशिया के प्रमुख देशों में पत्रकारिता का विकास

2.6.1 पाकिस्तान की हिन्दी पत्रकारिता

2.6.2 बंगला देश की हिन्दी पत्रकारिता

2.6.3 नेपाल की पत्रकारिता

2.6.4 श्रीलंका में पत्रकारिता

2.6.5 जापान की पत्रकारिता

2.6.6 चीन की पत्रकारिता

2.7 अफ्रीका की पत्रकारिता

2.8 आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड

उत्तरी-अमेरिका

0 सारांश

1 शब्दावली

2 सन्दर्भ ग्रन्थ

3 प्रश्नावली

2.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

2.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.13.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

2.13.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्यय करने के बाद आप निम्नांकित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

पत्रकारिता का आरम्भ।

भारत में पत्रकारिता का विकास।

) विश्व में पत्रकारिता की स्थिति।

) विश्व में सामाचार पत्रों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ।

विकासशीलता एशियाई देशों में समाचार पत्रों की स्थिति।

1 प्रस्तावना

यदि यह कहा जाए कि पत्रकारिता की जड़ उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता, तो लोक चौंक जायेंगे किन्तु जरा ध्यान से विचार किया जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं मालूम गा। यह तो सभी मान जायेंगे कि धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति आदि का विकास नक ही नहीं हुआ होगा। उसका सम्बन्ध अतीत से रहा होगा। इसीलिए यह कहा जा सकता के समाचार पत्रों तथा पत्रकारिता की भी एक पृष्ठभूमि जरूर है। इसका सबसे पुराना आधार य की जानने की इच्छा को माना जा सकता है। समाचार शब्द भी कोई नया नहीं है और ने की इच्छा भी, इस प्रकार यह मान लेना चाहिए कि पत्रकारिता की श्रृंखला उतनी ही पुरानी नी समाचार जानने की इच्छा।

मनुष्य आरम्भ से ही जिज्ञासु रहा है। अपने आस-पास ने घटनाक्रम को जानने की की हमेशा से इच्छा बनी रही है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्यकता सुरक्षा,व्यापार, ाजिक आदान-प्रदान, मानसिक संतोष आदि की पूर्ति के लिए मनुष्यों को हमेशा से रही है। ने सामूहिक जीवन के आरम्भ काल से ही सूचनाओं को प्रेषित करने और प्राप्त करने की

व्यवस्था मानव ने विकसित की है। आरम्भ में आदिवासी या कबीलाई व्यवस्था में विविध ध्वनि संकेतों, नगाड़े की छापों का प्रयोग किया जाता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के सुगठित होने के पश्चात् सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था में नियमितता आई। विविध संकेतों, वाद्यों शिलापट्टों की व्यवस्था तथा व्यक्तियों की नियुक्ति, इस उद्देश्य से की गयी।

गुप्तचरों को यदि हम तत्कालीन संवाददाता मान कर आज के पत्रकारों का पूर्ववर्ती कहें तो गलत नहीं होगा। इन गुप्तचरों की तरह ही घटना लेखक भी होते थे। उन्हें पत्रकार तथा उनके लिखे पत्रों को आज के समाचार पत्र का पूर्व रूप कह सकते हैं। भारत वर्ष में यह व्यवस्था बहुत पहले से थी परन्तु मुगल काल में इसकी काफी उन्नति हुई और वाकया-नवीस को लेकर एक समाचार विभाग भी होता था, जिसके प्रधान को वाकियानिगार कहा जाता था। इतिहासकार वर्नियर के अनुसार अकबर के काल में वाकयानवीसों की व्यवस्था बहुत विस्तृत थी हर जिले में इनकी नियुक्ति की जाती थी और इन वाकियानवीसों के अधीन बहुत से हरकारा हुआ करते थे।

2.2 हस्त-लिखित पत्र

मध्यकाल में जो समाचार - प्रेषण की व्यवस्था शासकों ने अपने लिए की थी, वह उन तक सीमित नहीं रह पायी। उसका उपयोग दूसरे लोग भी करने लगे। शासकों के लिए समाचार संग्रह और दरबारों के रजिस्टरों में उनका उल्लेख, इससे प्रेरित होकर हस्तलिखित पत्र भी निकलने लगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाये जाने लगे। इन हस्तलिखित पत्रों को आधुनिक समाचार पत्रों का प्रथम रूप कहे तों गलत न होगा। पत्रकारिता का मार्ग सचमुच इन्हीं पत्रों द्वारा ही तैयार किया गया था। आधुनिक पत्रकारिता का ठोस आधार लीथो और प्रेस से तैयार हुआ माना जाता है, परन्तु लीथो और प्रेसों की परिकल्पना इन्हीं हस्तलिखित पत्रों से ही आयी।

सर जान मालकम ने अपने एक स्मृति पत्र में हाथों हाथ लोगों के पास पहुँचने वाले हस्तलिखित पत्रों का उल्लेख किया है। 1857 के विद्रोह के समय 'तिलिस्म' नामक हस्तलिखित पत्र था, जिसका सम्पादन चुन्नी नामक व्यक्ति करता था। मालकम के अनुसार, दक्षिण भारत में ये पत्र गुप्त रूप से हाथों-हाथ पहुँचते थे। इनके द्वारा ही लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया जाता था और उनसे यह अपील भी की जाती थी कि वे इन समाचारों को दूसरों को पढ़ायें तथा उसकी नकल कर प्रसारित करें।

2.3 आधुनिक पत्रकारिता का उदय

आधुनिक पत्रकारिता का जन्म वस्तुतः मुद्रणयंत्र के अविष्कार के साथ माना जाता है। मुद्रण यंत्र का अविष्कार चीन में ही हुआ अतः पहला समाचार पत्र भी चीन में ही निकला। पेकिंग से 1340 में एक पत्र निकला जो की दैनिक पत्र था। आधुनिक पत्रकारिता में चीन के बाद इटली का नाम लिया जाता है। क्योंकि यहाँ मुद्रित पत्रों से पूर्व हस्तलिखित पत्रों का व्यापक और व्यवस्थित प्रचलन था। वहाँ युद्ध व व्यापार से सम्बन्धित हस्तलिखित पत्र श्रोताओं को सुनाये जाते थे।इसके एवज में उन्हें एक सिक्का देना पड़ता था जिसे वहाँ की भाषा में (गजेटा) कहते थे। इसके बाद, जर्मनी, हालैण्ड, फ्रांस कोरिया इत्यादि का नाम आता है। आधुनिक

रिता में ब्रिटेन कुछ पिछड़ गया। यहां पहला समाचार पत्र 1622 में 'पोस्ट मैन' के नाम कला। अमरीका में 1960 में पहला पत्र निकला जबकि रूस में 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ ला समाचार पत्र निकला। जापान इस क्षेत्र में सबसे देर में आया। चेक भाषा का प्रथम ार पत्र 1719 में कारेल प्रैटिसेक राजन मूलर ने 'चेस्की पोस्टीलियन नेबोलिजिट्ट 'नोविनो के नाम से प्रकाशित किया। स्लोवाक भाषा का पहला समाचार पत्र 1783 में 'प्रेप्रूस्केनोविनो' से ब्राटिस्लावा में प्रकाशित हुआ। सन् 1885 में ब्रूनो से रोवनोस्ट सन् 1891 में प्राग में ोदा और 1906 में हेडिक्रालोवी से 'पोचीडिन' नामक पत्र प्रकाशित हुआ।

.1 भारत में आधुनिक पत्रकारिता का प्रारम्भ-

भारत में आधुनिक पत्रकारिता की शुरूआत 1780 में हुई जब प्रथम मुद्रित अंग्रेजी ारपत्र 'कलकत्ता जेनरल एडवरटाइजर' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस पत्र की शुरूआत आगस्टस हिक्की नाम के अंग्रेज ने की थी और उसी के नाम से इसका नाम 'हिक्की ' पड़ गया। 1780 से 1818 तक भारतीय पत्रकारिता पर केवल अंग्रेज ही छाये रहे और अवधि में जितने पत्र निकले वे सभी अंग्रेजी में थे। भारतीय भाषाओं के पत्रों का इतिहास 8 से प्रारम्भ होता है। भारतीय भाषाओं के पत्रों में सर्वप्रथम निकले दिग्दर्शन और समाचार । ये दोनों बंगला पत्र थे। दिग्दर्शन मासिक था और समाचार दर्पण साप्ताहिक। बंगला के गुजराती भाषा की शुरूआत हुई। पहला गुजराती पत्र 'बम्बई समाज' था जो 1823 में ना। हिन्दी का पहला पत्र 1826 में निकला जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। मराठी का पत्र 'बम्बई दर्पण' 1832 में निकला। नियमित रूप से निकलने वाला पहला उर्दू पत्र था दुल अखबार'। यह 1837 में निकला था। भारत में फारसी-पत्रकारिता की शुरुआत 1818 हुई थी। बताया जाता है कि बंगला साप्ताहिक 'समाचार दर्पण' का एक फारसी संस्करण सी के साथ निकला था।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय पत्रकारिता जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को लेकर ुग में प्रवेश करती है। जनता और शासक के बीच विरोध खत्म हुआ। इससे सरकार और के सम्बन्धों का नया अध्याय शुरू हुआ। 1956 में राज्य पुर्नगठन कमीशन की रिपोर्ट के प्रादेशिक भाषा-भाषी पत्रों की संख्या और प्रभाव में भी अभिवृद्धि हुई। विभिन्न प्रादेशिक ओं में अमृत बाजार पत्रिका, मलयालम मनोरमा, महाराष्ट्र टाइम्स, प्रजावाणी, तांती, हिंद ार आदि उत्कृष्ट कोटि के पत्र प्रकाशित हो रहे थे।

द्रष्टव्य है कि आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में खासतौर पर 1942 में भारत आंदोलन के समय प्रेस इमर्जेन्सी अधिनियम तथा युद्धकालीन आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय ार पत्रों को बुरी तरह कुचला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाचार पत्रों ने हवा में सांस ली। तब से भारतीय पत्रकारिता में अबाध गति से उन्नति हुई है। प्रारम्भ में स की धारा विच्छिन्न थी। कई कठोर नियम उस समय उठा लिए गये थे। कागज आरम्भ से ब्ध होने लगे थे। मगर इस प्रगति के बाद भी यह स्पष्ट था कि प्रेस का पूरा प्रभाव जम नहीं था क्योंकि वर्षों तक उसकी व्यवहारिक क्षमतायें तथा तकनीकी उपलब्धियाँ विकसित नहीं हो थीं।

1952-54 में बने प्रेस कमीशन द्वारा छोटे समाचार-पत्रों की जांच समिति भी नियुक्त की गयी। प्रेस कमीशन की रिपोर्ट प्रत्येक भारतीय पत्रकार के लिए धर्मग्रन्थ की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसमें भारतीय प्रेस के अनेक पहलुओं पर विचार किया गया। छोटे पत्रों की जांच समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1972 में भारतीय समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था के सभी तथ्यों की जांच करने के लिए एक और समिति गठित की गयी। उसने 7 मार्च 1975 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रेस कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी0 एस0 राजाध्यक्ष थे। प्रथम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुख्य उससे यह थे कि भारतीय प्रेस अनेक स्वामित्वाधिकारों के अन्तर्गत विकसित हो। प्रेस रस्ट्रिार की नियुक्ति की जाए जो भारतीय समाचार पत्रों के कामों का सर्वेक्षण करे। तथा एक प्रेस कौंसिल की नियुक्ति की जाए। कुल मिलाकर कमीशन के सुझाव एक स्वस्थ्य प्रेस के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गये।

प्रेस कमीशन और छोटे पत्रों की जांच समिति के प्रशंसनीय कार्यों के बाद भी भारतीय प्रेस सहमे से थे। अखबारी कागज की कमी ने प्रेस के विकास में बड़ा अवरोध उत्पन्न किया। हांलाकि इधर कागज अधिक प्राप्त होने के कारण यह स्थिति कुछ भी हो गयी है।

हिन्दी पत्रकारिता की चर्चा के बिना भारतीय समाचार-पत्रों के विकास का ब्योरा अधूरा होगा। हिन्दी समाचार पत्रों का जनमत बनाने एवं पत्रकारिता के दायित्व निर्वाह में उल्लेखनीय योगदान रहा। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हिन्दी के पत्रों का दृष्टिकोण देश भक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहा। उस समय की साहसिक पत्रकारिता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। 30 मई 1826 को पं0 युगल किशोर शुक्ल ने देवनागरी में हिन्दी का पहला पत्र 'उदंत मार्तन्ड' शुरू किया। 'बंगदूत' ठीक उसके बाद 10 मई 1829 को प्रकाशित हुआ। 1854 को कलकत्ता से एक दैनिक प्रकाशित हुआ जिसका नाम था 'समाचार सुधा दर्पण'। 1868 तक अनेक हिन्दी पत्र प्रकाशित होने लगे। 'बनारस अखबार', 'मार्तण्ड', 'ज्ञानदीप', 'मालवा अखबार', 'जगद्दीपक भास्कर', 'साम्यदंड सुधाकर', 'बुद्धिप्रकाश', 'प्रजाहितैषी' और 'कविवचन सुधा' आदि। 'कविवचन सुधा' का संपादन भारतेन्दु हरिशचन्द्र किया करते थे। सरस्वती को वर्तमान शताब्दी की अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में माना जाता है जो 1900 में शुरू हुई।

19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिन्दी के अनेक दैनिक समाचार पत्र निकले जिनमें 'हिन्दोस्तान', 'भारतोदय', 'भारतमित्र', 'भारत जीवन', 'अभ्युदय', 'विश्वमित्र', 'आज', 'प्रताप', 'विजय', 'अर्जुन' आदि प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे-पाँचवे दशकों में हिन्दुस्तान 'आर्यावर्त' 'नवभारत टाइम्स', 'नई दुनिया', 'जागरण', 'अमर उजाला', 'पंजाब केसरी', 'नव भारत' आदि प्रमुख हिन्दी दैनिक सामने आये।

आजादी के बाद हिन्दी में दैनिकों, साप्ताहिकों और मासिकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। एक दो अपवादों को छोड़कर हर हिन्दी प्रांत से हिन्दी के सशक्त दैनिक प्रकाशित होने लगे। हिन्दी के पाठकों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है कि दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, बनारस, पटना, जयपुर आदि शहरों से कई-कई दैनिक एक साथ निकल रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता प्रभावशाली ढंग से प्रवेश कर चुकी है।

कुछ वर्षों पूर्व में भारत वर्ष में प्रकाशित होने वाले कुल समाचार पत्रों की संख्या 926 थी। इनमें से सबसे अधिक हिन्दी में पत्र छपते थे। इसके पश्चात तमिल भाषी दैनिक का नम्बर आता है। साक्षरता के अभिवृद्धि के साथ समाचार-पत्र के पाठकों की संख्या में भी तरी हुई है। हिन्दी क्षेत्रों में साक्षरता का विकास जितनी तेजी से होगा। हिन्दी पत्रकारिता भी ी ही गति से आगे बढ़ेगी। उसकी कला और शिल्प में भी निखार आया। यह कहना गलत गा कि हिन्दी पत्रकरिता का भविष्य अत्यंत उज्जवल है।

.2 स्वातंत्र्योत्तर भारत में पत्रकारिता का विकास-

राजनैतिक पराधीनता के युग में हिन्दी पत्रकारिता ने जिस साहस और संघर्ष क्षमता का य दिया था वह प्रशंसनीय है। जनमत निर्माण तथा जनशिक्षण की दिशा में हिन्दी पत्रों तथा ारों ने जिस मिशन भाव से कार्य किया वह मिशन भाव स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त हो गया उसके स्थान पर व्यावसायिकता का साफ प्रभाव दिखाई देने लगा। स्वतंत्रता के पूर्व हिन्दी ारिता जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए समर्पित थी वह भी अब बदल गए। पहले पत्रकारिता मूल लक्ष्य था देश की आजादी, स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता का लक्ष्य हो गया देश के क सामाजिक विकास में जन-जन की सक्रिय-भागीदारी को प्रोत्साहन देना। राष्ट्र ने लोकतांत्रिक द पद्धति को स्वीकार किया। यह पद्धति तभी सफल हो सकती है जब आम जन इस शासन ी से सीधे जुड़ें। इस प्रकार सत्ता और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करने का ायित्व पत्रकारिता के कन्धों पर आ गया।

पत्रकारिता के उद्देश्यों में आये बदलाव के साथ-साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होने । अब अधिकांश पत्र-पत्रिकायें कुछ बड़े प्रकाशन समूहों तक ही सिमट गयें। एक लम्बी ध तक अंग्रेजी भाषा के पत्रों का प्रभुत्व रहा। हिन्दी पत्रकारिता को अनुवाद प्रणाली पर निर्भर पड़ा। सम्पादक और अन्य पत्रकार वेतन भोगी होने लगे और सेवा के आदर्श के बजाय व्यक्ति हित साधना को प्रमुखता दिया जाने लगा। प्रत्येक कार्य व्यवसायिकता से संचालित लगा। मित्र पत्रकारिता भी अपना सिर उठाने लगी।

इतना सब कुछ पत्रकारिता विधा के विपरीत होने के बाद भी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या ी से वृद्धि होने लगी। 1980 के आस-पास पहली बार यह पता चला कि हिन्दी समाचार की प्रसार संख्या अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों की प्रसार संख्या से अधिक हो गई। ार संकलन से लेकर समाचारों के प्रस्तुतीकरण, मुद्रण तथा साज-सज्जा आदि सभी क्षेत्रों में निकता का समावेश हुआ। स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध की दृष्टि से रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स कार्यालय की स्थापना की गयी। इसके माध्यम से 956 से लगातार भारत में प्रेस की स्थिति की विशद् जानकारी प्राप्त की जाती है। भारत में ी स्थिति के अध्ययन के लिए दो प्रेस आयोगों की भी स्थापना की गई। इन आयोगों ने महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं। अस्सी के बाद के वर्षों में यह पाया गया कि भारत में ार पत्र पढ़ने वाले पाठकों में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर उस प्रत्येक भाषाओं में कुल समाचार पत्रों के प्रसार में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दैनिक समाचार पत्रों की संख्या में इस अवधि के दौरान लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और तीन वर्ष पश्चात दैनिक समाचार पत्रों की वृद्धि दर लगभग 17 प्रतिशत तक पहुँच गयी। इस दौरान सर्वाधिक हिन्दी भाषा के पत्र प्रकाशित हुए उस समय हिन्दी पत्रों की संख्या थी 5,936 तथा दूसरी भाषाओं के पत्रों की संख्या क्रमशः इस प्रकार रही अंग्रेजी 3,840, बंगला 1,582 उर्दू 1,372 तथा मराठी 1,131। दैनिक समाचार पत्रों के कुल समाचार पत्रों में हिन्दी (470) का प्रथम स्थान रहा जब कि उर्दू (148) मराठी (127) अन्य एक सौ से अधिक दैनिक पत्र के प्रकाशन अंग्रेजी (123) मलयालम (112) तथा तमिल (106) का प्रकाशन हुआ। जहाँ तक प्रसार का सवाल है, हिन्दी पत्रों ने 45 लाख से ऊपर प्रतियों का वितरण कर पहला स्थान प्राप्त किया जबकि 33 लाख से ऊपर प्रतियों का वितरण कर अंग्रेजी दूसरे स्थान पर रही इस तरह हम पाते हैं कि कुल पाठकों का 27 प्रतिशत से कुछ ज्यादा हिस्सा हिन्दी समाचार पत्रों के पास रहा जबकि 20 प्रतिशत के आस-पास अंग्रेजी पत्रों का हिस्स रहा।

दैनिक पत्रों के कुल प्रसार का पचास प्रतिशत से अधिक बड़े समाचार पत्रों के अधिकार में रहा। 71 बड़े दैनिक समाचार पत्रों का प्रसार प्रतिशत 50.1 रहा। 165 मझोले दैनिकों का प्रसार प्रतिशत 26 तथा 651 छोटे दैनिकों का प्रसार प्रतिशत 23.1 रहा।

2.3.3 विश्व के पत्र एवम् उनकी प्रवृत्तियाँ

ब्रिटेन में जब 1620 में और अमरिका में 1690 में विश्व में सर्वप्रथम समाचार पत्र छपा उस समय से लेकर आज तक पत्रों की दुनिया में इतना परिवर्तन हो चुका है कि आज उनका स्वरूप बिलकुल बदल गया है। ये सभी बदलाव समाचार पत्र की तकनीक, बनावट, विषय सामग्री एवम् उनका वितरण सभी में देखा जा सकता है।

आज समाचार पत्र विश्व के सभी देशों के लोगों के दैनिक जीवन का आवश्यक अंग बन चुका है। अफ्रीका के कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ प्रेस का अस्तित्व ही नहीं है, विश्व के शेष देशों में दैनिक समाचार पत्रों तथा पाक्षिक व मासिक पत्रिकाओं सभी की संख्या में वृद्धि हुई है। टी0 वी0 व रेडियो ने कई मामलों में समाचार पत्रों की गति को रोका है। इसका मुख्य कारण यह है कि हर देश में समाचार पत्र रेडियो प्रसारण की अपेक्षा बहुत कम लोगों तक पहुँच पाता है और कई देशों में टेलीविजन के दर्शक समाचार पत्रों के पाठकों से कहीं अधिक हो गये हैं। लेकिन फिर भी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यह साबित होता है कि लोग समाचारों के विश्लेषण तथा उनके बारे में अधिक व प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों का ही सहारा लेते हैं। एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि लोग जो कुछ पढ़ते हैं उसकी छाप उनके मन पर अधिक समय तक रहती है, बल्कि उन समाचारों के, जो वे रेडियो पर सुनते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं।

विश्व के विकसित देशों में जापान अमेरिका तथा रूस व यूरोपीय देशों में यह प्रयास किया जा रहा है कि उपग्रह के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में समाचार पत्रों की छपाई एक साथ हो। कुछ वर्षों से भारत में भी कुछ समाचार पत्र इस विधि से छापे जा रहे हैं जिससे अधिक से

धिक पाठक नवीनतम समाचारों को पढ़ सकें। समाचार पत्रों का भौगोलिक प्रसार भी सीमित । यदि कुछ विकसित देशों की बात छोड़ दी जाये तो समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर-राज क क्षेत्रों में अपनी पैठ नहीं बना पाये हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचना माचार पत्रों के लिए अत्यन्त व्यय-साध्य है। इसके पीछे समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति मुख्य मस्या है। पत्रिकाओं और किताबों की त ह समाचार पत्रों को सस्ती दरों पर निकालना प्रतिदिन र कठिन होता जा रहा है। समाचार पत्रों को विज्ञापनों से जो अर्थ प्राप्त होता रहा है उसे संचार दूसरे साधन अपनी ओर खींच रहे हैं। यह एक आश्चर्य की ही बात कही जाएगी कि माचार पत्रों में हर प्रकार की जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएगी परन्तु समाचार पत्रों के कास, उनके इतिहास के बारे में कम जानकारी मिलती है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ह कहा जा सकता है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से दस हजार से ज्यादा दैनिक तथा 36 हजार अधिक विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं।

समाचार पत्रों का वर्गीकरण विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का है। उदाहरण के लिए टेन में समाचार पत्रों को छह भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम लंदन से प्रकाशित ई राष्ट्रीय पत्र जो देश भर के लोग पढ़ते हैं। दूसरे वर्ग में वे प्रातः कालीन पत्र हैं जो कि प्रांतों प्रकाशित होते हैं। तीसरा वर्ग उन राष्ट्रीय पत्रों का है जो लंदन तथा प्रांतों-दोनों जगहों से काशित होते हैं और जिनके एक दिन में कई संस्करण निकलते हैं। इनमें विशेष ध्यान क्षेत्रीय माचारों की ओर रहता है। चौथे वर्ग में रविवारीय समाचार पत्र हैं जो लंदन से प्रकाशित होते हैं किन जिनकी पहुँच देश भर में होती है। इसमें अधिकतर राजनीति, कला, साहित्य एवम् लकूद के समाचार समीक्षा के साथ रहते हैं। इसके बाद उन स्थानीय साप्ताहिक पत्रों का वर्ग है । देश भर में जगह-जगह प्रकाशित होते हैं और जिनमें छोटे शहरों तथा गाँवों के स्थानीय माचार वहाँ की राजनीतिक चर्चा तथा अन्य क्षेत्रीय सूचनायें रहती हैं। छठें वर्ग के समाचार-पत्र न पाठकों के लिए होते हैं जिनकी रूचि खेल-कूद आदि विषयों में अधिक होती है।

चीन और जापान जैसे कुछ अन्य देशों में भी कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर काशित होते हैं। परन्तु अमरीका तथा भारत में शहरों से प्रकाशित ऐसे कई पत्र हैं जिनके ठकों की संख्या तो बहुत है लेकिन वे राष्ट्रीय समाचार-पत्र के रूप में मान्य नहीं हैं। प्रातः लीन दैनिक तथा रविवारीय पत्रों का वर्गीकरण अधिकतर देशों के लिए उपयुक्त है, लेकिन रत और पश्चिम जर्मनी में विशेष रविवारीय पत्र जैसे कोई पत्र नहीं होते। भारत में कुछ निकों के रविवारीय पूरक अंक होते हैं। पश्चिम जर्मनी में ये अंक शनिवार को निकलते हैं। टेन का एक पत्र विशेष अंक शुक्रवार को निकालता है। पत्रकारिता जगत में अब एक और शेष वर्ग के पत्र लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये पत्र विशेष विषयों से संबंध रखते हैं तथा उन ठकों के लिए हैं जिनकी रूचि भी खास विषयों जैसे राजनीति अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान तथा लकूद होते हैं। आज विश्व के विभिन्न देशों में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता के विभिन्न अर्थ हैं। ह इस पर निर्भर है कि उस देश की राजनैतिक या आर्थिक विचारधारा कैसी है तथा सका राजनीतिक लक्ष्य क्या है। एक ओर तो वे देश हैं जहाँ समाचार-पत्र की स्वतंत्रता नाम की ई चीज नहीं है और पत्र महज शासकीय वर्ग के प्रोपेगेडा के माध्यम हैं और दूसरी ओर वे श हैं जहाँ पत्रों की स्वतंत्रता, व्यक्ति की मूलभूत और प्रथम स्वतंत्रता मानी जाती है।

उन देशों में जहाँ लोकतंत्र है (अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा, आयरलैण्ड डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी आदि।) वहां समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गयी है और कहा जाता है कि इस स्वतंत्रता पर भी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता निर्भर है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जार्ज सदर लैण्ड ने एक बार कहा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है अपने पैरों में बेड़ियाँ डालना। कुछ अन्य न्यायाधीशों की भी यही राय थी कि स्वतंत्र समाचार पत्रों के बिना स्वतंत्र देश की कल्पना नहीं की जा सकती। अमेरिका के संविधान निर्माताओं के सामने पत्रों की स्वतंत्रता का महत्व बिल्कुल स्पष्ट था इसलिए उन्होंने बिल आफ राइट्स में पत्रों की स्वतंत्रता की गारण्टी दी। जापान, जर्मनी, आयरलैण्ड आदि ने भी इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अपने संविधान में जगह दी है। अन्य देशों जैसे फ्रांस और भारत ने पत्रों की स्वतंत्रता को व्यक्ति के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के अन्तर्गत संविधान में जगह दी है। ब्रिटेन में विधि का शासन प्रेस की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारण्टी है। जिसके अनुसार हर व्यक्ति को हर चीज लिखने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है बशर्ते कि वह अपने ऐसे किसी कार्य से देश के मूलभूत कानूनों का उलंघन नहीं करें।

2.4 विश्व के प्रमुख समाचारपत्र

हम ऐसे पत्रों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी प्रसार-संख्या उन्हीं के नगर में छपने वाले अन्य पत्रों से कम हैं। परन्तु देश की और बाहर की जनता उनको अधिक महत्त्व प्रदान करती हैं। ऐसे पत्रों में हम आपका परिचय कराएँगे ब्रिटेन के 'द टाइम्स' से, अमरीका के 'न्यूयार्क टाइम्स' और 'वाशिंगटन पोस्ट' से। पश्चिम जर्मनी के 'डाईवेल्ट', फ्रांस के 'ली मोद' और इटली के 'कोरियरे डेलासेरा', सोवियत संघ के 'प्रावदा', जापान के 'असाही शिम्बुन' तथा उन जैसे पत्रों से।

2.4.1 'द टाइम्स'

जान वाल्टर ने 1785 ई0 में 'द डेली यूनिवर्सल रजिस्टर' का प्रकाशन किया जो 1788 ई0 में 'द टाइम्स' के रूप में छपने लगा। राजनीतिक और साहित्यिक समाचारों के लिए यह पत्र संसार के समाचारपत्रों हेतु मार्गदर्शक का कार्य करता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री सबसे ताजे समाचार को जानने के लिए सम्पादक (द टाइम्स) से ही सम्पर्क रखते थे। पत्र के सम्पादक डॉ0 जॉन स्टोडार्ट को वेतन के रूप में बहुत बड़ी रकम दी जाती थी। थामस बार्नेज जैसा प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जब पत्र के सम्पादक हुए तो इसका प्रसार विदेशों में होने लगा। बार्नेज ने जहां प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया वहीं उन्होंने समाचार पत्र के विकास हेतु संचार के आधुनिकतम साधनों का उपयोग किया। पत्र की भाषा खरी और तेज तर्रार होती थी। बार्नेज की मृत्यु के बाद 1841 ई0 में ड्युस डीलेन पत्र के सम्पादक हुए।

लार्ड नार्थक्लिफ, लार्ड थाम्सन, स्पोर्ट मुंडोक जैसी हस्ती 'द टाइम्स' से सम्बद्ध रहे हैं। आज भी स्थिति यह है कि 'द टाइम्स एक ओर ब्रिटिश सरकार का, कोई भी सरकार क्यों न हो, मुख-पत्र माना जाता है तो दूसरी ओर विज्ञापन तथा अन्य साधनों की दृष्टि से वह किसी

कम नहीं है। वह जो लिखता है उस पर साधारण पाठकों को उसके अन्य प्रतिद्वंद्वी समाचारपत्रों अपेक्षा अधिक भरोसा रहता है। 'द टाइम्स' के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आए। नेपोलियन साथ युद्ध के समय इस पत्र ने अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर ली और एक स्थिति ऐसी आ गई 1813 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लार्ड केस्टलरेग 'द टाइम्स' के संपादक से यूरोप के सबसे जा समाचार पूछते थे। उसने समाचारपत्र-लेखन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छे लेखकों को पारिश्रमिक देकर आलोचना स्तम्भ को सुदृढ़ किया। उस समय के बड़े-बड़े खक और कवि उस पत्र के लिए लिखने लगे, परन्तु प्रसार संख्या की दृष्टि से 'द टाइम्स' का ार सात हजार प्रतियाँ ही थीं, जो उस समय बहुत मानी जाती थी। उसके संपादक डॉ0 जॉन ोडार्ट को 1400 पौण्ड वार्षिक का वेतन दिया गया, जो उस समय 'टाइम्स' के इतिहास खक हार्ट के अनुसार बहुत बड़ी रकम मानी गयी। धीरे-धीरे यह पत्र नई आर्थिक शक्तियों का र्थक हो गया और जब 1832 में चुनाव सुधार का विधयक आया तो प्रसिद्ध राजनीतिक चार थामस वार्नेज को इसका संपादक बनाया गया। धीरे-धीरे यह पत्र लंदन से बाहर बिकने ा और उन लोगों का पत्र हो गया, जो मतदाता-क्षेत्र के विस्तार की मांग कर रहे थे। 1834 'टाइम्स' ने 400 मील दूर एडिनबरा में दिये गये एक भाषण को छत्तीस घंटो से भी कम मय में छाप दिया। इसी तरह फ्रांस के बादशाह ने अपनी संसद में जो भाषण दिया था वह 2 घंटों से पूर्व ही 'टाइम्स' ने लंदन में प्रकाशित दिया। इसकी भाषा बड़ी-खरी-खरी और तर्रार होती थी। उसकी लोकप्रियता ने शासकों के रुष्ट कर दिया जिन्होंने उसके एक विरोधी पत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा स्टाम्प कर में ऐसे परिवर्तन किये जिनसे ाइम्स' को हानि हो। परन्तु उसका प्रचार बढ़ता गया। वर्ष 1850 में 'टाइम्स' का प्रसार सके सारे विरोधियों से चौगुना था। न्यूयार्क, पेरिस, मैड्रिड, लिस्बन, ब्रसल्स, हेग, हेम्बर्ग र कुस्तुनतुनिया में इस पत्र के संवाददाता थे। उस समय से इस पत्र ने जो असाधारण महत्त्व प्त किया वह आज तक कायम है।

'टाइम्स' की पत्रकारिता की एक अपनी परम्परा बनी। उसके संपादक बार्नेज का नामोल्लेख वल 1841 में तब हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई। बार्नज संपादक बार्नेज का नामोल्लेख वल 1841 में तब हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई। बर्नाज के बाद डुयस डीलेन पत्र का पादक हुआ। उसका सरकार के साथ अच्छा सम्बन्ध था और उसने 'टाइम्स' को इसका लाभ लाकर यह प्रतिष्ठा दिलाई कि रानी के भाषण या संधियों के मसौदे भी उस पत्र में घटने से हले छपने लगे। तब से यह समझा जाने लगा कि 'टाइम्स' सरकार की आवाज है, सरकार ोई भी क्यों न हो। परन्तु जब विदेशी सरकारों ने इस पत्र को अपने पक्ष में करने के लिए टिश सरकार का सहारा लिया तो 'टाइम्स' ने वे सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो पत्रकारिता के ादर्श वाक्य बन गए। इनमें एक था-"समाचार पत्र भण्डाफोड़ से जीवित रहते हैं।" या "समाचारपत्र ा कर्तव्य है कि वह सत्य की खोज करे और निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर संसार के मामलों उसका प्रयोग करे।" उस समय यह समझा जाता था कि अगर ब्रिटेन किसी देश से युद्ध रता है या संधि करता है तो उसकी घोषणा 'टाइम्स' पत्र से पहले हो जाती है।

विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी 'टाइम्स' ने इसी समय प्रवेश कर नई चुनौतियों को ीकारा। शक्तिशाली बनने के बाद भी पत्र की एक-सी आर्थिक स्थिति नहीं रही। वर्ष 1905 में

इसकी प्रसार-संख्या बहुत गिर गई। उस समय लार्ड नाथक्लिफ ने जो डेली मेल चला रहे थे (जिसकी आठ लाख प्रतियाँ छपती थीं) तीन लाख बीस हजार पौंड देकर 'टाइम्स' को खरीद लिया और इसे जर्मन समर्थक हाथों में बिकने से रोक दिया। यद्यपि नार्थक्लिफ ब्रिटेन में सनसनीखेज पत्रकारिता के जन्मदाता माने जाते हैं परन्तु उन्होंने यह वचन दिया था कि वह पृष्ठ-संख्या व मूल्य यथावत् रखेंगे और सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं अपनायेंगे। प्रथम महायुद्ध और लार्ड नार्थक्लिफ की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का 'टाइम्स' पर बुरा प्रभाव पड़ा। वाल्टर परिवार ने 140 वर्षों बाद अपने शेष शेयर बेचकर पत्र से सम्बन्ध समाप्त कर दिया। 14 अगस्त, 1922 को लार्ड नार्थक्लिफ की मृत्यु के बाद 'टाइम्स' का प्रबन्ध एस्टर खानदान के हाथों में पहुँच गया। उसने पत्र के लिए एक ट्रस्ट मण्डल बना दिया जिसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होते थे।

2.4.2 ल मांद

अपने समाचारों और विचारों के कारण 'ल मांद' फ्रांस का सर्वाधिक शक्तिशाली पत्र माना जाता इस पत्र का प्रारम्भ 18 दिसम्बर 1944 में जनरल दिगाल ने की थी। हिटलर से मुक्त होने पर फ्रांस की पूर्ण स्वाधीनता के उपलक्ष्य में ही पत्र की स्थापना हुई जिसके सम्पादक होबर्ट ब्यूबी थे। पत्र ने अपने प्रथम अग्रलेख में स्पष्ट किया कि ली मांद की पहली आकांक्षा यह है कि पाठक को वह सूचना शीघ्र ही दी जाए जो साफ है, सच है और यथा सम्भव शीघ्र और पूर्ण है। अग्रलेख में यह भी लिखा या है कि आज कोई व्यक्ति कुछ देखने और उसका विवरण देने से संतुष्ट नहीं होता। प्रश्नों का निर्णय करने, उन पर स्वतंत्र सलाह देने के लिए पाठकों की सहभागिता पर भी पत्र ने सक्रियता दिखलाई। पत्र में न तो चित्र होते और न सनसनीखेज समाचार ही। पत्र की सार्वजनिक सेवा, समाचारों की गुणवत्ता, विविधता के सभी कायल थे। अपने संस्थापक जनरल दिगोल की नीतियों की आलोचना करने में यह पत्र सदा आगे रहा।

इस पत्र की यह विशेषता है कि इसमें चित्र नहीं होते और न ही सनसनीखेज समाचार होते हैं। फिर भी इसमें फ्रांस की घरेलू नीतियों और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर विवेचनात्मक समीक्षा होती है। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर अलग-अलग स्तम्भ हैं। जो लोग इस पत्र की नीति से सहमत नहीं होते, वे भी इसकी सार्वजनिक सेवा और समाचारों की गुणवत्ता, विविधता और पूर्णता को कायल हैं। यद्यपि जनरल दिगाल ने इस पत्र की स्थापनी की थी और अल्जीरिया के साथ युद्ध के समय 'ली मांद' ने माँग की थी कि जनरल दिगाल को पुनः राष्ट्रपति बनाया जाए परन्तु जब वे राष्ट्रपति हो गये तो उस पत्र की नीतियों की उन्होंने कड़ी आलोचना की। समाचार पत्र का प्रसार बढ़ता गया और उसकी प्रसार-संख्या 1 लाख 64 हजार से बढ़कर 1968 में 3 लाख 54 हजार हो गई थी। जो पत्र दो छोटे-छोटे पन्नों में प्रकाशित हुआ था, उसकी पृष्ठ संख्या 1969 में 30 में हो गई थी, जिसके आधे पन्नों में विज्ञापन होते थे।'ली मांद' एक ऐसा समाचार पत्र है जहाँ महत्त्वपूर्ण निर्णय पत्रकारों द्वारा लिए जाते हैं। 'ली मांद' की रजत-जयन्ती के अवसर पर श्री ब्यूबे-मेरी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। उन्हीं के सुझाव पर वर्तमान संपादक चैकिस होवेट नियुक्त हुए। 'ली मांद' एक ऐसा पत्र था जिसने ईरान के शाह के शासन के विरुद्ध कोई 66 लेख दो वर्षों में छापे थे। यह पत्र उपनिवेशवाद के

द्ध रहा है यद्यपि कम्युनिस्ट लोग इसे प्रगतिशील पत्र नहीं मानते। इस पत्र के संपादक पर, ालय की मानहानि करने का मुकदमा भी चलाया गया, क्योंकि पत्र में लिखा गया था कि पालिका सरकार के अंगूठे के नीचे दब गई है।

.3 कोरियरे डेलासेरा

'कोरियरे डेलोसरा' इटली का ही प्रमुख पत्र नहीं है, इसकी गणना संसार के प्रमुख पत्रों ी जाती है। इसकी स्थापनी वर्ष 1976 में हुई थी। तब इसकी 3 हजार प्रतियाँ छपीं थीं! पत्र भी इटली की राजधानी रोम से नहीं निकलता बल्कि वहाँ के उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध ोगिक नगर 'मिलानो' (मिलान) से निकलता है। पत्र के प्रथम संपादक रिकार्डों पवेसी थे, की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पवेसी के ोगी थे यू जैनियो टोरेली विलोलियर, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए गेरीबाल्डी का दिया था और जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक अलेग्जेण्डर ड्यूमा के मित्र और निजी सचिव रहे

जिस समय इस बात का प्रारंभ हुआ, इटली की बड़ी दुर्दशा थी। इटली का राज्य ह वर्ष पुराना था। दो-तिहाई जनसंख्या निरक्षर थी। इतनी बोलियाँ थीं कि कोई भी बोली सारे में समान रूप से नहीं समझी जाती थी। क्षेत्रीय विद्रोह हो रहे थे और दक्षिण इटली तथा ली में सेना को उपद्रव शांत करने के लिए तैनात करना पड़ता था। संसदीय लोकतंत्र की या धान-पालन की कोई परम्पराएँ नहीं थीं। देश में कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं था और द में क्षेत्रीय निष्ठा, सरकारी प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार के कारण गठबंधन बनत-बिगड़ते रहते ऐसी स्थिति में इस समाचार पत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस पत्र के स्थानीय लेखकों बुद्धिजीवियों को उनकी रचनाएँ प्रकाशित कर प्रोत्साहित किया और आर्थिक, सांस्कृतिक, र्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सभी विषयों पर जनता को समान रूप से शिक्षित किया। इसके संपादक ानी श्री वायोलियर की समाचारों के प्रति निष्ठा इतनी थी कि जब 'पो' नदी में बाढ़ आ गई स्वयं उस दुर्घटना की रिपोर्ट तैयार करने गये। पत्र का प्रसार बढ़ता रहा। वर्ष 1885 में उद्योगपति बेननो क्रैस्पी ने समाचार पत्र खरीद लिया और उसके परिणामस्वरूप एक लाख की पूंजी इस पत्र में लगा दी गई और उसकी प्रसार-संख्या बढ़कर 30 हजार हो गई। कोई दकीय परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि पेरिस में इस पत्र का प्रथम विदेशी संवाददाता नियुक्त किया और अफ्रीका में इटली की लड़ाई के समाचार देने के लिए एक संवाददाता पांच महीने के भेजा गया, परिणामस्वरूप दो वर्ष में ही पत्र का प्रसार 50 हजार हो गया। अगले दो वर्षों दन बर्लिन में संवाददाता नियुक्त किये गये। जब इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ तो इस ने उसका विरोध किया और इस समाचारपत्र की इमारत पर बम फेंके गये, जहाँ-जहाँ अखबार ता था, न स्थानों को नष्ट कर दिया गया। समाचार पत्रों की प्रतियों का डाक से भेजा जाना कर दिया गया और पत्र पर सेंसरशिप लागू हो गई। 1925 में हिस्से बेच दिये तथा जिक और राजनीतिक जीवन से अवकाश ले लिया। मुसोलिनी के राज्यकाल में इस पत्र को पत्रों की तरह दबाकर रखा गया। मुसोलिनी का एक प्रतिनिधि इस पत्र का इंचार्ज बनाया

गया लेकिन पत्रकार छोड़कर चले गये और वह पत्र नहीं निकाल सका। पत्र के मालिक मेरियो क्रेम्पी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जब अप्रैल, 1945 में मित्र देश की सेनाओं ने मिलान पर आक्रमण शूरू किया तो इस पत्र के एक पुराने पत्रकार ने एक नया 'कोरेरा डेला सेरा' नामक पत्र निकाला, जिसका शीर्षक था- 'मिलानो नात्सी फासिस्टों से विद्रोह करता है।'

प्रधानमंत्री गिवानी स्पाडोलिनी इस पत्र के चार वर्ष तक संपादक रहे थे। उनके समय में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ने इस पत्र के 92 प्रतिशत शेयर लेना स्वीकार कर लिया था। इस समय समाजवादी दल ने यह घोषणा की कि यदि रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ने यह पत्र खरीद लिया तो वे मंत्रिमण्डल से अलग हो जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि इटली के राजनीतिक जीवन में इस समाचार पत्र का अपने जन्म से 105 वर्ष बाद यानी 1981 में क्या महत्त्व था।

2.4.4 असाही शिम्बुन

'असाही शिम्बुन' जापान का सबसे बड़ा पत्र है, संसार के बड़े-से-बड़े पत्र की समानता कर सकता है। इसकी प्रसार-सख्या लाखों में नहीं, करोड़ों में गिनी जाती है परन्तु प्रसार-संख्या ही इस पत्र की विशेषता नहीं है। स्वयं जापान में एकाध पत्र है जो प्रसार-संख्या में इसकी स्पर्धा करते हैं और कभी-कभी आगे भी बढ़ जाते हैं। परन्तु इस एक सौ दस वर्ष पुराना जापानी समाचार ने अपने लिए जापान में और संसार में जो प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है, उसे प्राप्त करना किसी समाचार पत्र के लिए आसान नहीं है। 'असाही' को, जिसका अर्थ उगता हुआ सूर्य है, जापान की उगी हुई राष्ट्रीयता का प्रतीक समझा जाता है। इसका जन्म जनवरी 1876 में ओसाका में हुआ था। इसके संस्थापक एक पुराने सरदार मुरायमा और दूसरे एक नये धनिक व्यापारी किमूरा थे। बाद में किमूरा का हिस्सा श्री यूएनो ने ले लिया और आज भी श्री मुरायामा के पास इस पत्र के 44 प्रतिशत के शेयर और यूएनो परिवार के पास 20 प्रतिशत शेयर हैं। शेष भागीदारी पत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की है और नियंत्रण भी उनका ही है। जापान में यह कहावत प्रचलित है कि मुरायमा 'असाही' के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तब सब भागीदारों की बैठक होती है तो एक दिन के लिए कार्यालय आते हैं। लेकिन कामकाज उनके वे कर्मचारी चलाते हैं जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। इस दृष्टि से यह समाचारपत्र संसार का सबसे अनोखा पत्र है। इसकी टक्कर संयुक्त राज्य अमरीका के 'मिलवोकी जनरल' से ही होती है। जहाँ भी समाचारपत्र की अधिकांश भागीदारी कर्मचारियों के हाथ में है। लेकिन 'असाही केवल इसी विशेषता के लिए विख्यात नहीं है, जापान के कम्पनी कानून में यह प्रावधान है कि जो लोग समाचार पत्र में काम नहीं करते, वे उसके हिस्से नहीं खरीद सकते। इसलिए यह पुराना पत्र आज भी दो पुराने मालिकों और पुराने कर्मचारियों के संचालन में चल रहा है। लेकिन 'असाही' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जापान के पुनर्जागरण का पत्र माना जाता है। उसने पत्रकारिता की स्वाधीनता की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और अपने पाठकों को संसार के ज्ञान-वि5ान की नवीनतम जानकारी दी है। पूंजीवादी पत्रों में प्रायः यह देखा जाता है कि जो समाचारपत्र सनसनीखेज समाचार छापते हैं उनकी प्रसार-संख्या अधिक होती है, गंभीर पत्रों की कम। इंग्लैण्ड में 'लंदन टाइम्स' और 'गार्जियन' तथा अमरीका में 'न्यूयार्क टाइम्स' की प्रसार-

या से अनेक पत्रों की प्रसार-संख्या बहुत अधिक है परन्तु 'असाही' गंभीर पत्र होते हुए भी न विज्ञापनों के ऊपर निर्भर है और न सनसनीखेज पत्रकारिता के ऊपर।

'असाही' के ज्यादातर कर्मचारी प्रसिद्ध टोकियो विश्वविद्यालय से आते हैं। उन्हें काफी तक छोटे-छोटे नगरों में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। वैसे 'असाही' के कर्मचारियों के वेतन ान की सरकार द्वारा या वहाँ के उद्योगपतियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन अधिक होते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ छात्र 'असाही' की कठिन नौकरी करना पसन्द करते हैं किसी को एकाएक उछाल नहीं मिलता। रिपोर्टिंग के मामले में 'असाही' समाचार समितियों ऊपर निर्भर नहीं करता। उसके अपने विमान हैं। छह विमानों के एक जत्था है। जब 1979 जापान के एक ज्वालामुखी से आग निकलने लगी, जो सवेरे आठ बजे प्रारंभ हुई थी तो ाही' के ग्यारह बजे प्रकाशित होने वाले संस्करण में उसकी फोटो छप चुकी थी। यह कोई बात नहीं है। जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ का राज्यारोहण हुआ तो 'असाही' के रिपोर्टर ने विमान द्वारा उस समारोह के चित्र और समाचार लेकर चंदन से टोक्यो पहुँचे। आज के ान में साहित्य और संस्कृति में जो भी सर्वोत्तम है, उसका प्रकाशन 'असाही' द्वारा होता है। पत्र सांस्कृतिक आयोजनों और वैज्ञानिक अन्वेषणों की व्यवस्था भी करता है।

इसने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए सब कुछ दाँव पर लगा दिया। साम्राज्यवादी सैनिक सरकारों का मुकाबला किया और सरकारी प्रतिबन्धों को स्वीकार नहीं किया। जनवरी, 31 में जबकि जापान में लोकतंत्र का नाम भी नहीं था और मैजी सम्राट के गुण गाए जाते थे जब एक सरकारी आदेश निकला कि संसदवेत्ता बनने के आसान पाठ समाचारपत्रों में छापे तो 'असाही' ने तीन सप्ताह के लिए पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया। उस समय उसकी र-संख्या कुल दस हजार प्रतियां थीं और यदि कोई समाचार महत्त्व का होता तो 'असाही' नहीं रहता। 11 फरवरी, 1889 को जब जापान में नये संविधान की घोषणा हुई तो ाही' ने टोक्यो से ओसाका को जो तार भेजा था वह जापान का सबसे लम्बा प्रेस तार समझा है। उसे भेजने में साढ़े चार घंटे से अधिक समय तारघर को लगा था और उसे एक विशेष रण में छापा गया था। उसमें दस हजार शब्दचिह्न थे। 1891 तक 'असाही' को छह बार किया जा चुका था। उसे छठी बार इसलिए बन्द किया गया कि उसने गृहमंत्री के नाम एक चिट्ठी छापी थी। एक लेखक उठागावा के धारावाहिक उपन्यास को छापने के लिए इस पत्र काशन एक सप्ताह के लिए रोक दिया गया। जब इस पत्र ने यह विशेष समाचार छापा कि नियों द्वारा रूसियों को हराने के बाद भी रूस की ओर से युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी और शांति-संधि की आलोचना भी की तो उसके ओसाका संस्करण को 24 दिन के लिए और यो संस्करण को 15 दिन के लिए बन्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री तनाका की सरकार का भी 'असाही' जैसे पत्र के प्रचार के कारण ही संभव हुआ। आज जब संसार में गंभीर रिता खतरे का सामना कर रही है 'असाही' की सफलता गंभीर पत्रकारिता की सेवा और गिता का प्रतीक बन गयी है।

.5 न्यूयार्क टाइम्स -

वर्तमान काल में 'न्यूयार्क टाइम्स' संसार प्रसिद्ध नाम हो गया है। इसकी स्थापना 1 में प्रसिद्ध संपादक होरेस ग्रीली के एक शिष्य हेनरी रेमण्ड ने की थी। यह पत्र मध्यवर्ग

के व्यापारियों को ध्यान में रखकर निकाला था जिसकी घोषणा में कहा गया था- "टाइम्स इस प्रकार परम्परावादी बनने का प्रयत्न करेगा। जिससे आवश्यक सुधार किए जा सकें।" इस पत्र ने बहुत अल्प समय में बहुत प्रगति की। प्रकाशन के दस दिन में उसका प्रसार 10 हजार प्रतियाँ हो गया। पहला वर्ष समाप्त होने पर 25000 हो गया था। रेमण्ड समाचारों के बारे में बराबर आगे रहना चाहता था। वर्ष 1859 की आस्ट्रिया तथा फ्रांस की लड़ाई के समय वह संवाददाता बनकर फ्रांस पहुँचा। साथ ही वह 'रिपब्लिकन' दल का धर्म पिता माना जाता है। उसका पत्र रिपब्लिकन दल का समर्थक बन गया और व्यापार का पोषक। गृह युद्ध के समय 'न्यूयार्क टाइम्स' के समाचार सरकारी सूचनाओं के बहुत आगे रहते थे। गेट्सबर्ग की लड़ाई का विवरण जिस संवाददाता ने लिखा था उसका लड़का उसे लड़ाई के मैदान में मरा मिला लेकिन युद्ध के कारण जो मंहगाई बढ़ रही थी उस कारण क्रुद्ध नागरिकों की भीड़ ने 'टाइम्स' व 'ट्रिब्यून' जैसे पत्रों का घेरा डाल दिया क्योंकि वे गृहयुद्ध के समर्थक थे। वे कठिनाई के दिन निकल गए और 'टाइम्स' एकसफल पत्र बन गया।

टाइम्स को भण्डोफोड़ पत्रकारिता में प्रसिद्धि मिली नगरपालिका के टेमनी हाल के अध्यक्ष ट्वीक के विरुद्ध अभियान में। ट्वीड डेमोक्रेट था। उसके बारे में पत्र ने 25 दिसम्बर, 1870 को एक अग्रलेख में लिखा था-किसी खलीफा, खान या सीजर की शक्ति व सम्पत्ति इतने कम समय में इतनी नहीं बढ़ी है ट्वीड की वहाँ बैठक हुआ हमारे धन को अपनी जेब में डालकर वह हँस रहा है। पात्र ने पहली बार प्रथम पृष्ठ पर तीन कालम समाचार छापा। उसके साथ फर्जी हिसाबों का चार पृष्ठों का एक परिशिष्ट और ट्वीड की शक्ति समाप्त कर दी गई। परन्तु विचारों की स्वतंत्रता की कीमत देनी पड़ी। जब पत्र ने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के स्थान पर ग्रोवर क्लीववैंड का समर्थन किया, रिपब्लिकन दल ने अपना समर्थन वापिस ले लिये और पत्र की प्रसार-संख्या 8 हजार प्रतियाँ ही रह गईं। साथ ही उसे हर्स्ट और पोलिटिडर के बहुप्रचारित पत्रों का मुकाबला भी करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी पत्रों की सनसनीखेज पत्रकारिता का अपनी गंभीर पत्रकारिता से उत्तर देने के लिए उसने एक नया आदर्श वाक्य गढ़ा, जो इस प्रकार है-"वे सारे समाचार जो छापने योग्य हों। यह बराबर 'न्यूयार्क टाइम्स' का आदर्श वाक्य बना रहा। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'न्यूयार्क टाइम्स' अपने विशेष समाचारों के लिए प्रसिद्ध हो गया। वे समाचार वैज्ञानिक थे, पुरातत्त्वसम्बन्धी थे और मारकोनी द्वारा बेतार के तार के आविष्कार के सम्बन्ध में भी। उस समय इस पत्र ने उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए एक अभियान को सहायता दी। जब 1912 में प्रसिद्ध जहाज टिटानिक एटलांटिक सागर में डूब गया तो उसके विशेष समाचार छापे। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की रिपोर्टिंग की गई। युद्ध समाप्त होते-होते 'न्यूयार्क टाइम्स' प्रसार-संख्या चौबीस गुनी हो गई और विज्ञापन भी सात गुना बढ़ गया था। उसी समय इस पत्र ने अपने लिए एक आचरण संहिता भी स्वीकार की और ऐसे अनेकों समाचार नहीं भी छापे जो महत्त्वपूर्ण होते हुए भी संहिता के विरुद्ध होते थे। धीरे-धीरे 'न्यूयार्क टाइम्स' की प्रसिद्धि बढ़ती गई। जब 1935 में ओक्स की मृत्यु हो गई और समाचारपत्र उसकी पुत्री इफीजेन तथा दामाद सत्जवल्गर के हाथों में चला गया तो समाचारपत्र की नीति में भी परिवर्तन हुआ और व्याख्यात्मक समाचार छपने लगे। द्वितीय महायुद्ध में 'न्यूयार्क टाइम्स' की प्रसिद्धि और बढ़ गई। उसकी गणना संसार के श्रेष्ठ पत्रों में होने लगी। वाटरगेट काण्ड,

तनाम युद्ध पेंटागन पत्रों आदि के प्रकाशन से 'न्यूयार्क टाइम्स' ने पत्रकारिता में महत्त्वपूर्ण न प्राप्त कर लिया।

.6 प्रावदा -

'प्रावदा' सोवियत संघ का सबसे शक्तिशाली समाचारपत्र है। यह केवल मास्को से ही शित नहीं होता, सुदूर साइबेरिया तक से इसके संस्करण प्रकाशित होते हैं। 'प्रावदा' हमेशा सोवियत संघ के साम्यवादी दल का पत्र नहीं था। इसकी स्थापना 1908 में लिओन ट्राटस्की वियना में हुई थी। उस समय यह अल्पसंख्यक दल का प्रतिनिधि था। वर्ष 1912 में जब से सम्राट ने रूस में पत्र प्रकाशित करने की आज्ञा दी तो 5 मई, 1912 को इसका शन वर्तमान लेनिनग्राद नगर से हुआ। उस समय यह पत्र लेनिन के बोलशेविक दल का पत्र या। इसी कारण 5 मई सोवियत संघ में प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पत्र में न जैसे नेताओं के लेख छपते थे, या मजदूरों के समाचार छपते थे और रूस की पार्लियामेंट जिसे ड्यूमा कहते थे) समाजवादी संदस्यों के विचार छपते थे। इस समय 'प्रावदा' का दक 'स्टालिन' था जिसे इस अपराध पर गिरफ्तार किया गया कि वह पत्र के लिए धन एकत्र के वास्ते एक नृत्य का आयोजन कर रहा था। जार के साम्राज्य में इसके 645 अंक जब्त गए या उन पर जुर्माना किया गया और 36 संपादकों पर मुकदमा चलाया गया। आठ बार पत्र को भिन्न-भिन्न नामों से प्रकाशित किया गया। उसी समय मजदूरों और किसानों को प्रावदा संवाददाता बनाया गया। आज भी प्रावदा का सबसे शक्तिशाली अंश पाठकों के पत्र वाला माना जाता है।

'प्रावदा'सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र रहा है और सोवियत सम्युनिस्ट पार्टी की य समिति का एक सदस्य इसका संपादक रहा है। खुश्चेव के समय में पावेल सत्युकोव संपादक थे। उनके समय में सोवियत अर्थव्यवस्था पर खासी चर्चा इसमें प्रकाशित होती 'प्रावदा' में एक वर्ष में पाठकों के लगभग 6 लाख पत्र प्राप्त होते हैं और हरेक का उत्तर जाता है। उन पत्रों में की गई आलोचना की जांच की जाती है और यदि उसे सही माना है तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस विभाग में ही 60 हजार पत्रकार करते हैं और सोवियत पत्रकारिता का यह विशिष्ट उदाहरण है। जब सोवियत संघ के तिक जीवन में परिवर्तन आया और मूलभूत प्रश्नों पर खुली चर्चा होने लगी तो 'प्रावदा' का भी बदला और उसमें भी शासनतंत्र की खुली आलोचना प्राप्त होने लगी 'प्रावदा' उन ारपत्रों में है जो अपनी प्रसार-संख्या करोड़ों में है।

.7 डाइवेल्ट -

'डाइवेल्ट' पश्चिम जर्मनी का एक पत्र है, जो नया है। नया इस अर्थ में कि उसकी ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल, 1946 में हुई थी। उसका संस्थापक एक अंग्रेज गारलैण्ड था, जो यह समझता था कि यदि जर्मनी को लोकतंत्र बनना है तो उसके पास स्वतंत्र और विश्वसनीय पत्र भी होना चाहिए। उसने जेहरर को संपादक बनाया और 2 1946 को हेमबर्ग से इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जेहरर का उद्देश्य 'लंदन

टाइम्स' और जर्मन पत्र निकालना था। परन्तु वह बहुत दिन तक संपादक नहीं रह सका। जब अप्रैल 1946 को पत्र निकला तो उसका संपादक दूसरा ही था। यद्यपि पत्र सप्ताह में दो बार निकला परन्तु उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी कि वह पहले हफ्ते में ही एक लाख साठ हजार छपने लगा। बाद में यह पत्र ब्रिटिश प्रकाशकों के हाथ में निकल कर एक्सिल स्प्रिंगर के हाथ में चला गया। थोड़े दिनों में ही स्प्रिंगर पश्चिम जर्मनी का सबसे बड़ा समाचारपत्र हो गया। प्रारम्भ में इस पत्र को ब्रिटिश अधिकारियों की देखरेख में निकाला गया था परन्तु शीघ्र ही जर्मन अनुदारवादी विचारधारा का यह प्रमुख पत्र हो गया। डाइवेल्ट में जो समाचार छपे, उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जन्म दिया। एक समय था जब 'डाइवेल्ट' आणविक परीक्षणों का घोर विरोधी थी और उन लोगों का समर्थक था जो पर्यावरण की रक्षा कराना चाहते थे। स्प्रिंगर परिवार की आर्थिक नीतियों के कारण 'डाइवेल्ट' की नीतियाँ भी बदलीं और उसकी लोकप्रियता भी घटी। जब बर्लिन में पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक दीवाल खड़ी हो गयी तो 'डाइवेल्ट' को प्रचार का एक नया मौका मिला। शीघ्र ही वह अमरीकन पद्धति पर कम्युनिस्ट विरोध का प्रमुख पत्र हो गया। परन्तु इससे पत्र को लोकप्रियता पर प्रहार हुआ। यद्यपि पत्र ने अपनी नीति अधिक नहीं बदली परन्तु उसका प्रचार घटता गया और यह पत्र बोन से जो पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है, प्रकाशित होने लगा। अन्त में 1980 में आधुनिक तकनीकी के साथ कम्प्यूटर पर आधारित एक प्रेस हर क्षेत्र में खोला गया लेकिन हमबर्ग का संस्करण जारी रहा। फिर भी इस पत्र में प्रसार-संख्या अधिक न बढ़ सकी। बर्लिन संस्करण बन्द करना पड़ा और तब पीटर वाइनिश नामक पत्रकार को, जो अन्य पत्रों के सफल संपादक रहे थे, इस पत्र का संपादक बनाया गया। उसके नेतृत्व में पत्र की नीति उदार हुई, रिपोर्टिंग अधिक खुली रही और जिन पक्षों कापत्र ने हमेशा समर्थन किया था, उनमें परिवर्तन आया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक वर्ष में दो लाख 50 हजार प्रतियोंकी वृद्धि हुई यानी 24 प्रतिशत की। पत्र के कर्मचारियों और पृष्ठों की संख्या में भी कटौती की गई। विज्ञापन केवल चौथाई पृष्ठों में छपने लगे। इस प्रकार घाटे वाला पत्र फिर मुनाफे वाले पत्रमें परिवर्तित हो गया। इसके बावजूद एक्सिल स्प्रिंगर को पत्र की नीतियाँ पसन्द नहीं आईं, परिणामस्वरूप उन्होंने इस पत्र में अपनी भागीदारी अपने विरोधी प्रकाशक बुर्डा समूह को बेच दी जिन्होंने पीटर वाइनिश को हटाकर तीन अनुदारवादी व्यक्तियों को संपादक बनाया। इसके विरोध में उस पत्र के एक सौ बीस पत्रकारों ने एक वक्तव्य दिया कि हम अपने संपादक के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि धन्धे की नैतिकता के लिए लड रहे हैं।

2.4.8 वाशिंगटन पोस्ट -

अमरीकाका 'वाशिंगटन पोस्ट' वह पत्र है जिसने संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के शक्तिशाली राष्ट्रपति निक्सन को अपने कुछ समाचारों के प्रकाशन के कारण पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। इस पत्र ने जिस प्रकार 'वाटर गेट' घोटाले का भण्डाफोड़ किया, उसके बाद वाटरगेट काण्ड की रिपोर्टिंग खोजी पत्रकारिता का आदर्श बन गई। इस प्रक्रिया में इस पत्र को दो युवा पत्रकारों बर्नस्टेन और वुडवार्ड का ही योगदान नहीं था, जिन्होंने सबसे पहले यह समाचार दिया था बल्कि पत्र की प्रकाशित कैथराइन ग्राहम की बड़ी भूमिका थी, जिसने अपने वकीलों की सलाह ठुकरा कर इस समाचार को छपाकर न केवल पत्र बल्कि अपने

स्त संचार-व्यवसाय, दूरदर्शन और रेडियो स्टेशनों को भी दांव पर लगा दिया। इसलिए शिंगटन पोस्ट' के महत्त्व को समझने के लिए उसकी प्रकाशित श्रीमती कैथराइन ग्राहम को भी त्त्वपूर्ण माना जाता है। प्रारंभ में यह पत्र एक छोटा-सा राजनीतिक पत्र था जिसे डेमोक्रेटिक ा ने 1877 में राजधानी में स्थापित किया था। वर्ष 1905 में एक प्रकाशन और डेमोक्रेटिक र्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जॉन मैकलीन ने इसे खरद लिया। पत्र में प्रसिद्ध कहानीलेखक केनन यल और एमिल जोला की कहानियाँ छपती थी। वर्ष1933 में इसे यूजीनमेयर ने खरीद या। वे एक प्रसिद्ध उद्योगपति और बैंक स्वामी था। उसमे पत्र में पूंजीलगाकर उसे महत्त्वपूर्ण ा दिया। वर्ष 1938 में इस पत्र की एक हजार प्रतियाँ बिकने लगीं और इस पत्र में वाल्टर पमैन के स्तम्भ छपने लगे। 1945 में मेयर ने अपने दामाद फिलिप ग्राहम को जिसे उसकी ी कैथरीन ब्याही थी, सहयोगी प्रकाशक बना लिया। ग्राहम 1963 तक जीवित रहा। उसने की आय से रेडियो और दूरदर्शन केन्द्र खरीद लिए और खेल लेखकों को प्रोत्साहन दिया। कप्रियता प्राप्त करने के बाद ग्राहम ने वाशिंगटन को 'न्यूयार्क टाइम्स' या 'लंदन टाइम्स' की ते एक प्रमुख राजनीतिक पत्र बनाने का निर्णय किया। उसने 1952 में जनरलआइजन हावरको ्पति के रूप में समर्थन प्रदान किया। इस प्रसंग में निक्सन का भी समर्थन किया। ग्राहम की ाति यह थी कि वह सरकार के बहुत करीब है। वह जौन कैनेडी का भी मित्र था। उसका रिणाम यह हुआ कि 'वाशिंगटन पोस्ट' राजधानी का एक शक्ति केन्द्र बन गया। ग्राहम की यु के बाद उसकी पत्नी कैथरीन ग्राहन ने पत्र का भार संभाला। पत्र का संपादक ब्रैनबैडली, ेडी और जानसन का मित्र तो था ही, उसने समाचारपत्र के समाचार-स्तम्भ को बहुत बढ़ाया, ए-नए संवाददाताओं को नियुक्ति की जिससे पोस्ट का स्वरूप ही बदल गया। 'वाशिंगटन ट' न्यूयार्क टाइम्स' की तरह सरकार का ही पत्र समझा जाने लगा।

'वाशिंगटन पोस्ट' जो बहुत समय तक केवल वाशिंगटन नगर का पत्र था, जिसे उस र से बाहर के लोग जानते भी नहीं थे, वह संसार का सबसे विख्यात पत्र बन गया। आज भी शिंगटन पोस्ट की प्रसार-संख्या वाशिंगटन तक ही सीमित है, परन्तु उसका प्रभाव दूर-दूर तक ा हैऋ यही स्थिति उन पत्रों की है जिनका हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है। प्रसार की ् से 'न्यूयार्क टाइम्स' न्यूयार्क में ही छपने वाले 'न्यूज पत्र' से बहुत पीछे है और 'शिकागो यून' या 'लास ऐंजलिस टाइम्स' प्रसार-संख्या और आय में 'न्यूयार्क टाइम्स' से कहीं आगे परन्तु संसार में उनमें क्या छपता है इसकी न प्रतिक्रिया होती है और न जानकारी। लेकिन बात लंदन के 'टाइम्स', मास्को के 'प्रावदा' या जापान के 'असाही' के बारे में नहीं कही जा ती इसलिए इन पत्रों का संसार के प्रमुख पत्रों में गिना जाता है।

4.9 विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता

'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' को सार्थकता प्रदान करने के लिए हिन्दी के ्कों ने अविस्मरणीय कार्य किया। प्रवासी भारतीयों की साधना सतत स्मरणीय है। राजर्षि न कहा करते थे- 'हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है।' हिन्दी सरलता, बोधगम्यता, और ी की दृष्टि से विदेशों की प्रमुख भाषाओं में महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी को विश्व पटल पर ष्ठित कराने के निमित विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता सक्रिय है। हिन्दी पत्रकारों ने विदेशों में दी की धाक जमायी। बिल गेटस हिन्दी साफ्टवेयर की ओर उन्मुख है।

2.5 पत्रों की स्वतंत्रता एवं प्रेस परिषद

समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का विषय किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। लोगों के जानने का अधिकार एक स्वतंत्र प्रेस पर अवश्य निर्भर होता है लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि पत्रों का काम केवल दूसरों के क्रिया कलापों पर अपना निर्णय देना है। समाचार पत्र जन सम्पर्क के साधनों में से एक है, आधुनिक समाज में विकसित समाचार पत्रों को जनसम्पर्क कर्त्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सूचना सेवा तथा संदेश देने का कार्य भी समाचार पत्रों के सहयोग से किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उन पत्रों के नीति को निर्धारित करने में किनका योगदान है। जब वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किस पर है- राज्य पर, शासक वर्ग पर, पाठकों पर अथवा न्यायालयों पर। वैसे अंतिम निर्णय समाज का ही होता है कुछ देशों में स्वगठित प्रेस कौंसिलों की व्यवस्था है। यह इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है क्योंकि इन परिषदों के पास केवल एक ही हथियार है और वह है गलत दिशा में जाने वाले पत्रों के खिलाफ प्रचार करना।

जिन देशों में पूर्णतः लोकतंत्र की व्यवस्था है, वहाँ ऐसी परिषदों की सफलता की संभावनायें भी अधिक हैं। लेकिन जिन देशों में सरकार का पत्रों पर कुछ अधिक दबाव है वहाँ और भी कड़ी व्यवस्थायें हैं जैसे संवाददाताओं को कार्य करने से रोक देने का अधिकार अथवा उस समाचार पत्र के प्रकाशन पर ही रोक लगा देना।

समाचार पत्रों के विकास को गति देने के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए आज विश्व में लगभग 125 से अधिक प्रेस परिषद है जिनके विभिन्न प्रकार के संविधान व नियम हैं। इनमें से 17 सर्वगठित हैं जो अपने आप निर्णय ले सकते हैं और 19 ऐसी हैं जो किसी मामले को न्यायालय में ले जा सकती है, तथा पाँच ऐसी हैं जो गलत रास्ते पर जाने वाले समाचार पत्रों पर जुर्माना कर सकती हैं तथा उन्हें प्रेस-पासों को देने से मना कर सकती हैं। भारत में प्रेस परिषद को केवल नैतिक भर्त्सना करने का अधिकार है।

प्रेस परिषद के गठन के तरीके भी अलग-अलग हैं। पाँच परिषदें ऐसी हैं कि जिनके गठन के लिए उनके देश की सरकार ही उत्तरदायी है। इनमें भारत की प्रेस परिषद भी है। इनमें से अधिकतर परिषदों में पत्रकार, पत्रकार जगत से संबद्ध व्यक्ति तथा सामान्य जनता के प्रतिनिधि भी रहते हैं। इनमें से अधिकांश का आर्थिक अवलंब भी पत्रकारिता जगत ही है। इस मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद ब्रिटेन के ऐसा प्रेस तथा 'स्टार' समाचार पत्रों के संवाददाता श्री क्लेमेन्ट जोन्स का कहना है कि प्रेस परिषदों पर आज प्रेस, जनता तथा शासन वर्ग का दिनों-दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता में परिणित हो जाती है इसका निर्णय करने वाली संस्था का निष्पक्ष होना जितना आवश्यक है उतना ही उसका सभी को स्वीकार्य होना भी आवश्यक है।

.6 एशिया के प्रमुख देशों में पत्रकारिता का विकास -

6.1 पाकिस्तान की हिन्दी पत्रकारिता-

पाकिस्तान का भूभाग अविभाजित भारत के अंग के रूप में 20वीं सदी की शुरूआत से पत्रकारिता का केन्द्र रहा है। यहाँ से अनेक महत्वपूर्ण पत्रों का प्रकाशन किया गया। 1947 पाकिस्तान के निर्माण के बाद लाहौर से हिन्दी पत्रों का प्रकाशन तो बंद हो गया लेकिन धीरे- र लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची से अंग्रेजी, उर्दू व क्षेत्रीय बोलियों में पत्र निकलें। केस्तान की पत्रकारिता के विकास पर वहाँ की राजनैतिक उठा-पटक का असर पड़ता रहता है । प्रेस की स्वतंत्रता के मायने बदलते रहते हैं। पाकिस्तान एडवरटाइजर्स सोसायटी के आंकड़ो अनुसार नगरीय क्षेत्र में लगभग 51% लोग समाचारपत्र पढ़ते हैं जिनमें से 95% उर्दू तथा ‌ अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। नवा-ई-वक्त तथा गंज वहाँ के प्रमुख उर्दू पत्र है। डॉन अंग्रेजी का कप्रिय पत्र है। इसके अतिरिक्त फ्राइडे टाइम्स, मन्थली हेराल्ड, डेली मुस्लिम, इस्लामाबाद ज आदि अन्य प्रमुख समाचार पत्र है।

6.2 बंगलादेश की पत्रकारिता

बंगलादेश में 'ढाका' हिन्दी पत्रकारिता का केन्द्र रहा है यहाँ से 1880 में धर्मनीतित्व 1888 में 'विद्या धर्म दीपिका' तथा सन 1889 में द्विजपाक्षिक का प्रकाशन हुआ। हिन्दी -प्रकाशन की यह परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी में भी दृष्टिगोचर होती है। सन 1905 में इस र में हिन्दी की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्रिका 'नागरी हितैसी' का प्रकाशन हुआ सन 11 में तत्व दर्शन का प्रकाशन हुआ और सन् 1939 में 'मेल मिलाप' मासिक का आकर्षण इसके अतिरिक्त ढाका से ही प्रकाशित 'शिक्षा मासिक' के प्रकाशन के संकेत भी प्राप्त होते वर्तमान समय में बांग्लादेश से उर्दू, अंग्रेजी तथा बंग्ला पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। 1996 में पत्रों की प्रसार संख्या लगभग 12 लाख थी।

6.3 नेपाल की पत्रकारिता-

नेपाल में पत्रकारिता की शुरूआत सन् 1883 के लगभग हुई। इस युग में पं0 मोती भट्ट ने नेपाल में पत्रकारिता का सूत्रपात किया। आधुनिक काल में 1916 में महाराज द्र वीर विक्रम शाहदेव ने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ोंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता देकर उनको जीवित रखा। उनके सहयोग से ने वाली पत्रिकाओं में 'रमझम' का नाम प्रमुख है। यह पत्रिका राज दरबार की ओर से छपती

नेपाल के दैनिक पत्रों में 'समाज' और 'गोरखा-पत्र' प्रमुख था। मासिक पत्रिकाओं में नक' महिला, पंचायत, मजदूर उल्लेखनीय हैं। द्वैमासिक पत्रिकाओं में 'कल्पना' और 'रत्नश्री' त्रैमासिक पत्रिकाओं में 'मानु' और नेपाली के नाम प्रसिद्ध हैं। गोरखा पत्र वहां का सर्वाधिक कप्रिय दैनिक है। कुछ पाक्षिक पत्र भी हैं जिनमें प्रतिध्वनि और कंचन जंघा और साप्ताहिक पत्र

जिसमें जर्नल आफ द त्रिभुवन युनिवर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय की पत्रिका है।

1951 में काठमांडू से 'नेपाली' हिन्दी दैनिक का प्रकाशन शुरू हुआ जिसके सम्पादक श्री उमाकांत दास थे। इसमें राजनैतिक समाचारों का बाहुल्य होता है तथा कभी-कभी हिन्दी की रचनायें भी प्रकाशित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से सन् 1980 से 'साहित्य लोक' त्रैमासिक नामक एक प्रकाशित होता है जिसके सम्पादक डा0 कृष्ण चन्द्र मिश्र है। यह पूर्णरुपेण साहित्यिक पत्र है।

2.6.4 श्रीलंका में पत्रकारिता

सभी प्रकार के साहित्य की पहली पसन्द पत्र-पत्रिका है। इसके बाद पुस्तकों में उसे स्थान मिलता है। सिंहल की जनसंख्या एक करोड़ से कुछ अधिक होने पर भी श्रीलंका में पत्रों की पाठक संख्या ही नहीं ग्राहक संख्या भी बहुत अधिक है। भारत में भी पाठक संख्या तो है परन्तु अनुपात में सिंहल जितनी नहीं। यहाँ मुख्यतः तीन भाषाओं में ही पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है- सिंहल, अंग्रेजी, तमिल। हिन्दी में भी यहाँ पत्र-पत्रिकाएं छपती हैं।

2.6.5 जापान पत्रकारिता

जापानी पत्रकारिता को बहुत दिनों तक संसार के उन्नत पत्रकारिता में गिना ही नहीं गया। जब समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या या प्रति व्यक्ति समाचार पत्रों की गणना होती, तो उसमें इंग्लैण्ड अमेरिका, स्वीडन या फ्रांस का नाम तो लिया जाता जापाना का जिक्र ही नहीं होता। जबकि जापान एक ऐसा देश है जहां के तीन पत्रों का प्रसार मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा है। यह हिसाब लगाया गया है तो ज्ञात हुआ कि जापान के प्रत्येक घरों में 1.27 समाचार पत्रों की प्रतियाँ आती हैं। अर्थात् औसतन प्रत्येक जापानी के घर से कम से कम एक समाचार पत्र तो आता ही है। डेली शिम्बुन यहाँ का प्रसिद्ध पत्र है।

2.6.6 चीन की पत्रकारिता

चीन में पत्रकरिता साम्यवादी नियंत्रण में रही है। 'पीपुल्स डेली' के रूप में सरकार द्वारा दैनिक का प्रकाशन होती है। बहुत दिनों तक यह चीन का एकमात्र समाचारपत्र रहा है। लेकिन गैर समाचार वर्ग में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। उदारीकरण के बाद से स्थिति में कुछ बदलाव आया है तथा कुछ अन्य पत्रों के प्रकाशन की सूचना है।

2.7 अफ्रीका की पत्रकारिता-

आमतौर पर अफ्रीका के देशों में विश्व के देशों की तुलना में दैनिक और अन्य पत्रों की संख्या कम है और उनके पाठकों की संख्य भी। करीब 30 करोड़ की आबादी के पीछे अफ्रीका में दैनिकों के ग्राहक पचास लाख के आस-पास हैं। इस प्रकार हर एक हजार व्यक्ति के पीछे केवल 14 व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। यह संख्या विश्व में सबसे कम है। नौदेश तो ऐसे हैं जिनमें एक भी समाचार पत्र नहीं है। 15 अन्य देशों में प्रतिदिन हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे कुल दस पत्र पड़ते हैं; और किसी भी देश में यह संख्या 100 से अधिक नहीं। 13

नें केवल एक समाचार पत्र निकलता है और यह भी तब जब कि हम इसमें सरकार द्वारा ात एक पृष्ठीय दैनिक शामिल हैं 17 देशों में से तीन में 11 समाचार-पत्र हैं लेकिन ााना, मिस्त्र, थाना लीबिया और मारिशस छोड़कर बाकी सब में एक हजार व्यक्तियों के ेवल 20 लोग समाचार पढ़ते हैं।

8 आस्ट्रेलिया - न्यूजीलैण्ड -

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में पत्रों की संख्या 300 से अधिक है। न्यूजीलैण्ड में तर पत्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। लेकिन आस्ट्रेलिया में दो या तीन दलों के पास अधिक ा स्वामित्व बढ़ता जा रहा है। ये दल रेडियो तथा टेलीविजन केन्द्रों पर भी अपना नियंत्रण हैं। इसके अतिरिक्त रूपर्ट मरडॉक के स्वामित्व वाले पत्र भी छपते हैं। सिडनी पोस्ट, ी हेराल्ड आदि प्रमुख अकबार हैं।

9 उत्तरी अमेरिका -

यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका पत्रकारिता के मामले में थोड़ा पिछड़ा है लेकिन इस ं संयुक्त राज्य अमेरिका भी है जहाँ विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा अधिंक दैनिक पत्र ात होते हैं। अमेरिका के कुछ शहरों के प्रमुख दैनिक सारे देश में पढ़े जाते हैं और इनके ाष्ट्रीय पाठक भी होते हैं। बाकी पत्र क्षेत्रीय होते हैं। अमेरिका में डेढ़ हजार नगरों में अपने । इनमें से 85 प्रतिशत ऐसे हैं जहाँ से केवल एक दैनिक निकलता है। केवल कुछ शहरों ां आबादी साढ़े छह लाख से अधिक है दो या उससे अधिक पत्र निकलते हैं। अमेरिंका में ों की संख्या साढ़े 6 करोड़ से अधिक है। अदैनिक पत्रों के क्षेत्र में अमेरिका में 590 रीय पत्र ऐसे हैं जो पांच करोड़ लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। इनके अलावा 900 साप्ताहिक दूसरे अदैनिक पत्र भी हैं जिनमें 100 ऐसे हैं जिन्हें निग्रो लोग चाहते हैं। वाशिंगटन पोस्ट, र्क टाइम्स, वाल स्ट्रीट जर्नल आदि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्र हैं।

अमेरिका के बाद इस क्षेत्र में पत्रों के हिसाब से दूसरा स्थान कनाडा का है। यहाँ 116 ागभग दैनिक, 220 के आस-पास अदैनिक तथा 900 के लगभग पत्रिकायें प्रकाशित होती नमें से 13 फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित होते हैं जो 30 प्रतिशत आबादी की मातृभाषा है। अमेरिका के स्पेनिश भाषी देशों में निकारगुआ में जिसकी आबादी कनाडा से केवल 20 ही कम है केवल चार दैनिक पत्र है, जिसकी ग्राहक संख्या 1 हजार पर केवल 40 है। और मैक्सिको में पत्रों और उसके पाठकों की संख्या में पिछले दशक में बढ़ोत्तरी हुई है।

10 सारांश-

आज समाचार पत्र टेक्नालोजी का प्रयोग कर हरेक काम को पहले से कम समय में कुशलता से करने में सक्षम हो गये हैं। आज हर समाचार पत्र प्रकाशन नयी टेक्नोलाजी ाभ उठाने के लिए तैयार है। आज इंटरनेट लीज्ड लाइनों तथा ज्यादा क्षमता वाली आई0 डी0 एन0 फोन लाइनों के सुलभ होने से दूरस्थ संवाददाताओं के समाचार समाचार पत्र लयों में पहुँचने की सुविधा सामान्य हो गयी है। इसकी बदौलत लम्बे समाचार और टिप्पिणियाँ

बिना किसी अशुद्धि के मिनटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाई जा सकती है। यही नहीं आज टेक्नोलाजी की मदद से नक्शे फोटो भी इतनी ही आसानी से समाचार पत्र कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।

2.11 शब्दावली

पत्रकारिता : सूचना देने, शिक्षितकरने तथा मनोरंजन देने की प्रभावशाली विद्या।

समाचार : घटनाका विवरण

समाचारपत्र : समाचार और विचार भरा पत्र जो मूल्य देने पर सुलभ हो।

2.12 संदर्भ ग्रन्थ

(1) हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम - डा0 वेद प्रताप वैदिक

(2) समाचार पत्रों का इतिहास - अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

(3) दी पावर आफ दी प्रेस - लुई हैरोन

(4) पत्रकारिता का इतिहास एवं जन संचार माध्यम - संजीव मानावत

(5) आधुनिक पत्रकारिता - डा0 अर्जुन तिवारी

2.13 प्रश्नावली-

2.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न -

(1) हस्तलिखित पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।

(2) आधुनिक पत्रकारिता की शुरूआत पर प्रकाश डालें।

2.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

(1) स्वातंत्र्योत्तर भारत में पत्रकारिता के विकास पर लेख लिखें।

(2) एशिया महाद्वीप की पत्रकारिता पर एक लेख लिखिए।

2.12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

(1) जंग समाचार का संबन्ध है-

(क) पाकिस्तान से (ख) जर्मनी से (ग) भारत से) (घ) नेपाल से

(2) पीपुल्स डेली समाचार पत्र है-

(क) श्रीलंका का (ख) जापान का (ग) चीन का (ग) जर्मनी का

शिम्बुन है -

(क) टी0वी0 चैनल (ख) समाचार पत्र (ग) खेल पत्रिका (घ) इनमें से कोई नहीं।

ष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

(1) क (2) ग (3) ख

इकाई तृतीय - विश्व में समाचार समितियों का विकास

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 समाचार समितियों की आवश्यकता एवं महत्व

3.3 समाचार समितियों से अपेक्षायें

3.4 समाचार समितियों का उद्भव एवं विकास

- 3.4.1 रायटर
- 3.4.2 ए0पी0-यू0 पी0 आई0
- 3.4.3 साम्यवादी देशों की समितियाँ
- 3.4.4 जापान की 'क्योडो'
- 3.4.5 फ्रांस प्रेस समिति (ए0 एफ0 पी0)
- 3.4.6 इतरतास

3.5 विकाशील देशों की समितियाँ

3.6 भारत में समाचार समितियों का विकास

3.7 स्वतंत्र भारत में समाचार समितियाँ

- 3.7.1 पी0 टी0 आई0
- 3.7.2 यू0 एन0 आई0
- 3.7.3 भारतीय भाषाओं की संवाद समितियाँ

3.8 प्रथम प्रेस आयोग और समाचार समितियाँ

3.9 द्वितीय प्रेस आयोग और समाचार समितियाँ

3.10 सारांश

3.11 शब्दावली

3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.13 प्रश्नावली

- 3.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न
- 3.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
- 3.13.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप निम्नांकित बिंदुओं को जान सकेंगे:-

समाचार समितियाँ क्या हैं ?

न्यूज एजेन्सियों का उद्भव कैसे हुआ है?

प्रमुख न्यूज एजेंसी कौन-कौनसी है?

विकास के क्षेत्र में न्यूज एजेन्सी की क्या भूमिका है?

भारतीय भाषाओं क संवाद समितियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं ?

1 प्रस्तावना

समाचार समिति समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि संगठनों को तारों और -कभी टेलीफोनों द्वारा समाचार प्रेषित करती हैं। समाचार समितियाँ स्वयं समाचार प्रकाशित करती हैं। समाचार समितियों के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। "समाचार ति वह माध्यम है जो कि प्रेस अर्थात् समाचार पत्र की संरचना व विषय-वस्तु को सूचित करे, त् समाचारों का प्रसार समाचार समितियों का प्राथमिक कार्य है। इसके अतिरिक्त "समाचार ति एक उद्यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो-समाचार समाचार विषयक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण है तथा समाचार संस्थाओं को विशेष परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों को इस दृष्टि से वितरित करना है न उपभोक्ताओं को व्यवसायिक विविध एवं नियमानूकूल स्थितियों में मूल्य के एवज में जहाँ संभव हो सम्पूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके।"

समाचार समितियाँ समाचार क प्रकाशन/प्रसारण में लगे संगठनों को सूचनाएँ उपलब्ध ी हैं जो समाचार के रूप में प्रकाशित होती हैं। दुनिया भर में समाचार समितियाँ कार्यरत हैं पत्रकारिता को यह अनिवार्य सूचना सहयोग प्रदान करती हैं।

2 समाचार समितियों की आवश्यकता एवम् महत्व-

समाचार समितियों का प्रमुख कार्य समसामायिक घटनाओं के समाचार संकलित कर उन्हें के साथ अपने ग्राहकों को पहुँचाना है। समाचार पत्र आर्थिक दृष्टि से इतने सम्पन्न नहं होते ी वे प्रत्येक स्थान पर अपने समाचार पत्र के संवाददाताओं को नियुक्त कर उनका नेटवर्क करें, जिससे कही भी कोई घटना घटित हो तो वे अपने पाठकों तक तुरन्त समाचार पहुँचा तः ऐसी स्थिति से अपने को बचाने के लिए समाचार पत्र संवाद समितियो का सहयोग लेते माचार समितियाँ दूसरे देशों की समितियों से समझौता कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार ही अपने ग्राहकों तक पहुँचा देती हैं। ये समितियाँ अपने संवाददाताओं तथा दूर मुद्रकों के यह कार्य कर पाने में सक्षम होती हैं। विकाशील देशों में समाचार समितियों को दोहरी ा का निर्वाह करना पड़ता है- प्रथम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता- पहुँचाना और दूसरा जनता के शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना।

समाचार समितियों के प्रयास से ही लोगों को देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी आसानी से मिलती है। यही काम रेडियो और टेलीविजन के समाचार प्रसारण विभाग भी करते हैं। कहीं हो रही लड़ाई, कहीं चल रहे गृह-युद्ध, कहीं सत्ता परिवर्तन की सूचना किसी देश के किसी प्रान्त व प्रदेश में चल रही राजनीति, इन सबके बारे में जानकारी समाचार पत्र और टी0वी0 व रेडियो से मिलती है। इसी प्रकार खेल प्रेमियों को, आर्थिक जगत से जुड़े लोगों को इनसे सम्बन्धित जानकारियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। इन सब प्रकार की जानकारी समाचार पत्र और प्रसारण तंत्र के पास होना चाहिए तभी जाकर वे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं।

अपने नगर, अपने प्रदेश और अपने देश की घटनाओं को प्रधानता दी जाना चाहिए पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समाचार पत्र का पाठक तथा टी0वी0, रेडियो का श्रोता भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश में घटी किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहेगा। आज वैश्वीकरण के जमाने में तो अमरीका व यूरोप के समाचारों की भी विस्तृत जानकारी भारतीय जन-मानस को चाहिए। ठीक उसी प्रकार पाठक या श्रोता अपने प्रदेश की महत्वपूर्ण घटना चाहे वह राजनैतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो अथवा खेल से सम्बन्धित हो उसका पूर्ण विवरण चाहेगा। इन सब कार्यों में समाचार पत्र व इलेक्ट्रानिक माध्यमों का सहयोग संवाद समितियाँ करती हैं। इसके बदले में समाचार पत्र व इलेक्ट्रानिक माध्यमों के संगठन समितियों को किराया देते हैं। अर्थात् समाचार समितियाँ समाचार देने के बदले में अपने ग्राहकों से उस समाचार का मूल्य वसूलती हैं। कम्युनिस्ट या तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में जहाँ समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ की समितियाँ सरकार को सूचना और प्रचार विभाग का एक अंग होती हैं। जिन देशों में लोकतंत्र हैं, वहाँ इनका संगठन कानून के अनुसार भिन्न-भिन्न ही हों पर उनका ढाँचा मूलतः समाचार पत्रों की सहकारिता पर आधारित होता है। सरकार भी उनकी दूर मुद्रक-सेवा लेती हैं और कई देशों में उन्हे आर्थिक सहायता भी देती हैं परन्तु उनके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

3.3 समाचार समितियों से अपेक्षायें-

पुनर्जागरण और जनमत को जागरूक और शिक्षित करने में पत्रकारिता का विशेष योगदान है, और समाचार पत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने में समाचार समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समितियों की इस भूमिका के कारण ही उन पर कुछ दायित्व भी जोड़े गये हैं। इन समाचार समितियों को अपनी कार्य कुशलता तथा विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी ध्यान देना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा संप्रेषित संवादों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा तथ्यात्मकता पर सन्देह नहीं किया जाये। समाचार समितियों के ग्राहक सरकारी एवं गैरसरकारी संचार माध्यम होते हैं। अतः लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे पूर्ण निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण तथा सत्य और बिना किसी दबाव में आकर प्रेषित किया जाता रहे।

समाचार समितियों के कार्य को सफल एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है कि वह सरकारी नियन्त्रण में न हों। समाचार पत्रों के सहकारी प्रयासों के आधार पर गठित इन

चार समितियों को राष्ट्रीय कानूनों एवं राष्ट्रीय एकता तथा सार्वभौमिकता पर आस्था रखते हुए ज हित एवं राष्ट्रीयहित में कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य के लिए यह आवश्यक है कि ारें समाचार समितियों के स्वामित्व में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार न बनें तथा ी सम्पादकीय तथा प्रशासनिक नीतियों एवं व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास न करें।

समाचार संकलन व प्रेषण में तीव्रता वस्तुनिष्ठता, पूर्णता तथा सत्यता का ध्यान रखते उन्हीं घटनाओं का संकलन करना चाहिए जिनमें समाचार तत्व हों। समाचार तत्व का मूल ार यही है कि वह पाठक को आकर्षित करे समाचार में किसी भी घटना के सभी प्रासंगिक ों का विवरण देना आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि समाचार - रण के दौरान उन पर अपनी ओर से किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी न की जाए। यह कार्य चार-पत्र की सम्पादकीय नीति पर छोड़ दिया जाए कि वह उसे किस रूप में प्रकाशित करे वा प्रकाशित न भी करे। समाचार समिति के ग्राहक विविध विचारों वाले समाचार-पत्र एवं संस्थान होते हैं। अतः पक्ष विशेष के समाचार ही देना अन्य पक्षों व समाचार पत्रों के साथ ाय होगा। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर समाचार समितियों को अपनी विश्वसनीयता ये रखनी चाहिए। इसी प्रकार समाचार समितियों को बड़े व्यापारिक समूहों तथा बड़े समाचार के दबाव से मुक्त रहकर अपना कार्य करना चाहिए। समाचार समितियों की कोई विशेष ादकीय नीति नहीं होती। समाचार समितियों के लिए स्थानीय समस्याओं के प्रति सजग रहते स्थानीय समाचारों का भी उचित संकलन एवं वितरण आवश्यक है। इससे स्थानीय समाचार- की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी। यदि समाचार समितियाँ उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में ी हुए आर्थिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक दबावों से मुक्त रह कर कार्य करती ी निश्चित ही वे स्वयं में तो जीवन्त समिति प्रमाणित होगीं ही साथ ही अपने ग्राहकों के प्रति पूरा न्याय करेंगी।

4 समाचार समितियों का उद्‌भव एवं विकास -

अक्सर देखा जाता है कि वस्तु अथवा संस्थायें, समितियाँ बनाई जाती हैं किसी उद्देश्य ार उसका उपयोग बाद में चल कर किसी ऐसे क्षेत्र में होने लगता है जिसकी कल्पना बनाने को भी नहीं होती। जैसे टाइप राइटर का आविष्कार इसलिए किया गया था कि नेत्रहीन ल स्पर्श से उसके की बोर्ड को संचालित कर लिख सकें। किसी को टाइपराइटर के आविष्कार दौरान यह कल्पना भी नहीं थी कि इसका उपयोग नेत्रहीन नहीं नेत्रवाले करेंगे और यह छोटे- छोटे कार्यालय का आवश्यक अंग बन जाएगा। इसी तरह संवाद समिति की स्थापना भी चार पत्रों के लिए नहीं व्यापारियों और व्यावसायियों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए गयी थी परन्तु अब इसका प्रधान कार्य समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन को खबरें देना या है।

संचार क्रान्ति के बहुत ही छोटे स्तर पर समाचार प्रेषण का कार्य प्रारम्भ हो चुका था। चार-पत्रों के विकास का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि समाचारों के प्रति लोगों न में बढ़ते आकर्षण के कारण ऐसी व्यावसायिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का उदय होने

लमा था जो समाचार संकलन तथा वितरण का कार्य करने लगीं सन् 1820 के आस-पास सहकारिता के आधार पर एसोसियेशन ऑफ मार्निंग न्यूज पेपर्स (Association of Morning News Papers) नामक संस्था न्यूयार्क में गठित की गई। सहकारिता के आधार पर यह संस्था अपने कार्य करतीं थी। इंग्लैण्ड में भी ऐसी ही एक संस्था का गठन किया गया।

चार्ल्स हवास (Charles Havas) नाम के एक फ्राँसीसी युवक को आधुनिक समाचार समितियों का जनक कहा जाता है। सन् 1826 में उसने न्यूज ब्यूरो (News Bureau) की स्थापना की। धीरे-धीरे चार्ल्स को महत्वपूर्ण सफलतायें मिलती गयीं तथा उसने विशेष संवादताताओं की नियुक्ति भी की। चार्ल्स हवास के ब्यूरो को समाचार इन संवाददाताओं के द्वारा भेजे जाते थे। ये समाचार संदेशवाहक या डाक द्वारा पहुँचाये जाते थे। उसके बाद उनका अनुवाद कर ग्राहकों को प्रेषित किया जाता था। प्रारम्भ में सामान्य व्यक्ति, राजनेता, व्यापारी आदि ही इसके ग्राहक बने। 1826 में सभी समाचार पत्रों ने चार्ल्स हवास के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि पत्रों को भी ग्राहक बनना चाहिए। सन् 1940 में उसने पेरिस, लन्दन और ब्रुसेल्स के मध्य कबूतरों के द्वारा समाचार सेवा का कार्य प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ किया। समाचार प्रेषण की प्रक्रिया में इस तरह के प्रयोगों से हवास की एजेन्सी ने कालान्तर में अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1848 में बनार्ड वोल्फ (Bernard Wolf) जो पूर्व में चार्ल्स हावास के यहाँ ही कर्मचारी था नेशनल जीतुंग (National Zeitung) नामक समाचार पत्र का निदेशक बना। समाचार पत्र के खर्चे को कम करने के लिए उसने कुछ फर्मों से समाचार प्रेषण के लिए व्यापारिक आधार पर समझौता किया। उसने हैम्बर्ग, फ्रेकफुर्त तथा पेरिस से स्टॉक एक्सचेन्ज के कोटेशन प्रेषित किये तथा उत्तरी यूरोप तथा जर्मनी में स्थापित टेलीग्राफ कार्यालयों से प्राप्त सामान्य समाचारों को भी प्रेषित किया। जर्मनी में वोल्फ के प्रयासों को काफी सफलतायें मिलीं तथा अन्ततः वोल्फ समिति (Wolf Agency) की स्थापना हुई।

विश्व की प्रमुख संवाद समितियाँ

समाचार समिति	देश
एसोसिएटेड प्रेस	संयुक्त राज्य अमेरिका
युनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल	संयुक्त राज्य अमेरिका
रायटर्स	ब्रिटेन
इतर तास	रूस
सिन्हुआ (Xinhua)	चीन
तांजुग	युगोस्लाविया (पूर्व)
क्योडो	जापान
अंतारा	इण्डोनेशिया
बाटरा	जॉर्डन
बेल्गा	बेल्जियम

इरना	ईरान.
मेना	मिस्र
एंगोप	अंगोला
जिपाना	जिम्बाबवे
रोमप्रेस	रोमानिया
अंसा	इटली
बरनामा	मलेशिया
सीएसटीके	चेक गणराज्य
इतीम	इजरायल
ए एफ पी	फ्रांस
कूना	कुवैत
नोवोस्ती	रूस
पैप (PAP)	पौलैण्ड
प्रेला	क्यूबा
सापा	द0 अफ्रीका
सिप	स्वीडन
यूपीपी	पाकिस्तान
योनहाप	द0 कोरिया
बी0एस0एस0	बांग्लादेश
डी0पी0ए0	जर्मनी
नोटीमेक्स	मैक्सिको
नान	नाइजीरिया
ए0ए0पी0	ऑस्ट्रेलिया
जिजी	जापान

4.1 रायटर (Reuter)-

ब्रिटेन की संवाद समिति 'रायटर' के संस्थापक जूलियस रायटर ने सन्देश वाहक (क)बूतरों का उपयोग जल्दी बाजार भाव मंगवाने के लिए किया। तब न रेलगाड़ी थी और न तार-(व्य)वस्था। बाजार भाव घोड़ा गाड़ी से ही भेजे जाते थे या झंडियाँ दिखाकर इशारों से दिए जाते

थे। पहली व्यवस्था में देर लगती थी तो दूसरी व्यवस्था में गलती की सम्भावना बहुत रहती थी। कबूतरों का उपयोग एक नया प्रयोग था। तार प्रणाली शुरू होने के बाद रायटर ने लन्दन में छोटा सा रेगल दिया और यूरोप के देशों की राजधानियों में संवाददाता नियुक्त किए। ये संवाददाता केवल बाजार भाव ही नहीं राजनीतिक समाचार भी भेजने लगे।

1858 के आस-पास 'रायटर' के प्रयास ने संवाद समिति का रूप लिया। अब तक इसका संचालन 'रायटर' परिवार के हाथ में ही था। पर 1865 में इसे लिमिटेड कम्पनी का रूप दिया गया। भारत में 'रायटर' का कारोबार 1860 से शूरु हुआ था। भारत में सबसे पहले 'बाम्बे टाइम्स' ने डाक द्वारा 'रायटर' के समाचार लेना प्रारम्भ किया। कलकत्ता में बंगाली भारतीयों द्वारा संचालित पहला पत्र था जिसने रायटर की सेवा ली।

इंग्लैण्ड में शुरुआती दिनों में कोई भी समाचार पत्र 'रायटर' की सेवा लेने को तैयार नहीं था किन्तु 1865 के अन्त तक लन्दन के अधिकांश पत्रों ने 'रायटर' की ग्राहकता स्वीकार कर ली थी। 'द टाइम्स' भी रायटर की सेवायें लेने लगा जिसने कि पहले मना कर दिया था। 1848 में ब्रिटेन में विद्युत टेलीग्राफ के प्रयोग तथा डाक सुविधाओं के विकास से समाचार प्राप्त करने में तेजी आ गयी। 1851 में लन्दन-पेरिस के बीच केबल सेवा के प्रारम्भ से ब्रिटिश प्रेस को विदेशी समाचार प्राप्त करने में भी सुविधा हो गयी थी।

डेढ़ सौ वर्ष पूर्व समाचार-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में अधिक रूचि नहीं लेते थे। उनका ध्यान अपने देश पर ही केन्द्रित रहता था। ब्रिटिश साम्राज्य तब चरमोत्कर्ष पर था और लन्दन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। लन्दन का 'टाइम्स' उन गिने चुने पत्रों में था जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर समुचित ध्यान दिया जाता था। विश्व की प्रमुख राजधानियों में ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े नगरों में उसके अपने संवाददाता थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि सहकारिता के आधार पर सभी पत्रों के साथ समाचारों में सहभागी होना उसे पसन्द नहीं हुआ। काफी समय तक टाइम्स ने रायटर की सेवा नहीं ली पर बाद में वह भी इसमें शामिल हुआ। लेकिन 'रायटर' के साथ उसकी यह शर्त रही कि 'रायटर' ब्रिटेन के बारे में ब्रिटेन के समाचार पत्रों के समाचार नहीं देगा। यह जिम्मेदारी प्रेस एसोसियेशन निभायेगा। अब भी 'रायटर' समाचार पत्रों के सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है। 1915 में 'रायटर' का स्वामित्व समाचार पत्रों के हाथों में आ गया।

3.4.2 ए0पी0 (एसोसियेटेड, प्रेस आफ अमेरिका) तथा यू0 पी0 आई0 (यूनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल) -

मैक्सिको के साथ युद्ध के समय 1845 में न्यूयार्क के समाचार-पत्रों ने युद्ध के समाचार प्राप्त करने और उनके वितरण में सहकारिता के आधार पर प्रयास प्रारम्भ किया। यह अधिक समय तक नहीं चल सका। सन् 1848 में न्यूयार्क में हार्बर न्यूज एसोसिएशन (Harbour News Association) नाम की संस्था गठित की गयी जो नौकाओं के द्वारा समाचार प्रेषण का कार्य करती थी। सन् 1857 में न्यूयार्क में ही सन् 1850 में गठित जनरल न्यूज एसोसियेशन

neral News Association) के साथ इसका विलय हुआ और नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड की स्थापना की गयी। उस समय इसके केवल सात समाचार पत्र सदस्य थे। यूरोप के ारों के लिए इसने वोल्फ से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किन्तु जर्मनी की समाचार ति ने न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस द्वार हवा तथा रायटर से किए गये समझौते को स्वीकार नहीं । इसी समय न्यूयार्क एसोसिएटेड की प्रतिस्पर्धा में यूनाइटेड प्रेस एसोसियेशन (United ss Association) प्रारम्भ हुआ। 1895तक 700 समाचार पत्र-न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस हक हो गये थे।

1909 में यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन तथा इन्टरनेशनल न्यूज सर्विस का आपस में ा हो गया तथा यूनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल नाम से नयी समिति प्रारम्भ हुई जिसे आज I. करते हैं। ये अमरीका की प्रमुख संवाद समितियाँ हैं। इस समय रायटर, ए0पी0 और पी0 आई0 तथा फ्रांस की संवाद समिति ए0 एफ0 पी0 संसार की सबसे बड़ी चार ियाँ हैं। इनके कार्यालय सारे संसार में हैं। लगभग सभी देशों की संवाद समितियों के साथ समाचारों के आदान-प्रदान और सहयोग की व्यवस्था है।

3 साम्यवादी देशों की समितियाँ-

सोवियत संघ में वोल्शेविक सरकार द्वारा एक न्यूज ब्यूरो की स्थापना 1917 में की जो 1918 में समाचार समिति के रूप में परिवर्तित हो गयी। इसे तास एजेन्सी कहा जाता वियत संघ के विघटन के बाद तास एजेंसी का नाम इतर तास हो गया।

उसी प्रकार चीन की 'सिन्हुआ' यूगोस्लाविया की 'तांजुग' और अन्य कम्युनिस्ट देशों वाद समितियाँ अपने-अपने देश के समाचार पत्रों के लिए समाचार के एक मात्र सूत्र थीं। कम्यूनिस्ट विचार धारा में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता मान्य नहीं है। इसलिए इन देशों की समितियाँ स्वतंत्र रूप से काम करें, यह अपेक्षा करमा भी गलत है। समाचार समितियों की तथा उपयोगिता से समाचार पत्र जगत भली-भाँति परिचित ही था। इसी कारण विभिन्न राष्ट्रों ीय संवाद समितियों का गठन होने लगा 1914 तक सम्पूर्ण विश्व में ये समितियाँ ही र के लिए समाचारों का एक मात्र स्त्रोत थीं। सिद्धान्तः कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समिति िक प्रभाव से प्रभावित नहीं होती थी। सरकार व समितियाँ एक दूसरे की सहायक रहीं। में जब वोल्फ एजेन्सी वित्तीय संकट में थी तब जर्मनी सरकार ने उसे सहायता प्रदान र्मनी सरकार ने इस एजेन्सी की महत्ता तथा प्रभाव को समझते हुए ऐसा किया था। दूसरी ूर्ण बात यह थी कि जर्मन सरकार यह नहीं चाहती थी कि जर्मन प्रेस को मिलने वाला ब्रिटेन या फ्रांस से मिले।

आज व्यवहार में साम्यदाद की विचारधारा पर आधारित या साम्यवादी देशों में शासन ा में परिवर्तन हो चुके हैं। इस परिवर्तन का असर वहाँ की समाचार समितियों पर भी पड़ा पर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप कम हुआ है। इससे अन्य देशों, खासकर पश्चिमी था अमेरिकी एजेन्सियों से इनकी संबद्धता भी बढ़ी है। रूस में ही इतरताश के साथ-साथ

'नांवोस्ती' के रूप में अन्य एजेंसी भी गठित हो गयी है। अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में भी समाचार समितियाँ, सिंडिकेट आदि प्रतिस्पर्धा में नजर आ रहे हैं।

3.4.4 जापान की 'क्योडो'

द्वितीय महायुद्ध में हारने के बाद जापान ने अभूतपूर्व प्रगति कर विश्व के राजनैतिक और आर्थिक जगत में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। वर्तमान में वह संसार के समृद्ध देशों में से एक है। जापान और अमरीका के सम्बन्ध भी इस समय बहुत अच्छे हैं। जापान की संवाद समिति 'क्योडो' भी एक बड़ी संवाद समिति है। संसार के सभी देशों की राजधानियों में 'क्योडो' के सम्वाददाता हैं। कई सम्वाद समितियों के साथ इनके व्यापारिक सहयोग हैं। वह प्रतिदिन तीस लाख शब्द जापानी भाषा में तथा दो लाख शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करता है। फिर भी जापान की विदेश नीति की तरह उसकी इस संवाद समिति ने अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखा है और विश्व स्तर की पाँचवीं बड़ी समिति बनने का प्रयास नहीं किया है इस समय रायटर, ए0 पी0 और यू0 पी0 आई0 तथा फ्रांस की संवाद समिति ए0 एफ0 पी0 संसार की सबसे बड़ी चार समितियाँ मानी जाती हैं। इनके कार्यालय सारे संसार में है। लगभग सभी देशों की संवाद समितियों के साथ ये समाचारों का अदान प्रदान और सहयोग लेते व देते हैं।

इन चार समितियों की विशालता की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इनके ग्राहक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 45 करोड़ है। सारे विश्व में बीस-पच्चीस भी ऐसे समाचार-पत्र नहीं हैं, जो यह दावा कर सकें कि विदेशों से समाचार पत्र करने की उनकी अपनी कोई अलग व्यवस्था है। सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन चार समितियों पर निर्भर है। विकासशील देशों के समाचार-पत्रों में अस्सी प्रतिशत विदेशी समाचार इन चार संवाद समितियों द्वारा भेजे गये समाचार होते हैं।

3.4.5 फ्रांस प्रेस समिति (ए0 एफ0 पी0)-

1835 में स्थापित हवास समाचार समिति आगे चलकर अलग प्रेस समिति बनी 1979 में यह समिति एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित हो गयी है 15 मार्च 1944 को फ्रांसिस डी0 इन्फारमेशन को हवास समिति में मिला दिया गया और इसका नाम 'एजेन्सी फ्रांसेसे डी प्रेसे' (फ्रांस प्रेस, समिति) रख दिया गया। 4 मार्च 1953 को एजेन्सी फ्रांस प्रेस ने सर्वप्रथम स्टालिन की मृत्यु का समाचार दिया। इससे इसका महत्व बढ़ गया। 1 जनवरी 1969 में इसने अरबी भाषा में सेवा शुरू की। 1 जनवरी 1985 को इस समिति ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय फोटो सेवा प्रारम्भ की।

फ्रांस की सरकार द्वारा इस समिति को सहायता प्रदान की जाती है। यह एक स्वशासी संगठन है। इसकी महत्ता के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण होना भी है। शुरूआत में इसके द्वारा समाचार देने का विशेष महत्व रहा है। इसके दो कर्मचारी जूलियस रायटर एवं वरनार्ड वोल्फ ने क्रमशः ब्रिटेन और जर्मनी में अपनी समाचार समितियाँ स्थापित की थीं। तीनों देश फ्रांस ब्रिटेन और जर्मनी में समाचार समितियों का विकास एक ही एजेन्सी से होने के कारण

न समितियों में अच्छा तालमेल था। जो आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। फ्रांस प्रेस समिति अपने नेटवर्क की व्यापकता के कारण प्रमुख भूमण्डलीय समाचार समितियों मैं से एक है। तीनों देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी नयी के यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश होन के कारण ये समाचार समितियाँ सम्पूर्ण भूमण्डल पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही और संचार प्रसार और साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही।

आज 10,000 से अधिक समाचार पत्र और 75 के आस-पास समाचार समितियों ए0एफ0पी0 के ग्राहक हैं। इस समिति का कार्य क्षेत्र और नेटवर्क 150 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इसके 110 विदेशी ब्यूरों हैं। इसका प्रतिदिन का समाचार प्रसारण लगभग ,35,0000 शब्दों से अधिक का है तो 170 पूर्णकालिक संवाददाताओं एवं 500 से अधिक अंश कालिक पत्रकारों के योगदान से किया जाता है। आज यह अपने विशेष फोटो सेवा के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गयी है।

3.4.6 इतर तास

पारम्परिक रूप से तास को प्रायः विश्व की समितियों से दूर रखा जाता है। जहाँ तक इसके सूचना प्रेषण का या कार्यक्षेत्र का सवाल है इसकी तुलना भी किसी श्रेष्ठ अन्तराष्ट्रीय समाचार समितियों से की जा सकती है। यह एक अत्यंत प्रभावी समाचार समिति रही है। सोवियत संघ के विघटन केबाद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ इसके नाम में भी परिवर्तन हुआ और इसके नाम तास के आगे इतर जोड़ दिया गया अतः हम इसे 'इतर तास' के नाम से जानते हैं। नयीं व्यवस्था के कारण इतरतास की विचार धारा एवम् उनके दृष्टिकोण में काफी बदलाघ आया है।

इस समाचार समिति का ऐतिहासिक संदर्भ जानना अत्यंत जरूरी है। तास की स्थापना 1917 ई0 में पेट्रोग्रेड टेलीग्राफ एजेन्सी के रूप में हुई। प्रसार एवं व्यापकता की दृष्टि से यह भी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों में से एक है। अपने प्रारम्भिक दौर में यह समाचार समिति समाजवादी क्रान्ति से प्रभावित थी। शुरू में यह देश के आर्थिक-सामाजिक विकास के प्रचार-प्रसार में लगी रही। सोवियत संघ के गृह विभाग के प्रमुख द्वारा आंतरिक संचार का परिचालन किया जाता था। यह देश में कार्यरत तमाम संवाददाताओं के माध्यम से समाचार प्रेषित करती थी। अधिकारिक रूप से यह संतुलित समाचर ही प्रेषित करती थी। एक स्त्रोत के अनुसार तास के विदेशों एवं आंतरिक क्षेत्र में 20,000 ग्राहक थे। तास के सहयोग के लिए अन्य समाचार समितियाँ भी थीं। जिसमें प्रमुख थी नोवोस्ती प्रेस एजेन्सी। यह संवाद समिति 1961 में सोवियत संघ के पत्रकारों लेखकों तथा कुछ अन्य संगठनों ने मिलकर बनाया था। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति एवं मित्रता की भावना को विकसित एवं उन्हें प्रोत्साहित करना था। तास एवं नोवोस्ती प्रेस एजेन्सी में एक अन्तर था ताश एक सूचना पद्धति से संम्बन्धित थी। वहीं ए0 पी0 एन0 (नोवोस्ती प्रेस एजेंन्सी) एक सार्वजनिक संगठन के रूप में विकसित हुआ था।

सोवियत संघ के ऐतिहासिक विघटन के साथ ही तास एवं ए0 पी0 एन0 के संगठनात्मक ढाँचे में भी परिवर्तन हुआ। तास एवं ए0 पी0 एन0 को मिलाकर एक नई समाचार समिति का गठन किया गया, जिसका नाम पड़ा 'इतर' (दि-इन्फारमेशन टेलीग्राफ एजेन्सी ऑफ रसिया)

परन्तु 'तास' शब्द के महत्व को समझते हुए पुनः इसे ट्रेडमार्क के रूप में प्रयुक्त किया गया और इसे इतर के साथ जोड़कर, वर्तमान में 'इतर तास के रूप में जाना जाता है। रूस के सरकारी ढाँचे में परिवर्तन के साथ-ही इसके भी ढाँचे में परिवर्तन हुआ है। आज आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आर्थिक समृद्धि के लिए थोड़ा परिवर्तन हुआ है। विकसित व विकाशील देशों के संवाद समितियों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है, पर इसमें आदान-अधिक होता है प्रदान कम क्योंकि विकसित राष्ट्रों की संवाद समितियों को एशिया और अफ्रीका के देशों में विकास और निर्माण कार्य में रूचि नहीं रहती। इन देशों की गरीबी, बेकारी, अकाल, भूखों मर रही जनता अथवा उस देश में चल रहे राजनैतिक उथल-पुथल को ही ये एजेन्सियाँ प्रमुखता देती हैं। दुर्भाग्य से विकासशील देशों की संवाद समिति भी ऐसे ही समाचार उन देशों के संवाद समिति को भेजती भी है। एशिया और अफ्रीका के देशों के मुकाबले, भारत बेहतर स्थिति में है परन्तु भारत की समितियाँ भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं। भारतीय समाचार पत्र विदेशों के छोटे-मोटे समाचारों को भी प्रसारित करते हैं। परन्तु अपने देश व पड़ोसी देशों के समाचारों पर उनका ध्यान नहीं जाता।

1976 में कोलम्बो में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में विकसित व विकासशील देशों के बीच समाचार के स्वरूप व अन्तर पर ध्यान दिया गया। सम्मेलन में कहा गया कि सूचना के क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहना उतना ही खतरनाक है जितना राजनैतिक या आर्थिक क्षेत्र में परावलम्बी होना। 1976 में ही गुट-निरपेक्ष देशों की संवाद समितियों का 'पूल' बनाकर समाचारों का आदान-प्रदान स्वतंत्र रूप से करने की कल्पना ने मूर्त रूप लिया। 'पूल' की स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि विकाशील देश समाचारों के आदान-प्रदान में बराबरी से भाग लें। यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, बहरीन, क्यूबा, श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया, पाकिस्तान आदि 15 देशों के साथ उपग्रह या तार के जरिए भारत का सीधा सम्बन्ध है और इस प्रकार पूल के जरिए समाचारों का आदान-प्रदान होता है। भारत में पूल के समाचारों का वितरण पी0 टी0आई0 करती है। पूल का दावा है कि प्रतिदिन एक लाख शब्दों का आदान-प्रदान होता है। जो भी हो 'पूल' की उपयोगिता के बारे में दो मत हैं। पूल के समर्थकों का कहना है कि समाचारों के आदान-प्रदान में वर्तमान असन्तुलन ठीक करने की दिशा में यह केवल प्रारम्भिक कदम है। अन्तिम ध्येय गुट-निरपेक्ष देशों की स्वतंत्र संवाद समिति की स्थापना है। यह समिति गुट-निरपेक्ष देशों के विकास कार्यक्रम और अन्तराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में उनका दृष्टिकोण उजागर करेगी। परन्तु जब तक ये संवाद समिति नहीं बनती तब तक 'पूल' ही बड़ी संवाद समितियों द्वारा भेजी जा रही सामग्री के लिए पूरक सामग्री उपलब्ध करा सकती है।

पूल को बने काफी लम्बा अर्सा बीत गया है परन्तु पूरक सामग्री देकर समाचारों का आसन्तुलन ठीक करने में वह सफल नहीं हो पाया है क्योंकि आज भी भारतीय संवाद समितियों पर पश्चिमी संवाद समितियों का प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान को ही ले लें तो यह देखने में आएगा कि जब वहाँ सोवियत सेनायें थीं, उस समय सेना के हटते ही वहाँ के सत्ता पर मुजाहिदीन काबिज हो गये तथा उन मुजाहिदीन को पश्चिमी देश खासकर अमरीका व ब्रिटेन मदद कर रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में न तो गुट निरपेक्ष देशों की संवाद समितियों ने और न ही भारतीय संवाद समितियों ने वहाँ के वास्तविक जीवन पर प्रकाश

लने का प्रयास किया। इससे समाचारों का असंतुलन बना रहा।

खाड़ी युद्ध के दौरान भी कमों वेस यही स्थिति रही। भारत के इलेक्ट्रानिक माध्यम र संवाद समितियाँ पश्चिमी देशों की संवाद समितियों से प्राप्त समाचारों का उपयोग करते ही वे गये। इराक ने कुवैत पर में हमला कर उसे हड़प लिया। अमेरिका और उसके मित्र देशों कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्यवाही की पर भारत की संवाद समितियों ने स्वतंत्ररूप समाचार एकत्रित करने की कोई कोशिश नहीं की।

.5 विकाशील देशों की समितियाँ-

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के देश आजाद होने लगे। राजनैतिक र आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ उन देशों में यह भावना भी जागृत हुई कि समाचारों के सारण के क्षेत्र में वे विकसित राष्ट्रों पर निर्भर न रहकर अपनी संवाद समितियों की स्थापना रें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद चार वर्ष भीतर ही विकासशील देशों में 24 नई संवाद समितियाँ बनीं। अनेक देश जैसे-जैसे स्वतंत्र ते गए वैसे-वैसे उन्होंने अपनी संवाद समितियों की स्थापना की। आज लगभग हर देश की पनी समिति है। उसकी स्वतंत्रता की मात्रा अपने देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर है। जहाँ नाशाही है, वहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के ई देशों में तो इनका कार्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्तियाँ वितरित करने तक ही सीमित ।

संवाद समिति की स्वतंत्रता उनकी आर्थिक सबलता पर निर्भर है। अगर वह अपने स्तित्व के लिए केवल सरकार पर निर्भर है तो वह स्वतंत्र होकर समाचारों का आदान-प्रदान हीं कर सकती। संवाद समितियों की आर्थिक स्थिति का सीधा सम्बन्ध उसके देश के समाचार त्र उद्योग से है क्योंकि अगर समाचार पत्र उद्योग सम्पन्न नहीं है तो एजेन्सी भी आर्थिक रूप से म्पन्न नहीं होगी क्योंकि सभी विकासशील देशों की स्थिति ऐसी ही है।

3.6 भारत में समाचार समितियों का विकास -

भारत में समाचार समितियों के जन्म एवं विकास की कहानी अत्यन्त रोचक है। 19वीं ताब्दी के प्रथम दशक में भारत में चार प्रमुख अंग्रेजी पत्र प्रकाशित हो रहे थे- पायनियर, टेट्स, इंगलिशमैन तथा इंडियन डेली न्यूज। ये चारों समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के समर्थक । चारों समाचार पत्रों में पायनियर का अधिक प्रभुत्व था। इसका एक कारण यह भी था कि ायनियर के हैंन्समैन (Hensman) काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। पायनियर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्टेट्स मैन के काट्स (Cots) इंगलिशमैन के बक (Buck) तथा इंडियन डेली न्यूज के डलास (Dallas) ने मिलकर एसोसियेटेड प्रेस आफ इंडिया (Associated press of ndia) नाम से एक समाचार समिति की स्थापना सन् 1905 में की। इन्हें भारत के प्रमुख त्रकार श्री केशव चन्द्र राय का पूरा सहयोग मिला। जब श्रीराय को उसका निदेशक बनाने से इंकार कर दिया गया तो श्री राय ने उन्हें सहयोग देना बन्द कर दिया और उन्होंने श्री उषानाथ

सेने के सहयोग से प्रेस समाचार ब्यूरो का गठन कर लिया। श्री राय की इस कार्यवाही से अंग्रेज सम्पादकों को झुकना पड़ा और अन्ततः उन्हें निदेशक बनाया गया। निदेशक बनने के बाद श्री के० सी० राय पूरी तरह से ए० पी० आई० को सशक्त बनाने एवं विकसित करने में लग गए।

श्री एम चेल्लापतिराव ने श्रीराय के बारे में एक जगह लिखा है कि "समाचार खोजने, पृथ्वी के दुर्लभ स्त्रोतों से उसे प्राप्त एवं प्रेषित करने में वे विशेष रूप से योग्य एवं दक्ष थे।" श्री के० सी० राय समाचार सूँघने में माहिर थे, उसे प्राप्त करने तता उसके प्रेषण की दृष्टि से अद्‌भुत थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में समाचार-समितियों की नींव पड़ी। श्रीराय को इसलिए भारत में समाचार समितियों का जनक कहा जाता है।

श्रीराय के प्रयासों का ही यह परिणाम था कि भारतीय तार अधिनियम में संशोधन किया गया। नवीन संशोधन के अनुसार पंजीकृत समाचार समितियों को भी वे ही सुविधायें प्रदान की गयीं जो पंजीकृत समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। ए० पी० आई० धीरे-धीरे विकास पथ पर अग्रसर होने लगी। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में इसकी शाखायें स्थापित हो गयीं। यह समाचार समिति अपने ग्राहक समाचार पत्रों से 350 रु० प्रति माह शुल्क के रूप में लेती थी। सस्ता वित्तीय स्थिति के कारण सन् 1915 में इसका रायटर ने अधिग्रहण कर लिया।

रायटर तथा ए० पी० आई० के अनुबंध ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए श्री सदानन्द ने 1927 में राष्ट्रीय समाचार समिति "फ्री प्रेस एजेन्सी ऑफ इण्डिया (FPI) का गठन किया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण एफ० पी० आई० को प्रारम्भ में ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मई 1930 के प्रेस अध्यादेश द्वारा उन समाचार पत्रों को दंडित किया गया जो एफ० पी० आई० के समाचार प्रकाशित करते थे। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण 1935 में एफ० पी० आई० को बन्द कर देना पड़ा।

1933 के सितम्बर में कलकत्ता से एक और समाचार समिति का श्रीगणेश हुआ। इसके जनक थे श्री वी० सेन गुप्त, जिन्होंने युनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया की स्थापना कर साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। प्रारम्भ से ही यू० पी० आई० को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। टेलीप्रिन्टर सेवा के अभाव में भी इस समिति ने अपना कार्य पूरी योग्यता एवं दक्षता से किया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी टेलीप्रिन्टर लाइन का उद्‌घाटन किया।

3.7 स्वतंत्र भारत में समाचार समितियाँ

15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त होने के समय भारत में रायटर तथा ए० पी० आई० के अनुबन्ध को समाचार प्रेषण का पूर्ण अधिकार था। भारतीय समाचार जगत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए आवश्यक था कि हमारे देश में नयी स्वतंत्र समाचार समितियों का विकास किया जाए। इन प्रयासों को गति देने के लिए यू० पी० आई० की स्थापना के अतिरिक्त विदेशी समाचार समितियों पर उचित प्रतिबंध भी लगाये गये।

भारत सरकार द्वारा समाचार समितियों को सुविधायें देने के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित

[...] गए-

) इसके प्रमुख ध्येय तथा उद्देश्य प्रमाणित एवं निष्पक्ष और जहाँ तक सम्भव हो, सुगठित रूप में संवाद प्रेषण करना हो तथा संवादों के संकलन व वितरण का कार्य पत्रकारिता के आदर्शों के स्वीकृत सिद्धान्तों ने मेल खाता हो।

) पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा इसका प्रबन्ध हो। यह किसी भी व्यापारिक एवं उद्योग अथवा किसी समाचार पत्र का दुमछल्ला न हो तथा किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो।

) उसकी समाचार सेवायें समाचार पत्रों, आकाशवाणी केन्द्रों तथा सूचना सेवा को उपयुक्त भुगतान या भुगतान के समकक्ष आदान-प्रदान के आधार प्राप्त हो।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण पी० टी० आई० ने सितम्बर ·48 में रायटर से समझौता कर लिया तथा ए० पी० आई० को भारतीय समाचार पत्रों ने ीद लिया। इन समाचार पत्रों में मद्रास का हिन्दू, आनन्द निकेतन, स्वदेश मित्रम, तथा मेल र बम्बई का फ्री प्रेस जनरल था। अगस्त 1947में पी० टी० आई० का सहकारी आधार पर ना लाभ के ट्रस्ट (Cooperative Non-Profit making news trust) के रूप में म्भ हो गया। इस दौर में देशीय समाचारों का प्रेषण सरकार के टेलीग्राफ नेटवर्क तथा डाक धार पर किया जाता था। पी० टी० आई० ने रायटर से समझौते के अन्तर्गत तीन वर्ष तक झेदारी में कार्य किया और अन्ततः 1951 में इसने स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बना या। अब दोनों समितियों में मात्र समाचारों के अदान प्रदान का ही समझौता है। रायटर से हाँ पी० टी० आई० को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार प्राप्त होते हैं वहीं पी० टी० आई० से रायटर को रतीय समाचार भेजे जाते हैं। आज पी० टी० आई० एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति है अंग्रेजी में समाचार प्रेषित करती है।

उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार पी० टी० आई० के देश भर में 120 कार्यालय हैं जिन्हें),000 किमी० लम्बी टेलीप्रिन्टर लाइन जोड़े हुए है। संयुक्त राष्ट संघ सहित 32 देशों की जधानियों में इसके सम्वाददाता नियुक्त हैं। पी० टी० आई० ने 1980 के आम चुनावों में र्वप्रथम कम्प्यूटर का उपयोग किया। 1980 से ही पी० टी० आई० ने एक फीचर सेवा शुरू ी। रायटर द्वारा जारी विडियो डेटा भी पी० टी० आई० ने देना शुरू किया। पी० टी० आई रा राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा तकनीकी एवं विकास सम्बन्धी समाचारों के गभग एक लाख शब्द प्रतिदिन समाचार पत्रों को उपलब्ध कराये जाते हैं। यह समिति एशियन यूज नेटवर्क तथा गुटनिरपेक्ष न्यूज पूल से भी संबंधित है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धे उपग्रह सम्पर्क से जुड़ी है। यह अपनी समाचार सेवा में साप्ताहिक भारतीय तथा विदेशी ीचर सेवा एवं पाक्षिक आर्थिक व विज्ञान सेवा भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त रायटर नी-रिपोर्ट-सर्विस तथा रायटर मानीटर सर्विस भी उपलब्ध है। एशिया, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका ह अनेक समाचार समितियों से पी० टी० आई० का उपग्रह के द्वारा सम्पर्क है। गुट निरपेक्ष माचार-पूल के लगभग चालीस राष्ट्र पी० टी० आई० से उपग्रह के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिया पेसेफिक न्यूज एजेन्सी संगठन से भी यह समिति जुड़ी हुई है। देश में पहली बार पी०

टी0 आई0 ने वायर-फोटो सर्विस प्रारम्भ की। इसके अतिरिक्त 18 अप्रैल 1986 से पी0 टी0 आई0 ने हिन्दी समाचार सेवा 'भाषा' की भी शुरूआत कर दी।

अप्रैल 1986 से ही पी0 टी0 आई0 ने स्कैन समाचार सेवा (Scan News Service) शुरू की । अनेक शहरों में इसे काफी लोकप्रियता हांसिल हुई। स्कैन सेवा में टी0 वी0 के पर्दे पर विडियो डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से ताजा समाचार लिखित रूप में लगातार दिखाये जाते हैं। इस प्रकार विश्व भर की तमाम राजनैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि विज्ञान, तकनीकी तथा लेखा सम्बन्धी.जानकारी टी वी पर तुरन्त प्रस्तुत कर दी जाती है।

दूरदर्शन के लिए दृश्य समाचार रिपोर्ट्स संकलन (Visnal News Report) पी0 टी0 आई0 द्वारा किया जा रहा है। विशेष समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। दूरदर्शन को दिल्ली से प्रसारित टेलीटेक्स (Teletext Service) सेवा के लिए पी0 टी0 आई0 व्यापारिक तथा अन्य सूचनायें भी उपलब्ध कराती है।

तकनीकी क्षेत्र में विशेष कार्य करने की दृष्टि से पी0 टी0 आई0 ने मध्य प्रदेश सकार के साथ संयुक्त रूप से प्रयास किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से नेशनल इनफोंमेशन टेक्नोलोजिकल प्राइवेट लिमिटेड (National Information Technological Pvt. Ltd. NITPL) का गठन किया है।

पी0 टी0 आई की ग्राहक संख्या लगभग 1600 है। अंग्रेजी में समाचार सेवा एक लाख शब्द से ज्यादा प्रतिदिन की है तथा हिन्दी में 35000 शब्द से ज्यादा प्रतिदिन है। समाचारों में से चालीस प्रतिशत विदेशी समाचारों का अंश होता है। पी0 टी0 आई0 की अन्तर्राष्ट्रीय समाचार सेवा के अन्तर्गत पांच सौ से ज्यादा फ्रेंच शब्दों सहित 10,000 शब्द प्रतिदिन प्रेषित किए जाते हैं।

3.7.2 यू0 एन0 आई0 (United News of India)-

प्रथम प्रेस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि देश में कम से कम दो समाचार समितियाँ होनी चाहिए जो एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकें तथा एक दूसरे की पूरक हो सकें। यू0 एन0 आई0 उन्हीं समाचार पत्रों द्वारा गठित की गयी जो इस विचार से सहमत थे। यू0 पी0 आई0 वित्तीय संकट के कारण सन् 1958 में बन्द कर दी गयी थी। अतः यू0 एन0 आई0 ने 21 मार्च सन् 1961 में विघटित यू0 पी0 आई0 की टेलिप्रिन्टर मशीनों पर ही कार्य प्रारम्भ कर दिया। यू0 एन0 आई0 का पंजीकरण 10 नवम्बर 1959 को हुआ था। उस समय इसका प्रयोजन करने वाले आठ समाचार पत्र थे-हिन्दू (मद्रास), स्टेट्समैन, अमृत बाजार पत्रिका तथा हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड (कलकत्ता), हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली)। टाइम्स आफ इण्डिया (बम्बई) दक्कन हेराल्ड (बंगलौर) तथा आर्यावर्त (पटना)। इस दिशा में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा0 बी0 सी0 राय ने विशेष प्रयत्न किया था। यू0 एन0 आई0 भी अंग्रेजी की समाचार समिति है।

यू0 एन0 आई0 के देश में लगभग 90 केन्द्र हैं जो 80,000 किमी0 लम्बी टेलीप्रिन्टर लाईन से जुड़े हुए हैं। चौदह प्रमुख भाषाओं के लगभग 400 समाचार पत्र इसकी

माचार सेवाओं से लाभ उठा रही हैं। लगभग 300 स्थानों पर यू0 एन0 आई0 के संवाददाता । 19 विदेशी समाचार समितियों से इसके समझौते हैं तथा 17 विदेशी संवाददाताओं की युक्ति भी इस समिति ने की है। यू0 एन0 आई0 की सामान्य समाचार सेवा के अतिरिक्त न्य प्रमुख सेवायें हैं-

). एनर्जी न्यूज सर्विस (Energy news service)- सन् 1982 में यह सेवा प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत सप्ताह में दो बार ऊर्जा सम्बन्धी सूचनायें प्रेषित की जाती है।

i) यू0 नी0 फिन (United News of India Financial News Service) विश्व के प्रमुख देशों से तथा भारतीय बाजारों से सम्बन्धित विशेष वित्तीय सूचना (Hot Financial Information) इसके अन्तर्गत प्रेषित की जाती है। यू0 एन0 आई0 की यह सेवा भारत के 30 केन्द्रों के 120 बाजारों की तथा 75 विदेशी केन्द्रों के 45 बाजारों की वित्तीय सूचना अपने ग्राहकों को देती है।

ii) यू0 नी0 काम (U.N. Economic Service) सप्ताह में चार बार आर्थिक सूचायें एवं समाचार इसके माध्यम से दिए जाते हैं।

v) यू0 एन0 आई0 कृषि सेवा हरित क्रांति के स्वप्न को सार्थक बनाने के उद्देश्य की पूर्ति से जुलाई 1970 में सप्ताहिक कृषि समाचार एवं फीचर सेवा प्रारम्भ की गयी थी। प्रत्येक सप्ताह 3000 से 7000 शब्द समाचार एवं फीचर सेवा द्वारा प्रेषित किए जाते हैं।

v) यू0 एन0 आई0 बैक ग्राउन्डर (U. N.I. Back grounder)- यू0 एन0 आई0 की शोध शाखा प्रत्येक सप्ताह एक सम्पूर्ण तथा नवीनतम जानकारियों से युक्त सामायिक विषयों पर सम्पादकों, लेखकों, शोध छात्रों के उपयोग की दृष्टि से (Back grounder) सामग्री जारी करती है।

vi) न्यूज वार्ता-द्वितीय प्रेस आयोग ने देश की अंग्रेजी के समाचार समितियों से यह अपेक्षा की थी वे भारतीय भाषाओं की आधुनिक एवं उच्च स्तरीय समाचार समितियों के गठन के लिए पहल करें। इस आधार पर यू0 एन0 आई0 ने 1 मई 1982 से हिन्दी में यूनीवार्त नाम से समाचार समिति शुरू की। इस समय 150 से भी अधिक समाचार पत्रों ने इसकी सेवायें ले रखी है।

यू0 एन0 आई0 को संक्षेप में 'यून्यू' तथा यूनीवार्ता को 'युवा' लिखा जाता है। हिन्दी प्रदेशों में यूनीवार्ता की ग्राहक संख्या आज अन्य किसी भी समाचार समिति से अधिक है। यूनीवार्ता का ध्येय वाक्य है सच्ची खबरें, जल्दी खबरें और आपकी भाषा में खबरें। इस समिति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाने की तथा राष्ट्रीय अखण्डता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करना है।

3.7.3 भारतीय भाषाओं की संवाद समितियाँ-

स्वतंत्रता के समय तक भारत में स्थापित सभी संवाद समितियाँ अंग्रेजी में ही समाचार प्रसारित करती थीं। अंग्रेजी राजभाषा थी तार केवल अंग्रेजी में ही भेजे जा सकते थे। उस समय

देवनागरी लिपि का दूरमुद्रक बनाने का सवाल ही नहीं था। देवनागरी लिपि में तार भेजने की सुविध स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद प्राप्त हुई तब 1954 में देवनागरी दूर मुद्रक उपलब्ध हुआ।

भारतीय भाषाओं में समाचार वितरण आरम्भ करने का श्रेय हिन्दुस्तान समाचार संवाद समिति और उसके संस्थापक वैरिस्टर एस0 एस0 आपटे को है। उन्होंने पहले तार द्वारा और बाद में दूरमुद्रक से समाचारों का प्रसारण और वितरण किया। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना, काठमान्डू, नागपुर, लखनऊ और अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय खुले। इस समिति ने कई क्षेत्रों में नई पहल की। एक नई बात यह थी कि हिन्दी के अलावा मराठी और गुजराती में भी इस समिति ने देवनागरी लिपि से समाचार भेजना शुरू किया।

हिन्दुस्तान समाचार के विरुद्ध एक कथित आरोप यह था कि इसमें काम करने वाले अधिकतर लोग एक विशिष्ट राजनीतिक धारा से सम्बद्ध थे। सन् 1966 में भारतीय भाषाओं की दूसरी संवाद समिति समाचार भारती स्थापित हुई। यह एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में शुरू की गई थी और कई राज्य सरकारों ने इसके शेयर खरीदे। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जितनी पूँजी समाचार भारती में लगी थी उतनी न पी0 टी0 आई0 में लगी थी। यू0 एन0 आई0 में। जितना इन दोनों समितियों से आशायं थी वे उस पर खरी न उतर सकीं। इसी कारण केवल इन समितियों पर निर्भर रहना किसी समाचार पत्र के लिए सम्भव न था। इन समितियों के साथ उन्हें किसी अन्य समितियों का सहारा लेना जरूरी हो जाता था अतः इनकी ग्राहक संख्या दिनों दिन घटती गयी और एक समय के पश्चात् ये बन्द हो गयीं।

दूसरी ओर हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों ने सहकारी समिति बनाई। प्रबन्धकों ने इस सहकारी समिति को समिति का संचालन सौंपा। यह एक अनूठा प्रयोग था और इसकी सभी ने प्रशंसा की। पर सहकारिता के आधार पर संवाद समिति चलाने का प्रयोग अन्ततः सफल न हो सका।

3.8 प्रथम प्रेस आयोग एवं समाचार समितियाँ - (First Press Commission and News Agencies)

प्रथम प्रेस आयोग ने अपने आठवें अध्याय में समाचार समितियों पर विस्तृत चर्चा की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संवाद समितियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक घटना के बारे में समाचार संकलन कर प्रेषित करे। अतः समाचारों के चयन का कुछ आधार होना आवश्यक है। यह चयन कुछ सिद्धान्तों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, जैसे समाचार के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन समाचारों में सार्वजनिक हित छुपा हो उस समाचार को महत्व दिया जाना चाहिए। आयोग का विचार था कि पाठक को सिर्फ समाचार ही आकर्षित नहीं करता वरन् घटना के महत्व का भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

आयोग ने समितियों से अपेक्षा की कि वे समाचारों के चयन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं बरतें तथा वस्तुनिष्ठ व व्यापक तथा स्पष्ट समाचार ग्राहक-पत्रों को दें। आयोग ने समाचार समितियों को यह हिदायत दी है कि वे समाचार देते वक्त टिप्पणी करने से बचें, टिप्पणी करने का अधिकार समाचार पत्रों पर ही छोड़ दें।

प्रथम प्रेस आयोग ने समाचार समितियों पर सरकारी स्वामित्व तथा सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है। समाचार समितियों को सरकारी सहायता का समर्थन करते हुए आयोग ने हा कि समितियों की सम्पादकीय अथवा प्रशासनिक नितियों पर सरकार का किसी प्रकार का यन्त्रण नहीं होना चाहिए। विदेशों में भी यदि समाचार समितियों पर संकट आये तो सरकार ो सहायता करनी चाहिए। आयोग ने समितियों के स्वरूप, संगठन, वित्तीय स्थिति पर भी ावश्यक सुझाव दिये हैं।

.9 द्वितीय प्रेस आयोग और समाचार समितियां (Second Press Commission & Agencies)

अंग्रेजी समाचार समितियों की व्यवस्था पर आयोग ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की । आयोग ने सिफारिश की कि समितियों द्वारा प्रतिदिन प्रेषित किए जाने वाले शब्दों का दावा था ग्राहक संख्या आदि का मूल्यांकन समान कसौटी के आधार पर वस्तुनिष्ठ रुप से किया ाना चाहिए। फिलहाल यह कार्य प्रेस परिषद द्वारा हो सकता है तथा बाद में प्रस्तावित समाचार त्र विकास आयोग के गठन होने के बाद उस आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक कवरेज की आवश्यकता महसूस करते हुए समितियों से समाचार पत्रों को अच्छी सेवायें देने का प्रयास करने की अपेक्षा की है।

3.10 सारांश-

सरकार और समाचार पत्र संवाद समितियों को अधिक धन दें तो समितियां अपने काम में विविधता ला सकती हैं और अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकती हैं। संवाद समिति में काम करने वालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार की भी गुंजाइश है। विस्तार के कई आयाम हैं। नई-नई सेवायें शुरू की जा सकती हैं। कम्प्यूटर और दूर संचार के आधुनिकतम साधनों का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन की आवश्यकता की पूर्ति केवल समाचार पत्र व सरकार ही कर सकती हैं। दोनों के ही मन में यह भावना होना आवश्यक है कि संवाद समिति केवल व्यवासय नहीं है वह जनता तक समाचार पहुँचाकर जनतन्त्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाचार उद्योग तभी ठीक से कार्य करेगा जब उसे प्राणवायु अर्थात् सूचना मिलती रहे।

3.11 शब्दावली

समाचार : सत्य, सामयिक सरस, सूचना

समाचार - अभिकरण : न्यूज एजेन्सी

3.12 संदर्भ ग्रन्थ

(1) पत्रकारिता का इतिहास एवं जनसंचार-डा0 संजीव मानावत

(2) A Manual or New Agency Reporting.

(3) संवाद समिति की पत्रकारिता - श्री काशीनाथ गोविन्द राव जोगेलकर

3.13 प्रश्नावली

3.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न-

(1) एसोसिएशन ऑफ मार्निंग न्यूजपेपर्स की स्थापना कब हुई थी?

(2) रायटर की स्थापना कब हुई?

(3) क्योडो किस देश की संवाद समिति है?

3.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) समाचार समितियों के उद्भव एवं विकास पर एक लेख लिखें।

(2) भारतीय समाचार समितियों में विकास एवम् स्वतंत्र भारत में समाचार समितियों का महत्व बतायें।

(3) भारती भाषाओं की संवाद समितियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखें।

3.13.3 बहुविकल्पीय प्रश्न-

(1) क्योडो कहाँ की समाचार समिति है ?

(क) चीन (ख) ईरान (ग) ब्राजील (घ) जापान

(2) समाचार समिति नहीं है-

(क) मिमी (ख) नोवोस्ती (ग) बीबीसी (घ) इसाकी

(3) भाषा हिन्दी सेवा है -

(क) यू0एन0आई0 की (ख) रायटर्स की (ग) इसा की (घ) पी0टी0आई0 की

(4) समाचार समिति का जनक कहते हैं -

(क) कोल्फ को (ख) पुलित्जर को (ग) हावास को (घ) सभी विकल्प गलत है।

3.13.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

(1) घ (2) ग

(3) घ (4) ग

इकाई चतुर्थ - नई सूचना एवं विश्व संचार व्यवस्था

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 नई सूचना व्यवस्था

4.2.1 नई सूचना की आवधारणा, वर्तमान सूचना माध्यम, कम्प्यूटर साइबर

4.2.2 सूचना असंतुलन

4.2.3 नई सूचना व्यवस्था तथा सूचना का अधिकार

4.3.4 सूचना आयोग की गतिविध

4.3 नई संचार व्यवस्था

4.3.1 विश्व की नई सूचना संचार व्यवस्था के क्षेत्र

4.3.2 मैकब्राइड कमीशन

4.4 न्यूको-

4.4.1 न्यूको का स्वरूप

4.4.2 समिति की गतिविधि

4.4.3 न्यूको के पाँच कारक

4.4.4 भारत में न्यूको

4.5 संचार का लोकतांत्रिक स्वरूप

4.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

4.10 लघु उत्तरीय प्रश्न

4.11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

4.11.2 दीर्घ उत्तर प्रश्न

4.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

4.0 उद्देश्य-

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप

(1) नई सूचना व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

(2) सूचना असंतुलन क्या है इससे आप परिचित हो जायेंगे।

(3) सूचना आयोग और उसकी गतिविधि को जानेंगे।

(4) नई सूचना संचार व्यवस्था से परिचित होंगे।

(5) न्यूको के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

4.1 प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न देशों के लोगों के बीच सूचना वहाँ के लोगों को समझने और उनके बारे में जानकारी को ग्रहण करने का एक साधन है। इसके द्वारा विभिन्न समाजों के रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझकर परस्पर भाई - चारे की भावना का विकास किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था और विकाशील देश जिसमें तीसरे विश्व (Third World) के देश हैं, ने माँग की कि इन अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था में जो असमानता है और उनमें जो त्रुटियाँ हैं उनको ठीक करके नयी व्यवस्था बनायी जाये। इसी को ध्यान में रखकर विश्व की नयी सूचना और संचार व्यवस्था की स्थापना हुई।

वस्तुतः 20वीं सदी का उतरार्ध दुनिया में नयी अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक परिस्थितियों के विकास का कालखण्ड रहा है। जब दुनिया के अधिकांश देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने लगे तो स्वशासन तथा आत्मनिर्भरता के साथ विकास उनकी पहली प्राथमिकता बनी। इस दिशा में अन्य बुनियादी समस्याओं के साथ सूचना असंतुलन की समस्या भी सामने आई। सूचना के साधनों पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण होने से छद्म उपनिवेशवाद, अस्थिरता तथा सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे खतरों का आभास होने लगा। सूचना असंतुलन को दूर करने की माँग विकासशील देशों द्वारा की जाने लगी। इसपर विचार करने के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ की पहल पर अनेक वार्ताओं का दौर चला तथा नयी सूचना व्यवस्था की अवधारणा अस्तित्व में आई।

4.2 नई सूचना व्यवस्था

संचार के साधनों के पिछड़ेपन का खामियाजा विकासशील राष्ट्रों को सूचना असंतुलन के रूप में भुगतना पड़ता है। विश्व में सूचना व्यापार पर कमोबेस चार बड़ी समाचार समितियों (एपी, यूजीआई, रायटर्स तथा एएफपी) का ही नियंत्रण रहा है। इसके परिणामस्वरूप उन सूचनाओं को कई बार जगह की नहीं मिल पाती हैं जिसकी जरूरत विकासशील राष्ट्रों को सर्वाधिक होती है। इसके साथ-साथ पश्चिमी राष्ट्रों का टीवी प्रसारण व टीवी सॉफ्टवेयर दूर संचार सुविधाओं पर भी वर्चस्व रहा है। ऐसी स्थिति में सूचना जो जनमत निर्माण का हथियार होती है। उस पर विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार सा रहा है। इस वर्चस्ववादी, एकतरफा सूचना प्रवाह की स्थिति को बदलने के प्रयास का नाम ही नयी सूचना व्यवस्था है जिसमें सूचनाओं को एकतरफा प्रेषण की बजाय उनके आदान - प्रदान की बात होती है। इस दृष्टि से संयुक्त-राष्ट्र संघ, विशेषकर यूनेस्को के प्रयासों से सूचनाओं को संतुलन की व्यवस्था कायम करने के प्रयास किये गये हैं। यह प्रयास ही जिनमें बैठकों के नतीजन मैकब्राइड आयोग की संस्तुतियाँ हैं, नई सूचना व्यवस्था हैं।

.2.1 नई सूचना की अवधारणा, वर्तमान सूचना माध्यम कम्प्यूटर एवम् इन्टरनेट -

सूचना को हम अंग्रेजी के "Information" शब्द का हिन्दी रूपान्तरण मानते हुए ाप्ति, खबर, इत्तला जैसे शब्दों के पर्याय रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वह बात जो किसी यक्ति को किसी विषय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए कही या बताई जाय, अवगत कराने । जताने के लिए कही हुई बात सूचना है।

सूचना किसी भी समाज की प्रगतिगामी गतिविधियों का मुख्य आधार है। हमारी सारी ार्थिक तथा सामाजिक प्रगति विशेष रूप से वाणिज्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति सूचना ो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पर निर्भर है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थितियों में ार्यरत व्यक्तियों को अपनी आवश्कता के अनुसार भिन्न-भिन्न विषयों पर अलग-अलग प्रकार ी सूचना की आवश्यकता होती है।

मानव सभ्यता के आदि काल से लेकर आज तक हुए विकास तथा जीवन-स्तर के ुधार में सूचना हमेशा ही एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। आज के आधुनिक समाज में सूचना न्नति और विकास के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई है। इसकी छाप हमें आर्थिक, ाजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यवसायिक तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में दिखायी ती है। सूचना ही अवधारणा हमें आँकड़ो या आधार-सामग्री, तथ्य, टिप्पणी, बुद्धिमता, हुनर ा कौशल अथवा प्रवीणता, ज्ञान, अनुभव, विवेक या अन्य अवधारणाओं के सन्दर्भ में ही मझ में आ सकती है। इससे हम आधुनिक समाज पर पड़ने वाले सूचना के प्रभाव को भी देख कते हैं। 'सूचना और ज्ञान' मानव जीवन के समक्ष खड़ी तमाम तरह की चुनौती के समाधान े लिए हैं। विकास के लिए अपनाए गए सूचना और ज्ञान के प्रयोग से समाज में भारी परिवर्तन ुआ है। आज हम सूचना युग में पहुँच गये हैं। आंकड़े, सूचना और ज्ञान आज के वैज्ञानिक ीवन के बहुप्रचलित शब्द हैं। सामान्य प्रचलन में इनमें भले ही कोई अन्तर दिखाई न देता हो िन्तु वास्तव में अनुप्रयोग, व्यवहार एवं उपयोगिता के विचार से ये समान शब्द नहीं हैं।

हम जानते हैं कि किसी संगठन में बहुत से काम लगातार चलते रहते हैं। अनेक टनायें घटित होती रहती हैं। जैसे-कुछ हिस्सा मशीन द्वारा उत्पादन का होता है, कुछ माल ाहर से पहुँचता है और बिलों का भुगतान किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कामों में से बहुत से ाम ऐसे होते हैं जो उस संगठन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे महत्वपूर्ण कामों ा अभिलेखन किया जाता है। अर्थात, उन्हें रिकार्ड किया जाता है। डाटा और कुछ नहीं तथ्य ौर अंक (Fact and Figures) ही हैं जो किसी संगठन में होने वाली अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण टनाओं, कार्यकलापों आदि को दर्ज करता है, उन्हें अंकित करता है या कहें कि उसका भिलेखन (रिकार्ड) करता है।

इसी प्रकार 'डाटा' ऐसे अवलोकित तथ्य हैं, जो किसी सुनिश्चित कार्यकलाप मे सम्बन्धित यवस्थित सर्वेक्षण अथवा अध्ययन के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक ुख-सुविधायें, साख्यिकीय सर्वेक्षण ग्रामीण जीवन की स्थितियों के सम्बन्ध मे एकत्र किये गये थ्य, विभिन्न प्रकार के टैक्स इत्यादि के सन्दर्भ में सामाजिक आंकड़े, जनसंख्या सम्बन्धित

जनगणना रिपोर्ट, वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त उपलब्धियों जैसी बातें 'डाटा' हैं। इनका महत्व सम्बन्धित विषय के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार इनका विश्लेषण किया जाता है।

'डाटा' एक लैटिन शब्द है जो Datum का बहुवचन है। 'डाटा' को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, 'डाटा' लोगों, स्थानों, घटनाओं या वस्तुओं से जुड़े तथ्य हैं जो अंकों तथा अक्षरों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे नाम, पता, उम्र शैक्षिक योग्यता आदि ऐसे तथ्य हैं जो लोगों से जुड़े हैं। ये तथ्य अंकों एवं अक्षरों दोनों को मिला कर व्यक्त किए जाते हैं।

'सूचना' को संसाधित (Processed) डाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 'डाटा' है। सर्वाधिक अंक या सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के बारे में जानकारी 'सूचना' है। 'सूचना' आंकड़ों (डाटा) के प्रसंस्करण (Processing) से प्राप्त की जाती है। सूचना का उत्पादन करने के लिए 'डाटा' एक कच्चा माल है। सूचना वह आधार है जिसके अनुसार किसी संगठन के व्यवस्थापक या प्रशासक अधिकारी निर्णय लेते हैं। हम डाटा और सूचना में प्रत्यात्मक या वैचारिक अन्तर कर सकते हैं, किन्तु इन दोनों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। समाचार तथ्य, सांख्यिकीय समकालीन घटनायें और कार्यकलाप कानून, न्यायिक निर्णय आदि बातें सूचना हैं।

'सूचना' का विशेष सम्बन्ध ज्ञान और संचार से है। इसलिए इसका विवेचन इन संकल्पनाओं को दृष्टि में रखे बिना नहीं हो सकता। साथ ही उन विषयों की चर्चा के बिना भी नहीं हो सकता जिनमें सूचना एक केन्द्रीय तथ्य होता है। सूचना की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है इसलिए सूचना का कोई एक निश्चित वर्गीकरण भी नहीं है। यह सब बहुत कुछ उसके विषय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि 'सूचना' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। अतः इसे एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता।

सूचना के मुख्य गुण-

(1) सूचना का हम उपयोग करते चले जायें, यह खत्म नहीं होगी (2) इसमें बहुत सारे लोगों की साझेदारी हो सकती है तथा यह एक साथ किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाये बिना काम में लाई जा सकती है। (3) यह बहुत ही लोकतांत्रिक संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग हर वर्ग कर सकता है। गरीब और धनाढ़य दोनों वर्गों के लिए स्त्री-पुरुष तथा सभी आयु वर्ग के लिए इसका उपयोग अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।

सूचना विज्ञान उन सिद्धान्तों एवं तकनीकों से सम्बन्धित होता है जिनके द्वारा संचालित होकर सुंसगठित विचार/ज्ञान एक मानव मस्तिष्क से दूसरे मानव मस्तिष्क तक तथा अन्ततः समाज तक संचारित होती है।

(2) सूचना विज्ञान एक विषय है जो सूचना के व्यवहार एवं गुणों के अध्ययन के साथ उन तत्वों को जो सूचना के प्रवाह को प्रभावित करते हैं के साथ सम्बन्ध रखता है।

सूचना तकनीक -

सूचना तकनीक का प्रयोग सूचना को प्राप्त करने, संग्रह, प्रसंस्करित तथा सम्प्रेषण करने के लिए किया जाता है। सूचना को प्रसंस्कारित करने के दो प्रमुख साधन हैं- कम्प्यूटर

T टेलीकम्यूनिकेशन तन्त्र। सूचना तकनीक का इंग्लैण्ड अमेरिका और भारत में अत्यधिक
ग किया जा रहा है जबकि फ्रांस में रेलेमैटिक्स और रुस में इन्फारमैटिक्स का अधिक प्रचलन

जैनिफर राउले ने सूचना तकनीक को चार क्षेत्रों में विभक्त किया-

(1) ज्ञान का अभिलेखन करने का तरीका व तन्त्र जिसमें कम्प्यूटर संग्राहक साधना
omputer Stroage Media) जिसमें हार्डडिक्स फ्लापी व चुम्बकीय टेप आदि आते हैं।

(2) अभिलेख के रख रखाव के तरीके,कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर डेटाबेस का
न संसाधन इनमें शामिल हैं।

(3) प्रत्येक सूचना व प्रलेखों की अनुक्रमणिका बनाना, कम्प्यूटरीकृत अनुक्रमणिकायें
वा मशीन द्वारा पठनीय सूचियाँ व पुस्तकालयों के नेटवर्क आदि इस श्रेणी में आते हैं।

(4) ज्ञान के संप्रेषण के तरीके इसमें इलेक्ट्रानिक मेल, फैक्स, टेलीकान्फ्रेसिंग तथा
टा सम्प्रेषण नेटवर्क आता है।

सूचना तकनीक का पुस्तकालयों व आधुनिक कार्य पद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
न लाइन पब्लिक एक्सेंस कैटलाग व इलेक्ट्रानिक इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन्टरनेट का
ग इसका साक्षी हैं।

चना के क्षेत्र में कम्प्यूटर -

कम्प्यूटर भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न प्रकार का यन्त्र है। एक अशिक्षित व्यक्ति के
ए यह जादू का पिटारा है। साधारण व्यक्ति के लिए यह मात्र गणना करने वाला यन्त्र है जो
स्वयं सब कुछ गणना करने में समर्थ है। शिक्षित एवं व्यावसायिक योग्यता वाले व्यक्ति के
ए यह एक ऐसा इलेक्ट्रानिक यन्त्र है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रानिक उपकरण है जो कि अंकगणितीय गणना तर्क अथवा तुलनात्मक
र्यों को असाधारण गति से करने में सक्षम है। कम्प्यूटर में सूचनाओं के विशाल भंडार का
चयन किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कम्प्यूटर
दैव अनुदेशों तथा प्रोग्रामों के अन्तर्गत कार्य करता है। एक प्रोग्राम में अनेक अनुदेश होते हैं।
नेक प्रोग्रामों के सेट को साफ्टवेयर कहते हैं

म्प्यूटर की विशेषता-

(1) तेज गति

(2) एक तरह से कार्य को बार-बार करने की क्षमता।

(3) सही जानकारी देने की कार्य कुशलता।

(4) विश्वसनीयता।

" मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक संगठित प्रतिरूप यदि मानव द्वारा निर्मित कोई वस्तु है
वह कम्प्यूटर"

" सम्पूर्ण संचार क्रान्ति कम्प्यूटर के सहयोग से ही सम्भव हो सकी। वह दिन दूर नहीं जब संचार का एक प्रमुख साधन प्रिंट मीडिया जो कागजों पर निर्भर है, दुर्लभ वस्तु हो जाएगी और उनका स्थान कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक माध्यम ले लेंगे।

सूचना के क्षेत्र में इन्टरनेट-

इन्टरनेशनल डेट कारपोरेशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार "भारत में सर्वाधिक लोग संचार के लिए इन्टरनेट का उपयोग करते हैं। 63 प्रतिशत लोग मनोरंजन के लिए और 56 प्रतिशत लोग शिक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 5 प्रतिशत बच्चे इन्टरनेट का प्रयोग करते हैं। कम्प्यूटर और भाषा के लगग 120 विशेषज्ञ कम्प्यूटर के लिए एक ऐसी भाषा बनाने की परियोजना पर कर रहे हैं जिसके द्वारा कोई भी भाषा जानने वाला व्यक्ति किसी भी अन्य भाषा जानने वाले व्यक्ति के साथ अपनी मातृ भाषा में बात कर सकेगा। इसे यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज (यू0 एन0 एल0) का नाम दिया गया है।

इंटरनेट क्या है-

इनटरनेट विश्व में अनेक स्थानों पर लगे हुए कम्प्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के सम्प्रेषण के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली है। कम्प्यूटरों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ समूह नेटवर्क कहलाता है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं।

नेटवर्क छोटा से छोटा तथा स्थानीय व दूरस्थ दोनों ही प्रकार का हो सकता है। किसी कार्यालय में टेलीफ़ोन लाइनों से जुड़े मात्र दो कम्प्यूटर भी नेटवर्क कहे जा सकते हैं या एक ही शहर में विभिन्न कार्यालयों के कम्प्यूटर टेलीफोन से जुड़कर स्थानीय नेटवर्क कहे जा सकते हैं। इन्टरनेट इन सभी को जोड़ सकता है। इन्टरनेट वस्तुतः नेटवर्कों का भी नेटवर्क है जो कि हमें बिना किसी भेदभाव के एक साथ सम्पूर्ण विश्व को एक समान रूप से जोड़ता है। मूल रूप से इन्टरनेट सूचनाओं का व्यापार ही है।

4.2.2 सूचना असंतुलन-

सूचना के असंतुलन के विषय में जाने से पहले हमें इस बात से वाकिफ होना जरुरी है, कि अन्तरराष्ट्रीय संचार क्या है। साधारण स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय संचार को दो या अधिक राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रणाली द्वारा समझा जा सकता है। सैद्धान्तिक रूप से इस प्रणाली में सभी राष्ट्र पूर्ण रुपेण स्वतंत्र हैं। उनकी वास्तविकता भिन्न है। अन्तरराष्ट्रीय समाचार प्रवाह की प्रणाली का स्तर राष्ट्र एवम् उसके माध्यमिक संस्थाओं पर, उनके मालिकों, वितरण करने वालों तथा उन्हें खरीदने वालों पर निर्भर है।

आज पूरी दुनिया में इसकी आधुनिक संचार तकनीकी पर पहुँच है। वही माध्यमों के उत्पाद का मालिक व बेचने वाला है। यूनेस्को ने माध्यमों के उत्पादों के मालिक और वितरकों की रूचि को देखते हुए अनेक उपाय किया। सन 1961 में यूनेस्को ने देश के प्रत्येक सौ निवासियों के लिए एकान्तर के दैनिक समाचारों की दस कॉपी, रेडियो रिसीवर और दो टेलीविजन केन्द्र का प्रस्ताव दिया। वित्तीय श्रोतों की तथा मानव शक्ति और तकनीक की कमी से नये राष्ट्रों के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वे पश्चिमी मीडिया से पूरे विश्व में फैले हुए हार्डवेयर

क के नेटवर्क और साफ्ट वेयर प्रोग्राम के उपभोक्ता और खरीदार बनें। इसका मतलब यह समितियाँ विश्व में समाचार प्रभाव की प्रकृति को बयान करती हैं ये समितियाँ जैसी रिपोर्ट हैं विकसित देशों के समाचार का प्रवाह एक ही दिशा में विकासशील देशों की ओर होता क तरफा प्रवाह में विकसित देशों की सूचना पहले इसके अनुसार होती है और जब उन्हें ा दी जाती थी तो वह बीती हुई खबर होती थी। पश्चिमी माध्यमों के फैले कार्यकलापों कर संयुक्त राज्य (यू0एस0) के माध्यमों के बारे में कोई आश्चर्य नहीं है कि वर्चस्ववादी के खिलाफ 1970 के दशक में कुछ नये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संचार के एकाधिकार के प्रवाह शिकायत करने लगे। संयुक्त राज्य के शिखर पर पहुँचने से पहले उसके कुछ सहयोगियों ने ी राष्ट्रीय सर्वोच्चता को चुनौती दी यूनाइटेड स्टेट के सांस्कृतिक उत्पाद जैसे किताब, फिल्म, वी0 कार्यक्रम के द्वारा नये प्रकार के साम्राज्यवाद को बढ़ावा जैसे सांस्कृतिक स्वतंत्र प्रवाह सिद्धान्त की शिकायत की गयी जो संयुक्त राज्य के द्वारा पूरे विश्व में फैल रहा था। आज ी दुनिया के लोग समाचारों के संग्रह और उनके प्रसारण की एक नयी व्यवस्था की अपेक्षा हैं और इस निमित्त विश्व में समाचारों के प्रवाह में कार्य करने वाले समितियों की संख्या उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उपग्रहीय संचार तथा मुक्त रण व्यवस्था का प्रचलन बढ़ने से सूचना के संतुलन का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया टेलीविजन की पहुँच लोगों के बेडरुम तक है। ऐसे में पश्चिमी प्रभुत्वयुक्त व्यवस्था में सूचना शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा ईराक युद्ध की विरोधाभासी खबरों से स्पष्ट भी हो है।

2.3 नई सूचना व्यवस्था तथा सूचना का अधिकार

आज सूचना का हमारे जीवन पर और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। ज से मात्रदो दशक पूर्व तक संचार और सम्पर्क की जो सुविधाएं बड़े से बड़े देशों के सकों और सेनानायकों, तथा बड़े-बड़े उद्योगपतियों एवं अरबपतियों को सुलभ नहीं थे इस ना क्रांति की प्रगति से चुपके से गाँव-गाँव, गली-गली में सुलभ हो गयी हैं। 20 वर्ष पूर्व त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के हत्या की खबर राजीव गांधी को टेलीफोन नहीं बी0 बी0 सी0 के प्रसारण से मिली थी। 1951 में ब्रिटेन के महाराज जार्ज षष्ठम् की ु की सूचना उनकी पुत्री एलिजाबेथ को घंटो बाद मिली थी। परन्तु वहीं सूचना सरकते कते गली के नुक्कड़ या घर के दरवाजे पर नहीं आज मध्यवर्गीय घर के कमरे में आ चुका सूचना व्यवस्थी की उपलब्धता तथा लगातार कम हो रही लागत तथा कम्प्यूटर की क्षमता में ातार वृद्धि से सूचना की उपलब्धता आसान हो गयी है। 1973 से 1976 तक के वर्ष में सूचना व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है जबकि 1976 से 79 के वर्ष के दौरान कड़ो पर नजर डालें तो नई व्यवस्था की मांग में विश्वास दिलाता था। साधारणतः नई वस्था की धारणा में होने वाले क्रमिक विकास का श्रेय गुटनिरपेक्ष देशों को मिलता है फिर भी वेशकों के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। शुरूआती दिनों में यूनेस्को भी औजार के की भूमिका में था। उसने पश्चिमी प्रभाव के कारण सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त को ारित किया लेकिन साठ और सत्तर के दशक में यू0 एन0 के निरन्तर बढ़ रहे नये स्तर को

यूनेस्को ने न सिर्फ संरचना की बल्कि सहायक नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ ही संचार को भी लेकर अपने स्वभाव में बदलाव किया।

1970 में यूनेस्को के संचार कार्यक्रमों के बदलाव का लाभ गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन को मिला जो सत्तर के शुरूआत में गरीब देशों के आर्थिक विकास की रूकावट बना था। 1960 में यू0 एन0 के विपरीत उपनिवेश की घोषणा के निर्माण के लिए 1964 में यू0 एन0 विकास दशक के विकास में, 1964 में यू0 एन0 सी0 टी0 ए0 डी0 सृजन में, 1965 में यू0 एन0 डी0 पी0 और 1976 में यू0 एन0 आई0 डी0 ओ0 और पश्चिमी विकास पद्धति को भी स्वीकार किया गया जिसमें आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण के द्वारा विकास हुआ। बहुत जल्द ही महसूस किया गया कि विकास नहीं के बराबर हो रहा है। बहुत से राष्ट्र जहाँ थे वहीं रह गये थे। इस असफलता ने पुनः परीक्षण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया और नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थिक पद्धति में एन0 अाई0 ई0 ओ0 की मांग भी चरम बिन्दु पर पहुँच गयी इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सूचना और संचार के क्षेत्र में नई व्यवस्था एन0 डब्लू0 आई0 सी0 ओ0 भी आ गयी।

व्यापक स्तर पर मीडिया के लिए विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था के भविष्य के लिए जिस बात की अपेक्षा है इसका बहुत अधिक निर्धारण इस बात से किया जा सकता है कि मीडिया किस प्रकार राष्ट्रों की समानता के साथ-साथ बढ़ी हुई संचार व्यवस्था के लिए और एक विश्व व्यापी जागरूकता के सन्दर्भ में अपने को समायोजित करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अमेरिका की मीडिया भविष्य की मांगो के संदर्भ में अपनी किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-

नागरिकों के सूचना के अधिकार हेतु व्यावहारिक राज्यक्रम स्थापित करने लोक प्राधिकारों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यों की पारदर्शिता और जबाबदेही हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग भारत के संविधान ने लोकतंत्रतात्मक गणतंत्र को स्थापित किया है, लोकतंत्र की मांग एक संसूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता जो कि इसके कार्यकरण हेतु प्राणभूत है और भ्रष्टाचार को रोकने तथा सरकार और उसके अंगों को शासितों के प्रति जबावदेह बनाने हेतु ऐसी अवस्था में सूचना के प्रकटीकरण से वास्तविक व्यवहार में दूसरे हितों से संघर्ष हो सकता है। जिसके अन्तर्गत सरकारों के पर्याप्त अभियानों.सीमित वित्तीय साधनों का सीमा तक उपयोग तथा संवेदनशील सूचना की गोपनीयता के संरक्षण सम्मिलित हैं। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि इन विरोधी हितों में समन्वय बनाया जाय। लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वश्रेष्ठता को संरक्षित किया जाय है।

अब इसलिए यह समीचीन है कि कुछ निश्चित सूचनाओं को नागरिकों को प्रदत्त किया जाये तो इसे पाना चाहते हैं। सूचना के अधिकार के मुख्य प्रावधान इस प्रकार स्पष्ट किये जा सकते हैं

1- **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ** (1) यह अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जा सकेगा।

2- यह जम्मू-काश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा।

3- धारा 4 की उपधारा (1) धारा 5 की उपधारा (1) व (2) धारायें 12, 13, 15, 16, 24, 27, व 28 के प्रावधान तत्काल प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियम के (एक सौ बीसवें दिन) से प्रभावी होंगे।

परिभाषायें- इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

''समुचित सरकार'' से किसी लोक प्राधिकारी से सम्बन्ध में जो कि स्थापित, गठित स्वामित्ववाली नियंत्रित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त निधियों द्वारा वित्तपोषित-

i) केन्द्र सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार से।

i) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार से अभिप्रेत है।

) केन्द्रीय सूचना आयोग से तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग से है।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिषित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से है तथा इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वैसे ही पदाभिषित केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त से तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त से है।

) सक्षम प्राधिकारी से निम्न अभिप्रेत है-

(i) लोक सभा या राज्य की विधान सभा या ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधान सभा है कि दशा में स्वीकार और राज्य सभा या राज्यों की विधान परिषद का सभापति।

ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश।

ii) उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

v) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या सृजित अन्य प्राधिकारियों की दशा में राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसी भी स्थिति हो।

v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

) सूचना से तात्पर्य किसी भी सामग्री से है जो किसी भी प्रारुप में हो जिसके अन्तर्गत अभिलेख, दस्तावेज, मेमोज, ई मेल्स, सलाह, प्रेस रीलीज, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्स, संविदायें, रिपोर्ट्स, नमूने, पेपर्स, मॉडल्स, आंकड़ों जो कि इलेक्ट्रानिक प्रारूप में हैं तथा सूचना जो कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से सम्बन्धित है जिस तक लोक पदाधिकारी की पहुँच किसी अन्य विधि के अधीन जो तत्समय प्रवृत्त हो।

) 'विहित' से तात्पर्य समुचित सरकार या सक्षम पदाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाने से अभिप्रेत हैं।

(ज) लोक पदाधिकारी से तात्पर्य कोई पदाधिकारी या निकाय या स्वशासी गठित संस्था-

(i) संविधान के द्वारा या उसके अधीन

(ii) किसी अन्य विधि के द्वारा जो संसद द्वारा बनायी गई है।

(iii) किसी अन्य विधि के द्वारा जो राज्य विधायिका द्वारा बनायी गई है।

(iv) समुचित सरकार द्वार निर्गत अधिसूचना या आदेश और जिसके अन्तर्गत कोई-

(i) स्वामित्व वाला निकाय, नियंत्रित या आनुषंगिकतः वित्तपोषित,

(ii) गैर सरकारी संगठन जो कि आनुषंगिकताः वित्तपोषित है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समुचित सरकार द्वारा प्रदत्त निधि से पोषित है इसके अन्तर्गत आता है।

(झ) अभिलेख के अन्तर्गत

(i) कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि एवं फाइल

(ii) किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म

(iii) उस माइक्रो फिल्मस, चाहे वे बड़े आकार में हो या नहीं) में समाविष्ट छवि या छवियों का कोई प्रतिरूप

(iv) कम्प्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पन्न अन्य कोई सामग्री

(ञ) सूचना का अधिकार से तात्पर्य उस सूचना के अधिकार से है जो इस अधिनियम के अधीन पहुँच के अन्तर्गत है तथा जो लोक पदाधिकारी द्वारा धारित है या उसके नियंत्रणाधीन है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार भी हैं-

(i) कार्य दस्तावेजों, अभिलेखों क़ा निरीक्षण।

(ii) टिप्पणियों, लेखांशों या दस्तावेजों अथवा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

(iii) नमूने सामग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।

(iv) डिस्केट्स फ्लापियाँ, टेप्स, विडियो कैसेट्स या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा प्रिंट आउट के माध्यम से जहाँ वह सूचना कम्प्यूटर या अन्य किसी उपकरण में संग्रहित है, सूचना प्राप्त करना।

(ट) राज्य सूचना आयोग से तात्पर्य पारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सृजित राज्य सूचना आयोग से है।

(ठ) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त से तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त से है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी से तात्पर्य उपधारा (1) के अधीन पदाभिरित राज्य लोक सूचना अधिकारी से है। तथा इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन पदाभिरित सहायक लोक सूचना अधिकारी भी सम्मिलित है।

पर व्यक्ति से तात्पर्य सूचना की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत लोक प्राधिकारी सम्मिलित है।

.4 केन्द्रीय सूचना आयोग की गतिविधि

केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग नामक निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन दी गयी शक्तियों के प्रयोग और दिए गए कार्यों को सम्पादित करने के लिए करेगी।

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित से होगा-

) मुख्य सूचना आयुक्त और

) दस से अनधिक उतने संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त जितना आवश्यक समझा जा सके।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जायेगी जो अधोलिखित को मिलाकर बनेगी-

i) प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा।

i) लोक सभा में विपक्षी दल का नेता और

i) एक संघीय कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा मान निर्देशित किया जाएगा।

केन्द्रीय सूचना आयोग के मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और प्रबन्धन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कार्यों का, वस्तुओं जिनका प्रयोग केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वायत्ततः इस अधिनियम के अधीन बिना किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन किया जा सकेगा या किया जाएगा कर सकेगा।

) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तगण सार्वजनिक जीवन के ख्यातिलब्ध व्यक्ति होंगे जिनके पास विधि विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता जनसंचार या प्रशासन और शासन का विशद ज्ञान और अनुभव होगा।

) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद का किसी राज्य सा संघ शासित क्षेत्र के विधान मण्डल, जैसी भी स्थिति होने के सदस्य नहीं होंगे या कोई अन्य लाभ का पद या किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित या कोई व्यापार या कोई वृत्ति (Profession) को धारण नहीं करेंगे।

) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालयों को स्थापित कर सकेगा।

पदावधि और सेवा में-

(1) मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। परन्तु यह कि मुख्य सूचना आयुक्त पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि या जब वह पैसठ वर्ष की उम्र का हो जाए दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा और सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद को इस उपधारा के अधीन खाली करने पर धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उपबन्धित ढंग से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र होगा।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन हेतु दिए गये प्रारुप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। परन्तु यह कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त धारा 14 में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में -

(क) मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होगा।

(ख) सूचना आयुक्त निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होगा। परन्तु यह कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपने नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन प्राप्त करता है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा करने पर उसका वेतन उस पेंशन की धनराशि तक घटा दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत पेन्शन का कोई भाग जो एक मुश्त अदा कर दिया गया था और सेवा निवृत्ति के अन्य लाभ के तुल्य पेन्शन जिसमें सेवा निवृत्ति की ग्रेच्यूटी के तुल्य पेन्शन सम्मिलित नहीं होगा।

4.3 नई संचार व्यवस्था-

मनुष्य ने अपनी सुख-सुविधा के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान का विकास किया और उसका प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया उसकी अन्वेषकारिणी बुद्धि ने नए-नए अविष्कार कर तरह-तरह के संचार साधनों की खोज भी की। यंत्रों के क्षेत्र में कृषि सभ्यता से आरम्भ हुई उसकी अन्वेषण - यात्रा आज तकनीकी युग तक पहुँच गई। पहले जो काम मानवीय श्रम से होता था वह पशु-पक्षियों के श्रम से होने लगा। इसके बाद मशीनें आईं और आज तरह-तरह से भारी यंत्र छोटे-छोटे कल पुर्जे से लेकर इलेक्ट्रानिक उपकरण हर काम करने के लिए उपलब्ध

में श्रम और समय दोनों की बचत होती है। संचार के क्षेत्र में विशेष रूप से क्रान्ति घटित छपे हुए अक्षरों में ध्वनि तथा दृश्यों का रूप ले लिया है। आधुनिक विकास ने अकल्पनीय ा करके ऐसे अनेक संसाधन बनाकर सामने रख दिया है जो हमें प्राचीन लोककथाओं में मिथकों की घटनाओं के वास्तविक रूप लगने लगे हैं। दूरभाष, रेडियो, दूरदर्शन (टी0वी0) र, इन्टरनेट, मल्टीमीडिया आदि जैसे साधन हमारी इस नयी व्यवस्था के प्रमाण हैं।

नयी संचार व्यवस्था को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

शब्द-संचार माध्यम अथवा मुद्रण माध्यम।

श्रव्य दृश्य संचार माध्यम जिसमें टेलीविजन, विडियो कैसट, फिल्म, सी0 डी0 प्लेयर, इन्टरनेट आदि।

नव इलेक्ट्रानिक माध्यम।

। विश्व की नई सूचना संचार व्यवस्था के क्षेत्र-

माध्यम- इस श्रेणी में सीमित संचार के सर्वप्रथम माध्यम पत्र से लेकर व्यापक स्तर पर संचार (जन-संचार) के साधनों मुद्रित समाचार पत्र-पत्रिकायें, पुस्तकें, जर्नल, पम्फलेट, हैंडबिल, पोस्टर आदि की गणना की जाती है। इन माध्यमों से आधुनिक संचार माध्यमों की शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे इनके स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। सूचना प्रौद्योगिकी ने इसके त्वरित गति से सुविधाजनक पहुँच और आकर्षक मुद्रण में बहुत सहायता की है। सूचना-समाचारों को वर्तमान समय में जितनी द्रुत गति से प्राप्त कर मुद्रित रूप में जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है उतनी गति से और उतने अच्छे रूप में पहले नहीं पहुँचाया जा सकता था। सूचना प्रौद्योगिकी ने इनके व्यापक प्रसार-प्रचार में भी सहयोग किया है। इनकी उपयोगिता और आवश्यकता बढ़ी है।

ानिक माध्यम- इस श्रेणी में दो तरह से माध्यम आते हैं-

केवल श्रव्य माध्यम (Audio)

श्रव्य एवम् दृश्य माध्यम (Audio-Vedio)-

केवल शब्द माध्यम वे हैं जिनके माध्यम से हम सूचना को सुनकर ग्रहण करते हैं। रेडियो तथा ऑडियो कैसेट इसी तरह के संचार माध्यम हैं। इसमें सीमित संचार के स्तर पर फोन, कार्डलेस, नव विकसित मोबाइल/सेल्यूलर फोन भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। हम रेडियो पेजिंग, पेजर, टेलीप्रिन्टर, फैक्स आदि की गणना भी श्रव्य माध्यमों के अन्तर्गत करेंगे। आज फैक्स के कई रूप मिलते हैं। इसी तरह टेलीफोन के रूप में अनेक हैं। कुछ नव विकसित टेलीफोन उपकरणों में संदेश या चित्र अथवा दोनों ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों के अन्तर्गत फिल्म टेलीविजन तथा विडियो कैसेटस की गणना ै। वी0 सी0 आर0 वीडियो कैसेट से जुड़ा संसाधन है। वह भी इसमें परिगणित किया । यद्यपि आज कम्प्यूटर और उससे जुड़े बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो दृश्य-श्रव्य हैं किन्तु

हम उनकी गणना नव इलेक्ट्रानिक माध्यमों में करेंगे। दृश्य-श्रव्य माध्यमों ने साठ के दशक से सर्वाधिक उन्नति की है। ये सूचना तथा मनोरंजन के सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बन कर उभरे हैं। टेलीविजन ने तो अपने ही वर्ग के फिल्म और श्रव्य वर्ग के रेडियो तथा मुद्रण माध्यमों पर एक तरह से हमला बोल कर उस पर बढ़त हासिल कर ली है।

नव इलेक्ट्रानिक माध्यम- विगत सदी के उत्तरार्द्ध में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। उपग्रह प्रणाली ने इस क्षेत्र में नित नवीन संसाधनों की संरचना की है। इस श्रेणी के संचार-माध्यमों में हम उपग्रह एवं कम्प्यूटर - प्रणाली, इंटरनेट, सी0 डी0, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो फोन, टेलीकांफ्रेंसिंग, हाइब्रिड मेल सर्विस आदि की गणना कर सकते हैं।

कम्प्यूटर हमारे जीवन का आज अपरिहार्य हिस्सा बना हुआ है। सूचना और संचार के क्षेत्र में तो इसकी उपादेयता असंदिग्ध और बहुआयामी है। उदाहरण के लिए सी0 डी0 (Compact Disc) जहाँ मनोरंजन के लिए आम प्रचलन में है वही यह शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग में आती है। किसी भी विषय की विस्तृत सूचना का भण्डार इस छोटी सी डिस्क में किया जा सकता है और मनचाही सूचना तुरन्त प्राप्त की जा सकती है। इसे आसानी से कही भी ले जाया जा सकता है। इसी तरह इन्टरनेट ने सूचना-क्रान्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। घर बैठे हम सारी दुनिया से जुड़ सकते हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान आसानी से किया जा सकता है।

मल्टीमीडिया एक ऐसा बहुमाध्यम है जिसमें इलेक्ट्रानिक उपकरणों का समुच्चय होता है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक ऐसा बहुप्रचलित शब्द बन चुका है जिसने सारी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया है। यह प्रणाली विभिन्न माध्यमों का संयोजन करके सूचना को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करती है।

उपयोगिता के आधार पर मल्टीमीडिया के कई वर्ग हैं -

(i) मल्टीमीडिया व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लिपिकीय औजार के रूप में ।

(ii) मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण उत्पादक के रूप में।

(iii) मल्टीमीडिया डेस्क वीडियो के रूप में।

(iv) मल्टीमीडिया के बाद इस युग का सबसे प्रचलित सूचना माध्यम इंटरनेट है। वास्तव में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क है। शुरू में इसे आरपानेट (Arpanet) कहा जाता था। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सैन्य एवम् नागरिक अनुसंधानकर्ताओं को रक्षा योजनाओं के बारे में सूचनायें भिजवाने के लिए इसकी स्थापना की थी। 1983 में आरपानेट दो नेटवर्कों में बंट गया जो आपस में जुड़े हुए थे आरपानेट और मिलनेट 1 तभी इन्टरनेट का जन्म हुआ। शुरूआत में इन्टरनेट का प्रयोग सेना से सम्बन्धित अनुसंधानों तथा रक्षा विषयक क्रिया-कलापों के लिए ही स्वीकृत था लेकिन 1986 में NSFNET (National Science Foundation Network) नामक एक नेटवर्क इन्टरनेट से सम्बद्ध हो गया और धीरे-धीरे इसने दुनिया के लिए अपने द्वार खोल दिए। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध न हो। वास्तव में इन्टरनेट ने ही विश्व को एक गाँव में बदल दिया है।

महामार्ग (Information Super Highway)

संचार उपग्रह के अविष्कार ने संचार क्रान्ति का सूत्रपात किया। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ग्रह प्रणाली की देन है, जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। टेलीविजन, र, टेलीफोन और कम्प्यूटर नेटवर्क के संयोग से सूचना महामार्ग की परिकल्पना साकार ा रही है। लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही विश्व में सूचनाओं के नए महामार्ग बनाने की चर्चा ी गई। तब यह महामार्ग विशेष रूप से यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ रहा था और अमेरिका का आधिपत्य था। परन्तु अब इस महामार्ग की पहुँच तीसरी दुनिया के देशों चुकी है और इसी कारण विश्व पटल पर भारी परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

इस समय प्रचलित इंटरनेट सेवा सूचना महामार्ग की पहली कड़ी है। कुछ वर्ष पूर्व यह ो मिला था कि अपने टी0वी0 सेट के जरिए किसी फिल्म लाइब्रेरी से अपनी मन पसन्द का आदेश देकर उसे तत्काल देख सकेंगे। घर बैठे अपने टीवी पर विश्व भर के बाजार सकेंगे और घर बैठे ही अपनी मन पसन्द वस्तु का आदेश देकर खरीद सकेंगे तथा वह ापके घर में पहुँच जाएगी। आफिस का काम भी घर बैठे ही हो जाएगा। दूर विदेश में नुभवी डाक्टर आपके स्वास्थ्य की देख-रेख वहीं बैठे-बैठे कर लेंगे और जरूरी निर्देश गे। दवाओं की व्यवस्था भी कर देंगे। अपने घर में बैठकर ही अपने मित्र से आमने- बैठकर आधुनिक वीडियो गेम खेल सकेंगे। अब सब कल्पना साकार हो गयी है और महामार्ग की यही देन है।

2 मैक ब्राइड कमीशन-

वैश्विक सूचना प्रवाह के असंतुलन को दूर करने तथा सूचना पर विकसित देशों में कार जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए यूनेस्को ने सन 1978 में ैण्ड में पूर्व विदेशमंत्री सीन मैक्ब्राइड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया ैक्ब्राइड आयोग कहा गया। इसमें सदस्य प्रख्यात मीडियगुरु मार्शल मैक्लूह्न भी थे। ने अपनी संस्तुतियाँ 'मैनी वॉयसेस वन वर्ल्ड' नाम से सन् 1980 में प्रस्तुत।

इस आयोग का दृष्टिकोण था कि संचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन समुदायों और राष्ट्रो ए साथ ही आर्थिक ताकत और राजनैतिक सम्बन्धों की आधारभूत सामाजिक आवश्यकता कास में निर्णायक प्रभाव के लिए शिक्षा को औजार के रूप में और संस्कृति के सम्पूर्ण े लिए भी यह आवश्यक है। अतः किसी भी स्थिति में संचार में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रों र या भीतर परिवर्तन ला देता है। कमीशन द्वारा असंतुलन और असमानता के मुद्दे को ह से पहचान लिया गया। राष्टों के असमान विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया के असंतुलन नीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक उन्नति पर प्रश्न चिह्न लगाया गया। कमीशन पर अपना मत दिया कि, स्वतन्त्र प्रवाह और कुछ नहीं एक तरफा प्रवाह है और वह त जिस पर आधारित है उसे फिर से बनाकर स्वतन्त्र और संतुलित प्रवाह की जिम्मेदारी ए। इसने विकसित और विकासशील देशों के बीच असंतुलन को परिभाषित किया। तकनीकियों ा कमीशन ने समाचार के प्रवाह में असंतुलन को पहचाना विकसित विश्व जिसके पास सी आधुनिक तकनीकियाँ हैं उसके क्षेत्र और दूसरे राष्ट्रों पर राजनैतिक, आर्थिक और

सांस्कृतिक सृजन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था जो समाचार और सूचना की आवश्यकताओं के लिए उन पर आश्रित थे। उनका सकारात्मक प्रभाव उनके सांस्कृतिक विकास की सुगमता का विस्तार है। इसका नकारात्मक प्रभाव सीमान्त प्रदेश के विदेशियों की संस्कृति को लाभ के रूप में मिल रहा है। अतःसंचार के रोक से समाचार प्रसारण, सांस्कृतिक उत्पाद, शिक्षा से, किताबों, फिल्मों, साधनों तथा प्रशिक्षण के द्वारा साम्राज्यवाद का अभ्यास कर रहे थे।

आयोग इस नतीजे पर पहुँचा कि असंतुलन और असमानता का प्रथम कारण आर्थिक कमी है। उसने कहा कि संचार में एक तरफा प्रवाह का प्रभाव राजनैतिक और आर्थिक रूप से गरीब देशों को लगातार अमीर राष्ट्रों पर आश्रित रहने को बाध्य करता है।

4.4.1 न्यूको का स्वरूप-

पश्चिमी देशों अर्थात् पहली दुनिया के विरुद्ध तीसरी दुनिया के देशों द्वारा जो आरोप लगाये जाते हैं वे सशक्त और मजबूत हैं-

(1) सूचना का प्रवाह असमान रहता है तथा उसका झुकाव पश्चिमी देशों द्वारा प्रवाहित होता है एवं उसमें विकासशील देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहता।

(2) विकासोन्मुख अथवा कम विकसित देशों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है।

(3) पश्चिमी देशों द्वारा और विशेषकर अमेरिका का संचार के क्षेत्र में स्थापित साम्राज्यवाद तीसरी दुनिया के देशों के साथ वैमनस्यपूर्ण मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है।

(4) पश्चिमी संचार व्यवस्था तीसरी दुनिया की बर्बादी में सरकार के भ्रष्टाचारों और उसी तरह की अन्य बातों से सम्बन्धित नकारात्मक समाचारों पर जोर देती है।

(5) सम्पूर्ण विश्व में तकनीक और संचार व्यवस्था के विकास के लिए जिस धन का वितरण किया जाता है वह असमान होता है।

(6) समाचारों का जो तात्पर्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाया जाता है जिसमें एक विशेष और सनसनीखेज बातों का प्रकाशन बतलाया गया है, जो सत्य नहीं है और उसमें समाचारों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जबकि विकासशील देशों में संदर्भ में समाचार अथवा न्यूज शब्द का तात्पर्य ऐसी बात से होनी चाहिए जो देश की तरक्की और उसके विकास में मदद करती हो।

(7) संचार और पत्रकारिता से सम्बन्धित जो शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती है वह बहुत अधिक पश्चिम से प्रभावित है और तीसरी दुनिया के देशों में इन विषयों से सम्बन्धित जो पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं उनके लेखक अधिकाधिक रूप से पहली दुनिया के लोग हैं विशेषकर अमरीकी।

(8) दुनिया की बहुत अधिक सूचनायें पाँच बड़ी समाचार एजेंसियों के द्वारा इकट्ठा की जाती है जिसमें से एक को छोड़कर सभी चार एजेन्सियाँ विश्व के पूँजीवादी देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुनिया में प्रचलित संचार व्यवस्था के यही मुख्य सूत्र और उनसे सम्बन्धित बातें हैं परन्तु तीसरी दुनिया के सुझावों में इनके अतिरिक्त भी अन्य कई

सुझावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति का आदर करना, प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार सूचना देना। उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी देना।

) सामाजिक समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करना तथा सूचना शक्ति सम्पन्न और संचार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार का आदर करना।

.2 समिति की गतिविधि

यूनेस्को के 21वें महासम्मेलन में न्यूको का वाद-विवाद सिद्धान्त से सक्रियता में बदल । सम्मेलन में नई समिति की स्थापना को स्वीकार किया गया और यूनेस्को के कार्यक्षेत्र में र विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के द्वारा (आईपीडीसी) विकसित और विकाशील के अन्तर को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों और उनकी सहायता से कम किया गया। आईपीडीसी उद्देश्य जो कई देशों के समिति के पैंतीस सदस्यों द्वारा कार्यान्वित है और जो संसार के स में किए गये सभी पहल की समीक्षा करता है, को चार विस्तृत वर्गों में रखा गया-

विकासशील देशों के संचार माध्यमों की आवश्यकता को विश्लेषित करने में सहायता करना और उनकी सामर्थ्य और विकास के लिए योजना बनाना जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सहायता और आपसी आदान - प्रदान सम्भव हो सके।

जो राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संचार विभाग से जुड़े हुए हैं उनके क्रियाकलापों को संगठित और स्तरीय बनाना। यू एन प्रणाली के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर साथ ही इन राष्ट्रों के बीच कड़ी स्थापित करना जिन्हें मदद की आवश्यकता है और जो उनकी माँग करते हैं।

संचार विकास क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सूचना को एकत्र करने तथा प्रसारण में केन्द्रीय भूमिका निभाना और संचार विकास की प्रक्रिया में जागृति लाना।

संचार के विकास के लिए अनुदान को तलाशना, अनुदानकर्ताओं को संगठित करना तथा संचार विकास के लिए धन का बँटवारा करना। 1981 में हुए यूनेस्को के 21वें सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित मैकब्राइड की रिपोर्ट न्यूको के स्वाभाव और उसमें सम्मिलित विषयों को बताता है-

- असंतुलित और समानता का निष्कासन जो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है।

कुछ लोगों के एकाधिकार जनता में या एकान्त रूप से तथा अत्यधिक ध्यान से हुए नकारात्मक प्रस्ताव का निष्कासन।

सूचना और विचार के बेहतर और विस्तृत रूप में संतुलित तथा स्वतन्त्र प्रवाह की बाहरी और अन्दरूनी रुकावट का खात्मा।

सूचना के माध्यमों एवं स्रोतों की संख्या में अधिकता।

सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता।

6- संचार माध्यम में सभी पत्रकारों एवं पेशकारों की जिम्मेदारी एवम् स्वतंत्रता।

7- विकासशील देशों की सामर्थ्य अपनी स्थिति को सुधारने के लिए होना चाहिए। खुद के तैयार किये साधनों पर से प्रसिद्धि पाना, स्वयं को प्रशिक्षित करना, अपने क्रिया कलापों को बढ़ाना तथा खुद की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के योग्य सूचना एवं संचार माध्यमों का निर्माण करना।

8- प्रत्येक व्यक्ति की समानता, न्यायपूर्ण और आपसी लाभ पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं के विनिमय के अधिकारों का आदर करना।

4.4.3 न्यूको के पाँच कारक -

सूचना और संचार की समस्याओं का समाधान ढूँढना होगा तथा आवश्यकताओं का विकल्प खोजना होगा क्योंकि एक देश से दूसरे देश में सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्या भिन्न होती है।

न्यूको (एन0 डब्ल्यू0 आई0सी0ओ0) का स्थायित्व पाँच प्रमुख कारणों पर निर्भर है-

(1) विकसित और विकासशील देशों में संचार के सभी क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्र में लाये गये परिवर्तन की इच्छा।

(2) विकसित और विकासशील देशों के बीच दो तरफा समाचार और सूचना के संतुलित प्रवाह की सभी रुकावटों को दूर करना।

(3) संचार के स्रोतों और तकनीकों का बराबर बँटवारा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संचार प्रवाह पर एकाधिकार न हो।

(4) विकासशील देशों के बीच ऐसा सहयोग हो जिससे संतुलन को अपने क्षेत्र में सही करके सीधे प्रवाह को बढ़ाया जाय।

(5) विकसित देशों के माध्यमों और अविकसित देशों के माध्यमों के बीच सहयोग करके स्रोतों व संगठनों को ताकतवर बनाना।

4.4.4 भारत तथा न्यूको

न्यूको विश्व के देशों में परस्पर सामंजस्य बढ़ाने, व्यापक समाज की बेहतरी और मानवता के हित में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके उद्देश्य पवित्र हैं तथा निर्धन देशों के हित में हैं। अभी इसके कार्यावन्यन में दुनिया को इतनी सफलता नहीं मिली है जितनी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार एवं सूचना के प्रवाह का असंतुलन अभी भी बरकरार है और इस पर अभी तक कुछ देशों का एकाधिकार बना हुआ है।

जहाँ तक हमारे देश का सवाल है हमने इस दिशा में गम्भीरता के साथ प्रयास किया है इसलिए मित्र राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। न्यूको के विकास तथा उसके उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति में भारत की भूमिका अग्रगण्य है। भारत ने लगातार न्यूको के सिद्धान्तों के पुनर्निर्माण प्रचार-प्रसार और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। सन् 1978 में यूनेस्को के 20वें सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि-मण्डल ने श्रीलंका के प्रतिनिधि-

ल के साथ मिलकर पूरब एवं पश्चिम के देशों के मध्य तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण का का निर्वाह किया।

भारत का न्यूको में सम्मिलित होना और न्यूको के अनुरूप कई स्तरों पर काम करना महत्वपूर्ण कार्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि न्यूको का घोषित य है-सूचना के एक तरफा प्रवाह को रोक कर विशेष रूप से विकासशील देशों के बीच चार के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना। इसके लिए भारत ने सदैव से ही पहल की है। मैक ड आयोग के सुझावों को यथाशक्ति लागू करने के लिए योजनायें बनाई हैं और उनके न्वयन करने की दिशा में पहल की है। सन् 1975 में पूल की स्थापना होने पर गुटनिरपेक्ष के बीच समाचार प्रवाह को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत ने बहुत सारी सुविधायें दी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि हमारे देश में सन् 1976 से अब तक भारत की पहली चार एजेन्सी पी0टी0आई0 समाचार पूल की कम से कम दस शाखायें खोली गयी हैं इसके रिक्त विकासशील देशों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह नामीबिया के ण में सार्क देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए Save क्रम के रूप में भारत का योगदान प्रशंसनीय है।

5 संचार का लोकतांत्रिक स्वरूप-

अभिव्यक्ति प्रेस व सूचना एकत्र करने की स्वतंत्रता मानवाधिकारो में से एक है। संचार की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर तक ले जाने को संचार का लोकतंत्रीकरण कहा जा सकता है। मीडिया से जुड़े सभी लोगों को मास-मीडिया पर यूनेस्को घोषणा हेलसिंकी अधिनियम एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का सम्मान करना चाहिए। इसके कार्यान्वयन की सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि वह समानता तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का समर्थन करे तथा विदेशी प्रभाव से बचे। मीडिया उपनिवेशवाद धार्मिक एवं नस्लवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करे। लोकतांत्रिक समाज में संचार की आवश्यकताओं में सूचना प्राप्त करने तथा सूचना को दूसरो तक पहुँचाने और सार्वजनिक संचार में भागीदारी का अधिकार सम्मिलित होना चाहिए।

) संचार में लोगों के व्यवहार को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता होती है। समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारण में समाज की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए यह बहुत हद तक मीडिया के प्रबंध तंत्र के ढांचे पर निर्भर करता है। सभी देशों को सूचना के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, सूचना पर सेंसर शिप जैसी व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए। जहाँ नियंत्रण आवश्यक हो वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के घोषणा का पालन किया जाना चाहिए। सरकारी व निजी विज्ञापनों से स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।

) महिलाओं की संचार सम्बंधी आवश्यकताओं पर बल दिया जाए तथा इस प्रकार इस बात पर ध्यान दिया जाए कि मीडिया या विज्ञापन समाज की गलत तस्वीर पेश न

करे। मीडिया समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए विविधता एवं चयन की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को सूचना के विभिन्न स्रोतों तथा अलग-अलग जानकारी को प्राप्त कर अपना निर्णय लेने एवं इस पर अन्य लोगों से चर्चा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक को, बच्चों तथा युवाओं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के नागरिकों, वृद्धों एवं विकलांगो को भी मीडिया उचित प्रतिनिधित्व दे।

(4) यद्यपि मीडिया आधुनिकतम तकनीक की सहायता से जानकारी और मनोरंजन प्रस्तुत करता है, लेकिन कई बार यह नागरिकों को अपने समुदाय में संचार के लिए बढ़ावा देने में असफल हो जाता है। इसके लिए मीडिया को इस प्रकार की जानकारी प्रसारित करनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपने समाज से अधिकाधिक जुड़ सके। मीडिया के विभिन्न स्रोतों को जनता के साथ दोतरफा संचार को भी बढ़ावा देना चाहिए।

(5) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग -**

(i) आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से दुनिया में संचार के क्षेत्र में व्यापक असमानता देखी जा सकती है। नई विश्व संचार व्यवस्था के तहत इसे दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समझ पर बल दिया गया है। विश्व समुदाय को दूसरों पर निर्भरता को दूर करने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए क्योंकि असमानता खड़ी हो जाने पर समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

(ii) विकासशील देशों के समक्ष मुख्य चुनौती संचार तंत्र आत्मनिर्भर बनाने की है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किया जाए। उन्हें द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय तौर पर भी प्रभावी बनाया जाए। सामूहिक आत्मनिर्भरता नई विश्व संचार व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके लिए विकासशील देशों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों में संचार का पक्ष भी जोड़ा जाना जरूरी है। विभिन्न देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाकर क्षेत्रीय स्तर पर डाटा मामलों पर सहयोग के लिए भी सूचना के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। विकासशील देशों के समाचारों को भी विशेष स्थान प्राप्त हो।

(iii) संचार के क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करना सभी देशों का उत्तरदायित्व है। विभिन्न संगठनों के सदस्य देशों को इस मामले पर व्यापक बहस के बाद कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। यूनेस्को के सदस्य देशों को संगठन के कार्यक्रमों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। संचार के क्षेत्र में संगठित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा व सहयोग हर राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इस मामले में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय नीति को अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए। इस क्षेत्र में मीडिया की विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की रिपोर्टिंग बेहद जिम्मेदारी के साथ हो तथा पूर्वाग्रहों एवं पक्षपात से बचना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था-

जिस देश के पास सूचना का तकनीकी ज्ञान तथा टेलीविजन, रेडियो समाचार पत्र और र समितियाँ जैसे सूचना के स्रोत उपलब्ध होते हैं उस देश को एक धनी और ताकतवर कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका को लिया जा सकता है। समाज के प्रति अपनी हैसियत, जनता के साथ उसके सम्बन्ध और जनता के बीच उसकी पहुँच, स्वतंत्रता की अपनी सीमायें, उसके समुचित सम्बन्ध और सरकारी तन्त्र के साथ उसके सम्बन्ध आदि सन्दर्भों में अमेरिकी मीडिया अपनी दखलन्दाजी रखती है।

वस्तुतः विश्वस्तर पर जिन देशों के पास सूचना तन्त्र जितना ही शक्तिशाली है वह तना ही आर्थिक तथा सामाजिक रूप से शक्तिशाली और खुशहाल है और अपनी समृद्धि रण वह उतना ही अधिक नयी तकनीक का विकास और वैज्ञानिक खोजों में वृद्धि कर रहा हुत से महत्वपूर्ण चलचित्र, रेकार्ड, पत्रिकायें, समाचार पत्र और रेडियो, टेलीविजन के ग जैसे इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रथम विश्व (विकसित देश) में विकसित हुए। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान जैसे अनेकों विकसित राष्ट्रों ने सूचना और मीडिया के माध्यम से ही तकनीकी विकास किया है और यह मीडिया नियंत्रण पद्धति से सम्भव हुआ।

7 सारांश

उदारीकरण और भूमंडलीकरण के इस प्रचलित दौर में त्वरित जानकारी के लिए सूचना र्ग पर अपने को गतिशील करने की अनिवार्यता और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक प्रगति खर पर पहुँचने की अनिवार्यता निर्विवाद है। समाज के जागरुक तबके और नेतृत्व वर्ग में सूचना तंत्र पर कब्जा लेने की होड़ सी लग गई है। सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुई पूर्व क्रान्ति हमारे लिए चुनौती तो है ही हतप्रभ भी करती है। यह क्रान्ति चाहे उपग्रहीत्य हो ा माइक्रोवेवी अथवा कम्प्यूटरीय; एक नई दुनिया का सृजन करती है। यह नई दुनिया ार सिमटती जा रही है। मार्शल मैकलूहन इसे 'ग्लोबल विलेज' कहते हैं तो तकनीकी ज्ञ इसे 'कम्प्यूटर नेटवर्क की दुनिया' कहते हैं। बावजूद इसके साइबर स्पेस की दुनिया क होती जा रही है। आज सूचना एक शक्ति है। सूचना की दृष्टि से जो जितना अधिक न है उसकी ही तूती बोलती है।

8 शब्दावली-

ा : संसाधित डाटा, विज्ञप्ति

ट्रानिक मीडिया : रेडियो, टवी, फिल्म, कम्प्यूटर, न्यूको : NWICO

9 संदर्भ ग्रन्थ-

सचना प्रौद्योगिकी और जन माध्यम- प्रो0 हरिमोहन

(2) संचार क्रान्ति और विश्व जनमाध्यम - डा0 प्रेमचन्द पांतजलि

(3) ई जर्नलिज़्म - डा0 अर्जुन तिवारी

(4) कम्प्यूटर और सूचना तकनीक - शंकर सिंह

(5) सूचना प्रौद्योगिकी एवं पत्रकारिता - अशोक मलिक

4.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न -

(1) सूचना असंतुलन क्या है संक्षेप में वर्णन करें।

(2) सूचना आयोग की गतिविधि का उल्लेख करें।

4.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

(1) मैक ब्राइड कमीशन का विस्तार से वर्णन कीजिए।

(2) नई सूचना व्यवस्था व सूचना के अधिकार के बारे में बतायें।

4.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- मैक्ब्राइड आयोग का गठन हुआ -

(क) 1976 (ख) 1977 (ग) 1978 (घ) 1980

2- यू0 एल- एल0 है-

(क़) यूनिवर्सल लातिन लैंग्वेज

(ख) यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज

(ग) युनाइटेड लर्निंग नेटवर्क

(घ) इनमें से कोई नहीं ।

3- यूनेस्को है -

(क) यू0 एन0 की इकाई

(ख) यू0 एस0 सेटेलाइट

(ग) गुट निरपेक्ष न्यूज पूल

(घ) समाचार समिति

4- सूचना असंतुलन का नुकसान है -

(क) विकसित देशों को

(ख) विकासशील देशों को

(ग) पूर्व कम्यूनिस्ट राष्ट्रों को

(घ) इनमें से कोई नहीं

.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

ग

ख

क

ख

इकाई पंचम - सार्क देशों में जनसंचार व्यवस्था-

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 सार्क देशों का परिचय

5.2.1 सार्क के उद्देश्य

5.2.2 सार्क के सिद्धान्त

5.2.3 सार्क द्वारा घोषित वर्ष

5.3 सार्क देशों में जन संचार की व्यवस्था

5.3.1 आधुनिक जनसंचार और विकास

5.3.2 जनसंचार के विविध माध्यम

5.3.3 सार्क देश व विकसित देशों में जनसंचार माध्यमों में अन्तर

5.5 जनसंचार और सार्क देशों का सामाजिक विकास

5.6 सार्क देशों के विकास में आधुनिक जनसंचार का योगदान

5.7 सारांश

5.8 शब्दावली

5.9 संदर्भ-ग्रन्थ

5.10 प्रश्नावली

5.10.1 निबन्धात्मक प्रश्न

5.10.2 लघुउत्तरीय प्रश्न

5.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

5.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य-

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्नांकित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

(1) सार्क क्या है ?

(2) सार्क देशों में जनसंचार की व्यवस्था कैसी हैं ?

(3) सार्क देशों के विकास में जनसंचार की भूमिका क्या है।

(4) सार्क देशों में आधुनिक जनसंचार माध्यम क्या हैं।

(5) पत्रकारिता में इसका क्या महत्व है।

.1 प्रस्तावना-

जनसंचार एक सामाजिक घटना है। जनसंचार और समाज का संबंध एकपक्षीय नहीं है , र्थात् इन दोनों का पारस्परिक प्रभाव है। जनसंचार के अन्तर्गत मनोवृत्तियाँ, संवाद, विश्वास, शामिल हैं। अमेरिका में जनसंचार विषय के आरम्भिक अध्ययन कुछ सीमित स्वार्थों की ष्टि से किये गये थे। इस अध्ययन में मीडिया को एक उत्पाद के रूप में स्थापित किया गया । 1960 के बाद जनसंचार की धारा पाश्चात्यवादी संकीर्ण हितों से व्यापक सामाजिक विकास समाजशास्त्रीय चिंतन की ओर आकर्षित हुई। इसी दशक में इलेक्ट्रानिक्स तथा टेलीकम्यूनिकेशन क्षेत्र में नये आविष्कारों के कारण रेडियो और टेलीविजन ने घर-घर पहुँच कर आम जनजीवन नयी सामाजिक क्रांति कर दी। सार्क देशों ने विकास में जनसंचार माध्यमों के नये प्रारूपों की ावश्यकता को स्वर प्रदान किया। 1961 में प्रकाशित यूनेस्को की रिपोर्ट 'मास मीडिया इन वलपिंग कंट्रीज' में कहा गया कि किसी देश के राष्ट्रीय विकास के संकेतको में प्रति व्यक्ति ाय, साक्षरता, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के साथ-साथ जनसंचार माध्यमों के संसाधन भी ामिल हैं। सार्क देशों की सामाजिक जनसंचार नीतियाँ सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नाई गई हैं तथा इनकी व्यावहारिक दृष्टि के आयाम औद्योगिक विकसित देशों से अलग हैं।

६.2 सार्क देशों का परिचय

दक्षिण एशिया के आठ देशों में आपसी सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय हयोग संगठन का गठन किया है। इस संगठन में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ूटान, श्रीलंका, मालद्वीप, अफगानिस्तान, सम्मिलित हैं। सार्क देशों के संगठन का मुख्यालय ाठमाण्डू में है। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण तथा उनके ीवन स्तर के सुधार, सामूहिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, आपसी विश्वास, सूझ-बूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना है।

सार्क देशों में सम्मिलित सभी देश विकासशील हैं जो तीसरी दुनिया में भी सम्मिलित हैं। तीसरी दुनिया की अवधारणा पिछले पांच दशकों से विश्व भर के सामाजिक विचारकों की चिंताओं के केन्द्र में रही है। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद आर्थिक तथा समाजिक विकास के मानदंडों के आधार पर दुनिया भर के देशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है-

(1) पहली दुनिया - औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र अर्थात् उत्तरी अमेरीका, पश्चिमी यूरोप के देश, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका तथा इजराइल।

(2) दूसरी दुनिया - पूर्वी यूरोप तथा पूर्व सोवियत संघ के देश।

(3) तीसरी दुनिया - एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देश।

एशिया के दक्षिणी राष्ट्रों में सार्क देश भी सम्मिलित हैं। सार्क देशों के आम जनों की बुनियादी आवश्कताओं में भोजन, पीने का पानी, आवास, रोजगार स्वच्छता के प्रबन्ध, स्वास्थ्य सुविधाएँ शिक्षा तथा आत्म सम्मान से जीने के अधिकार प्राप्त करना हैं।

भौगोलिक रूप से सार्क देश भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका तथा मालदीव को छोड़कर अन्य सार्क देशों की स्थलीय सीमाएं भारत के स्पर्श करती हैं। पाकिस्तान भारत के उत्तर-पश्चिम, बांग्लादेश पूर्व, नेपाल उत्तर, भूटान उत्तर-पूर्व में स्थित हैं। सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी उपयोगिता उदारीकरण के बाद और महत्वपूर्ण हो गयी है तथा 'साफ्टा' या द0 एशिया मुक्त व्यापार समझौता जैसे-जैसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है सार्क की प्रासंगिकता और भी बढ़ती जा रही है। सार्क देशों का परिचय हम निम्नांकित रूप से संक्षेप में स्पष्ट कर सकते हैं-

देश	राजधानी
भारत	नई दिल्ली
पाकिस्तान	इस्लामाबाद
बांग्लादेश	ढाका
भूटान	थिम्पू
नेपाल	काठमांडू
श्रीलंका	कोलंबो
मालदीव	माले

सार्क देशों में से भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। भारत से अन्य पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्धों का असर सार्क की गतिविधियों पर भी पड़ता है। सार्क देशों में से नेपाल और भूटान भूआवेष्ठित देश हैं। इन देशों का व्यापार मार्ग भारत से होकर जाता है। सार्क देश विकासशील देश हैं। भूटान दुनिया के निर्धनतम राष्ट्रों में से एक है। प्राथमिक व्यवसायों की अधिकता, कम सकल राष्ट्रीय आप तथा प्रति व्यक्ति आप इन देशों की विशेषता है। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र प्राया हिन्दू संस्कृति व स्थानीय जनजातीय संस्कृति के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली सार्क क्षेत्र ही है।

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) का जनवरी, 2005 में प्रस्तावित 13वाँ शिखर सम्मेलन सुमानी लहरों के कारण स्थगित करके उसे फिर नवम्बर, 2005 को शूरु किया गया। सार्क शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12-13 नम्बर, 2005 को सम्पन्न हुआ, इस दो दिवसीय बैठक में एशियाई देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया सार्क संगठन में सात सदस्य राष्ट्र थे-जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका तथा नेपाल सम्मिलित थे, परन्तु इसी बैठक के दौरान दक्षिण एशियाई का पुनर्गठित देश अफगानिस्तान ने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप सात देशों का यह संगठन आठ सदस्यीय संगठन के रूप में संरचित हुआ, सार्क की बढ़ती लोकप्रियता के फलस्वरूप आने वाले समय में कई दक्षिण एशियाई व अन्य एशियाई राष्ट्र इस संगठन की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

सार्क (दक्षेस) इन सदस्य राष्ट्रों की उस दृढ़ भावना का प्रतीक है कि वे मैत्री, विश्वास और आपसी समझ के साथ अपनी साझी समस्याओं के हल के लिए एक जुट होकर काम करना

हते हैं, इस संगठन के माध्यम से एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जो पारस्परिक म्मान, समानता और साझे लाभ पर आधारित है। सार्क का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मूहिक प्रयास से दक्षिण एशिया क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना ।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की पहल पर दक्षिण एशिया के सात देशों - ग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, भूटान नेपाल, श्रीलंका तथा मालदीव के सचिव कोलंबो (श्रीलंका) 1981 में एकत्रित हुए और वहीं 'सार्क' के जन्म का बीज पड़ा, दूसरी बैठक इसी वर्ष ठमाण्डू में हुई, तीसरी बैठक इस्लामाबाद में 1982 में हुई, चौथी बैठक 1983 में ढाका हुई, इन बैठकों के फलस्वरूप सहयोग के क्षेत्रों का रुप निर्धारित किया गया। अगस्त 1983 नई दिल्ली में विदेश मन्त्रियों की बैठक में दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के घोषणा-पत्र पर हमति हो गई सार्क का उदय आधिकारिक स्तर पर तब हुआ जब बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष ने का में 7-8 दिसम्बर, 1985 को सात देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक की इसी बैठक में र्क (South Asian Association For Regional Co-operation-SAARC) का गठन पचारिक रूप से इसके घोषणा-पत्र को स्वीकार करते हुए किया गया। इस संगठन का अपना लग से घोषणा-पत्र उद्देश्य तथा अनुच्छेद है।

सार्क के प्राथमिक सदस्य

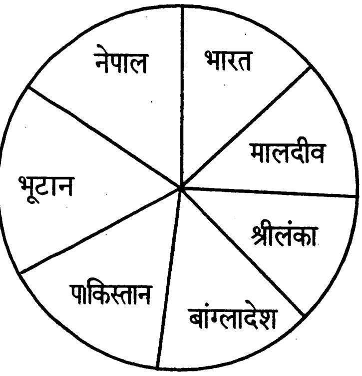

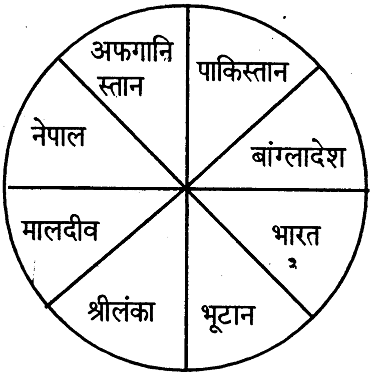

2.1 सार्क देश के उद्देश्य -

सार्क के (अनुच्छेद प्रथम में) उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के निवासियों में सद्भाव, आपसी विश्वास व एक दूसरे की सहायता का भाव विकसित करना।

दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना।

आर्थिक, सामाजिक वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना,

इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक प्रगति की दर तीव्र करना व सांस्कृतिक विरासत कायम रखना।

6- अन्य विकासशील देशों से सद्‌भावपूर्ण मैत्री सम्बन्ध विकसित करना।

7- अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर और संगठनों में एक-दूसरे का सहयोग करना।

8- अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जो इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं, का सहयोग करना है।

5.2.3 सार्क द्वारा प्रमुख घोषित वर्ष

1990	बालिका वर्ष
1991	आवास वर्ष
1992	पर्यावरण वर्ष
1993	विकलांग वर्ष
1994	युवा वर्ष
1995	गरीबी उन्मूलन वर्ष
1996	साक्षरता वर्ष
1991-2000	बालिका दशक
2000	निरक्षरता उन्मूलन
2004	दक्षेस जागरूकता वर्ष
2005	दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष

सिद्धान्त -

1- सार्क के संगठात्मक ढाँचे में सदस्य राष्ट्रों में सहयोग बनाए रखना, जो हर राष्ट्र के समान सम्प्रभुत्व, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता पारस्परिक लाभ और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित होगा।

2- यह संगठन द्विराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, प्रतिस्थापित नहीं।

3- यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक कर्त्तव्यों को पूर्ण करने में अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाएगा।

5.4 सार्क देशों में जनसंचार की व्यवस्था-

सार्क देशों की तीन बड़ी समस्या निर्धनता, बेरोजगारी तथा लगातार जीवन स्तर में गिरावट के हल वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन देशों की सकल आय पांच डालर से भी कम है जबकि विकसित राष्ट्रों-अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 30600 डालर है। जापान में 32230, जर्मनी में 25350 डालर, फ्रांस में 23450 डालर, ब्रिटेन में

0 डालर जबकि भारत में मात्र 450 डालर । चिंताजनक बात यह है कि यह अंतर बढ़ता जा रहा है। इस चिंतन के सम्बन्ध में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे का था, 'आमजन विकसित नहीं किये जा सकते। अपने विकास के लिए स्वयं ही प्रयास होगा। इस समस्त परिस्थितियों में भारतीय सामाजिक विचारक महात्मा गाँधी की सामाजिक र्क दर्शन के सिद्धान्तों पर तीसरी दुनिया जिसमें सार्क देश भी शामिल हैं, में विकास के फिर से विचार-विमर्श हुआ। महात्मा गांधी का सामाजिक आर्थिक दर्शन सार्क देशों के क जनप्रसारकों को दिशा प्रदान कर सकता है।

सार्क देश, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, विकास की दौड़ में अभी भी पीछे हैं। जनमाध्यम उपयोग में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं। जनमाध्यमों की दृष्टि से इन ं भारत की स्थिति सर्वाधिक सक्षम है। पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में जनमाध्यमों कास में भी भारत ने पर्याप्त सहयोग दिया है। यह सहयोग आर्थिक, तकनीकी तथा वैचारिक स्तरों पर है। जनमाध्यमों वैषिध्य की दृष्टि से देखें तो सभी सार्क देशों में प्रिन्ट मीडिया, रेडियो, तथा न्यू मीडिया की उपलब्धता है। भूटान तथा नेपाल में भौगोलिक विषमताओं ते काफी भू-भाग टीवी, रेडियो प्रसारण की प्रविधा से वंचित हैं। हम संक्षेप में सार्क देशों माध्यमों की स्थिति को निम्नांकित तालिका की मदद से आसानी से समक्ष सकते हैं-

	दैनिक पत्र प्रसार 1996	रेडियो रिसीवर 1997	टेलीविजन रिसीवर 1999	टेलीफोन लेन लाइन 2001	मोबाइल धारक 2001	इंटरनेट उपभोक्ता 2001
	-	116000000	75000000	34732100	-	-
ान	2800,000	13500,000	16000000	3400000	800000	500000
।	5300000	3850000	1900000	828000	720000	150000
ेश	1117000	8000000	940000	514000	52000	150000
	250000	840000	150000	298103	17300	60000
	--	37000	13000	14000	--	2,500
व	5000	34000	10650	27200	18400	10000

- भारत 2004ब्रिटानिका अलमनाक 2004

.1 आधुनिक जनसंचार और विकास-

'संचार' तथा 'माध्यम' जन से जुड़कर 'जनसंचार' और 'जनमाध्यम' शब्द बने हैं। कम्यूनिकेशन और मास मीडिया के रूप में प्रचलित जनसंचार और जनमाध्यम हैं। ब्लूमर न' के समतुल्य शब्दावलियाँ जैसे समूह, भीड़ तथा जन-समुदाय के विवध रूपों का प्रयोग । 'समूह' के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं जबकि 'भीड़' का स्वरूप समूह से बड़ा है। जन शब्द से संस्कृति विवेक के अभाव का बोध होता है। यहां हम मनुष्य के संदर्भ में

विचार कर रहे हैं अतः जन का अर्थ बड़ी संख्या में लोग। जंन न तो जनता, न समूह और न भीड़ है वह 'लोक' है। जन के अर्थ लोक, प्रजा, समुदाय। जन का विशेषण के रूप में अर्थ है-

'Afficting or involving a large number of people अर्थात् बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना सम्मिलित करना या भागीदार बनाना है। जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाता है। डी0 एस0 मेहता के अनुसार विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाती है।जन माध्यम की परिभाषा पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इन माध्यमों में सेदशों को आदान-प्रदान के लिए तकनीक अथवा उपकरण का उपयोग होता है। तकनीक अथवा उपकरण इन माध्यमों द्वारा एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों के बीच संदेश का आदान-प्रदान करते हैं।

5.4.2 जनसंचार के मुख्य लक्षण कार्य-

जनसंचार के मुख्य लक्षण निम्न हैं-

(क) (1) सामान्यतः इन्हें जटिल औपचारिक संगठनों की आवश्यकता होती है।

(2) ये वृहत श्रोता/पाठक समूह की ओर लक्षित होते हैं।

(3) ये सार्वजनिक हैं, इनकी विषय वस्तु सभी के लिए हैं तथा विवरण अपेक्षाकृत अनौपचारिक तथा असंगठित है।

(4) इसमें लक्षित श्रोता/पाठक विषम वर्गीय होती हैं। संरचना के दृष्टिकोण से वह अलग-अलग विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश व परिस्थितियों में रहने वाले हो सकते हैं।

(ख) जन संचार माध्यमों के कार्य-

आधुनिक जनसंचार माध्यमों के कार्यों तथा पारंपरिक माध्यमों के मूल कार्यो में काफी एकरूपता मिलती है। सामाजिक संचारशास्त्रियों ने इन माध्यमों की प्रकृति के अनुरूप ही इनके कार्यों का सैद्धान्तिक विवेचन किया है। अमरीकी संचार समाजशास्त्री डब्ल्यू0 श्रेम तथा सी0 जी0 क्रिश्चयन ने जनसंचार माध्यमों के तीन मुख्य कार्य बताये हैं-

1- सामाजिक परिस्थियों पर निगरानी रखना

2- सूचनाओं की व्याख्या तथा उनका सामाजिक आचार-व्यवहार में निर्धारण

3- विरासत का हस्तांतरण। विकसित देशों के पाश्चात्य जनसंचार सिद्धान्त में इन माध्यमों को सामाजिक विकास संबंधी कार्यों में बहुत कम महत्व प्राप्त हुआ है लेकिन अन्य देशों एवं तीसरी दुनिया के विकास शील देशों के लिये समग्र जनविकास में इन माध्यमों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक जनसंचार की अवधारणा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे समाज विज्ञान विधियों पर आधारित

है। इस तथ्य की झलक इन माध्यमों से कार्यों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कौन से विषय हैं जो इन माध्यमों द्वारा उपभोक्ता की प्रवृत्तियों और व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से आधुनिक जनसंचार माध्यमों के कार्य इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं-

जनसंचार माध्यम शिक्षा, ज्ञान तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा उनका प्रचार-प्रसार करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों की निगरानी का संबंध सामाजिक गतिविधियों तथा घटनाओं से संबंधित सूचनाओं व समाचारों के एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा उनके प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने से है। यह ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं।

मतैक्य अथवा सर्वसम्मति के निर्धारण में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जंनसंचार माध्यमों का सामाजिक दायित्व है कि समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल के लिये मतैक्य का निर्माण करें।

जनसंचार माध्यम समाज की संस्कृति और विरासत को जीवित रखते हुए, अगली पीढ़ी को उनके हस्तांतरण में सहायता करते हैं।

मनोरंजन भी जनंसचार माध्यमों का महत्वपूर्ण कार्य है।

जनसंचार माध्यम समाज तथा राष्ट्र विशेष की सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।

आधुनिक व्यावसायिक समाजों के विज्ञापन भी इन माध्यमों का प्रमुख कार्य बन गया है।

सामाजिक विकास में योगदान इन माध्यमों के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। सार्क देशों में जनमाध्यमों का सर्वाधिक उपयोगी कार्य विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देना है। इन देशों में जनमाध्यमों का मुख्य दायित्व है कि वे निर्धन, वंचितों की सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पहचान कर उनके हल करे दिशा में जनमत बनायें ताकि सार्क देश विकास के लक्ष्य को पा सकें।

इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी हैं जैसे समय व्यतीत करने तथा आमोद-प्रमोद के लिए इनका उपयोग करें। खाना बनाते समय, लम्बी यात्रा के दौरान रेडियो सुनना, रेल यात्रा में समाचार पत्र पढ़ना, इनके उपयोगों में शामिल है। कई बार स्टेटस सिम्बल व फैशन के रूप में भी इनका उपयोग होता है।

.2 जनसंचार के विविध माध्यम-

जनसंचार 'जन' तथा 'संचार' से मिलकर बना है जनसे आशय जहाँ दूर-दूर तक
ाय जहाँ दूर-दूर तक विस्तारित और अक्सर आपस में एक-दूसरे में अपरिचित व्यक्तियों से है

तथा संचार उन व्यक्तियों से जनमाध्यमों द्वारा किए जाने वाले संप्रेषण का बोध कराता है। संदेशों को लोगों की बड़ी संख्या तक पहुँचा ओर उसे प्रभावित कर पाना ही जनसंचार का मूलभूत तत्व है। अनेक वर्गों, जातियों, विचार धाराओं, के लोगों तक अपनी बात पहुँचा कर उन्हें प्रभावित कर पाना जनसंचार का अनिवार्य पहलू है। पारिभाषिक स्तर पर 'एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण संचार है और बड़ी संख्या तक उसका प्रसार कर देना जनसंचार है।' जो संचार समूहों या ज्यादा चार लोगों के लिए हो उसे ही जनसंचार का नाम दिया जाता है। संदेश को एक ही समय पर एक साथ अनेक स्थानों पर तथा विजातीय अथवा विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुँच पाना जनसंचार की विशेषता है। विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषाएं इस प्रकार प्रस्तुत की हैं- फ्रेकंलिन की मान्यता के अनुसार, 'जनसंचार संचार के उस माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हुए विशाल जन समुदाय के सदस्यों के पास एक साथ संदेश पहुँचाने में समर्थ है।

राइट0 सी0 आर0 का कथन है कि "जनसंचार विस्तृत, विजातीय और अज्ञात संचार से अप्रत्यक्ष जुड़ा है।" सारभूत रूप में, जनसंचार तकनीकी एवं संख्यात्मक आधार पर आधारित विशाल अथवा व्यापक उत्पादन के रूप में लोगों तक सूचना के संग्रह एवं प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। जनसंचार माध्यम सामान्यतः विशाल मिल-जुले सामाजिक गुणों वाले औपचारिक समूहों में संदेश का प्रसारण करते हैं। जनसंचार माध्यम दूर-दूर फैले, विविध संस्कृति वाले समूहों में एक ही स्त्रोत से संपर्क कर सकते हैं लेकिन संवाद प्रेषक का लक्षित समूह से कोई सीधा परिचय नहीं होता है समूह के सदस्य जनसंचार साधनों के माध्यम से समान हितों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्तः क्रिया में समाहित हो सकते हैं । यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभिवृत्ति और मूल्यों में परिवर्तन की प्रक्रिया में आधुनिक जनसंचार साधन भी लक्षित समाज की संस्कृति, जीवन पद्धतियों व मूल्यों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकते।

आधुनिकतम इनफारमेशन टेक्नॉलाजी संक्षेप में कह सकते हैं कि अंतर वैयक्तिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आमने-सामने संदेश के आद्रान-प्रदान की प्रणाली है। संदेश एक से कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच सम्प्रेषित होता है। तुलनात्मक रूप से संदेशों में सामाजिक भावुकता की मात्रा अधिक होती है और इस प्रणाली में फीडबैक तुरंत तथा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।

जनसंचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषण के वो माध्यम शामिल हैं जो एक अथवा बहुत थोड़े स्त्रोत से बहुत बड़े लक्षित समूह तक संदेश पहुँचा सकते हैं जैसे-मुद्रित समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया-रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा इन्टरनेट आदि। जिस माध्यम में सूचनाओं के लिए विशिष्ट चिन्ह अथवा चित्रादि का प्रयोग किया जाता है उन्हें दृश्य माध्यम कहते हैं जैसे- सड़क, रेलमार्ग या हवाई मार्गों पर अंकित चिह्न आदि। आजकल केवल श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों के इलेक्ट्रानिक माध्यमों के रूप में एकीकृत करके पुनः दो श्रेणियों में विभाजित करने की पद्धति भी अपनायी जाती है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है-

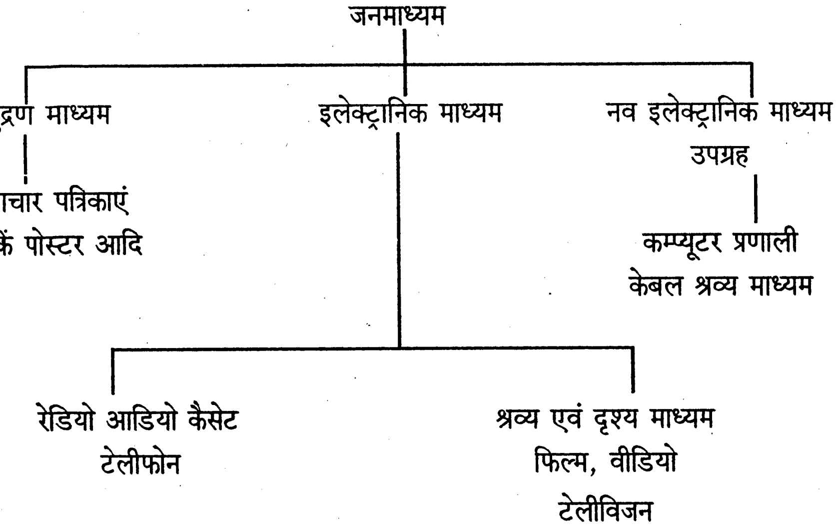

जनसंचार प्रक्रिया में मशीनी उपकरण हमेशा शामिल रहते हैं। इस प्रणाली में सामान्यतः क देरी से सीमित मात्रा में मिलता है। कम्प्यूटर क्रान्ति के पश्चात जनसंचार प्रक्रिया में क की प्राप्ति तुरंत व सहज हो गयी है। आज सेटेलाइट से सम्बद्ध रेडियो, टेलीविजन के ाथ इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों ने बहुत हद तक दुनिया को भूमण्डलीय गाँव में बदल है। इस जनसंचार प्रक्रिया ने समाज में पारंपरिक पूर्वधारणाओं और व्यवहारों को गहरे तक त किया है। उन्नत तकनीकों की दृष्टि से आधुनिक जनसंचार माध्यमों की गति अबाध हैं सामाजिक विचारकों के मत में उन्नत प्रौद्योगिकीय तकनीक के कारण अबाध गति के यह माध्यम समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित रह सकते हैं। प्रौद्योगिकीय व्यापारिक कारणों संचार माध्यम विशेषकर आधुनिक जनसंचार माध्यम आर्थिक रूप से काफी मंहगे बन जाते हँगे जनसंचार माध्यमों की पहुँच समाज के उस छोटे वर्ग तक ही सीमित रह जाती है जो ाध्यमों का खर्च उठा सकते हैं। यही कारण है कि सार्क देशों एवं तीसरी दुनिया के ांश एशियाई - अफ्रीकी देशों में मंहगे भड़कीले जनसंचार माध्यम वास्तव में व्यापारिक यों के कारण उनकी पहुँच मात्र महानगरों या बड़े शहरों के सम्पन्न वर्ग तक ही है। सार्क (एवं दक्षिण पूर्व एशिया की भी) की विशेषता यह है कि वहां का सामाजिक ढांचा तथा ति का स्वरूप ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण समाज की विशेषताएं व समस्याएं ष्ट हैं। इन देशों में मंहगे भड़कीले जनसंचार माध्यमों का नजरिया मात्र अभिजात समूहों के नन तक रह जाता है। अपेक्षाकृत सस्ते व सुलभ जन प्रसारण माध्यम इन देशों की बहुसंख्यक की समस्याओं को पहचानने में उपयोगी हैं।

.4 सार्क देशों एवं विकसित देशों में जनसंचार-

मों में अंतर-

विकसित देशों के जनसंचार श्रोता समूहों तथा तीसरी दुनिया के समूहों में समाजशास्त्रीय र पर कई विभिन्नताएँ पायी जाती हैं।

1- विकसित देशों में श्रोता बड़े नगरीय सामाजिक समूहों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इन देशों में छोटे-छोटे समूह अक्सर ही बड़े समूह के अंदर ही जन माध्यमों द्वारा संवाद को सीधा प्रभावित करते हैं जबकि सार्क देशों में जनसंचार माध्यमों के श्रोता समूहों पर घर-परिवार, जाति रिश्ते, धर्म, समुदाय, संस्कृति, भाषा बोलियां या व्यवसायों का परम्परागत प्रभाव जनसंचार माध्यमों की परिवर्तनकारी शक्तियों से अधिक होता है।

2- सार्क देशों के समाजों में प्रचलित शक्तिशाली परम्पराओं की अवहेलना करने पर सामाजिक परिवर्तन के लिए, इन समाजों में जनसंचार माध्यमों के बाहरी तथा सतही प्रयोग असफल हो जाते हैं। इसी कारण सामाजिक संचारशस्त्रियों के मत में सारी दुनिया को एक गांव में बदलने का दावा करने वाले आधुनिक जनसंचार माध्यम सार्क देशों एवं तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक विकास की अपनी महान् प्रभावी तथा विश्वासोत्पादक शक्ति खोते जा रहे हैं। वस्तुतः इस असफलता के मूल में संदेश प्रेषक, जनसंचार माध्यमों तथा उनके द्वारा प्रयुक्त संचार विधाओं का गलत एवं अविवेकपूर्ण चुनाव है। इसी प्रकार प्रयुक्त जनसंचार माध्यमों का लक्षित श्रोता समूहों एर होने वाले माध्यम प्रभावों के ज्ञान न होने के कारण भी यह प्रक्रिया असफल हो जाती है। इस कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनसंचार माध्यमों तथा सम्प्रेषण विधाओं का प्रयोग लक्षित श्रोता समूहों के सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के बाद ही किया जाये। लक्षित श्रोता समूहों की सामाजिक परिस्थितियों रूचियों के साथ-साथ समूह में प्रचलित सामाजिक नियंत्रणों का ज्ञान भी आवश्यक है। विकसित देशों मे शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार होने के कारण वहां अत्याधुनिक संचार माध्यमों का ज्ञान अधिकांश जनता को हो जाता है जिससे वहां अत्याधुनिक जनसंचार माध्यम का प्रभाव अधिक व्यापक हो जाता है।

5.5 जंनसंचार और सार्क देशों का सामाजिक विकास-

किसी राष्ट्र को विकास के लिए जिन अनेक चीजों की एक साथ आवश्यकता होती है उनमें जनसंचार के माध्यमों का महत्व अत्यधिक है। समग्र राष्ट्रीय विकास और जनसंचार विकास एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक से जुड़े हैं। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। विकास का मतलब लोगों द्वारा परिवर्तन लाने का कार्य स्वयं करना है। इसके लिए अनुकूल और प्रभावी जनसंचार जरूरी है। यदि जनसंचार प्रवाह अनुकूल होगा तो लोग जान सकेंगे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने आपको कब और कैसे बदलना चाहिए ताकि वे अपने समाज को कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। विचारक सीयर्स ने कहा था- 'एक देश के विकास के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं-

(क) गरीबों के साथ क्या हो रहा है ?

(ख) बेरोजगारी के साथ क्या हो रहा है?

(ग) असमानता के साथ क्या हो रहा है?

यदि इन तीनों की उच्च मात्राओं में कमी आयी है तो निःसंदेह उस देश में उक्त अवधि में विकास हुआ है। यदि इनमें से एक या दो केन्द्रीय समस्याओं की हालत और दयनीय हुई है तो इस परिणाम को विकास नहीं कह सकते, चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगनी ही क्यों न हो जाये।

भारतीय समाजशास्त्री डा0 श्यामाचरण दुबे का स्पष्ट मत है कि वास्तविक विकास में इस प्रकार के निवेश से जुड़ा होता है जो उसे तथा समाज को अपनी आधारभूत कताओं को पूरा करने के बाद में क्रमशः उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की अग्रसर होता है। **हरवर्ट स्पेंलर** के मत में समाज सदा प्रगति की ओर बढ़ता है। **कार्ल** ने अंतिम सामाजिक व्यवस्था के पूर्ण विकास के विचार प्रस्तुत करते समय एक ऐसे की कल्पना की थी जिसमें सामाजिक व्यवस्था ने पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर ली है। उस में प्रत्येक उसकी सामर्थ्य से अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का चरित होगा।

समाजशास्त्री एच0 टी0 मजूमदार ने प्रगति के छः तत्व इस् प्रकार गिनाए हैं-

(1) मनुष्य के सम्मान में बृद्धि

(2) प्रत्येक के लिए आदर

(3) आध्यात्मिक खोज और सत्य के अन्वेषण के लिए अधिक स्वतंत्रता

(4) प्रकृति और मनुष्य की कृतियों के सौन्दर्यात्मक आनंद और सृजन हेतु स्वतंत्रता

(5) एक सामाजिक व्यवस्था जो उपरोक्त चारों मूल्यों को उन्नत करती है।

(6) एक सामाजिक व्यवस्था जो सभी के लिए न्याय और समता सहित सुख, स्वतंत्रता वनकी वृद्धि करती है।

इन सब क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसंचार के व्यापक नेटवर्क राष्ट्र संचार- का प्रभावी जाल बिछाया जाना जरूरी है। व्यापक स्तर पर इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन य लेने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने की दिशा में जनसंचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् पूरी दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तेजी से बदली है। एशिया अफ्रीका लातीनी अमरीकी देशों में कई देश आजाद होकर के रूप में उभरे हैं। सदियों की औपनिवेशक परतंत्रता तथा सामंतवादी सोच के कारण श आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन की रेखा के अंतिम बिन्दु पर थे। नये आजाद हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपने विकास के सपनों को साकार रूप देने के लिए विकसित औद्योगिक राष्ट्रों का अनुसरण किया। शुरूआती वर्षों में विकास का मंत्र अर्थ केन्द्रित मंत्र बचत द्वारा पूंजी जुटाने और इस पूंजी को बड़े उद्योगों में निवेश करने पर आधारित षि और ग्रामीण विकास की जगह नगरीय व बड़े उद्योगों के विकास की ओर अधिक या गया। राष्ट्रीय सकल उत्पाद में बृद्धि तथा जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी को विकास का माना गया।

20वीं सदी के छठवें दशक तक नये आजाद हुए देशों के बाजारों की अपेक्षाओं पर अमेरिका के पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने नये सिद्धान्तों के साथ विचार प्रस्तुत किये। अमेरिका के अर्थशास्त्री वाल्ट रॉस्टो ने राष्ट्रीय सकल उत्पाद को किसी देश के विकास में प्रगति मापदंड बताया। उनका मानना था कि तीसरी दुनिया के देशों के नागरिकों में उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग की इच्छाएं बढ़ेगी तो नागरिक अधिक आय अर्जित करने के लिए प्रेरित होंगे। इस सिद्धान्त के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग की इच्छा बढ़ाने के लिए इन देशों में जनसंचार माध्यमों को विभिन्न विधाओं द्वारा सतत अभियान चलाया जाना चाहिए। इस कारण उन देशों के संचार माध्यम का विस्तार हुआ।

बीसवीं सदी के पांचवे-छठवें दशक के विकास में यूरोप व अमेरिका की औद्योगिक क्रान्ति को आधार बनाया गया था। विकास को इस पश्चिमी आदर्श में विकाशील राष्ट्रों में आयात तकनीकी पूंजी, औद्योगीकरण व नगरीयकरण अवधारणाओं की लोकप्रियता को प्रोत्साहन प्रमुख था। संचार शास्त्रियों ने तीसरी दुनिया जिसमें सार्क देश शामिल हैं, उन देशों के विकास के गुणक यंत्र के रूप प्रस्तुत किया। उस समय जनसंचार की भूमिका एकपक्षीय थी, इसका कार्य राजकीय विकास एजेंसियों की सूचनाओं को नागरिको तक पहुँचाना था। लेकिन मात्र आर्थिक, औद्योगिक उन्नति से सार्क देशों का विकास टूटे सपनों की तरह खंडहर बनकर रह गया है। तब सार्क देशों व तीसरी दुनिया में आर्थिक व सामाजिक न्याय की मांग सशक्त हुई। आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। सार्क देशों व तीसरी दुनिया में विकास का मंत्र जो घोर दरिद्रता, अशिक्षा, विशाल जनसंख्या तथा प्राकृतिक स्त्रोतों के उपयोग के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव में असफल हो गया। पश्चिमी देशों के मंत्र में तीसरी दुनिया व सार्क देशों के विकास की चिंता कम तीसरी दुनिया में उत्पादों को खपाने का लोभ अधिक थे। इन देशों की सामाजिव-सांस्कृतिक विरासत को समझे बिना प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण विकास की प्रक्रिया मार्ग पर चल पड़ी और इसके परिणाम स्वरूप सार्क देशों में बेरोजगारी, अनियोजित शहरीकरण, विस्थापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गयीं। इन समस्याओं के चलते कई समस्यायें सर उठाकर खड़ी हो गयीं।

सार्क देशों की विकास प्रक्रिया के विकास का हल उन्हीं देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक, पर्यावरण व मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के आधार पर खोजा जाये। इसीक्रम में नयी अवधारणा विकसित हुई। आधुनिकीकरण तथा विकास मनुष्य व समाज के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। विकास के नवीन आदर्श में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं -

1- सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के जनसंख्या के कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु केन्द्रीकृत करना।

2- समाज के सभी वर्ग के विकास के लिए व्यापक तथा बहुपक्षीय सूचना प्रणाली विकसित करना।

3- विकास के साधनों को न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना।

4- व्यक्तियों, समूहों, समुदाय को स्वयं विकास की प्रेरणा देना।

5- विकास हेतु प्रेरित करने के लिए समाज के सदस्यों को सहभागिता के लिए प्रेरित

करना।

बाहरी संसाधनों की बजाय स्थानीय संसाधनों का विकास में उपयोग करना।

विकास प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों के पारस्परिक संबंधों में संतुलन स्थापित करते हुए नियोजन की रूपरेखा तैयार करना।

विकास हेतु उचित वातावरण के निर्माण के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करना और न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक पद्धतियों का विकास करना।

मापन की व्यवस्था से प्राप्त परिणामों का उचित विश्लेषण करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विकास की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करना।

आवश्यकतानुसार संशोधन की व्यवस्था करना।

विकास के इस आदर्श के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए जनसंचार के ...नों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय समाजशास्त्री डा0 श्यामाचरण दुबे के अनुसार- ...निक विकास को मानवीय आधार दिया जाना आवश्यक है क्योंकि गरीबी से जुड़ी समस्याओं ...ति संवेदनशील हुए बिना न तो जनतंत्र का कोई मतलब है न ही विकास का।'

इसके लिए जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्णं भूमिकाएं इस प्रकार हैं-

समाज के लोगों को विकास की संभावनाओं से परिचित कराना।

समाज को आवश्यक तकनीकी ज्ञान देना।

विकास संदर्भ में नवाचारों का आंकलन व अध्ययन करना।

विकास प्रक्रिया में अनुभवों का आदान-प्रदान।

सूचनाओं का व्यापक प्रचार - प्रसार।

विकास हेतु सामूहिक सामाजिक मनोवृत्ति का निर्माण करना।

विकास प्रक्रिया में आत्मनिर्भता बढ़ाने के लिए स्थानीय समूहों को उन्हीं की भाषा, संस्कृति व परिवेश के अनुसार प्रेरणा देना।

विकास योजनाओं का सुनियोजित व ईमानदारी से सफल क्रियान्वयन हेतु सामाजिक निगरानी व नियंत्रक की भूमिका।

विकास नियोजन में नीति निर्धारकों तथा आमजनों के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना।

जनशिक्षा का प्रसार कर चेतना का विकास करना।

देश के विकास में जनसंचार साधनों की उपर्युक्त भूमिका के सार्थक निर्वाह के लिए सार्क देशों के लिए जनसंचार प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गयी। इस नयी प्रणाली में रेडियो, टेलीविजन तथा नवीनतम इलेक्ट्रानिक मीडिया शामिल है।

5.6 सार्क देशों के विकास में आधुनिक जनसंचार माध्यमों का योगदान-

विकास में जन संचार साधनों की उपरोक्त भूमिका के सार्थक निर्वाह के लिए एक नयी जनसंचार प्रणाली की रूपरेखा कई देशों विशेषतः सार्क देशों एवं तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में तैयार की गयी। इस नयी प्रणाली में रेडियो, टेलीविजन तथा नवानतम इलेक्ट्रानिक मीडिया शामिल है। आधुनिक जनसंचार प्रणाली मशीनों, उपकरणों संगठनात्मक ढाँचे तथा सामाजिक मूल्यों की एक ऐसी प्रविधि है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति आपस में विचारों के अदान-प्रदान कर सकते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रानिक माध्यमों रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, सेटेलाइट ने मिले जुले रूप में एक नयी जनसंचार प्रविधि को जन्म दिया है। यह नयी जनसंचार प्रविधियाँ अपनी विशेषताओं के कारण सामाजिक विकास की कई आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि इन विशेषताओं का श्रेय मशीनी उपकरणों के साथ-साथ उनके अभिनव सॉफ्टवेयर को है।

सार्क देश पिछड़े देशों में आते हैं। इन देशों में विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता है। अनौपचारिक शिक्षा का संवादों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जन संचार माध्यम आमजनों की अभिवृत्तियों तथा सूत्रों,मूल्यों में परिवर्तन उन्हें विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संवादात्मक पद्धति होने के कारण संदेश प्रसार में निरक्षरता बाधक नहीं बनती। नयी प्रविधि में बहुविध, बहुउद्देशीय, मल्टीमीडिया, पहुँच का उपयोग एक ही संदेश प्रेषण के लिए किया जाता है। क्योंकि एक गंतव्य पर अलग-अलग ढंग से भेजे जाने वाले संदेशों का प्रभाव अधिक होता है। नयी प्रविधि सहज, सस्ती, सार्वजनिक सुलभ, सुदूरगामी, सम्पूर्ण तथा त्वरित तकनीक है। नयी जनसंचार प्रविधि में आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। नयी जनसंचार प्रविधि परस्पर प्रभावशील हैं। टेलीफोन तथा सेटेलाइट जैसी तकनीक का इस प्रविधि में उपयोग होने के कारण दोनों छोरों पर स्थिति व्यक्ति अपनी सम्भाषण व भूमिकाओं का भी परस्पर परिवर्तन कर सकता है। इसमें ज्ञान, सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्रों में नयी खोज तथा नये साफ्टवेयर के लिए निरंतर शोध हेतु प्रयास जारी रहते हैं। नयी प्रविधि में यह अपेक्षा भी की जाती हैं कि इलेक्ट्रनिक माध्यम विशेषकर रेडियो तथा टेलीविजन सम्प्रेषण में ज्ञान, शिक्षा तथा मनोरंजन के तत्वों में संतुलन बनाकर रखेंगे। नयी प्रविधि में अपेक्षाकृत अधिक निरंतरता, संतुलन व प्राप्त फीडबैक के अनुसार कार्यक्रमों में संशोधन की गुंजाइश रहती है। प्रगति के लिए अनिवार्य जागृत जनमत तैयार किया जा सकता है। मनोरंजन के साथ-साथ विकास का संदेश बड़े ही सशक्त ढंग से जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है।

सार्क देशों में रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रम विकास-

जन संचार माध्यम का कार्य मात्र सूचना देमा ही नहीं सामाजिक विकास के औजार के रूप में कार्य करना भी है। सार्क देशों की लगभग 80 प्रतिशत जनता निर्धनता से लड़ रही है। निर्धनता एक बहुत बड़ी सामाजिक व नैतिक चुनौती है। इन देशों में व्याप्त निर्धनता की सक्रियात्मक

णा को अत्यन्त सावधानीपूर्वक समझाने की जरूरत है-

विदेशी शासन - अजादी के बाद यहां बीते कल की बात हो गयी है, लेकिन आज भी इन देशों को लोगों को यह बात कचोटती है।

समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण

जनसंख्या अथवा जनसंख्या विस्फोट

विकास हेतु अभाव

शिक्षा तथा सूचनाओं का

पूंजी का

स्वास्थ्य तथा ऊर्जा का

इच्छाओं तथा प्रेरणा का

ठोस तथा ईमानदार प्रशासन का

सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता का

निष्प्रभावी सामाजिक व्यवस्था तया आमजनों की विकास प्रक्रिया के प्रति उदासीनता का।

सार्क देशों में रेडियो एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने अपने प्रसारण की रूपरेखा में ऐसे ्मों का स्थान दिया गया जो विकास का संदेश, विकास की पद्धतियों की जानकारी समाज वर्ग तक विशेषकर वंचित तथा कमजोर वर्गों तक पहुंचाने लगा जिससे वहाँ विकास ने पकड़ी। जिससे कई क्षेत्रों में जन संचार प्रविधि से विकास हुआ। विकाशील देशों में ता का प्रमुख कारक कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में नयी तकनीक के प्रशिक्षण का अभाव है। भाव को दूर करने में सार्क देशों में रेडियो व इलेक्ट्रानिक माध्यम योगदान कर रहे हैं। और टेलीविजन अपने कार्यक्रमों के द्वारा समाज को सार्थक रूप से सूचना सम्पन्न बनाने ायित्व भी निभा रहे हैं। विकासशील देशों के विकास के लिए जनसंचार माध्यम सार्थक च निभाते हैं। इसके लिए उन सारे प्रसंगों पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए जो ष्ट्रीय-राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर आमजनों के जीवन को प्रभावित करें। इस ा रेडियो, टेलीविजन तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा समाचारों, समसामयिक घटनाओं तथा ाओं के विस्तृत कार्यक्रम गति पकड़ रहे हैं। इन देशों के विकास में रेडियो तथा टेलीविजन भूमिका महत्वपूर्ण हैं। यह माध्यम उन देशों के पारंपरिक तथा समकालीन संस्कृति का न भी करते हैं। इन माध्यमों से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम सामाजिक संस्कृति का पोषण व ्ण करते हैं। आज इनके विकास से आयातित संस्कृति प्रसारित हो रही है। देश के साहित्य, ृति, रीति रिवाजों, सामाजिक उत्सवों, में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है।

5.7 सारांश-

बीसवीं सदी के आखिरी दशक में संचार माध्यमों के विकास के चलते 'विश्व गांव' शब्द का बीजारोपण हुआ। इसकी खोज उन्नीसवीं सदी के उन आखिरी वर्षों में हो गयी थी जब रेडियो तरंगों की खोज हुई थी। संचार तथा संचार से संबन्धित सभी आविष्कारों के मूल में मनुष्य की अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। कंदराओं में निवास करने वाले आदिमानव ने लगभग पांच लाख वर्ष पूर्व जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करके विकास की सतत यात्रा आरम्भ की। आज अत्याधुनिक माध्यमों ने राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व राजनीति की भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है। अत्याधुनिक जनसंचार माध्यमों के विकास से अति निर्धन देशों के विकास में सकारात्मक भूमिका मिली है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने सार्क देशों में भी विकास की लहर पहुँचाई जिससे उन देशों में विकास ने गति पकड़ी है। संचार के इस क्रान्ति चरण ने मानव के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया है। यही कारण है कि बीसवीं सदी के अंतिम दशक में संचार एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में प्रकट हुआ जिसे अपनाने के लिए हर देश चाहे वह छोटे हो या बड़े, विकसित हों या विकासशील सबने इसे अपनाया। जनसंचार माध्यमों ने भी अपनी सम्पूर्ण तीव्रता और शक्ति के साथ समाज को प्रभावित किया। विकाशील देश (जिसमें सार्कदेश सम्मिलित हैं) अपने विकास के लिए जनसंचार माध्यमों को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।

5.8 शब्दावली-

सार्क देश- भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, आफगानिस्तान, मालदीव देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत की इसमें प्रभावी भूमिका है। इसका गठन सन् 1883 में हुआ और मुख्यालय काठमाण्डू में है।

विकासशील देश- वह देश जो विकास की राह पर हैं तथा विकास की अवस्था प्राप्त करने की उनमें संभावना है।

विकसित देश- वह देश जो पूरी तरह विकसित हैं। यह देश प्राविधिक उन्नति के माध्यम से अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर अपने नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर देने में सक्षम हैं।

5.9 उपयोगी ग्रन्थ-

1- लक्ष्मेन्द्र चोपड़ा - जनसंचार का समाजशास्त्र प्रकाशक-आधार प्रकाशन प्राइवेट लि0 पंचकूला (हरियाणा)

2- डा0 अर्जुन तिवारी- सम्पूर्ण पत्रकारिता- प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

कृष्ण कुमार रत्तू- दृश्यकला एवं जनसंचार माध्यम, प्रकाशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,

रमेश तरुण- जन संचार माध्यम और विकास, प्रकाशक- कला मंदिर, नई दिल्ली।

0 प्रश्नावली -

.1 निबन्धात्मक प्रश्न-

सार्क देशों में जनसंचार की क्या व्यवस्था है ?

जनसंचार के लक्षण बतायें ?

जनसंचार के कार्य बतायें?

सामाजिक विकास में जनसंचार की भूमिका क्या है?

.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

सार्क देशों में कौन-कौन से देश आते हैं?

जनसंचार की परिभाषा लिखे ?

जनसंचार की विशेषता बताये?

विकास में रेडियों की भूमिका बताये?

0.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

सार्क देशों में कौन-कौन से देश सम्मिलित है-

भारत, रूस, जापान, ईरान,

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, सम्मिलित हैं।

भारत नेपाल, श्रीलंका, सम्मिलित हैं।

सार्क देशों की बुनियादी आवश्यकता क्या है?

भोजन, पीने का पानी, आवास, रोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, शिक्षा व आत्मसम्मान है।

भोजन, शिक्षा, इलेक्ट्रानिक माध्यम है

रोजगार, कृषि, शिक्षा, इलाज की सुविधा है।

भूटान की राजधानी है-

(क) दिल्ली

(ख) माले

(ग) थिम्पू

(घ) काठमाण्डू

5.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

(1) ख

(2) क

(3) ग

M.J.M.C.-06

विश्व-संचार :
अवधारणा एवं आयाम

र प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

ख्रण्ड

02

मुख सांस्कृतिक अवधारणा

काई-6 5

स्कृति : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

काई-7 22

श्व की विभिन्न संस्कृतियों का परिचय

काई-8 47

स्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा

काई-9 63

ांस्कृतिक संचार के संवाहक : भाषा एवं व्याकरण

काई-10 78

ाजनैतिक अवधारणा एवं संस्कृति

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0टं0.मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा	-	पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी	-	हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा	-	पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह	-	पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार	-	हिन्दुस्तान (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. ए. के. सिंह, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2013
मुद्रक : नितिन प्रिन्टर्स, 1 पुराना कटरा, इलाहाबाद।

ण्ड परिचय : प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणा

द्वितीय-खण्ड में निम्नलिखित पाँच इकाइयाँ हैं :-

1- संस्कृति : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

2- विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय

3- संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा

4- सांस्कृतिक संचार के वाहक : भाषा एवं व्याकरण

5- राजनैतिक अवधारणा एवं संस्कृति

संस्कृति एक मानव मूल्य है। यह अमूल्य और श्रेष्ठ धरोहर है जिसकी सहायता से मानव ढ़ी दर पीढ़ी प्रगति पर अग्रसर है। धर्म, नैतिकता, और अध्यात्म के सहारे ही सुसंस्कृत व्यक्ति च्च स्थान पर प्रतिष्ठित होता है। सदाशयता, सहयोग, परोपकार, पर-सेवा, त्याग, निःस्वार्थ जीवन ह मूल में संस्कृति की विशेषता है। सभ्यता, परम्परा, संस्कृति ये तीनों परस्पर संश्लिष्ट हैं।

द्वितीय इकाई में ग्रीक, अरब, बौद्ध, ता-ओ, कन्फ्यूसियस संस्कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तृतीय इकाई में पूरब और पश्चिम की संस्कृति का तुलनात्मक परिचय है। चतुर्थ इकाई सांस्कृतिक संचार की संवाहिका भाषा के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस खण्ड की पाँचवी इकाई में विशिष्ट राजनैतिक अवधारणाओं को सुस्पष्ट करने का प्रयास है। सभी राजनैतिक अवधारणाएँ किसी न किसी संस्कृति से सम्बद्ध है। इस खण्ड में संस्कृति को समग्र रूप में समझने का प्रयास किया गया है।

खण्ड-02

Culture is to know the best that has been said and thought in the world.

Matthew Arnold

● ● ●

सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा, सभ्यता जानकारी और भिन्न क्षेत्रों में महान् एवं दुःखदायी खोज का परिणाम है; संस्कृति ज्ञान का परिणाम है।

श्री प्रकाश

● ● ●

Partial culture runs to the ornate, extreme culture to simplicity.

Bovee

● ● ●

When we read the poetical and philosophical movements of the East, above all those of India, we discover there many truths, so profound and which make such a contrast with the results at which the European geniuns has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East.

Victor Cousin

● ● ●

"भारतीय संस्कृति का अर्थ है-सर्वांगीण विकास, सबका विकास। भारतीय संस्कृति की आत्मा स्पृश्य-अस्पृश्य का विचार नहीं करती, हिन्दू-मुसलमान का भेद नहीं करती। सबको प्रेम और विकास के साथ आलिंगन करके ज्ञानमय व भक्तिमय कर्म का अखण्ड आधार लेकर यह संस्कृति, मांगल्य सागर सच्चे मोक्ष-समुद्र की ओर जाने वाली है।"

-साने गुरूजी

काई -6 संस्कृति : अर्थ , अवधारणा एवं प्रक्रिया

ाई की रूपरेखा

उद्देश्य

प्रस्तावना

संस्कृति

6.2.1 संस्कृति का अर्थ

6.2.2 संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति

6.2.3 संस्कृति की परिभाषा

3 संस्कृति की विशेषताएँ

4 संस्कृति के अंग

5 संस्कृति का महत्व

6 सभ्यता

6.6.1 सभ्यता का अर्थ

6.6.2 सभ्यता की परिभाषा

6.6.3 सभ्यता की विशेषताएँ

6.6.4 सभ्यता और संस्कृति में अन्तर

7 परम्परा और संस्कृति

8 संस्कृति की प्रक्रिया

9 सारांश

10 शब्दावली

11 सन्दर्भ ग्रन्थ

12 प्रश्नावली

6.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

6.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

6.12.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

6.12.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

संस्कृति अर्थ अवधारणा एवं प्रक्रिया नामक इस इकाई का उद्देश्य संस्कृति के विभिन्न पक्षों से आपको अवगत कराना है। इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आप जान सकेंगे :

* संस्कृति का अर्थ
* संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति
* संस्कृति की परिभाषा, विशेषता
* संस्कृति के अंग
* सभ्यता, परम्परा और संस्कृति में अन्तर
* सस्कृति की प्रक्रिया अथवा सांस्कृतिक संचार

6.1 प्रस्तावना

'संस्कृति' शब्द 'संस्कार' से बना है । संस्कार का तात्पर्य होता है कुछ कृत्यों को सम्पन्न करना। संस्कारों को सम्पन्न करने पर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है संचार भी मनुष्यों में ही है। संस्कृति निर्माण और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया संचार द्वारा ही पूर्ण होती है। समाज में उचित अनुचित का निर्धारण संस्कृति के द्वारा ही होता है। संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं जिसके पीछे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव होता है। संचार प्रक्रिया द्वारा मनुष्य इसे सीखता है, आत्मसात करता है और आगे बढ़ता है। संस्कृतिक संचार की यह प्रक्रिया अनवरत रुप से चलती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य भी संचार प्रक्रिया चलती है, इसे ही सांस्कृतिक संचार कहा जाता है।

इस इकाई में संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व को विस्तार से समझते हुए सभ्यता और परम्परा से संस्कृति किस प्रकार भिन्न है इसे भी स्पष्ट किया गया है। संचार के क्षेत्र में संस्कृति का क्या योगदान है और संस्कृति की प्रकिया क्या है इसे भी समझाने का प्रयास किया गया है।

6.2 संस्कृति

6.2.1 संस्कृति की अर्थ

संस्कृति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है।संस्कृति के अभाव में मनुष्य और पशु समान स्तर के हो जाते हैं।संस्कृति ही मनुष्य की वह अमूल्य और श्रेष्ठ धरोहर है जिसकी सहायता से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और प्रगति की ओर उन्मुख होता है। मनुष्य में ही कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पायी जाती हैं जो पशुओं में नहीं

जाती। उदाहरण के लिए मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, अपने हाथों को
तापूर्वक घुमा सकता है, इन हाथों की सहायता से वस्तुओं को अच्छी तरह पकड़
है, निर्माण कार्य भी कर सकता है। मनुष्य अपनी तीक्ष्ण और केन्द्रित की जा
वाली दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण कर सकता है, विविध घटनाओं को घटित होते
कता है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से सोच सकता है, तर्क कर
है, कार्य-कारण सम्बन्धों का पता लगा सकता है और अनेक आविष्कार कर
है। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त भाषा के आविष्कार ने मनुष्य को वह शक्ति
की है जिसकी सहायता से वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा अपने
न के परिणामों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित कर सकता है। भाषा और
ों के माध्यम से ही मानव ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर सका है। इससे स्पष्ट
है कि मानव ही प्रकृति में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी इन विशेषताओं एवं
ाओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है, भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं
र्मित कर पाया है एवं अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों को
दे पाया है।

2 संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति

संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द
ार से बने हैं। संस्कार का तात्पर्य होता है कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों को सम्पन्न करना।
हिन्दू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार सम्पन्न करता है जिसमें उसे विभिन्न प्रकार
ूमिकाओं का निर्वहन करना होता है संस्कृति का सामान्य अर्थ होता है विभिन्न सस्कारों
ारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति । यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों
सम्पन्न करने पर ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है।

.3 संस्कृति की परिभाषा

संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। विभिन्न विषय के विद्वानों
इसे विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं
द्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। समाजशास्त्रियों
समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए सांस्कृतिक अभिजात (Cultural Elite) शब्द का
ोग किया है। समाजशास्त्र के अन्य विद्वानों ने मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और
द्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है।

कुछ विद्वानों ने संस्कृति को मानव निर्मित भाग बताया है। इससे यह स्पष्ट होता
कि पर्यावरण दो प्रकार का है. एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त एवं दूसरा मानव निर्मित।
सारी वस्तुएँ जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, जैसे विज्ञान, दर्शन, धर्म,
ाएं , नियम आदि अन्य वस्तुएं संस्कृति के अन्तर्गत आती हैं वास्तव में संस्कृति सीखे
व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है,
णिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। संस्कृति सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक

पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होता है। संस्कृति जीवन यापन की एक सम्पूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बन्धनों से मुक्त करती है। इस प्रकार संस्कृति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरुप विकसित हो जाते हैं ये ही उस समूह की संस्कृति है।

समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए राबर्ट वीरस्टीड ने लिखा है संस्कृति वह सम्पूर्ण जटिलता है जिसमें ये सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। उनका कहना है कि इसके अन्तर्गत हम जीवन जीने या कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते हैं और जो समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं।

(Culture is the complex whole that consists of everything we think and do and have as Members of Society). - Robert Biersted. The social order, (1957)

पारसन्स ने अपनी पुस्तक "The Social System" में संस्कृति को एक ऐसे पर्यावरण के रुप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। मैकाइबर एवं पेज ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति, मूल्यों, शैलियों, भावात्मक अभियानों का संसार है। यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्य कलापों, कला साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनन्द में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। फेयरचाइल्ड के अनुसार "प्रतीकों द्वारा सामाजिक रुप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है।"

संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जो व्यक्तित्व को समृद्ध और परिष्कृत बनाते हैं। चिन्तन और कलात्मक सर्जन की वे क्रियायें संस्कृति में आती है, जो मानव जीवन के लिए प्रत्यक्ष में उपयोगी न दिखायी देने पर भी उसे समृद्ध बनाती हैं। इनमें शास्त्र और दर्शन का चिन्तन, साहित्य, ललित कलाएं आदि का समावेश होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना मुश्किल है। इसका मुख्य कारण है संस्कृति शब्द की जटिलता और व्यापकता। वास्तव में एक समाज विशेष के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति के अन्तर्गत विचार तथा व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं। जो संचारात्मक अन्तः क्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं अर्थात मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है, वे सब संस्कृति के अर्न्तगत आती है।

व्यक्ति पारस्परिक सहयोग और सहायता से संस्कृति का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों के सामूहिक जीवन के विकास के साथ संस्कृति का भी विकास होता है। मानवता का

ति है। पूर्ववर्ती पीढ़ि ी संस्कृति से शक्ति और प्रेरणा ग्रहण करने से ही भविष्य ढ़ियों का अधिक विकास हो सकता है, वे अधिक गौरवशाली बन सकती है। ति का लक्ष्य ही व्यक्ति को महिमामय जीवन प्रदान करता है।

संस्कृति की विशेषतायें (Characteristics of Culture)

संस्कृति की उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से इसकी निम्नलिखित तताएं स्पष्ट होती हैं:

ानव निर्मित : संस्कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी सिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं जैसे विकसित मस्तिष्क, केन्द्रित की जा सकने आंखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति,ग ि की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों भिन्न बनाती है और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित और विकसित कर सकता संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है।

संस्कृति सीखी जाती है : संस्कृति मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार-प्रतिमानों का योग है। जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता बल्कि जिस समाज में वह होता है उस समाज की संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता मनुष्य द्वारा सीखे हुए समस्त व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं होते। जो व्यवहार पूर्ण या अधिकतर समूह समुदाय या समाज के होते हैं, उनसे ही संस्कृति का निर्माण ता है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, लोकरीतियों,परम्पराओं रूढ़ियों आदि को जन्म हैं और वे केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं।

संस्कृति का हस्तान्तरण होता है : संस्कृति सीखी जाती है। नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के रा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्ता तरण होता है। भाषा के आविष्कार ने हस्तान्तरण की क्रिया को और अधिक गतिशील बना दिया है। मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और नुभव को भाषा लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तान्तरित करता है। नयी पीढ़ी को पने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भण्डार प्राप्त होता है। इस ज्ञान भण्डार में वे स्वयं अनुभव और ज्ञान जोड़ते जाते है। इस प्रकार मानव ज्ञान एवं संस्कृति का कोष दिनों दिन बढ़ता जाता है और वह संचित होती जाती है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य आने वाली पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। और इस प्रकार संस्कृति का हस्तान्तरण होता हता है।

. **विशिष्टता :** प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से भिन्न होती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताओं में भी विविधता होती है जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती है।

एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिबर्तनों से भिन्न होते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति में विशिष्टता पायी जाती है।

5. **सामाजिक गुण :** संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती बल्कि सम्पूर्ण समाज की देन होती है। संस्कृति का विकास समाज के ही कारण होता है । समाज के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं , जनरीतियाँ भाषा, परम्परा, धर्म, विज्ञान, कला,दर्शन, आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषता को प्रकट नहीं करते वरन् समाज की जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6. **संस्कृति एक आदर्शः** एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। उसी के अनुरूप अपने विचारों एवं व्यवहारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी श्रेष्ठताओं का उल्लेख करता है। यही उस व्यक्ति के लिए उसकी संस्कृति का आदर्श स्वरुप होता है।

7. **मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति :** संस्कृति की यह विशेषता है कि यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति के निमित्त ही उसने संस्कृति का निर्माण किया है। विद्वानों का मानना है कि संस्कृति का कोई भी तत्व निष्प्रयोज्य नहीं होता वरन् मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। किसी भी सास्कृतिक तत्व का अस्तित्व भी तभी तक बना रहता है जब तक वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त ही समय समय पर नए नये आविष्कार होते रहते हैं और कालान्तर में ये आविष्कार संस्कृति के अंग बनते जाते हैं।

8. **अनुकूलन की क्षमता :** संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालने की क्षमता होती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आपको परिवर्तित करती रहती है।संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनशीलता का गुण स्पष्ट दिखाई देता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक कालीन संस्कृति से भिन्न है क्योंकि संस्कृति में समयानुरुप परिवर्तन हुए है। सांस्कृतिक परिवर्तन की गति काफी धीमी होती है, इसलिए कोई भी संस्कृति पूरी तरह समय के साथ नहीं बदलती है। संस्कृति ने अपने आपको भौगोलिक परितिस्थतियों के अनुरुप ढाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के आवास और वस्त्र की बनावट उष्ण प्रदेश में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है।

9. **सन्तुलन एवं संगठन :** संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। इकाइयां जिन्हें हम संस्कृति तत्व या संस्कृति (Copmplex) कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयां संगठित रुप से मिलकर ही सम्पूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती है। संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एकरुपता की ओर खिंचाव होता है

करती है। छोटे छोटे साभाजिक समूहों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता
: देखी जा सकती है क्योंकि वहां संस्कृति में संघर्ष और तनाव पैदा करने वाली
यां अधिक क्रियाशील नहीं हो पाती।

व्यक्तित्व निर्माण में सहायक : एक मनुष्य का लालन पालन किसी सांस्कृतिक
रण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी पारिवारिक, सामाजिक संस्कृति
सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व
संस्कृति में पले व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इसका मुख्य कारण यह
संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों
ाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है।

संस्कृति का निर्माण एवं विकास किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया
संस्कृति के किसी एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, सम्पूर्ण का नहीं। संस्कृति
निर्माण भी सम्पूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक
कर्ता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक एवं नेता पैदा होते हैं जो समाज और संस्कृति
ुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं धर्म आदि में अनेक परिवर्तन करते हैं और उनके
न पर नवीन मूल्यों, विचारों एवं धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा लगता है कि वे ही
ूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता हैं किन्तु ऐसा नहीं है।वस्तुतः इन विद्वानों ने जो
ार ग्रहण किया और व्याख्या की वे उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः यह स्पष्ट
क संस्कृति की रचना अैर निरन्तरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होता।
कृति में वृद्धि नवीन आविष्कारों के कारण होती रहती है। ये आविष्कार एकाएक
होते वरन.इसके पीछे भूतकाल का अनुभव होता है। मनुष्य किसी संस्कृति के
थ जन्म नहीं लेता है बल्कि संस्कृति में जन्म लेता है और उसी में विकसित होता है।

4 संस्कृति के अंग :

प्रत्येक संस्कृति में संरचना एवं संगठन स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। यह संरचना के
ेक छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। इन इकाइयों
परस्पर निर्भर एवं सम्बन्धित होने से ही सम्पूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था तथा सन्तुलन
खने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की सम्पूर्णता को समझने के लिए उसकी इकाइयों
समझना आवश्यक है। संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान
अंगों में हम संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र को
म्मिलित करते हैं।

संस्कृति तत्व या इकाई (Cultural Trait or Element) संस्कृति की वह छोटी से
टी इकाई जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य
ने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता बल्कि उसका
तलब यह है कि और विभाजन होने पर वह अर्थहीन हो जाएगा। उदाहरण के लिए पेन

को एक सांस्कृतिक तत्त्व मान लिया जाय तो विभाजित होने पर वह बेकार हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है।

2. **संस्कृति संकुल (Culture Complex)-** जिस प्रकार कई कोशों से मिलकर एक अंग तनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक संकुल बनता है इसी को संस्कृति संकुल कहते हैं। गेंद, स्टिक, गोल के खम्भे, खिलाडियों की ड्रेस रेफरी की सीटी, खेल के विभिन्न नियम, आदि अनेक तत्वों से मिलकर संकुल बना है। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है।

3. **संस्कृति प्रतिमान : (Culture Pattern)-** एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एक संकुल के रूप में एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ, जीवन के इस तरीके को सम्बद्धता, निरन्तरता और विशिष्टता प्रदान करता है। प्रत्येक संस्कृति में हमें कुछ मूलभूत प्रेरणाएं आदर्श या सिद्धान्त देखने को मिल जाते हैं जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होते हैं। इन आदर्शों या सिद्धान्तों को सभी लोग स्वीकार करते हैं एवं उन्हें सीखते हैं जिससे लोगों के व्यवहार में एकरुपता उत्पन्न होती है।

4. **संस्कृति क्षेत्र (Culture Area)-** किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उसके भौगोलिक पक्ष का भी ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित या विस्तृत होती है। उदाहरण के लिए एशिया या योरोप में हमें अनेक प्रकार के संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इन संस्कृतियों में जो भिन्नता अथवा एकरुपता दिखाई देती है उसका मुख्य कारण भौगोलिक परिवेश है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है जिसे हम संस्कृति क्षेत्र कहते हैं संस्कृति क्षेत्र के उस भाग के रुप में व्यक्त किया जा सकता है जिससे संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से अलग कर देती है जो उस क्षेत्र के बाहर हैं। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा सांस्कृतिक समानताओं में भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है जिसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की जा सकती है। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा संस्कृतियों के ज्ञान के लिए उपयोगी यन्त्र है जो एक संस्कृति विशेष का विस्तार ज्ञात करने एवं उससे सम्बन्धित अन्य तथ्यों के संकलन में सहायक होती है।

6.5 संस्कृति का महत्व :

प्रकृति में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का धनी है। संस्कृति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसके व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है और उसे पशु स्तर से ऊँचा उठाकर मानव बनाती है। हजारों वर्षों से संस्कृति मनुष्य को विरासत में मिलती रही है, जिस पर आज उसे गर्व है। समाज एवं व्यक्ति के जीवन में संस्कृति के महत्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं :

स्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह मानव की विभिन्न सामाजिक, रिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकता पूर्ति हे ही समय समय पर अनेक आविष्कार होते रहे और वे संस्कृति के अंग बनते रहे। सबके साथ संस्कृति यह भी तय करती है कि मानव अपनी अगणित आवयकताओं र्ति किस प्रकार से करेगा।

त्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में ही जन्म लेता है। उसका पालन पोषण भी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति के अभौतिक तत्वों प्रथाओं, रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान आदि को ग्रहण करता है और व्यक्तित्व में उन्हें आत्मसात करता है। व्यक्तित्व में भिन्नता सांस्कृतिक भिन्नता के ा ही होती है इसीलिए व्यक्तित्व को संस्कृति का आत्मवैषयिक पक्ष कहा जाता है।

त्येक संस्कृति में मानव व्यवहार एवं आचरण से सम्बन्धित कुछ मूल्य एवं आदर्श हैं। व्यक्ति इन आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरुप ही समाज में व्यवहार करता है। इन र्शों एवं मूल्यों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को सामाजिक तिरस्कार का सामना रना पड़ता है। संस्कृति ही व्यक्ति के खान पान एवं वेश भूषा का निर्धारण भी ा है।

समाज में उचित और अनुचित का निर्धारण संस्कृति के आधार पर ही होता है। क संस्कृति में सामाजिक प्रतिमान (Norms) प्रचलित होते है। इन सामाजिक प्रतिमानों नुरूप व्यवहारों को उचित एवं प्रतिकूल व्यवहारों को अनुचित ठहराया जाता है। कार संस्कृति ही व्यक्ति में नैतिकता एवं उचित अनुचित के भाव उत्पन्न करती है संस्कृति से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के व्यवहार समान होते हैं एक संस्कृति के रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, मूल्यों,आदर्शों एवं नैतिकता में समानता पाई जाती है। व्यक्ति उसको समान रूप से मानते हैं और उसके अनुरुप आचरण करते है, ा समाज में समानता एवं एकरूपता पैदा होती है।

संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण होता रहता है। नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का भव एवं कौशल प्राप्त होता है जिसमें प्रत्येक पीढ़ी अपनी ओर से कुछ न कुछ ती ही है। इस प्रकार मानवीय ज्ञान, कुशलता एवं अनुभव में वृद्धि होती है।

संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनके ों का अनुभव होता है । अतः व्यक्ति स्वतः ही समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों को ता एवं तदनुरुप व्यवहार करता रहता है। इससे व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक ा का अनुभव होता है । इसके अतिरिक्त व्यक्ति के सम्मुख जब कभी कोई समस्या संकट उत्पन्न होता है तो वह अपनी संस्कृति से प्राप्त अनुभवों एवं नियमों के अनुसार का समाधान करता है जिससे उसका समाधान करता है जिससे उसे सामाजिक क्षा प्राप्त होती है।

एक व्यक्ति अपने समाज में कौन सा पद या स्थिति प्राप्त कर सकता है इसका निर्धारण कृति द्वारा ही होता है। अर्जित एवं प्रदत्त प्रस्थितियों को प्राप्त करने के नियम एवं

उससे सम्बन्धित व्यक्ति की भूमिका, शक्ति, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व संस्कृतियां ही तय करती हैं। यही कारण है कि भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों में पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता एवं सन्तानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में भिन्नता पाई जाती है।

8. प्रत्येक संस्कृति में प्रथायें, रीति-रिवाज, लोकाचार एवं परम्पराएं आदि होते हैं। वे ही व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार को तय करते हैं और इस प्रकार व्यक्ति पर नियन्त्रण बनाते हैं । वैयक्तिक नियन्त्रण से ही सामाजिक नियन्त्रण बना रहता है। संस्कृति में परिवार, विवाह, धर्म,नैतिकता आदि से सम्बन्धित नियम भी होते हैं । जिनका पालन व्यक्ति को करना पड़ता है । इस प्रकार संस्कृति एक नियन्त्रक की तरह कार्य करती है।

6.6 सभ्यता

6.6.1 सभ्यता का अर्थ :

मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि वह अपनी मौलिक भूख और प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनसे मुक्त हो जाय। सभ्यता का तात्पर्य उन उपकरणों से है जिनके द्वारा मनुष्य उन जीवन स्थितियों का सृजन करता है जिसमें रहकर वह अपनी मूल आवश्यकताओं को स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा कर सके। मानव वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिन्ता करता है। मनुष्य को वस्त्र, आवास और जीवन यापन के लिए अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। सभ्यता से मतलब उन सब कला कौशल के तन्त्र और तरीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी मूल क्षुधाओं तथा आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूर्ण करता है। सभ्यता द्वारा मनुष्य अपनी परिस्थितियों को इस प्रकार नियन्त्रित और परिवर्तित करता है कि वह अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए स्वतन्त्रापूर्वक रहने की स्थितियां प्रस्तुत कर सके। सभ्यता मानव क्रिया कलापों से उत्पन्न होने वाली उन वस्तुओं का नाम है जो मनुष्य की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का कारण बनती है। सभ्यता का निर्माण करके मनुष्य ने जीवित रहने की कठिन क्रिया को रोचक और सम्पूर्ण बना लिया है और उन आवश्यकताओं को, जो उनके कष्ट का कारण थी,आनन्द तथा रस का स्रोत बना डाला है।

सभ्यता का सम्बन्ध उपयोगिता के क्षेत्र से है और संस्कृति का मूल्यों के क्षेत्र से है। सभ्यता तथा संस्कृति उन उपलब्धियों और क्रिया कलापों से सम्बन्धित है जो मानव मस्तिष्क की रक्षा तथा प्रसार करते हैं। सभ्यता और संस्कृति में वही सम्बन्ध है जो साध्य और साधन में होता है। जिस प्रकार साध्य-साधन को परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सृजनात्मक क्रिया कलापों के परिणाम हैं। जब ये क्रिया कलाप उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होते हैं तब सभ्यता का जन्म होता है। जब ये क्रिया कलाप मूल भावना चेतना और कल्पना को प्रबुद्ध करते हैं तब संस्क्रति का उदय होता है। ऐसे समाज, जाति या वर्ग जो सांस्कतिक दृष्टि

उन्नत और श्रेष्ठ नहीं है, उच्च कोटि की सभ्यता को जन्म नहीं दे सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों ही मिले हुए हैं स्कृतिक क्रिया कलापों से सभ्यता विकसित होती है। संस्कृति के अभाव में सभ्यता ना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती है। मानव समाज की समस्त उपलब्धियां सभ्यता था संस्कृति के अन्तर्गत आ जाती हैं।

.6.2 सभ्यता की परिभाषा :

टायलर ने सभ्यता को परिभाषित करते हुए लिखा है- "सभ्यता मानव जाति वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन ए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव समाज के गुणों,शक्ति और प्रसन्नता में बृद्धि करना "

प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइबर एवं पेज के अनुसार "सभ्यता में उन भौतिक चों का समावेश होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे श्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रुप में प्रयुक्त होते हैं ।सभ्यता से हमारा अर्थ स सम्पूर्ण यन्त्र पद्धति और संगठन से है जिसको मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं नियन्त्रित करने के लिए निर्मित किया है।"

.6.3 सभ्यता की विशेषताएं

सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएँ :-

1. सभ्यता में मानव निर्मित भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है।
2. सभ्यता मूर्त होती है।
3.. सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। यह मानव को आनन्द और सन्तुष्टि प्रदान करती है।
4.. सभ्यता संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को व्यक्त करती है।

.6.4 सभ्यता और संस्कृति में अन्तर

सभ्यता एवं संस्कृति परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं किन्तु इन दोनों में र्याप्त अन्तर भी है जो निम्नलिखित है :-

. सभ्यता को मापना सरल है क्योंकि इसका सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता है । सभ्यता को वस्तुओं के गुणों एवं कुशलता के आधार पर मापा जा सकता है। भ्यता साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वस्तुओं के णों एवं उपयोगिता का मूल्यांकन हम इस आधार पर करते हैं कि वे हमारे उद्देश्यों की

पूरा में कहाँ तक सहायक है। इसके विपरीत संस्कृति की माप सम्भव नहीं है। एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ या हीन नहीं बताया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने युग एवं परिस्थितियों की देन होती है

2. सभ्यता उन्नतिशील है और वह एक दिशा में उस समय तक निरन्तर प्रगति करती रहती है जब तक कि उसके मार्ग में कोई बाधा न आए। सभ्यता की प्रत्येक उपलब्धि का पूरा पूरा लाभ उठाने एवं उसमें सुधार करने का कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि उनसे श्रेष्ठ कोई नया आविष्कार न हो जाय। इसके विपरीत संस्कृति के विकास की कोई दिशा नहीं निर्धारित होती।

3. सभ्यता का हस्तान्तरण संस्कृति की अपेक्षा सरल होता है। संस्कृति का संचार समान मस्तिष्क वालों में ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे संस्कृति का ज्ञान नहीं है संस्कृति की प्रशंसा अथवा निन्दा नहीं कर सकता। सभ्यता के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है।वस्तु के निर्माण और आविष्कार में सहयोग किये बिना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सभ्यता का प्रसार एवं हस्तान्तरण सरलता से हो जाता है। अपने पूर्वजों की सम्पूर्ण सभ्यता हम उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते हैं जबकि संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। सभ्यता को ग्रहण अथवा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास करना आवश्यक नहीं है जबकि संस्कृति सीखने से (प्रयास के द्वारा) प्राप्त होती है।

4. संस्कृति से मानव को सन्तुष्टि एवं आनन्द का अनुभव होता है। संस्कृति को प्राप्त करना अपने आप में एक उद्देश्य एवं साध्य है। इस संस्कृति रूपी साध्य को अपनाने के लिए सभ्यता का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए धर्म, कला, संगीत, साहित्य आदि हमें मानसिक शान्ति एवं आनन्द प्रदान करते है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम अनेक भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो सभ्यता के अंग हैं ।

5. सभ्यता का सम्बन्ध जीवन की भौतिक वस्तुओं से है जिसका अस्तित्व मूर्त रुप में मानव अस्तित्व के बाहर है जबकि संस्कृति का सम्बन्ध मानव के आन्तरिक गुणों से है, उसके विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों से है। सभ्यता मानव हृदय से प्रस्फुटित होती है जबकि संस्कृति ऊपर से थोपी जाती है। सभ्यता का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं से है जिसमें नवीन आविष्कारों एवं खोजों के कारण परिवर्तन एवं सुधार सरल है। संस्कृति का सम्बन्ध व्यक्ति के विचारों, मनोभावों एवं आन्तरिक गुणों से है। अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन एवं सुधार सम्भव नहीं है।

6.7 परम्परा और संस्कृति (Tradition and Culture)

सामान्य रुप से परम्परा का अर्थ व्यवहार के उन तरीकों से समझ जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं।यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जनरीतियाँ और

चार समाज द्वारा स्वीकृत विचारों और कार्य करने के तरीकों से ही सम्बन्धित है
ऽ परम्परा के अन्तर्गत हम उन दार्शनिक विश्वासों और कलापूर्ण पद्धतियों को भी
लित कर लेते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरन्तर हस्तान्तरित होती रहती है।
रा का निर्वाह अनेक प्रथाओं, लोकाचारों और जनरीतियों के माध्यम से हो सकता है
इस प्रकार परम्परा का क्षेत्र जनरीति या लोकाचार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत
कता है। परम्परा की अवधारणा सामाजिक विरासत से अधिक सम्बन्धित है। इनकी
अलिखित (मौखिक) होती है। सामाजिक विरासत के अलिखित रुप को हम
रा कहते हैं।

किसी भी मानव समाज के लिए परम्पराओं का विशेष महत्व होता है। परम्पराओं
सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता, भावात्मक एकीकरण तथा सामूहिक लक्ष्यों
प्ति में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है । यह शक्ति एक ओर समाज को
त का स्मरण दिलाकर व्यक्तियों को संगठित रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने की
देती है। स्वस्थ परम्परा के अभाव में समाज को नए नए परीक्षण करने पड़ते हैं।
पराओं के विद्यमान रहने पर व्यक्तियों के व्यवहारों में एकरूपता रहती है और किसी
कार्य को करते समय हम अतीत के अनुभवों के आधार पर आश्वस्त रहते हैं। परम्पराएं
विश्वास और दृढ़ता की परिचायक होती है।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि परम्परा और संस्कृति दोनों ही समाज के आवश्यक
एक दूसरे से सम्बन्धित तथा समान महत्व के हैं। इनमें से किसी का भी महत्व
व समाज के लिए कम नहीं है।

3 संस्कृति की प्रक्रिया और संचार

र मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य का एक पल भी
ना कठिन हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव संचाररत रहता है। मनुष्य
यह स्वभाव है कि वह हर उस चीज के बारे में जानना चाहता है जिससे वह अनजान
परिवार, समाज, देश दुनिया में हो रहे अभिनव परिवर्तनों एवं घटनाओं की जानकारी
करके मनुष्य उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करता है। संचार के लिए
यम की आवश्यकता होती है। संचार के प्रचलित माध्यम भी मानव सभ्यता एवं
कृति के विकास क्रम को दर्शाते हैं। संस्कृति भी संचार का एक प्रमुख माध्यम है।
कृति और संचार दोनों की ही विषय वस्तु मनुष्य है अतः दोनों का अन्योन्याश्रित
बन्ध है ।

कृति केवल मानव समाज में पायी जाती है। संचार भी मनुष्यों द्वारा ही किया जाता
मनुष्य अपनी विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संरचना के कारण ही संस्कृति को
र्मित और विकसित करता है। संस्कृति निर्माण और विकास की यह प्रक्रिया संचार
द्वारा ही पूर्ण होती है। संस्कृति सीखी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तान्तरण

होता रहता है सीखने और हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तर्वैयक्तिक अथवा मौखिक संचार द्वारा भी की जा सकती है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं अथवा अन्य मुद्रित माध्यमों द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों, जैसे रेडियो टी०वी० सिनेमा एवं अन्य के द्वारा भी सांस्कृतिक ज्ञान का आदान प्रदान (संचार) होता है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इस संस्कृति को लोग विभिन्न ग्रन्थों के रूप में संकलित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें।

संस्कृति का निर्माण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। सभी व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभवों को आपस में बांटकर संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखते हैं। इसमें संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है।एक सामाजिक समूह के लोगों के लिए उनकी संस्कृति आदर्श रुप में होती है। उसे मानने एवं उसके प्रचार- प्रसार में वे संलग्न रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ एवं आदर्श बताने का प्रयास करता है। इस कार्य में वह संचार के विभिन्न तरीकों, माध्यमों का प्रयोग करता है।

संस्कृति की तरह संचार भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। संस्कृति का कोई भी तत्व निरूद्देश्य नहीं होता। यह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। मानवीय आवश्यकताओं के निमित्त ही समय समय पर विभिन्न माध्यमों (उपकरणों) का आविष्कार किया गया । कालान्तर में ये आविष्कृत संचार उपकरण मानव संस्कृति के अंग के रूप में स्थापित होते गये। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनशीलता का गुण होता है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसर परिवर्तित होता रहता है। संस्कृति में होने वाले इन सामयिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें संचार माध्यमों के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक मनुष्य का लालन पालन किसी विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश में ही होता है। जन्म के पश्चात शिशु अपनी पारिवारिक सामाजिक संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। वयस्क और प्रौढ़ होने पर इसी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तान्तरित करता है। संस्कृतियों में प्रचलित रीति रिवाज धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान प्रथा एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है और उसी से उसका विकास होता है।

समाज में उचित और अनुचित का निर्धारण संस्कृति के द्वारा ही होता है। संस्कृति में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं जिसके पीछे पूर्वजों का ज्ञान अनुभव होता है। संचार प्रक्रिया द्वारा मनुष्य इसे सीखता है, अत्मसात करता है तथा आगे बढ़ता है।

संचार के उपकरणों का यदि सूक्ष्मता से विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति एक आदर्श, परिष्कृत, और प्राचीनतम संचार उपकरण है जिसके द्वारा हम एक संस्कृति में प्रचलित धर्म,दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, परम्पराएं आदि से परिचित होते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति और संचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मानवीय विकास के साधन भी हैं।

संस्कृति का मूल सूत्र जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था इन सबकी सहायता से बना मानस लोक। जीवन के भौतिक उपादान अक्सर बदलते हैं, उन्हीं के अनुसार बदलती है सामाजिक व्यवस्था और मानस लोक। कोई भी ति अपरिवर्तनीय नहीं होती, रूपान्तर बराबर होता रहता है। ऋग्वेद कालीन संस्कृति, क कालीन संस्कृति से भिन्न थी। मुस्लिम और इसाई संस्कृति का स्वरुप कुछ और अनादिकाल से भारत में अनेक जाति, सभ्यता, धर्म एवं संस्कृति का अबाध प्रवाह भारतीय संस्कृति ने समय और आवश्यकता के अनुरुप विभिन्न संस्कृतियों एवं ताओं से समझैता किया तथा आदान प्रदान भी। भारत में अनेक सम्राटों का उत्थान हुआ। अन्धकारमय युग आया और अनेक राजनीतिक घटनायें घटी, जिनमें अधिकांश ाम निशान भी अब नहीं रहा, फिर भी भारतीय संस्कृति की धारा कभी सूखी नहीं उसने समय-समय पर हुए उत्थान पतन के बावजूद अपनी अनेक विशेषताओं ुरक्षित रखा।

वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति और दर्शन ने भारत को मुग्ध और मोहान्ध दिया है। कुछ शताब्दियों के सम्पर्क के फलस्वरूप पाश्चात्य जगत की अनेक सामाजिक, ोतिक और आर्थिक प्रेरणाएं भारतीय संस्कृति में आकर समाहित हो गयी। प्राचीन ीय संस्कृति ने इस नवीन संस्कृति के साथ काफी दूर तक विनिमय सम्बन्ध स्थापित । इस विनिमय के स्वरूप राष्ट्रवाद और विधानवाद के पश्चात सिद्धान्तवाद भारत र्वरा भूमि में आया और सम्पोषित होकर अंकुरित हो गया। इन दोनों संस्कृतियों का भूमि में सम्मेलन हुआ और समन्वय की प्रयोगशाला में फलतः नवीन संस्कृति रूप रेखा बनी। कहीं पुरानी बातों को मूलरूप में रखकर समझौता किया गया और नवीन बातों को बिल्कुल अत्मसात कर लिया गया। भारतीय संस्कृति की यह ष्णुता और समन्वय शक्ति उसकी एक बड़ी विशेषता है।

भारतवर्ष में संसार के प्रायः सभी धर्मों, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। सांस्कृतिक र के माध्यम से यदि यहां इन सभी संस्कृतियों के मेल का आदर्श स्थापित हो जाए ारी दुनिया पर इसका प्रभाव पडेगा और संसार के लिए भारत पथ-प्रदर्शक हो गा। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब एक धर्म और संस्कृति की खूबी को दूसरे धर्म ग पहचानें। देश के कर्णधारों, संचारविदों का यह कर्तव्य है कि पुस्तकों, अभिलेखों, गों एवं चलचित्रों द्वारा भारत की भावी पीढ़ी के मन में भिन्न भिन्न धर्मों और संस्कृतियों समानता का भाव भरें। इसी से भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता की छाप दुनिया छोड़ सकेगा।

सारांश :

इस इकाई में आपने जाना कि संस्कृति का सम्बन्ध संस्कार से है और संस्कार मानव का ही होता है। संस्कार से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति सभ्यता और परम्परा से समानता का बोध होता है किन्तु वास्तव में ये तीनों भिन्न हैं।

निरन्तरता हमेशा बनी रहती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भी आपने इस इकाई में पढ़ा। संचार का संस्कृति से क्या सम्बन्ध है तथा सांस्कृतिक और अन्तर्सांस्कृतिक संचार क्या है यह भी आपने इस इकाई में पढ़ा। संस्कृतिकरण की क्या प्रक्रिया है। समाज में सांस्कृतिक संचार की क्या आवश्यकता और महत्व है इसे भी इस इकाई में स्पष्ट किया गया है।

6.10 शब्दावली

1.	कलात्मक सर्जन	सुन्दर और आकर्षक वस्तुओं का निर्माण
2.	वंशानुक्रमण	पीढ़ी दर पीढ़ी
3..	अनुकूलन	ढालना, सामंजस्य स्थापित करना
4..	अविच्छिन्नता	अलग न किया जा सकने योग्य

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	जन संचार समग्र	डॉ. अर्जुन तिवारी
2..	अन्तर्सांस्कृतिक संचार	डॉ. मुक्ति नाथ झा
3.	धर्म का समाजशास्त्र	डॉ. श्याम धर सिंह
4..	जन संचारःकल और आज	डॉ. मुक्ति नाथ झा

6.12 सम्बन्धित प्रश्न

6.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति से क्या तात्पर्य है।
2.. संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. सभ्यता और संस्कृति में अन्तर स्पष्ट करें।
4. परम्परा का संस्कृति से क्या सम्बन्ध है।
5. सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं।

6.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

परम्परा और सभ्यता को स्पष्ट करते हुए संस्कृति से इसकी भिन्नता स्पष्ट करें।

संस्कृति की प्रक्रिया को बनाए रखने में संचार की भूमिका स्पष्ट करें।

2.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसे "सम्पूर्ण जटिलता" कहा है।

(क) मैकाइबर

(ख) दुर्खीम

(ग) राबर्ट वीरस्टीड

(घ) पारसन्स

The Social System (द सोशल सिस्टम) पुस्तक के लेखक कौन हैं।

(क) राबर्ट वीरस्टीड

(ख) पारसन्स

(ग) महर्षि अरविन्द

(घ) राजा राम मोहन राय

'सभ्यता मानव जाति की शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है।"यह कथन है"

(क) पारसन्स (ख) सोरोकिन (ग) टायलर (घ) कोम्ट

इनमें से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है।

(क) प्राचीनता, (ख) धार्मिकता (ग) देव परायणता

(घ) आधुनिकता

6.12.4 उत्तर

1. (ग) **2.** (ख) **3.** (ग) **4.** (घ)

इकाई -7 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय

पाश्चात्य, ग्रीक, अरब, बौद्ध, चीन

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का आधार

7.3 पाश्चात्य संस्कृति

- 7.3.1 पाश्चात्य संस्कृति का आधार
- 7.3.2 पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएँ
- 7.3.3 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

7.4 ग्रीक संस्कृति

- 7.4.1 ग्रीक संस्कृति का आधार
- 7.4.2 ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं
- 7.4.3 ग्रीक संस्कृति का प्रभाव

7.5 अरब संस्कृति

- 7.5.1 अरब संस्कृति का आधार
- 7.5.2 अरब संस्कृति की विशेषताएं
- 7.5.3 अरब संस्कृति का प्रभाव

7.6 बौद्ध संस्कृति का आधार

- 7.6.1 बौद्ध संस्कृति की उत्पत्ति
- 7.6.2 बौद्ध संस्कृति की विशेषताएं
- 7.6.3 बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

7.7 चीन की संस्कृति

- 7.7.1 ताओ संस्कृति
- 7.7.2 कन्फ्यूसियस संस्कृति
- 7.7.3 चीनी संस्कृति का प्रभाव

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

0 सन्दर्भ ग्रन्थ

1 प्रश्नावली

7.11.1.लघु उत्तरीय प्रश्न

7.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

7.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

0 उद्देश्य

अध्ययन की इस इकाई का उद्देश्य आपको विश्व की प्रमुख संस्कृतियों से परिचित ाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे कि -

विश्व की प्रमुख संस्कृतियां कौन कौन सी हैं ?

विश्व की प्रमुख संस्कृतियों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ?

इन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

इन संस्कृतियों का मानव जगत पर क्या प्रभाव है ?

विश्व के किस भू-भाग में किस संस्कृति का प्रभाव ज्यादा है ?

.1 प्रस्तावना

संस्कृति को अनेक विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से परिभाषित किया है। यदि भी परिभाषाओं की समीक्षा की जाय तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण विश्व में भी सर्वोत्तम बातें जानी गई हैं, या कही गई हैं, उनसे अपने आपको परिचित कराना संस्कृति है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक क्तियों का प्रशिक्षण दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। इस अर्थ संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अन्तर्राष्ट्रीय है। संस्कृति कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं। राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर छ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। उन संस्कृतियों के नाम भी राष्ट्रीय गये। जैसे भारतीय संस्कृति, योरोपीय संस्कृति, आदि। इस प्रकार विश्व में अनेक स्कृतियां विकसित हुई। इस इकाई में हम विश्व की प्रमुख संस्कृतियों के रूप में पाश्चात्य योरोपीय) संस्कृति अरब (मुस्लिम) संस्कृति, ग्रीक (यूनानी) संस्कृति, बौद्ध संस्कृति तथा ीन की संस्कृति का विस्तार से क्रमवार अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विस्तार चर्चा इकाई 8 में की गई है।

7.2 विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का आधार

विश्व में जितनी भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में हैं उनका आधार धर्म ही है। प्रत्येक राष्ट्र में समाज में कभी कभी ऐसे महापुरुष पैदा हो जाते हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। प्राचीन प्रचलित धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं एवं मूल्यों में संशोधन करते हैं और एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था को जन्म देते है। आगे चलकर यह सांस्कृतिक व्यवस्था समाज में प्रचलित हो जाती है और इस व्यवस्था के साथ इन महापुरुषों का नाम जुड़ जाता है। उदाहरण स्वरुप बौद्ध, ईसाई, आदि संस्कृतियां इनके प्रवर्तकों के नाम से विश्व में प्रचलित हुई।

धर्म ही संस्कृति का मूल आधार है। मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन याप्न: के जो तरीके ईजाद किए, जो नियम बनाए, वही संस्कृति है।देश काल परिस्थिति के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन भी होते रहते हैं। आगे चल कर जब मानव समाज विभिन्न धार्मिक समूहों में बंट गया तो उनकी संस्कृतियां भी उनके समूह के धर्म क्रे अनुरूप परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि जहाँ आदिकालीन भारत में वैदिक संस्कृति की प्रधानता थी वहीं आगे चल कर यही भारतीय संस्कृति बौद्ध, जैन, सिक्ख, आर्य समाज, ब्रहम समाज आदि समूहों में विभक्त हो गई। इन सब विभेदीकरण के मूल में धर्म की ही प्रधानता रही है। विश्व पटल पर यही संस्कृति इस्लाम, इसाई, यहूदी आदि रूपों में देखने को मिलती है।

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति का मूल आधार धर्म ही है! धार्मिक विभिन्नताओं के कारण ही संस्कृतियों में भी भिन्नता पायी जाती है। देश - काल- परिस्थिति और धर्म से प्रभावित होकर संस्कृति अपना एक विशिष्ट रूप ले लेती है। जिसे आज हम पाश्चात्य (योरोपीय), पूर्वी (एशियाई) और अरब (इस्लाम) संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्व में जितनी भी संस्कृतियां प्रचलित हैं उनका आधार धर्म और दर्शन ही है।

7.3 पाश्चात्य संस्कृति

पृथ्वी के पश्चिमी भाग में बसे देशों की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देशों में पुर्तगाल, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि है। इन्हीं देशों में जो संस्कृति प्रचलित है उसे ही पश्चात्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है।

7.3.1 पाश्चात्य संस्कृति का आधार

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि धर्म ही संस्कृति का मूल आधार है। पाश्चात्य संस्कृति के आधार के रूप में हम इसाई धर्म को मानते हैं । पाश्चात्य संस्कृति, जिसमें सभी योरोपीय देशों की संस्कृतियां समाहित हैं, का मुख्य आधार इसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के धार्मिक उपदेश हैं। आज के लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा का जन्म हुआ

ख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ईसा के प्रधान उपदेश विश्व में शैलोपदेश (पहाड़ पर देश) के नाम से विख्यात हैं। यही शैलोपदेश पाश्चात्य संस्कृति का प्रमुख आधार है। ा के कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार से हैं ।

जिनके अन्दर दीन भावना उत्पन्न हो गयी है ,वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।

जो आर्त्त भाव से रोते हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें भगवान की ओर से आश्वासन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं। वे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति होती है।

दयालु पुरुष धन्य है, क्योंकि वे ही प्रभु की दया प्राप्त कर सकेंगे।

जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होगा।

शान्ति के प्रचारक धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान के पुत्र कहे जाएँगे।

धर्म पर दृढ़ रहने के कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होता है।

कहा गया है कि व्यभिचार मत करो, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे मन से किसी को देखता है, वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका।

यदि तुम्हारी दाईं (एक) आंख तुम्हें ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए भला है कि एक अंग का नाश हो और सारा शरीर नरक से बचा रहे।

कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पर मेरा कहना है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो और अपने को कष्ट देने वालों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो।

दान देना है तो गुप्त दान करो, घोषित दान व्यर्थ है। परमेश्वर सब देखता है, वह तुम्हारे गुप्त दान का पुरस्कार देगा।

कल की चिन्ता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिन्ता आप करेगा।

इस प्रकार के अनेक उपदेशों का उल्लेख मैथ्यू के पांचवे से सातवें अध्याय में है, ईसाई धर्म का सार है।

मरते समय ईसा ने क्षमा की जो अभय वाणी दी, वह विश्व इतिहास में प्रसिद्ध ईसा ने सूली पर चढ़ते समय शान्त भाव से कहा था-- प्रभु "इन्हें क्षमा करना, ये नहीं नते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता ! यह आत्मा तुम्हें अर्पित है। यह कह कर उन्होंने प्राण ग किया।

7.3.2 पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएं

ईसाई धर्म की अनेक प्रमुख विशेषताएँ हमें पाश्चात्य संस्कृति में देखने को मिलती हैं। संक्षेप में वे विशेषताएं निम्नलिखित हैं --

1. परमेश्वर एक है, जो निरंजन, निराकार और ज्योति स्वरूप है।

2. ईसा को परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके चमत्कारों को ठीक मानना चाहिए।

3. ईश्वर की सदैव आराधना करनी चाहिए।

4. बाइबिल को सत्य मानना और सदैव सत्य वचन बोलना चाहिए।

5. चोरी और अन्य कुकर्मों से बचना चाहिए।

6. ईसा मरकर भी अमर है, उनका महिमामय पवित्र शरीर विद्यमान है। (God the father, God the son and God the holy Ghost)

7. ईसा उनके पिता अर्थात् परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही हैं।

ईसाई धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर पुत्र ईसा ने मनुष्यों के उद्धार के लिए अवतार लेकर धर्म का उपदेश दिया और लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अतः उनकी भक्ति में ही सबका कल्याण निहित है। इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए सभी को आत्म बलिदान की भावना और भातृ भाव रखना चाहिए। इससे मुक्ति मिलती है।इस सिद्धान्त को मान लेने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। फिर मनुष्य को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। सारांशतः ईसाई धर्म एकमात्र भक्ति और शरणागति का धर्म है।

1. पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

ईसा की मृत्यु के बाद उनके आदेश से उनके शिष्यों ने उनका कार्यभार संभाला। ईसा के चार शिष्यों-- मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन ने उनकी जीवनी और उपदेशों का संकलन किया जो कालान्तर में न्यू टेस्टामेंट कहा गया। यहूदियों की बाइबिल भी इस बाइबिल में मिला दी गई और उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया।

312 ई. तक ईसाई समुदाय के लोग बड़े कष्ट और परिश्रम से धर्म प्रचार करते रहे। धीरे-धीरे शासक वर्ग ने इस धर्म को स्वीकार किया और संरक्षण देने लगे। शासकीय संरक्षण पाकर इस धर्म की जडें मजबूत होने लगी। ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा का पूर्ण निषेध रहने पर भी ईसा एवं मेरी की प्रतिमाओं का पूजन भक्तगण करते रहे। मध्य काल में पोप के पास असीम शक्ति हो गई थी। धार्मिक सत्ता का प्रमुख होने के कारण पोप अघोषित सम्राट के रूप में स्थापित हो गये। सन 1517 में मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया। उसने पोप के स्वार्थपूर्ण नियमों को एकत्र कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और यह प्रचारित किया कि वे नियम प्रजा के लिए हानिकारक हैं। विरोध करने के कारण लूथर और उसके अनुयायी प्रोटेस्टैन्ट नाम से विख्यात हुए।

ईसा की शिक्षाएँ अद्भुत थीं। 'पहाड़ पर के उपदेश' (Surmon in Mountain) के चवे, छठे और सातवें अध्याय जगत प्रसिद्ध हैं । ईसा की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य ी चरित्र-भ्रष्टता तथा समाज की कुरीतियों की लीपापोती आदि करना नहीं था। मनुष्य दय को परिवर्तित कर हृदय मन्दिर में आदर्श मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना था, और सी पृथ्वी पर 'ईश्वर का राज्य' (Kingdom of Heaven) उतारना था, मनुष्य का पुनर्जन्म रना था। नई किताब में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी का मानव जन्म सुसंस्कृत हो तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जो शरीर से जन्मा है ह शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ है वह आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि तिक शिक्षा ऊंची से ऊंची कोटि की क्यों न हो, वह मनुष्य के स्वभाव में आमूल परिवर्तन हीं कर सकती।

ईसा की शिक्षा में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्यों को धर्म-शिक्षा अनुकरण करने की बराबर प्रेरणा दी । ईसा ने मनुष्यों में अपने प्रति भक्ति का भाव र यह विश्वास उत्पन्न किया। ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है -- "जीवन और सच्चाई मार्ग मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।" ईसा ने पने और ईश्वर में भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि परमेश्वर ने जगत के प्रति ऐसा दिखलाया कि उसने जगत को अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई पुत्र पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो और अनन्त जीवन पाए। इस प्रकार बाइबिल अनेक वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसा पर किसी न किसी रूप में अद्वैत वेदान्त प्रभाव पड़ा था और यह समझते हुए कि प्रत्येक जीव उसी एक ईश्वर का अंश है और (ईश्वर) अंशी है, अपने और जोहवा (ईश्वर) में उन्होंने अभेद सम्बन्ध माना।

'बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता' -- ईसा के इस कथन का भिप्राय यह है कि मनुष्यों के प्रतिनिधि-रूप ईसा और परमात्मा में अभिन्नता का ज्ञान बिना मनुष्य का उद्धार सम्भव नहीं। कथन का यह भी अभिप्राय है कि ईसा ईश्वर थे और बिना ईश्वर रूप हुए मनुष्य के उद्धार की आशा नहीं। यदि हम बाइबल र गीता का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें आश्चर्यजनक समानता दीख पड़ेगी । वान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। इसी प्रकार, बाइबल में भी ईसा ने यही कहा है कि द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चित है-- अन्य उपाय नहीं है।

ईसा को ईश्वर की सत्ता के लिए किसी भौतिक अथवा दार्शनिक प्रमाण की वश्यकता नहीं थी। वे ईश्वर की सत्ता का आन्तरिक अनुभव करते थे। भगवान के ीप ही अपने को देखते थे और भगवान के सम्बन्ध में जो कुछ भी करते या कहते थे, अपने हृदय के अनुभव से। जिस प्रकार बालक माता की गोद में रहता है उसी र वे सदैव अपने को ईश्वर की गोद में समझते थे। उन्होंने अपने को कभी भगवान कहा। भगवान को पिता के रूप में देखना ही उनका लक्ष्य था।

ईसा की इन्हीं शिक्षाओं का आश्रय लेकर पश्चिमी देशों में अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव विश्व में इतना व्यापक हुआ कि भाषा, रहन सहन, जीवन शैली आदि में मौलिक परिवर्तन करते हुए आज पूरे विश्व का पश्चिमीकरण हो रहा है ।

7.4. ग्रीक संस्कृति

ग्रीक संस्कृति अर्थात यूनान की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अनेक संस्कृतियों ने ग्रीक संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपने में परिवर्तन किए हैं । यूनान की संस्कृति को पाश्चात्य (रोमन) संस्कृति की जननी भी माना जाता है। समकालीन विश्व के अधिकांश तत्त्व हमें प्राचीन यूनान में दिखाई देते हैं। वैचारिक क्षेत्र के अतिरिक्त हस्त शिल्प, खनन, तकनीक, अभियान्त्रिकी (इन्जीनियरिंग) के मूलभूत सिद्धान्त , व्यापार, एवं वित्त सम्बन्धी प्रक्रियाएं राजनीतिक प्रणाली, जूरी के माध्यम से न्याय, नागरिक स्वतंत्रता, विश्वविद्यालयों, व्यायामशालाओं, क्रीडांगनों (स्टेडियम) खेलकूद, कला एवं साहित्य, और ईसाई धर्म विद्या तथा रीति रिवाजों, सभी का जनक ग्रीस को बताया गया है। प्राचीन यूनान आधुनिक योरोपियन सभ्यता का मूल स्रोत माना जाता है, परन्तु अनवरत सांस्कृतिक विकास को देखते हुए योरोपीय देशों की अपेक्षा भारत, चेतना एवं दृष्टिकोण के आधार पर यूनान के अधिक निकट हैं।

7.4.1.ग्रीक संस्कृति का आधार

प्राचीन काल में भू मध्य सागर के एक छोटे से प्रायद्वीप में हेलेनियस नाम की एक जाति निवास करती थी। अपने देश को वे हेलास नाम से पुकारते थे। यही हेलेनियस जाति ही आगे चलकर यवन अथवा ग्रीक नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन लोकगाथाओं के अनुसार उनके आदि पुरुष का नाम हेलेन था। यही उनके और उनके देश के नामों का उद्‌गम था। हेलास को ग्रीस नाम रोमनों द्वारा व्यवहृत **ग्रेसी** शब्द से मिला। योरोपीय देशों और पश्चिमी जातियों के सांस्कृतिक तथा अन्य पक्षों के विकास में इस जाति का विशेष योगदान रहा है। योरोप की सभ्यता एवं संस्कृति पर यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव आज भी विद्यमान है। पूर्व की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के सम्पर्क में आने वाला प्रथम पश्चिमी देश भी यही था। अतः पूर्वी संसार की दृष्टि से भी इस यवन जाति की सांस्कृतिक महत्ता कम नहीं है।

प्रसिद्ध विद्वान टायनवी ने प्राचीन यूनानी सभ्यता को एक कलाकृति कहा है। सभ्यताएं मानव समाज की श्रेष्ठतम एवं सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धियाँ हैं । यह सत्य है कि कलाकृतियां व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती हैं और सभ्यता मानव समाज द्वारा, किन्तु कलाकृतियों के सृजन में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होता ही है। सभ्यता सामाजिक कलाकृति है जिसकी अभिव्यक्ति किसी सामाजिक कार्य में होती है ।

त संस्कृति के मूल में वैयक्तिक सुख एवं ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचने की लसा थी। पाश्चात्य जगत में पिछली अनेक शताब्दियों में यूनानी संस्कृति ने प्रेरणा दान करने की अनूठी क्षमता का प्रदर्शन किया है। पश्चिमी इतिहास में शायद ही ना कोई मोड़ या बिन्दु हो जहाँ यूनानी संस्कृति की विस्फोटक शक्ति सक्रिय न रही । हेलेनिक संस्कृति व सभ्यता स्वयं मिस्री संस्कृति के विविध प्रभावों से युक्त एवं भूत मानी जाती है। जन्म के साथ इसका तीव्र गति से देश और काल दोनों दृष्टियों विस्तार प्रसार एवं विकास हुआ। पांचवी शताब्दी में पेरीक्लीज के शासन काल में नानी जन मानस ने स्वयं को अन्धविश्वास से मुक्त करने का प्रयास किया, नए ज्ञानों को जन्म दिया। चिकित्सा को बुद्धि संगत तथा इतिहास को धर्मनिरपेक्ष एवं नैतिक ाया। काव्य, नाटक दर्शन, इतिहास तथा कला में काफी प्रगति की। इस चरमोत्कर्ष हेलेनिक संस्कृति अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त की। उसके शिल्प, स्थापत्य एवं वनों की सुन्दरता अतुलनीय थी। यही हेलेनिक संस्कृति कालान्तर में यूनानी (ग्रीक) स्कृति का आधार बनी और ग्रीक संस्कृति के नाम से विश्व में विख्यात हुई।

4.2 ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं

संक्षेप में ग्रीक संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--

यूनानी (ग्रीक) संस्कृति शुद्ध रूप से प्रकृति से प्रारम्भ हुई मानी जाती है। इस संस्कृति में विस्तार युक्त मतों, रूढ़ियों तथा परम्पराओं से कोई उलझाव (विवाद) नहीं है।

मौलिकता ग्रीक सस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अपने अपकर्ष में भी यूनानियों ने कम ग्रहण किया अधिक प्रदान किया।

ग्रीक संस्कृति स्वनिर्मित है। अर्थात इन्होंने अपनी संस्कृति का स्वयं निर्माण किया। यद्यपि औपनिवेशीकरण के युग में इन पर प्राच्य जगत का व्यापक प्रभाव पड़ा ।

यवनों को विरासत में अपने पूर्वजों से आधार स्वरूप कोई उल्लेखनीय सांस्कृतिक देन नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने ऐसी बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियाँ अर्जित की जिससे मनुष्य को विवेक और सौन्दर्य की खोज में सदैव प्रेरणा मिलती रहे।

प्राचीन अशान्ति काल के अतिरिक्त शेष समय में हिंसात्मक क्रान्ति की अनुपस्थिति, क्रूर आपराधिक प्रवृत्ति का लगभग अभाव, सम्पत्ति और मनोरंजन के प्रति उचित मात्रा में आसक्ति इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यूनानी लोगों का जीवन अपेक्षाकृत आनन्दमय एवं सन्तोषजनक था।

और भावात्मक संघर्षों से सदा मुक्त रहे।

7. वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनकी प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता है।

8. नाटक एवं प्रतिमा विषयक कलाओं में सौन्दर्य की अनुभूति इस संस्कृति में सर्वत्र दिखाई देती है।

9. गणित, खगोल विद्या और विज्ञान का शिलान्यास ग्रीक संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है।

10. ग्रीक संस्कृति ने ही सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धान्तों का समन्वित संकलन किया है।

11. शासितों (जनता) के प्रति उत्तरदायी लोकतन्त्रीय शासन पद्धति, जूरी द्वारा न्यायिक परीक्षण प्रणाली का विकास और नागरिक स्वतंत्रता की विचारधारा ग्रीक संस्कृति की विशेषता है।

12. जन कल्याण एवं नागरिकों द्वारा शासन में सहयोग का विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व की भावना ग्रीक संस्कृति की एक अन्य विशेषता है।

13. ग्रीक संस्कृति की एक अन्य विशेषता यह है कि वहां के कानून प्रायः जन समर्थन पर आधारित होते थे, किसी राजा या पुरोहित की इच्छा पर नहीं।

14. यवन धर्म सांसारिक (लौकिक) व्यवहारिक एवं मानव मात्र के अनुकूल था। देवी देवता की उपासना मानव जीवन को आदर्श बनाने के निमित्त थी। उन्होंने मानव का दैवीकरण और देवताओं का मानवीकरण किया।

15. यूनानी संस्कृति में कोई विशेष पुरोहित वर्ग नहीं था। वे किसी धार्मिक पंथ विशेष से भी बंधे नहीं थे। बद्धि और व्यवहार के क्षेत्र में पुरोहितों एवं देवताओं का हस्तक्षेप भी उन्हें स्वीकार नहीं था। यह ग्रीक संस्कृति की अद्भुत विशेषता है।

संक्षेप में उपर्युक्त विशेषताएं ग्रीक संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करती है।

7.4.3 ग्रीक संस्कृति का प्रभाव

ग्रीक संस्कृति विश्व की एकमात्र ऐसी प्राचीनतम संस्कृति है जिसने न केवल पाश्चात्य जगत को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। संक्षेप में हम ग्रीक संस्कृति के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं :

1. ईश्वर से प्राप्त वैयक्तिक प्रस्थिति की चेतना यहूदी समुदाय को ग्रीक विचारों से ही प्राप्त हुई है। इसका उद्भव प्रायः प्लेटो के साथ हुआ था।

मध्ययुगीन राजनीतिक विवाद, बडे अंशों में राजाओं द्वारा विधि की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना के प्रयासों से सम्बन्धित थे। विधि (कानून) शासन के ऐसे उपकरण थे जिनका निर्माण रोमनों ने किया था किन्तु ये संस्कारित ग्रीक संस्कृति से ही हुए थे।

17वीं शताब्दी में जिज्ञासा एवं प्रयोग के नए वैज्ञानिक युग का आरम्भ होने तक चिकित्सा, खगोल विद्या और भूगोल के क्षेत्र में यूनान के सिद्धान्तों और मान्यताओं को असंदिग्ध विश्वास पद्धति के साथ स्वीकार किया जाता रहा । यूनानी चिकित्सा पद्धति आज भी विश्व व्यापी एवं प्रभावी चिकित्सा पद्धति है।

1900 ई0 के लगभग तक सम्पूर्ण येरोप में ज्यामिति के तत्वों की शिक्षा ई0 पू0 चौथी शताब्दी के यूनानी गणितज्ञ यूक्लीडीज की पुस्तक से दी जाती थी। प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ पाइथागोरस का सम्बन्ध यूनान से ही है। जिनका प्रमेय आज भी विश्व में रेखागणित में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ाया जाता है।

डायोनिसिय ई0 पू0 प्रथम शताब्दी का यूनानी था जिसने यह उल्लेखनीय अन्वेषण किया था कि व्याकरण के विज्ञान जैसा कोई तत्व था, अर्थात मनुष्य दैनिक बोलचाल में अचेतन रूप से अत्यन्त सूक्ष्म तथा जटिल नियमों का पालन करते हैं, जिनका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात् व्याकरण को एक विषय के रूप में योरोप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय ग्रीक संस्कृति को ही है।

दर्शन के क्षेत्र में ग्रीक संस्कृति का प्रभाव सर्वविदित है।दर्शन का जनक यूनानी दार्शनिक व गणितज्ञ थेतस को माना जाता है।दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान का मूल प्लेटो ने विस्मय को, अरस्तू ने यथार्थ को तयूसिस ने प्रज्ञा (हेतु) को बताया है। ये सभी विद्वान यूनानी थे और इनके दार्शनिक विचार आज भी विश्वव्यापी एवं प्रासंगिक हैं। यह ग्रीक संस्कृति के प्रभाव का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है।

विज्ञान भी दर्शन का ही अंग था। ग्रीक संस्कृति ने विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सत्य के प्रति आग्रह प्रदर्शित किया और विभिन्न वैज्ञानिक विधाओं को पृथक अस्तित्व प्रदान किया। अनेक वैज्ञानिक मान्यताओं का सृजन भी किया।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी यूनान की महत्वपूर्ण देन है। ई0पू0 460 में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटीज ने जो चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित रचनाएं की, वे आज भी चिकित्सकों के लिए अनुकरणीय मानी जाती हैं।

विज्ञान एवं दर्शन के साथ ही कला और साहित्य में भी ग्रीक संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।यूनानी साहित्य आज भी जीवन्त और प्रासंगिक है। यही इस साहित्य का श्रेष्ठतम गुण है और इस संस्कृति के प्रभाव का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी।

यन्त्रों को छोडकर आधुनिक संस्कृति में (विशेषकर पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता में) शायद ही ऐसा कोई तत्व हो जिसका मूल यूनानी संस्कृति में न हो। स्कूल,

जिमनाजियम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री,हिस्ट्री, रेटॉरिक (वाकपटुता या अलंकार शास्त्र) फिजिक्स, बायोलॉजी, अनाटमी (शरीर रचना शास्त्र) कास्मेटिक्स (प्रसाधन), पोएट्री, म्युजिक, ट्रेजडी, कॉमेडी, फिलासफी, थियोलॉजी (धर्मशास्त्र), इथिक्स,पालिटिक्स, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ही हुई है। यह ग्रीक संस्कृति के विश्वव्यापी प्रभाव का उदाहरण है।

ग्रीक संस्कृति के उपर्युक्त प्रभावों से यह स्पष्ट होता है कि यूनानी सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का मार्ग दर्शन न करता हो। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विश्व पर, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत पर यूनानी संस्कृति का प्रबल प्रभाव रहा है।

7.5 अरब संस्कृति

अरब संस्कृति , मुस्लिम संस्कृति अथवा इस्लाम संस्कृति तीनों का एक ही आशय है और वह है इस्लाम संस्कृति।इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ई0 में अरब राष्ट्र के मक्का शहर में हुआ था। उस समय जदीस, समूद, कहतान, इस्माइल और यहूदी वंश के लोग अरब में रहते थे। उन दिनों अरब की राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब थी। नर बलि, व्यभिचार, जुआ और मद्यपान आदि बुराइयां समाज में व्याप्त थी। पिता की असंख्य स्त्रियां दाय--भाग के आधार पर पुत्रों में बांट दी जाती थी जिन्हें वे अपनी स्त्री बना लेते थे।

7.5.1 अरब (इस्लाम) संस्कृति की विशेषताएं

इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएँ हैं जो अन्य में परिलक्षित नहीं होती। वे निम्नलिखित हैं-

1. प्रायः किसी भी धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं दिया गया है, किन्तु इस्लाम ने दिया है। कहा गया है कि माता पिता या सम्बन्धी जो कुछ थोड़ा बहुत छोड़कर मरते हैं, उसमें स्त्री पुरुष दोनों का भाग है।कुरान में कहा गया है कि 'परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सन्तान में पुरुष का भाग दो स्त्री के बराबर होता है।

2. इस्लाम में परोक्ष रूप से चार विवाह करने की आज्ञा है। कुरान में कहा गया है कि यथेच्छ विवाह करो --एक, दो, तीन, चार किन्तु यदि भय हो कि प्रत्येक विवाहिता के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकोगे तो एक ही विवाह से सन्तोष करो।

3.स्त्रियों के लिए परदे का प्रचलन भी कुरान में उल्लिखित है।

4. स्वर्ग नरक की अवधारणा भी इस्लाम में है। इसके अनुसार अच्छे कर्म करने वाले जन्नत (स्वर्ग) और बुरे कर्म करने वाले को दोजख (नरक) प्राप्त होता है।

पुनर्जन्म की अवधारणा इस्लाम में नहीं है।कुरान के अनुसार मनुष्य का यह जन्म प्रथम और अन्तिम है। कुरान में ही कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पुनर्जन्म को प्रमाणित करते हैं। जैसे-- जिन पर परमेश्वर कुपित हुआ, उनमें से कुछ को बन्दर और सुअर बना दिया, इसके अतिरिक्त अन्य अनेक वाक्य ऐसे हैं जिनसे पुनर्जन्म और आत्मा की नित्यता स्पष्ट होती है।

कयामत के रूप में न्याय दिवस की अवधारणा कुरान में है। इस्लाम के अनुसार संसार में मनुष्य पशु आदि सभी जीव प्रथम ही प्रथम शरीर में प्रविष्ट हुए हैं । मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। संसारी प्राणी का कोई संचित प्रारब्ध कर्म नहीं होता। जगत के भोगों की असमानता जीव के कर्म के अनुसार नहीं वरन ईश्वरेच्छा है। कयामत के दिन प्रत्येक जीव अपने पुरातन शरीर के साथ जी उठेगा और उसी दिन उसके शुभाशुभ कर्मो का दण्ड या पारितोषिक दिया जायेगा। उस दिन न किसी का कोई सहायक होगा और न सहायता पाएगा। अतः कयामत के दिन का आध्यात्मिक भय हर मुसलमान को रहता है।

इस्लाम धर्म एकेश्वर वादी है। इसके अनुसार अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। जगत की सारी घटनाएं उसी की इच्छा का परिणाम है। कुरान में साकार ईश्वर की भी कल्पना की गई है। ईश्वर सातवें आसमान में सिंहासन पर बैठकर फरिश्तों के द्वारा सृष्टि पर शासन करता है। कुरान में जहां एक ओर ईश्वर के सर्वव्यापी होने की कल्पना है वहीं दूसरी ओर सातवें आसमान पर सिंहासनारूढ़ होकर मोहम्मद साहब के पास कुरान को जिब्राइल द्वारा भेजने का भी भाव है। ईश्वर सम्बन्धी कुरान का यह भाव हिन्दू धर्म की द्वैत--अद्वैत भावों का मिश्रण है।

इस्लाम में फरिश्तों (देवदूतों) को माना गया है। प्रत्येक मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के लेखक तथा रक्षक फरिश्ते हैं, जिनके बारे में कुरान में कहा गया है कि निस्संदेह तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं , जो कुछ तुम करते हो वे उसे जानते हैं।

फरिश्तों के अतिरिक्त कुरान में एक तरह के अन्य अदृश्य प्राणियों की कल्पना की गई है, जो सब जगह आने - जाने में फरिश्तों के ही समान हैं परन्तु ये शुभ कर्मों से हटाकर मनुष्यों को अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं।उन्हें शैतान (पापात्मा) कहा गया है। सूक्ष्म विवेचन करने पर हम पाते हैं कि शैतान हमारे शरीर में रहने वाले विकराल विचार हैं और उसी प्रकार फरिश्ते सद्विचार हैं। हमारे दिल में निरन्तर इन विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है।

2 अरब (इस्लाम) संस्कृति का प्रभाव

इस्लाम के पवित्र ग्रन्थ कुरान में कुछ धार्मिक उपदेश दिए गये हैं । जिनका प्रभाव मानव मन पर गहरा पड़ता है। इनमें कुछ कर्म निन्दित कर्म की श्रेणी में रखे गये हैं और मनुष्यों को इन कर्मों से विरत रहने की सलाह दी गई है।

इस्लाम धर्म में कुछ कृत्यों की घोर निन्दा करते हुए इसे निन्दनीय बताया गया है। कुरान के अनुसार निम्नलिखित कर्म निन्दनीय माने गये हैं--

1. सूद लेना निन्दनीय कृत्य के साथ महापाप है।
2. कृपणता अपराध है इसलिए इससे बचना चाहिए।
3. फिजूलखर्ची निन्दनीय है।
4. मद्यपान का निषेध किया गया है।
5. जुआ खेलना महापाप है।
6. लोगों पर अन्याय करना एवं व्यर्थ धर्मात्मा होने की धूम मचाना निन्दनीय है।

इन निन्दित कर्मों के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपदेश भी हैं जिनका पालन करने से मानव का कल्याण होता है । ये उपदेश आज के युग में भी प्रासंगिक और प्रभावी हैं।

कुरान के उपदेश -- संक्षेप में हम कुरान के उपदेशों का सार निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं :--

1. भिक्षुकों एवं फकीरों को दान देना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्म है।
2. दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा दूसरों से अपने प्रति अपेक्षित हो।
3. किसी के साथ अन्याय मत करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय नहीं करेगा।
4. भूखों को भोजन देना।
5. रोगी की सेवा करना और बन्धन में पड़े हुए लोगों को बन्धन मुक्त करना।
6. किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा न करना।
7. पृथ्वी पर कभी भी मद में चूर नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान घमण्डी को प्यार नहीं करता।
8. दान देने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है।
9. जो दाहिने हाथ से देकर बाएं हाथ से उसको छिपा लेता है, वह सब पर विजय प्राप्त करता है।
10. जो अल्लाह के बन्दों से प्यार नहीं करते, अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता।

इस्लामी सम्प्रदाय --

मुसलमानों के कई सम्प्रदाय हैं किन्तु निम्नलिखित पांच प्रमुख माने गये है। 1. सुन्नी, 2. शिया, 3. वहाबी, 4. आगारवानी, 5. कादियानी । इसके अलावा हिन्दू वेदान्त मत के समान सूफी सम्प्रदाय भी हैं।

सभी सम्प्रदाय के लोग मोहम्मद साहब और कुरान में पूर्ण आस्था रखते हैं। सुन्नियों संख्या सर्वाधिक है। इमाम हुसैन के अनुयायी शिया और खलीफा के अनुयायी हो गये।

वहाबी आर्यसमाजियों की तरह मृत व्यक्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते। का अनुसरण करते हुए वहाबी रा ा इब्न सईद ने, अरब के समस्त कब्रगाहों को ाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया, अन्य विचारधारा वाले मुसलमानों का विचार कर मोहम्मद साहब के स्मारक को छोड़ दिया।

आगारवानी भारत और अफ्रीका में रहते हैं और मेनन नाम से प्रसिद्ध हैं। ये धिक धनाढ्य मुसलमान होते हैं। इनका मानना है कि आगा खां ईश्वर के अवतार हैं उन्हें मनुष्यों को नरक में भेजने का अधिकार हैं।

कादियानी मत के अनुयायी सिर्फ भारत के पंजाब प्रान्त में हैं।इसके प्रवर्तक ा अहमद कादियान गुरुदासपुर जिले के थे। इनके नाम पर ही यह सम्प्रदाय कादियानी से विख्यात है। यह मत सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करता है। इस मत का ा है कि मुहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर नहीं हैं। कृष्ण, नानक आदि सभी मोहम्मद ा के समान पैगम्बर या अवतार है।

मुसलमानों का उदारवादी सम्प्रदाय जो परमप्रियतम के रुप में परमेश्वर की ना करता है सूफी कहलाता है । सूफी मत की यह धारणा है कि प्रभु की प्रेरणा दय से प्राप्त होती है। सूफी मत का मानना है कि जो कुछ सत्ता है वह एकमात्र प्रभु । यह मुस्लिम वेदान्तमत है और "अनलहक" (मैं ही ब्रहम हूँ) इसका साधना मन्त्र बमें प्रभु है और सब कुछ प्रभु में है। प्रभु के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर उसमें लीन ही सूफी साधना है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना इनका साधन है।

यह अरब संस्कृति के प्रभाव का ही परिचायक है कि विश्व के अधिकांश भागों में आबादी है। अरब देश, ईरान, ईराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अनेक राष्ट्र नी कानून से संचालित होते हैं जबकि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में भी इस ति के समर्थकों को इस्लामी कानून का संरक्षण प्राप्त है। विश्व के जिस किसी भाग पर इस्लाम संस्कृति के समर्थक हैं वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इनका पूर्ण स्थान है।

बौद्ध संस्कृति

गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। वे संसार में महान कार्य करेंगे ऐसी भविष्यवाणी ों ने उनके जन्म काल में ही कर दी थी। इन्होंने यथाविधि गुरुकुल में रहकर शिक्षा की । अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण शीघ्र ही वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गये।राजकुमार सार से विरक्ति एवं ध्यान में मग्न रहने की प्रवृत्ति के कारण पिता ने उनका विवाह

18 वर्ष की आयु में ही कर दिया। विवाह, राजसी वैभव और सांसारिक सुख गौतम बुद्ध को बांधकर न रख सका, और उन्होंने एक दिन अपने नवजात शिशु और पत्नी तथा समस्त राजकीय वैभव त्याग कर ब्रहमचारी के वेष में गृह त्याग कर दिया।

7.6.1 बौद्ध संस्कृति का आधार

बौद्ध संस्कृति का मुख्य आधार बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। भारत में हिन्दू धर्म की जटिलता के विरोध स्वरूप उपजा यह धर्म भारत में सर्वमान्य नहीं हो सका परन्तु वहीं यह धर्म जापान, मलेशिया, थाईलैण्ड, श्रीलंका और चीन में व्यापक रूप से मान्य हुआ और इन देशों की संस्कृति भी बौद्ध धर्म आधारित हो गई।

सर्वप्रथम गौतम ने तत्कालीन समय में प्रचलित तपस्या को अपने ज्ञान का साधन बनाया।उन्होंने (बोधगया के निकट) अपने पांच साथियों के साथ घोर तपस्या की। 66 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। इस शारीरिक दुर्बलता के कारण उन्होंने तपस्या त्याग दी। इस कारण इनके साथियों ने भी इनसे किनारा कर लिया। गौतम इस सबसे बेपरवाह होकर बोधिवृक्ष के नीचे विचारमग्न समाधि में लीन हो गये। अन्त में बैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बुद्धत्व (ज्ञान) प्राप्त हुआ। संसार में दुःख का कारण और उसके निवारण के उपाय का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। गौतम ने यह समझ लिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव ही सर्वोत्तम मार्ग है। यह नई बात गौतम ने मालूम की और अपने आपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया।

बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात् गौतम बुद्ध अपने पांच साथियों की तलाश करते हुए काशी पहुंचे। काशी के निकट सारनाथ में वे अपने साथियों से मिले और उन्हें अपना नया सिद्धान्त बताया। बुद्ध के अनुसार जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उन्हें दो बातें कभी नहीं करना चाहिए।प्रथम, जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों और दूसरी तपस्या जो केवल दुःख देने वाली है और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करना चाहिए जिससे मन की शान्ति और पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है।

सारनाथ में बुद्ध पांच महीने रहे।इस दौरान उन्होंने 70 शिष्य बनाए और उन्हें मनुष्य को मुक्ति मार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेज दिया। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया। उनकी मृत्यु के पूर्व ही बौद्ध धर्म ने संसार में बडी प्रबलता और दृढ़ता स्थापित करली थी। बुद्ध ने अन्त में एक बार शिष्यों को फिर उपदेश दिया, धर्म का तत्व समझाया तथा अपने धर्म पर दृढ रहने की आज्ञा दी। बुद्ध ने उपदेश दिया कि --

'यदि मनुष्य मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में, संघ में और धर्म में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि" -- यह इस धर्म का मूल मन्त्र है।

2 बौद्ध संस्कृति की विशेषताएँ

बौद्ध संस्कृति की विशेषताएँ बुद्ध के उपदेश में ही निहित हैं। बुद्ध ने जिन दार्शनिक
न्तों की स्थापना की वे ही इस संस्कृति की विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं :--

संसार में बुद्ध का जन्म इस लिए हुआ कि वे संसार को वास्तविक दुःख का
ा बताएं और उसके निवारण के उपाय भी। इस धर्म का सारांश आत्मोन्नति और
निरोध है। बुद्ध ने कहा है कि दुःख का अनुभव सभी करते हैं, किन्तु दुःख को
ो वाले थोड़े ही हैं। दुःख के अनुभव से दुःख की निवृत्ति नहीं होती, वरन दुःख के
ा के ज्ञान से निवृत्ति होती है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त संसार दुःख रूप है। संसार में
स्थापन करने की चाहे जितनी भी चेष्टा की जाय, आनन्द एवं विलास की सामग्री
जितनी भी एकत्र की जाय, किन्तु दुःख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सभी
क्षणभंगुर हैं और दुःख इसी का फल है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि तृष्णा का सर्वतोभाव
रित्याग करने से दुःख का निरोध होता है और इस तृष्णा नाश का ही नाम निर्वाण
द्ध ने दुःख निवारण के आठ मार्ग बताए हैं जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध
आठ मार्ग निम्नलिखित हैं:

मा दिट्टी (सम्यक् दृष्टि)-- दुःख समुदाय का और दुःख निरोध का ज्ञान ही सम्यक
है। जब तक हम इस संसार को दुःख रूप नहीं मानेंगे तब तक हमारे कर्तव्य का
उससे भागने की ओर न होगा। सच्चे ज्ञान के बाद ही सच्चा संकल्प आता है।

सम्मा संकल्प (सम्यक् संकल्प) -- दुःख समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है
ष्णा त्याग के बिना दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ
अहिंसा और मैत्री का भाव होगा, तभी हमारी तृष्णा का नाश हो सकेगा। अतः
ा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा और द्वेष का व्यवहार न
ही विचार सम्यक् संकल्प है।

सम्मा वाचा (सम्यक् वाचा) -- सब प्रकार के झूठ, दूसरों की निन्दा, अपमान,
झूठी गवाही आदि से विमुख रहना चाहिए। निरर्थक वार्तालाप भी दूषित समझा
है। सम्यक् वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी
बात नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुःखी हो। यहाँ तक कि अपराधी
ड देते समय भी आदर का व्यवहार होना चाहिए, और उसमें व्यक्तिगत बैर भाव
ष की गन्ध भी नहीं आनी चाहिए।

सम्मा कम्मान्त (सम्यक् कर्मान्त) -- सम्यक् कर्मान्त का तात्पर्य कर्म और पुनर्जन्म
बौद्ध धर्म में हिन्दू धर्म की भांति ही आवागमन माना गया है। लोग अपने कर्म के
अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा के अनुसार प्राणी का पुनर्जन्म
ा, किन्तु उसका संस्कार और अन्तिम विचार एक नया रूप धारण कर लेता है।
कथाओं के अनुसार स्वयं बुद्ध ने अनेक बार जन्म लिया था।

कर्मों मे पंचशील मुख्य हैं। सर्वतः पाप निवृत्ति को शील कहते हैं। ये पंचशील अर्थात पांच आज्ञाएं सभी बौद्ध गृहस्थों एवं भिक्षुओं के लिए है। वे इस प्रकार से हैं --

1. कोई किसी को न मारे,

2. चोरी न करे, अर्थात जो वस्तु न दी गई हो उसे न लें,

3. झूठ न बोलें,

4. नशीली चीजों का सेवन न करे,

5.व्यभिचार न करें।

भिक्षुओं के लिए पांच अन्य नियम हैं जो इस प्रकार हैं --

1. रात्रि में देर में भोजन न करना,

2. माला न पहनना और सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग न करना,

3. भूमि पर सोना,

4. नृत्य--गीत में आसक्त न होना,

5. सोना--चांदी को व्यवहार में न लाना।

उपर्युक्त दसों आज्ञाएं भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। जबकि प्रथम पंचशील गृहस्थों के लिए अनिवार्य हैं।

5. सम्मा जीव (सम्यक् जीविका) -- बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल कोई जीविका नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसी आजीविका का आश्रय नहीं लेना चाहिए जिसमें हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना पड़े तथा झूठ बोलना पडे। अर्थात् बौद्ध धर्म का यह उपदेश है कि मनुष्यों की आजीविका शुद्ध होनी चाहिए।

6. सम्मा व्यायाम (सम्यक् व्यायाम) -- सम्यक व्यायाम का तात्पर्य कसरत या नाना प्रकार के योग आसन आदि से शरीर को कष्ट देना नहीं, परन्तु इसका तात्पर्य है शुभोद्योग। सच्चे उद्योग में चार बातें आती हैं।

1. अवगुणों के नाश का उद्योग करना,

2. नये अवगुणों से बचने का उद्योग करना,

3. गुणों को प्राप्त करने का उद्योग करना तथा

4. गुणों की वृद्धि आचार--विचार के द्वारा करना।

7. सम्मा स्मृति (सम्यक् स्मृति) -- स्मृति से स्मरण और निरन्तर विचार करने का अर्थ लिया जाता है। मन सदैव शुद्ध होना चाहिए क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी कर्म निर्दोष होगा। कर्म से आशय कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के कर्मों से है। इस प्रकार मन को सम्यक् रुप से शुद्ध रखते हुए कर्म में लीन रहना चाहिए।

सम्मा समाधि (सम्यक् समाधि) -- समाधि का कर्तव्य पथ में अन्तिम स्थान है। के अनुशीलन से हमारी मानसिक क्रियाएं नियमित हो जाती हैं। शील समाधि सीढ़ी है। सत्कर्म के लिए जो चित्त की एकाग्रता सम्पादित की जाती है वह समाधि समाधि की इच्छा रखने वाले को भोजन व्यसन में आसक्ति का वर्जन कर उसके वैराग्य रखने का प्रयत्न करना पड़ता है। दुःख का नाश करने के उद्देश्य से शरीर ा रखने के निमित्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन से विराग ा कर लेने पर निर्वाण पथ के यात्री को शरीर की नश्वरता पर विचार करना ए। निर्वाण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अपना भाव ऐसा बना लेना चाहिए कि समस्त संसार का मित्र है।

.3 बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने छठी शताब्दी ई0 पू0 के उत्तरार्ध ा थी। इस समय तक धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था। कर्मकाण्ड धानता थी और उसमें बड़ी जटिलताएं आ गई थी। सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य संस्कृत में होने के कारण जन साधारण की पहुँच से बाहर था। गौतम बुद्ध ने जिस धर्म वर्तन किया उसमें जटिलता नहीं थी। उन्होंने जन भाषा में अपनी बात कही और को मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म का मानना है कि न तो क आसक्ति हो और न ही शरीर को तपस्या के द्वारा अधिक कष्ट दिया जाए।

के उदान (उपदेश)-- भावातिरेक में कभी कभी जो महापुरुषों के मुँह से वाक्य निकलता से उदान कहते हैं। भिक्षु जगदीश कश्यप ने बुद्ध के उदान का अनुवाद हिन्दी में बद्ध किया है। कुछ प्रमुख उदान निम्नलिखित हैं--

मनुष्य अपने वंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं होता परन्तु जिसमें सत्य और है वही ब्राह्मण है और वही सत्य है।जिसने पाप को मन से बाहर कर लिया है, राग - से रहित और संयमशील है, जो निर्वाण पद का ज्ञाता है, सफल ब्रह्मचर्य वाला है अपने को ब्राह्मण कह सकता है।

जो प्रपंच को पार कर चुका, काम के कांटों को तोड़ चुका, मोह का क्षय कर और सुख दुःख से लिप्त नहीं होता वही सच्चा भिक्षु है।

जितनी हानि शत्रु द्वारा शत्रु की होती है, झूठ के मार्ग पर लगा चित्त उससे क हानि करता है।

जिसका चित्त शिला की तरह अचल रहता है, राग उत्पन्न करने वाले विषयों में क्त नहीं होता है, क्रोध करने वाले विषयों से क्रोध नहीं करता है, जो ध्यान लगाना चुका है-- उसे दुःख नहीं हो सकता।

स्थिर शरीर और स्थिर चित्त से जाग्रत अथवा सुसुप्तावस्था में जो भिक्षु अपनी को बनाए रखता है, वह ऊँची से ऊँची अवस्था को प्राप्त कर सकता है।

6. जिसने अपने वितर्कों को भस्म कर दिया है और अपने को पूरा पूरा पहचान लिया है वह अरूपसंज्ञी योगी सांसारिक आसक्ति को छोड़ चारों योगों (कामयोग, भवयोग,दृष्टियोग, और अविद्यायोग) के परे हो जाता है। उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता।

7. कामों में आसक्त, बन्धनों के दोष को नहीं देखने वाला बल्कि उन बन्धनों में और भी संलग्न रहने वाला इस अपार भवसागर को पार नहीं कर सकता।

8. मोह के बन्धन में पडा हुआ संसार ऊपर से देखने में बडा अच्छा मालूम होता है। सांसारिक मूर्ख जन उपाधि के बन्धन में बंधे हुए हैं। अन्धकार से सभी ओर घिरे पडे हैं। समझते हैं 'यह सदा ही रहने वाला है' ज्ञानी पुरुष के लिए रागादि कुछ नहीं है।

9. दान देने से पुण्य बढ़ता है।संयम करने से बैर बढ़ने नहीं पाता। पुण्यवान पाप को छोड देता है। राग द्वेष और मोह के क्षय होने से परिनिर्वाण पाता है।

10. शोक करना, रोना-- पीटना तथा और भी संसार में होने वाले अनेक प्रकार के दुःख प्रेम करने से ही होते हैं। जो प्रेम नहीं करता उसे कोई दुःख नहीं होता। जिनके मन में कभी प्रेम की भावना नहीं उठी है वे ही सुखी और शोक रहित होते हैं। इसलिए संसार में प्रेम (मोह माया) न बढाते हुए विरक्त रहने का यत्न करना चाहिए।

7.7. चीन की संस्कृति

चीन की संस्कृति में हमें चार धार्मिक संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। चारों धर्म बौद्ध , इस्लाम, ता-ओ और कन्फ्युसियस की चीन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानता है।बौद्ध और इस्लाम संस्कृति के बारे में आप जान चुके हैं। इस अध्याय में ता-ओ और कन्फ्युसियस संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे।

7.7.1 ता--ओ संस्कृति

इस धर्म के प्रवर्तक 'ता ओत्सी' का जन्म ईसवी सन् से 604 वर्ष पूर्व हुआ था। आप चोरे राज्य के ग्रन्थागार के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता भी थे। ता-ओ का कथन है कि ता-ओ (ईश्वर) एक है। वह आरम्भ में था और आगे भी सब काल में वर्तमान रहेगा। वह निराकार, अनादि, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है।वह बुद्धिगम्य नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है। वह अवर्णनीय है। सब उसी पर निर्भर है। वह समस्त गोचर पदार्थ, आकाश और पृथ्वी का जनक है। सारांश यह कि वह समस्त वस्तुओं का जनक है। इस प्रकार ता-ओ की शिक्षा में हम भारतीयता की सुगन्ध पाते हैं।

ता-ओ के अनुसार ता-ओ (ईश्वर) को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, सन्तोष, करुणा, प्राणिमात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम मुख्य साधन हैं। ध्यान और प्राणायाम इसके सहायक हैं। चित्त को संसार के विषयों से हटाकर एक लक्ष्य पर टिकाने की नितान्त आवश्यकता है, तभी चित्त में शान्ति का उदय हो सकता है।

ता-ओ के अनुसार वही संत है, जिसके मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं जिसके जीवन में पश्चाताप का अवसर नहीं आता, जो अपने लिए कुछ संचय नहीं रता, जो न अपना प्रदर्शन करता है और न अपनी करनी पर घमण्ड , जो मोटा वस्त्र हनता है, किन्तु हृदय में सद्गुणों को मोती की माला के सदृश धारण किये रहता है, जो पनी प्रतिभा को छिपाये रहता है, जो कभी स्वप्न नहीं देखता, जो कभी चिन्ताग्रस्त हीं होता, जो सुस्वादु भोजन की आकांक्षा नहीं करता, जिसे न जीवन से प्रेम है, न त्यु से भय, और जो प्रेम, घृणा , हानि लाभ, प्रतिष्ठा और अपमान से परे हैं।यह सब ता में वर्णित जीवनमुक्त के गुणों से मिलता-जुलता है।

ता-ओ धर्म में साधु और साध्वी के लिए स्थान है।ये पीली टोपी पहनते हैं सार से अलग जंगल,गुफा अथवा एकान्त स्थान में रहते हैं। ता-ओ धर्म सर्वोच्च तिकता,सात्विक जीवन, चित्त और शरीर के संयम की शिक्षा देता है। आत्मविजय द्वारा -ओ (ईश्वर) की प्राप्ति से मुक्ति होती है। यह पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता में श्वास करता है।

ता-ओ की शिक्षायें और उपदेश एक पुस्तक में संग्रहीत हैं। यह स्वयं ता-ओ की खी हुई है।बादशाह चींग ने राज्य भर में आज्ञा प्रचारित की कि ता-ओ की पुस्तक की ष्ठा राज्य नियम की तरह की जाय।

-ओ के उपदेश --

अच्छों के प्रति मैं अच्छा रहूँगा। बुरों के प्रति भी अच्छा रहूँगा जिससे उन्हें भी अच्छा सकूँ।

जो जानते हैं, वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं।

मेरे पास तीन वस्तुएं है, जिन्हें मैं दृढ़तापूर्वक जुगोता रहूँगा (क) सौम्यता (दयालुता)) कम खर्ची (मितव्ययिता) और (ग) नम्रता।

विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने आपको दूसरे के सम्मुख प्रदर्शित ने का प्रयत्न न करो, तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे।

लालसा का शिकार होने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। असन्तोष से बढ़कर दुःख नहीं चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है।

अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो, अपनी जरूरतों को कम करो और इच्छाओं संयम में रखो।

विद्वता का अभिमान न करो। तुम्हें सन्ताप नहीं होगा।

जहाँ आसक्ति है, वहीं बन्धन है।जहाँ बन्धन नहीं है, वहां आनन्द है।जीवन की त का यही तत्व है।

निष्कपट वचन मधुर नहीं होता, और मधुर वचन यथार्थ नहीं होता।

10. स्वयं उन्नत हो, ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सको।

11. जन्म न आरम्भ है और न मृत्यु अन्त। अनादिकाल तक आत्मा आत्मा है।

12. वह मनुष्य धन्य है, जो साधु वचन बोलता है, साधु बातें सोचता है और साधु बातें मनन करता है।

ता-ओ के लेख और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा गूढ़ हैं।उनके लेख पहेलियों के रुप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढन्त कथाओं से मिलाकर उन पर मिथ्या धार्मिक विश्वासों की कलई चढा दी।

7.7.2.कन्फ्यूसियस संस्कृति

चीन में चार प्रधान धर्म प्रचलित हैं। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, कन्फ्युसियस धर्म और ता-ओ धर्म। कन्फ्युसियस चीन के एक विख्यात धर्म- प्रचारक सिद्ध पुरुष थे। चीनी लोग उन्हें कुंगफुतेज के नाम से पुकारते हैं। चीन देश की सभ्यता को प्रतिष्ठित करने वाले लोगों में कुंगफुतेज का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस धर्म में तथा बुद्ध की शिक्षाओं में विशेष पारम्परिक विभेद न होने के कारण इन दोनों मतों का साथ ही साथ प्रसार हुआ। प्रत्येक चीनी सांसारिक जीवन के लिए कुंगफुतेज के सदुपदेशों में श्रद्धा रखता है, साथ ही साथ पारलौकिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए वह बौद्ध धर्म का पक्षपाती है। इस प्रकार चीनी सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार दोनों धर्म की सम्मिलित शिक्षा है। इन दोनों धर्मों की शिक्षा दूध पानी की तरह मिलकर चीनवासियों के जीवन में इस प्रकार घुलमिल गई है कि इन दोनों के प्रभाव का पृथक करना दुस्तर है।

कुंग का जन्म ईसा पूर्व 551 वर्ष में आधुनिक शंगहुंग प्रान्त में 'यो' नामक स्थान पर हुआ था। कुंग बुद्ध के समकालीन थे। आपने अपने सदुपदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों को चकित कर दिया। सर्वत्र शान्ति विराजने लगी। राजा ने इस सुव्यवस्था को देखकर आपके नियमों को सम्पूर्ण राज्य में प्रचारित किया। 73 वर्ष की आयु में ई. पूर्व 478 में आपकी मृत्यु हुई। आपके 500 शिष्यों ने गुरू की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक मनाया और आपके उपदेशों का खूब मनन किया तथा दूर दूर देशों में आपकी नीतिमय शिक्षा का प्रचार किया। आपने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध भी किया था। आपके चार ग्रन्थ बडे प्रसिद्ध हैं। संसार की समस्त प्रतिष्ठित भाषाओं में इन ग्रन्थ--रत्नों के अनुवाद हुए हैं।

सिद्धान्त :-

कुंग ने मनुष्य जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया।उन्होंने स्वर्ग,ईश्वर आदि की चर्चा ही न की। कुंग ने ईश्वर अथवा स्वर्ग के अस्तित्व को कभी इन्कार नहीं किया। आत्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था। फिर भी, वे परलोक के सुधारने की उतनी चिन्ता नहीं करते, जितनी इहलोक के सधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है वह समाज

में रहता है, पनपता है तथा अन्त में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है। अतः समाज की उन्नति से उसकी उन्नति होगी। वैयक्तिक उन्नति मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। यह तो सामाजिक उन्नति का फल है।

कुंग के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया अच्छा होता है और अच्छाई की ओर उसकी प्रवृत्ति रहती है। अच्छाई की पराकाष्ठा सिर्फ सन्तों में हो सकती है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को निष्काम भाव से तथा ईमानदारी और तत्परता के साथ कर्तव्य--पालन करना चाहिए। जो सच्चरित्र और दैवी गुणों से भूषित है, वह मनुष्यों में 'चु-नट-जू' अर्थात श्रेष्ठ है।

समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करना हमारा परम धर्म है। माता पिता के प्रति भक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई बंधुओं के साथ सहानुभूति रखने की सुन्दर शिक्षा देकर कुंग ने चीनी सभ्यता को बहुत ऊपर उठाया। आपत्ति के समय पुरुष के गुणों की परख होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश बड़ा ही हृदयग्राही है। वे कहते हैं जब शीतकाल आता है, तब हम देखते हैं कि सब वृक्षों के बाद चीड़ और देवदार अपने पत्तों को त्यागते हैं। क्यों न हो, वे वृक्षों में श्रेष्ठ जो है ।पूर्णधर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने बतलाया -पूर्णधर्म वह है जब तुम बाहर निकलो, तब प्रत्येक से यह समझकर मिलो,मानों वह तुम्हारा बड़ा अतिथि है। किसी के साथ ऐसा बरताव मत करो, जो तुम उससे अपने लिए नहीं चाहते। देश में कोई दुःखित होकर तुम्हारी निन्दा न करे और घर में भी कोई तुम्हारे विरोध में न कुड़बुड़ाये ।

प्रजा के ऊपर पुत्र सा प्रेम रखना। उनके कल्याण की सर्वदा कामना करना। राज्य की आय को अपने व्यक्तिगत भोग विलास में न खर्च कर सार्वजनिक हित कामों में लगाना, हितेच्छु न्याय-परायण पुरुष को अमात्य पद पर प्रतिष्ठित करना आदि उपदेश कुंग ने दिये। पेटभर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो और प्रजा का शासक में विश्वास हो तो वह राज्य समृद्ध होता है।पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास न हो, तो वह राज्य ठहर नहीं सकता। अतएव राजा को धर्मात्मा, न्यायी, ईमानदार और कर्त्तव्य परायण होना चाहिए। जैसा राजा होगा, वैसी प्रजा भी होगी।

कुंग ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने को समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बनाना है। कुंग के उपदेश का सारांश आत्मविश्वास और पड़ोसियों के प्रति उदारता है। कन्फ्युसियस प्राणियों से पृथक जीवात्मा का अस्तित्व मानते थे।उनका विश्वास था कि दिवंगत पुरुष की आत्मा बिना शरीर के रहती है।आत्मा न केवल मनुष्य में ही होती है, अपितु वायु, अग्नि, पहाड़, नदी आदि में होती है और सभी की पूजा होती है। सबका दर्जा स्वर्ग और मनुष्य के बीच का है। वे मृत पितरों और शरीर रहित आत्माओं को इस प्रकार बलि प्रदान करते थे, मानों वे साक्षात उनके सामने उपस्थित हों । इन आत्माओं का काम अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करना समझा जाता था।

कुंग के कुछ उपदेश :--

1. भगवान के लिए निरभिमान होना सहज है, किन्तु निर्धन के लिए सन्तोष प्रकट करना कठिन है।
2. सदाचार के प्रति अनुराग सौन्दर्य के प्रति अनुराग की तरह हृदय से होना चाहिए।
3. अपनी तुलना में दूसरों को परखने का आत्मशासन रखो। इसी को मनुष्यता का सिद्धान्त कहते हैं।
4. न्याय के प्रति प्रेम, सिद्धान्त के प्रति आदर तथा सदाचार मनुष्य को विशिष्ट पुरुष बनाने में समर्थ होता है।
5. प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने आचरण के प्रति सजग रहे।
6. संसार एक मुसाफिरखाना है।
7. काम का आरम्भ करना मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ में है।
8. क्षण भर अपने क्रोध को दबाकर तुम जीवन भर के पश्चाताप से बच सकते हो।
9. जिस प्रकार तुम दूसरों में दोष दिखाते हो, उसी प्रकार अपने में भी देखो दिखाओ। जिस प्रकार अपने--आपको क्षमा कर सकते हो उसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करो।
10. आज्ञापालन सत्कार से कहीं उत्तम है।
11. बीस वर्ष तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं है, किन्तु एक दिन भी बुराई करना बहुत बड़ा दोष है।
12. बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विलम्ब करता है, किन्तु वचन देने पर उसका पालन अवश्य करता है।
13. आनन्द की तीन कुंजियां है (क) दूसरों में दोष न देखना, (ख) दूसरों की निन्दा न करना, न तुलना और (ग) दूसरों की बुराई न करना।
14. मनुष्य का हृदय आईना के समान होना चाहिए जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, किन्तु उससे उसमें मैलापन नहीं आता।
15. कोलाहल न बाजार में है और न शान्ति जंगल में, मनुष्य के हृदय में है।
16. जब तुम जीवित प्राणी के प्रति अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हो, तो मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर सकोगे।
17. ज्ञानी पुरुष के लिए अपना चित्त स्वर्ग है, किन्तु अज्ञानी के लिए वह नरक है।
18. सच्चा सद्भाव अपने संगियों के प्रति प्रेम करना है और सच्चा ज्ञान अपने साथियों को पहचानना है।

जो ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ है यह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता।

ज्ञानी मनुष्य सन्देह से, धार्मिक मनुष्य चिन्ता से और वीर मनुष्य मद से मुक्त रहता है।

7.3 चीन की संस्कृति का प्रभाव

चीन की संस्कृति विशेष कर ता--ओ और कन्फ्युसियस संस्कृति का प्रभाव हमें के बाहर देखने को नहीं मिलता। चीन में ही कन्फ्युसियस संस्कृति का प्रभाव ारण जनता पर अधिक है जबकि विशिष्ट जन यानि अभिजात्य वर्ग ता-ओ संस्कृति भावित है। क्षेत्र की दृष्टि से चीन का उत्तरी भाग जहां हाँ-हो नदी बहती है कन्फ्युसियस कृति का अनुयायी है और दक्षिणी भाग जहाँ यांग -त्सि -क्यांग नदी बहती है का ता--ओ संस्कृति का समर्थक है। चीन के बाहर शेष विश्व में इन संस्कृतियों का प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

कुंग का धर्म जनसाधारण के लिए और ता-ओ धर्म विशिष्ट पुरुषों के लिए है आत्मविजय, वैराग्य, संयम तथा समाधि की ओर स्वभाव से ही आकृष्ट है,वही विशिष्ट है।कुंग ने सदाचार की शिक्षा को प्रधानता दी है, उनका लक्ष्य उत्तम मानवता की त था। ता-ओ धर्म की शिक्षा अद्वैत वेदान्त की शिक्षा से विशेष मिलती जुलती है, यह का निवृत्ति मार्ग है। इसके अनुयायियों को घर बार छोड़कर पर्वतों में एकान्तवास ना पड़ता है। यह प्रवृत्ति मार्ग को अज्ञान मूलक समझता है,संसार के क्षणिक सुखों प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखता है। इस मत का ध्येय है पूर्ण वैराग्य।

8 सारांश

इस इकाई में आपने यह जाना कि विश्व की प्रमुख संस्कृतियों की उत्पत्ति का ार क्या है ? प्रमुख संस्कृतियों के रूप में आपने पाश्चात्य (ईसाई) संस्कृति, ग्रीक ान) संस्कृति, अरब (इस्लाम) संस्कृति, बौद्ध संस्कृति और चीन की ता-ओ तथा युसियस संस्कृति के बारे में विस्तार से जाना। आपने यह भी जाना कि इन प्रमुख कृतियों की उत्पत्ति का आधार क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा अन्य कृतियों पर इन संस्कृतियों का क्या प्रभाव है। कैसे इन संस्कृतियों ने पूरे विश्व को वित किया है इनका यही प्रभाव अन्तर्सांस्कृतिक संचार का संवाहक है।

9 शब्दावली

संस्कृति - यूनान की संस्कृति

संस्कृति - मुस्लिम संस्कृति अथवा इस्लाम संस्कृति

वाचा - सम्यक् वाच, सम्यक् वार्तालाप

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ--

1.	विश्व दर्शन का अध्ययन	--	सांवलिया बिहारी लाल
2.	प्राचीन यूनान का इतिहास	--	प्रो0 शैलेन्द्र पांथरी
3.	अन्तर्सांस्कृतिक संचार	--	डॉ. मुक्ति नाथ झा
4.	सम्पूर्ण पत्रकारिता	--	डॉ. अर्जुन तिवारी
5.	जन संचार समग्र	--	डॉ. अर्जुन तिवारी

7.11 प्रश्नावेली--

7.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति का मूल आधार क्या है ?
2. ग्रीक संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट करें ?
3. बुद्ध द्वारा बताए गये अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करें।
4. अरब (इस्लाम) संस्कृति के आधार स्पष्ट करें।

7.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाश्चात्य संस्कृति पर ग्रीक संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या करें।
2. चीन की संस्कृति का उल्लेख करते हुए ता--ओ संस्कृति की विशेषताएं बताइये।
3. ग्रीक संस्कृति की प्रमुख विशेषाएँ क्या हैं।
4. इस्लाम और बौद्ध संस्कृति में अन्तर स्पष्ट करें।

7.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. हेलनियस जाति को किस नाम से जाना जाता है।

(क) ग्रीक ख) बौद्ध ग) तिब्बती घ) मंगोल

2. शैलोपदेश (पहाड पर के उपदेश) का सम्बन्ध किस संस्कृति से है।

क) इस्लाम ख) बौद्ध ग) चीन घ) इसाई

3. अष्टांगिक मार्ग किसका सिद्धान्त है।

क) ता--ओ ख) ईसा मसीह ग) बुद्ध घ) हजरत मोहम्मद साहब

4. अरब संस्कृति (इस्लाम) के धार्मिक ग्रन्थ का नाम बताएं।

क) बाइबिल ख) धम्मपद ग) कुरान घ) इनमें से कोई नहीं।

7.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (क) 2. (घ) 3. (ग) 4. (ग)

काई -8 संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा

काई की रुपरेखा

0 उद्देश्य

1 प्रस्तावना

2 संस्कृति की पूर्वी अवधारणा

8.2.1 भारतीय संस्कृति और इसकी विशेषताएं

8.2.2 भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार अद्वैतवाद, विशिष्टद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत एवं द्वैत वाद ।

3 संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा

8.3.1 पाश्चात्य संस्कृति और इसकी विशेषताएं

8.3.2 पाश्चात्य संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचारः आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, उपभोक्तावाद।

वैश्वीकरण

8.4.1 वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण

8.4.2. वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का दृष्टिकोण

सारांश

शब्दावली

सन्दर्भ ग्रन्थ

प्रश्नावली

8.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

8.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

8.8.3 व स्तुनिष्ठ प्रश्न

8.8.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको संस्कृति की पूर्वी औ.र पश्चिमी ारणाओं से परिचित कराना है। इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आप जान सकेंगे -

संस्कृति की पूर्वी अवधारणा क्या है।

2. पूर्वी अवधारणा की प्रतिनिधि संस्कृति कौन सी है।
3. भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं।
4. संस्कृति की पाश्चात्य अवधारणा एवं उनकी विशेषताएँ
5. वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का दृष्टिकोण

8.1 प्रस्तावना

इस इकाई में संस्कृति के सन्दर्भ में पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणा का विस्तार से विवेचन किया गया है। पूर्वी अवधारणा की प्रतिनिधि संस्कृति भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के साथ इस संस्कृति के प्रमुख प्रचलित सिद्धान्त के रूप में अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा द्वैतवाद की व्याख्या की गई है। पाश्चात्य संस्कृति के रुप में रोमन तथा योरोपीय संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। पाश्चात्य संस्कृति की प्रमुख अवधारणाएं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, अराजकतावाद तथा उपभोक्तावाद की विस्तृत विवेचना की गई है। इन सबके अतिरिक्त वर्तमान वैश्विक संस्कृति की प्रमुख अवधारणा वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का दृष्टिकोण है यह भी समझाने का प्रयास किया गया है।

8.2 संस्कृति की पूर्वी अवधारणा

संस्कृति की पूर्वी अवधारणा मुख्य रुप से धर्म और अध्यात्म से सम्बन्धित है। इस अवधारणा का मूल मन्त्र है कि मनुष्य का आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा वह भौतिक रूप से प्रगति नहीं कर सकेगा। धर्म ही मनुष्य को सदाचारी और नैतिक बनाता है और बिना सदाचरण और नैतिकता के मानवीयता का विकास सम्भव नहीं है। इस अवधारणा की प्रमुख प्रतिनिधि संस्कृति भारतीय संस्कृति है।भारतीय संस्कृति को समझे बिना संस्कृति की पूर्वी अवधारणा को कभी भी ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतः पूर्वी सांस्कृतिक अवधारणा के ज्ञान के लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है।

8.2.1 भारतीय संस्कृति और इसकी विशेषताएं

भारतीय संस्कृति भारत राष्ट्र की एक समृद्ध विरासत है।भारतीय संस्कृति में धर्म, अध्यात्म,ललित कलाएं, ज्ञान-विज्ञान, विविध विद्याएं, नीति, विधि--विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त अन्य कार्य शामिल है जो उसे विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को, धार्मिक और आर्थिक जीवन को, साहित्य, शिष्टाचार और नैतिकता को ढाला है। भारतीय संस्कृति का यही विकासक्रम रहा है। उसमें भी विविध संस्कृतियों के संघर्ष, मिलन, और सम्पर्क से परिवर्तन , परिवर्धन और आदान--प्रदान होता रहा है, विविध श्रेष्ठ सांस्कृतिक तत्वों का संग्रह होता रहा है।

प्राचीन भारतीय समाज विभिन्न समूहों में विभक्त था, ...
। ये विभिन्न समूह ही कालान्तर में जातियों के रुप में विकसित हुए। जातियों के यन के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं का भी निर्माण हुआ जो भारतीय जीवन शैलियों को व्यक्त करती है। भारतीय समाज अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण विश्व अन्य समाजों से अलग है। अन्य समाजों की तुलना में भारतीय समाज बाह्य कानूनों, तियों और बंधनों पर अपेक्षाकृत बहुत कम निर्भर है।सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने लिए तथा एक दूसरे पर दबाव और अत्याचार रोकने के लिए भारत में बहुत कम यम बनाये गये। वस्तुतः व्यक्ति के माध्यम से अनेक ऐसे नियम, सदाचरण और प्रथा रम्परा का सन्निवेश हुआ कि उस समाज का प्रत्येक सदस्य उत्कृष्ट और सच्चरित्र हुआ। लतः समाज और संस्कृति का विकास स्वाभाविक गति से हुआ, और उसका विभाजन वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार पर किया गया। भारतीय संस्कृति का आधार अत्यधिक चीन है। इसके विकास क्रम का इतिहास हजारों वर्षों का है जिसमें अनेक सामाजिक त्वों का योग है।वैदिक युग से ही भारत की संस्कृति उन्नत रही है। अनेकानेक भारतीय ामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में ही हो गया था। सामाजिक संस्थाओं के ाथ साथ आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न संस्थाओं का भी उन्नयन हुआ। भारतीय संस्कृति ा उदय और विकास ऐसे समय में हुआ जब विश्व के अनेक देश आदिम अवस्था में ी। उनमें भारत जैसी व्यवस्थित और सुगठित सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था हीं थी।इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है।

विशेषताएँ-भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. **प्राचीनता -** भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है । भारत के अनेक स्थानों में पूर्व पाषाणकाल और पाषाणकाल में प्रयुक्त होने वाली दैनिक व्यावहारिक जीवन की अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। इन प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि मानव इतिहास के प्रारम्भ काल से ही भारतवर्ष मानव समूहों की लीलाभूमि रहा है।प्रागैतिहासिक काल में भी भारत में मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करते गये। जब पृथ्वी पर यत्र -तत्र सभ्यता का आरम्भ हो रहा था, भारतीय संस्कृति अपने उत्थान के मार्ग पर रथारुढ़ थी। सिन्धु घाटी की सभ्यता इसका स्पष्ट प्रमाण है।

2. **धार्मिकता -** भारतीय संस्कृति में धर्म और अध्यात्मवाद का विशिष्ट स्थान है। इस संस्कृति में धर्म की अभिव्यक्ति अत्यन्त व्यापक रुप में रही है। देवी देवताओं, धार्मिक क्रिया कलापों, कर्मकाण्ड,स्वर्ग नरक आदि धार्मिक सिद्धान्तों के साथ धर्म में उन अनेक नियमों और विधि- विधानों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनकी अनुभूति समाज के महापुरुषों को सत्य का अन्वेषण और जीवन में उनका उपयोग करते समय हुई थी। वास्तव में धर्म सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रुप में वह अमूल्य निधि है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठतम ऊँचाई तक अपने व्यक्तित्व का सफल विकास कर सके। भारतीय धर्मग्रन्थों में ऐसे सिद्धान्तों , प्रणालियों, विधियों और निर्देशों का विशद विवेचन किया गया है जो यह स्पष्ट करते हैं कि संस्कारों के द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यताओं में किस प्रकार वृद्धि करें, चार आश्रमों में अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार करें,

चारों वर्णों के लोग सामाजिक व्यवस्था और प्रगति के लिए परस्पर कैसा व्यवहार करें किस प्रकार का खान-पान और रहन सहन व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए उपयोगी होता है। शरीर और मन की शुद्धि कैसे की जाय समाज में कृषि, पशु पालन वाणिज्य, व्यापार, उद्योग व्यवसाय तथा कला के अन्य कार्य किस प्रकार किए जायें, शिल्प और ललित कलाओं के सिद्धान्त क्या हैं, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं राजा की योग्यताएं क्या हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, प्रजा पालन और प्रजा हित दर्शन के सिद्धान्त क्या हैं, न्याय दान कैसा और किस प्रकार हो, इत्यादि।

भारतीय संस्कृति में मानव की भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। भारतीय जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और आनन्द की विशेष प्रतिष्ठा हुई। भारतीय दर्शन एवं आध्यात्म में मोक्ष को केन्द्र में रखकर ही सारे सिद्धान्तों की रचना हुई है इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म एवं आध्यात्म का स्थान सर्वोपरि है।

3. **दार्शनिक तत्व -** भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि प्रायः दार्शनिक रही है। भारतीय दर्शन जिज्ञासु के समक्ष ब्रह्म तत्वों का रहस्योदघाटन करता है। दार्शनिक प्रणालियों, सिद्धान्तों और परम्पराओं का आश्रय लेकर ही भारतीय संस्कृति प्रवाहित और विकसित होती रही है। दर्शन को राष्ट्रीय जीवन में व्यवहृत कर दिया गया है -यह भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट देन है। पुराण इतिहासकार, लेखक, कवि, स्मृतिकार, कलाकार, चित्रकार आदि सभी अपने कार्यों व कृतियों में उच्च दार्शनिक तत्वों को लोकस्तर पर प्रतिष्ठित करने में संलग्न रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। धार्मिक और दार्शनिक आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए ही भारत में काव्य, शिल्प, ललित कलाएं, नृत्य, नाट्य आदि की प्रवृत्तियां समाज में सम्मानित हो रही हैं।

4. **देवपरायणता-** भारतीय संस्कृति की एक अन्य और प्रमुख विशेषता उसकी देवपरायणता रही है। भारतीय प्रगति के लगभग सभी क्षेत्र देवी देवताओं से सम्बन्धित कर दिए गये। इन देवी देवताओं को यज्ञ, पूजन, अर्चन, आदि से प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वर्ग में स्थान पाने की कल्पना भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस देवपरायणता की भावना से भारतीयों की लगभग समस्त प्रवृत्तियों पर देवों की छाप रही। एक भारतीय सदैव शुभ ओर सही कार्य करना चाहता है क्योंकि उससे देवगण प्रसन्न होते हैं। बुरे और पाप कर्म करने वाले को देवगण दण्डित करते हैं। इस भावना के कारण भारतीयों ने ईश्वर के लिए सर्वस्व समर्पित करना सीखा। यही देवपरायणता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है।

5. **एकीकरण और समन्वय की भावना -** भारतीय संस्कृति में एकीकरण और समन्वय की अपार शक्तियाँ युगों से चली आ रहीं हैं । भारतीय संस्कृति के मनीषियों की दृष्टि समन्वयात्मक रही है। उन्होंने अपने जीवन में तपोमय अनुसंधान और अन्वेषण किये तथा दूसरे देशों या सम्प्रदाय के अनुसंधानों और उनके सिद्धान्तों को समादर की दृष्टि से देखा, उसमें जो कुछ ग्रहण करने योग्य मिला उसे उन्होंने अपनाया, अपनी संस्कृति में

न के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है।
न भारत की विचारधाराओं और सामाजिक संस्थाओं में ही इसका दर्शन नहीं होता
तु मध्य युग में भी विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय कर संस्कृति को समृद्ध करने
िरन्तर प्रयत्नों में भी इसकी अभिवृद्धि हुई है तथा आज भी जबकि पश्चिम से नवीन
क्षण प्रवृत्तियां और विचारधाराएं हमारे देश में प्रविष्ट हो रही हैं, भारतीय संस्कृति
यह विशेषता विद्यमान है। इस संस्कृति की सम्मिश्रण और सहिष्णुता, एकीकरण और
वय की रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण ही भारतीय संस्कृति में विविध पुनीत धाराओं
अलौकिक समागम हुआ है।

भावनात्मक एकता - भारतीय संस्कृति में भावना की प्रच्छन्न एकता और प्रयास
अनुपम अविच्छिन्नता सदा से विद्यमान रही है। इससे भारत की एकता प्रस्फुटित हुई
अनेकता में एकता का सिद्धान्त मूर्तमान हुआ। भारत के अधिकतम मनीषियों और
विदों ने अपने कार्यों में अविच्छिन्नता और सारे देश की सांस्कृतिक एकता की भावना
। इन मनीषियों और कलाविदों के अनुसंधान से सारे देश ने पूर्ण लाभ उठाया और
के बल पर भारत की एकता प्रस्फुटित और विकसित हुई। देश में बहने वाली
त्र नदियों, नगरों, पर्वतों आदि को सबके लिए मान्य और दर्शनीय बताकर इसी एकता
भावना को मजबूत किया गया। भारत के प्रमुख आचार्यों और सन्तों ने समस्त भारत
मण करके अपने ज्ञान का प्रकाश वितरित किया। राम और कृष्ण का आदर्श चरित्र
उनकी मान्यता देश की एकता का परिचायक बनी। मनुस्मृति का राजधर्म सारे
त में स्थापित हुआ और उससे राजनीतिक और प्रशासकीय एकता बनी रही।

सर्वे भवन्तु सुखिन :- मनुष्य प्रायः अपनी सुख समृद्धि की कामना रखता है।
तीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थों में हमेशा इसी बात पर बल दिया गया है कि किसी
कष्ट न दो, दूसरे के कष्ट दूर करने के लिए हमेशा तन, मन, धन, से सम्बद्ध रहना
ए तथा सदैव दूसरों की उन्नति में सहायक होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यही
श रहा है कि मनुष्य को उन सुखों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए
र का शोषण करना पडे। भारतीय संस्कृति के उन्नायकों की यह भावना रही है कि
ना सर्वस्व त्याग करके भी दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ
, शिव एवं सुन्दर हो यह सबके लिए हो।

भारतीय संस्कृति उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही चैतन्यता और चिन्तन को
टित कर सकी है। इन विशिष्ट गुणों से ही यह संस्कृति आज भी विश्व में विद्यमान
श्रेष्ठ है, जबकि अनेक संस्कृतियाँ विलुप्त हो गयी। भारतीय मानस अपनी संस्कृति
विशिष्टताओं से, अपनी अमर सांस्कृतिक निधि के सदुपयोग से राष्ट्रीय जीवन का
ान कर सके और विश्व को अपनी सांस्कृतिक धरोहर दे सके।

8.2.2 भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार

कुछ प्रमुख प्रचलित भारतीय सांस्कृतिक विचार, सिद्धान्त इस प्रकार से हैंः-

अद्वैतवाद -

अद्वैतवाद के प्रबल मेधावी प्रवर्तक शंकराचार्य के मत के अनुसार जितना भी दृश्यवर्ग है, वह सब माया के कारण ही विभिन्न सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह एक अखण्ड शुद्ध चिन्मय ही है। सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अखण्ड सच्चिदानन्द का अनुभव करना ही ज्ञान है तथा भेद (माया) में सत्यता का बोध करना ही अज्ञान है। अतएव शंकर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। फलस्वरूप उन्होनें ज्ञान को ही स्वीकार किया है।उनकें रुप से अपने शुद्ध स्वरुप का स्मरण करना ही भक्ति है।

शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के द्वारा जीव और ब्रहम की एकता स्पष्ट करते हुए मानव को जीव में ब्रहम की खोज करने का मार्ग प्रशस्त किया।'अहं ब्रह्मास्मि' का सूत्र वाक्य देकर मनुष्य को स्वयं में ही ईश्वर की तलाश करने की प्रेरणा दी। एकेश्वरवाद की अवधारणा को पुष्ट करता यह सिद्धान्त प्रत्येक जीव में ईश्वर की आकृति को स्पष्ट करता है। शंकराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर का कोई एक विशेष आकार नहीं है। वह निर्गुण और निराकार रुप में सर्वत्र विद्यमान है।

विशिष्टाद्वैत - शंकराचार्य के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होने के कारण सगुण ईश्वर की भक्ति अथवा अवतारवाद की धारणा के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। अतएव प्राचीन भागवतवर्ग के अनुयायी वैष्णवी के लिए इस अद्वैतवाद के विरुद्ध जिसे उन्होंने मायावाद के नाम से पुकारना शुरु कर दिया था, आन्दोलन मचाना और अपने मतविशेष की पुष्टि के लिए नवीन दार्शनिक भूमिका तैयार करना आवश्यक हो गया।

शंकराचार्य ब्रह्म को सब प्रकार के गुणों से रहित निर्गुण मानते हैं। रामानुज को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने गुणों से ब्रहम को समन्वित मानकर अद्वैत के साथ विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया। परन्तु रामानुज का कहना है कि यह मनमानी बात तो नहीं है, कोई वस्तु बिना गुणों के नहीं होती। गुणों के गुण रहते ही है। यदि ब्रहम एक सत्ता है, तो उसमें गुण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रहम को सगुण या सविशेष माना है और इस प्रकार अद्वैत के साथ विशिष्ट शब्द लगा दिया है।

द्वैताद्वैत

निम्बाकाचार्य ने द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर, जीव ओर जगत तीनों ही ब्रह्म हैं उन्होंने रामानुज के मत को स्वीकार नहीं किया। रामानुज ने ब्रह्म को केवल ईश्वरत्व का प्रतिपादन माना है। उनके मन से यद्यपि जीव जगत और ईश्वर भिन्न है तथापि जीव और जगत का व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर

नम्बित है, स्वतंत्र नहीं और परमेश्वर में ही जीव तथा जगत के सूक्ष्म तत्व रहते जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म में लीन होनें पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता, जीव अणु अल्प है मुक्त जीव भी अणु है मुक्त और बद्ध में यही भेद है कि मुक्त जीव ब्रहम के अपने और जगत के अभिनत्व का अनुभव करता है किन्तु बद्ध जीव ऐसा नहीं ता। इस प्रकार द्वैताद्वैत मत एक तरह के भेदाभेदवाद हैं। इस मत के अनुसार द्वैत भी य है और अद्वैत भी।इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसके आचार्यों ने अन्य ं के आचार्य की तरह दूसरे मत का खण्डन नहीं किया है।

द्वैताद्वैत का सीधा मतलब है द्वैत + अद्वैत।अर्थात भारतीय दर्शन की द्वैतवादी ारधारा भी सही है और अद्वैतवादी भी।दोनों के गुणों का समन्वय करती यह विचारधारा सामान्य को ईश्वर भक्ति से जोड़ने का एक सफल प्रयास है।

द्धाद्वैत --

बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत अथवा निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत से मझौता करने पर तैयार न थे। अतएव सबको अलग रखकर उन्होंने अपने मतवाद के ए एक बिल्कुल नई दार्शनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। इसके अनुसार निषद् में वर्णित ब्रहम की अद्वैतसत्ता तो निर्विवाद स्वीकार कर ली गयी, किन्तु शंकर इस मत को किसी एकमात्र निर्विशेष ब्रहम की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार्य है, ब सब कुछ माया है बिल्कुल उलट दिया गया। संक्षेप में, इसके अनुसार माया रहित द्ध जीव और परब्रह्म एक ही वस्तु है। बल्लभ ने घोषणा की कि ब्रहम की अद्वैतता तो या की कल्पना के बिना भी सिद्ध है। वस्तुतः अद्वैत ब्रह्म कारण और कार्य इन दोनों रूपों में सत्य और एक है यह विशुद्ध है।माया के ऊपर वह अवलम्बित नहीं है। यह रा दृश्य जगत इस ब्रहम की शक्ति का ही विस्तार है।

तवाद --

शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में मध्य युग के उत्तर काल में जो विध दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराएं आईं, उनमें मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद ा एक विशिष्ट स्थान है। मध्वाचार्य के विशुद्ध द्वैतवाद में ब्रह्म जीव और जगत को कता की धारणा के लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई। इनकी दृष्टि में तो एक ोर स्वतंत्र अद्वितीय चेतन ब्रहम और दूसरी ओर अस्वतंत्र जड़ प्रकृति या परतन्त्र जीव ।इन दोनों को ही यथार्थ सत्ता मानी गई है उन्होंने इनके भेद को नित्य माना ानित्य नहीं। उनका कहना है कि परब्रहा और जीव को कुछ अंशों में भिन्न मानना रस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात है।इसलिए दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिए योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति में भी एकता नहीं हो सकती। आपके विचार ें ब्रहम और जीव में सेव्य सेवकमात्र का सम्बन्ध है। रामानुज और मध्वाचार्य ने विशेषकर दक्षिण भारत में विष्णु की पूजा का परब्रहम की पूजा के रूप में प्रसार किया। वृन्दावन के निकट निम्बाकाचार्य और बल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र रहा। अतएव पश्चिम, भारत में विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचलित किया।बाद

में चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के घर--घर में कृष्ण मत का प्रचार किया। परब्रह्म के रूप में श्री राम के प्रचार का विशेष श्रेय स्वामी रामानन्द को है। रामानन्द ने वैष्णव सम्प्रदाय को अधिक विस्तृत तथा उदार बनाया। अतएव उनके मुख्य शिष्यों में कबीर, धन्ना और रैदास हुए। उन्हीं की शिष्य परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनके लिखे रामचरितमानस को रामानन्द के सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ मानना चाहिए। इस ग्रन्थ की शिक्षा का सार यह है कि राम की भक्ति और उपासना से ही जीव सांसारिक कष्टों से तथा आवागमन से बच सकता है। इस उपासना का अधिकारी मनुष्यमात्र है। जाति-पाति का भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं कर सकता।

शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में भारत के भिन्न भिन्न भागों में द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध और उनके अन्तर्गत चैतन्य सम्प्रदाय और रामानन्द सम्प्रदाय आदि वैष्णव-- सम्प्रदायों का प्रसार हुआ,जिनका सिद्धान्त है कि शिक्षा की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भक्ति है।भगवान ने भी गीता में कहा है -- अव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अत्यन्त कठिन और क्लेशमय है। यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्व का वर्णन है तथापि यह केवल साधन है और भक्ति ही अन्तिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना अथवा न करना बराबर है।

8.3. संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा

संस्कृति की पूर्वी अवधारणा में जहां धर्म को प्रधान माना गया है वहीं पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणा में व्यक्ति के विकास को महत्व दिया गया है। विकसित व्यक्तित्व ही धार्मिक, सदाचारी तथा नैतिक हो सकता है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए पश्चिमी संस्कृति के सभी सिद्धान्त, विचार व्यक्ति के विकास एवं जगत के भौतिक विकास को ही लक्ष्य मानकर निरुपित किए गये हैं। पाश्चात्य संस्कृति का आरम्भिक आधार तो धर्म था परन्तु समय के प्रवाह में यह व्यक्तिवादी हो गया और व्यक्ति के विकास पर ही केन्द्रित हो गया। संक्षेप में, पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएं यहां उल्लिखित हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी जगत के भौतिक विकास में उनकी व्यक्तिवादी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है।

8.3.1 पाश्चात्य संस्कृति और इसकी विशेषताएँ

पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य आधार रोमन संस्कृति है और रोमन संस्कृति का आधार ग्रीक संस्कृति। इस प्रकार ग्रीको रोमन संस्कृति को ही पाश्चात्य संस्कृति कहा जा सकता है। ग्रीक संस्कृति का उदय ईसा पूर्व हो चुका था जबकि इसी संस्कृति पर आधारित रोमन साम्राज्य का आधिपत्य मध्य युग तक बना रहा। इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति को मूल रूप से ग्रीको--रोमन संस्कृति के ही नाम से जाना जाता है। ग्रीको रोमन संस्कृति के अवशेष आज भी पाश्चात्य संस्कृति में विद्यमान है।

विशेषताएं - पाश्चात्य संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--

त्र प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है।

धार्मिकता -- भारतीय संस्कृति की भांति पाश्चात्य संस्कृति में भी धर्म की प्रधानता संस्कृति में इसाई धर्म की अभिव्यक्ति अति व्यापक रुप में की गई है। ईसा के धार्मिक नियमों, विधि विधानों को इस संस्कृति में व्यापक स्थान दिया गया है। उपदेशों के साथ इसाई धर्म में उन सिद्धान्तों को भी सम्मिलित किया गया है अनुभूति समाज के महापुरुषों और धर्मगुरुओं (पोप) को सत्य का अन्वेषण वन में उनका उपयोग करते समय हुई थी।

पाश्चात्य संस्कृति में उन सदाचरणों और नियमों का उल्लेख मिलता है जिनके से व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो सके। जैसे सामाजिक तिक व्यवस्था और प्रगति के लिए परस्पर कैसा व्यवहार करें तथा किस प्रकार न पान और रहन सहन व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है।

शरीर और मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। समाज में कृषि, पशु पालन, य व्यापार उद्योग व्यवसाय तथा कला के अन्य कार्य किस प्रकार किए जाएं, शिल्प लित कलाओं के सिद्धान्त व्यक्ति के अधिकार औरकर्तव्य, प्रजा पालन औरप्रजाहित के सिद्धान्त आदि की व्यापक व्याख्या पाश्चात्य संस्कृति में मिलती है।

प्राचीन दार्शनिकों ने राजनीति, अर्थ, समाज और मानवशास्त्र से सम्बन्धित जो व्यक्त किए उनको पाश्चात्य संस्कृति में प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

व्यक्तिपरायणता पाश्चात्य संस्कृति की मौलिक विशेषता है। व्यक्ति ही समाज नीति का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य संस्कृति ने व्यक्ति के विकास पर ही ज्यादा या है। व्यक्तिवाद व्यक्तिपरायणता पाश्चात्य संस्कृति की आधार शिला है।

भावनात्मक एकता और एकीकरण की भावना पाश्चात्य संस्कृति की एक मुख विशेषता है । व्यक्ति को और व्यक्ति के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर श्चात्य संस्कृति के तमाम नियम सिद्धान्त बनाए गये हैं और इसी से व्यक्ति में मक एकता के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है।

पाश्चात्य संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही पश्चिमी जगत आज क विकास के शिखर पर है। अपने इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण पश्चिमी संस्कृति षक राष्ट्र आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रणी है और सम्पूर्ण विश्व को या यों के सम्पूर्ण मानवता को भौतिक विकास का मार्ग दर्शन कर रहे हैं।

.2. पाश्चात्य संस्कृति के प्रमुख प्रचलित विचार

जैसा कि स्पष्ट है कि पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य आधार भौतिक साधनों द्वारा य का अधिकाधिक हित साधन हैं। इसी क्रम में मानव हित साधन के निमित्त कुछ ारणाएं, विचार विकसित किए गये जो इस प्रकार से हैं--

सांस्कृतिक जगत में राज्य की महत्ता स्थापित कर उसे महिमामंडित करने वाली विचारधारा आदर्शवाद के रुप में विकसित हुई। दार्शनिक दृष्टि से आदर्शवाद को विचारवाद भी माना जाता है जिसमें विचारों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। विश्व में विचार ही मूल एवं वास्तविक सत्य है। चिन्तन तथा दर्शन के क्षेत्र में आदर्श वाद का यह तात्पर्य है कि भौतिक वस्तुएं सत्य या वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी वस्तु की वास्तविकता या सच्चाई वस्तु विशेष में नहीं वरन उसके विचार मात्र में निहित होती है। संस्कृति का यह सिद्धान्त भौतिकवाद के बिलकुल विपरीत है।

आदर्शवाद एक समष्टिवादी दर्शन है। यह नैतिक तथ्यों एवं दार्शनिक तर्क श्रृंखला के माध्यम से राज्य की सर्वोपरिता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। आदर्शवाद की एक लम्बी परम्परा रही है। इस विचारधारा का प्रारम्भिक रुप प्राचीन यूनान में विकसित हुआ। जिस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का उद्‌गम स्थल यूनान को माना जाता है उसी प्रकार आदर्शवाद का जनक भी यूनान ही है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस विचारधारा को एक व्यवस्थित सिद्धान्त का रुप दिया। अरस्तू ने भी आदर्शवाद की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रुप में समाज में रहकर ही जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकता है। समाज के आदर्श को अपना अनुकरणीय मानकर अपना सामाजिक एंव सांस्कृतिक विकास कर सकता है। प्लेटो और अरस्तू के बाद रोमन काल और मध्ययुग में आदर्शवादी दर्शन का कोई महत्वपूर्ण प्रवर्तक नहीं हुआ।

आधुनिक आदर्शवाद की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम जर्मनी में हुई। जहां प्रसिद्ध दार्शनिक अगस्त काण्ट ने इसे परिष्कृत किया। बाद में अनेक दार्शनिकों ने जिसमें, हीगेल, ग्रीन आदि प्रमुख हैं, आदर्शवाद को क्रमिक रुप से विकसित किया। आदर्शवादी चिन्ताओं ने राज्य का दार्शनिक ऐतिहासिक तथा नैतिक आधार प्रस्तुत करके राजनीतिक चिन्तन को एक नया रुप दिया। योरापीय चिन्तकों के अतिरिक्त बीसवीं सदी में भारत के महात्मा गांधी के विचार भी एक निश्चित सीमा तक आदर्शवादी हैं। यह आदर्शवाद की व्यापकता का एक स्पष्ट प्रमाण है।

2. व्यक्तिवाद --

पाश्चात्य सांस्कृतिक चिन्तन के क्षेत्र में व्यक्ति का अन्य राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के साथ सम्बन्धों का निरुपण प्रमुख विषय रहा है। पहले जहाँ धर्म की प्रधानता थी वहीं अब व्यक्ति की प्रधानता का भाव निरुपित होने लगा। 15वीं , 16वीं शताब्दियों में सामाजिक, आर्थिक वैचारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। इस सांस्कृतिक परिवर्तन में व्यक्ति, व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं सत्ता के मध्य परम्परागत सम्बन्धों की पुर्नव्याख्या की गई। पुनरोदय और सुधार आन्दोलनों के फलस्वरुप धर्म आधारित मध्यकालीन परम्पराएं नष्ट हुई और दार्शनिकों के सांस्कृतिक चिन्तन में एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात हुआ जिसे व्यक्तिवाद कहा गया। वैयक्तिक विकास के लिए व्यक्ति , समाज और राज्य के पारसपरिक सम्बन्धों की तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत करने

अग्रणी इस विचारधारा का मूल आधार ...
व्यक्तिवादी विचारधारा के विकास और परिष्कार में हाब्स, लाक, रुसो, जेम्स मिल, न स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ तथा हर्बर्ट स्पेन्सर जैसे दार्शनिकों का प्रमुख योगदान है।

व्यक्तिवाद को मध्यवर्गीय समाज का दर्शन भी कहा जाता है। इस विचारधारा नुष्य को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र माना गया है। इस विचारधारा का मानना है कि मनुष्य अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, अतः वह सामाजिक, र्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिकाधिक तंत्रता का अधिकारी है। व्यक्तिवादी विचारधारा में वैयक्तिक उन्मुक्तियों पर विशेष दिया गया है क्योंकि व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास तभी सम्भव है जब के सम्मुख बाधाएं कम से कम हों। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु व्यक्ति के ए उत्तम जीवन की प्राप्ति को एक नैतिक विचार मानते थे परन्तु इस उद्देश्य की प्ति के लिए राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के आदर्श स्वरुप को प्राथमिकता थे।

व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया इस धारणा को अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम व्यावहारिक रुप प्रदान किया गया। मेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार इंगलैण्ड के व्यक्तिवादी दार्शनिक क के विचारों से प्रभावित है। इंग्लैण्ड व्यक्तिवाद की मुख्य भूमि रहा है। आधुनिक ज्यों के संविधानों में भी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं के वैधानिक संरक्षण की वस्था किसी न किसी रुप में सर्वत्र पायी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी स्वतंत्रताओं मानव अधिकारों के रुप में मान्य किया है।

उदारवाद

एक सांस्कृतिक विचारधारा के रुप में उदारवाद सतत प्रवाहमान है जीवन को बेहतर ाना तथा जीवन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आसन्न बाधाओं को दूर रना ही इसका उद्देश्य है। सहज एवं गतिशील मानव जीवन के लिए सामाजिक, जनीतिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैचारिक व्यवस्था को लोचपूर्ण बनाना एवं ससे सम्बन्धित जटिलताओं का विरोध उदारवाद में निहित है।उदारवाद का एक मबद्ध सिद्धान्त के रुप में विकास दुरुहता लिए हुए है क्योंकि इसमें विविध प्रकार के र्शनिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सिद्धान्त सम्मिलित हैं। यह कोई स्थिर चारों का समूह नहीं है। यह संशोधनों एवं विस्तारण का विषय रहा है। इसी कारण दारवादी विचारों की प्रवृत्ति तथा प्रकृति भिन्न- भिन्न कालों, देशों तथा उसके प्रतिनिधि चारकों में समरुप नहीं रही है।

उदारवाद का सारभूत अर्थ है स्वतंत्रता अर्थात बाध्य प्रतिबन्धों से व्यक्ति की वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। उदारवाद जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमनकारी हस्तक्षेप का विरोधी है,चाहे वह नैतिक ो या धार्मिक, सामाजिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। उदारवाद इस

व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों पर पुनर्विचार की रही है। अतः उदारवाद एक गतिशील सिद्धान्त है।

उदारवाद एक सिद्धान्त के रुप में किसी एक विचारक अथवा इतिहास के किसी एक खण्ड से सम्बन्धित नहीं है।इसका मूल प्राचीन युनानी विचारकों से सम्बन्धित है जिन्होंने उदारवाद के दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त चिन्तन की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया था। मध्यकाल में ईसाई धर्म गुरुओं ने दासता का विरोध एवं धार्मिक स्वतंत्रता काविरोध करते हुए उदारवाद के सिद्धान्तों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। उदारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में मिल्टन, स्पिनोजा, लॉक, पेटे, जैफरसन, रुसो, काण्ट, बेंथम, मिल, स्पेन्सर, हयूम, माण्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, बैंजामिन फ्रैंकलिन, कोल आदि महान समाजशास्त्रियों तथा दार्शनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने विभिन्न मात्राओं और विभिन्न विधियों से उदारवाद के ध्येय का समर्थन किया है।

उदारवादी चिन्तन ने बहुआयामी मानवीय स्वतंत्रता पर बल देकर वैयक्तिक गरिमा एवं अस्तित्व का बोध कराया है। उदारवादी विचारधारा अरस्तू के विचारों से लेकर आज तक अस्तित्व में बनी हुई है। कभी उदारवाद ने पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विकास का पथ प्रशस्त किया इनकी दमनात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध उदारवादी आन्दोलनों ने ही जनता को इन बुराइयों से मुक्त कराने की प्रेरणा दी। अपनी इस गतिशील प्रवृत्ति के कारण परिवर्तनशील एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उदारवाद जीवन्त बना रहा। वैज्ञानिक चमत्कारों के युग में तेजी से सिमटती हुई परिवर्तनशील दुनिया में मानवीय मूल्यों के प्रति निरन्तर सजगता ही उदारवाद की प्रमुख विशेषता है।

4. अराजकतावाद

मानव जीवन को शोषण एवं वर्ग भेद की बुराई से मुक्त करने के लिए संकल्पित विचारधाराओं में अराजकतावाद का प्रमुख स्थान है। मूलतः यह विरोध का सिद्धान्त है जो सत्ता के पूंजीभूत स्रोतों तथा राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धर्म को नकारता हुआ चलता है। अराजकतावादी चिन्तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं जिसके साधन के निमित्त राज्य सदृश संस्था को ही समाप्त कर देने के समर्थक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करने के लिए स्वतंत्र हो सके। उसके ऊपर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नियन्त्रण की कोई चेष्टा न हो यही अराजकतावाद का मुख्य लक्ष्य है।

अराजकतावादी विचारधारा 19वीं शदी के अन्तिम वर्षों में योरोप तथा अमेरिका के विशेषतः कुछ ऐसे क्रान्तिकारी चिन्तकों के मस्तिष्क की उपज थी जो अत्यधिक बुद्धिमान तथा कल्पनावादी बच्चों की जाति का निर्माण करते हैं और जिनपर कागजी दुनिया से बाहर अपनी देख रेख कर लेने का विश्वास नहीं किया जा सकता। अराजकतावाद का महत्व इसबात में है कि उसने सांस्कृतिक राजनीतिक चिंतकों को

य, धर्म तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुराइयों के निवारण के लिए चिन्तन करने तथा
ार करने की प्रेरणा प्रदान की।

उपभोक्तावाद

बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में पाश्चात्य संस्कृति में एक नए विचार का उदय ा जिसे उपभोक्तावाद कहा गया। इस विचार के मूल में व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की रणा निहित है। औद्योगिक क्रान्ति और संचार क्रान्ति ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना ा। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को इतना सहज और आसान बना ा है कि अब मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में उपकरणों काप्रयोग करने लगा है। आज के ुष्य की जीवन शैली प्रौद्योगिकी आधारित हो गयी है।आधुनिक तकनीक का प्रयोग के मनुष्य अब असम्भव को भी सम्भव बनाने लगा है।

वर्तमान विश्व में आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था ने जारीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। बाजार व्यवस्था ने उपभोक्तावादी संस्कृति को म दिया। पाश्चात्य विकसित देश मनुष्य को उपभोक्ता मानकर अनेक प्रकार के नए ाद बाजार में लाने आरम्भ किये। इन उत्पादों के विज्ञापन ने इनके प्रति जनता में रुचि ाई और इनका उपभोग होने लगा। उपभोक्तावाद का आश्रय लेकर पश्चिमी देश मानव वन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी घुसपैठ बनाने लगे। पूर्णतः अर्थ केन्द्रित इस व्यवस्था का ाक कोई व्यक्ति या दर्शन नहीं है बल्कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति का णिज्यिक स्वरुप ही उपभोक्तावादी संस्कृति के रूप में विश्वव्यापी बना है।

उपभोक्तावाद आज इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि पूर्व में प्रचलित सारी स्कृतिक अवधारणाएं इसके समक्ष गौण हो गयी है। यही कारण है कि आज का श्व उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ रहा है।

4 वैश्वीकरण

सांस्कृतिक दृष्टि से वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण विश्व की एक स्कृति हो और उस संस्कृति को विश्व के सभी राष्ट्रों की जनता खुले मन से स्वीकार रती हो। किन्तु वैश्वीकरण की यह धारणा वर्तमान परिवेश में सही नहीं है इसका मुख्य रण यह है किवर्तमान वैश्वीकरण अर्ध केन्द्रित है। इसमें मानवीय संवेदनाओं का कोई ान नहीं है। वैश्वीकरण का गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करने पर हमें इस सन्दर्भ में दो वधारणाएं स्पष्ट दीख पड़ती हैं। एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी । इन्हीं के बारे में हम हां अध्ययन करेंगे।

4.1 वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण --

पूर्वी संस्कृति, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय संस्कृति करती है में वैश्वीकरण ी भावना प्राचीन काल से ही विद्यमान है।

अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु बसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात यह मेरा है, यह दूसरे का है ऐसा सोचना संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, उदारचरित वाले लोगों के लिए यह वसुधा ही एक परिवार की तरह है।

भारतीय संस्कृति का यह प्राचीन सूत्र वाक्य वैश्वीकरण की प्राचीन अवधारणा को स्पष्ट करता है। जब पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह होगी तो प्रत्येक व्यक्ति भावात्मक रुप से एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे के सुख दुख में मनुष्यों को भागीदार बनाती है। इस प्रकार के वैश्वीकरण में न धन की महत्ता है न राष्ट्र की। भाई चारे का विश्वव्यापी सन्देश देती यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने की एक प्राचीन वैचारिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में आज भी यथावत है।उदाहरण के लिए जब कभी कोई राष्ट्र दैवी अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है तो सम्पूर्ण विश्व उसकी सहायता के लिए खडा हो जाता है। इसमें न तो राजनीतिक हित की बाधा आती है और न ही राष्ट्रीय हित की।पूर्व रुप से मानवीय संवेदना पर आधारित यह वैश्वीकरण आदिकाल से लेकर अनन्तकाल तक चिरस्थायी रहने वाला है क्योंकि इसके मूल में मनुष्य की भावात्मक एकता है। अतः वैश्वीकरण के प्रति पूर्वी संस्कृति का दृष्टिकोण पूर्णतः मानवीय है।

8.4.2. वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का दृष्टिकोण

वर्तमान वैश्वीकरण का जो स्वरुप हमारे सामने है वह पाश्चात्य संस्कृति का ही स्वरुप है। इस वैश्वीकरण ने सही अर्थों में विश्व में दूरी और समय का महत्व कम कर दियाहै।विश्व के किसी भी भू भाग में व्यक्ति कभी भी पहुँच सकता है।दूर देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विश्व के किसी भी भू भाग में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी मिनटों में सारे विश्व को प्राप्त हो जाती है। यह पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधारा में वैश्वीकरण का एक ऐसा स्वरुप है जो विश्व व्यापी होने के साथ साथ उपयोगी भी है। सूचना क्रान्ति के वर्तमान युग में वैश्वीकरण का आधार भी परिवर्तित हो गया है स्थान और समय की सीमाएं सिमट गयी कितु मानवीय संवेदनाओं की कमी के कारण दिलों की अर्थात मानव - मानव के बीच की दूरी बढ़ गई।

वर्तमान वैश्वीकरण अर्थ केन्द्रित है।यदि मनुष्य के पास आर्थिक सम्पन्नता है तो सारी दुनिया उसके कमरे में सिमट जाती है और वैश्वीकरण साकार हो जाता है। अर्थाभाव में यह वैश्वीकरण दिव्य स्वप्न बन कर रह जाता है।पाश्चात्य विकसित देशों ने नयी बाजार व्यवस्था को विश्व बाजार व्यवस्था के रुप में प्रचलित कर वैश्वीकरण का क्रम

बढाया। यह वैश्वीकरण एक प्रकार से सुविधा सम्पन्न देशों का आर्थिक एवं
कृतिक साम्राज्यवाद बन कर रह गया है। मानवीय संवेदनाओं के स्थान पर अर्थ इसका
य आधार है भारतीय संस्कृति की उपेक्षित विचार धारा सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति
वैश्वीकरण का मुख्य आधार है।

5 सारांश

इस अध्याय में आपने संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणाओं का विस्तार अध्ययन किया। पूर्वी अवधारणा की प्रमुख संस्कृति भारतीय संस्कृति तथा इसकी शेषताओं का आपने अध्ययन किय। इस संस्कृति की प्रचलित प्रमुख अवधारणाओं द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत , विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि के बारे में विस्तार से जाना। स्कृति की पश्चिमी अवधारणा के अन्तर्गत आपने पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताओं से परिचित हुए। इसके साथ ही विभिन्न पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणाओं जैसे आदर्शवाद, यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद एवं उपभोक्तावाद के बारे में विस्तार से समझा। श्वीकरण के प्रति पाश्चात्य एवं पूर्वी संस्कृति का क्या दृटिष्कोण है यह भी आपने इस काई में पढ़ा। संक्षेप में संस्कृति की पूर्वी एवं पश्चिमी अवधारणाओं का विस्तार से ध्ययन आपने इस इकाई में किया।

3.6. शब्दावली

.	देवपरायणता	--	देवी देवता के प्रति (समर्पित) निष्ठा
2.	द्वैतवाद	--	दो (ब्रहम और जीव) रूपों का विचार
3.	अवधारणा	--	विचार, सिद्धान्त
4.	उपभोक्ता वाद	--	उपयोग की वस्तुओं के प्रति आसक्ति
5.	समष्टिवाद	--	समूह की पक्षधर अवधारणा

8.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता-- डॉ. अर्जुन तिवारी
2. संस्कृति के चार अध्याय -- रामधारी सिंह दिंनकर
3. राजनीतिक अवधारणाएं एव प्रवृत्तियां -- डॉ. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
4. अन्तर्सांस्कृतिक संचार डॉ. मुक्तिनाथ झा

8.8 प्रश्नावली

8.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति की भारतीय अवधारणा क्या है।
2. द्वैतवाद के सिद्धान्त क्या हैं ?
3. संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा क्या है?
4. पाश्चात्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें ।

8.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संस्कृति की वर्तमान विश्व को देन स्पष्ट करें ।
2. भारतीय संस्कृति की प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
3. पाश्चात्य सांस्कृतिक अवधारणाओं की व्याख्या करते हुए वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें।
4. वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के प्रति पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोण की समीक्षा करें ।

8.8.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे।

(क) शंकराचार्य, (ख) बल्लभाचार्य (ग) माध्वाचार्य (घ) इनमें से कोई नहीं

2. देव परायणता किस सांस्कृतिक अवधारणा की प्रमुख विशेषता है।

(क) अरब (ख) बौद्ध (ग) पाश्चात्य (घ) भारतीय

3. निष्काम कर्म का सन्देशदेने वाला कौन सा भारतीय धार्मिक ग्रन्थ है।

(क) वेद (ख) पुराण (ग) रामायण (घ) गीता

8.8.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. क
2. घ
3. घ

काई 9 सांस्कृतिक संचार के संवाहक - भाषा एवं व्याकरण

काई की रूपरेखा

0 उद्देश्य
प्रस्तावना
2 सांस्कृतिक संचार
3 सांस्कृतिक संचार की संवाहक भाषा
9.3.1 भाषा का अर्थ
9.3.2 भाषा की परिभाषा
9.3.3 भाषा के तत्व
9.3.4 भाषा की विशेषता
4 भाषा विकास के चरण
5 सांस्कृतिक संचार और व्याकरण
9.5.1 व्याकरण का प्रयोग
9.5.2 वाक्य निर्माण
9.5.3 भाषा में परिवर्तन और व्याकरण
6 सांस्कृतिक संचार में भाषा एवं व्याकरण का महत्व
7 सारांश
8 शब्दावली
9 सन्दर्भ ग्रन्थ
10 प्रश्नावली
9.10.1 लघुउत्तरीय प्रश्न
9.10.2 दीर्घउत्तरीय प्रश्न
9.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
9.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

.3 उद्देश्य

इस इकाई को अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे कि -

- भाषा क्या है ?

2- भाषा द्वारा संचार कैसे होता है?

3- भाषा के विकास की रूपरेखा क्या है?

4- सांस्कृतिक संचार और व्याकरण में क्या सम्बन्ध है?

5- सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भाषा का स्वरूप कैसे बदलता है?

9.1 प्रस्तावना

संस्कृतियों के आदान-प्रदान में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है। मानव-जीवन की लोक यात्रा भाषा से ही प्रारम्भ होती है। कहा गया है 'वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते'। व्याकरण के जनक पाणिनि और पातंजलि ने संस्कृति का मूलाधार भाषा और व्याकरण ही माना है। भाषा वह दिव्य शक्ति है जो मानव को पशुओं से अलग करती है। भाषा के कारण बन्दर मामा और कौवा काका तथा बिल्ली मौसी को वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जो मानव को। विविध संस्कृतियों के संचरण में शुद्ध परिशुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा की अपनी महत्ता है। भाषा दूरी को समाप्त करती है। दो दिलों को जोड़ती है। आज सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, का जो विकृत रूप वर्तमान है उसे हम सुसंस्कारित भाषा के अधिकाधिक प्रयोग से परिष्कृत कर सकते हैं।

9.2 सांस्कृतिक संचार

भाषा ही मनुष्य को संस्कारवान बनाती है और व्याकरण भाषा को सजाता है। संचार के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। संस्कृति का विस्तार, प्रवाह भाषा के ही माध्यम से होता है। अपने सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में अन्य लोगों को बता सकते हैं। भाषा संचार के साथ ही सांस्कृतिक संचार का भी प्रमुख माध्यम है। सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग कर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को चिरस्थायी बना सकते हैं। व्याकरण के प्रयोग से भाषा पुष्ट होती है। अतः संचार की किसी भी विधा में भाषा एवं व्याकरण की महत्ता स्वतः सिद्ध है। दो विभिन्न संस्कृतियों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान ही सांस्कृतिक संचार है जो विश्व शान्ति का नियामक है।

9.3 सांस्कृतिक संचार की संवाहिका भाषा

संस्कृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है। हस्तान्तरण की यह प्रक्रिया जब अवरूद्ध होती है तभी सांस्कृतिक अवमूल्यन होता है।विगत पीढ़ी से आगत पीढ़ी तक संस्कृति भाषा के माध्यम से ही पहुँचती है। वाचिक अथवा लिखित रुप से ही संस्कृतियां आगे बढ़कर निरन्तरता बनाती हैं। संस्कृति के इस प्रवाह में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।भाषा माध्यम से हम अतीत की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, वर्तमान के सन्दर्भ में मूल्यांकन करते हैं और भविष्य के लिए संरक्षित करते हैं। सांस्कृतिक प्रवाह के इस महत्वपूर्ण माध्यम "भाषा" को पूर्ण रुप से जाने बिना हम सांस्कृतिक संचार में भाषा की

स्पष्ट नहीं कर सकते। अतः भाषा क्या है, इसके लक्षण तथा लाभ -हानि का ज्ञान ...क है।

भाषा का अर्थ

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रहने के कारण उसे सदैव आपस में विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों या वाक्यों के द्वारा अपने आपको प्रकट है तो कभी संकेत मात्र से ही उसका काम चल जाता है।उदाहरण स्वरूप समाज के ...और शिक्षित शहरी वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए जाते ...कि अशिक्षित एवं निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज में निमंत्रित करने के लिए हल्दी, या इलाइची बांटना ही पर्याप्त होता है।रेलवे के गार्ड और चालक का विचार ...य झंडियों से ही हो जाता है। तात्पर्य यह कि गंध- इन्द्रियां, स्वाद-इन्द्रियाँ स्पर्श - , दृश्य -इन्द्रिय, तथा कर्ण -इन्द्रिय इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों में से किसी भी माध्यम से बात कही जा सकती है ।इन सभी में सर्वाधिक प्रयोग कर्णेन्द्रिय का ही होता है। सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता ...र विचार अथवा भाव ग्रहण करता है।

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते तथा अपने विचारों को व्यक्त ...हैं। सामान्य अर्थों में भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है और बोलना भी बोल सकने वाले मनुष्यों का। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई ...सका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह है जो बोला जाय।

2. भाषा की परिभाषा

भाषा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है।संचार की दृष्टि ...षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं ।

प्लेटो ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही ...है। विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है पर वही जब ध्वन्यात्मक ... होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं।

स्वीट ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।

वेन्दिए के अनुसार भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से ...नके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता हैं। ये प्रतीक कई प्रकार के होते ...से नेत्रग्राहय , कर्णग्राहय और स्पर्शग्राहय ।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार -- Language may be defined as an ...rary system of vocal symbols by means of which, human being a member ...social group and participants in culture interact and communicate.

... एक ध्वनि प्रतीकों की ऐच्छिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य संस्कृति एवं ...र में सक्रिय सहभागिता करता है)

इस प्रकार हम भाषा को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान -प्रदान करते हैं।

9.3.3 भाषा के तत्व

भाषा के निम्नलिखित तत्व होते हैंः

1. भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुँचाती है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का साधन होती है।

2. भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरुप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली ध्वनि समष्टि होती है। इसका आशय यह है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियों (जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना आदि) से भी विचार विनिमय हो सकता है, किन्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहीं आते।

3. भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ (शब्द) सार्थक तो होती हैं किन्तु उनका भावों या विचारों से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता। यह सम्बन्ध यादृच्छिक या माना हुआ होता है।इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि समष्टि या शब्द का जो अर्थ है, वह यों ही बिना किसी तर्क नियम या कारण आदि के मान लिया जाता है । यदि यह सम्बन्ध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता ।

4. भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं उसकी मानसिक संकल्पना का होता है।

5. भाषा एक व्यवस्था होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वही समझता है।

6. भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में वह बोली तथा समझी जाती है।

9.3.4 भाषा की विशेषता

भाषा से आशय मानव भाषा से है। यही विशेषता इसे मानवेतर भाषाओं से अलग करती है।मानव भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

1. **यादृच्छिकता**

यादृच्छिक का तात्पर्य होता है इच्छानुसार या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज स्वाभाविक या तर्क पूर्ण सम्बन्ध नहीं है। वह समाज की इच्छानुसार मात्र माना हुआ सम्बन्ध है। यदि सहज स्वाभाविक सम्बन्ध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता।

2. **सृजनात्मकता**

भाषा में शब्द और रुप तो प्रायः सीमित होते हैं, किन्तु उन्हीं के आधार पर हम

हैं। हम ऐसे अनेक वाक्यों का रोज प्रयोग करते हैं, जो उस रुप में पहले कभी प्रयुक्त ए। वाक्यों के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती।

अनुकरणग्राह्यता

मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जन्म से कोई भी कोई भाषा नहीं जानता। वह समाज में ही अपनी भाषा सीखता है।अनुकरण ग्राह्यता ण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएं सीख सकता है। र प्राणियों में यह क्षमता नहीं होती।

परिवर्तनशीलता

मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। मानवीय भाषा देश-काल ति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

भाषा पैतृक नही अर्जित सम्पत्ति होती है। अपने चारों ओर के समाज या वातावरण य भाषा सीखता है। यह आस-पास के लोगों से अर्जित की जाती है इसीलिए यह न होकर अर्जित सम्पत्ति है।

भाषा परम्परा है।व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा क समाज और परम्परा ही है व्यक्ति नहीं।

भाषा का कोई अन्तिम स्वरुप नहीं होता यह कभी पूर्ण नहीं हो सकती।

भाषा की एक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है।सीमा के भीतर ही उस भाषा ा वास्तविक क्षेत्र होता है। भौगोलिक सीमा के बाहर उसके स्वरुप में आंशिक या वर्तन हो जाता है।प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से आरम्भ होकर काल तक व्यवहत होती है। यह भाषा अपने काल की परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा होती है।

भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है।

हर भाषा का स्पष्ट अथवा अस्पष्ट एक मानक रुप होता है।

भाषा विकास के चरण

भाषा विकास के मूख्य रुप से तीन चरण हैं। कहा जाता है कि मनुष्य बन्दरों का रुप है। यदि यह सत्य है तो कभी हमारी भाषा बन्दरों की भाषा के समीप रही न्दरों में उच्चारित या वाचिक भाषा के साथ-साथ आंगिक संकेतों की भी भाषा इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानव भाषा का प्रारम्भिक रुप पशुओं की गिक रहा होगा।

भाषा का दूसरा रूप वाचिक हुआ। आरम्भ में मानव भाषा में आंगिक संकेत अधिक वाचिक कम किन्तु धीरे धीरे पहले का प्रयोग कम होता गया और दूसरे का बढता

लिखित रुप में भाषा देश काल से बंधी नहीं है। आज लिखकर सैकड़ों साल के बाद भी पढा जा सकता हे या किसी प्रकार यहां लिखकर उसे कहीं भी भेजा जा सकता है।

भाषा का विकास मानवीकरण की प्रक्रिया का एक अंग था। प्रतीक व्यवस्था ने मानव को अभिव्यक्ति की शक्ति दी। मानव के अध्येताओं को एक भी ऐसा समूह नहीं मिला जो भाषाविहीन हो। सीमित शब्द भंडार वाले समूह अवश्य मिले किन्तु इस सीमित शब्द संख्या में भी सांस्कृतिक संचार की अदभुत क्षमता थी। मौखिक संस्कृति ने मानव जीवन के आयाम बदले और परम्पराओं को स्थायित्व देने में आश्चर्यजनक सफलता पायी। लिपि का अविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रान्ति थी। ध्वनि पर आधारित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों से प्रयोग किए थे। चित्र लिपि इसी प्रकार का एक प्रयोग था। चित्रलिपि का सम्बन्ध किसी भाषा से न होने के कारण उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी सम्भव नहीं थी। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। चित्र लिपि का संवर्द्धित रुप 'आइडियोग्राफी' थी जिसमें स्थितियों और घटनाओं की प्रस्तुति के साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की सीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण ही नहीं करते थे बल्कि वे उनसे सम्बन्धित विचारों को भी अभिव्यक्त करते थे। ध्वनि आधारित लिपि के विकास के पहले कई संक्रमण कालीन लिपियां आई जो मूलतः आइडियोग्राफी थी, पर जिनमें धीरे-धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। इसके पश्चात लोगोग्राफी का विकास हुआ जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतन्त्र चिन्ह था, इस लिपि को शब्द लेखन भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात ध्वनि आधारित लिपि का अविष्कार हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रुप का अन्त कर उसे भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस प्रकार भाषा और लिपि के विकास ने जहां एक ओर भावाभिव्यक्ति के नए आयाम स्थापित किए वहीं दूसरी ओर संचार को एक नई गति दी।

9.5 सांस्कृतिक संचार और व्याकरण

संचार के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। किन्तु मनुष्य कब किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करे इसका ज्ञान भी मनुष्य को होना चाहिए। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन वाक्य रचनाओं में एक नियम बद्धता होती है। वाक्य रचना के इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत के विद्वानों ने इस विषय पर गम्भीर चिन्तन किया और व्याकरण सम्बन्धी कुछ नियमों की संरचना की। इन भारतीय मनीषियों में महर्षि पाणिनि और पतंजलि का नाम सर्वोपरि है। पाश्चात्य विद्वानों में यूनान के महान दार्शनिक डायोनिसिस ने ई.पू. प्रथम शताब्दी में ही यह खोज की थी कि मनुष्य दैनिक बोलचाल की भाषा में अचेतन रूप से अत्यन्त सूक्ष्म तथा जटिल नियमों का पालन करते हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है और जिन्हें व्यवस्थित रुप दिया जा सकता है। यही नियम तथा सिद्धान्त व्याकरण के रुप में प्रतिष्ठित हुए।

पाणिनि ने व्याकरण सम्बन्धी नियमों पर एक ग्रन्थ लिखा जिसे 'अष्टाध्यायी' ाता है तथा पतंजलि के ग्रन्थ को भाष्य कहा जाता है ।ये दोनों व्याकरण के मूल संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं। इन ग्रन्थों की उपयोगिता और महत्ता इस तथ्य से त है कि किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान इसके मूल में है और भारत सहित विदेशी भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद किया जा चुका है।

वाक्य रचना के कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से ही वाक्य बोध गम्य होते त्य के तत्वों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का व्यवस्थित प्रयोग ही ण का मूल विषय है। मनुष्य चाहे माने चाहे वह व्याकरण के सामान्य नियमों का करता ही है या यों कहा जाय कि उसे इन नियमों का पालन करना ही पड़ता है। अभाव में वाक्य अर्थहीन और प्रभावहीन हो जाते हैं।

व्याकरण का प्रयोग

वैसे तो व्याकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन किया है किन्तु यहां हम केवल संचार की दृष्टि से वाक्य रचना में व्याकरण के किन किन का ध्यान रखना चाहिए, इसी का अध्ययन करेंगे।

हिन्दी लेखन मुद्रण में वर्तनी की एकरूपता लाने के अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक 1960 में वर्तनी सम्बन्धी कुछ सुझाव प्रकाशित किए थे। व्याकरण के नियमों के तथा संचार के लिए आवश्यक कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। इन्हें हम संचार में ण का प्रयोग भी कह सकते हैं । वे निम्नलिखित हैं-

संयुक्त और वियुक्त (पृथक) शब्द

विभक्तियों को शब्दों से अलग लिखना चाहिए, जैसे इन्सान ने, कुतूहल से, घर ीवार में आदि। किन्तु स्थान बोधक सर्वनामों को छोडकर (जैसे - वहां की, यहां से शेष सर्वनामों के साथ विभक्तियां जुड़ी रहनी चाहिए जैसे, हमको, उसने, इसीलिए, ा आदि।

पूर्णकालिक क्रियाओं का 'कर' साथ में जुडा होना चाहिए, जैसे पीकर,खाकर, खोलकर आदि।

संयुक्त क्रियाओं के दोनों अंश अलग अलग लिखे जाने चाहिए, जैसे, जी गया, ले कर देना आदि।

संख्यावाचक विशेषण प्रति शब्द के साथ जुडा रहना चाहिए, जैसे प्रतिक्षण, न , प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आदि।

आदर सूचक 'जी' मूल संज्ञा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जैसे बहनजी, बाबूजी, जी, आदि)

दो भिन्न शब्दों के संयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुड़े रहने चाहिए, जैसे, वाद- द, निम्नलिखित , चाल-चलन, यथा-स्थान, देख -भाल, आत्महत्या आदि।

निम्न परिस्थितियों में शब्दों के बीच हाइफन (-) का प्रयोग किया जाना चहिए।

(अ) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर जाय जैसे- स्वरुप-विश्लेषण, कृषि -मंन्त्री, साहित्य-समारोह, सरकार-विरोधी, आदि।

(ब) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए किसी विशेषण को दोहराया जाय अथवा समानार्थी या विपरीतार्थक शब्दों को मिलाकर चमत्कार की सृष्टि की जाए, जैसे -दो-चार, किसी-न-किसी, पति-पत्नी, हँसी-मजाक,थोडा-बहुत, आचार-विचार, लेन-देन आदि।

(स) जब विशेष विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की जाए जैसे- व्यक्ति-विशेष, कार्य -विशेष आदि।

(स) जब किसी शब्द के साथ 'भर' अथवा 'मात्र' लगाकर पूर्णता या सीमा का आभास दिया जाए, जैसे- दिन-भर, जीवन-भर, अनुभूति-मात्र, स्वप्न-मात्र आदि।

8. जो संस्कृत शब्द हिन्दी में कुछ रुप बदलकर प्रचलित हैं उन्हें उनके हिन्दी रुप में ही लिखा जाना चाहिए, जैसे - महत्व, कर्तव्य, उज्जवल, तत्व, दुख आदि।

9. अन्य भाषाओं के अनेक शब्द जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की अर्ध ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने चाहिए, जैसे गरमी, सरदी, शरम, वरण, बिलकुल आदि।

विराम तथा विरामेतर चिन्हों का प्रयोग

भारतीय व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया है।सांस्कृतिक संचार की दृष्टिसे हिन्दी में प्रयुक्त विराम एवं विरामेतर चिन्हों का परिचय इसप्रकार से है।

1. पूर्ण विराम -

वाक्य समाप्त होने पर वाक्य के अन्त में इसका प्रयोग किया जाता है। चिन्ह (।)

2. प्रश्न वाचक -

इसका प्रयोग क्या, क्यों, आदि वाले वाक्यों के अन्त में किया जाता है। चिन्ह (?)

3. विस्मयादिबोधक चिन्ह - विस्मय, भय, इच्छा, सम्बोधन, स्वीकृति, निराशा, तुलना, लज्जा, उद्वेग, आदि प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। (!)

4. अर्धविराम - जब किसी संयुक्त वाक्य में प्रधान वाक्यों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध न हो एक ही मुख्य वाक्य पर आधारित, सभी आश्रित वाक्यों के बाद, उदाहरण सूचक यथा, जैसे आदि शब्दों के पूर्व अर्थ विराम का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह (;)

5. अल्पविराम - हिन्दी में अल्प विराम का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दी में तो इसका अर्थ भेदक मूल्य है अतः सम्प्रेषक को इसका समुचित प्रयोग अनिवार्य रुप से करना चाहिए। (,)

विरामेतर चिन्ह - हिन्दी में निम्नलिखित विरामेतर चिन्हों का चिन्ह प्रयोग किया जाता है जो काव्य की स्पष्टता के लिए आवश्यक है।

...उद्धरण चिन्ह है - इसका प्रयोग उद्धृत अंश को पृथकता सूचित करने के लिए
जाता है।

चिन्ह (" ")

तिर्यक रेखा - इसका प्रयोग विकल्प सूचित करने के लिए किया जाता है।चिन्ह (/

कोष्ठक -कोष्ठक का प्रयोग विशेष विवरण या अर्थ आदि देने के लिए किया जाता
तीन प्रकार का होता है - ( ) छोटा कोष्ठक , { } मंझला कोष्ठक, [ ] बड़ा कोष्ठक

इसके अतिरिक्त अन्य विरामेतर चिन्हों का प्रयोग भी सुविधानुसार किया जाता

2 वाक्य निर्माण

संचार के लिए प्रसारित सन्देश वाक्यों में ही होते हैं । सांस्कृतिक संचार हो या
की कोई अन्य विधा, सम्प्रेषक को वाक्य निर्माण करना ही पड़ता है। सार्थक एवं
सम्प्रेषण के लिए वाक्य निर्माण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना
क है जैसे -

वाक्य छोटे होने चाहिये ।

सरल और प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए।

दूसरी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मूलरूप में ही किया जाना चाहिए।

वाक्य निर्माण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि का यथोचित
र बोध गम्य प्रयोग होना चाहिए।

भाषा प्रचलित एवं आम जन की होनी चाहिए।

विराम चिन्हों का प्रयोग यथा स्थान करते रहना चाहिए।

क्षेत्रीय भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

जटिल शब्दों का प्रयोग, जहां तक संभव हो, नहीं करना चाहिए।

अनुवाद में भी जन भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।

वाक्य निर्माण करते समय संचार के लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थात
के लिए विद्वानों की भाषा और आम जन के लिए साधारण भाषा प्रयोग की जानी

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब वाक्य की संरचना की जाती है तो संचार
ता है और उसके सार्थक परिणाम भी प्राप्त होते हैं।

9.5.3 भाषा में परिवर्तन और व्याकरण

भाषा में परिवर्तन भाषा की एक विशेषता है किन्तु इस परिवर्तन का कारण और भाषा के परिवर्तित रूप का सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि व्याकरण के नियम यहां भी प्रभावी हैं। इस परिवर्तन को वस्तुतः परिवर्तन न कहकर भाषा का विकास कहना चाहिए क्योंकि भाषा का विकास इन्हीं परिवर्तनों के कारण होता है। भाषा में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होते हैं।

1. **ध्वनि परिवर्तन**

भाषा की ध्वनियों में कई कारणों से परिवर्तन होता है :-

(1) **प्रयत्न लाघव** - कम बोलकर अधिक सम्प्रेषण करने की प्रवृत्ति प्रयत्न लाघव कही जाती है।

आगम - आगम का तात्पर्य किसी ऐसी ध्वनि के आ जाने से है जो पहले शब्द में न हो। जैसे स्कूल -इस्कूल, सूर्य-सूरज, दवा-दवाई, समुद्र- समुन्दर,मूर्ति-मूरत आदि।

लोप - इसमें किसी ध्वनि का लोप हो जाता है और वह शब्द से बाहर हो जाता है जैसे- ज्येष्ठ-जेठ दुग्ध-दूध सप्त-सात आदि।

विकार - बोलने में सुविधा की दृष्टि से कभी कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे - शाक-साग, हस्त-हाथ आदि

(2) **बल** - बोलते समय किसी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द या वाक्यांश पर अधिक बल दिया जाता है तो ध्वनि परिवर्तन होताहै। जैसे - नदी-नद्दी, वहाँ-उहें

(3) **भावातिरेक** - प्रेम, क्रोध, शोक, आदि भावों की अधिकता के कारण भी शब्द ध्वनि में परिवर्तन होता है जैसे -देवर-देवरवा, राम-रमुआ, पूत-पुतऊ।

(4) **अज्ञानता** - शब्दों का सही रुप न जानने के कारण भी लोग कई प्रकार से शब्द ध्वनियों में परिवर्तन कर लेते हैं । जैसे - पोस्ट-कार्ड- पोस्कार्ड, रास्ता-रस्ता आदि ।

2. **रुप परिवर्तन** -

रूप परिवर्तन के कारण भाषा की रुप रचना में भी परिवर्तन हो जाता है।संस्कृत में व्याकरण के अनुसार तीन वचन होते हैं पर हिन्दी में इसके केवल दो ही रुप रह गये हैं।पहले केवल मुझे और मुझको ही प्रयुक्त होता था परन्तु अब मेरे को भी प्रयुक्त होने लगा। इसी प्रकार असल काअर्थ ही है असल में पर इसकी जानकारी न होने के कारण कुछ लोग दरअसल में ऐसा प्रयोग करके इसके रुप में परिवर्तन कर देते हैं।

3. **शब्द परिवर्तन** -

शब्द परिवर्तन के कारण अनेक पुराने शब्दों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए पहले माप की इकाई के लिए सेर और मन का प्रयोग होता था पर अब किलो और क्विन्टल का प्रयोग होने लगा है। नई पीढी को इस मन और सेर का पता ही नहीं

स प्रकार के परिवर्तन सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव एवं विकास के सहज परिणाम हैं।

वाक्य परिवर्तन -

वाक्य परिवर्तन के अन्तर्गत वाक्य रचना में होने वाले परिवर्तन आते हैं। वाक्य का परिवर्तन कई रुपों में दिखाई देता है। जैसे -

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण सम्बन्धी परिवर्तन को अन्ययात्मक र्तन कहते हैं।

एक भाषा से विकसित दूसरी भाषा में पदों के क्रमों में प्रायः परिवर्तन हो जाता है दक्रमात्मक परिवर्तन कहते हैं।

सुविधा की दृष्टि से प्रयोग में वाक्यों के कुछ घटक लुप्त हो जाया करते हैं इसे नक परिवर्तन कहते हैं जैसे राम नहीं पढ़ता है के स्थान पर राम नहीं पढ़ता से काम ाता है।

वाक्य रचना के ये परिवर्तन कभी ध्वनियों के कारण कभी उच्चारण की सुविधा के कभी अन्य भाषा के प्रभावों के कारण होते हैं।

अर्थ परिवर्तन -

भाषा का मुख्य कार्य विचारों, अर्थों का सम्प्रेषण है। इसके अभाव में भाषा ,भाषा न केवल ध्वनि मात्र रह जाती है।यद्यपि हर भाषा में शब्दों के कुछ निर्धारित अर्थ होते ु कुछ कारणों से इनके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। ये कारण निम्नलिखित हैं -

विस्तार - अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की वह दिशा है जिसमें शब्द के अर्थ की सीमा विस्तृत एवं व्यापक हो जाती है।जैसे संस्कृत शब्द तैलम् का शब्दिक अर्थ तिल का ा है, किन्तु इसी तैलम् से बना तेल शब्द आज हिन्दी एवं अन्य आधुनिक भारतीय में अपने अर्थ विस्तार के कारण सभी प्रकार के तेल के लिए प्रयुक्त होने लगा है।

संकोच - जिस प्रकार शब्दों के अर्थ का विस्तार होता है उसी प्रकार शब्दों के अर्थ में भी होता है जब कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होकर बाद में सीमित अर्थ क्त होने लगता है तो वहां अर्थ संकोच होता है। जैसे गो शब्द का पहले अर्थ था चलने न्तु आज सभी चलने वाले को गो न कहकर केवल गाय के लिए प्रयुक्त होने लगा ों का अर्थ सदा व्युत्पत्ति के आधार पर ही नहीं होता, वह मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार ा है अर्थात उसका निर्धारण लोक व्यवहार से होता है।

अर्थादेश - अर्थादेश में शब्दों के अर्थ का न तो विस्तार होता है और न ही संकोच ब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाता है। जैसे साहस शब्द का प्रयोग पहले लूटमार ले के लिए प्रयुक्त होता था अब यह अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है।

विद्वानों ने अर्थ परिवर्तन के अनेक कारण बताएं हैं, जैसे -

परिवेश का परिवर्तन

2. विनम्रता प्रदर्शन
3. व्यंग्य
4. अज्ञानता
5. सुश्राव्यता
6. संक्षेपण
7. सामान्य के लिए दिशेष का प्रयोग
8. लाक्षणिक प्रयोग
9. प्रयोग का विचलन
10. भावात्मक बल, आदि।

संचार के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा संचार के तीनों उद्देश्यों - सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की पूर्ति होती है। सांस्कृतिक संचार में तो भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भाषा का वाचिक लिखित स्वरूप ही हमें अतीत की सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी कराता है। वर्तमान में हम भाषा के ही माध्यम से संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुसरण करते हैं तथा भाषा के ही माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भविष्य के लिए संरक्षित कर पाते हैं।

संस्कृति का निरन्तर प्रवाह भाषा के ही माध्यम से सम्भव है। संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखते हुए भाषा ही इसके प्रचार-प्रसार का संवाहक बनती है। व्याकरण भाषा को शिष्ट बनाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का श्रृंगार करते हैं। भाषा में व्याकरण की उपयोगिता और महत्ता के सन्दर्भ में, श्री कुबेर नाथ राय का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य हैः-

"कभी पढ़ा था कि व्याकरण भाषा का पुलिसमैन है। जब कोई शब्द वाक्य के भीतर कुमार्गगामी होता है तो उसकी आवारागर्दी को ठीक करने के लिए व्याकरण उस पर लाठी-चार्ज करता है, अश्रु गैस छोड़ता है और गिरफ्तार करता है, जिससे वाक्य संहिता का ठीक-ठीक पालन होता रहे। तब भी कुछ कालिदासों और शेक्सपियरों की शह पाकर कुछ शुद्ध नक्सलपंथी रास्ता अख्तियार कर रही लेते हैं और बाद में अपनी क्रान्ति की संवैधानिक स्वीकृति भी पा जाते हैं। तब बेचारा व्याकरण अपना सा मुँह लेकर रह जाता है। तथ्य तो यह है कि कौतुकमयी शुद्ध रूपा वाक्श्री व्याकरण की चौकीदारी में रहते हुए भी उसके पाश-अंकुश के या उसके लाठी के अधीन नहीं। यह तेजोमयी चटुलचक्षु शब्द-श्री अपनी गरिमा को छन्दबद्ध और छन्दमुक्त दोनों रुपों में प्रकाशित करती है। छन्द का नियम मानना इसके लिए आवश्यक नहीं। चिट्ठी-पत्री और बोल-चाल के स्तर पर और कथा-वार्ता के स्तर पर यह नियम मानकर चलती है, पर अपने-चरम प्रस्फुटन के अवसर पर यह शब्द-श्री नियमाधीन नहीं रहती है।"

कोई भी भाषा मूलरूप से ध्वन्यात्मक ही होती है। भाषाएं प्राकृतिक रूप से श्रुतिग्राह्य होती हैं। श्रुतिग्राह्य होने के कारण ही भाषाएं समाज में जीवित रहती हैं और

विकास होता रहता है। आज भी दुनिया में किसी भाषा के बोलन वाले सभी शिक्षित होते किन्तु भाषा के द्वारा उनका सम्प्रेषण एक दूसरे के साथ होता रहता है। कालान्तर देशों के सम्प्रेषण की आश्यकता एवं अभिव्यक्ति को संजोए रखने की इच्छा ने लिपि न्म दिया। लिपियों के विकास ने भाषा के श्रव्य रूप को दृश्य रूप में परिवर्तित कर लिपि के विकास के बाद जब भाषा का लेखन शुरू हुआ तो उसके ध्वन्यात्मक रूपों ही लेखन की आवश्यकता महसूस की गई।

कोई भी भाषा एक विस्तृत क्षेत्र और व्यापक जन समुदाय के बीच व्यवहृत होती क भाषा-भाषी समुदाय के लोग शिक्षित भी हो सकते हैं और अशिक्षित भी। उनके क स्तर का प्रभाव भाषा के उच्चारण और लेखन पर भी पड़ता है। भाषा के लेखन च्चारण में एक रूपता बनी रहे इसके लिए व्याकरण का प्रयोग आवश्यक हो जाता करण भाषा को संस्कारित करता है। विभिन्न भाषा के व्याकरण के नियम भी भिन्न-ते हैं। सदियों पूर्व भारतीय मनीषियों ने व्याकरण के कुछ सर्वमान्य नियम प्रतिपादित इनमें पाणिनि और पातञ्जलि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाणिनि ण के नियमों का उल्लेख अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी में विस्तार से किया है। पातंजलि य लिखकर व्याकरण को सर्वग्राह्य बनाया।

पाणिनी और पतंजलि ने व्याकरण नियमों की रचना संस्कृत भाषा के सन्दर्भ में था किन्तु इसके नियम लगभग सभी भाषाओं में समान रूप से लागू होते हैं। इन नीषियों ने व्याकरण की रचना करके संस्कृत के साथ अन्य भाषाओं को भी जीवन्त ।

इस प्रकार व्याकरण के नियमों से परिष्कृत भाषा का प्रयोग जब सन्देश सम्प्रेषण जाता है तो प्रेषित सन्देश अपना सार्थक प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं और संचार य भी पूरा होता है सांस्कृतिक संचार में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ण युक्त परिष्कृत भाषा में जब सांस्कृतिक संचार किया जाता है तो उसका व्यापक ोता है। शिष्ट भाषा संस्कृति की समृद्धि का परिचायक होता है। समृद्ध संस्कृति का त कर अन्य संस्कृतियाँ भी अपने को समृद्ध बना सकती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

उपर्युक्त कथन से यह तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक संचार में भाषा और भाषा के करण कितना महत्वपूर्ण है। व्याकरण से अलंकृत भाषा सांस्कृतिक संचार में की भूमिका निभाती है।

सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने जाना कि भाषा क्या है, भाषा के तत्व क्या हैं, विशेषताएं क्या -क्या हैं । व्याकरण के बारे में भी आपने इस इकाई में विस्तार से किया। वाक्य- निर्माण में क्या -क्या सावधानियाँ अपेक्षित है, भाषा में परिवर्तन र से होता है तथा इन सबमें व्याकरण की क्या उपयोगिता है यह सब आपने इस अध्ययन किया। संचार एवं सांस्कृतिक संचार में भाषा की उपयोगिता एवं महत्व आपने जाना। यही इस इकाई का सार है।

9.7 शब्दावली

1. संक्षेपण - संक्षिप्त (छोटा) करना
2. सुश्राव्यता - अच्छी तरह सुनने योग्य
3. संकुचन - सीमित होना
4. वाचिक - बोलकर
5. भाषिक - भाषा का
6. अवमूल्यन - पतन, गिरावट

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1 सम्पूर्ण पत्रकारिता- डॉ. अर्जुन तिवारी
2. जन संचार समग्र - डॉ. अर्जुन तिवारी
3. जन संचारः विविध आयाम- वेद प्रताप वैदिक
4. अन्तर्सांस्कृतिक संचार - डॉ. मुक्ति नाथ झा

9.9 प्रश्नावली

9.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सांस्कृतिक संचार को स्पष्ट कीजिए।
2. भाषा किसे कहते हैं? इसका अर्थ स्पष्ट करें।
3. व्याकरण के भारतीय ग्रन्थकार एवं उनके ग्रन्थ का नाम बताएं।
4. वाक्य निर्माण में क्या - क्या सावधानियां अपेक्षित हैं?

9.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख परिभाषाओं की विवेचना कीजिए।
2. भाषा के तत्व क्या हैं? भाषा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
3. भाषा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए।
4. व्याकरण का क्या उपयोग है? सांस्कृतिक संचार में भाषा एवं व्याकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. प्रमुख व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे?

(क) पतंजलि (ख) वशिष्ठ (ग) बृहस्पति (घ) पाणिनि

2. अर्थ विस्तार किसका होता है?

(क) शब्द का (ख) भाषा का (ग) वाक्य का (घ) कोई नहीं

3. विस्मयादिबोधक चिन्ह इनमें से कौन है ?

(क) (।) (ख) (?) (ग) (!) (,)

4. प्रश्नवाचक चिन्ह तथा अर्धविराम इनमें से कौन हैं?

(क) (?) (ख) (?।) (ग) (?;) (घ) (?!)

.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (घ)
2. (क)
3. (ग)
4. (ग)

इकाई - 10 राजनीतिक अवधारणा एवं संस्कृति - (पूँजीवाद, समाजवाद,साम्यवाद)

इकाई की रुपरेखा

10.0 उद्‌देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 राजनीतिक अवधारणा का विकास

10.3 पूंजीवाद

- 10.3.1 पूंजीवाद का अर्थ
- 10.3.2 पूंजीवाद की विशेषताएं
- 10.3.3. पूंजीवाद के तत्व
- 10.3.4 पूंजीवाद का मूल्यांकन

10.4 समाजवाद

- 10.4.1 समाजवाद का अर्थ, परिभाषा
- 10.4.2 समाजवाद
- 10.4.3 समाजवाद के तत्व
- 10.4.4 समाजवाद का मूल्यांकन

10.5 साम्यवाद

- 10.5.1 साम्यवाद की परिभाषा
- 10.5.2 साम्यवाद की विशेषताएं
- 10.5.3 साम्यवाद के तत्व
- 10.5.4 साम्यवाद का मूल्यांकन

10.6 विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं का मूल्यांकन

- 10.6.1 पूँजीवाद का मूल्याङ्कन
- 10.6.2 समाजवाद का मूल्याङ्कन
- 10.6.3 साम्यवाद का मूल्याङ्कन

10.7 राजनीतिक अवधारणा एवं संस्कृति

10.8 सारांश

10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

0 प्रश्नावली

10.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

10.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

10.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

10.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

0 उद्देश्य

पाठयक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं से
त कराना है। इस इकाई के सम्यक अध्ययन से आप जान सकेंगे-

जनीतिक अवधारणा क्या है?

जनीतिक अवधारणाओं का विकास किस प्रकार हुआ?

जनीतिक अवधारणाओं के प्रचलित प्रकार क्या हैं?

ीवाद, समाजवाद, तथा साम्यवाद का विकास कैसे हुआ और ये क्या हैं?

जनीतिक अवधारणाओं का संस्कृति के क्या सम्बन्ध हैं?

से राजनीतिक अवधारणाएं संस्कृति को प्रभावित करती है।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में विकसित अवधारणाओं
क है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का सम्बन्ध मूल रूप से नवोदित एवं
शील राष्ट्रों की संस्थागत प्रक्रियाओं, स्थिति, लक्ष्यों और गतिविधियों से है। विकास
आयामी विधा है। विकास को मन की स्थिति, एक प्रवृत्ति और एक दिशा के रूप
खा जाता है। विकास सामान्यतया एक समाज में नियमित सामाजिक परिवर्तन की
ी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बहुमत के लिए सामाजिक परिवेश पर प्रभावी नियन्त्रण
माजिक और भौतिक प्रगति, जिसमें अधिकाधिक समानता स्वतंत्रता और अन्य
गुणों का समावेश है, सुनिश्चित करना है। किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा
तिक व्यवस्था में विकास का मतलब सम्बन्धित आधारभूत ढांचे में संरचनात्मक
है। विकास की इस समन्वित अवधारणा का राजनीतिक विकास एक गत्यात्मक

राजनीतिक विकास की अवधारणा एक राष्ट्र के चतुर्दिक विकास के राजनीतिकरण
या का द्योतक है। विकास सम्बन्धी राजनीतिकरण की प्रकिया में नागरिकों की
र्यों में बढ़ रही भागीदारी की भावना निहित हैं। शक्ति के प्रयोग और तत्सम्बन्धी
के विषय में बढ़ती हुई जनजागृति ने विकास को एक नया राजनीतिक आयाम

दिया है।इसी से राजनीतिक विकास ने वह संस्थागत ढांचा तैयार किया है। जिसका अभीष्ट बढ रही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निदान करना है। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तीन प्रकार के राजनीतिक तत्व सक्रिय दीख पड़ते हैं।

1. नियामक विशिष्ट वर्ग जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है और निर्देशित करता है।

2. एक सिद्धान्त जो नियामक विशिष्ट वर्ग की रणनीति, साधन, प्राथमिकताओं, योजनाओं और मान्यताओं को वैधता प्रदान करता है।

3. यन्त्रों की कड़ी जिनके द्वारा संचार की सुविधा सुलभ होती है और योजनाओं को कार्यक्रम में बदला जाता है।

राजनीतिक अवधारणाओं का जन्म देश - काल -परिस्थिति के अनुरूप प्राचीन काल में ही हो चुका था। समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रों ने इसमें परिवर्तन - संशोधन किये हैं जिसकी परिणति आज हमारे सामने पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, आदि रूपों में दिखाई देती है। इस इकाई में हम प्रमुख राजनीतिक अवधारणा के रूप में पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन अवधारणाओं का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा।

10.2 राजनीतिक अवधारणा का विकास

राजनीतिक अवधारणा का जन्म राज्य के जन्म के साथ ही हुआ है। विश्व में जब से राज्य नामक संस्था का उदय हुआ उसके पहले से ही राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस पर चिन्तन मनन होने लगा था। राज्य अथवा राजनीतिक तन्त्र के बारे में विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए उन्हें ही राजनीतिक अवधारणा के रूप में जाना जाने लगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार इन स्थापित अवधारणाओं में परिवर्तन होते रहे हैं।

राजनीतिक पद्धतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक नए प्रकार का अध्ययन है जिसका आरम्भ अमेरिका से माना जाता है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत राजनीति शास्त्र की ऐतिहासिक अध्ययन प्रणाली के स्थान पर राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन प्रारम्भ हुआ है। इसके कारण राजनीति शास्त्र अब केवल राज्य के विज्ञान का ही अध्ययन नहीं रहा बल्कि बहुत सारे संस्थानों, व्यावहारिक राजनीति में पड़ने वाले प्रभावों और उनके स्रोतों आदि का व्यापक अध्ययन इसमें सम्मिलित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप सैद्धान्तिक और व्यवहारिक राजनीति अधिकाधिक समीप आती जा रही है। परम्परागत राजनीतिक अवधारणाएं यूनानी अथवा रोमन राज्य पद्धति से सम्बन्धित है किन्तु आज के राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाएं प्राचीन यूनानी पद्धति से एकदम भिन्न है इसलिए परम्परागत राजनीतिक अवधारणाएं अब अप्रासंगिक हो गई हैं। राजनीतिक तन्त्र एक दूसरे से कितने

व क्यों न हों उनमें एक सीमा तक कई मायनों में समानता पायी जाती है। समानता के निम्नलिखित हैं -

राजनीतिक साधनों पर नियन्त्रण

राजनीतिक साधन वे होते हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के ग एवं व्यवहार को बदल सकता है। ये साधन धन, मीडिया, धमकी, नौकरी, मत नेक चीजों के रूप में हो सकते हैं। इन साधनों पर विभिन्न राजनीतिक तन्त्रों के ण अपने - अपने ढंग से होते हैं, क्योंकि उनकी विशिष्टताएं और विशेषताएं भिन्न होती

राजनीतिक प्रभावों की खोज

राजनीतिक प्रभाव का तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे राजनीतिक तन्त्र अपने लक्ष्यों के लिए सरकार की नीतियों व निर्णयों पर हमेशा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील।

विरोधी लक्ष्यों का अनुसरण

विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं विभिन्न विरोधी लक्ष्यों को लेकर चलती हैं और आपस ाती रहती हैं। सभी राजनीतिक तन्त्र अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं। विरोधी होते हुए भी अपना हित साधन के लिए कहीं न कहीं सहयोग भी करते हैं।

औचित्य प्रदर्शन द्वारा सत्ता की प्राप्ति

किसी भी राजनीतिक तन्त्र में नेता या अधिकारी यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न कि उनके निर्णय सही और उचित हैं और अपने औचित्य के कारण ही लोगों द्वारा किए जाते हैं।

सिद्धान्तों का विकास

किसी भी राजनीतिक तन्त्र में उसके नेता अपने कार्यों के औचित्य में कोई न कोई गढ़ ही लेते हैं। इस प्रकार सिद्धान्तों का विकास होता रहता है।

परिवर्तनशीलता

कोई भी राजनीतिक तन्त्र हमेशा परिवर्तनशील होता है। सर्वोत्तम राज्य व्यवस्थाएं र्तन को ग्रहण करती हैं।

इस प्रकार प्लेटो और अरस्तू के समय में उत्पन्न हुई आदर्शवाद की राजनीतिक णा, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रतावाद, उपयोगितावाद से होती हुई पूंजीवाद, समाजवाद, वाद, साम्यवाद, आतंकवाद तथा अब उपभोक्तावाद की अवधारणा तक पहुंच

10.3 पूंजीवाद

आर्थिक शक्ति के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी परिवर्तन को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने वाली विचारधारा पूंजीवाद है। राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता तथा उन्नयन, इस विचारधारा के अनुसार, आर्थिक संरचना एवं गतिविधियों पर अवलम्बित है। पूंजीवाद वस्तुतः उत्पादन के साधनों पर वैचारिक अधिकार के सिद्धान्त पर आधारित एवं सामन्तशाही के ध्वंस पर प्रतिष्ठित उस अर्थ व्यवस्था का द्योतक है जिससे समसामयिक सन्दर्भों में राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण किया है। योरोप में औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात समाज में पूंजी की सत्ता और महत्ता बढ़ जाने के कारण समाजवादियों ने नयी अर्थ व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वैचारिक एवं व्यवस्थागत चिन्तन को पूंजीवाद का नाम दिया। यह प्रवृत्ति स्वतंत्र अनुष्ठान एवं कभी- कभी उपभोक्ताओं का लोकतन्त्र के नाम से सम्बोधित की जाती है।

10.3.1 पूंजीवाद का अर्थ

पूंजीवाद वैयक्तिक हितों की पूर्ति पर विशेष बल देता है। यह मानव अधिकारों के सामयिक रूप की चिन्ता नहीं करता। यह केवल राजनीतिक अधिकारों पर जोर देता है ताकि किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सके जो पूंजीवादी स्वतंत्रताओं अर्थात उन्मुक्त बाजार व्यवस्था, खुले लाभार्जन की सुविधा, संरक्षणवाद एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा आदि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखती है । पूंजीवाद वैयक्तिक पूंजी और सम्पत्ति का समर्थक है। वह मशीनों, खानों, वाणिज्य व्यवसाय उद्योग आदि पर व्यक्ति अथव सदस्यों के निजी हितों के सम्पादन के लिए कम्पनियों के सर्वाधिकार तथा राज्य के पूर्ण अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है।

पूंजीवाद की परिभाषा

पूंजीवाद को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। उनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं --

कुमारप्पा के अनुसार पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है जहां पर वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा किया जाता है जो अपने संचित धन के कोष को अपने लिए अधिक धन अर्जित करने हेतु उपयोग में लाते हैं। अतः पूंजीवाद के लिए दो मूल आवश्यकताएं हैं- व्यक्तिगत पूंजी तथा व्यक्तिगत लाभ।

लाक्स एवं हूट के अनुसार - पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें प्रकृति प्रदत्त तथा मानवनिर्मित पूंजी पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और इनका उपयोग वे अपने लाभ के लिए करते हैं।

डॉ. मैकराइट - पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं, विशेष रूप से नए विनियोजन का अधिकांश भाग निजी इकाइयों द्वारा लाभ की आशा से विक्रय

तियोगिता की दशाओं में किया जाता है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक तानाशाही का प्रतिरोधी है। पूर्ण उत्पादन का केन्द्र ीय नियोजन नहीं होता । राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक पनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है।

गू के अनुसार - पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवादी व्यवस्था वह है जिसमें क साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में लगा हो।

परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पूंजीवाद का मतलब उत्पादन शक्तियों की वृद्धि द्वारा सम्पत्ति और उसके द्वारा वैयक्तिक प्रभाव और लाभ वृद्धि से है। पूंजीवाद का पूंजी द्वारा उत्पादक साधनों पर अधिकार कर केवल लाभ के लिए वस्तुओं के और वितरण से है। इसी कारण पूंजीवाद आर्थिक संरचना एवं राजनीतिक की समन्वित विचारधारा है। पूंजीवाद वर्गीय सामाजिक संरचना का परिचायक जीपति और श्रमिक नामक दो बड़े वर्गों को जन्म देता है। पूंजीपति वर्ग अपने ी पूंजी वृद्धि करता है और श्रमिकों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं प्रदान करता ति वर्ग की सार्थकता उनके स्वयं के कार्याधिक्य एवं बौद्धिक चिंतन के समन्वय है।

पूंजीवाद की विशेषताएं -

ूंजीवाद राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावी आर्थिक सत्ता का वैचारिक दर्शन है। पूंजीवाद रूप से निम्नलिखित तीन विशेषताएं हैं--

वस्तु उत्पादन - पूंजीवादी शासन व्यवस्था में वस्तु उत्पादन पर विशेष बल दिया इसी के माध्यम से पूंजी संग्रह और वृद्धि की परिस्थितियां पैदा होती हैं। वस्तु ज़ीवादी शासन व्यवस्था में बहुत व्यापक हो जाता है और विनिमय के लिए योग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। पूंजीपति श्रमिकों की वांछित एवं मजदूरी में की गयी कटौती के अधिकांश को उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी के रूप । उत्पाद के वास्तविक मूल्य से मजदूरी काटकर बची अतिरिक्त पूंजी, पूंजीपति उद्यम का लक्ष्य है। पूंजीवादी व्यवस्था का सार है, लगातार वस्तुओं के उत्पादन र, उसकी खपत और लाभ।

ानव और सामाजिक इतिहास को नियन्त्रित करने वाले शक्तियां आर्थिक हैं, तथा राजनीतिक नहीं। जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति , राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विधि निर्धारित करती हीं से सामाजिक ढांचे के साथ धार्मिक विश्वासों और दर्शन की रूपरेखा का भी ता है । इसलिए उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के सम्बन्धों को स्वरुप प्रदान ौर उत्पादन के सम्बन्धों पर ही सामाजिक संस्थाओं और दर्शन का ढांचा खडा

2. **अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त**

पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अनिवार्य रूप से मजदूरों के श्रम का शोषण करता है और उसी से अपने लाभ को प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति दस्तुओं के उपभोग से करता है। वस्तु का प्रयोग दो प्रकार से मनुष्य कर सकता है, या तो वह स्वयं उसका उपभोग करे या किसी अन्य वस्तु से उसका विनिमय कर ले।विनिमय की यह प्रक्रिया विक्रय कहलाती है। एक वस्तु की दूसरी से विनिमय किये जा सकने की साध्यता को ही उसका मूल्य कहते हैं।

पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। यह शोषण सर्वहारा वर्ग का ही होता है, क्योंकि यही वर्ग शारीरिक श्रम से उत्पादन करता है, किन्तु उत्पादन का लाभ पूंजीपति वर्ग को ही मिलता है। जब आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से युक्त मजदूर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तभी उस वस्तु का विनिमय मूल्य प्राप्त होता है जो मूलतः उस वस्तु पर लगाए गये श्रम पर निर्भर करता है।श्रमिक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसके द्वारा किये गये श्रम के बराबर नहीं होता। इस प्रकार श्रमिक द्वारा सृजित मूल्य और उसके द्वारा प्राप्त मूल्य का अन्तर अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति वर्ग के निरन्तर पूंजी वृद्धि का कारण है।

3. **मुक्त श्रम**

पूंजीवाद के अन्तर्गत मुक्त श्रम की व्यवस्था है। व्यक्ति अपने परिश्रम और कौशल से जीवन में वांछित लाभ और सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम को वस्तुतः जीवन का साधन माना गया है। यह मान्यता श्रमिकों के हित में नहीं थी। श्रम तो उत्पादन की एक कला के रूप में है जिसे पूंजीपति प्रयुक्त कर सकते हैं। श्रमिक को श्रम का वास्तविक मानसिक सन्तोष नहीं मिल सकता, वह निरन्तर एक ही प्रकार का तथा अर्थहीन कार्य करने के लिए विवश हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम को इसलिए मुक्त और निर्बन्ध रखा गया है कि श्रमिक स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को कहीं भी बेच सकता है।

समसामयिक पूंजीवाद का वैयक्तिक जीवन में राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धान्त पर अधिक आग्रह नहीं है क्योंकि समसामयिक परिस्थितियों ने पूंजीवाद को उपभोक्ता वाद में बदल दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था को समसामयिक सन्दर्भों में अधिक मानवीय बनाने के लिए तथा जनहित का माध्यम बनाने के लिए इस पर विभिन्न देशों में अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाए जा रहे हैं।

10.3.3 पूंजीवाद के तत्व

पूंजीवाद का आग्रह आत्मनिर्भरता और जनहित के प्रति है किन्तु इस व्यवस्था का प्रमुख अर्थ व्यवस्था को पूंजीवादी मूल्यों के आधार पर चलाता है इन सन्दर्भों में पूंजीवाद के कुंछ विशिष्ट तत्व इस प्रकार से हैं :-

1. **राज्य वैयक्तिक हितों का संरक्षक है :-** पूंजीवाद अवधारणा का प्रमुख तत्व यह है कि राज्य वैयक्तिक हितों का संरक्षण करता है। राज्य में वैयक्तिक विकास की सुविधाएं सुलभ होती हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा, सामर्थ्य और कौशल के अनुरूप विकास करने

लिए स्वतंत्र होता है। पूंजीवाद का दर्शन है कि समाज की आर्थिक गतिविधियों में रकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसका कार्य मुख्य रूप से कानून व्यवस्था की खभाल करना है ताकि लोग अपने अपने हितों के अनुसार अपने जीवन का संचालन कर कें।

पूंजीवादी वर्चस्व :- पूंजीवाद लाभपरक व्यवस्था का परिचायक है। इस व्यवस्था में तु के उत्पत्ति स्थान से लेकर उसके नष्ट हो जाने तक सर्वत्र लाभ की ही प्रवृत्ति बनी ती है। जब पूंजीवाद अधिक विकसित हो जाता है तब पूंजी वादी वर्ग के भीतर संग्रहण र केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो जाती हैं। बड़ी फर्में छोटी फर्मों की अपेक्षा अधिक ल होती हैं क्योंकि वे वस्तु को कम कीमत पर बेच सकती है। धीरे -धीरे व्यापार केवल फर्मों के हाथ में शेष रह जाता है । इसी तरह धीरे धीरे व्यापार विशेष के क्षेत्र में केवल फर्म का ही वर्चस्व शेष रहता है। इसी प्रवृत्ति को पूंजीवादी वर्चस्व कहते हैं।

सम्पत्ति पर निजी स्वामित्त :- व्यक्तिगत सम्पत्ति पूंजीवाद की एक आधारभूत इकाई इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के पास सम्पत्ति होती है, वही इस बात का रिण करता है कि उत्पादन किसका कितना और किस स्थान पर हो। सम्पत्ति का ोग सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में अपेक्षित है।इसी से पूंजीवादी व्यवस्था का कल्याणकारी प उद्घाटित होता है।

आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता :- आर्थिक गतिविधियां पूंजीवादी व्यवस्था की नियामक हैं। वाद के अन्तर्गत व्यक्ति को मनोनुकूल आर्थिक गतिविधियों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है।

र्गीय सामाजिक संरचना :- पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक संरचना के दो आधार ते हैं ।सम्पन्न वर्ग एवं विपन्न वर्ग। सम्पन्न वर्ग सेवायोजकों का होता है तथा विपन्न वर्ग कों का होता है। इन दोनों वर्गों में टकराव की सम्भावना हमेशा बनी रहती है और वर्ग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

र्म के प्रति आस्था :- पूंजीवाद में धर्म की विशेष मान्यता है तथा सदाचार पर अधिक दिया जाता है। धर्म और सदाचरण के माध्यम से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। त्व चमत्कृत होता है और इसमें प्रभावोत्पादकता आती है। भौतिक प्रगति का सुरक्षित आध्यात्मिक उन्नयन से ही संभव है। धर्म इन समस्याओं का समाधान करता है जो भौतिक उपलब्धियों मात्र से सम्भव नहीं है ।

समाजवाद :-

समाजवाद एक निरन्तर परिवर्तित तथा प्रगतिशील विचारधारा होने के कारण तिक चिन्तन के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रत्येक देश अपने को समाजवादी में गर्व का अनुभव करता है। समाजवाद आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण तथा पर्याप्त य राजनीतिक तथा आर्थिक विचारधाराएं हैं। यह एक विचारधारा, व्यवस्था,

आन्दोलन अथवा जीवन दर्शन सभी कुछ है जिसका लक्ष्य समाज का पुनर्गठन इस प्रकार से करना है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जीवन के विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता विद्यमान रहे और मानव द्वारा मानव का किसी भी रूप में शोषण सम्भव न हो।

10.4.1 समाजवादः अर्थ एवं परिभाषा :-

अर्थ - समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक व्यवस्था है जो आवश्यक रूप से व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानता है। इसका मूल आधार समानता है। समाजवाद की यह मान्यता है कि मनुष्य कुछ नैसर्गिक शक्तियों के साथ पैदा होता है। उसे इन शक्तियों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। समाज में मानवकृत असमानताएं नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। भौतिक सम्पत्ति सम्पूर्ण समाज की है अतः उसका वितरण समानता के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति, पूंजीवाद, सामन्तवाद, आर्थिक प्रतियोगिता आदि पर आधारित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोधी है। समाजवाद का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों का वितरण सामाजिक नियन्त्रण में समानता के आधार पर किया जाए और आर्थिक आधार पर निर्मित वर्ग भेद को समाप्त किया जाए।

परिभाषा - समय समय पर विचारकों ने सामाजवाद सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। समाजवाद को उन नीतियों का सिद्धान्त माना जाता है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय लोकतन्त्रात्मक सत्ता के आधार पर उत्पादन वितरण की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक श्रेष्ठ व्यवसाय स्थापित करना है। समाजवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं ।

1. समाजवाद वह नीति या विचारधारा है जो केन्द्रीय लोकतांत्रिक सत्ता के माध्यम से निवर्तमान स्थिति की अपेक्षा सम्पत्ति के उत्तमतर वितरण तथा उसकी अधीनता में उत्तमतर उत्पादन की उपलब्धि करने का लक्ष्य रखती है।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका

2. यह एक लोकतांत्रिक आन्दोलन है जिसका उद्देश्य समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन निर्मित करना है जो किसी एक समय में अधिक से अधिक न्याय तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सके।

सैलर्स

3. समाजवाद सम्पत्ति के उत्पादन तथा वितरण के ऐसे नियन्त्रण को अन्तर्निहित करता है जो साधनों में पहुँच प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर सके, जो कम से कम सारगर्भित रूप से उत्तम से उत्तम बन सकने की क्षमता रख सके।

लास्की

4. समाजवाद का उद्देश्य ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें न कोई शोषक हो और न शोषित, बल्कि समाज सहकारिता के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन हो।

आचार्य नरेन्द्र देव

समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजवादी समाज एक ऐसा हित समाज होता है जिसमें सभी श्रमिक होते हैं। इस समाज की सारी सम्पत्ति निक होती है, आय सम्बन्धी कोई असमानता नहीं होती है, मानव जीवन का न एवं उन्नति योजनाबद्ध ढंग से होती है और प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व प्रत्येक के ोता है।

जय प्रकाश नारायण

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजवाद न केवल व्यापक से व्यापक अर्थ में उत्पादन रभूत साधनों के समाजीकरण की मांग करता है बल्कि वह उन लोगों की निजी आय अन्त कर देना चाहता है जो समाज की कोई उपयोगी सेवा नहीं करते या न कर सके माजवाद, ऐसा सब कुछ कर देना चाहता है जो वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए यक हो।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वह एक विचारधारा म, आन्दोलन, सिद्धान्त आदि सभी कुछ है। यह एक स्थिर या अपरिवर्तनीय विचारधारा र्यक्रम आदि नहीं है, अपितु इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न देशों में, युगों तथा परिस्थितियों वर्तित होता रहा है। यह सिद्धान्त पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी है और व्यक्तिगत न की समाप्ति तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना का क है।

2 समाजवाद की विशेषताएं :-

समाजवाद उस सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध प्रतिक्रिया है। जिसे दी अर्थव्यवस्था ने उत्पन्न किया है ओर ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के द्रोह है जिसका सर्वस्व व्यक्तिगत लाभ है। समाजवाद की निम्नलिखित विशेषताएं

व्यक्ति की अपेक्षा समाज की प्रधानता - समाजवाद के अनुसार समाज एक इकाई व्यक्तियों कासमूह मात्र नहीं है। समाज में ही व्यक्ति अपना विकास करता है का हित ही व्यक्ति का हित है। समाज में ही सकारात्मक स्वतंत्रता सम्भव है, द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

असमानता एवं भेद भाव का विरोध - समाजवाद उस समाजवादी समाज के लिए न हैं जिसमें किसी भी प्रकार की असमानता एवं भेद भाव की स्थिति नहीं होगी। क एवं आर्थिक समानता, समाजवाद की प्रमुख विशेषता है।

व्यक्तिवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण - समाजवादी उस आर्थिक जीवन का विरोध करते हैं जो पूंजीवादी एवं व्यक्तिवादी व्यवस्था रित हैं। समाजवादियों द्वारा इस व्यवस्था के विरोध के निम्न कारण हैं :-

पूंजीवादी एवं व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक विषमता उत्पन्न होती मिक असन्तोष का कारण होती है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल है।

(स) उत्पादन प्रणाली में नियोजन का अभाव होता है जिससे उत्पादन असन्तुलित होता है।

(द) सम्पत्ति का वितरण अनुचित और अन्यायपूर्ण होता है।

उपर्युक्त कारणों से समाजवादियों का आग्रह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर देना चाहिए जिससे कि शोषण का कारण ही समाप्त हो जाय।

4. **श्रम का महत्व -** मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए भौतिक साधनों से उत्पादित माल आवश्यक है। उत्पादन का कार्य मानव श्रम से होता है। समाजवाद का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसके श्रम के अनुसार लाभ प्राप्त होगा।

5. **समानता तथा स्वतंन्त्रता -** समाजवाद समाज के विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सावयविक बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। समाजवाद व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देकर उसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्वतंत्र बनाने की कामना करता हे। समाजवादी स्वतंत्रता की धारणा की पूरक समानता की धारणा है। इसके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि समानता विद्यमान नहीं रहती।

6. **राज्य सम्बन्धी दृष्टिकोण -** समाजवाद यह मानता है कि समाज के व्यक्तिगत आधारों में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो जाने के बाद राज्य एक शोषक संस्था नहीं रह जाएगा। राज्य का कार्य बाहय व आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं है, अपितु मनुष्यों की सामुदायिक उन्नति के लिए इसे अन्य आवश्यक कार्य भी करना होता है।

10.4.3 समाजवाद के तत्व :-

समाजवाद के निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं।

1. **समानता -** समाजवादी विचारधारा में मनुष्यों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जाति, धर्म, लिंग, आयु सभी आधार पर भिन्नता का निषेध है। सभी को अपनी योग्यता के विकास का समान अवसर प्राप्त होता है।

2. **स्वतंत्रता -** समाजवादी विचारधारा में वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रधानता होती है तथा यह स्वतन्त्रता राज्य द्वारा संरक्षित होती है।

3. **वैयक्तिक पूंजी का निषेध -** समाजवादी विचारधारा में पूंजी पर व्यक्ति का नही समाज का नियन्त्रण होता है।

4. **सामाजिक विकास -** इस विचारधरा में समाज को एक इकाई मानते हुए उसवे विकास पर बल दिया जाता है।

5. **सामाजिक हित -** समाजवादी विचारधारा में वैयक्तिक हितों की अपेक्षा सामाजिव हित पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाज से ही व्यक्ति है यह मानते हुए समाज का हि साधन किया जाता है।

जन उपयोगी - वर्तमान समय में समाजवादी व्यवस्था के प्रति राज्यों का उत्साह जवादी कार्यक्रम की उपयोगिता का प्रतीक है। समाजवाद में सावधानी से बनायी गयी नाओं से अर्थ और श्रम का व्यर्थ उपयोग, आवश्यकता से अधिक उपभोग और उत्पादन व्यर्थ की हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन और विज्ञापन समाप्त हो जाता है। जनोपयोगी ओं के उत्पादन और उपभोग पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

.5 साम्यवाद -

साम्यवादी राजनीतिक अवधारणा महान विचारक कार्ल मार्क्स और लेनिन के न्तों की पक्षधर है। मार्क्स ने जिस वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी उसे लेनिन शस्त्र क्रान्ति के माध्यम से प्राप्त किया था। बाद में माओत्से तुंग ने भी इसमें अपना हारिक दृष्टिकोण जोड़ा और मूलतः मार्क्स को साम्यवाद के रुप में प्रतिस्थापित किया। नीतिक चिन्तन के इतिहास में समाजवादी विचारधारा की अनेक शाखाएं मिलती हैं इन का लक्ष्य पूंजीवाद का अन्त और समाजवाद की स्थापना करना है जिससे कि शोषण समाज की स्थापना हो सके। इस विचारधारा का प्रथम स्वरुप क्रान्तिकारी मार्क्सवादी वाद है।

5.1 साम्यवाद की परिभाषा -

साम्यवाद जिस वैज्ञानिक समाजवाद या व्यवहारिक समाजवाद भी कहा जाता है कार्ल मार्क्स और एंजिल हैं। इस विचारधारा में समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के द्ध समानता, न्यायमुक्त वितरण, सामाजिक नियन्त्रण के अधीन उत्पादन, निजी त्ति का उन्मूलन, चरित्र निर्माण एवं शिक्षा आदि पर विशेष बल दिया गया है।

एंजिल्स ने साम्यवाद के बारे में कहा है कि -- वैज्ञानिक समाजवाद (साम्यवाद) वाद की वह विधा है जो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने से पूर्व उन अनेक क नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन होते त्य सिद्धान्त और पारिस्थितिक साक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद के आधार स्तम्भ हैं।

समसामयिक सन्दर्भों में समाजवादी विचारों को एक क्रमबद्ध दर्शन के रुप में षित करने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु एक स्पष्ट एवं व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत का काम कार्ल मार्क्स ने किया है। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के रुप में श्रमिकों को और श्रमिकों को लेकर सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा सत्ता पर अधिकार किया। लेनिन के वहारिक प्रयोग को लेनिनवाद कहा गया। चीन में माओ त्से तुंग ने श्रमिक और दोनों को सर्वहारा वर्ग में शामिल किया और उन्हें सशस्त्र क्रान्ति का आधार बनाकर प्राप्त की। यह विचारधारा माओवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मूल रुप र्स के सिद्धान्त पर आधारित साम्यवाद - लेनिनवाद और माओवाद के नाम से जाना गा।

10.5.2 साम्यवाद की विशेषताएँ -

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की विशेषताएँ ही मुख्य रूप से साम्यवाद की विशेषताएँ हैं। कार्य मार्क्स के सिद्धान्त के कुछ विशेष तत्व निम्नलिखित हैं।

1. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद - मार्क्स के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती वरन इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक वस्तु में द्वन्द की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। तथा द्वन्द के परिणामस्वरूप विश्व तथा उसकी विविध वस्तुओं का रूपान्तरण होता रहता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वन्दात्मक भौतिकवाद की अनेक विशेषताएं हैं :-

1. विश्व का रूप एक अवयवी का रूप है जिसके सभी अंग परस्पर सुसम्बद्ध अथवा एक दूसरे पर निर्भर हैं।

2. प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील है। परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। जिसमें कुछ वस्तुएं विघटित एवं नष्ट होती रहती है और कुछ उत्पन्न होती रहती है।

3. विश्व में परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। समाज में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर अचानक होते हैं।

4. परिवर्तन सरलता की स्थिति से जटिलता की स्थिति की ओर होते हैं।

5. प्राकृतिक वस्तुओं में शाश्वत अन्तर्विरोध होता है।

6. पदार्थ ही सम्पूर्ण विश्व की नियन्त्रक शक्ति है।

2. **वर्ग संघर्ष -**

समाज में प्रत्येक उत्पादन प्रणाली का परिवर्तन भी दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है क्योंकि प्रत्येक उत्पादन प्रणाली व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित होती है और परस्पर विरोधी वर्गों को जन्म देती है। जिसमें संघर्ष अपरिहार्य होता है। इस तरह सामाजिक विकास परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के कारण वर्ग संघर्ष द्वारा होता रहता है।

इसके अतिरिक्त मार्क्स के सिद्धान्तों की अनेक विशेषताएं हैं जैसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व वर्गविहीन समाज की स्थापना आदि। मार्क्स की इन्हीं विशिष्टताओं का व्यवहारिक रुप हमें साम्यवाद में देखने को मिलता है।

10.5.3 साम्यवाद के तत्त्व -

साम्यवाद का जो व्यावहारिक पक्ष आज दिखाई दे रहा है उसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:-

1. **वैयक्तिक पूंजी का निषेध -** साम्यवाद में व्यक्ति को पूंजी संग्रहीत करने का अधिकार नहीं है। पूंजी पर राज्य का नियन्त्रण होता है।

2. **लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण -** साम्यवादी विचारधारा में लोकतन्त्र को सिद्धान्त रूप में

...र किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया भी अपनायी जाती है और निर्वाचित सरकार ...ठन भी किया जाता है। किन्तु व्यवहार रूप में इस निर्वाचन प्रक्रिया में केवल एकदल ...यवादी दल) का ही प्रतिनिधित्व होता है।

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व - साम्यवादी विचारधारा में सर्वहारा वर्ग के रूप में ...राजनीतिक संगठन साम्यवादी दल का ही वर्चस्व रहता है। सत्ता के विभिन्न संगठनों ...की भागीदारी होती है। इस प्रकार सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का ही नियन्त्रण स्थापित हो ...है।

वर्गविहीन समाज - साम्यवादी विचारधारा वाले देशों में पूंजी पर सरकारी नियन्त्रण ...के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के रुप में समाज का विभाजन नहीं हो पाता ... वर्ग संघर्ष की सम्भावना समाप्त हो जाती है और वर्ग विहीन समाज का गठन ...।

साम्यवादी विचारधारा में शासितों को यह विश्वास रहता है कि शासक वर्ग उनके ...ा के लिए है। अतः शासितों के मन में शासकों के प्रति निष्ठा बनी रहती है।

विकास को प्राथमिकता - साम्यवादी विचारधारा का यह मूल मन्त्र है कि व्यक्ति ...ास ही समाज का विकास है। अतः सारे कार्य वैयक्तिक विकास को ही केन्द्र में ... किए जाते हैं।

श्रम की महत्ता - साम्यवादी विचारधारा में श्रम अर्थात मानव श्रम को पर्याप्त ...दिया जाता है और श्रमिक भी अपने श्रम का पर्याप्त मूल्य पाकर सन्तुष्ट रहते हैं।

विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं का मूल्यांकन -

सैद्धान्तिक रूप से तो पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद का अध्ययन कर ...या किन्तु वर्तमान परिवेश में इनका व्यावहारिक मूल्यांकन करने पर ही यह स्पष्ट ...ा कि कौन सी अवधारणा श्रेष्ठ है और क्यों?

पूंजीवाद का मूल्यांकन -

पूंजीवाद के कारण विश्व के विभिन्न देशों में त्वरित गति से औद्योगीकरण हुआ ...सामान्य के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ। लोगों में उद्यमिता की भावना बढ़ी, ...लते वैयक्तिक कौशल और क्षमता में वृद्धि हुई। आवश्यक और जीवनोपयोगी ...के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा तकनीकी क्रान्ति के कारण वृहत स्तरीय उत्पादन की ...नी। नवीन तकनीकी ने मानव जीवन को सुविधा सम्पन्न बना दिया है। स्थानों की ...मट गई। प्राकृतिक आपदाओं को धीरे धीरे नियन्त्रित किया जा रहा है। आर्थिक ...प्रतियोगिता, निजी सम्पत्ति का अधिकार एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिक शक्ति- ...की ही देन है। राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति एवं ... जागृति पूंजीवाद के ही कारण है। परिणामस्वरुप राज्य का स्वरूप कल्याणकारी ...न्त्रिक हो गया है।

निश्चय ही पूंजीवाद का सामाजिक एवं वैयक्तिक हित में महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु पूंजीवादी प्रवृत्ति और इसकी अन्तर्निहित कमियों के कारण घुटन और वर्ग संघर्ष की भी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। वर्तमान समय में पूंजीवादी राष्ट्र आर्थिक सहयोग एवं अनुदान के नाम पर अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में अपना प्रभाव विस्तार कर रहे हैं। अपने उत्पादों की खपत के लिए बाजार व्यवस्था विकसित कर रहे हैं। वर्तमान पूंजीवाद की दो खूबियां हैं। एक मानव अधिकारों के कुछ विशेष पहलुओं पर जोर देना हो जो बाजार व्यवस्था के शिकार होते हैं, या अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उससे बाहर रह जाते हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच की बात करना।

पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक वर्तमान विश्व में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित तमाम योरोपीय राष्ट्र हैं। इस व्यवस्था को समसामयिक सन्दर्भों में अधिक मानवीय बनाने के लिए तथा जनहित का माध्यम बनाने के लिए इस पर विभिन्न देशों में अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाए जा रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ने उदारीकरण के नए संस्करण के साथ विश्व में लगभग सर्वत्र अपना स्थान बना लिया है।

10.6.2 समाजवाद का मूल्यांकन --

समाजवाद आधुनिक युग की विचारधारा, व्यवस्था, आन्दोलन अथवा जीवन दर्शन सभी कुछ है जिसका उद्देश्य समाज का पुनर्गठन इस प्रकार से करना है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जीवन के विविध क्षेत्रों (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि) में अधिकाधिक समानता विद्यमान रहे और मानव द्वारा मानव का किसी भी रूप में शोषण सम्भव न हो। वर्तमान समय में समाजवादी अवधारणा अत्यधिक लोकप्रिय होती जा रही है, विशेषकर अविकसित देशों में जहाँ अधिकांश जनता आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक शोषण से पीडित होकर दीनता की स्थिति में बनी हुई है और थोड़े से व्यक्ति समाज के भौतिक उत्पादन के साधनों के स्वामी बने हुए हैं।

वर्तमान विश्व में समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता एक बात की ओर स्पष्ट संकेत करती है कि लोकतंत्र समाजवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है और समाजवाद समाज में शोषण समाप्त करने का एक साधन मात्र है। लोकतंत्र के बिना समाजवाद कभी भी सफल नहीं हो सकता। समाजवाद की इन्हीं विशेषताओं के चलते अधिकांश पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक देश भी पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं। कुछ देश, जिसमें भारत भी शामिल है, पूंजीवाद तथा समाजवाद के लाभों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा नियोजित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं। यह समाजवादी अवधारणा की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है और इसकी व्यापकता का मूल्यांकन भी।

10.6.3 साम्यवाद का मूल्यांकन --

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद के समानान्तर साम्यवाद और समाजवाद का उदय हुआ। साम्यवाद ने पूंजीवाद की कमियों और कुरीतियों को इंगित करते हुये बेहतर

प रखने का प्रयास किया। रूस, चीन, इण्डोनेशिया, पश्चिम जर्मनी आदि राष्ट्रों में
वादी व्यवस्था लागू की गई। धीरे धीरे साम्यवाद ने भी पूंजीवाद के तत्वों को अपने में
हित करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि साम्यवाद का दायरा सिमट कर
यत संघ और चीन तक सीमित हो गया। कालान्तर में सोवियत संघ भी विभाजित हो
और अब साम्यवाद केवल चीन तक सीमित रह गया है।

वर्तमान वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में साम्यवाद पूर्ण रूप से अव्यावहारिक
या है। पूँजीवादी तत्वों को अपने में समाहित करने के कारण साम्यवाद अप्रासंगिक
या है। साम्यवाद यूरो साम्यवाद एवं नव साम्यवाद में परिवर्तित होकर रह गया है
क पूंजीवादी व्यवस्था ने उदारीकरण का रूप लेकर सम्पूर्ण साम्यवाद को ही अपने में
हित करने का प्रयास किया है। अब विश्व में साम्यवाद का कोई औचित्य नहीं रह
है। केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में यह कुछ राष्ट्रों में जीवित है जबकि
क विचारधारा के रूप में साम्यवाद समाप्त हो चुका है।

7 राजनीतिक अवधारणा एवं संस्कृति :-

संस्कृति ने राजनीतिक अवधारणाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया है।अब तक
भी राजनीतिक अवधारणाएं विकसित हुई हैं वे सभी किसी न किसी संस्कृति से
त होकर ही अस्तित्व में आई। संस्कृति एवं राजनीतिक अवधारणाओं का सम्बन्ध
से आज तक यथावत बना हुआ है। पहले संस्कृतियों से प्रभावित होकर राजनीतिक
रणाओं का जन्म हुआ अब राजनीति का प्रभाव संस्कृति पर पड़ने लगा है। इस
में अब तक एक नयी अवधारणा को जन्म दिया है जिसे हम राजनीतिक संस्कृति
कते हैं।

सामान्य संस्कृति की तरह राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक संकल्पना है। यह
प से समाज की राजनीति और संस्कृति को आधार बनाकर विकसित की गई
रणा है। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण एवं विकास में अनेक कारणों का योगदान
सी भी संकल्पना के पल्लवन में परम्पराओं, युगीन परिस्थितियों, परिवेश, सामाजिक,
, धार्मिक एवं वैचारिक मान्यताओं की एक निश्चित भूमिका होती है। उसी प्रकार
तिक संस्कृति के निर्माण में इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, धर्म,
ाराएं, राजनीतिक स्थिरता, सामान्य संस्कृति तथा राष्ट्रीय प्रतीक आदि का महत्वपूर्ण
होता है।

समसामयिक राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति की उपयोगिता,
यता एवं महत्ता बढी है। अब किसी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का
राजनीतिक संस्कृति पर ध्यान दिए बिना पूरा नहीं हो सकता। राजनीतिक
समाजीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। इसके कारण अध्ययन का केन्द्र
ब औपचारिक संस्थाओं के स्थान पर स्वयं सामाजिक समाज बन गया है। राजनीतिक
की संकल्पना से यह भी विदित होता है कि विभिन्न प्रकार के समाज क्यों और

कैसे विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं।

अंततः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना ने आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को सामान्य हित के सन्दर्भ में परिभाषित एवं व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि यह संकल्पना आधुनिक और नई है फिर भी इसके अध्ययन से राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक संस्कृति जन सामान्य के जीवन एवं व्यवहार को निर्धारित करने के साथ उनके मध्य एंव सत्ता के साथ सामन्जस्य स्थापित करने का एक मात्र माध्यम है।राजनीतिक संस्कृति को समझे बिना किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता है। यह राजनीतिक अवधारणा और संस्कृति के मध्य सम्बन्ध का स्पष्ट प्रमाण है।

10.8 सारांश

इस इकाई में आपने राजनीतिक अवधारणाओं की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया। राजनीतिक अवधारणा के रूप में वर्तमान विश्व की प्रमुख अवधारणाएं पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद का विस्तार से अध्ययन किया। इन अवधारणाओं का वर्तमान वैश्विक परिवेश में मूल्यांकन किया। इसके साथ ही राजनीतिक अवधारणाएं और संस्कृति कैसे एक दूसरे से सम्बन्धित है और किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं इसका विस्तार से अध्ययन किया है।

10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ --

1. संस्कृति के चार अध्याय - रामधारी सिंह दिनकर
2. अन्तर्सांस्कृतिक संचार - डॉ. मुक्ति नाथ झा
3. राजनीतिक अवधारणाएं एवं प्रवृत्तियां - डॉ. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
4. जनसंचार समग्र - डॉ. अर्जुन तिवारी

10.10 प्रश्नावली

10.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न --

1. राजनीतिक अवधारणाएं क्या हैं?
2. संस्कृति और राजनीतिक अवधारणा में क्या सम्बन्ध है?
3. पूंजीवाद का मूल्यांकन कीजिए।
4. साम्यवाद का वर्तमान परिवेश में क्या औचित्य है?

.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइये।
2. समाजवादी विचारधारा की उपयोगिता पर एक निबन्ध लिखिए।
3. साम्यवाद की समीक्षा करते हुए वर्तमान वैश्विक परिवेश में इसका मूल्यांकन कीजिए।
4. राजनीतिक अवधारणा क्या है? संस्कृति किस प्रकार से राजनीतिक अवधारणाओं को प्रभावित करती है। सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1. पूंजीवादी व्यवस्था में वैयक्तिक पूंजी निर्माण की

(क) बाध्यता होती है (ख) स्वतन्त्रता होती है (ग) स्वतंत्रता नहीं होती
धिकार नहीं होता ।

2. समाजवादी व्यवस्था में वैयक्तिक विकास की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति
प्राप्त होते हैं?

(क) विकास के अधिकार (ख) विकास की गति (ग) विकास के समान
(घ) इनमें से कोई नहीं।

3. साम्यवाद का मुख्य आधार ---- के सिद्धान्त हैं।

(क) कार्ल मार्क्स (ख) महात्मा गाँधी (ग) चाउ एन लाई (घ) जवाहर
रू

4. वर्ग संघर्ष और द्वन्दात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त के जनक कौन थे?

(क) बेन्थम (ख) लास्की (ग) कार्ल मार्क्स (घ) रूसो

4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर --

1. ख
2. ग
3. क
4. ग

Notes

M.J.M.C. -06

विश्व-संचार :

अवधारणा एवं आयाम

र प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

ब्रण्ड

)3

न्तर सांस्कृतिक संचार

ाई-11 5

न्तर सांस्कृतिक संचार : अर्थ एवं प्रक्रिया

ाई-12 17

श्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

ाई-13 31

न्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

ाई-14 41

श्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति

ाई-15 53

सामायिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा	-	पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी	-	हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा	-	पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह	-	पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार	-	हिन्दुस्तान (अंग्रेज़ी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. ए. के. सिंह, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2013
मुद्रक : नितिन प्रिन्टर्स, 1 पुराना कटरा, इलाहाबाद।

ड-3 खण्ड-परिचय : अन्तर सांस्कृतिक संचार

अन्तर सांस्कृतिक संचार खण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं :-

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार : अ ि एवं प्रक्रिया

2- विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

3- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

4- विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति

5- समसामयिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता

अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य संचार है। अन्तर कृतिक संचार का ही परिणाम है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति विश्व व्याप्त है। इस खण्ड सरी इकाई में देव संस्कृति, मानव संस्कृति और राक्षस संस्कृति के संघर्ष को स्पष्ट किया गया विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख द्वारा यह प्रमाणित किया है कि संचार और संस्कृति परस्पर संश्लिष्ट हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार धर्म, राजनीति, अर्थ माणित होता है। धार्मिक, कट्टरता एवं सहिष्णुता, राजनीतिक मतमतान्तर तथा आर्थिक कारकों न्तर सांस्कृतिक संचार पर गहरा असर होता है। चतुर्थ इकाई में आर्थिक साम्राज्यवाद सांस्कृतिक ज्यवाद के परिप्रेक्ष्य में अन्तर सांस्कृतिक संचार को सुस्पष्ट किया गया है। अंतिम इकाई में ामयिक सन्दर्भ में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता को अपरिहार्य बतलाया गया है।

खण्ड- 3

कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य से पृथक रखने का प्रयास करें।

महात्मा गाँधी

● ● ●

जो संस्कृति महान् होती है वह दूसरों की संस्कृति को भय नहीं देती, बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा महान क्यों है? दूसरे प्रवाहों को अपने से मिला लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है।

साने गुरू

● ● ●

Serenity of spirit, poise of mind, is one of the last lesson of culture and comes from a perfect trust in the all controlling force of universe.

O.S. Marden

● ● ●

संस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा क्यों न हो, किन्तु उसे व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र की सीमाओं में बांधना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है।

पं० जवाहर लाल नेहरू

● ● ●

The quest for righteousness is Oriental, the quest for knowledge, Occidental

Sir Villiam Osler

● ● ●

It was in India, however, that there arose a body of knowledge which was destined to revolutionize European ideas.

L. Bloomfield

काई 11 - अन्तर सांस्कृतिक संचार-अर्थ एवं प्रक्रिया

काई की रूप-रेखा

.0 उद्देश्य

.1 प्रस्तावना

.2 संचार एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार के सिद्धान्त

- 11.5.1 मानक सिद्धान्त
- 11.5.2 लोकप्रिय सांस्कृतिक दृष्टिकोण
- 11.5.3 निर्भरता सिद्धान्त
- 11.5.4 अन्य सिद्धान्त

1.6 अन्तर सांस्कृतिक संचार और जन माध्यम

- 11.6.1 पारम्परिक माध्यम
- 11.6.2 मुद्रित माध्यम
- 11.6.3 आधुनिक माध्यम

1.7 अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति

1.8 सारांश

1.9 शब्दावली

1.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.11 प्रश्नावली

- 11.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न
- 11.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
- 11.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- 11.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ एवं प्रक्रिया को समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे

- अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ
- अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख सिद्धान्त
- अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया
- अन्तर सांस्कृतिक संचार और जनमाध्यमों का सम्बन्ध
- अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति का सम्बन्ध

11.1 प्रस्तावना

संचार और संस्कृति दोनों का सम्बन्ध व्यक्ति से है। समाज के साथ ही दोनों का विकास होता है। सृष्टि के विकास में जब मनुष्य के मन में संचार की भावना का विकास हुआ तो सर्वप्रथम उसने अपनी संस्कृति को बाह्य जगत से एवं बाह्य-जगत की संस्कृति को अपने समूह से परिचित कराने का कार्य किया। यह कहना कठिन है कि सृष्टि में पहले संस्कृति का विकास हुआ या संचार का। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं और दोनों का ही विकास समाज में साथ-साथ हुआ। विभिन्न समाज के समूहों की संस्कृति को एक दूसरे से परिचित कराने की विद्या को ही अन्तर - सांस्कृतिक संचार कहा जाता है। प्रस्तुत इकाई में आप अन्तर सांस्कृतिक संचार के इन्हीं पक्षों से परिचित होंगे।

11.2 संचार एवं अन्तर-सांस्कृतिक संचार

मनुष्य स्वभावतः एक जिज्ञासु प्राणी है। आदिकाल से ही वह देश, दुनिया, समाज तथा ब्रह्माण्ड के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। जिज्ञासा की इसी प्रवृत्ति ने संचार को जन्म दिया। संचार एक सहज प्रवृत्ति है साथ ही साथ सार्थक चिन्हों के द्वारा सूचनाओं एवं विचारों के आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया भी। समस्त प्राणिजगत संचार की एक लम्बी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन का ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वह संचार की प्रक्रिया से होकर न गुजर रहा हो।

संचार देखने, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने सोचने और विचार विमर्श के द्वारा होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से एक देश दूसरे देश से, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से संचार के द्वारा ही जुड़ते हैं। संचार के लिए भाषा और माध्यम दोनों ही आवश्यक हैं।

संचार का मुख्य उद्देश्य वैचारिक धरातल पर सहभागिता अथवा साझेदारी स्थापित करना होता है। संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार दोनों में काफी समानता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में संचार की विषय-वस्तु संस्कृति और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध होती है। संचार की ही भांति अन्तर सांस्कृतिक संचार के भी तत्व होते हैं। जैसे-

सम्प्रेषक-जिस प्रकार संचार में सम्प्रेषण एक अनिवार्य तत्व है उसी प्रकार अन्तर कृतिक संचार में भी सम्प्रेषक का होना अनिवार्य होता है। सम्प्रेषक अर्थात् वह व्यक्ति जो अपनी दूसरों तक पहुँचाता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता के लिए सम्प्रेषक में निम्नलिखित, आवश्य होने चाहिए।

संचार की निपुणता

मनोवृत्ति

ज्ञान का स्तर

सांस्कृतिक-सामाजिक आचरण

सन्देश-सम्प्रेषण जो कुछ कहता है उसे सन्देश कहते हैं। अन्तर-सांस्कृतिक संचार में देश सांस्कृतिक विषयों से सम्बद्ध होते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी, सांस्कृतिक मूल्य आदर्श, संस्कृति की विशेषताएं आदि अन्तर सांस्कृतिक संचार में सन्देश के रूप में व्यक्त किए ते हैं।

माध्यम- सम्प्रेषक और श्रोता के मध्य सन्देशों के आदान-प्रदान के लिए माध्यम का ा अनिवार्य होता है। ये माध्यम, मौखिक, मुद्रित अथवा आधुनिक, इन तीनों में से कोई एक वा तीनों ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गायत्री पीठ के सम्प्रेषक मौखिक (सत्संग) मुद्रित स्तिकाएं) आधुनिक (आडियो-वीडियो कैसेट्स) आदि तीनों माध्यमों का प्रयोग सम्प्रेषण में करते

संग्राहक-श्रोता को ही संचार की भाषा में संग्राहक कहा जाता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार संग्राहक को धैर्यपूर्वक सन्देश सुनना और ग्रहण करना चाहिए। सन्देश सुनकर उसका अनुपालन श्रोता के लिए आवश्यक होता है और यही अन्तर सांस्कृतिक संचार की सार्थकता भी है।

प्रतिपुष्टि-संचार प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए प्रतिपुष्टि अति आवश्यक है। प्रतिपुष्टि ही सम्प्रेषण यह जान पाता है कि श्रोता ने सन्देश ग्रहण किया या नहीं और किया तो उस सन्देश उस पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रतिपुष्टि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में हो सकती है। प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि श्रोता स्वयं उत्तर देता है जबकि परोक्ष प्रतिपुष्टि शोध के रूप में होती है।

1.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

अन्तर सांस्कृतिक संचार का सीधा अर्थ होता है दो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में संचार येक संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को सांस्कृतिक समूह प्रचारित-ारित करते हैं जिससे अन्य संस्कृति के लोग इसे समझ सकें। यह विशेषता जब किसी अन्य स्कृतिक समूह के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुकूल होती है तो वे उसे स्वीकार कर आत्मसात ते हैं। प्रतिकूल स्थिति में उन विशेषताओं को दूसरी संस्कृति के लोग अस्वीकार कर देते हैं। हरण के लिए भारत में प्रचलित प्राचीन धार्मिक संस्कृति में व्याप्त जटिलता को दूर करने के ए बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अनुयायियों की संख्या वृद्धि और नी संस्कृति से हिन्दुओं का पलायन होने लगा। इस पलायन वाद को रोकने के लिए हिन्दु कृति के आचार्यों ने अपनी संस्कृति में व्याप्त जटिलताओं को दूर कर दिया जिसके अपेक्षित

परिणाम हुए और हिन्दु संस्कृति से पलायन तथा बौद्ध संस्कृति के विस्तार दोनों पर ही अंकुश लग गया।

संस्कृतियों के विकास ने मनुष्य की जिज्ञासा को और भी बढ़ाया। वह अपने से उन्नत संस्कृति की बारीकियों को जानने की चेष्टा करने लगा ताकि तदनुरूप अपनी संस्कृति का भी विकास कर सके। इसी जिज्ञासा ने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संचार की प्रक्रिया को जन्म दिया जो आगे चलकर अन्तर सांस्कृतिक संचार के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। अन्तर सांस्कृतिक संचार के ही कारण विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां क्षेत्र विस्तार के साथ आज समुन्नत अवस्था में है। उदाहरण के रूप में प्राचीन ग्रीको-रोमन संस्कृति जिसका प्राचीन काल में सीमित क्षेत्र था आज पाश्चात्य संस्कृति के रूप में विश्व-व्यापी हो गया है। लगभग सभी प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों के अनुयायी युवा वर्ग में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वहीं एक बात और है कि अपने को सर्वोत्तम और उन्नत संस्कृति कहने वाले पाश्चात्य संस्कृति के अनुयायी अब आत्मिक शान्ति की तलाश में भारतीय एवं बौद्ध आध्यात्मिक संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार का ही परिणाम है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का प्रभाव व्यापक होता जा रहा है और विश्व के तमाम भौतिक रूप से विकसित देश अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को त्याग कर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।

11.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया-

प्रत्येक मनुष्य प्रायः किसी न किसी संस्कृति में ही जन्म लेता है। उसी संस्कृति में उसका लालन-पालन होता है। परिवार के पश्चात जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे परिवार से भिन्न संस्कृति में शिक्षा ग्रहण करना होता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाता है तो उसे एक नया सांस्कृतिक परिवेश मिलता है। उच्च शिक्षा के बाद जब वह व्यवसाय की ओर उन्मुख होता है तो एक नयी व्यावसायिक संस्कृति से उसका सामना होता है। इस प्रकार जन्म से लेकर जीविकोपार्जन के आरम्भ तक एक व्यक्ति अनेक सांस्कृतिक परिवेश से होकर गुजरता है और हर परिवेश में वह कुछ न कुछ नया सीखता है। जब वह पूर्ण परिपक्व होकर समाज में स्थापित होता है तब अपनी मूल पारिवारिक संस्कृति को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक सांस्कृतिक समूहों के सम्पर्क में आता है। अपनी पारिवारिक संस्कृति से उन संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करता है तथा अपने ज्ञान और अनुभव के क्षेत्र का विस्तार करता है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अपनी मूल संस्कृति में वह अपने ज्ञान और अनुभव मिलाकर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है इस प्रकार संस्कृति का प्रवाह बना रहता है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक समूह के परिवार जब आपस में एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव की साझेदारी करते हैं तो अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे हम निम्न चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।

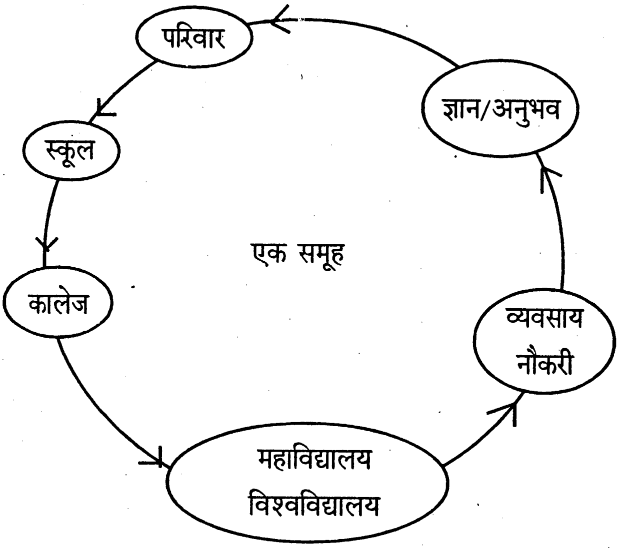

ऐसे असंख्य समूह समाज में विकसित होते हैं और हर स्तर पर उनमें सांस्कृतिक
होता रहता है। यह संस्कृति चक्र सदैव विभिन्न सांस्कृतिक चक्रों के सम्पर्क में रहते हैं।
नमें संचार होता रहता है। संचार की यही प्रक्रिया अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया कहलाती
इस प्रकार से पूर्ण होती है।

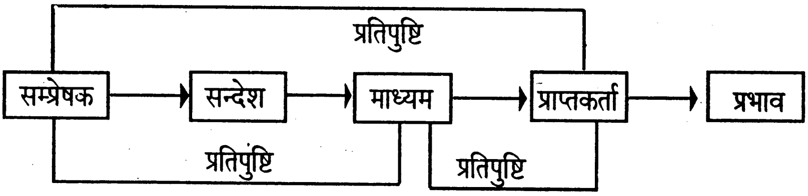

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है।

श्वसनीयता-अन्तर सांस्कृतिक संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का आधार विश्वास है। यह विश्वास सम्प्रेषक की इच्छाशक्ति पर निर्भर होता है। अतः अन्तर-सांस्कृतिक संचार सम्प्रेषक की इच्छाशक्ति से प्रभावित होता है। सम्प्रेषक को यह विश्वास होना चाहिए कि वह श्रोता को कितनी सूचना प्रेषित करे जिसका सार्थक प्रभाव हो। इसी प्रकार सूचना प्राप्तकर्ता को भी संप्रेषक में पूर्ण विश्वास होना चाहिए।

दर्भ- अन्तर - सांस्कृतिक संचार में जो संदेश प्रसारित किए जाते हैं, सन्दर्भों के साथ हों और संदेश और सन्दर्भ में विरोधाभाष नहीं होना चाहिए। सन्दर्भ सन्देश को पुष्ट और प्रमाणित करते हैं इसलिए सन्दर्भों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

षयवस्तु-अन्तर सांस्कृतिक संचार से श्रोता वर्ग का निर्धारण विषयवस्तु के अनुरूप होना चाहिए। प्राप्तकर्ता के विश्वास और मूल्य के अनुरूप विषयवस्तु का सम्प्रेषण होगा तो उसका सार्थक परिणाम और प्रभाव भी परिलक्षित होगा।

ष्टता-सन्देश सरल भाषा में स्पष्ट और बोधगम्य होने चाहिए। शुद्ध चयन उपयुक्त हों और द्विअर्थी न हों जिससे प्रेषक और श्रोता सन्देश से एक ही अर्थ ग्रहण कर सकें।

5- निरन्तरता तथा एकरुपता-सम्प्रेषण निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में संदेश को श्रोता तक पहुँचाने के लिए उसकी लगातार आवृत्ति करनी पड़ती है। सन्देश की हर पुनरावृत्ति में सांस्कृतिक मूल्यों एवं सन्देशों की एकरुपता बनी रहनी चाहिए।

6-माध्यम-अन्तर सांस्कृतिक संरचना में उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिसे प्राप्तकर्ता सार्थक और उपयोगी समझता है तथा जो प्राप्तकर्ता को सहज उपलब्ध हो। नए-नए माध्यमों के चयन का प्रयोग प्रायः प्रभावहीन ही रहता है।

7-श्रोताओं की क्षमता-अन्तर सांस्कृतिक संचार में श्रोताओं की भाषा, परिवेश, संस्कृति आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि श्रोता वर्ग की क्षमता और आश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तो सन्देश प्रभावकारी नहीं होते और सम्प्रेषण व्यर्थ हो जाता है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की सार्थकता और सफलता के लिए उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

11.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार के सिद्धान्त-

अन्तर सांस्कृतिक संचार के लिए कोई पृथक सिद्धान्त नहीं है। संचार के प्रचलित सिद्धान्तों में से ही कुछ का प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार में किया जा सकता है। वे निम्नलिखित हैं।

11.5.1 मानक सिद्धान्त [Normative Theory] -

संचार के मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत कुल छः सिद्धान्त हैं। संचार विशेषज्ञ साइबर्ट, पीटर्सन, तथा श्रेम द्वारा पूर्व में प्रतिपादित 'प्रेस के चार सिद्धान्त में डेनिस मैक्वेल ने दो और सिद्धान्त जोड़कर इसे मानक सिद्धान्त के रूप में स्थापित किया। उनके अनुसार मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्त आते हैं।

1- सर्वसत्ता वादी सिद्धान्त [Authoritarian Theory]

2- स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का सिद्धान्त [Free-Press Threory]

3- सोवियत मीडिया (साम्यवादी) सिद्धान्त [Soviet Media Theory]

4- सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त [Social Responsibility Theory]

5- जनमाध्यमों का विकास सिद्धान्त [Development Media Theory]

6- जनतांत्रिक सहभागिता सिद्धान्त [Democratic Participant Theory]

मानक का तात्पर्य यह है कि जनमाध्यमों का स्वरूप कैसा होना चाहिए तथा इनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं और व्यवहार में क्या हैं ? इसके साथ ही जन माध्यमों के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सन्दर्भों का भी ज्ञान सम्प्रेषक को होना चाहिए। इस सिद्धान्त के मूल में यह तथ्य

ंत है कि जन माध्यमों का स्वरूप राज्य के सांस्कृतिक परिवेश एवं स्वरूप के अनुरूप ही
है।

.5.2 लोकप्रिय सांस्कृतिक दृष्टिकोण-

जन माध्यमों के सन्दर्भ में इस अवधारणा के प्रवर्तक विद्वान मुख्य रूप से साहित्य और कृति से सम्बद्ध रहे हैं। इनका मानना है कि जन माध्यमों विशेषकर प्रेस के द्वारा सन्देश रित कर किसी समाज के सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रेस के द्वारा ाज के अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली समूह की संस्कृति को कम शक्तिशाली समूह में सम्प्रेषित उनका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं।

.5.3 निर्भरता सिद्धान्त-

इस सिद्धान्त के द्वारा इस बात की व्याख्या की गई है कि ग्रहणकर्ता किस प्रकार माध्यमों पर अपनी निर्भरता महसूस करते हैं। माध्यम आडिएन्स को प्रभावित करते हैं, यह है, लेकिन यह एकांगी प्रक्रिया नहीं है। माध्यम भी आडिएन्स की प्रतिक्रिया से प्रभावित होते संज्ञानात्मक संरचना में माध्यमों की भूमिका निम्नलिखित मानी गई है-

अस्पष्टता का समाधान और परिस्थितियों की व्याख्या के क्षेत्र को सीमित करना ताकि आडिएन्स इसे आसानी से समझ सके।

दृष्टिकोण का निर्माण

कार्यक्रमों का निर्धारण

'आस्था' का विस्तार

मूल्यों का स्पष्टीकरण

भावात्मक प्रभाव को समझे बिना दृष्टिकोण निर्माण के संज्ञानात्मक प्रभावों का अनुमान ना कठिन है। तीव्र सामाजिक टकराव के समय जन माध्यमों के चित्रण के आधार पर शासन सांस्कृतिक समूहों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों का निर्माण कर उचित कार्यवाही कर सकता इसके अतिरिक्त जन माध्यम लोगों को उनके सांस्कृतिक लक्ष्यों की ओर सक्रिय करने अथवा क्रय करने दोनों तरह की भूमिका निभा सकते हैं।

.5.4 अन्य सिद्धान्त-

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धान्त भी हैं जिनका प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार की लता के लिए किया जा सकता है वे हैं-

सामाजिक प्रभाव या एकात्म सद्धान्त

उपयोग एवं संतृप्ति सिद्धान्त

परावर्ती प्रक्षेपीय सिद्धान्त

संगति या सन्तुलन सिद्धान्त

उदारवादी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त

उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना पाठ्यक्रम के 'खण्ड-एक' इकाई तीन, में की गई है। अतः यहाँ उन सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति उचित नहीं है।

11.6 अन्तर सांस्कृतिक संचार और जन माध्यम-

अन्तर सांस्कृतिक संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें सम्प्रेषक का बड़ी संख्या में ग्राहियों के साथ निरन्तर सम्पर्क होता रहता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की सरलता और सफलता के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में मुख्य रूप से जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वे संचार के ही प्रचलित माध्यम हैं और वे निम्नलिखित हैं।

11.6.1 पारम्परिक माध्यम-

प्राचीन काल से ही अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम के रूप में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संगीत के तीन अंग होते हैं- गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों ही अन्तर- सांस्कृतिक संचार के प्रमुख घटक रहे हैं और आज भी हैं। संगीत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत और लोक-संगीत।

शास्त्रीय संगीत की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य का आयोजन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। शास्त्रीय संगीत में अनुशासन और नियम का विशेष महत्व होता है। इसके गाने बजाने का स्थान, समय एवं स्वरूप पूर्व निर्धारित होता है। जटिलता के कारण यह आम लोगों तक अपनी पैठ नहीं बना सका क्योंकि इसकी राग-रागिनियां कर्णप्रिय होते हुए भी आम लोगों के समझ के परे रही। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत विशिष्ट जन के मनोरंजन का साधन मात्र बन कर रह गया।

लोक संगीत आम जन का संगीत है। इसमें नियम अनुशासन का कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य जब अपने आनन्द और दुख की अभिव्यक्ति गाकर करता है तो वही लोक संगीत बनता है। यह आम लोगों के लिए आम लोगों द्वारा रचे और गाए जाने वाले गीत हैं। इसकी भाषा जन सामान्य की भाषा और परिवेश से सम्बद्ध होती है इसलिए यह शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होती है।

नाटक और लोक कलाएं भी इसी प्रकार के प्रचलित पारम्परिक माध्यम हैं जिनसे अन्तर सांस्कृतिक संचार को गति मिलती है लोक नाट्य, नौटंकी, भांड़, यात्रा कठपुतली आदि पारम्परिक माध्यमों के रूप में प्रचलित हैं। धार्मिक नाट्यकलाओं में रासलीला और रामलीला का क्षेत्र विस्तार सम्पूर्ण विश्व में हो चुका है।

आज का युग इलेक्ट्रानिक माध्यम का युग है। इसके बावजूद परम्परागत माध्यमों का प्रयोग अन्तर-सांस्कृतिक संचार में निरन्तर हो रहा है। माध्यम सम्मिश्रण (मीडिया मिक्स) जिसमें पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों का साथ-साथ प्रयोग हो रहा है, अन्तर सांस्कृतिक संचार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। विभिन्न देश की सरकारें एक दूसरे देश में समझौते के तहत लोकनृत्यों और लोकनाट्यों द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। पारम्परिक माध्यमों की

से बड़ी विशेषता यह है कि विचारों का सम्प्रेषण उस क्षेत्र की भाषा एवं परिवेश के अनुरूप किया ा है जहां पर सन्देश प्रेषित करना होता है। इससे लोगों को आसानी से सन्देश समझ में आते हैं इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार का उद्देश्य भी पूर्ण होता है।

.6.2 मुद्रित माध्यम-

मुद्रण यन्त्र के आविष्कार से सम्पूर्ण विश्व के वैचारिक धरातल पर एक अद्भुत क्रान्ति का ात हुआ। मुद्रित माध्यमों से मानवीय जीवन के सभी पहलुओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इन यमों की प्रभाव क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का एक चपूर्ण और प्रमुख कारक आज मुद्रित माध्यम बन गए हैं। कई देशों में तो मुद्रित माध्यमों का म्भ ही अन्तर सांस्कृतिक संचार स्थापित करने के लिए हुआ। इसाई धर्म और संस्कृति के रकों ने सम्पूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस की स्थापनां की और वहीं अपनी संस्कृति का प्रसार प्रारम्भ किया। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मुद्रित यमों का आविष्कार, प्रचार और प्रसार अन्तर सांस्कृतिक संचार की ही देन है।

मुद्रित माध्यमों में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, दि समयावधि आधारित पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। विषय की दृष्टि से साहित्यिक, सांस्कृतिक, र्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक आदि विषयों से सम्बद्ध मुद्रित ग्री आती हैं। इसी प्रकार आयु तथा लिंग आधारित मुद्रित सामग्री का प्रकाशन भी होता है। कें, पम्फलेट आदि भी मुद्रित माध्यम के रूप में अन्तर सांस्कृतिक संचार का वाहक बनती हैं।

मुद्रित माध्यम बौद्धिक वर्ग को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका प्रभाव आयामी होता है। अन्तर-सांस्कृतिक संचार में मुद्रित माध्यमों का बढ़ता प्रभाव तीव्र गति से हो रहे ाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा के विकास और रता दर में हो रही निरन्तर वृद्धि के कारण मुद्रित माध्यमों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। त माध्यम न केवल जन चेतना जाग्रत करने में बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वित करने में, ार्थियों की संख्या बढ़ाने में, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का हि कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता का एक प्रमुख ण मुद्रित माध्यमों का दिनोदिन बढ़ता प्रयोग है।

.6.3 आधुनिक (इलेक्ट्रानिक) माध्यम -

वर्तमान युग संचार-क्रान्ति का युग है। आधुनिक परिष्कृत संचार उपकरणों ने अब समय स्थान की दूरी को महत्वहीन बना दिया है। मार्शल मैकलूहन की विश्व ग्राम की परिकल्पना ार हो चुकी है। आधुनिक माध्यमों में क्रमशः टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो, टेपरिकार्डर, ीविजन, वीडियो, सिनेमा, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, उपग्रह संचार प्रणाली आदि आते हैं। इन करणों के विकास और प्रयोग ने समाज में अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन किए हैं।

विकसित संचार व्यवस्था का उपयोग करके सम्पन्न राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार

व्यापक रूप से कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक प्रचार ने अब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का रूप लेना शुरू कर दिया है। आधुनिक जन माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की जनता में सार्थक सम्प्रेषण कर पाता है। इनकी इसी विशेषता का उपयोग करके अन्तर-सांस्कृतिक संचार में सम्प्रेषक अपनें सन्देशों को व्यापक स्तर पर जनमानस तक पहुँचाने में सफल होते हैं। आज की युवी पीढ़ी का पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता आकर्षण और उसका अन्धानुकरण अन्तर सांस्कृतिक संचार में आधुनिक माध्यमों की सफल उपयोगिता का ज्वलन्त प्रमाण है।

11.7 अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोकसंस्कृति -

सृष्टि में जब से भी विकास हुआ संस्कृति की दो धाराएं एक-साथ विकसित हुई। एक अभिजात्य वर्ग की विशिष्ट संस्कृति तथा दूसरी सामान्य वर्ग की साधारण संस्कृति। समय के प्रवाह के साथ दोनों ही संस्कृतियाँ विकसित हुई। दोनों में परस्पर संचार का आदान-प्रदान हुआ। दोनों ने ही एक दूसरे की कुछ चीजों को अपनाया। इतना सब होते हुए भी इन दोनों संस्कृतियों का अन्तर समाप्त नहीं हुआ।

लोक संस्कृति जन सामान्य की संस्कृति है। जो लोग भौतिक परिवर्तनों से दूर और आडम्बरहीन जीवन शैली अपनाते हैं उन्हें ही लोक की संज्ञा दी जाती है।अन्तर सांस्कृतिक संचार में लोग संस्कृति का अत्यधिक महत्व होता है। इन्हीं के माध्यम से सांस्कृतिक संचार को व्यापक बनाया जाता है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में लोक संस्कृति जीवन्त है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में सम्प्रेषक के लिए लोक ही एक विशाल प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। लोक संस्कृति की दीन-हीन दशा का विकास करना, एक-दूसरी लोक संस्कृतियों का आपस में परिचय कराना, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, तथा उन्नत संस्कृतियों के समकक्ष लोक संस्कृति को प्रतिष्ठित करना अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से जहां लोक संस्कृतियों का प्रचार-प्रसार होता है वही इसके बहुआयामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे लोक संस्कृति के जीवन्त स्वरूप को देखने के लिए दूर-दराज के क्षेत्र के लोग जुटते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, राजस्व में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि आती है और लोक संस्कृति को व्यापक प्रचार-प्रसार मिलता है। यह सब सम्भव होता है अन्तर-सांस्कृतिक संचार की गतिशीलता से। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार और लोक संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट होता है।

11.8 सारांश -

इस इकाई के अध्ययन से आपने यह जाना कि संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या सम्बन्ध है। अन्तर सांस्कृतिक संचार क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। किन सिद्धान्तों का आश्रय लेकर अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार में पारम्परिक माध्यम, मुद्रित माध्यम

और आधुनिक माध्यमों की क्या उपयोगिता और महत्ता है तथा लोक संस्कृति के विकास में अन्तर सांस्कृतिक संचार किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं।

11.9 शब्दावली-

सम्प्रेषक - सन्देश देने वाला

संचरण - संचारित करना

घटक - अंग

सर्वांगीण- चौतरफा (सभी तरह से)

सर्वोपयोगी - सबके लिए उपयोगी

11.10 सन्दर्भ ग्रन्थ-

जनसंचार समग्र - डॉ0 अर्जुन तिवारी

जनसंचार : कल और आज - डॉ0 मुक्ति नाथ झा

सम्पूर्ण पत्रकारिता - डॉ0 अर्जुन तिवारी

अन्तर्सांस्कृतिक संचार - डॉ0 मुक्ति नाथ झा

11.11 प्रश्नावली

11.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न-

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार क्या है?

2- मुद्रित माध्यमों का प्रयोग अन्तर सांस्कृतिक संचार में कैसे किया जा सकता है?

3- संचार और अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या अन्तर है?

4- अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख घटक क्या हैं?

11.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का सोदाहरण वर्णन करें।

2- अन्तर सांस्कृतिक संचार की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है।

3- अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यमों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करें कि आज के युग में कौन सा माध्यम सर्वोपयोगी है और क्यों ?

4- अन्तर सांस्कृतिक संचार में लोक संस्कृति की क्या उपयोगिता है?

11.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- रामायण की रचना किसने की?

क- वेद व्यास, ख-वशिष्ठ, ग-बाल्मीकि घ-तुलसीदास

2- गीता किस महाकाव्य का अंश है ?

क- रामायण, ख- महाभारत, ग-रघुवंश घ-कादम्बरी

3- पुराणों की संख्या कितनी है?

क- 18, ख-19, ग-20, घ-10

4- मुद्रण यन्त्र का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किस लिए किया गया।

क- समाचार पत्र के लिए, ख-व्यापार के लिए

ग- ईसाई धर्म के प्रचार के लिए घ-इनमें से कोई नहीं

11.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- ग

2- ख

3- क

4- ग

ाई 12 - विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास

ई की रूपरेखा

0 उद्देश्य

1 प्रस्तावना

2 अन्तर सांस्कृतिक संचार का आरम्भ

3 प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

4 मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

5 औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवाहक प्रमुख देश

12.5.1 पुर्तगाल और अन्तर सांस्कृतिक संचार

12.5.2 फ्रान्स और अन्तर सांस्कृतिक संचार

12.5.3 ब्रिटेन और अन्तर सांस्कृतिक संचार

6 आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

7 अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण घटनाएं

8 सारांश

9 सन्दर्भ ग्रन्थ

10 शब्दावली

11 प्रश्नावली

12.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

12.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

2.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास नामक इस इकाई का उद्देश्य आपको व में अन्तर सांस्कृतिक संचार के एतिहासिक विकास को विस्तार से समझाना है। इस इकाई अध्ययन से आप जान सकेंगे-

अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ।

प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का स्वरूप क्या था।

मध्य काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का स्वरूप।

औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रमुख कारक क्या थे।

- वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की क्या स्थिति है।
- अन्तर सांस्कृतिक संचार के कौन से माध्यम आज किस रूप में प्रचलित हैं।

12.1 प्रस्तावना-

संस्कृति का विकास जब से हुआ तभी से मनुष्य अपने जीवन-यापन के नए-नए तरीके आविष्कृत करता रहा है। आविष्कार के प्रत्येक चरण ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। इन संस्कृतियों के बारे में जानने को मनुष्य सदैव लालायित रहा है। संस्कृति ज्ञान की इसी लालसा ने संचार की एक नई विधा को जन्म दिया। इसी को अन्तर सांस्कृतिक संचार कहा गया। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के प्रत्येक चरण ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा और गति प्रदान की। इन्हीं बातों की सम्यक् जानकारी पाठ्यक्रम की इस इकाई में देने का प्रयास किया गया है।

12.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ

अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कब से हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सृष्टि के आरम्भिक विकास में किस प्रकार संस्कृतियों का टकराव होता था इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थों में मिलता है। इन ग्रन्थों में वर्णित कथाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय सृष्टि में तीन जातियों (योनियों) की प्रधानता थी। देवता, मनुष्य और राक्षस। तीनों की संस्कृतियां भिन्न थी फिर भी कहीं-कहीं उनमें अदभुत समानता दीख पड़ती है।

देवता देवलोक में विचरण करते थे। उनके पास असीम शक्तियाँ थीं जिनसे वे जन कल्याण का कार्य करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उस समय का मानव समाज आधारित था। इसी व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित कार्य करते हुए मनुष्य अपना जीवन यापन करते थे। राक्षस पाताल लोक में रहते थे। अन्याय, अत्याचार आदि दुष्प्रवृत्तियां उनकी दिनचर्या थी। मनुष्य और देवता प्रायः सदाचरण का ही पालन करते थे। मानव सदैव देवताओं की कृपा की कामना करते रहते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जप-तप यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहते थे। राक्षस भी अपनी वर्चस्व वृद्धि के लिए दैवी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वे मनुष्यों की तरह ही जप-तप यज्ञ आदि का आश्रय लेते थे। मनुष्य अपनी तपस्या से जो दैवी शक्ति प्राप्त करते थे उसका उपयोग वे सदैव जन-कल्याण के निमित्त ही करते थे और इसी कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी थी किन्तु राक्षस जब दैवी शक्ति प्राप्त करते थे तो उनमें अहंकार उत्पन्न हो जाता था और वे अपनी प्राप्त शक्तियों का उपयोग केवल अत्याचार और उत्पीड़न में करते थे। इस प्रकार इन तीनों संस्कृतियों में, देव संस्कृति, मानव-संस्कृति और राक्षस संस्कृति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस संघर्ष में मानव या तो तटस्थ रहता था या देवताओं के साथ। क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना ही मानव संस्कृति है। इस सांस्कृतिक संघर्ष में सैदव राक्षस संस्कृति ही पराजित होती रही।

प्राचीन वांग्मय के अनुसार इस युग में संदेशों के आदान-प्रदान का एक मात्र साधन था

व्रक। दूत के द्वारा एक दूसरे से सन्देशों और सूचनाओं का आदान-प्रदान होता था। उसी युग में द नाम के एक ऐसे पात्र का उल्लेख भी मिलता है जो कभी भी, कहीं भी आ-जा सकता था। ा, मनुष्य और राक्षस तीनों के द्वारा वह समान रूप से सम्मानित था। नारद ही उस जमाने में ज के रिपोर्ट' की भूमिका निभाता था। तीनों संस्कृतियों के मध्य संचार सेतु के रूप में प्रतिष्ठित द ही अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख संवाहक था।

वैदिक और पौराणिक गाथाओं में जितनी भी कथाओं का उल्लेख है उनके मूल में संस्कृति है। सांस्कृतिक संघर्षों को इस प्रकार संचारित किया गया कि आने वाली पीढ़ी सदैव सन्मार्ग का सरण करे और कल्याण पथ पर अग्रसर हों। नारी सम्मान को प्रचलित करने के लिए नारी को के रूप में स्थापित कर पूजनीय बनाया गया और जनमानस में इसे प्रचलित किया गया। कृतियों के संघर्ष और परिणाम की कथा को इस प्रकार संचारित करना ही अन्तर-सांस्कृतिक ार है और इसे ही हम अन्तर-सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ मान सकते हैं।

परवर्ती काल, जिसे महाकाव्यों का युग कहा जाता है, में भी रामायण, महाभारत जैसे काव्यों के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की पूर्व की परम्परा को ही आगे बढ़ाया। रामायण में र्य संस्कृति और रक्ष संस्कृति (राक्षस) के परस्पर संघर्ष की गाथा से यह स्पष्ट करने का प्रयास ा गया कि आर्य संस्कृति ही श्रेष्ठ संस्कृति है। महाभारत में मानवीय संस्कृति के दो विरोधी रूपों संघर्ष को संचारित करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की पक्षधर संस्कृति (अच्छाई) को बुराई से बताया गया है। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट होता है कि अन्तर-सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ क काल में ही हो चुका था। इस अन्तर सांस्कृतिक संचार की विषय-वस्तु मुख्य रूप से कृतिक संघर्ष ही रहा है और इसी के माध्यम से मनुष्य को शुद्ध सांस्कृतिक आचरण का सन्देश दिया गया है। इन सबके बावजूद उपर्युक्त को प्रमाणित करने के लिए प्राचीन धर्मग्रन्थों के तिरिक्त अन्य कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

2.3 प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

प्राचीन काल में जब मनुष्य आखेटक के रूप में जीवन यापन कर रहा था तब न उसे कृति का ज्ञान था और न ही संचार का। कालान्तर में सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। वार की अवधारणा उत्पन्न हुई और कबीलों का निर्माण हुआ। छोटे-बड़े असंख्य कबीले बने। लाई समाज घुमन्तू था। वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता था। घूमते हुए जब एक कबीले रे कबीले के सम्पर्क में आते थे तो उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष ा था। विजेता विजित की सांस्कृतिक धरोहरों और मान्यताओं को नष्ट कर देते थे और अपनी कृतिक विरासत को मानने के लिए बाध्य करते थे। इस प्रकार विजेता और विजित कबीलों के अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया की शुरूआत हुई।

लगभग यही स्थिति अन्तर सांस्कृतिक संचार की तब तक बनी रही जब तक राज्य नामक था का विकास नहीं हुआ। राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक चान स्थापित हुई, उनके अपने धर्म विकसित हुए। राज्यों में आपस में सम्बन्ध स्थापित करने के ए राजदूत से विभिन्न राज्यों के मध्य अन्तर-सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया भी आरम्भ हुई। प्राचीन

राज्यों में क्षेत्र विस्तार और साम्राज्य विस्तार की भावना प्रबल थी। हर राज्य अपने से उन्नत संस्कृति वाले राज्यों पर अधिकार करके अपनी संस्कृति का विस्तार भी करना चाहते थे। भारतीय वैदिक साहित्य में राजाओं द्वारा राजसूयज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए जाने की परम्परा का उल्लेख मिलता है। इस यज्ञ को करने वाले राजा को पृथ्वी के समस्त राज्यों पर अपना अधिकार करना आवश्यक था। इस प्रकार विजेता राजा की संस्कृति का प्रचार-प्रसार विजित राज्यों पर होता था तथा संस्कृतियों का आदान-प्रदान करते हुए अन्तर-सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी।

अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण हमें ईसा पूर्व 6-वीं शताब्दी से ही मिलाने लगता है। इस अवधि में भारत में जैन और बौद्ध धर्म की अवतारणा हुई। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का विश्व-व्यापी प्रचार-प्रसार किया। राज्याश्रय से बौद्ध संस्कृति का विकास भारत सहित, वर्मा, श्रीलंका, चीन आदि देशों की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है।

ई0 पू0 3सरी सदी के लगभग यूनान का प्रसिद्ध शासक सिकन्दर विश्व विजय के अभियान पर निकला। इसके पूर्व भी यूनान का साम्राज्य आस-पास के क्षेत्रों तक फैल चुका था। यूनानी विद्या का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा था। वहाँ की जीवन शैली, खेल-कूद, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, उद्योग आदि से सारे विश्व में एक नई सांस्कृतिक चेतना का उदय हो रहा था। इसी अवधि में सिकन्दर के विश्व विजय अभियान ने यूनानी संस्कृति को विश्व व्यापी बना दिया। सिकन्दर ने अपनी युद्ध नीति, व्यूह रचना, साहस और पराक्रम से लगभग पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसने जिन राज्यों को जीता वहां यूनानी संस्कृति की छाप छोड़ी। वह अपने सेना नायकों को विजित राज्यों का शासक बना देता था, यूनानी लड़कियों की, खासकर सामन्त परिवार की कन्याओं की, शादी विजित राष्ट्रों के शासकों से करके उन्हें अपना सांस्कृतिक गुलाम बना लेता था। सिकन्दर के आचरण से यही स्पष्ट होता है कि उसने यूनानी संस्कृति के प्रचार-प्रसार और अन्तर-सांस्कृतिक संचार के लिए युद्ध को अपना माध्यम बनाया।

विभिन्न देशों के लोग पर्यटन के माध्यम से भी प्राचीन काल में अन्तर - सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे थे। चीन के यात्री इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। चीनी यात्री ह्वेन सांग और फाह्यान की भारत यात्राओं के जो विवरण उपलब्ध होते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि इन यात्रियों ने भारतीय संस्कृति का गहनता से अध्ययन किया, उन्हें लिपिबद्ध किया और उसे शेष विश्व तक पहुँचाया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में पर्यटन, युद्ध, सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार, धर्म प्रचार, व्यापार-वाणिज्य आदि अन्तर सांस्कृतिक संचार के साधन के रूप में प्रचलित थे और इन्हीं का आश्रय लेकर कहीं शान्ति, सौहार्द और सद्भाव के साथ तो कहीं विजेता-विजित सम्बन्धों में बाध्यकारी रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अपनायी जाती रही और प्राचीन काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की यही स्वरूप प्रचलित था।

2.4 मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

विश्व इतिहास का मध्य-काल धार्मिक संस्कृति के प्रभुत्व का काल है। इस काल में अनेक
न संस्कृतियों का लोप अथवा संकुचन हुआ वहीं अनेक नवीन संस्कृतियों का उदय और विस्तार
।

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक यूनानी संस्कृति पर रोम का प्रभुत्व हो गया। धर्म
ारित रोमन साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे योरोप में हो गया। रोमन साम्राज्य में यूनानी दास
स्थिति में रहने लगे। इस स्थिति में भी यूनानी अपने ज्ञान और संस्कृति का चमत्कार दिखलाते
रहे। रोमन साम्राज्य के अधीन रहते हुए उन्होंने साम्राज्य के प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में
नी सेवाएं साम्राज्य को दीं। व्यायाम, खेल, शिक्षा, स्थापत्य, आदि क्षेत्रों में यूनान का वर्चस्व
रहा। हाँ अब उनका नाम रोमन संस्कृति हो गया। धर्म की प्रभुसत्ता स्थापित करने वाली रोमन
कृति का प्रभाव सम्पूर्ण योरोपीय जगत पर पड़ा। राज्यों के शासक बिना पोप (धर्मगुरू) की
मति के कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। सारे योरोप की सत्ता संचालन का केन्द्र 'पोप'
था। इस प्रकार सम्पूर्ण योरोपीय जगत एक सांस्कृतिक सत्ता के अधीन संचालित हो रहा था।
ई संस्कृति के प्रचार-प्रसार का कार्य राज्यों का दायित्व बन चुका था। इसाईयत के प्रचार-प्रसार
आड़ में एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार होने लगा था।

एक ओर जहाँ योरोपीय जगत में इसाई संस्कृति का विस्तार हो रहा था वहीं शेष विश्व में
लाम का विस्तार हो रहा था। इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचारक शस्त्र बल से पूरे विश्व के
लामीकरण की प्रक्रिया का बढ़ावा दे रहे थे। एशिया महाद्वीप में उन्हें व्यापक सफलता भी मिली।
लामी संस्कृति के प्रचारक जहां कहीं भी गए बलपूर्वक अपनी संस्कृति को प्रचारित किया। इस्लामी
कृति का प्रसार अब देश से निकलकर, मिस्र, पश्चिम अफ्रीका, सीरिया, ईराक, ईरान,
मान, पूर्वी द्वीप समूह, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तुर्कीस्तान, आदि देशों तक हो गया।
लाम प्रचारक जहां कही भी गए वहाँ उन्होंने सबसे पहले उस देश के धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों
नष्ट करना शुरू किया। पूर्व प्रचलित सांस्कृतिक मान्यताओं को नष्ट करके अपनी संस्कृति को
ापित करना इस्लाम प्रचारकों का प्रमुख उद्देश्य बन गया। उन्होंने प्राचीन काल में प्रचलित
जेता-विजित सम्बन्ध की तर्ज पर भी अपनी संस्कृति को थोपने का कार्य किया।

मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की उपर्युक्त स्थिति के कारण जहाँ एक ओर इसाई
र इस्लाम संस्कृति का विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि धार्मिक
कृतियों में संकुचन होने लगा। इनका प्रभाव कम हुआ और ये एक निश्चित क्षेत्र में सिमट कर
गए। सम्पूर्ण मध्यकाल अन्तर-सांस्कृतिक संचार का इतिहास संस्कृतियों के संघर्ष से ही भरा
ा है। ...वीं सदी से बारहवीं सदी तक इसाई संस्कृति और इस्लाम संस्कृति में वर्चस्व का संघर्ष
लता रहा। इसके बाद दोनों संस्कृतियों ने शेष विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अपने
ार की दिशा बदल दी। इस प्रकार इसाई योरोप में तथा इस्लाम शेष विश्व में फैल गए।

मध्यकालीन इतिहास में अन्तर सांस्कृतिक संचार का तरीका, उद्देश्य सब कुछ बदल गया। उद्देश्य हो गया अपनी संस्कृति का विश्व व्यापी प्रसार और तरीका जो इच्छा हुई अपनाया गया। इसमें नैतिक अनैतिक का विचार नहीं था। एक संस्कृति ने धन बल का आश्रय लिया तो दूसरी ने शस्त्र बल का। येनकेन प्रकारेण अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना ही मध्यकाल में अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रमुख लक्ष्य था और सम्पूर्ण मध्यकाल का सांस्कृतिक संचार भी इसी पर केन्द्रित था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन अन्तर-सांस्कृतिक संचार का इतिहास सांस्कृतिक संघर्षों का ही इतिहास है और उस समय उत्पन्न हुआ सांस्कृतिक संघर्ष किसी-न-किसी रूप में आज भी जीवित है।

12.5 औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

औपनिवेशिक काल से तात्पर्य साम्रज्यवाद से है जिसका तात्पर्य है अन्य राज्यों पर अपना वैधानिक अधिकार स्थापित करना। यह प्रक्रिया मध्यकाल में ही आरम्भ हो गई थी किन्तु मध्यकालीन साम्राज्यवाद का लक्ष्य विजित राष्ट्रों की संस्कृति को नष्ट करके विजेता की संस्कृति को स्थापित करना था परन्तु उसके बाद का औपनिवेशिक काल भिन्न प्रकृति का था। इस काल में विजेता विजित राष्ट्रों के ऊपर शासन करते थे और अपनी शासकीय सुविधा के लिए उन राष्ट्रों का विकास करते थे। इस क्रम में पुर्तगाल, फ्रान्स, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। औपनिवेशिक काल में सम्पूर्ण विश्व में अन्तर-सांस्कृतिक संचार के प्रमुख देशों में पुर्तगाल, फ्रान्स और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण स्थान है।

12.5.1 पुर्तगाल और अन्तर संस्कृतिक संचार

पुर्तगाल एक छोटा सा राष्ट्र है। समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ के लोगों का विश्व के शेष भाग से सम्पर्क जल मार्ग द्वारा ही होता था। नौ परिवहन के क्षेत्र में इस राष्ट्र ने काफी पहले प्रगति कर ली थी। समुद्र पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात पुर्तगालियों ने अपने व्यापार वृद्धि के लिए तटवर्ती राष्ट्रों पर अपना अधिकार करना शुरू किया। इनकी एक विशेषता थी कि ये किसी भी राष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते थे ताकि उस देश से अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। व्यापार वृद्धि में आने वाले अवरोधों को ये बल पूर्वक समाप्त करते थे। इन्होंने अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्रों की संस्कृति को नष्ट नहीं किया और न ही उन क्षेत्रों पर शासन करने के ही ये इच्छुक थे। इन्होंने अपने व्यापार के साथ ही अपनी मूल संस्कृति और इसाई धर्म का प्रचार-प्रसार भी आरम्भ किया। भारत-सहित विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर 'प्रेस' की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही की है। इस प्रकार पुर्तगाल ने विश्व के सभी क्षेत्रों में जहाँ जलमार्ग द्वारा जाया जा सकता था, अपने व्यापार और इसाई धर्म तथा संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी उन राज्यों में विद्यमान हैं जहाँ पर उनका अधिकार था।

12.5.2 फ्रान्स और अन्तर सांस्कृतिक संचार

फ्रान्स की संस्कृति पुर्तगालियों से भिन्न थी। पुर्तगाल जहाँ अपने व्यापार वृद्धि के लिए उपनिवेशों की संख्या बढ़ा रहा था वहीं फ्रान्स अपनी सैन्य संस्कृति और वैचारिकी के लिए। फ्रान्स ने जहाँ कहीं भी अधिकार जमाया वहां की सैन्य संरचना में आमूल परिवर्तन किया। फ्रांसीसी सैन्य संस्कृति में इतना आगे था कि विश्व के तमाम छोटे-बड़े राज्यों में उसके सैन्य अधिकारी प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते थे। जिन राज्यों में फ्रान्स का आधिपत्य नहीं था वहां वे मैत्री सन्धि के द्वारा प्रविष्ट हुए और सेना के प्रशिक्षण का कार्य करने लगे। इस कार्य में जहाँ एक ओर फ्रान्स की सैन्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था वहीं दूसरी ओर सैनिक साज-समान की बिक्री से उसके व्यापार में भी वृद्धि हो रही थी। वैसे तो फ्रान्स भी इसाई धर्म और संस्कृति का प्रचारक देश था किन्तु उसकी प्राथमिकता सैन्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार की ही थी। इस प्रकार से फ्रान्स ने विश्व में एक नए प्रकार की सांस्कृतिक संचार व्यवस्था कायम की जिसके द्वारा समस्त राज्यों की सेनाओं का फ्रान्सीसीकरण होने लगा। युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण अपनी विशिष्ट संस्कृति का संचरण फ्रान्स द्वारा किया जा रहा था। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में फ्रान्स का एक महत्वपूर्ण योगदान था।

फ्रान्स की विभिन्न राज्य क्रान्तियों ने विश्व संस्कृति में मानव अस्तित्व को एक नई दिशा दी। लोकतन्त्र की स्थापना, वैयक्तिक स्वतंत्रता का विकास आदि ऐसी बाते थीं जिसने समस्त विश्व में वैचारिक क्रान्ति की एक नई लहर पैदा की। अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में फ्रान्स का यह महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

12.5.3 ब्रिटेन और अन्तर सांस्कृतिक संचार

ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में ब्रिटिश राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इतना व्यापक था कि विश्व के दो तिहाई राष्ट्र उसके उपनिवेश थे। ब्रिटेन औद्योगिक क्रान्ति का जनक था। अपने उपनिवेशों में अपना नियन्त्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने उनका सर्वांगीण विकास किया। यातायात के साधनों का विकास, परिवहन का विकास, संचार माध्यमों का विकास और अन्य संसाधनों का विकास ब्रिटेन ने यद्यपि अपनी सत्ता की सुविधा के लिए किया किन्तु फिर भी उपनिवेशों का भौतिक विकास तो हुआ ही। इस विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए उसने अपने उपनिवेशों के मानव संसाधन का भरपूर दोहन किया। अपने उपनिवेशों से ब्रिटेन ने उद्योग के लिए उपलब्ध कच्चे माल का भी अत्यधिक दोहन किया और उन सामानों का प्रयोग अपने उद्योगों में करके तैयार माल की बिक्री के लिए उसने अपने उपनिवेशों को बाजार के रूप में स्थापित किया। कठोर शासकीय नियन्त्रण और मूलभूत ढांचे में विकास के बावजूद ब्रिटेन ने अपने उद्योगों को उपनिवेशों में नहीं स्थापित किया।

ब्रिटिश शासन में अनेक क्रूरताओं और अमानवीय आचरण के बावजूद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों का जो भौतिक विकास किया उससे उन क्षेत्रों की संस्कृति में आमूल परिवर्तन हुआ। संचार साधनों का विकास यद्यपि शासक वर्ग ने अपनी सुविधा के लिए किया था किन्तु उससे लाभान्वित शासित वर्ग भी हुआ। ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रसार इतना व्यापक हुआ कि विश्व के

तमाम देश आज भी उसी शिक्षा नीति का अनुसरण करके योग्य लोगों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। प्रेस की स्थापना, रेडियो की स्थापना, इसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार-प्रसार, भवन निर्माण, परिवहन और यातायात के साधनों का विकास, रेल एवं सड़क मार्ग का विकास तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में ब्रिटेन की उपयोगिता और महत्ता स्वतः परिलक्षित होती है।

12.6 आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार

बीसवीं सदी का आरम्भ सम्पूर्ण विश्व के सांस्कृतिक जगत में एक नई चेतना के साथ हुआ। इस समय औपनिवेशिक काल समाप्त हो रहा था। बहुत छोटे-बड़े राष्ट्रों का उदय हो रहा था। इन राष्ट्रों में अपनी पारम्परिक संस्कृति के प्रति चेतना जागृत हो चुकी थी। अपने पूर्व शासकों के समकक्ष होने का गौरव उन्हें प्राप्त हो चुका था। अब ये राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास में लग गये थे। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता का स्वरूप सर्वत्र दिखाई देने लगा था। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्र भी सम्मान के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने लगे थे।

संचार तकनीक के दिनों दिन विकसित होने के कारण आधुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार में गति आई। अपने उद्‌भव क्षेत्र से संस्कृतियों का प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से होने लगा। वस्तु एवं विचारों का सम्प्रेषण और प्रसारण त्वरित गति से होने लगा। वस्तु एवं विचार समाज को प्रभावित करते हैं तथा परिवर्तन की दिशा तय करते हैं। कोई भी नया विचार अपने मूल स्थान से क्षेत्रीय, तब राष्ट्रीय और तब फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता है। यदि किसी वस्तु, प्रौद्योगिकी कला अथवा संस्कृति की उपयोगिता जन सामान्य के लिए है तो उसका प्रसारण अवश्य होगा और प्रसारित वस्तु, प्रौद्योगिकी, कला अथवा संस्कृति का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत होगा। आधुनिक युग के प्रसार माध्यमों की तीव्रता ने इस कार्य को आसान और सर्व सुलभ बना दिया है।

आज का विश्व एक गांव बन चुका है। संचार माध्यमों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से बढ़ाया है। एक देश दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, जीवन शैली आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इस जानकारी को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव सहजता से उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीविजन और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी ने इसे और भी आसान बना दिया है। व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वैचारिक आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। मानवीय समस्याओं पर विश्वव्यापी बहस हो रही है। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की नीति एवं कार्यक्रम तय किये जा रहे हैं।

संचार साधनों के आधुनिक युग में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति एवं विचारों के प्रसारण को काफी आसान बना दिया है। चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान की नवीन परिकल्पनाओं

जनक आज पश्चिमी राष्ट्र हैं। सम्प्रति ये देश विश्व के अग्रणी देश हैं और सम्पूर्ण विश्व में र्तन की दिशा सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रसार के प्रभाव के कारण सम्पूर्ण विश्व आर्थिक सामाजिक प्रगति की ओर अग्रसर है। व में तमाम राजनीतिक विभेद होते हुए भी अनेक समस्याओं पर एकता दिखाई देती है। वाधिकार गरीबी, उत्पीड़न, आर्थिक सहायता, प्राकृतिक विपत्तियों एवं महिलाओं के अधिकार के विश्व जनमत में चेतना का संचार हुआ। वैचारिक प्रसार के प्रभाव से सम्पूर्ण विश्व में रूकता आयी है। धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद के प्रति समस्त विश्व एकमत है। प्रसार प्रभाव कारण ही संस्कृतियों का विस्तार होता है तथा विशिष्टता एवं वैविध्य के फलस्वरूप सांस्कृतिक ण्डलों का जन्म होता है। जीवन के ढंग, सामाजिक कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ तथा रिक जागरूकता के कारण परिमण्डल विशिष्ट हो जाते हैं।

आधुनिक युग संचार क्रान्ति का युग है। प्रत्येक धर्म और संस्कृति को अपनी सुविधा और र्थ्य के अनुसार इन संचार साधनों के उपयोग की स्वतन्त्रता है। विकसित राष्ट्र अपनी उन्नत र एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर परे विश्व में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना में हैं। वहीं अपेक्षाकृत कम विकसित राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाए रखने के प्रति दा जागरूक हो गए हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में ज्यादा रूचि लेने लगे हैं। न्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा है सांस्कृतिक संचार का व्यापक प्रसार हो। आधुनिक युग में अन्तर - सांस्कृतिक संचार की यही षताएं हैं। आज से समय में संचार माध्यमों ने संस्कृतियों को इतना मिश्रित कर दिया है कि का मूल स्वरूप ही अब लुप्त होता जा रहा है और एक नई संस्कृति, जिसे फ्युजन संस्कृति कहा है, का प्रादुर्भाव हो रहा है।

2.7 विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण घटनाएं

विश्व इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनका र सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

पू0 1500 - भारत में आर्यों का आगमन।

ऋग्वेद का रचना काल

पू0 1000 - गंगा की घाटी में आर्यों का विस्तार, ब्राह्मण ग्रन्थों का रचना काल

पू0 900 - महाभारत युद्ध

पू0 800 - रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों का रचनाकाल महाकाव्य युग

पू0 550 - उपनिषदों का रचनाकाल

ई0 पू0 544	-	बुद्ध का निर्वाण
ई0 पू0 537	-	उत्तर पश्चिमी भारत पर फारस की विजय
ई0 पू0 500	-	आर्यों का प्रसार दक्षिण भारत और श्रीलंका तक
ई0 पू0 326	-	सिकन्दर का भारत पर आक्रमण
ई0 पू0 321	-	मौर्य वंश का शासन आरम्भ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल
ई0 पू0 272-232	-	सम्राट अशोक का शासन काल
ई0 पू0 145	-	चोल शासक द्वारा श्रीलंका विजय
ई0 पू0 58	-	विक्रम संवत् का आरम्भ
ई0 पू0 26	-	भारत के पांड्य शासक ने अपना राजदूत रोम भेजा।
ईसवी 40	-	सिन्धु घाटी और पश्चिमी भारत में शक सत्ता की स्थापना।
,, ,, 52	-	भारत में सेंट थामस द्वारा इसाई धर्म का प्रचार आरम्भ।
,, ,, 78	-	शक् संवत का आरम्भ
,, ,, 320	-	गुप्त काल का आरम्भ,
,, ,, 380-413	-	गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, साहित्यिक पुनर्जीवन, हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार
,, ,, 622	-	हिज़री संवत् का आरम्भ
,, ,, 711	-	मुहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण
,, ,, 735	-	राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय
,, ,, 1026	-	महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ की लूट
,, ,, 1206	-	गुलाम वंश का आरम्भ
,, ,, 1221	-	मंगोलों का आक्रमण
,, ,, 1298	-	मार्कोपोलो की भारत यात्रा
,, ,, 1333	-	इब्नबतूता का भारत भ्रमण
,, ,, 1339	-	तैमूर का भारत पर आक्रमण
,, ,, 1498	-	वास्कोडिगामा का भारत (कालीकट) आगमन
,, ,, 1510	-	गोवा पर पुर्तगाल का नियन्त्रण स्थापित

” 1526 - भारत में मुगल राजवंश का आरम्भ

” 1556 - अकबर का राज्यारोहण

” 1582 - हिन्दू धर्म और इस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की घोषणा की।

” 1600 - ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना

” 1609 - हालैण्ड की कम्पनी ने पुलीकाट में फैक्टरी स्थापित की।

” 1611 - अंग्रेजों की कम्पनी ने मसूली पटनम में फैक्टरी स्थापित की।

” 1631 - ताजमहल का निर्माण

” 1639 - अंग्रेजों की कम्पनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जार्ज की नींव डाली।

” 1739 - फारस के शासक नादिरशाह का दिल्ली पर कब्जा।

” 1742 - पांडिचेरी का गर्वनर फ्रांसीसी डूप्ले बना।

” 1748 - अंग्रेज-फ्रांसीसी युद्ध (प्रथम)।

” 1773 - ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया।

” 1784 - पिट्स इण्डिया एक्ट।

” 1828 - सामाजिक सुधारों का काल।

” 1831 - रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिक्खों का उत्थान।

” 1853 - भारत में रेल सेवा का आरम्भ

” 1857 - भारत में स्वाधीनता की पहली लड़ाई।

” 1858 - ब्रिटिश सम्राट ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अपने नियन्त्रण में लिया।

” 1861 - इण्डियन काउन्सिल एक्ट, इण्डियन हाइकोर्ट्स एक्ट इण्डियन पेनल कोड।

” 1878 - वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट

” 1908 - न्यूजपेपर्स एक्ट

” 1947 - भारत की स्वतन्त्रता

” 1951 - प्रथम आम चुनाव

” 1954 - भारत-चीन में पंचशील समझौता

" " 1958 - माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारम्भ

" " 1977 - विदेश मन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा पहली बार सुयंक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण (8 दिसम्बर)

" " 1981 - प्रथम त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत प्रयोगात्मक संचार उपग्रह (एपल) अपनी कक्षा में स्थापित।

- 20 वर्षो के अन्तराल में पहला तीर्थ यात्री दल कैलाश-मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना।

" 1984 - आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पंजाब में सेना का नियन्त्रण, आपरेशन ब्लू स्टार।

" 1986 - भारत की पहली चल टेलीफोन तथा रेडियो पेजिंग सेवा का आरम्भ (जनवरी)

- देश का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह 'अपना उत्सव' नई दिल्ली में प्रारम्भ (नवम्बर)

" " 1994 - रूपर्ट मर्डोक ने नई दिल्ली में स्टार टी0 वी0 पर हिन्दी का पे चैनल आरम्भ करने की घोषणा की।

" " 1995 - सार्क देशों ने साफ्टा के रास्ते में आने वाली रूकावटों को दूर किया।

सार्क देशों के सांसदों और संसद अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में।

" " 1997 - ट्रिनिडाड के प्रधानमंत्री वासुदेव पाण्डे अपने पूर्वजों के वंशजों से मिलने आजमगढ़ (उ0 प्र0) के गांव लखमनपुर आए।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का भारत आगमन।

" " 1999 - भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर बस सेवा का आरम्भ ईसाई धर्म पोप जान पाल द्वितीय का भारत आगमन।

" " 2002 - अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में सम्पन्न

विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार जिनके कारण अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा मिली, निम्नलिखित हैं-

आविष्कार	आविष्कारक देश	वर्ष
कागज	चीन	105 (ई0 पू0)
प्रिंटिंग प्रेस	जर्मनी	1455

ार संचार	फ्रान्स	1787
ाइप राइटर	इटली	1808
्रान्सफार्मर	ब्रिटेन	1831
ार संचार कोड	अमेरिका	1837
प्रेंटिंग प्रेस रोट्री	अमेरिका	1846
ेडियो तार संचार	अमेरिका	1864
माइक्रोफोन	अमेरिका	1876
टेलीफोन	अमेरिका	1876
फाउन्टेन पेन	अमेरिका	1884
सिनेमा (मूक)	फ्रान्स	1885
लाउडस्पीकर	अमेरिका	1900
सिनेमा (बोलता)	जर्मनी	1922
सिनेमा (संगीत ध्वनियुक्त)	अमेरिका	1923
टेलीविजन	अमेरिका	1927
ट्रांजिस्टर	अमेरिका	1948
माइक्रो प्रोसेसर	अमेरिका	1971

2.8 सारांश

संचार और संस्कृति दोनों समाज में ही विकसित होते हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार भी ाज में ही संस्कृतियों के मध्य होता है। मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास और उसका हास भी अन्तर सांस्कृतिक संचार का इतिहास है। इस इकाई में आपने अन्तर सांस्कृतिक संचार इतिहास का क्रमवार अध्ययन किया और प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल तथा धुनिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार के प्रचलित स्वरूप के बारे में जाना।

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

कृति के चार अध्ययन - रामधारी सिंह दिनकर

ीन यूनान का इतिहास - प्रो0 शैलेन्द्र प्रसाद पांथरी

ीन भारत - डॉ0 राजबली पाण्डेय

12.10 शब्दावली

1- आखेटक - शिकार करके जीवन यापन करने वाला

2- राज्याश्रय - राज्य का संरक्षण (आश्रय)

3- संकुचन - सीमित (संकुचित) होना

12.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर-सांस्कृतिक संचार का प्रारम्भ कैसे हुआ? स्पष्ट करें।

2- फ्रान्स का अन्तर सांस्कृतिक संचार में क्या योगदान है।

3- संचार साधनों ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक नई दिशा दी है। संक्षेप में बताएं।

12.11.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार के ऐतिहासिक विकास पर एक निबन्ध लिखें।

2- औपनिवेशिक काल में अन्तर सांस्कृतिक संचार की स्थिति स्पष्ट करें।

12.11.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1- दीन-ए-इलाही धर्म किस शासक ने घोषित किया था।

क- औरंगजेब, ख-हुमायूं, ग-शाहजहां घ-अकबर

2- रामचरित मानस के रचयिता का नाम बताएँ।

क-सूरदास, ख-तुलसीदास, ग-कबीरदास, घ-रामानन्द

3- वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस सन् में पारित हुआ।

क- 1876, ख-1877 ग-1878 घ-1879

4- 1977 में किस भारतीय विदेश मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में भाषण दिया था?

क-गुलजारी लाल नन्दा, ख-इन्द्र कुमार गुजराल ग-अटल बिहारी बाजपेयी घ- यशवन्त सिन्हा

12.11.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1- घ 2- ख

3- ग 4- ग

काई 13 - अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक (धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक)

ाई की रूपरेखा

.0 उद्देश्य

.1 प्रस्तावना

.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर धार्मिक प्रभाव

13.3.1 विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य

13.3.2 धार्मिक संगठन

13.3.3 धार्मिक कट्टरता एवं सहिष्णुता

.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर राजनैतिक प्रभाव

13.4.1 राजनीतिक संस्थाएं (सरकार)

13.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्थापन

13.4.3 राजनीतिक दल

.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आर्थिक प्रभाव

13.5.1 औद्योगीकरण

13.5.2 प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास

13.5.3 वैश्वीकरण

.6 सारांश

.7 शब्दावली

.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

.9 प्रश्नावली

13.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

13.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

13.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

13.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अनेक रूपों में एवं अनेक स्तरों पर प्रभावित होती है। इस इकाई का उद्देश्य आपको अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले इन्हीं प्रभावों के बारे में समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे-

- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
- अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया धर्म से कैसे प्रभावित होती है।
- राजनीति का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- आर्थिक शक्तियां अन्तर सांस्कृतिक संचार को कैसे प्रभावित करती हैं।

13.1 प्रस्तावना

आर्थिक, प्राविधिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की स्थितियों ने विभिन्न मानव-समूहों को अलग-अलग रूप से प्रभावित किया। एक ही समाज के अलग-अलग समूहों के विकास की गति में भी अन्तर पाया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह और छोटे-बड़े समुदाय आज भी विद्यमान हैं। नए सांस्कृतिक प्रतिमानों और कलारूपों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति से निकलकर सह अस्तित्व की नई शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। इन सबके पीछे अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाली वे शक्तियाँ हैं जो संस्कृति के विकास के साथ ही अस्तित्व में आयीं और आज भी समाज में विद्यमान हैं। इन्हीं शक्तियों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आप करेंगे।

13.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारक

अन्तर सांस्कृतिक संचार में संस्कृति की प्रधानता रहती है और संस्कृति में सामूहिकता की। विभिन्न मानव-समाजों की सामाजिक - आर्थिक संरचना में जिस मात्रा में जटिलता और विशेषीकरण के तथ्य आए उसी अनुपात में उनकी सामूहिक चेतना भी प्रभावित होती गई। नगरीकरण और औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन को नए आयाम दिए। इनके कारण समाज में स्तरीकरण बढ़ा और वर्ग भेद सशक्त रूप से प्रकट हुआ। शिक्षा और विज्ञान के विकास ने मानवीय चेतना का विस्तार किया। इसके कारण व्यक्ति की मानसिकता में भी परिवर्तन आया। समाज में नए मूल्यों का उदय हुआ। नयी जीवन-दृष्टियाँ स्वीकृति पाने लगीं। इस प्रकार समाज में एक छोटे प्रबुद्ध वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ और इस वर्ग तथा जन साधारण के बीच की दूरी बढ़ती गई। इस प्रबुद्ध वर्ग ने वैचारिक और राजनीतिक रूप से समाज को संचालित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाला एक वर्ग बन गया जिसे हम राजनीतिक समूह भी कह सकते हैं।

बदलते आर्थिक परिवेश में परिष्कृत कलाओं का विकास हुआ। इनमें से कुछ तो लोक कलाओं से उभरी थी और स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई थी। कलारूपों में विशेषज्ञता भी विकसित हुई और कलाओं का व्यसायीकरण होने गा। इस प्रक्रिया में जहां एक ओर कला शैली की

षता रूढ़ हुई वहीं दूसरी ओर नए-नए प्रयोगों ने इन कलाओं को नए आयाम दिए। अलग हचानी जा सकने वाली कलाकारों की एक नयी श्रेणी का जन्म हुआ। धर्म और विश्वास की का में बदलाव आया और कलाओं पर उनका प्रभाव कम होने लगा। आर्थिक प्राविधिक त ने उत्पादन का स्वरूप तो बदला ही, साथ ही उत्पादन से जुड़े परम्परागत मूल्यों को भी -व्यस्त कर दिया। कला के सामान्य उत्पादन में अर्न्तनिहित सौन्दर्य चेतना क्षीण हुई और गितावाद ने उसके सृजनात्मक पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मनोरंजन के नए रूपों ने लिया और जन माध्यमों के विकास ने सामूहिकता के स्वरूप को नया विस्तार दिया।कला और प्रकारों में संघर्ष और सह अस्तित्व की नयी प्रक्रियाएं आरम्भ हुई। अन्तर सांस्कृतिक र ने आदान-प्रदान द्वारा संस्कृतियों को नए तत्व दिए जिन्हें भिन्न मात्राओं और अलग-ग रूपों में आत्मसात किया गया।

आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की स्थितियों ने न्न मानव-समूहों को अलग-अलग मात्राओं में प्रभावित किया। एक ही समाज के अलग-ग समूहों और समुदायों के विकास की गति में भी भिन्नता पायी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक ास की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह और छोटे-बड़े समुदाय आज भी मिलते नए सांस्कृतिक प्रतिमानों और कलारूपों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति से निकलकर -अस्तित्व की नयी शर्ते स्वीकार करनी पड़ी। सामूहिकता के ह्रास, विशेषीकरण के उदय और न शैली के बदलते स्वरूपों ने संस्कृति के प्रकार्यों को ही बदल दिया। मनोरंजन के नए रूप सित हुए। शिक्षा की विषय वस्तु बदल गई और विशेषीकृत शैक्षिक संस्थाओं का जन्म । ज्ञान-विज्ञान के सीमान्तों का विस्तार हुआ, जिसने आस्था और विश्वास का मूल्यांकन े की प्रेरणा दी। जीवन के प्रवाह को भी नई दिशा और गति मिली। नयी जीवन शैलियां सित होने लगी। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने संस्कृतियों पर अपना प्रभाव अवश्य ा है किन्तु सांस्कृतिक चेतना अतीत के कुछ तत्वों को कम से कम संकेत चिन्हों के रूप में पुर्नजीवित कर रही हैं। यह अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में पड़ने वाले बाह्य प्रभावों का न्त उदाहरण है। ऐसे अनेक कारक हैं जो अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं। कारकों को आधुनिक भाषा में दबाव-समूह कहा जाता है। वैसे तो अनेक प्रकार के दबाव ह अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं किन्तु उनमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क प्रमुख हैं। नए सामाजिक उद्देश्य, नियोजित आर्थिक परिवर्तन की दिशा और उनसे सम्बद्ध नीतिक निर्णय अनिवार्य रूप से संस्कृति से प्रभावित होते हैं और संस्कृति को भी प्रभावित े हैं। इन कारकों का क्रमवार विश्लेषण आगे किया गया है।

3.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर धार्मिक प्रभाव

संस्कृतियों का धर्म से प्रत्यक्ष और प्रगाढ़ सम्बन्ध होता है। संस्कृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ने मूल रूप में हस्तान्तरित नहीं हो पाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी संस्कृति के हस्तान्तरण में अपने और अनुभव जोड़ती जाती है। इस प्रकार एक ऐसा समय आता है कि संस्कृति का मूल ूप लुप्त हो जाता है। यहीं से संस्कृति के क्षेत्र में धार्मिक हस्तक्षेप आरम्भ होता है। धर्म के

स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धार्मिक परम्पराओं और धार्मिक संस्कृति में तो परितर्वन हो जाता है। जबकि धर्म का मूल स्वरूप अपरिवर्तित ही रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कभी भी धर्म के स्वरूप में छेड़-छाड़ की जाती है तो धार्मिक नेताओं और अनुयायियों द्वारा इसका प्रबल विरोध आरम्भ हो जाता है।

13.3.1 विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य

धर्म की व्याख्या, धार्मिक नियमों का प्रतिपादन धर्माचार्य करते हैं। हिन्दू धर्म में शंकराचार्य, मुस्लिम (इस्लाम) धर्म में मुफ्ती और मौलवी, इसाई धर्म में पोप और पादरी, बौद्ध धर्म में दलाई लामा आदि शीर्षस्थ धर्माचार्य होते हैं। सभी धर्मों में आचार्य की व्यवस्था की गई है जो धर्म संबंधी किसी प्रकार के विवाद पर अपना अन्तिम निर्णय देते हैं और उस निर्णय को सम्बन्धित धार्मिक समुदाय के लोग बाध्यकारी रुप से मानते हैं। धर्म का स्वरूप कभी नहीं बदलता। विभिन्न धर्माचार्यों ने धर्म की व्याख्या भी अपने तरीके से की है किन्तु बावजूद इसके धर्म के मूल स्वरूप में परिवर्तन इन धर्माचार्यों को मान्य नहीं होता।

धर्माचार्य सभाओं के माध्यम से प्रवचन के द्वारा धर्म के स्वरूप को जनता में संचारित करते हैं। धार्मिक सभाओं में व्यवहार के कुछ निर्धारित मानदण्ड होते हैं जिनका पालन जनमानस के लिए अनिवार्य होता है। धार्मिक सभाओं में अधिक परिचित और अधिक आत्मीय प्रकार के व्यहार पर कुछ प्रतिबन्ध होते हैं। एक उच्चतर शक्ति की उपस्थिति की भावना भक्तों में अथवा धार्मिक व्यक्तियों में एक श्रद्धा की मनोवृत्ति उत्पन्न करती हैं जो उसके साथियों से उसके सम्बन्धों को सीमित करती है। पवित्र और लौकिक के बीच में अन्तर अनेक प्रकार के निषेधों को महत्वपूर्ण बना देता है। इसी क्रम में धार्मिक आनन्द के अतिरेक में कुछ क्षणों के लिए अन्य प्रकार के निषेधों को समाप्त भी कर देता है। ये मनोवृत्तियाँ विशेष प्रकार के धार्मिक उत्सवों और कर्मकाण्डों के अवसर पर व्यक्त होती हैं। प्रत्येक पवित्र अवसर इस प्रकार धर्माचार्यों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। ये समारोह सामाजिक सम्पर्क के परिसीमन एवं दिशा निर्देशन के नियमित तथा निर्धारित पथ बना देते हैं। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा निर्धारित करते हैं एवं उसे प्रभावित करते हैं।

13.3.2 धार्मिक संगठन

विभिन्न धर्मों के कुछ अपने विशिष्ट संगठन होते हैं। धर्मों की शाखाएं - प्रशाखाएं भी होती हैं उनके भी संगठन होते हैं। ये सभी धार्मिक संगठन अपने धार्मिक रीति-रिवाजों को अपने विशेष ढंग से संचालित करते हैं। इनमें से कुछ संगठन राष्ट्रीय होते हैं जबकि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने संगठन के धार्मिक स्वरूप को विभिन्न देशों में मूल रूप से संचारित किया जाता है। उदाहरण के लिए इसाई धर्म के संगठन का एक निश्चित स्वरूप है जो अपने पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप इसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू धर्म का भी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है 'इस्कॉन'। इस संगठन के सदस्य विश्व में कहीं भी हों नियमित रूप से 'हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा-कृष्णा हरे हरे' 'हरे रामा हरे रामा, रामा-रामा हरे-

रे' का कीर्तन नाचते-गाते हुए सड़कों पर करते हैं। जहाँ पर यह कीर्तन होता है वहां का जन समूह ी इनके साथ जुड़ जाता है चाहे वह किसी भी संस्कृति का हो। ये सब कुछ ऐसे उदाहरण है जो ार्मिक संगठनों का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। धार्मिक संगठन न्तर सांस्कृतिक संचार को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के कुछ ंगठन 'जेहाद' के नाम पर आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जबकि जेहद अपने आप में एक पवित्र वधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। कुछ तथाकथित धर्माचार्यों ने ेहाद शब्द का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ऐसे धार्मिक संगठन अन्तर सांस्कृतिक ंचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

3.3.3 धार्मिक कट्टरता एवं सहिष्णुता

विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सभी के लक्ष्य एक ही हैं और वह है अपने ार्मिक नियमों के अनुरूप नैतिक जीवन यापन करते हुए ईश्वर का सन्निध्य प्राप्त करना। इस एक क्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धर्मों के पंथ निर्धारित हैं। इस निर्धारित पंथ का अतिक्रमण ब होता है तो धर्मों में संघर्ष अथवा विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इस विरोध का समाधान जब ापसी सूझ-बूझ, तालमेल और सद्‌भाव के साथ होता है तो उसे धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है। हीं जब इस विरोध का समाधान उन्मादी तरीके से संघर्ष के द्वारा जय-पराजय के साथ किया जाता तो उस स्थिति को धार्मिक कट्टरता कहा जाता है।

जिस सत्ता या शक्ति की ओर धार्मिक प्रवृत्ति उन्मुख होती है उनको इन्द्रियों द्वारा सामान्य रीकों से अथवा वैधानिक अन्वेषण की प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। संस्कृतियों के ापसी सम्पर्क में जब उदारता आती है तो धार्मिक सत्ता को अतिक्रमण की आशंका होने लगती हैं सी क्रम में कट्टर धार्मिक मानसिकता वाले लोग सांस्कृतिक प्रवाह और अन्तर सांस्कृतिक संचार ी निरन्तरता को बाधित करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज इस कट्टर धार्मिक मानसिकता को ग्रवाद की संज्ञा देता है।

वर्तमान परिवेश में विश्व स्तर पर दो धर्म अपनी कट्टरता के कारण अन्तर सांस्कृतिक ंचार को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इस्लाम धर्म अपने को सर्वव्यापी बनाने के लिए हर उचित नुचित मार्ग का सहारा लेता है वहीं ईसाई धर्म भी इससे पीछे नहीं है। एक धन बल का सहारा ेकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो दूसरा शस्त्र बल से इसे पाना चाहता है। धर्म की ंकीर्ण व्याख्या करते हुए ये दोनों ही धार्मिक संस्कृति के निर्विरोध प्रचार-प्रसार में अवरोधक का ार्य करते हैं और अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं। हिन्दू और बौद्ध धर्म धार्मिक ाहिष्णुता का सहारा लेकर अन्तर सांस्कृतिक संचार को गतिशील बनाते हैं और परोक्ष रूप में इस क्रिया को प्रभावित करते हैं।

3.4 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर राजनीतिक प्रभाव

संस्कृति और राजनीति के अन्तर्सम्बन्धों पर लम्बे समय से विचार मंथन चल रहा है। चारकों का एक सशक्त और मुखर वर्ग संस्कृति की स्वतन्त्रता का समर्थक है। उसे संस्कृति के

क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। विचारकों का एक दूसरा वर्ग है जो संस्कृति के सम्बन्ध में विचार करते समय उन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को और शक्तियों को भी ध्यान में रखता है जिनके द्वारा अन्ततः संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता है। इस प्रकार राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते ही रहते हैं। यह विचारधारा संस्कृति के क्षेत्र में सार्थक राजनीतिक हस्तक्षेप को ऐतिहासिक अनिवार्यता मानता है। विचारकों का एक अन्य वर्ग ऐसा भी है जो न तो संस्कृति की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं और न ही राजनीति के निरंकुश हस्तक्षेप के अधिकार को। संस्कृति स्वयं पूर्ण और स्वतन्त्र इकाई नहीं होती। मानवीय आवश्यकताओं के दबाव इसके स्वरूप को परिवर्तित करते रहते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन संस्कृति के स्वरूप को नए मोड़ देते हैं। उसके लक्ष्यों और साधनों को पुनः परिभाषित करते हैं। संस्कृति की अन्तः प्रक्रियाएं इन परिवर्तनों के मूल में रहती हैं। राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संस्कृति की दिशा निर्धारित करते हैं। राजनीति का संस्कृति में निरंकुश हस्तक्षेप दीर्घावधि में घातक हो सकता है। इस सन्दर्भ में आदर्श स्थिति तो वह होगी कि सत्ता और वृत्ति मूलक समूहों में निरन्तर संवाद हो और राजनीति स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र का परिसीमन करे। अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव को हम निम्नलिखित तीन रूपों में देख सकते हैं।

13.4.1 राजनीतिक संस्थाएं (सरकार)

संस्कृति के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में निरन्तर होता रहता है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नियन्त्रण में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार के अनेक निर्णय और उससे जुड़ी नीतियां उस धरातल का स्पर्श नहीं करते जो संस्कृति की परिसीमित व्याख्या के क्षेत्र में आती हैं किन्तु ये भी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा एक स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी क्षेत्र माना जाता है परन्तु संस्कृति से उसका गहरा सम्बन्ध होता है। शिक्षा नए जीवन मूल्य देती है, नयी क्षमताएं देती हैं और परम्परा के कई पक्षों के पुनर्परीक्षण की प्रेरणा बनती है। शिक्षा का स्वरूप अतीत, वर्तमान और भविष्य के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है। आज के समाज में शिक्षा को सरकार का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माना जाता है।

जन संचार के साधन सत्ता से अपने समीकरण स्थापित करते हैं। उनमें और सरकार में टकराव की स्थितियाँ आती हैं परन्तु उनमें निरन्तर युद्ध नहीं होता। रेडियो और टी०वी० जैसे माध्यमों का कई देशों में सरकार से सीधा सरोकार होता है। तीसरी दुनिया और समाजवादी देशों में तो इनका संचालन ही सरकार द्वारा होता है। यदि ऐसा न भी हो तो उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार का कुछ न कुछ नियन्त्रण होता ही है। जो माध्यम सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में हैं उनकी स्थिति और भी स्पष्ट है। सरकार उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है और माध्यम अन्तर सांस्कृतिक संचार में हस्तक्षेप करते हैं।

जनसंचार के तीन मुख्य कार्य हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। ये तीनों संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कालान्तर में ये माध्यम संस्कृति के प्रभावी अंग बन जाते हैं और परम्परा तथा समाज के बीच मध्यस्थता करते हैं। अनेक परिस्थितियों में सांस्कृतिक सम्पदा की रक्षा का दायित्व सरकार को स्वीकार करना होता है। इन सम्पत्तियों का सर्वेक्षण और संरक्षण व्यय और काष्ट साध्य

होता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण और प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव निजी उपक्रमों द्वारा सम्भव नहीं होता। दुर्लभ और विनष्ट होते कला रूपों के संरक्षण में भी सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संस्कृति की अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियाँ सरकारों के संरक्षण के कारण ही सम्भव हुई है। उदाहरण के रूप में योरोप के चर्च और भारत के मन्दिरों को देखा जा सकता है। दोनों को ही राज्य (सरकार) का समर्थन प्राप्त था। इस्लामी संस्कृति के उत्कृष्ट सर्जन में भी धर्म और सत्ता का सहयोग था। जैन और बौद्ध स्थापत्य कला और चित्रकला की पृष्ठभूमि में भी यही शक्ति थी। वर्तमान बदले हुए परिवेश में सरकारों की भूमिका गौण नहीं हुई है। इस प्रकार सरकारें जाने-अनजाने अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

13.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थापन

अन्तर सांस्कृतिक संचार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। विभिन्न देशों में अपने सांस्कृतिक मंत्रालय होते हैं। ये एक दूसरे से सांस्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हज यात्रा के लिए प्रोत्साहन और कैलाश मानसरोवर यात्रा की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। विभिन्न देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सन्धि के द्वारा गीत-संगीत, लोक संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम दूसरे देशों में आयोजित करते हैं। देशों के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी इस दिशा में क्रियाशील रहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षेस, कॉमनवेल्थ, जी-77, योरोपीय-संघ, आसियान, जी-8, आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कांग्रेस, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज, यूनेस्को आदि ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक होते हुए भी अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में सतत् क्रियाशील रहते हैं।

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर विभिन्न राष्ट्र आपस में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सांस्कृतिक एवं संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन आदि ऐसे कार्य हैं जो अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थापन के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

13.4.3 राजनीतिक दल

विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार का गठन आम-चुनाव के द्वारा होता है। इस चुनाव में अनेक राजनीतिक दल भाग लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा पहचान होती है। अपनी इन्हीं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बल पर वे चुनाव में भाग लेते हैं, विजयी होने पर सरकार का गठन करते हैं और तब अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति और दिशा निर्धारित करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करते हैं अथवा विरोध करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल अन्तर सांस्कृतिक संचार को सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित करते हैं।

13.5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आर्थिक प्रभाव -

अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने में आर्थिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक रूप से सम्पन्न संस्कृतियां, अपने आर्थिक संसाधनों का सहारा लेकर, अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार करती हैं। अपेक्षाकृत विपन्न संस्कृति का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो जाता है। विभिन्न देशों में सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यक्रम भी एक प्रकार से संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप होते हैं। विकास की योजनाएं समाज के आर्थिक आधार को बदलती हैं और नागरिकों की संस्कृति के उपयोग की क्षमता और उसकी प्रक्रियाओं में सहभागिता की संभावनाओं को विस्तार देती हैं। जब गरीबी की संस्कृति बदलती है तो पूरी संस्कृति का ढांचा बदल जाता है। युवा पीढ़ी के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री की सागाजिक स्थिति और सामाजिक स्तरीकरण में राज्य की आर्थिक नीतियों द्वारा लाए गए परिवर्तनों के सांस्कृतिक परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं।

विभिन्न संस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण भी अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करता है। इस प्रकार की सम्पदा का संरक्षण काफी व्यय साध्य होता है। कभी-कभी तो समस्या इतनी गम्भीर और खर्चीली होती है कि ऐसे प्रयत्नों में अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार से इतना तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक संरक्षण, सम्वर्धन और विकास में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थ की व्यवस्था करने वाली संस्था या व्यक्ति अथवा राज्य सांस्कृतिक संचार को निश्चित रूप से अपने हित साधन में लगा सकते हैं और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रमाणित कर सकते हैं।

वर्तमान परिवेश में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं-1- औद्योगीकरण, 2-प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास, 3-वैश्वीकरण।

13.5.1 औद्योगीकरण

तीव्र औद्योगिक विकास आज राज्यों की अनिवार्य आवश्यकता है। औद्योगिक विकास ने पारम्परिक सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन कर दिया है। पारम्परिक ग्रामीण संस्कृति का लोप और आधुनिक नगरीय संस्कृति का विकास तीव्र गति से हो रहा है। रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का नगरों की ओर पलायन हो रहा है। अनेक प्राचीन पारम्परिक संस्कृति की मान्यताओं को भूल कर लोग संस्कृति के नए स्वरूप को अपनाते जा रहे हैं। उद्योगों का जॉल पूरे देश में फैलने से पारम्परिक कृषि संस्कृति प्रभावित हुई। औद्योगिक विकास ने मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया। जीवन की नई शैली विकसित हुई। आर्थिक समृद्धि ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक सोच में परिवर्तन किया। नए सांस्कृतिक परिवेश और मूल्यों का उदय हुआ। रोजगार से आयी समृद्धि ने मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया। इस विकास ने मानव वैचारिकी को एकदम से बदल दिया। जब वैचारिकी में परिवर्तन होगा तो संचार की दिशा भी परिवर्तित होगी और उसी के अनुसार अन्तर सांस्कृतिक संचार भी प्रभावित होगा। अतः औद्योगीकरण ने निश्चित रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित किया है।

3.5.2 प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का विकास

आधुनिक युग संचार क्रान्ति का युग है। उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी और परिष्कृत संचार कनीक ने विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। पलक झपकते ही किसी सूचना का संचार म्पूर्ण विश्व में हो जाता है। सूचनाओं के प्रवाह में अब समय और दूरी की कोई बाधा नहीं रह यी है।

विभिन्न संस्कृतियाँ अन्तर सांस्कृतिक संचार को निरन्तर प्रवाह के लिए पत्र-पत्रिकाएं, डियो, एफ0एम0 रेडियो, टी0 वी0 और टी0 वी0 चैनल, इण्टरनेट आदि माध्यमों का उपयोग करती हैं। इन जन माध्यमों का उपयोग काफी व्यय साध्य होता है। इसके सफल संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन की व्यवस्था कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा, समूह द्वारा या संस्था व्यक्ति विशेष द्वारा, समूह द्वारा या संस्था द्वारा की जाती है। धन की व्यवस्था करने के कारण उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का प्रभुत्व इन माध्यमों पर हो जाता है और वे अपनी इच्छानुसार इन माध्यमों का संचालन करते हैं। अपनी मर्जी से अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा तय करते हैं। यह आर्थिक समूह, संचालक, प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक संचार और परोक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करता है। संस्कृतियां चाहते हुए भी इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती तथा उन प्रभाव समूहों के अनुरूप ही अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तथा दिशा निर्धारित करती हैं।

13.5.3 वैश्वीकरण

वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था ने सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप दे दिया है। इस व्यवस्था में संस्कृतियाँ भी एक उत्पाद के रूप में आ गयी हैं। संचार माध्यम संस्कृति के उत्पादक बन गए हैं। मनुष्य केवल उपभोक्ता बन कर रह गया है। अर्थ केन्द्रित वैश्वीकरण ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है जिसे उपभोक्तावादी संस्कृति कहा जाता है। मनुष्य अब उपभोग की वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करने लगा है। ऐसी स्थिति में सम्पन्न राष्ट्र अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने लगे हैं और मीडिया ने संस्कृतियों को मिश्रित करके एक नई संस्कृति का आविष्कार कर लिया जिसे फ्यूजन संस्कृति कहा जाने लगा। कमजोर आर्थिक क्षमता वाले राष्ट्रों का अपनी संस्कृति के लोप होने का डर सताने लगा और ये अपनी संस्कृति के प्रति और भी कठोर रवैया अपनाने लगे। इस प्रकार एक बार पुनः संस्कृतियों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह सब केवल आर्थिक वैश्वीकरण के कारण ही है। इस प्रकार वर्तमान अर्थ केन्द्रित वैश्वीकरण ने अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हुए इसकी गति और दिशा में व्यापक परिवर्तन किए हैं।

13.6 सारांश -

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संस्कृति का सम्बन्ध भी मनुष्य से है। आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी मनुष्य द्वारा ही संचालित होती हैं। अतः अन्तर सांस्कृतिक संचार पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस इकाई में आपने जाना कि कैसे अन्तर सांस्कृतिक संचार धर्म, राजनीतिक और अर्थ से प्रभावित होते हैं। अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले कारकों में से धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारकों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आपने किया।

13.7 शब्दावली -

प्रादुर्भाव	-	उत्पन्न होना
अन्तर्निहित	-	शामिल होना, मिला होना,अन्दर के छुपे तथ्य
सृजनात्मक	-	सृजन (रचना) करने से सम्बंधित
सीमान्त	-	सीमा का अन्त
अतिक्रमण	-	हस्तक्षेप

13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ -

1- संस्कृति के चार अध्याय - रामधारी सिंह दिनकर

2- सर्व दर्शन संग्रह - प्रो0 उमाशंकर शर्मा

3- भारत की संस्कृति और कला - राधाकमल मुखर्जी

4- अन्तर्सांस्कृतिक संचार - डॉ0 मुक्ति नाथ झा

5- जनसंचार - राधेश्याम शर्मा

6- सम्पूर्ण पत्रकारिता - डॉ0 अर्जुन तिवारी

3.9 प्रश्नावली -

13.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न -

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करें?

2- राजनीतिक दल अन्तर सांस्कृतिक संचार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

3- वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

13.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले धार्मिक कारकों की समीक्षा कीजिए।

2- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारकों का मूल्यांकन करें।

3- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन-कौन से हैं? स्पष्ट करें।

13.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- किस धर्म के धर्म गुरू को पोप कहा जाता है?
क-यहूदी, ख-इस्लाम, ग-पारसी, घ-इसाई

2- बौद्ध धर्म गुरू को किस नाम से जानते हैं।
क- शंकराचार्य, ख-दलाईलामा, ग- मौलवी, घ-इनमें से कोई नहीं

3- अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'इस्कॉन' का सम्बन्ध किस धर्म से है।
क-हिन्दू, ख-इसाई, ग-इस्लाम, घ-जैन

13.9.1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- घ 2- ख 3- क

काई 14- विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति

काई की रूप-रेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार

4.3 आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

4.4 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

4.5 अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का दुष्प्रभाव

14.5.1 अन्तर सांस्कृतिक विवाद

14.5.2 पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट

14.5.3 पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव

14.5.4 आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार

14.6 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाएं

14.6.1 संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग

14.6.2 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन

14.6.3 क्षेत्रीय सांस्कृतिक संगठन

14.6.4 सांस्कृतिक सहयोग परिषदें

14.7 सारांश

14.8 शब्दावली

14.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

14.10 प्रश्नावली

14.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

14.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

14.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

14.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य-

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से समझाना है। इस इकाई के अध्ययन से आप-

- आर्थिक साम्राज्यवाद का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कर सकेंगे।
- अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से किस प्रकार सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना की जा सकती है, जान सकेंगे।
- अन्तर सांस्कृतिक संचार में संचार रिक्तता (संवाद हीनता) के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जान जाएंगे।
- वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं के बारे में जान सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

वर्तमान विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे संस्कृति का संक्रमण काल कहा जा सकता है। तमाम पुराने पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों का लोप हो रहा है। नवीन संस्कृतियाँ और उनके मूल्य विस्तार पा रही हैं। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आर्थिक शक्ति मानव जीवन की नियामक शक्ति बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र में अर्थ का प्रभुत्व बढ़ गया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को संवेदनहीन बना दिया है। तमाम तरह के सांस्कृतिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न किए जा रहे हैं। ऐसे में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्ता स्वयं बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम पाठ्यक्रम की इस इकाई में करेंगे।

14.2 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार

वर्तमान विश्व संचार और सूचना क्रान्ति से सर्वाधिक प्रभावित है। मनुष्य के सामाजिक जीवन में संचार एक आवश्यक प्रक्रिया है। मनुष्यों को गुमराह करने एवं पथ प्रदर्शित करने, सम्मोहन एवं अनुसरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेस, रेडियो, टी0वी0, सिनेमा, कम्प्यूटर आदि संसार के तकनीकी परिवर्तनों ने संचार क्षमता में विशेष वृद्धि कर सामूहिक व्यवहार के क्षेत्र में नवीन समस्याएं तथा नवीन सम्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। संचार साधनों ने आडिएन्स के आकार का विस्तार किया है। आज एक व्यक्ति परिष्कृत संचार साधनों का प्रयोग करके अपनी बात लाखों-करोड़ों तक पहुँचा सकता है।

आधुनिक मानव की विपुल बुद्धि तथा संचार के उन्नत साधनों द्वारा उन तक सुगमता से पहुँचना समाज विज्ञान वेत्ताओं के लिए एक रोचक विषय बन गया है। मानवी सम्पर्क के अवरोधों को ध्वस्त कर संचार माध्यम ज्ञान तथा सांस्कृतिक उत्तेजना और चेतना की सीमा के भीतर अधिकतम संख्या में लोगों को उपस्थित करने लगे हैं। अब तक संचार माध्यम सामाजिक शिक्षा के पथ प्रशस्त करती रही है। वर्तमान विश्व में यह प्रचारवादी के रूप में स्थापित हो रही है और

शिष्ट विचार के विक्रेता के रूप में अपने संचालकों का एक हथियार बन गई हैं। जन माध्यमों अपनी प्रकृति तथा अत्यधिक सीमित जन सहभागिता के कारण इस प्रकार के खतरे बढ़ते ही रहे हैं।

वर्तमान विश्व में जन माध्यमों ने एक नए प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक समूह न्न किया है। यह सामाजिक सांस्कृतिक समूह आधुनिक समुदाय के सभी सदस्यों से निर्मित जिन तक आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। वर्तमान विश्व में माध्यमों का महत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। प्रचारवादी प्रणालियों की बढ़ती हुई महत्ता स्थिति यह है कि अब प्रशासनिक अभिकरणों, व्यापारिक संगठनों, स्वतन्त्र अनुसन्धान थाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में इस क्षेत्र में काम करने के लिए समाज वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, नीतिज्ञ तथा संचार विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। इन विशेषज्ञों ने आडिएन्स निर्माण के श्लेषण, श्रोतागण अनुक्रियाओं का अध्ययन तथा विविध प्रकार के संचार के विश्लेषण का र्य आरम्भ कर दिया है।

वर्तमान विश्व ने जिस मानव समाज की संरचना की है वह बहु समूही तथा अनेक नकों वाला समाज है। इसमें वर्ण, जाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन विद्यमान है। में प्रायः सांस्कृतिक संघर्ष चलते रहते हैं। इन संघर्षों के समाधान में आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा किया जाने वाला अन्तर सांस्कृतिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सबसे यह कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में जन माध्यम एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में क्रियाशील जिनके माध्यम से अन्तर-सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सफलतापूर्वक गतिशील रहती है।

वर्तमान विश्व की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिना अन्तर सांस्कृतिक चार के इनमें सामन्जस्य बना पाना कठिन होता है। एक ओर आर्थिक रूप से सम्पन्न योरोपीय ट्र हैं जो अपने उत्पादों को विश्व व्यापी बनाने के क्रम में लगे हैं। दूसरी ओर विकाशील राष्ट्रों ऐसा समूह है जो विकसित राष्ट्रों से आर्थिक, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। ी क्रम में कुछ अविकसित राष्ट्र भी हैं जो अपनी विपन्न आर्थिक स्थिति के कारण अन्य राष्ट्रों समझौता करने को बाध्य होते हैं परन्तु अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति ज्यादा कठोर और गरूक भी रहते हैं। इस प्रकार इन समूहों में कभी भी विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने पाए के लिए इन राष्ट्रीय समूहों में अन्तर सांस्कृतिक संचार आवश्यक हो जाता है। समय, दूरी, गोलिक सीमा ये सब अब संचार साधनों के लिए बेमानी हो गये हैं। संचार माध्यमों की सर्व ापकता ने आज के वैश्विक परिवेश को एकदम बदल दिया है। इस बदलते परिवेश में नव-मानव के बीच सहयोग की भावना का विकास हुआ है। इस भावनात्मक विकास को रस्थायी बनाए रखने के लिए अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्ता यं सिद्ध है।

4.3 आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

आर्थिक साम्राज्यवाद आधुनिक विश्व की एक प्रमुख घटना है। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध अनेक नए-नए राष्ट्रों का उदय हुआ। आर्थिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध देशों को इन ष्ट्रों के रूप में एक नया बाजार प्राप्त हो गया और वे अपने व्यापार वृद्धि के मार्ग तलाशने गे। 1990 के दशक में इन सम्पन्न राष्ट्रों के सौजन्य से पूरे विश्व में व्यापार की एक समान

प्रक्रिया अपनायी गई जिसे मुक्त बाजार व्यवस्था का नाम दिया गया। इस मुक्त बाजार व्यवस्था में सम्पन्न राष्ट्रों के उत्पाद गुणवत्ता में श्रेष्ठ होने के कारण और अपेक्षाकृत कम कीमत के कारण विश्व में लोकप्रिय होते गए और एक प्रकार से विश्व बाजार पर सम्पन्न राष्ट्रों का नियन्त्रण हो गया। आर्थिक उदारीकरण एवं मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा क्योंकि अब ये सहजता से उपलब्ध होने लगीं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर बड़े-बड़े उत्पादों तक सब पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा हो गया और उनका व्यापार दिन दूना-रात चौगुना की गति से बढ़ने लगा। विकाशील राष्ट्रों ने यद्यपि इनसे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया फिर भी अभी तक वे इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके हैं। इसका मुख्य कारण है कि इन राष्ट्रों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। आर्थिक सहायता देने वाली वैश्विक संस्थाओं पर सम्पन्न राष्ट्रों का परोक्ष नियन्त्रण होता है और उनकी शर्तों पर ही किसी राष्ट्र को आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं राष्ट्रों के अंशदान से ही संचालित होती हैं। सम्पन्न राष्ट्रों का अंशदान इन संस्थाओं में ज्यादा होता है इसलिए इसके संचालन में भी उनका नियन्त्रण रहता है। ऐसी स्थिति में लगभग विश्व भर की वित्तीय व्यवस्था के संचालन पर इनका प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक संसाधन में कमजोर रहने वाले कुछ राष्ट्र मानव श्रम एवं बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए आवश्यक मानव श्रम और बौद्धिक सम्पदा उच्चतम पारिश्रमिक देकर सम्पन्न राष्ट्र इसे क्रय कर लेते हैं और इस क्षेत्र में भी इनकी भूमिका को महत्वहीन बना देते हैं। इस प्रकार से सम्पन्न आधुनिक विश्व में एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं जिसमें संघर्ष और विरोध का कोई स्थान नहीं होता। सब कुछ अर्थ केन्द्रित होता है। धन की आवश्यकता सभी को होती है और धन के आवश्यकता की पूर्ति उन राष्ट्रों के शर्तों के अनुरूप होती है जो धन उपलब्ध करातें हैं। इस प्रकार एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाने लगा।

इस आर्थिक साम्राज्यवाद के स्थायित्व के लिए साम्राज्यवादी शक्तियां अन्तर सांस्कृतिक संचार का सहारा लेती हैं। अपनी आर्थिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करके जनमानस का ध्यान आकर्षित करती हैं। उन्हें प्रभावित करती हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करती है और इस प्रकार अपने आर्थिक साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और प्रसार में अन्तर सांस्कृतिक संचार को एक साधन के रूप में प्रयोग करती हैं।

14.4 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार

आधुनिक विश्व में आर्थिक साम्राज्यवाद की ही तरह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का भी खतरा मंडराने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति के नायक पश्चिमी राष्ट्र संयुक्त रूप से पूरी दुनिया पर अपनी सांस्कृतिक सत्ता कायम करने के क्रम में हर गलत-सही तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान युद्ध और खाड़ी युद्ध (द्वितीय) में यह स्थिति देखने को मिली। इन दोनों स्थानों पर विश्व भर के मीडिया कर्मी जुटे थे। परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों के सैन्य कर्मी उन्हीं समाचारों को प्रसारित करने देते थे जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुकूल होता था। इस प्रकार एक तरह से उन्होंने विश्व भर की मीडिया को नियन्त्रित कर रखा था। यह नियन्त्रण

होंने अपनी संस्कृति के दमनकारी स्वरूप को छिपाने के लिए लगा रखा था। पूरी दुनिया युद्ध उन्हीं दृश्यों से परिचित होती थी जिनसे उनकी सांस्कृतिक कुरूपता के स्थान पर यह परिलक्षित कि वे मानव समाज के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अपनी उन्नत तकनीकी और परिष्कृत संचार माध्यमों के बल पर पश्चिमी संस्कृति के वाहक राष्ट्र पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने लगे। यह सब अचानक इतनी ज़ी से हुआ कि शेष संस्कृतियाँ इनका प्रतिकार नहीं कर सकीं और इस प्रकार इनका सांस्कृतिक म्राज्य स्थापित होता चला गया। एकाकी परिवार, उन्मुक्त शारीरिक सम्बन्ध, समलैंगिक विवाह दि सांस्कृतिक कुरीतियाँ इतनी व्यापक हो गयीं कि शेष संस्कृतियों के लोग भी इसके प्रभाव में ा गए। संस्कृति के पारम्परिक मूल्य नष्ट होने लगे। नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होने गी। समाज के एक प्रभावशाली वर्ग ने इसे नव संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया। यह ब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का परिचायक है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा संस्कृति का प्रचार-प्रसार तीव्रगति से हो रहा है। अब न्दू बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुस्लिम बच्चे मदरसों में गीता और हनुमान लीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसा अचानक नहीं हुआ बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत श्चात्य संस्कृति के बढ़ते साम्राज्य को रोकने का एक सत्प्रयास है। इसी सांस्कृतिक घटना से रित होकर ब्रिटेन में यह निर्णय लिया गया है कि सेकेण्डरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ासकर मुसलमान बच्चों को ब्रिटिश संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। यह भिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से मिलाने, परिचित कराने एवं एक दूसरे को जानने का एक च्छा प्रयास है। अन्तर सांस्कृतिक संचार की यह एक बड़ी विशेषता है कि वह किसी भी स्कृति को साम्राज्य विस्तार करने से रोकती है।

4.5 अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का दुष्प्रभाव

संवादहीनता किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक होती है। अन्तर सांस्कृतिक संचार तो संवादहीनता के और भी घातक परिणाम होते हैं। संक्षेप में अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता ह दुष्प्रभावों को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं :-

4.5.1 अन्तर सांस्कृतिक विवाद

सामाजिक जीवन में संचार एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। समाज की संस्कृति को पुष्ट करने मे न्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में ाती हैं तभी अन्तर सांस्कृतिक विवाद उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण ही संस्कृतिकरण ा पर-संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आरम्भ होती है और संस्कृतियाँ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी रती हैं। पर संस्कृतिकरण में एक सांस्कृतिक समूह दूसरी संस्कृति के बहुत से तत्वों को ग्रहण रता है। उदाहरण के लिए हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में सम्पर्क के कारणं पर-संस्कृतिकरण ी प्रक्रिया हुई जिससे दोनों ही संस्कृतियों नें परस्पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और ग्रहण िया। व्यक्तियों का निकट और निरन्तर सम्पर्क सास्कृतिक सम्पर्क को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार देश जाकर रहने तथा विजेता द्वारा पराजित लोगों पर अपनी संस्कृति थोपने पर भी सांस्कृतिक म्पर्क बढ़ता है। यही सांस्कृतिक सम्पर्क कालान्तर में अन्तर सांस्कृतिक विवाद को जन्म देता है।

अन्तर सांस्कृतिक विवाद में व्यक्ति प्रभावित होता है। उसे नवीन संस्कृति से अनुकूलन करना पड़ता है। इस दौरान उसे तमाम तरह की मानसिक प्रताड़ना मिलती रहती है। व्यक्ति पहले से ही किसी संस्कृति विशेष के अनुरूप ढल चुके होते हैं। अपने मूल्य तथा जीवन विधियां तय कर चुके होते हैं। नवीन संस्कृति का अनुसरण उनके लिए मानसिक तनाव का कारण होता है। यहीं से सांस्कृतिक विवाद का आरम्भ होता है। एक संस्कृति की अपेक्षा दूसरी संस्कृति को श्रेष्ठ बताना अन्तर सांस्कृतिक विवाद का कारण बनता है। कभी-कभी राष्ट्रीय हित और राजनीति भी अन्तर सांस्कृतिक विवाद को जन्म देते हैं।

संचार के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है शिक्षा। संचार माध्यमों के द्वारा संस्कृति के गुणों के बारे में प्रचारित करके, उसके आदर्शों का प्रचार करके जन मानस में पर-संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की जा सकती हैं। संचार माध्यमों के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक विवाद की जड़ पर प्रहार करके उसे समाप्त किया जा सकता है। सूचना देना संचार का लक्ष्य होता है। अतः अन्तर सांस्कृतिक विवाद के दुष्परिणामों के बारे में जनमानस को सूचित करके विवाद को दूर किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर सांस्कृतिक विवाद को हल करने, ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने और अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने में अन्तर सांस्कृतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

14.5.2 पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट

प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ निश्चित मूल्य एवं आदर्श होते हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनका हस्तान्तरण होता रहता है। आने वाली पीढ़ी उन मूल्यों एवं आदर्शों का उसी प्रकार सम्मान करती हैं जिस प्रकार उनके पूर्वज किया करते थे। अन्तर-सांस्कृतिक संचार मे मनुष्य को दूसरी संस्कृतियों के मूल्यों और आदर्शों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर में जब मनुष्य को दूसरी संस्कृति में कम परिश्रम से ज्यादा भौतिक सुख मिलने की सम्भावना नजर आती है तो वह अपनी संस्कृति के पारम्परिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति अनासक्त हो जाता है और उन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है जो अपेक्षाकृत नवीन होते हैं। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता की स्थिति में पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है।

14.5.3 पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव

वर्तमान विश्व में आधुनिक पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। संगीत, कला, शिल्प आदि विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्लैमर के बढ़ते प्रभाव ने युवा पीढ़ी को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आज की युवा पीढ़ी 'शार्टकट' तरीके से धन, यश और प्रसिद्धि की आकांक्षी है। बिना परिश्रम के सब कुछ पाने की ललक युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से आकर्षित कर रही हैं। संचार उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता ने युवाओं को पश्चिम की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। संचार उपकरणों की आमद पश्चिम से ही ज्यादा हो रही है। इसी प्रकार परिष्कृत संचार उपकरणों के द्वारा पश्चिमी राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कर रहे हैं। उनकी समृद्धि की ओर शेष विश्व के युवा वर्ग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के इस व्यापक प्रभाव का एक प्रमुख कारण अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता भी है। अन्त

कृतिक संवादहीनता के कारण ही शेष संस्कृति प्रचार-प्रसार की दौड़ में पाश्चात्य संस्कृति से हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार तेजी से विश्व व्यापी स्तर पर हो रहा है।

.5.4 आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार

अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता का एक प्रमुख दुष्परिणाम है आतंकवाद का क्षेत्र विस्तार विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आतंकवाद से संघर्ष कर रहे हैं। भारत में खालिस्तान समर्थक कवाद, कश्मीर का आतंकवाद, आसाम एवं पूर्वोत्तर सीमाप्रान्त का आतंकवाद, मध्य प्रदेश, र और दक्षिण भारत में नक्सलवाद, श्रीलंका में लिट्टे, रूस में चेचेन विद्रोही, तथा शेष व में इस्लामी आतंकवाद। इस प्रकार विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आज आतंकवाद से त्रस्त हैं संघर्ष कर रहे हैं। आतंकवाद की कोई संस्कृति नहीं होती। विध्वंस और विनाश के समर्थक ये कवादी कभी भी मानवता के पक्षधर नहीं हो सकते अपनी आतंकवादी संस्कृति का बल पूर्वक तार करना इनका परम लक्ष्य है। हमारे ही बीच हमारी ही संस्कृति का सहारा लेकर ये कवादी अपनी हिंसा की संस्कृति का व्यापक प्रसार कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के संरक्षण में ने वाले इस आतंकवाद ने जब अपने संरक्षक पर ही प्रहार किया तो पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी कृति की रक्षा के आड़ में आतंकवाद को कथित रूप से समाप्त करने के लिए ईराक और ानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने अपने सैन्य बल से आतंकवाद समाप्त कर दिया। किन्तु उनकी इस कार्यवाही के विरोध स्वरूप जो आतंकवादी एक निश्चित में सिमटे हुए थे वे अब अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से छोटे-छोटे समूहों में विश्व में फैल गए। इस प्रकार आतंकवादी संस्कृति का क्षेत्र विस्तार हो गया और इस सबके में है केवल अन्तर सांस्कृतिक संवादहीनता। इस पर सार्थक और प्रभावी नियन्त्रण केवल तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा ही सम्भव है।

4.6 वर्तमान विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहन करने वाली संस्थाएं

द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए सम्पूर्ण विश्व ने मानवता के ल्याण के लिए विश्व शान्ति की आवश्यकता स्वीकार की। विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग ने तमाम वार मंथन के बाद यह स्वीकार किया कि यदि विश्व को युद्ध और विनाश से बचाना है तो और संस्कृति का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। विश्व में जितनी भी धार्मिक संस्कृतियाँ प्रचलित उनके सामान्य मानवीय पक्ष को प्रचारित करके ही विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रसार किया सकता है। इसके लिए लगभग सभी देशों ने अपने देश में सांस्कृतिक उन्नयन का कार्य रम्भ किया इस कार्य में विकसित देश अपने उन्नत संसाधनों के बल पर अग्रणी हो गए और पने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों को विश्व जनमत पर थोपने लगे इस निराशाजनक स्थिति निजात पाने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना महसूस की गई जो विश्व की तमाम स्कृतियों में समन्वय स्थापित करते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन का कार्य सफलता पूर्वक र सके। अन्तर सांस्कृतिक संचार को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित करने वाली कुछ विशिष्ट स्थाएं इस प्रकार से हैं-

14.6.1 संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग

द्वितीय विश्व के बाद पूरे विश्व में शान्ति और सद्भाव कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के सामने विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानता को दूर करने का एक महान् लक्ष्य था। इन सबके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी देख-रेख में अनेक संस्थाओं का गठन किया। उनमें सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास के लिए 'यूनेस्को' नामक संस्था का गठन किया गया।

मित्र राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों ने 1945 में लन्दन में सम्मेलन करके इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मूर्तरूप देने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया जो विश्व में शिक्षा और संस्कृति का विकास करते हुए अन्तर सांस्कृतिक संचार का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस संस्था का संविधान भी इसी सम्मेलन में बनाया गया। इस संस्था का नाम 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' रखा गया है। इस संस्था (यूनेस्को) का विधिवत गठन 4 नवम्बर 1946 को हुआ। 1945 में इस संस्था का संविधान बनाया गया था जिसमें इसके उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा की गई है। इस संस्था को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं।

"विश्व के नागरिकों के लिए जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना न्याय, विधि शासन और मानवीय अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति सार्वजनिक आदर की वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से सहयोग देना ही इस संस्था का लक्ष्य है।"

यूनेस्को एक व्यापक और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संस्था के तीन अंग है। महासम्मेलन, कार्यपालिका मण्डल और सचिवालय।

महासम्मेलन - इसमें संस्था के सदस्य राज्यों में से प्रत्येक का एक सदस्य होता है। इस महासम्मेलन का एक वर्ष में दो बार अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में संगठन की नीति-रीति तथा कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इसी के द्वारा कार्यपालिका मण्डल का निर्वाचन भी होता है।

कार्यपालिका मण्डल- संगठन के महासम्मेलन के अधिवेशन में कार्यपालिका मण्डल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस मण्डल में 20 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका मण्डल की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है। कार्यपालिका मण्डल का मुख्य कार्य महासम्मेलन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का पालन करना है।

सचिवालय - यह एक विशाल कार्यालय है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका अध्यक्ष प्रधान निदेशक होता है। निदेशक के निरीक्षण में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के लोग कार्यालय में काम करते हैं। सचिवालय के 6 मुख्य विभाग हैं।

1-शिक्षा विभाग-यह विश्व भर में और विशेषकर अविकसित और विकासशील राष्ट्र में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य सम्पादित करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा के स्तरोन्नयन में उन राष्ट्रों की सहायता करता है तथा स्वयं भी कार्यक्रम संचालित करता है।

2- प्राकृतिक विज्ञान विभाग-यह विभाग दुनिया भर में फैले प्राकृतिक विज्ञान भाग की विभिन्न शाखाओं भौतिकी, रसायन, जन्तु, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि के अध्ययन-ध्यापन की उच्च स्तरीय व्यवस्था संचालित करता है।

3-सामाजिक विज्ञान-प्राकृतिक विज्ञान की ही भांति सामाजिक विज्ञान के विभिन्न षयों की शिक्षा व्यवस्था संचालित करना तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना इस विभाग का ख्य कार्य है।

4-सांस्कृतिक कार्य-विभिन्न देशों की संस्कृतियों के नष्ट हो रहे धरोहरों का संरक्षण था सांस्कृतिक आदान-प्रदान इस विभाग का मुख्य कार्य है।

5-संचार-विकासशील और विकसित राष्ट्रों के मध्य जन माध्यमों की कार्यशैली में न्तुलन बनाना, जनसंचार कर्मियों को प्रशिक्षित करना इस विभाग का मुख्य कार्य है। गुट निरपेक्ष ष्ट्रों का न्यूज पूल तथा नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यस्था की स्थापना इस विभाग द्वारा किए ए कार्यों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

6- तकनीकी सहायता- विभिन्न दैवी एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचने एवं विकास रक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यह विभाग जरूरत मन्द राष्ट्रों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार यूनेस्को अपने इन विभागों अनुभागों की सहायता से सम्पूर्ण विश्व में विकास ी योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करता है तथा सम्पूर्ण विश्व को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने हे लिए अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। यूनेस्को के मुख्य कार्यक्रम 8 विभिन्न शीर्षकों से चालित होते हैं। वे निम्नलिखित हैं-

1.शिक्षा, 2-प्राकृतिक विज्ञान, 3-सामाजिक विज्ञान, 4-सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5-व्यक्तियों ा आदान-प्रदान, 6-जनसंचार, 7-पुनर्वास, 8-तकनीकी सहायता।

सांस्कृतिक क्षेत्र में यूनेस्को विभिन्न कलाओं, नाटक, नृत्य, संगीत, चित्रकला, वास्तु ला, स्थापत्य कला, साहित्य, दर्शन आदि विषयों से सम्बन्धित वस्तुओं, व्यक्तियों समूहों, भिलेखों एवं पाण्डुलिपियों के संरक्षण-संवर्धन का कार्य सम्पादित करती है। अन्तर्सांस्कृतिक चार की दिशा में यह संस्था विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव ायोजित करती है जिससे विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलता है ौर अन्तर सांस्कृतिक संचार का मार्ग प्रशस्त होता है।

4.6.2 सांस्कृतिक संगठन

यूनेस्को के अतिरिक्त अन्तर्सांस्कृतिक संचार की दिशा में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ़्रियाशील हैं। जैसे योरोपियन आर्थिक क्षेत्र, यूरेटन, योरोपीय संसद, फ्रेन्च-समुदाय, जी-8, जी-7, कामनवेल्थ यूनियन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ांग्रेस, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज आदि। अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में इन संस्थाओं का

प्रत्यक्ष योगदान होता है। इनके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो परोक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करती हैं।

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र आपस में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करते हैं। वर्तमान संचार क्रान्ति के युग में सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व व्यापी संजाल ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है। इन्टरनेट और उपग्रह चैनलों के माध्यम से अब सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया और भी सरल एवं गतिशील हो गई है। विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण होती जा रही है और अन्तर सांस्कृतिक संचार की दिशा में इसकी सम्भावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। यह स्थिति न केवल अन्तर सांस्कृतिक संचार बल्कि विश्व शान्ति और मानवता के कल्याण के लिए एक शुभ संकेत है।

14.6.3 क्षेत्रीय सांस्कृतिक संगठन

यूनेस्को एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त अन्तर सांस्कृतिक संचार के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय संगठन भी क्रियाशील रहते हैं। उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

आसियान-(ASEAN)- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करना है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोह के लिए प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

सार्क-(SAARC)- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) सार्क का गठन सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में 1985 में किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीप आदि सात देश हैं। इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1- दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना।

2- आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तथा सांस्कृतिक सहयोग की गति को तेज करना।

3- सामूहिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना तथा उसे मजबूत करना।

4- पारस्परिक विश्वास, समझदारी तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझने एवं समाधान की प्रक्रिया में योगदान करना।

5- आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना।

6- अन्य विकासशील देशों के साथ-सहयोग पर बल देना।

- अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना।
- अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

इन संगठनों के अतिरिक्त अरब लीग, अफ्रीकी एकता संगठन, योरोपीय समुदाय, एशिया शान्त आर्थिक सहयोग, राष्ट्रमण्डल आदि संगठन अन्तर सांस्कृतिक संचार में उत्प्रेरक की भूमिका भाते हैं।

4.6.4 सांस्कृतिक सहयोग परिषदें

प्रत्येक देश में सांस्कृतिक गतिविधियों के सफलतापूर्वक, और कुशलतापूर्वक संचालन के ए सांस्कृतिक सहयोग परिषद नामक संगठन की स्थापना की जाती है। इसके नाम विभिन्न देशों अलग-अलग होते हैं किन्तु कार्य इनका सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन ही होता है। भारत से विशाल देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र के नाम से इसका विभाजन करके संस्था को र भी कार्यकुशल बनाया गया है। सांस्कृतिक सहयोग परिषदें देश के बाहर दूसरे देश से स्कृतिक समझौता करती हैं और उस समझौते के अनुरूप सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान-प्रदान रती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक सहयोग परिषदें देश के भीतर एवं बाहर अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रोत्साहित करती हैं।

4.7 सारांश

अब तक इस इकाई में आपने जाना कि अन्तर सांस्कृतिक संचार की वर्तमान स्थिति ा है। कौन-कौन सी परिस्थितियाँ अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करती हैं। अन्तर सांस्कृतिक वादहीनता का क्या दुष्परिणाम होता है और इन दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों की अन्तर-सांस्कृतिक संचार में क्या भूमिका होती है। इन बातों का विस्तृत अध्ययन आपने इस इकाई में किया है। आगे की इकाई में आप सम-मयिक सन्दर्भ में अन्तर सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे।

4.8 शब्दावली

आसियान - एसोशिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स

सार्क - साउथ एशियन एसोसियेशन आफ रीजनल कोआपरेशन

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन - दीनानाथ वर्मा

अनतर्राष्ट्रीय राजनीतिः सिद्धान्त एवं व्यवहार - डॉ0 महेन्द्र कुमार

जनसंचार समग्र - डॉ अर्जुन तिवारी

अन्तर्सांस्कृतिक संचार - 'डॉ मुक्तिनाथ झा

14.10 प्रश्नावली

14.10.1 लघु उत्तरीय प्रश्न -

1- आर्थिक साम्राज्यवाद और अन्तर सांस्कृतिक संचार के सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।

2- यूनेस्कों और अन्तर सांस्कृतिक संचार का समीक्षात्मक वर्णन करें।

3- वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट करें।

14.10.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार में संवादहीनता के क्या दुष्परिणाम होते हैं ? स्पष्ट करें।

2- अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की समीक्षा कीजिए।

14.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1- यूनेस्को के कार्यपालिका मण्डल में कितने सदस्य होते हैं।

क-20, ख-30, ग-40, घ-25

2- सार्क की स्थापना कब हुई।

क-1984, ख-1985, ग-1986, घ-1987

3- आसियान की स्थापना का वर्ष बताएं।

क-1967, ख-1966, ग-1965 घ-1968

4- यूनेस्को का विधिवत गठन हुआ था।

क-4नवम्बर 1946, ख- 4 अक्टूबर 1947, ग- 15 अगस्त 1947

घ- इनमें से कोई नहीं।

14.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1- क

2- ख

3- क

4- क

काई 15 - सम सामयिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता

ाई की रूप-रेखा

.0 उद्देश्य

.1 प्रस्तावना

.2 समसामयिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद

15.2.1 जनसंख्या का स्थानान्तरण

15.2.2 नव संस्कृति की स्थापना

15.2.3 पारम्परिक मूल्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता

15.2.4 धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद

.3 समसामयिक आर्थिक परिदृश्य

15.3.1 आर्थिक उदारीकरण और बाजारवाद

15.3.2 उपभोक्ता वादी संस्कृति का विस्तार

15.3.3 जन संस्कृति की नवीन व्याख्या

4 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सीमाएं

5 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता एवं उपयोगिता

15.5.1 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता

15.5.2 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की उपयोगिता

6 सारांश

7 शब्दावली

8 सन्दर्भ ग्रन्थ

9 प्रश्नावली

15.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

15.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

15.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

15.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको वर्तमान विश्व के सम सामयिक सन्दर्भो से परिचित कराना है। इस सम सामयिक विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संवाद की क्या आवश्यकता है इसे स्पष्ट करना। इस पाठ्यक्रम के सम्यक् अध्ययन से आप जान सकेंगे-

- वर्तमान विश्व में जनसंख्या स्थानान्तरण के कारण क्या है
- नव संस्कृति की व्याख्या
- वर्तमान विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता
- अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सीमाएं क्या है
- अन्तर सांस्कृतिक संवाद की उपयोगिता क्या है।

15.1 प्रस्तावना

वर्तमान विश्व के स्वरूप में संचार क्रान्ति और सूचना प्रौद्योगिकी ने आमूल परिवर्तन कर दिया है। अब स्थान और समय की बाधा सूचना प्रवाह को बाधित नहीं कर पा रही है। वैश्विक संस्कृति में भी अब आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। पहले पाश्चात्य संस्कृति, पूर्वी संस्कृति, एशियाई संस्कृति, योरोपीय संस्कृति और अफ्रीकी संस्कृति के नाम से संस्कृतियों की पहचान बनी हुई थी अब यह सब आपस में इतनी मिश्रित हो गई हैं कि एक सांस्कृतिक समुदाय में ही अनेक संस्कृतियों के लक्षण पाए जाने लगे हैं। इसे ही वैश्विक संस्कृति कहा जाने लगा है। वैश्विक संस्कृति कहने का आशय यह है कि मीडिया के बढ़ते संजाल ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। इसी विश्व ग्राम की संस्कृति, जिसका निरुपण मीडिया के द्वारा होता है, को वैश्विक संस्कृति कहा जाने लगा है। इस समसामयिक सन्दर्भ में विश्व की संस्कृति को संचालित और नियन्त्रित करने का भार अन्तर सास्कृतिक संचार पर ही है। इन्हीं सब तथ्यों का अध्ययन विस्तार से इस इकाई में किया जाएगा।

15.2 समसामयिक सन्दर्भ एवं अन्तर सांस्कृतिक संवाद

समसामयिक सन्दर्भ का तात्पर्य वर्तमान समय में विश्व में कौन-कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनसे विश्व का सांस्कृतिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। आज व्यक्ति का खान-पान, रहन-सहन, उसकी जीवन शैली बिलकुल बदल चुकी है। किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के मुख्य कारण क्या है इन्हीं को सम सामयिक सन्दर्भ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन सन्दर्भों में अन्तर सांस्कृतिक संवाद की क्या आश्यकता है, इससे क्या लाभ हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है यहीं सब आप इकाई के इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। समसामयिक सन्दर्भ के रूप में हम निम्नलिखित बातों को देख सकते हैं।

1 जनसंख्या का स्थानान्तरण

जनसंख्या का स्थानान्तरण वर्तमान समय में कोई नयी घटना नहीं है। यह आदि काल से ा आ रहा है। पहले के स्थानान्तरण और आज के जनसंख्या स्थानान्तरण के कारण भिन्न मनुष्य जब सभ्य हो रहा था तो कृषि की दृष्टि से नदियों के किनारे बसता था ताकि उसका र्य सुगमता से सम्पादित हो सके। बेहतर जीवन शैली की लालसा जनसंख्या स्थानान्तरण का ख कारण रहा है।

आज भी मनुष्य रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन शैली की लालसा में गांव से नगर, महानगर की ओर स्थानान्तरित हो रहा है। यह स्थानान्तरण सामूहिक नहीं होता। मनुष्य ुविधानुसार एक दो की संख्या में स्थानान्तरित होते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। भी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र विशेष के लोगों का रण किया जाता है। जैसे कि भारत में वर्तमान में टिहरी बांध परियोजना के कारण टिहरी को स्थानान्तरित होना पड़ा। जन संख्या के वृहत् स्थानान्तरण का एक कारण दैवी आपदाएं ूकम्प, तूफान आदि से अपनी घर सम्पत्ति को नष्ट कर चुके लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए ुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित हो जाते हैं। इस प्रकार दैवी प्रकोप और वैयक्तिक कारणों से रित हुई जनसंख्या का प्रभाव अन्तर सांस्कृतिक संवाद पर नहीं पड़ता क्योंकि यह स्थानान्तरण भौगोलिक सीमा के अन्दर ही होता है जिससे उनकी राष्ट्रीय संस्कृति अपरिवर्तित ही रहती

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के सामूहिक स्थानान्तरण का एक प्रमुख द्ध है। सम्पूर्ण योरोप में जब युद्ध का उन्माद छाया हुआ था तो कुछ शान्तिप्रिय लोगों ने विभिन्न राष्ट्रों से शान्ति की तलाश में स्थानान्तरण आरम्भ किया और इस प्रकार यह एक स्थानान्तरण का रूप लेकर एक नये राष्ट्र के रूप में अमेरिका को जन्म दिया। अर्थात् का जन्म विभिन्न सांस्कृतिक सामूहिक स्थानान्तरण से हुआ। उन लोगों ने अपनी पुरानी त्याग कर एक नए सांस्कृतिक राष्ट्र की सीमा में अपने को समायोजित कर लिया। इसी ब दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध होता है तो प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या का सामूहिक स्थानान्तरण भारत, पाकिस्तान युद्ध का एक प्रमुख कारण भी जनसंख्या का सामूहिक स्थानान्तरण रहा 1 में जब पाकिस्तान के सैनिक शासन के अत्याचारों से पीड़ित होकर पूर्वी पाकिस्तान के रणार्थी भारत स्थानान्तरित हो गए तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। इस स्थिति पाने के लिए भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा और अन्ततः बांग्लादेश के रूप में राष्ट्र का उदय हुआ। इसके बावजूद अनेक शरणार्थी भारत के विभिन्न शहरों में बसकर ांस्कृतिक परिवेश में समायोजित हो गए।

जनसंख्या स्थानान्तरण में सबसे बड़ी समस्या स्थानान्तरित हुई जनसंख्या के समायोजन है। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश के लोगों को दूसरी भाषा और संस्कृति में समायोजन करना । इस कार्य में यद्यपि कठिनाई तो होती है परन्तु फिर भी अन्तर सांस्कृतिक संवाद के ी इनके समायोजन को अपेक्षाकृत आसान बना दिया जाता है। यह जनसंख्या स्थानान्तरण सांस्कृतिक संवाद की उपयोगिता का एक स्पष्ट प्रमाण है।

15.2.2 नव संस्कृति की स्थापना

संस्कृति एक सतत् प्रवाहशील प्रक्रिया है। प्राचीनता का पोषण और नवीनता का समावेश प्रत्येक संस्कृति की विशेषता है। अन्य संस्कृतियों की बातों को यथावत स्वीकार कर लेना और उनकी तुलना में अपनी मूल संस्कृति के प्रति उदासीन हो जाना ही सांस्कृतिक नवीनता है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति की आधुनिक जीवन शैली का अक्षरशः अनुकरण करना आज भी युवा पीढ़ी की विशेषता है। उनकी दृष्टि में प्राचीन पारम्परिक, सांस्कृतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। खान-पान, विवाह, पहनावा, रहन-सहन आदि में युवा पीढ़ी स्वच्छन्द रहना चाहती है। स्वच्छन्दता और उन्मुक्तता आज की युवा पीढ़ी की पहली पसन्द है। आज का अभिजात्य वर्ग इन सभी बातों को नव संस्कृति का नाम देकर अपनाता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या और समलैंगिक विवाह जिसे एक बुराई माना जाता है उसे भी नव संस्कृति के पोषक स्वीकार करने लगे हैं। एकाकी परिवार, मातृत्व से विरक्ति यह सब आधुनिकता का पर्याय बनते जा रहे हैं। नव संस्कृति के संचरण में आधुनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया ने जिस नव संस्कृति की स्थापना की है, उनमें से कुछ निम्नलिखित आधुनिक समाज में प्रचलित हो रहे हैं। जैसे-

1- इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न देव मन्दिरों के प्रसाद की आपूर्ति।

2- इन्टरनेट के माध्यम से युवा वर्ग का विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण।

3- प्रायोजित विवाह के स्थान पर प्रेम विवाह का बढ़ता प्रचलन।

4- दहेज जैसी कुप्रथा के विरोध में कन्याओं का मुखर होना।

5- आधुनिक जीवन शैली अपनाने के लिए पति-पत्नी दोनों का रोजगारोन्मुख होना।

6- विभिन्न देव मन्दिरों, धार्मिक उत्सवों एवं यात्राओं का टी0वी0 पर जीवन्त प्रसारण देखना एवं उसमें घर बैठे सहभागी होना।

7- इन्टरनेट के माध्यम से अथवा सी0डी0 के माध्यम से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करना।

8- कर्मकाण्ड के अनुष्ठानों को महिलाओं द्वारा सम्पन्न कराना।

9- प्राचीन सांस्कृतिक निषेधों की अवहेलना करते हुए महिलाओं की भूमिका प्रत्येक धार्मिक, सांस्कृतिक अनुष्ठान में स्वीकार करना।

ये सब कुछ ऐसे सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन है जिन्हें हम नव संस्कृति के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। इस नव संस्कृति का संचार भी जन माध्यमों द्वारा ही हुआ है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि आधुनिक युग में अन्तर सांस्कृतिक संचार ने नव संस्कृति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

.2.3 पारम्परिक मूल्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता

आज के समाज में प्राचीन स्थापित परम्पराएं महत्व खोती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि आज के मनुष्य की जीवन शैली बिल्कुल बदल चुकी है। परम्पराएं किसी समाज की ूल्य धरोहर होती हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज में इनका हस्तान्तरण होता रहता है। विगत कुछ कों से मानव जीवन के मूल्य ही परिवर्तित होने लगे हैं। अब पारम्परिक संस्कृति का लोप होता रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इन परम्पराओं के हस्तान्तरण की प्रक्रिया ही रूक गई है। धिकांश मनुष्यों को इस कारण अपनी परम्पराओं का ज्ञान नहीं हो पाता। नई पीढ़ी के पास आज इस व्यस्त जिन्दगी में इतना समय नहीं है कि वह परम्पराओं की ओर ध्यान दे सके। धुनिकता के साथ शीघ्र समायोजन की प्रबल इच्छा ने युवा पीढ़ी को अपनी परम्पराओं से परे कर ा है। पुरानी पीढ़ी चाहते हुए भी अपने पारम्परिक ज्ञान और अनुभव को उनके साथ नहीं बांट ी है। इस प्रकार न चाहते हुए भी आज की पीढ़ी अपनी पारम्परिक संस्कृति और पारम्परिक यों के प्रति उदासीन होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अन्तर सांस्कृतिक संचार ही एक ऐसा साधन माध्यम है जो वर्तमान युवा पीढी के मन में अपने पारम्परिक मूल्यों के प्रति चेतना जागृत कर ती है। आज की पीढ़ी मीडिया से सर्वाधिक प्रभावित है। मीडिया की संस्कृति वह सहजता से कार कर लेती है अतः मीडिया के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार का प्रयोग करके इनके मन में म्परिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति चेतना जागृत की जा सकती हैं। इस प्रकार पारम्परिक कृतिक मूल्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता की प्रवृत्ति को अन्तर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से ा जा सकता है।

.2.4 धार्मिक उन्माद और कट्टरता

वर्तमान युग में जहां एक ओर मीडिया के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया शील हो रही है और उसके द्वारा सांस्कृतिक चेतना का संचार सम्पूर्ण विश्व में हो रहा है वहीं री ओर धार्मिक उन्माद और कट्टरता का प्रसार भी तेजी से हो रहा है। सांस्कृतिक विकास के में संस्कृतियों में परिवर्तन तो सम्भव है किन्तु धर्म का मूल स्वरूप अपरिवर्तित ही रहता है। के स्वरूप में किसी भी तरह की छेड़-छाड़ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाती है और धार्मिक ाद का कारण बनती हैं। उदाहरण स्वरूप प्रख्यात लेखक सलमान रशदी की पुस्तक 'द निक वर्सेज' को लेकर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने विवाद खड़ा कर दिया और लेखक को दण्ड देने का फतवा भी जारी कर दिया। स्वीडन के एक कार्टूनिस्ट ने इस्लाम धर्म के पैगम्बर सम्बन्धित कार्टून समाचार पत्र में प्रकाशित किया जिसका विश्व व्यापी विरोध किया गया। रिका की एक कम्पनी ने अधोवस्त्र पर हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र छापे जिसको लेकर तीव्र ध हुआ। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने हिन्दू देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाए जिसका क विरोध किया गया। हाल ही में रिलीज हुई विदेशी फिल्म 'दा विंची कोड' में इसाई धर्म के क दुरुपयोग को लेकर विरोध किया गया जिसके कारण भारत में इसके प्रदर्शन पर विवाद ।

ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका धार्मिक उन्माद के प्रसार में योगदान है। यद्यपि आज का आधुनिक समाज इन सब बातों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का नाम देता है किन्तु फिर भी इस स्वतन्त्रता का जब धर्म के क्षेत्र में अतिक्रमण होता है तो कट्टर धार्मिक समाज इसका प्रबल विरोध करता है और धीरे-धीरे यह विरोध धार्मिक उन्माद का स्वरूप ले लेता है जो हर प्रकार से अन्तर-सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद का एक विकृत स्वरूप आतंकवाद है जिससे सारा विश्व प्रभावित है। विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उनके मूल में धार्मिक उन्माद ही हैं। कट्टर धार्मिक नेता धर्म की विकृत व्याख्या करके, सर्वधर्म समभाव की भावना का त्याग करके समाज में धार्मिक उन्माद का प्रसार करते हैं और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आतंकवाद का प्रसार करते हैं।

अन्तर सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से धर्म की सर्व व्यापी व्याख्या करते हुए इसे जनमानस में संचारित किया जा सकता है। सर्व धर्म समभाव का प्रसार किया जा सकता है और इसके द्वारा धार्मिक कट्टरता और उन्माद को नियंत्रित किया जा सकता है। अन्तर सांस्कृतिक संवाद के द्वारा लोगों में दूसरे धर्म और धार्मिक प्रतीकों के स्वरूप में छेड़-छाड़ न करने की प्रेरणा दी जा सकती है। इस प्रकार धार्मिक कट्टरता एवं उन्माद के प्रभावी नियन्त्रण में अन्तर सांस्कृतिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही अन्तर सांस्कृतिक संचार का मूल उद्देश्य भी है और दायित्व भी।

15.3 वर्तमान विश्व का आर्थिक परिदृश्य

वर्तमान विश्व में आर्थिक परिदृश्य तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। इस परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में मनुष्य की आवश्यकताएं, उसकी आकांक्षाएं एवं मनोवृत्ति में भी तीव्र बदलाव आए हैं। मुख्य रूप से वर्तमान बदलते आर्थिक परिदृश्य को हम निम्नलिखित रूपों में देखते हैं-

15.3.1 आर्थिक उदारीकरण और बाजारवाद

बीसवीं सदी के अन्तिम दो दशकों में विश्व के आर्थिक परिदृश्य में तीव्र गति से परिवर्तन हुए। सम्पूर्ण विश्व में समान आर्थिक नीति अपनाने पर बल दिया गया। इस क्रम में लगभग सभी राष्ट्रों ने अपनी घरेलू और विदेशी आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए। इस आर्थिक नीति परिवर्तन को उदारीकरण का नाम दिया गया। इस नीति का अनुपालन करते हुए राष्ट्रों ने अपनी आयात-निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति के मूलभूत ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई जिससे उत्साहित होकर राष्ट्रों ने आर्थिक उदारीकरण को मुक्त बाजार व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। इस व्यवस्था के तहत कोई भी राष्ट्र अपने उत्पाद को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत किसी भी राष्ट्र में विक्रय हेतु भेज सकता है। बाजार में एक ही उत्पाद की अनेक किस्में उपलब्ध होने लगीं। विश्व के सभी राष्ट्र अब अपने उत्पाद दूसरे राष्ट्रों में भेजकर अपने व्यापार में वृद्धि करने लगे। इससे स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति ने

लिया। ग्राहकों को अपने उपभोग की वस्तुओं को क्रय करने के लिए चयन का विकल्प ा। गुणवत्ता की परख होने लगी। अच्छी, सस्ती और टिकाऊ वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होने और इस प्रकार एक नए उपभोक्ता वर्ग का उदय हुआ जिसके इर्द-गिर्द सारी बाजार व्यवस्था द्रत हो गयी। वस्तु-क्रय का विकल्प बढ़ जाने के कारण अच्छी वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा और क्षाकृत कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं बाजार से बाहर हो गयीं।

आर्थिक उदारीकरण और बाजारवाद की इस व्यवस्था ने विज्ञापन जगत में एक नए युग आरम्भ किया। अब विज्ञापनों का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक ने उत्पाद की जानकारी पहुँचाना हो गया। अब एक ही विज्ञापन विभिन्न भाषा एवं सांस्कृतिक वेश में तैयार किए जाने लगे जिससे इसकी पहुँच विश्व-व्यापी हो सके। इस प्रकार विज्ञापनों के ण संचार माध्यमों की भी घुस-पैठ इस बाजारवादी व्यवस्था में हो गयी। आज के आर्थिक रीकरण के इस युग में जहां बाजारवाद को प्रोत्साहित करने में मीडिया का योगदान और महत्व है, वहीं मीडिया के बढ़ते महत्व के पीछे अन्तर सांस्कृतिक संचार की भी भूमिका स्पष्ट दिखाई है। उदाहरण के लिए किसी शीतल पेय का विज्ञापन जिस प्रकार से भारत तथा अन्य धर्म पेक्ष राष्ट्रों में प्रदर्शित होता है। उसी परिवेश में इस्लामिक राष्ट्रों में प्रदर्शित नहीं होता। सांस्कृतिक भूमि के अनुसार विज्ञापन तैयार किए जाने लगे हैं। यह अन्तर सांस्कृतिक संवाद का एक ऐसा है जिसके मूल में आर्थिक उद्देश्य निहित हैं। इस प्रकार वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की प्रमुख ोषता आर्थिक उदारीकरण और बाजार वाद की सफलता परोक्ष रूप से अन्तर सांस्कृतिक संचार निहित है।

;.3.2 उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार

आर्थिक उदारीकरण और बाजारवाद के सफल क्रियान्वयन में उपभोक्ता का बहुत बड़ा ादान है। उपभोक्ता का तात्पर्य है उपभोग करने वाला अर्थात मनुष्य। आज किसी भी वस्तु के ए उपभोक्ता का विस्तार सम्पूर्ण विश्व में है। आज के दो-तीन दशक पहले तक वस्तुओं का ादन मांग-आपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित था। परन्तु अब स्थितियों में परिवर्तन आया है। सी भी उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन से पूर्व उसे विश्व स्तर पर विज्ञापित किया जाता है। उसकी शेषताओं से उपभोक्ताओं को परिचित कराकर उनकी रूचि उस वस्तु में जगायी जाती है। उनमें ा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तब उत्पादन के द्वारा वस्तु की आपूर्ति की जाती है।

उपभोक्ता के दैनिक उपभोग की वस्तुओं में नित नए आविष्कारों के जरिए नए-नए र्वर्तन हो रहे हैं। हर एक दो महीने में टेक्नोलॉजी परिष्कृत और परिवर्तित हो जा रही है। इस न्तर तकनीकी परिवर्तन ने उपभोक्ता के अन्दर उत्पाद के बारे में 'यूज एण्ड थ्रो' संस्कृति का स्तार किया है। इसका आशय यह है कि आज हम किसी वस्तु को क्रय करते है, उदाहरण के ए कम्प्यूटर या मोबाइल फोन, दो तीन महीने में ही उसमें इतने तकनीकी परिवर्तन हो जाते हैं कि सेट की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है और पुराने से मोहभंग होता है। इसी संस्कृति को 'यूज

एण्ड थ्रो' की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृति का विस्तार आज के उपभोक्ता वर्ग में इतनी तेजी से हुआ कि अब यहीं संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति का रूप लेती जा रही है। बड़ी-बड़ी उत्पादक कम्पनियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वादी संस्कृति के क्षेत्र विस्तार में लगी हुई हैं और इसमें सफल भी हो रही हैं। उपभोक्ता संस्कृति के क्षेत्र विस्तार में ही उनकी व्यवसायिक समृद्धि और व्यापारिक सफलता निहित है इसके लिए वे विज्ञापनों के द्वारा, अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा अपना कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित कर रही हैं और इस प्रकार उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार भी विश्व व्यापी होता जा रहा है।

15.3.3 जन संस्कृति की नवीन व्याख्या

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में जन संस्कृति को एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जन संस्कृति की प्राचीन धारणा यही है कि जन अर्थात् जनता की संस्कृति अथवा आम जन की संस्कृति अर्थात् लोक संस्कृति। मास कल्चर के नाम से प्रसिद्ध जन संस्कृति की अवधारणा अपेक्षाकृत नयी है। यद्यपि इस संस्कृति का प्रादुर्भाव ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के समय में ही हो चुका था किन्तु फिर भी वर्तमान समय में जन संस्कृति की जो व्याख्या समाज वैज्ञानिकों द्वारा गई है उसका प्रमुख आधार वर्तमान विश्व की आर्थिक व्यवस्था है।

वर्तमान समाज वैज्ञानिकों द्वारा की गई जन संस्कृति की व्याख्या के अनुसार वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में उत्पादक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल-कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामी और प्रबन्धक, महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं एवं निगमों के संचालक तथा वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को संचालित करने वाली विज्ञापन एवं विपणन कम्पनियों के स्वामी एवं प्रबन्धक आदि की संस्कृति ही जन संस्कृति कहलाती है। समाज वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में समाज के इस वर्ग की संस्कृति का प्रभाव समाज के सभी अंगों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। समाज की विभिन्न संस्कृतियों को प्रभावित करने वाली यह संस्कृति जन संस्कृति इसलिए कही जाती है कि इस संस्कृति का प्रभाव समस्त जन मानस पर पड़ता है। मीडिया का संचालक वर्ग भी इसी संस्कृति का पोषक होता है। अन्तर सांस्कृतिक संचार का आश्रय लेकर जन संस्कृति के पोषक अपनी संस्कृति का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हैं और जन संस्कृति की इस नवीन व्याख्या का व्यावहारिक स्वरूप शेष संस्कृतियों के सामने प्रकट करते हैं।

15.4 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सीमाएं

अन्तर सांस्कृतिक संवाद की कुछ सीमाएं भी हैं। इन सीमाओं का यदि ध्यान रखा जाए और इनका अतिक्रमण न किया जाए तो अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सफलता निश्चित है। इन सीमाओं के भीतर कार्य करते हुए अन्तर सांस्कृतिक संचार के द्वारा सांस्कृतिक विकास का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं। संक्षेप में इन सीमाओं को हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं।

विभिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक प्रतीकों, धरोहरों के प्रति सम्मान और आत्मीयता की भावना का विकास करना ही इस प्रक्रिया की प्रथम सीमा है। अर्थात अन्य संस्कृतियों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करना अन्तर सांस्कृतिक संवाद की प्रथम सीमा है।

संस्कृति का सम्बन्ध धर्म एवं दर्शन से होता है। अतः विभिन्न धर्मों, धर्माचार्यों एवं दार्शनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना अन्तर सांस्कृतिक संवाद की दूसरी सीमा है। धर्म अथवा दर्शन के प्रति दुराग्रह व्यक्त करने से उस धर्म, दर्शन के अनुयायी क्रुद्ध होकर विवाद पैदा कर सकते हैं। अन्तर सांस्कृतिक संवाद के कारण कोई नया विवाद उत्पन्न न होने पाए यह उसकी सीमा है।

संस्कृतियों के विकास में अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकसित अर्थ व्यवस्था की संस्कृति अविकसित अर्थ-व्यवस्था की संस्कृति पर प्रभावी हो जाती है। अन्तर सांस्कृतिक संवाद के द्वारा संस्कृतियों पर अर्थ व्यवस्था के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना अन्तर-सांस्कृतिक संवाद की तीसरी सीमा है। अर्थात् अर्थ व्यवस्था के प्रभाव से संस्कृति को बचाए रखना अन्तर सांस्कृतिक संवाद की एक सीमा है।

अन्तर सांस्कृतिक संवाद में राजनीतिक सत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजकीय संरक्षण के अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सफलता संदिग्ध हो जाती है। राज्य सत्ता अपनी आन्तरिक नीति एवं विदेश नीति के अनुरूप अन्तर-सांस्कृतिक संवाद की दिशा एवं लक्ष्य निर्धारित करती है। उन्हीं नीतियों के अनुरूप अन्तर-सांस्कृतिक संवाद की दिशा एवं लक्ष्य निर्धारित करती है। उन्हीं नीतियों के अनुरूप अन्तर सांस्कृतिक संचार को संचालित करती है। राजसत्ता के प्रति सम्मान और आदर तथा उसके अधिकारों का अतिक्रमण न हो यह अन्तर सांस्कृतिक संवाद की एक अन्य सीमा है।

इस प्रकार, अन्तर सांस्कृतिक संवाद की इन सीमाओं का यदि अतिक्रमण न किया ए, उनका ख्याल रखा जाय तो अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सफलता निश्चित है। विभिन्न स्कृतियों के समन्वय एवं विकास में अन्तर सांस्कृतिक संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन र सकते हैं।

5.5 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता एवं उपयोगिता

आज के आपा-धापी के इस युग में मानव जीवन को अनेक प्रकार के तनाव से होकर जरना पड़ता है। आर्थिक समृद्धि की आकांक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव, जगार की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय असन्तुलन, जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती तिस्पर्धा, धर्म और संस्कृति की संकीर्ण व्याख्या, वैचारिक प्रतिद्वन्दिता धार्मिक, सांस्कृतिक और ातीय संघर्ष आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने मानव जीवन के साथ सम्पूर्ण मानवता को अस्त-

व्यस्त कर दिया है। इन मानवीय आपदाओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए अन्तर सांस्कृतिक संवाद की महती आवश्यकता है। संक्षेप में हम अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता एवं उपयोगिता को निम्न लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं।

15.5.1 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता

अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता निम्नलिखित रूप से स्पष्ट की जा सकती है।

1- सांस्कृति का बहु आयामी होना अन्तर सांस्कृतिक संवाद की प्रथम आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी संस्कृति के अंग है। समसामयिक सन्दर्भ में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार कलाओं को विलास की वस्तु नहीं माना जा सकता है। सांस्कृतिक नीति में विज्ञान की संस्कृति और कला की संस्कृति का कल्पनाशील अन्तर्मंथन स्थिति की अनिवार्यता है। उसे परिवर्तन और विकास की नीतियों से जोड़कर उसे नए अर्थ दिए जा सकते हैं इस कार्य को अन्तर सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।

2- संस्कृति के क्षेत्र में सत्ता का बढ़ता हस्तक्षेप अनेक आशंकाओं को जन्म देता है। राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, किन्तु केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्ति एक नए सांस्कृतिक सामन्तवाद को जन्म दे सकती है। ऐसा भी संभव है कि इस स्थिति में स्वैच्छिक संगठन अशक्त होकर कुंठाग्रस्त हो जाए। सत्ता और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य सहयोगी सम्बन्धों का विकास अन्तर सांस्कृतिक संवाद का लक्ष्य होना चाहिए। अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सफलता के लिए यह आवश्यक भी है।

3- संस्कृतियों के विस्तार के लिए भी अन्तर सांस्कृतिक संवाद आवश्यक है। कलाएं एक सीमित अभिजात्य और प्रबुद्ध वर्ग के संकुचित विशेषाधिकार न बन जाएं। यह तभी संभव होगा जब अन्तर सांस्कृतिक संवाद द्वारा कला की समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएंगे।

4- परम्परा का मोह संस्कृति की स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। परम्परा का मूल्यांकन भी अन्तर सांस्कृतिक संवाद का आवश्यक अंग होना चाहिए। प्रयोग के प्रति संस्कृति के नियामकों का दृष्टिकोण यदि सहिष्णु और संवेदनशील नहीं होगा तो संस्कृति में रूग्ण जड़ता आ सकती हैं। शास्त्रीय शुद्धता एक सीमा तक अपेक्षित है परन्तु असहमति विरोध और विद्रोह की सर्जनात्मक भूमिका भी संस्कृति के उन्नयन में कम महत्व की नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता स्वतः सिद्ध है।

5- अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता संस्कृति की गतिशीलता के लिए प्रयत्नों का सहयोग और समायोजन की दृष्टि से भी है। विरोधी विचार धाराओं में निरन्तर संवाद की इसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है।

अप संस्कृतियों का उदय मानवीय अस्मिता और मूल्यों को चुनौती है। इसके विरुद्ध समायोजन भी अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता है।

सत्ता को संस्कृति से अलग नहीं रखा जा सकता प्रयत्न यह होना चाहिए कि वह अपने हस्तक्षेप की मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करे और उनका सम्मान करे। इस प्रयत्न के लिए भी अन्तर सांस्कृतिक संवाद आवश्यक है।

इस प्रकार उपर्युक्त सन्दर्भो में अन्तर सांस्कृतिक संवाद सम सामयिक विश्व में अति श्यक है।

5.2 अन्तर सांस्कृतिक संवाद की उपयोगिता

अन्तर सांस्कृतिक संवाद की निम्नलिखित दृष्टि से अति उपयोगी है।

सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति सम्मान और आत्मीयता की भावना का विकास करना।

सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्ति के समान अवसर देकर एकरूपता की ओर अग्रसर करना।

लोक कलाओं और प्रबुद्ध परम्परागत एवं शास्त्रीय कलाओं के समान सम्मान और विकास के समान अवसर प्राप्त कराना।

विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों की संस्कृतियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना।

जन माध्यमों और पारम्परिक कलाओं के निरर्थक संघर्ष का अन्त करना और इन माध्यमों द्वारा लोक और शास्त्रीय कलाओं के प्रचार-प्रसार का योजनाबद्ध प्रयत्न करना।

सांस्कृतिक प्रश्नों और गतिविधियों पर संवाद की सभ्यता का समर्थन करना जिससे उनके मध्य सार्थक बहस सम्भव हो सके।

संस्कृति मूलक बीज प्रश्नों को हर प्रकार के भ्रम, उन्माद और वितंडावाद से बचाना।

संस्कृति की सामर्थ्य द्वारा बुनियादी मानवीय समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना।

अर्थहीन अनुकरण और सांस्कृतिक विसंगतियों एवं विकृतियों पर जनमत जागृत करना।

- आज के विवेकहीन प्रश्नों के पर्यावरण में सृजन और निर्माण की धाराओं को दिशा और गति देना।

5.6 सारांश

इस इकाई में आपने वर्तमान विश्व के समय सामयिकक सन्दर्भो के रूप में जनसंख्या नान्तरण नव संस्कृति की स्थापना, पारम्परिक मूल्यों के प्रति बढ़ती उदासीनता तथा धार्मिक ाद और कट्टरता का विस्तार से अध्ययन किया। वर्तमान विश्व के आर्थिक परिदृश्य में

आर्थिक उदारीकरण और बाजार वाद, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार तथा जन संस्कृति की नवीन व्याख्या के बारे में अध्ययन किया। अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सार्थकता के लिए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इन सीमाओं का ज्ञान आपको इस इकाई में कराया गया है। अन्त में वर्तमान विश्व में अन्तर-सांस्कृतिक संवाद की क्या आवश्यकता है तथा इसकी क्या उपयोगिता है इसका अध्ययन भी आपने किया। इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि समसामयिक सन्दर्भ में अन्तर सांस्कृतिक संवाद की क्या आवश्यकता है।

15.7 शब्दावली

यथावत	-	जैसा है वैसे ही
स्वच्छन्दता	-	नियन्त्रणहीन
उन्मुक्तता	-	मनमानापन
पतनोन्मुख	-	पतन की ओर
संचरण	-	प्रवाह
विकृत	-	बिगड़ा हुआ

15.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

जनसंचार समग्र	-	डॉ0 अर्जुन तिवारी
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	-	बी0 एल0 फड़िया
अन्तर्सांस्कृतिक संचार	-	डॉ0 मुक्ति नाथ झा
मानव भूगोल	-	डॉ0 वन्दना सिंह

15.9 प्रश्नावली

15.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार और नव संस्कृति की स्थापना पर संक्षिप्त निबन्ध लिखें।

2- धार्मिक उन्माद एवं कट्टरता किस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संवाद को प्रभावित करते हैं।

3- जन संस्कृति की नवीन व्याख्या क्या है।

15.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- सम सामयिक विश्व में अन्तर सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

2- अन्तर सांस्कृतिक संवाद की सीमाएं क्या हैं। विस्तृत व्याख्या करें।

सम सामयिक विश्व में पारम्परिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, अन्तर सांस्कृतिक संवाद के द्वारा इस समस्या का निराकरण कैसे सम्भव है, स्पष्ट करें।

.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बांग्लादेश का गठन किस वर्ष में हुआ था?

क- 1969, ख- 1965, ग-1970 घ-1971

सलमान रशदी की विवादित पुस्तक का नाम हैं-

क-सैटेनिक वर्सेस, ख-हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ग- कुरान, घ-इसमें से कोई नहीं

फिल्म 'दा विंची कोड' के भारत में रिलीज होने पर किस धर्म के नेताओं ने आपत्ति की थी?

क-हिन्दू, ख-मुस्लिम, ग-इसाई, घ-पारसी

किस देश के कार्टूनिस्ट ने पैगम्बर से सम्बन्धित कार्टून बनाया था जिसका व्यापक विरोध हुआ था।

क-अमेरिका, ख-डेनमार्क, ग-स्वीडन, घ-फ्रान्स

.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

घ

क

ग

ग

Notes

Notes

Notes

M.J.M.C. -06

विश्व-संचार :

अवधारणा एवं आयाम

तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

ब्रण्ड

)4

अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभिन्न आयाम

काई-16 5

न्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया

काई-17 29

न्तर राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर-सांस्कृतिक संचार

काई-18 53

न्तर सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार

काई-19 74

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार
र प्रभाव

काई-20 95

ार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, दबाव एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार
 बाधा

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा	-	पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी	-	हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा	-	पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह	-	पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार	-	हिन्दुस्तान (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. ए. के. सिंह, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2013

मुद्रक : नितिन प्रिन्टर्स, 1 पुराना कटरा, इलाहाबाद।

ड-4 खण्ड-परिचय : अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभिन्न आयाम

अन्तर सांस्कृतिक संचार के विभि । आयाम के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं :-

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया

2- अन्तर राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर सांस्कृतिक पंचार

3- अन्तर सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार

4- आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

5- धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक दबाव एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा

दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर सम्प्रेषण को ही अन्तर सांस्कृतिक संचार जाता है। आदिम जातियाँ भ्रमणशील थीं, उनमें संस्कृतियों का परस्पर आदान-प्रदान चलता रहता ीडिया तथा वर्तमान की द्रुतगामी संचार साधनों ने संस्कृतियों को फैलाया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया न्तर सांस्कृतिक संचार को चतुर्दिक रूप से प्रभावकारी बनाया है। समाचार के अढ़तिये समाचार तियों ने विश्व के एक कोने का समाचार दूसरे कोने तक पहुँचाया है। संचार मार्ग में अर्थ, धर्म, ीति की बाधा को कैसे दूर करें-इन सभी तथ्यों पर इस खण्ड में प्रकाश डाला गया है।

खण्ड- 4

"आज बहुराष्ट्रीय निगम विश्व अर्थ व्यवस्था के विश्वव्यापी संगठनकर्ता हैं तथा प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था में सूचना और संचार के जीवनदायी घटक हैं।"

● ● ●

"संचार व्यवस्था सामाजिक यथार्थ को निरुपित करती है। वह काम के संघटन, प्रौद्योगिकी के चरित्र औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की गतिविधि और बाकी बचे समय का उपयोग वस्तुतः जीवन की बुनियादी व्यवस्था को प्रभावित करती है।"

● ● ●

"दुनिया एक नए किस्म की सांस्कृतिक कूटनीति की दहलीज पर खड़ी है।"

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना शिक्षा और सांस्कृतिक सम्बन्धों पर गठित पैनल की रपट

● ● ●

"अगर मुझे विदेश नीति से एक बात चुनने का मौका दिया जाता तो मैं सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को चुन लेता।"

जान फास्टर डलेस

ाई 16 - अन्तर सांस्कृतिक संचार का संवाहक आधुनिक मीडिया

ई की रूपरेखा

0 उद्देश्य

1 प्रस्तावना

2 अन्तरसांस्कृतिक संचार

16.2.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

16.2.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

16.2.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का विकास

3 आधुनिक मीडिया

16.3.1 मीडिया के प्रकार

16.3.2 आधुनिक मीडिया से आशय

16.3.3 आधुनिक मीडिया के प्रकार

4 आधुनिक मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

16.4.1 प्रिंट मीडिया और अन्तरसांस्कृतिक संचार

16.4.2 इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

16.4.3 इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

5 अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

16.5.1 सकारात्मक प्रभाव

16.5.2 नकारात्मक प्रभाव

सारांश

शब्दावली

सन्दर्भ ग्रन्थ

सम्बन्धित प्रश्न

16.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

16.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

16.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

16.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे –

- अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ एवं प्रक्रिया
- आधुनिक मीडिया से आशय
- प्रिंट मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार
- इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार
- अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

16.1 प्रस्तावना

अन्तर सांस्कृतिक संचार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य सम्प्रेषण को कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आधुनिक मीडिया के माध्यम से निरन्तर संवाद या सम्प्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। आधुनिक मीडिया से आशय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं इन्टररैक्टिव मीडिया से है। वर्तमान समय में अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया इन्हीं माध्यमों से सम्पन्न हो रही है। अतः अन्तर सांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है।

16.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया मनुष्य के सभ्य और सुसंस्कृत होने के साथ ही प्रारम्भ हो गयी थी। वर्तमान समय में संचारक्रान्ति के कारण वैश्विक स्तर पर तीव्रगति से यह प्रक्रिया चल रही है। सर्वप्रथम अन्तर सांस्कृतिक संचार की अवधारणा और विकास पर विचार करना समीचीन होगा।

16.2.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ

अन्तर सांस्कृतिक संचार शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है -अन्तर+सांस्कृतिक + संचार। अंतर शब्द का अर्थ है-पारस्परिक, बीच में, मध्य, में। सांस्कृतिक शब्द का अर्थ है-सस्कृति सम्बन्धी। सांस्कृतिक शब्द संस्कृति का विशेषण है। संचार शब्द का अर्थ है-चलना, चलने की क्रिया या फैलना। संचार शब्द संज्ञा है। इस प्रकार अन्तरसांस्कृतिक संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ-पारस्परिक सांस्कृतिक फैलाव अर्थात् दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर सम्प्रेषण। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें संस्कृति और संचार शब्द के अर्थ एवं परिभाषा पर विचार करना होगा।

भाषा पर विचार करना होगा।

संस्कृति-सामान्य अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग 'सुसंस्कृत' या 'संस्कार' अर्थ में किया जाता है। संस्कृति को विचारकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित या है। निम्नलिखित परिभाषाएं इनमें प्रमुख हैं-

ई0 वी0 टायलर-"संस्कृति वह जटिल सम्पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास ाएँ, नैतिकता,विधि, प्रथाएँ और वे सभी योग्यताएँ और क्षमताएँ सम्मिलित की ी हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है।"

ए0 एल0 क्रोबर-"संस्कृति मनुष्य की एक मात्र विशेष उपज है और सृष्टि में का एक विशेष गुण है।"

जे0 एस0 स्लोटकिन-"संस्कृति समाज में पायी जाने वाली प्रथाओं का अंग जो कोई भी इन प्रथाओं के अनुरूप कार्य करता है वह संस्कृति में भाग लेता शारीरिक दृष्टिकोण से किसी भी समाज की संस्कृति वह है जिसके अनुसार उन ाजिक प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है।"

वाल्टर-"संस्कृति कार्य और विचार की सीखी हुई वह पद्धति है जो एक ह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों को प्रदान की जाती है और प्रत्येक क्ति के लिए जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं का एक परीक्षित समाधान प्रस्तुत ती हैं।"

विलियम आगर्बन से संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में परिभाषित ते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है।

1- भौतिक संस्कृति- भौतिक संस्कृति में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। यथा रेल, मोटर, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, , कुर्सी इत्यादि मानव निर्मित वे सभी पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं। यह प्रायः यता के नाम से जाना जाता है।

2-अभौतिक संस्कृति-अभौतिक संस्कृति के अन्तर्गत जनरीतियों, लोकाचारों, यों, प्रथाओं, विश्वासों, आदर्शों, विधियों और कलाओं का समावेश होता है। यह र्त होता है। प्रोफेसर सोरोकीन ने तीन प्रकार के संस्कृति रूपों की परिकल्पना ुत की हैं-एन्द्रियिक, भावात्मक और आदर्शात्मक। एंथोनी गीडेंस मानते हैं कि ी समूह द्वारा धारण किए जाने वाले मूल्य तथा उसके पालन किए जाने वाले कों और उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली भौतिक वस्तुओं के द्वारा संस्कृति का ाण होता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आलोक में संस्कृति का अभिप्राय उन सभी भौतिक ौतिक वस्तुओं से है जो कि मनुष्य समाज के पास हैं। जैसे-कला, विचार विश्वास , विज्ञान और विविध प्रकार के उपकरण इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जीवन ाह के जितने भी विशिष्ट स्वरूप ही समाज में विकसित होते हैं, उन्हें ही संस्कृति

कहा जा सकता है। संस्कृति ही एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से एक समाज से दूसरे समाज को पृथक किया जा सकता है।

संचार-संचार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है-चलना। यहाँ चलने का अर्थ है किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाना। अंग्रेजी में संचार को 'कम्युनिकेशन' कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकों शब्द से हुई है। 'कम्युनिको' का शाब्दिक अर्थ है-साझेदारी अर्थात् अनुभवों, भावों, विचारों और जानकारियों की साझेदारी या आदान-प्रदान। संचार की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित है-

अमेरिकन सोसाइटी आफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार-आपसी समझ, विश्वास व बेहतर मानव सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं व विचारों का आदान-प्रदान ही संचार है।"

लीलैण्ड ब्राउन-"मनुष्य के कार्यक्षेत्र, विचारों व भावनाओं के प्रसारण व आदान-प्रदान की प्रक्रिया संचार है।"

थीयो हैमान-"संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व सन्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सके। संचार मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है।"

विल्वर श्रेम-"संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश पहुँचता है।

वीवर-"वे सभी तरीके जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रभावित कर सके।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुभवों, विचारों, भावों, जानकारियों, सूचनाओं का आदान-प्रदान या साझेदारी ही संचार है।

अन्तर सांस्कृतिक संचार- अन्तर सांस्कृतिक संचार के घटक शब्दों के अर्थ एंवं परिभाषा के आलोक में इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है- विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य पारस्परिक सम्प्रेषण ही अन्तर सांस्कृतिक संचार है। इसमें संस्कृति के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, यथा-खान-पान, वेश-भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, यथा साहित्य, विज्ञान, कला, संगत आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, यथा-सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, समता, धर्मनिरपेक्षता एवं मानवता आदि का विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग आपस में अदान-प्रदान साझेदारी और अन्तक्रिया करते हैं।

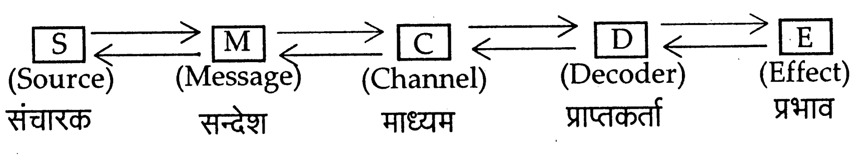

2.2 अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया -

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सामान्यतः संचार की प्रक्रिया से भिन्न है अपितु वह संचार की प्रक्रिया ही है जिसमें संदेश के रूप में सांस्कृतिक सूचना, , जानकारी, गतिविधियाँ और क्रियाकलापों का विभिन्न माध्यमों से सम्प्रेषण होता इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आपस में सम्पन्न अन्तर्क्रिया प्रतिपुष्टि या प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संचार की प्रक्रिया इस प्रकार है-

अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया के तत्व मुख्य रूप से पांच होते हैं। सम्प्रेषक सन्देशकर्ता वह होता है जो सन्देश सम्प्रेषित करता है। वह किसी सांस्कृतिक ह का सदस्य होता है। संचार प्रक्रिया में संदेशों का आदान प्रदान होता है। संदेश रूप में सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक तथ्य, सांस्कृतिक ज्ञान या जानकारी, सांस्कृतिक र या संकेत प्रेषित किया जाता है। संदेशकर्ता संदेश का सम्प्रेषण किसी न किसी यम से करता है। आमने-सामने संचार की प्रक्रिया में ध्वनि, संकेत, ज्ञानेन्द्रियाँ भाषा माध्यम का काम करते हैं। दूर अवस्थित व्यक्ति तक संदेश सम्प्रेषण के मुद्रित माध्यम-समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, पुस्तकें, बैनर, पम्पलेट, पर्चे एवं ब्रोसर दि, इलेक्ट्रानिक माध्यम-रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि, इन्टरैक्टिव माध्यम-ाईलफोन, कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि तथा परम्परागत माध्यम-नृत्य, वाद्य, संगीत, क, नौटंकी कठपुतली, मेला आदि सम्मिलित किए जाते हैं। श्रोता या प्राप्तकर्ता होता है जो सन्देश को प्राप्त करता है। इसमें एक या एक से अधिक सांस्कृतिक हों के व्यक्ति होते हैं। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता का प्रत्युत्तर होता है, जो संचार प्रक्रिया सम्पन्न होने पर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों द्वारा अभिव्यक्त ा है। प्रतिपुष्टि सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ होता है। इस प्रकार सम्प्रेषक, दश, माध्यम, श्रोता और प्रति पुष्टि इन पांच प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त संचार प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संकेतीकरण, संकेत वाचन और गन्तव्य ल इन तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। संकेतीकरण में शब्दों के साथ आदि संकेतों का प्रयोग होता है। श्रोता द्वारा संदेश का संकेत वाचन करके अर्थ ट करना संकेत वाचन है। जिन व्यक्तियों या सांस्कृतिक समूहों के लिए संदेश का त्व होता है उन व्यक्तियों या सांस्कृतिक समूहों तक पहुँचना सन्देश का गन्तव्य ल है।

2.3 अन्तर सांस्कृतिक संचार का विकास

मानव सभ्यता के उद्‌भव एवं विकास के साथ ही अन्तर सांस्कृतिक संचार प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। आदिम जातियाँ जीवन यापन हेतु निरन्तर भ्रमण करती विभिन्न भ्रमणशील जातियाँ अपने विचारों, भावों और अनुभवों को आपस में ान-प्रदान करती थी। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सुमेरियन, बैबीलोनियन, असीरियन ी, यहूदी, कैल्डियन, इजियन, सैन्धव आदि प्रमुख हैं। इन सभ्यताओं में अन्तर

सांस्कृतिक संचार के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के चित्राक्षर पूर्ववर्ती एवं समकालीन मेसोपोटामिया एंव मिश्र की सभ्यता से मिलते-जुलते हैं। हड़प्पा संस्कृति, सैन्धव संस्कृति, सुमेरियन एवं मैसोपोटामियन संस्कृति में परस्पर व्यापारिक सम्बन्धों के साक्ष्य भी मिलते हैं। सैन्धव संस्कृति के लोगों के बारे में सम्भावना है कि ये भूमध्य सागरीय नृवंश के ते और भारतीय द्रविड़ लोगों के साथ उनके सहसम्बन्ध थे। सैन्धव संस्कृति एवं समकालीन विश्व की अन्य संस्कृतियाँ नगरीय थी, जबकि आर्य लोग, जो आल्पस पर्वत के पूर्व में निवास करते थे, कृषक एवं यायावर चरवाहा जाति के लोग थे। कालान्तर में आर्य विश्व के विभिन्न भागों में फैल गये और वहां की मूल जातियों से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया से एक समिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। आर्यों की महानतम थाती वेद हैं। उत्तर वैदिक काल में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्मानुयायियों ने विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचार के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा दिया।

भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में बाह्य आक्रमणों द्वारा भी अन्तर सांस्कृतिक संचार को नया आयाम मिला। यूनानी, पार्थियन, कुषाण, शक और हूण आक्रमण सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया तेज हुई। भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में इस्लाम धर्मानुयायियों ने आक्रमण के द्वारा न केवल अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया वरन् अपनी संस्कृति एवं अपने धर्म का भी प्रसार किया। यूरोपीय पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रान्ति के बाद इसाई धर्मानुयायी यूरोप वासियों ने विश्व के अधिकांश भागों में व्यापार - वाणिज्य द्वारा कालोनीज बनाकर उपनिवेशवाद को जन्म दिया और यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का तीव्रगति से प्रचार एवं प्रसार किया। प्राचीन काल में भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विस्तार किया, किन्तु इस विस्तार की प्रकृति यूरोपवासियों के औपनिवेसिक विस्तारवादी नीति से भिन्न थी। मेगनस्थनीज, फाह्यान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी दूत भारत में आकर यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता का गहन अध्ययन किया और अपने देशवासियों को विशिष्ट भारतीय संस्कृति से परिचित कराया, वहीं महेन्द्र एवं संघ मित्रा ने श्रीलंका आदि देशों का भ्रमण करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

प्राचीन काल से लेकर पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तक उत्प्रवास, भ्रमण संघ, सम्मेलन, वाणिज्य-व्यापार, दौत्यकर्म, वाह्य आक्रमण, धर्म प्रचार, मुद्रा, शिलालेख आदि द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सम्पादित होती रही। औद्योगिक क्रान्ति के बाद नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों से यातायात एवं संचार की गति तीव्र हुई। मुद्रण मशीन के आविष्कार से मुद्रित माध्यम का जन्म हुआ तथा मार्सकोड एवं टेलीफोन के आविष्कार से इलेक्ट्रानिक मीडिया की उत्पत्ति हुई। आज मुद्रित माध्यम-सामाचार पत्र, पत्रिकाएँ पैम्फलेट, ब्रोसर, बैनर, पर्चे आदि इलेक्ट्रानिक माध्यम रेडियो, टी0वी0, फिल्म आदि तथा इन्टरैक्टिक मीडिया-मोबाईल फोन, पेजर, फैक्स, कम्प्यूटर और इण्टरनेट आदि के द्वारा बहुत तीव्र गति से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया

ादित हो रही है। अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से लैस आधुनिक डिया अन्तर सांस्कृतिक संचार की संवाहक है।

.3 आधुनिक मीडिया

प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अपने विचारों-भावों एवं अनुभवों का ान-प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लिया है। संचार यमों का स्वरूप मानवता के विकास के साथ-साथ परिवर्तित होता रहा है।

3.1 मीडिया के प्रकार

मानव जाति अपनी लम्बी ऐतिहासिक विकास यात्रा में जिन माध्यमों के द्वारा ने विचारों, भावों और अनुभवों का आदान-प्रदान करती रही है और वर्तमान में रही हैं उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। 1-प्राचीन माध्यम, 2- पारम्परिक यम, 3-आधुनिक माध्यम

प्राचीन माध्यम प्राचीन काल में संदेश सम्प्रेषण के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार संकेतों का प्रयोग करता था। जैसे - विभिन्न प्रकार की आवाज लगाना, ढोल या ल बजाना, आग या धुंआ करना, गुफाओं में शैलचित्र बनाना, सिक्कों और बर्तनों अनेक प्रकार का चित्रांकन आदि। आगे चलकर जब मनुष्य ने भाषा और लिपि विकास कर लिया तो शिला खण्डों आदि पर संदेश लिखना आरम्भ किया। सतत् मान नदियों की जलधारा में बांस की नलियों या तुम्बियों द्वारा भी संदेश भेजा ा था। संदेश सम्प्रेषण के लिए कबूतर और बाज जैसे पक्षियों का भी प्रयोग होता वैदिक काल के यज्ञ-होम भी संदेश सम्प्रेषण के माध्यम थे।

म्परिक माध्यम

पारम्परिक माध्यमों का उद्भव भी आदिकाल में ही हो चुका था, तभी से यह यम आज तक अस्तित्व में है। वर्तमान समय में पारम्परिक माध्यमों के महत्व को े हुए इनका प्रयोग इलेक्ट्रानिक माध्यमों तक किया जाने लगा है। पारम्परिक यमों में लोकगीत, नृत्य, लोकनृत्य, रंगमंच, रासलीला, रामलीला, भवाँई, नौटंकी ा, तमासा, वरान्काथा, कठपुतली, ड्रामा, मेला, पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि आते इन माध्यमों से हमारी सांस्कृतिक क्रिया कलापों, गतिविधियों एवं चेतना की व्यक्ति भी होती है।

निक मीडिया

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये-नये यंत्रों के ष्कार से मानव ज़ाति ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, मुद्रण यंत्र के आविष्कार मुद्रण कला के विकास के साथ ही संचार माध्यमों का भी आधुनिकीकरण हुआ। से लेकर अब तक संचार के क्षेत्र में अनेक नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ माध्यमों का स्वरूप ही बदल गया। आधुनिक मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र.

पत्रिकाएँ, रेडियो, टी0वी0, फिल्म, फोटोग्राफी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर इण्टरनेट आदि का समावेश हो गया।

16.3.2 आधुनिक मीडिया से आशय

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामने आये। ज्ञान का उदय हुआ, तर्क का विकास हुआ। नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और मानवजाति की विकास यात्रा ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। संचार के क्षेत्र में मुद्रण यंत्र का आविष्कार और मुद्रणकला के विकास से आधुनिकयुग का शुभारम्भ हुआ। मुद्रणकला के विकास से प्रिंट मीडिया का उदय हुआ। इसी प्रकार सैमुअल एम0 वी0 मोर्स ने जब टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया तो सन्देश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोर्सकोड से भेजना सम्भव हुआ। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके इलेक्ट्रानिक मीडिया का शुभारम्भ किया। इसके बाद रेडियो, टी0वी0, फिल्म, फैक्स, पेजर, कम्प्यूटर और इन्टरनेट आदि नये-नये आविष्कारों ने समय एवं दूरी को अत्यन्त संकुचित करके पूरे विश्व को एक ग्राम के रूप में बदल दिया।

यूरोपीय पुनर्जागरण के पूर्व विचारों, भावों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का माध्यम मनुष्य, पशु-पक्षी एवं प्राकृतिक पदार्थ थे। मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद संचार माध्यमों का स्थान यंत्रों ने लेना प्रारम्भ कर दिया। टेलीफोन के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नये-नये आविष्कारों का ऐसा सिलसिला चला कि वर्तमान युग आई0 टी0 युग के नाम से जाना जाने लगा। यांत्रिक माध्यमों से होने वाला संचार ही आधुनिक मीडिया का पर्याय हो गया। इसमें प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को सम्मिलित किया गया। सेटेलाइट पर आधारित संचार व्यवस्था ने संचार क्रान्ति को जन्म दिया जिससे कम्प्यूटर और इन्टरनेट ने एक नया आयाम प्रदान किया।

16.3.1 आधुनिक मीडिया के प्रकार

आधुनिक मीडिया को हम निम्नलिखित तीन श्रेणी में बाँट सकते हैं- 1-प्रिंट मीडिया, 2-इलेक्ट्रानिक मीडिया, 3-इन्टरैक्टिव मीडिया। प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र-पत्रिकाएं पुस्तक, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, ब्रोसर आदि आते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक माध्यम के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, आदि आते हैं।

इण्टरेक्टिव मीडिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर, मोबाइल, इन्टरनेट, पेजर, फैक्स, मोडम आदि आते हैं।

वर्तमान् समय में आधुनिक मीडिया के द्वारा ही संचार प्रक्रिया सम्पादित हो रही है। इलेरक्ट्रॉनिक मीडिया ही परम्परागत माध्यमों का भी प्रयोग कर रही है। आधुनिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार में मध्यस्थ एवं उपकरण दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। आधुनिक मीडिया द्वारा संचार की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र

से चल रही है। आज कोई भी सूचना या समाचार पल-भर में विश्वं के किसी कोने में प्रसारित हो जा रहा है। पूरा विश्व एक इकाई के रूप में परिवर्तित होता रहा है।

.4 आधुनिक मीडिया ए. अन्तरसांस्कृतिक संचार

आधुनिक मीडिया के उद्भव के पूर्व लोग अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों अदान-प्रदान सीधे करते थे। आज सीधे संवाद बहुत कम हो रहे है। वर्तमान समय आधुनिक मीडिया ही उपकरण और मध्यस्थ दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। धुनिक मीडिया ने विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति को न्त तीव्र कर दिया है। आधुनिक मीडिया के द्वारा अन्तर संस्कृतिक संचार का र वैश्विक स्तर पर हो गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और इन्टरैक्टिव डिया द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया का अध्ययन अलग-अलग करना वहारिक दृष्टि से समीचीन होगा।

4.1 प्रिंट मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

प्रिंट मीडिया से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया मुद्रण यंत्र के आविष्कार पूर्व से ही सम्पादित होती चली आ रही है। भाषा और लिपि के विकास के बाद से ज्ञानी एवं विद्वत् समाज की अपने अनुभूति जन्य ज्ञान एवं अर्जित विद्या को भोजपत्र ताम्रपत्र पर लिखकर संरक्षित करने की प्रवृत्ति रही है। विश्व का समस्त ज्ञान ान मुद्रण यंत्र के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र, ताम्रपत्र एवं कागज पर हस्तलिखित में ही संरक्षित था। मेगस्थनीज, फाह्यान एवं ह्वेनसांग ने अपने यामा विवरणों को नी डायरी में लिखकर ही भारतीय ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कृति से अपने देशवासियों परिचित कराया। तिब्बतवासी बौद्ध धर्मानुयायियों ने पाली भाषा में लिखित बौद्ध , दर्शन एवं साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद करके अन्तर सांस्कृतिक संचार द्वारा तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। मुस्लिम विद्वानों ने भी भारतीय , दर्शन एवं संस्कृति से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रन्थों का फारसी,अरबी आदि ाओं में अनुवाद किया। अमीर खुसरों ने फारसी भाषा में प्राचीन भारतीय मनीषा अनुवाद किया। इसी प्रकार भारतीय विद्वानों ने भी विश्व के अन्य धर्मों एवं कृतियों से भारतीयों को परिचित कराने के लिए भारतीय भाषाओं में वहां के ज्ञान-ान एवं धर्म-दर्शन से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुवाद किया।

विश्व में मुद्रणकला का आरम्भ भी धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य ही हुआ। आठवीं शताब्दी में धार्मिक दस्तावेजों का मुद्रण लकड़ी के ठप्पों से रिया और जापान में आरम्भ हुआ। पूर्वी एशिया में नवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक णीसूत्र एक हजार पृष्ठों वाली बौद्ध ग्रन्थ 'त्रिपिटक' और 'वज्रसूत्र' मुद्रित हुई। हवीं शताब्दी के मध्य में जब जर्मनी के गुटेनवर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार ा तब पहली पुस्तक 'बाइबिल' ही छपी। पुर्तगालियों ने जब भारत में सोलहवीं ब्दी के मध्य में प्रिन्टिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया तो उसके पीछे भी इसाई धर्म

र सांस्कृतिक संचार के विभिन्न
न

एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार का ही उद्देश्य था। जब प्रथम भारतीय भीम जी पारिख ने प्रिन्टिंग प्रेस बम्बई में लगाया तो उनका उद्देश्य भारतीय धर्मग्रन्थों का प्रकाशन ही था। इस प्रकार प्रिन्टिंग यंत्र का आविष्कार एवं मुद्रण कला का विकास धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हुआ।

मुद्रण यंत्र के आविष्कार और मुद्रण कला के विकास से संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आई। इसके पूर्व हस्तलिखित पत्रों एवं पुस्तकों से ज्ञान और जानकारी का आदान-प्रदान और प्रचार-प्रसार समाज में बहुत सीमित था। मुद्रणालय के आविष्कार से पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और अन्य पाठ्य सामग्रियों का प्रचुर प्रकाशन संभव हुआ जिसने जन साधारण के लिए ज्ञान का द्वार खोल दिया। प्रिंट मीडिया आज शिक्षित जन मानस में संचार का एक सशक्त माध्यभ बन चुका है। मुद्रण तकनीक में निरन्तर हो रहे विकास ने अब मुद्रित माध्यमों को और भी प्रभावी बना दिया है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि नियतकालिक एवं अनियतकालिक समाचार पत्र-पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, धार्मिक ग्रन्थ, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट एवं अन्य मुद्रित माध्यम आज अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवाहक बन गये हैं।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी आज जन साधारण को उपलब्ध हो रही है। इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति विषयक पुस्तकों की उपयोगिता अध्ययन-अध्यापन तक ही विद्वत समाज में सीमित है और प्रामाणिक पुस्तकों की भाषा जनसाधारण के लिए दुरुह है। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित सांस्कृतिक गतिविधियों एवं क्रियाकलाओं की जानकारी समाचार, लेख, फीचर विशेषांक के रूप में जो जनसाधारण को उपलब्ध हो रही हैं वह सहज, सरल, बोधगम्य एवं ग्राह्य है। आज समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में वैश्विक स्तर पर चल रही सांस्कृतिक गतिविधियों, हलचलों, कार्यक्रमों, आयोजनों की सूचना एवं समाचार प्रमुखता से छप रहे है। दैनिक समाचार पत्रों में किसी पर्व, त्यौहार या धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के अवसर पर पृष्ठों की संख्या बढ़ाकर विशेषांक प्रकाशित करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इस तरह के विशेषांक किसी धर्म या संस्कृति के प्रचारक पत्र-पत्रिकाओं को छोड़कर अधिकांश पत्रों में सभी धर्मों एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित पर्वों, त्योहारों और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रकाशित होते हैं। चाहे होली, दीपावली, विजयादशमी हो या ईद, बकरीद, क्रिसमस डे हो चाहे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सिक्ख धर्मगुरुओं की जयन्ती, झूलेलाल जयन्ती, और बुद्ध जयन्ती हो या ईसा मसीह या पैगम्बर मुहम्मद की जयन्ती हो, चाहे काशी में गंगास्नान, प्रयाग का महाकुम्भ हो या मक्का-मदीना का हज और वेटिकन पैलेस में आयोजित कोई धार्मिक सभागम हो। इन सभी अवसरों पर उस धर्म एवं संस्कृति विशेष के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः प्रेरक प्रसंग, अमृतवाणी, अनमोल वचन, किसी आध्यात्मिक विभूति या धार्मिक सांस्कृतिक स्थल के बारे में परिचयात्मक लघु लेख प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार किसी धर्मगुरू, कलाकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार आदि से साक्षात्कार द्वारा उस विद्याविशेष के विषय में प्रचुर जानकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। प्रायः धर्म एवं संस्कृति के विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों द्वारा किसी धर्म सम्प्रदाय, जाति, जनजाति समुदाय की जनरीतियों, लोकाचारों, रूढियों,

थाओं, विश्वासों, आदर्शों, विधियों, कलाओं, आचार-विचार व्यवहार, आमोद-प्रमोद विषय में लिखे गये लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों वं जनजातियों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी, ादिवासियों एवं जनजातियों की संस्कृति से राष्ट्र एवं विश्व को परिचित कराने के द्देश्य से बड़े-बड़े शहरों में सरकार एवं जन-जातीय कल्याण में लगी हुई संस्थाओं रा किये जाने वाले सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना, समाचार, विशेष रिपोर्ट आदि त्र-पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होती है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन, खेलकूद, कला, संगीत, साहित्य, धर्म, फैशन आदि र पत्र-पत्रिकाओं में अवसर विशेष पर विशेषांक भी छपते रहते हैं। सरिता, मुक्ता, ादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में प्रायः पर्यटन विशेषांक प्रकाशित होते रहते हैं। ये विशेषांक तिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से दर्शनीय स्थलों, ी विस्तृत जानकारी देने की दृष्टि से प्रकाशित होते हैं। इन विशेषांकों में उस स्थल ा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व, दर्शनीय स्थलों स्मारकों वं विशिष्टताओं की जानकारी, वहाँ के लोगों के आचार-विचार, व्यवहार की जानकारी, हां की लोक संस्कृति, लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत, लोकसंगीत आदि की विस्तृत ानकारी तथा वहाँ पहुँचने और ठहरने के विषय में विस्तृत जानकारी प्रकाशित होती । कभी-कभी किसी एक ही देश, क्षेत्र या सांस्कृतिक नगर के बारे में उसकी विशेषताओं े प्रत्येक पक्ष में विस्तृत जानकारी प्रकाशित होती है। कभी-कभी किसी एक ही श, क्षेत्र या सांस्कृतिक नगर के बारे में उसकी विशेषताओं के प्रत्येक पक्ष को द्घाटित करने वाला विशेषांक भी प्रकाशित होता है। जैसे- 'आजकल' नामक पत्रिका 'काशी विशेषांक' प्रकाशित हुआ। इसी तरह राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय खेलकूद तियोगिताएं जब किसी नगर या देश में आयोजित होती है तो उस नगर या देश के रे में विस्तृत जानकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। जर्मनी में आयोजित श्वकप फुटबाल प्रतियोगिता के अवसर पर जर्मनी देश के बारे में तथा वहाँ के तिहासिक एवं सांस्कृतिक शहरों के बारे में विस्तृत जानकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित ई थी। दूसरी ओर मेजबान देश की मीडिया भी किसी विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता े दौरान भाग लेने वाली टीमों के बारे में मेहमान देश की खेल गतिविधियों के बारे तथा अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बारे में विशेषांक प्रकाशित रते हैं। यही प्रवृत्ति ओलम्पिक, एशियाड आदि विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं दृष्टिगोचर होती है। विश्वधर्म, विश्वसंगीत, विश्व साहित्य, विश्वकला समागमों में त्र-पत्रिकाओं द्वारा इसी तरह के विशेषांक प्रकाशित होते हैं। फैशन एवं विश्व सुन्दरी तियोगिताएं आदि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित गतिविधियाँ भी पत्र - पत्रिकाओं में र्याप्त मात्रा में प्रकाशित हो रही हैं। प्रिन्टमीडिया का विज्ञापन पक्ष तो पाश्चात्य स्कृति का संवाहक बन गया है।

इस प्रकार आधुनिक प्रिन्ट मीडिया आज अन्तर सांस्कृतिक संचार के संवहन महत्वपर्ण भमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रिन्ट मीडिया के द्वारा पुरातन प्राच्य

संस्कृति और अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति दोनों का प्रसार हो रहा है। एक ओर जहां प्राच्य धर्म, कला, साहित्य, संगीत, परम्पराओं, रूढ़ियों लोकाचारों, लोक संस्कृतियों को पहचान हेतु वैश्विक धरातल मिल रहा है वहीं पश्चिम की भौतिकवादी, उपभोक्तावादी एवं पूंजीवादी संस्कृति को वैश्विक विस्तार का अवसर मिल रहा है। दोनों संस्कृतियों में परस्पर अन्तर्क्रिया तीव्रगति से चल रही है। प्रिन्ट मीडिया द्वारा सम्पादित अन्तर सांस्कृतिक संचार के फलस्वरूप पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना के जागरण से विकास की प्रक्रिया को गति मिली। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद की संर्कीणता कम हुई। वैज्ञानिक "चेतना" के आलोक में अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता एवं सामाजिक विकृतियों में कमी आयी तथा ज्ञान का विस्तार हुआ। विश्व में सांस्कृतिक एकीकरण से जनसंस्कृति का प्रसार हो रहा है।

16.4.2 इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

इलेक्ट्रानिक मीडिया आज सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली जनमाध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न इलेक्ट्रानिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार को नया आयान-प्रदान किया। इलेक्ट्रानिक माध्यम के अन्तर्गत रेडियो, टी0 वी0 एवं फिल्म अन्तर सांस्कृतिक संचार को तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। फोटाग्राफी से सांस्कृतिक क्रियाकलापों, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के चित्रों की प्रस्तुति से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। वर्तमान समय में रेडियो की अपेक्षा टी0वी0 और फिल्म अन्तरसांस्कृतिक संचार के सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम के रूप में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर अन्तर्क्रिया की गति को तीव्रता प्रदान कर रहे हैं। उपग्रहीय संचार व्यवस्था और केबल प्रसारण ने प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति के अन्तर्द्वन्द को और बढ़ा दिया है।

रेडियो- रेडियो एक विस्तृत संचार माध्यम है जिसे आज भी लोक संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। यह टी0वी0 की तुलना में अपने श्रोताओं से आत्मीय जीवन्त सम्बन्ध बनाए रखता है। डा0 अर्जुन तिवारी ने रेडियो को लोकतंत्र का संबल और विश्व में विचारों का एक श्रेष्ठ माध्यम मानते हुए कहा है "रेडियो तो आकाशीय विद्यापीठ (Schools of the Air) है जिसके द्वारा विश्व का ज्ञान हो जाता है।" रेडियो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक चेतना को जगाने और उसे रचनात्मक दिशा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा को जन-जन तक पहुँचाने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े गुलाम अली खाँ, पं0 रविशंकर, बिसमिल्ला खाँ, मिश्र बन्धु, गिरिजा देवी, फिराक गोरखपुरी, सुमित्रानन्दन पन्त, इलाचन्द्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, अश्क, मजाज, पं0 नरेन्द्र शर्मा सरीखे दिगगज संगीतज्ञों और साहित्यकारों ने आकाशवाणी से जुड़कर अन्तर सांस्कृतिक संचार को गति प्रदान की। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित तथा पाश्चात्य संगीत से प्रभावित गीतों ने सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया को बढ़ावा दिया। रेडियो देश के कोने-कोने की सभी स्थानीय

ओं, बोलियों में अपने कार्यक्रम को प्रसारित करता है, जो टी0वी0 हेतु सम्भव है। आज भी टी0वी0 की अपेक्षा रेडियो दूर-दराज के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ी सहज सुलभता के कारण ज्यादा लोकप्रिय है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल स्वरूप समग्र देश की सांस्कृतिक विविधता को सर्मूणता से व्यक्त करता है। तीय साहित्य को जन-जन तक प्रसारित करने के उद्देश्य से 'एक कहानी' कार्यक्रम या जाता है जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की चयनित लघु कहानियों का कीय रूपान्तर प्रस्तुत किया जाता है। 'बस्ती-बस्ती नगर-नगर' नामक कार्यक्रम विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके द्वारा धार्मिक एवं कृतिक नगरों की जानकारी देश-विदेश के लोगों को प्राप्त होती है। रेडियो लोगों चलित सामाजिक बुराइयों को दूर कर स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण ी का एक सशक्त माध्यम है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हिन्दुस्तानी कर्नाटक शैली में गायन, वाद्य, संगीत, लोकसंगीत, सुगम संगीत, के 12500 संग्रहित हैं जो भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार-प्रसार हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं। कृतिक गतिविधियों एवं क्रियाकलाओं की सूचना एवं जानकारी रेडियोवार्ता, परिचर्चा, ात्कार, रेडियो फीचर, नाटक, गीत संगीत कार्यक्रम, समाचार प्रश्नोत्तरी, रिपोर्ट, सम्मेलन, मुशायरा, वाद्य संगीत, गायन, फिल्म,संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम त, पारम्परिक संगीत, लोकसंगीत, किसी पर्व त्यौहार, जयन्ती, धार्मिक-सांस्कृतिक गम आदि के अवसर पर विशेष रिपोर्ट आदि के द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद या ी महान व्यक्ति के निर्धन पर उसकी शवयात्रा या किसी धार्मिक सांस्कृतिक-नैतिक जुलूस के सजीव प्रसारण के अवसर पर उस नगर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक र को बढ़ावा मिलता है।

इसी प्रकार बी0बी0सी0 वायस आफ अमेरिका आदि विदेशी प्रसारण माध्यमों पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को वैश्विक विस्तार मिल रहा है। बी0बी0सी0 व की 38 भाषाओं में निरन्तर किसी न किसी बैंड पर अपने कार्यक्रम का प्रसारण रहा है। इसकी हिन्दी सेवा में प्रसारित समाचार "विश्व भारती" 'आजकल', ले प्रहर, 'सांस्कृतिक चर्चा एवं बहुरंगी प्रसारण' भारत सहित दक्षिण एशिया के न्न राष्ट्रों में श्रोताओं का कंठहार हो चुका है। इसी प्रकार 'वायस आफ अमेरिका' हिन्दी सहित विश्व की कई भाषाओं में अपने विविध कार्यक्रमों का प्रसारण करके चमी विचार, दृष्टिकोण एवं संस्कृति से विश्व को परिचित करा रहा है। आल डया रेडियो का विदेश सेवा विभाग भी 16 विदेशी एवं 10 भारतीय भाषाओं में सौ अधिक देशों को द्विपक्षीय आदान-प्रदान के आधार पर 3,000 रिकार्ड कार्यक्रम ब्ध कराता है। इसमें शास्त्रीय संगीत, खोजी रिपोर्ट, पश्चिमी संगीत, फीचर का, खेल, वित्तीय समीक्षा, करेंट अफेयर्स स्पाट लाइट, सामयिक जैसे कार्यक्रम तीय संस्कृति को वैश्विक पहचान प्रदान कर रहे हैं। इससे विदेशों में रह रहे तीयों को भारतीय संस्कृति एवं भावनाओं से जोड़ने के साथ ही पश्चिमी जगत भी भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जा रहा है। एफ0 एम0 रेडियो तरंग भी कृतिक संचार का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस प्रकार बी0बी0सी0,

वायस आफ अमेरिका, आकाशवाणी आदि विश्व की सभी प्रतिष्ठित प्रसारण माध्यमों द्वारा अन्तरसांस्कृतिक संचार का तीव्र गति से संवाहन हो रहा है।

टेलीविजन- आधुनिक संचार क्रान्ति में टी0वी0 की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टी0वी0, आज अन्तर सांस्कृतिक संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा बहुत तीव्रगति से सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है। हमारी दिनचर्या में टी0वी0 की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उपग्रहीय संचार व्यवस्था ने टी0वी0 को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। केबिल टी0वी0 अनेक निजी चैनल्स एवं विदेशी चैनलों ने अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को क्रान्तिकारी गति प्रदान कर दिया है। भारतीय दूरदर्शन महानिदेशालय ने जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया उसमें सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका निभाना, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना, जन-सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना तथा भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था। पहले दूरदर्शन, महानगरीय संस्कृति के आभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का साधन मात्र था तथा कला, नाटक, और संगीत का ही प्रदर्शन होता था। आगे चलकर नेटवर्क कार्यक्रमों ने सांस्कृति, साहित्य कला और जीवनोपयोगी प्रसारणों द्वारा आम जनता को दूरदर्शन से जोड़ा। टी0 वी0 के प्रायः सभी कार्यक्रमों द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ सांस्कृतिक विषयों का भी प्रदर्शन होता है। साक्षात्कार एंव परिचर्या, टी0वी0 रिपोर्ट, टी0वी0 पत्रिका, प्रश्नोत्तरी, टेलीफिल्म, फीचर वृत्तचित्र, नाटक, विविध कार्यक्रम, रंगारग कार्यक्रम, सोप ऑपेरा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक विषयों की जानकारी भी दी जाती है। टी0 वी0 चूँकि दृश्य-श्रव्य माध्यम है अतः इसका प्रभाव मुद्रित माध्यम (पत्र-पत्रिका आदि) एवं श्रव्य माध्यम (रेडियो) से अधिक पड़ता है।

दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों का उद्देश्य और लक्ष्य भारतीय संस्कृति पर आधारित धारावाहिकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करना और भारतोय संस्कृति को, बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए रामानन्द सागर का 'रामायण' बी0 आर0 चोपड़ा का 'महाभारत' धीरज कुमार का 'ओम नमः शिवाय' संजय खान का जय हनुमान, रामानन्द सागर का श्रीकृष्ण, के अलावो 'वीर हनुमान' और 'उत्तर रामायण' जैसे धार्मिक कार्यक्रमों ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। ईसाई समुदाय की धार्मिक कथानक पर आधारित 'बाइबिल की कहानियाँ' के अतिरिक्त कुछ कार्यक्रम 'गुडफ्राईडे', 'क्रिसमस', 'ईस्टर', भी दूरदर्शन पर प्रसारित किये गये। दूर दर्शन पर वैष्णो देवी, कुम्भ मेला, महाकुम्भ, राखी, दशहरा, दीवाली, नवरात्रि, महावीर जयन्ती, ओणम, पोंगल, बुद्ध जयंती आदि पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके हिन्दू जनमानस को जीतने का प्रयास हुआ, वहीं दूसरी ओर ईद, 'ईद मिलन और नवचन्दी मेले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके मुस्लिम समुदाय को भी खुश किया गया। इसके अलावा चेट्टीचन्द, बैशाखी, गुरूपर्व, पारसी डे आदि पर प्रसारित विशेष कार्यक्रमों ने भारत ही नहीं संसार भर के सिख पंजाबी, पारसी, सिन्धी समुदाय की

क-सांस्कृतिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया। ए0 लोखन वाला का 'दास्तान ए मताई', (अरबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित), संजय खान का 'द ग्रेट ', अकबर खान का 'अकबर द ग्रेट' राज बब्बर का 'भगवान-परशुराम' और ए0 पाण्डेय का सत्य नारायण व्रत कथा', रामानन्द सागर का 'जय दुर्गा' आदि व्र धार्मिक-सांस्कृतिक धारावाहिक है। इसके अलावा टी0वी0 के अन्य चैनलों पर ा रहस्य' 'नानक निर्मल पंथ' सोनी चैनल पर 'श्री गणेश', जी0 टी0वी0 पर गणेश' स्टार टीवी पर 'उत्तर रामायण' तथा अन्य विभिन्न चैनलों पर विष्णु ा', 'ओम नमोः नारायण', 'शिवशक्ति', 'कर्ण', 'जय महाभारत', मर्यादा पुरुषोत्तम , 'सती सावित्री', 'द्रोपदी', 'माँ शक्ति', आदि कई दर्जन धार्मिक -सांस्कृतिक वाहिक प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा दूरदर्शन भी अपने मुख्य चैनल द्वारा ह सवेरे' नामक कार्यक्रम में 'अमृत वाणी', नामक कार्यक्रम द्वारा संतों की वाणी प्रसारण कर आम जनता में धार्मिक - सांस्कृतिक भावनाओं को संचारित कर रहा इन धारावाहिकों द्वारा जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर तीव्रगति चार-प्रसार हो रहा है वहीं दूसरी ओर हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, पारसी आदि दायों की धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ अभिव्यक्त हो रही हैं। इससे अन्तर सांस्कृतिक र को बढ़ावा मिल रहा है।

सेटेलाइट क्रान्ति के बाद नई-नई तकनीकों का विकास होने से वर्तमान में से अधिक देशी-विदेशी निजी एवं सरकारी चैनलों की भरमार से अन्तरसांस्कृतिक र की प्रक्रिया तीव्र हो गयी है। विभिन्न टी0 वी0 चैनलों के द्वारा आकाशीय मार्ग एक देश, क्षेत्र और समुदाय की संस्कृति, दूसरे देश, क्षेत्र एवं समुदाय में प्रवेश रही है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उदारवाद एवं मुक्त बाजार के वैश्विक न ने वाणिज्य एवं व्यापार हेतु राष्ट्रीय बाधाओं को शिथिल कर दिया है, परिणाम रूप विश्व के अधिकांश देशों में उपग्रह संचार के द्वारा निजी एवं विदेशी चैनलों भरमार होने लगी। समस्त विश्व के सांस्कृतिक वैविध्य से लोग परिचित होने लगे न्तु सूचनातंत्र पर कारपोरेट पूंजीवाद एवं विकसित देशों का नियंत्रण होने से भोक्तावादी संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति को समस्त विश्व में प्रभावी विस्तार रहा है। धार्मिक सांस्कृतिक धारावाहिकों को छोड़कर अन्य धारावाहिकों, विश्व दरी प्रतियोगिता, फैशन शो, सोप आपेरा, टाक शो, चैट शो, कामेडी एवं जासूसी शी संगीत फिल्मों, कार्टून फिल्मों, नृत्य, अश्लीलता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित ावाहिकों एवं विज्ञापन पक्ष बाजारवाद से प्रभावित उपभोक्तावादी संस्कृति को तेजी विस्तार प्रदान कर रहे हैं। इस समय समस्त विश्व में प्रत्येक देश की स्थानीय, ीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति का तीव्रगति से विस्तारित कारपोरेट पूंजीवाद एवं बाजारवाद प्रभावित भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति से अन्तर्द्वन्द्व और अन्तर्क्रिया तीव्र गति से चल रही है। इस प्रकार टी0वी0 अन्तर सांस्कृतिक संचार का सबल ाहक बन चुका है।

फिल्म-वैश्विक जनजीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जनमाध्यम सिनेमा है। सिनेमा दर्शकों की चेतना को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि दर्शक अपने वास्तविक जीवन में भी उन प्रभावों से वंचित नहीं रह पाता। सिनेमा समाज के आचार-व्यवहार पर असर डालता हैं। अन्तर-सांस्कृतिक संचार की दृष्टि से सिनेमा का सभी जनमाध्यमों में शीर्ष स्थान है। भारतीय सिनेमा का प्रारम्भ धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से ही हुआ। प्रथम मूक फिल्म सन् 1913 में दादा साहब फाल्के ने 'राजा हरिशचन्द्र' बनायी । मूक फिल्मों के युग में ही कुछ और फिल्में भी बनाई गई जो हिन्दू धर्म एवं संस्कृति पर आधारित थीं। जैसे श्री कृष्ण (1918), कबीर कमल (1919), द्रोपदी वस्त्र हरण् (1920), मीराबाई (1921), विष्णु अवतार (1922), जनक वेदैही (1923), सावित्री (1924), देवी अहिल्याबाई (1925), भक्त श्री एकनाथ (1926), दुर्गेश नन्दिनी (1927), जय भवानी (1928) कुरूणा कुमारी (1929) गणेश जन्म (1930) वीर अभिमन्यु (1931) आदि प्रमुख हैं। सवाक् फिल्मों के युग में सैकड़ों धार्मिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में बनी जिसमें 'जय सन्तोषी माँ' ने बड़े बजट की फिल्म शोले तक को चुनौती दे दी। इसी तरह 'मुस्लिम संस्कृति एवं इस्लामिक कथनाकों पर आधारित मूक फिल्मों में गुलेबकावली (1929), गुलशने हरम, (1929) हूर-ए-बगदाद (1931), आदि तक सवाक् फिल्मों में आलम-आरा (1931), नूर-ए-इमान (1933), जजमेण्ट आफ अल्लाह (1935), फकीर-ए-इस्लाम (1937) शाने-हिन्द (1960), शाने खुदा (1975), शाने-इलाही (1995) आदि कई दर्जन फिल्में बनी। आजादी के बाद भारतीय चलचित्र विभाग द्वारा भी भारतीय कला संस्कृति पुरातत्व परम्परा, धर्म, रीति-रिवाज पर आधारित अनेक वृत्तचित्र बने। जैसे-भारत के मुसलमान कुम्भ मेला, उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य, महाराष्ट्र के लोक गीत, साई बाबा, कोणार्क, सांस्कृतिक मित्रता, श्री अकाल तख्त साहब, कवि सम्मेलन, भरत नाट्यम, कृष्ण भूमि आदि अगणित सांस्कृतिक वृत्त चित्र। भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी मूक एवं सवाक् फिल्मों के दौर में धार्मिक-सांस्कृतिक फिल्म बनी। इन फिल्मों से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली।

भारत में हॉलीवुड की फिल्मों का भारतीय भाषाओं मे डबिंग से तेजी से भारत सहित अन्य विकासशील देशों में अमेरिकी संस्कृति का प्रसार हुआ। भारतीय फिल्मकारों ने भी पाश्चात्य एवं अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित फिल्मों का हिन्दी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में निर्माण किया। आज भारतीय फिल्मों मे दिखाई जाने वाली अश्लीलता, हिंसा, मारपीट आदि दृश्यों की प्रधानता से पाश्चात्य संस्कृति का तेजी से प्रभावी विस्तार प्राच्य देशों में हो रहा है। हॉलीवुड (अमेरिका) के बाद भारत विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। ये फिल्में भारतीय उप महाद्वीप के अलावा विश्व के अन्य बहुत सारे देशों, विशेषकर खाड़ी देशों और रूस आदि में भी देखी जाती हैं। चीन में हिन्दी फिल्में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। ये फिल्में चीनी में भाषांतरित करके दिखाई जाती है। इसी प्रकार हालीवुड की अनेक फिल्में विकाशील देशों में वहां की राष्ट्रीय

क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग करके दिखाई जाती है। भारतीय एवं विदेशी फिल्मों का ार-प्रसार विभिन्न देशों के सुविधा सम्पन्न वर्ग में ही नहीं अपितु आदिवासी जनजातीय त्रों तक है। इन क्षेत्रों के लागों का मनोरंजन निकटवर्ती बाजारों के सिनेमाघरों में र्शित फिल्मों द्वारा होता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में सिनेमा अन्तरसांस्कृतिक संचार का एक सशक्त ध्यम बन चुका है। सिनेमा अपने उद्भव काल से ही जन-जीवन को सर्वाधिक ाणित करने वाला माध्यम है। इसका सीधा प्रभाव दर्शकों के आचार-विचार एवं वहार पर पड़ता है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी रन्तर बाजार का विकास होने से सिनेमा अन्तर सांस्कृतिक संचार का सशक्त ाहक बन चुका है।

.4.3 इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तर सांस्कृतिक संचार

संचारक्रान्ति के दौर में कम्प्यूटर और इण्टरनेट ने संचार के सभी माध्यमों समन्वित रूप ग्रहण कर लिया। इण्टरैक्टिव मीडिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ाइल, पेजर, फैक्स, मोडम आदि आते हैं। वर्तमान में ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तर-सांस्कृतिक संचार के प्रभावशाली माध्यम बन गये हैं। आज समस्त विश्व में रही सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलापों एवं हलचलों की सूचना पलभर में हमें माध्यमों से प्राप्त हो जा रही है। पेजर, फैक्स, एंव मोबाइल के माध्यम से विभिन्न स्कृतिक समूहों के लोग प्रतिदिन परस्पर अन्तर्क्रिया कर रहे हैं। अभी पिछले कुम्भ ा के अवसर पर प्रयागराज में गंगा-यमुना-सरस्वती के पवित्र संगम पर डेरा जमाये भिन्न मठों, अखाड़ों के साधु-सन्तु एवं मठाधीश मोबाइल फोन से लैस थे एवं व भर की मीडिया से सीधे जुड़े थे। हजारों किलोमीटर दूर न्यूयार्क और लन्दन में व्यक्ति विभिन्न मठों एंव अखाड़ों की गतिविधियाँ, शाहीस्नान आदि की सूचना मठाधीशों एवं अखाड़ा प्रमुखों से साक्षात्कार आदि मोबाइल फोन द्वारा ही प्राप्त लेता था।

कम्प्यूटर तो आज सभी माध्यमों का माध्यम बन गया है और इंटरनेट कम्प्यूटर वर्कों का नेटवर्क है। आज सूचना, समाचार एवं जानकारी के ढेर सारे स्रोत तो यूटराइज्ड हो गये हैं। आज वेब पर बेहिसाब शैक्षिक सामग्री एवं ज्ञान उपलब्ध है। विषयों के इनसाइक्लोपीडिया, सभी देशों के एटलस, मानचित्र, सभी शहरों के तों के मानचित्र, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और जो कुछ भी हम जानना चाहते तब इण्टरनेट के जरिये उपलब्ध हैं विभिन्न संस्कृतियों के सम्बन्ध में जानकारी, नाएं एवं ज्ञान का अगाध भण्डार इण्टरनेट में उपलब्ध है। इण्टरनेट के माध्यम से किसी भी सांस्कृतिक समूह की प्रथाओं, रूढ़ियों, लोकाचारों, जनरीतियों, विश्वास र्शों, विधियों कलाओं की जानकारी घर बैठे इण्टरनेट से प्राप्त कर सकते हैं रनेट सूचना का महामार्ग है। इसके द्वारा ज्ञान का द्वार सबके लिए खुल गया है।

आज ई-मनोरंजन ने शिक्षा रंजन बेव के जरिये पर्यटन स्थलों का भ्रमण, थियेटर, सिनेमाघर चित्रकला जैसा रचनात्मक कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था कर दी है। ई-शिक्षा, ई-संगीत, वीडियो मनोरंजन आदि से अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गयी है। इण्टरैक्टिव मीडिया के द्वारा आज वैश्विक स्तर पर तीव्रगति से सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के मध्य पारस्परिक अन्तर्किया की गति को इण्टरैक्टिव मीडिया ने बहुत तेज कर दिया।

16.5 अन्तरसांस्कृतिक संचार पर आधुनिक मीडिया का प्रभाव

आधुनिक मीडिया अन्तरसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर दिया है। आधुनिक मीडिया के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में सीधे आचार-विचार का आदान प्रदान होता था। आज सीधे संवाद बहुत कम हो रहा है, वरन् आधुनिक मीडिया ही उपकरण और मध्यस्थ दोनों की भूमिका अदा कर रही है। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

16.5.1 सकारात्मक प्रभाव

आधुनिक मीडिया ने अनन्त ज्ञान का द्वार जनसाधारण के लिए खोल दिया है। वैज्ञानिक चेतना को जाग्रत किया है जिससे तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि हो रही है तथा वैज्ञानिक द्वन्द से मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जागरूकता से विकास की प्रक्रिया को गति मिल रही है। ये सभी प्रभाव समवेत रूप से एक नये सांस्कृतिक वातावरण का सृजन कर रहै हैं।

आधुनिक मीडिया के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से चल रही है। आधुनिक मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक बढ़ रही है। आज विकासशील देशों का समाज ही पश्चिम या विकसित देशों की संस्कृति से प्रभावित नहीं हो रहा है वरन् अमेरिका और यूरोप ने भी पूर्वी दर्शनों और के तरीकों, संगीत, भोजन आदि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को स्वीकार किया है। यदि हम मैकडोनाल्ड, कोकाकोला, फास्टफूड आदि चुनिंदा मास मीडिया के प्रतीकों को स्वीकार कर रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप में भी शाकाहारी भोजन के प्रति रूझान बढ़ रहा है। प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति पश्चिमी समृद्ध देशों से पूर्व के निर्धन देशों की ओर बह रही थी। पिछले कुछ वर्षों में दूरदर्शन के माध्यम से एवं अन्य कारणों से भी पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बहने लगी और इन दोनों का समिश्रण प्रत्यक्ष होने लगा है। जब हैरिसन जैसा उत्कृष्ट नौजवान अंग्रेज, संगीतकार, दूरदर्शन

राम नाम कीर्तन के शब्दों और ध्वनियों को अपने संगीत में सम्मिलित करता है र रविशंकर तथा यहूदी मेनुहेन जब मिलकर एक संगीत रचना तैयार करके दूरदर्शन अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति की प्रचुर शि में भारतीय संस्कृति का पुट आ ही जाता है और सच्चे अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय स्कृतिक अभिव्यंजना का उदय होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी कृति एक नई वैश्विक संकर संस्कृति को उत्पन्न करती है। आधुनिक मीडिया का यह प्रभाव है कि जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद की संकीर्णता एवं अन्ध विश्वासों र रूढ़िवादिता में कमी आयी हैं। आज सम्पूर्ण विश्व समतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, नवतवाद, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार जैसे नये सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार कर है।

आधुनिक मीडिया का ही प्रभाव है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति को ज वैश्विक पहचान मिल रही है। आधुनिक मीडिया के द्वारा स्थानीय कलाकारों, हित्यकारों, स्थानीय संस्कृति, लोकगीत, लोककला, लोकसाहित्य, लोकसंगीत, कनृत्य, लोक संस्कृति को राष्ट्रीय एवं वैश्विक धरातल पर पहचान मिल रही है। -दर्शन एवं अन्य चैनलों पर दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्र की जातियों, जनजातियों, समी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी तथा तमिल आदि भाषाई आधार पर बने सांस्कृतिक हों तथा आन्ध्रा, कर्नाटक आदि सांस्कृतिक समुदायों की परम्पराओं, लोकाचारों, ढ़ियों, मान्यताओं, जनरीतियों, प्रथाओं, विश्वासों, आदर्शों, विधियों और कलाओं प्रायः प्रसारण होता रहता है। इससे इन संस्कृतियों की पहचान तीव्र गति से ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बन रही है। इण्टरनेट पर जातियों-जनजातियों, भाषाई, र्मिक एवं क्षेत्रीय संस्कृतियों की ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। रेडियो, टी0वी0 फिल्मों द्वारा वैश्विक संस्कृति का विस्तार भी इन क्षेत्रों में हो रहा है। जिससे नीय संस्कृतियाँ प्रगतिशील एवं विकासवादी होती जा रही है। भाषाई एवं सांस्कृतिक करण में फिल्मों का योगदान अग्रणी रहा है। भारत में हिन्दी फिल्मों ने दक्षिण में हिन्दी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही पश्चिमी कृति फिल्मों के माध्यम से विस्तार पा रही है जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय सांस्कृतिक यों को प्रभावित कर रही है। इसी तरह राष्ट्रीय संस्कृति को प्रिन्टमीडिया, इलेक्ट्रानिक डिया एवं इण्टरैक्टिव मीडिया के द्वारा पहचान के लिए वैश्विक धरातल मिल रहा भारतीय फिल्में भारतीय उप महाद्वीप के अलावा विश्व के बहुतेरे देशों, विशेषकर ड़ी के देश तथा रूस, चीन आदि देशों में देखी जाती है। रूस, चीन, आदि देशों में कपूर एवं नरगिस की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आगे चलकर रेखा, मिथुन वर्ती और मन्दाकिनी का रूस में आकर्षण बढ़ा। 'डिस्को डांसर', मिथुन ने लाखों ी लड़कियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। ये फिल्में देखते-देखते तीय नृत्य संगीत, वेश-भूषा, रस्मों-रिवाज से प्रभावित रूस में हिन्दी भाषा, भारतीय ा, सलवार कमीज, बिन्दी, घुंघरू आदि काफी लोकप्रिय हुआ। चीन में 'दो बीघा ीन', 'हाथी मेरे साथी', 'उत्तर दक्षिण', गंगा-जमुना, 'घायल', 'इम्तिहान', 'लाडला' दि फिल्में काफी लोकप्रिय हुई। 'आवारा' के गाने चीन की गलियों और सड़कों पर जा सकते हैं। रुस और चीन में हिन्दी फिल्मों का डाबिंग होता है किन्तु गाने

हिन्दी भाषा में ही रहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन माध्यमों का पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन के लिए तथा मानव कल्याण की योजनाओं को सार्थक रूप देने के लिए विस्तार किया जाता रहा है। विश्व के अनेक देशों में समाज का चेहरा बदलने के अनेक ऐतिहासिक अभियान इन जनमाध्यमों द्वारा शुरू किय गये, चाहे ब्रिटेन के मध्ययुगीन समाज में चुड़ैल समझकर हजारों स्त्रियों को मौत के घाट उतार देने की परम्परा रही हो या भारत में बाल विवाह और सती प्रथा, इन सबको समाज द्वारा अस्वीकृत कराने के पीछे जनसंचार और उससे पैदा हुई जन जागृति की निर्णायक भूमिका रही है। संचार क्रन्ति से सम्पन्न आधुनिक मीडिया पूरे विश्वको सद्भाव तथा बन्धुत्व के सेतु से जोड़कर विश्व मानवता की अवधारणा का विकास कर रही है। जनमाध्यमों द्वारा ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार एक नये सांस्कृतिक वातावरण में नये समाज का निर्माण कर रहा है। जिसमें लोकतंत्र, समता, धर्मनिरपेक्षता मानवाधिकार विश्व मानवता, आदि नये सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जागरुकता के फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया की गति निरन्तर तीव्र होगी। भविष्य में एक नया समाज होगा, एक नया विश्व होगा।

16.5.2 नकारात्मक प्रभाव

आधुनिक मीडिया का मानव जीवन पर जहाँ एक ओर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाला प्रभाव वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। आधुनिक मीडिया से पश्चिमी संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व अपसंस्कृति का प्रसार, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार, राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या, मानवीय संवेदन शून्यता, कलह, आतंकवाद और संसाधनों की छीना-झपटी, आर्थिक दबाव के चलते टूट रहे पारिवारिक सम्बन्धों से बढ़ता अवसाद, संगठित अपराध में वृद्धि, साइबर क्राइम, परम्परागत संस्कृतियों लोकाचारों और परम्पराओं पर कुठाराघात आदि के रूप में जो नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वह सम्पूर्ण मानवजाति के लिए चिन्ता का विषय है।

आधुनिक मीडिया के द्वारा पश्चिमी संस्कृति और अंग्रेजी का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यम विशेषकर दृश्यश्रव्य माध्यम किस तरह जनमत को सीधे आकाशी तरंगों से प्रभावित करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 'प्ले ब्वॉय', पत्रिका की भारत में पाबन्दी है। यह अमेरिका की बहुचर्चित सेक्स पत्रिका है। कैलीफोर्निया के 'प्ले ब्वॉय' स्टूडियों में प्रसारित होने वाला चैनल भारत में देखा जा सकेगा क्योंकि हिन्दूस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एच0 सी0 एल0) और अमेरिकी कम्पनी जनरल इंस्ट्रूमेन्ट्स (डी0आई0) के बीच 1995 में हुए समझौते के बाद 200 से अधिक विदेशी चैनल अपना सांस्कृतिक हमला बोल रहे हैं। यद्यपि सभी चैनल दर्शकों को गुदगुदाने वाले और शयन कक्षों में आत्मीय एकान्त में रिझाने वाले चैनल नहीं हैं किन्तु दर्शकों की

ट 'प्ले ब्वॉय' सरीखे सेक्स प्रधान चैनल पर ही होगी। जापान में काबुकी थियेटर नल से शुरू होकर नेशनल ज्योग्राफिक नैचल भी इस सांस्कृतिक आक्रमण का स्सा बन गया है। सेटेलाइट क्रान्ति ने छोटे पर्दे के सेंसर को लगभग व्यर्थ कर या है। एम0 टी0वी0 चैनल के काम ेत्तेजक वीडियो जब भारत में धड़ल्ले से केबल उपलब्ध हो गये तो बम्बईया सिनेमा ने फूहड़ और अश्लील गानों के लिए मानों इसेंस हासिल कर लिया। एक अभिनेत्री का यह कथन सर्वथा सत्य ही है कि 0टी0वी0 के गानों के मुकाबले में हमारे तथाकथित सेक्सी गाने भजन की तरह खते हैं। दृश्य श्रृव्य प्रसारण माध्यमों का कितना प्रभावशाली सम्प्रेषण हमारी संस्कृति विकृत करने पर तुला हुआ है इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रसारण माध्यमों की र्युक्त भूमिका है। इसी प्रकार ज्ञान के अनन्त भण्डार इण्टरनेट में प्रवेश करने के ए अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज अंग्रेजी के वर्चस्व को रोकने में फ्रेंच और र्मन भाषाएं भी अपने को असहाय महसूस कर रही हैं, तो हिन्दी सहित अन्य विकासशील ों की भाषाओं की औकात ही क्या है। भारतीय फिल्मों में इलू-इलू-इलू का मतलब ई लव यू, लांग ड्राइव जायेंगे, फूल स्पीड जायेंगे, रूक रुक अरे बाबा रुक, ओ ई डार्लिंग गिव मी ए लुक जैसे गाने गाये जाते रहे हैं किन्तु दृश्य श्रव्य माध्यमों ने सारी हदें तोड़कर ऐंग्लो हिन्दी को अपना तकिया कलाम बना लिया है। विद्वानों मानना है कि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उस देश की भाषा को ाप्त कर दो, संस्कृति स्वयं नष्ट हो जाएगी। इस तरह पश्चिमी मीडिया, जिसका ना तंत्र पर एकाधिकार है, पश्चिमी संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित के समस्त विश्व को सांस्कृतिक एवं भाषाई उपनिवेश बनाकर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद सपना साकार करना चाहती है।

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना तंत्र पर कब्जा जमाये कारपोरेट पूंजीवाद विश्व में उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। भाषाई संकट एवं अपसंस्कृति प्रसार इसी उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। यह महज संयोग नहीं है कि पिछले 5-दस सालों में विश्व सुन्दरियाँ भी तीसरी दुनिया के मुल्कों से तलाशी जा रही है एक संगठित उपक्रम है उपभोग लालसा तैयार करने की। आज भारत का उच्च यवर्ग उपभोग के संस्कारों के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसमें ये संस्कार बाहर भरे जा रहे हैं। यह कार्य विधिवत जन संचार माध्यम ही कर रहा है। उपभोक्तावादी कृति पूरे विश्व में जनसंस्कृति का तीव्र गति से प्रसार कर रही है। पूरे विश्व में तरह का पहनावा, खान-पान आदतें, आचार-विचार-व्यवहार आदि जनसंस्कृति चुनिंदा प्रतीकों का तेजी से विस्तार हो रहा है। पूरे विश्व में जनमाध्यमों द्वारा भोक्तावाद का विश्व व्यापी बाजार तैयार किया जा रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति संसाधनों की छीना-झपटी, कलह एवं आतंकवाद से पूरे विश्व में असहिष्णुता का ावरण पैदा कर दिया जिसमें मानवीय संवेदना लुप्त होती जा रही है और सूचना संजाल में व्यक्ति की अस्मिता खो रही है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, भाषाई वर्चस्व आर्थिक उपनिवेशवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार एवं जनसंस्कृति विस्तार ने हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक नींव को तथा परम्परा को हिला कर रख दिया है। आज पूरे दक्षिणी एशियाई समाज को गठबन्धन और पारिवारिक टूटन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समाज में अवसाद वढ़ रहा है। अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से संगठित अपराध में वृद्धि हुई और साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा का जन्म हुआ। इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। टी0वी0 से शताधिक चैनलों एवं फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा अपराध और अश्लीलता से अपसंस्कृति का वैश्विक समाज में तेजी से प्रसार हो रहा है। सी0 एन0 एन0 देखने वाला दर्शक अमेरिका एवं यूरोप भी घटना को लगातार देखता है और उसके अनुसार आचरण करता है। दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में बसे जनजातीय समूह के लोग भी अपने निकटवर्ती बाजारों के सिनेमा घरों में फिल्मों को देखकर तेजी से अपने आचार-विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। इन सबका सकारात्मक प्रभाव कम तथा नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ रहा है। आधुनिक मीडिया ने परम्परागत संस्कृति, लोकाचारों एवं परम्पराओं पर प्रबल प्रहार करके राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। आधुनिक मीडिया का अन्तरसांस्कृतिक संचार पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव किसी एक समाज का नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। इसका वैश्विक स्तर परि निदान दूढना आवश्यक है।

16.6 सारांश-

अन्तर सांस्कृतिक संचार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य आचार-विचार एवं व्यवहार का परस्पर सम्प्रेषण है। इसकी प्रक्रिया वस्तुतः संचार की प्रक्रिया ही है जिसमें सन्देश के रूप में सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलाओं एंव ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आधुनिक मीडिया अन्तर सांस्कृतिक संचार का सशक्त संवाहक है। आधुनिक मीडिया के अन्तरगत समाचार पत्र-पत्रिका एवं अन्य मुद्रित सामग्री, रेडिया, टी0वी0 फिल्म, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, पेजर, फैक्स आदि आते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न आधुनिक मीडिया द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तीव्रगति से सम्पादित हो रही है। आधुनिक मीडिया का अन्तरांस्कृतिक संचार पर वैश्विक संस्कृति की विस्तार एवं राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति की वैश्विक पहचान के रूप में सकारात्मक तथा सांस्कृतिक एवं भाषाई वर्चस्व उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार अपसंस्कृतिक का प्रसार, संवेदन शून्यता एवं संगठित अपराध में वृद्धि, परिवारिक सम्बन्धों में बिखराव एंव राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या के रूप में नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है।

6.7 शब्दावली

म्प्यूटर - कम्प्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रानिक युक्ति है जो सूचनाओं की प्राप्त करके कुछ निर्देशों वे अनुसार उसका विश्लेषण करता है और परिणाम दर्शाता है।

टरनेट- यह विश्व स्तर पर कम्प्यूटरों के नेटवर्क को निरूपित करता है।

6.8 सन्दर्भ-ग्रन्थ

म्पूर्ण पत्रकारिता - डा0 अर्जुन तिवारी

य-श्रव्य एवं जनसंचार माध्यम नई सदी की चुनौतियाँ- डा0 कृष्ण कुमार रत्तू

दर्शन एवं सामाजिक विकास - डा0 जय मोहन झा

य-श्रव्य सम्प्रेषण और पत्रकारिता - डा0 जेम्स मूर्ति

6.9 सम्बन्धित प्रश्न-

6.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार का अर्थ बताइए।

2- आधुनिक मीडिया के प्रकार बताइए।

3- अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सचित्र समझाइए।

4- इण्टरैक्टिव मीडिया और अन्तरसांस्कृतिक संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

6.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर सांस्कृतिक संचार के घटक शब्दों को परिभाषित करते हुए अन्तर सांस्कृतिक के विकास पर प्रकाश डालिए।

2- प्रिण्ट मीजिया और अन्तर सांस्कृतिकसंचार पर एक लेख लिखिए।

3- आधुनिक मीडिया का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभावोंकी समीक्षा कीजिए।

4- मीडिया का प्रकार बताते हुए आधुनिक मीडिया का आशय स्पष्ट करें।

6.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1- वायुयान है-

(क) भौतिक संस्कृति (ख) अभौतिक संस्कृति

(ग) भावात्मक संस्कृति (घ) इसमें से कोई नहीं

2- समाचार क्या है-

(क) इलेक्ट्रानिक मीडिया

(ख) परम्परागत मीडिया

(ग) प्रिंट मीडिया

(घ) इण्टरैक्टिव मीडिया

3- भारत में प्रदर्शित प्रथम मूल फिल्म 'राजा हरिशचन्द्र' बना था-

(क) 1916 (ख) 1913 (ग) 1925 (घ) 1931

4- रेडियो को किसने 'आकाशीय विद्यापीठ' कहा है-

(क) डा0 जेम्स मूर्ति

(ख) राविन बर्टन

(ग) डा0 कृष्ण कुमार रत्तू

(घ) डा0 अर्जुन तिवारी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर -

1- (क)

2- (ग)

3- (ख)

4- (घ)

ाई 17 - अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

ाई की रूपरेखा

.0 उद्देश्य

.1 प्रस्तावना

.2 समाचार समिति का अर्थ एवं महत्व

17.2.1 समाचार समिति का अर्थ

17.2.2 समाचार समितियों का महत्व

.3 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

17.3.1 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

17.3.2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टी0 वी0 एजेन्सियाँ

17.3.3 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

7.4 अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियाँ

17.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह

17.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने का वैश्विक प्रयास

7.5. अन्तर्सांस्कृतिक संचार एवं संवाद समितियाँ

7.6 अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का प्रभाव

17.6.1 सकारात्मक प्रभाव

17.6.2 नकारात्मक प्रभाव

7.7 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

17.7.1 सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न

17.7.2 सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

7.11 सम्बन्धित ग्रन्थ

17.11.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

17.11.2 दीर्ध उत्तरीय प्रश्न

17.11.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

17.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

- समाचार समितियों का अर्थ
- विश्व की प्रमुख समाचार समितियाँ एवं उनका प्रभाव
- अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियों
- अन्तर सांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियाँ
- अन्तर सांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियों का प्रभाव
- सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न एवं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

17.1 प्रस्तावना

जनसंचार के सभी माध्यम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए समाचार समितियों के मुखापेक्षी हैं। जनसंचार का कोई भी माध्यम इतना सक्षम नहीं है कि अपने संसाधनों से सम्पूर्ण विश्व का समाचार प्राप्त कर सके। जनसंचार माध्यमों की इस समस्या का समाधान समाचार समितियाँ करती हैं। समाचार समितियां विश्व भर में घटित होने वाली घटनाओं, समाचारों, गतिविधियों, क्रियाकलापों की सूचना अत्याधुनिक संचार उपकरणों से समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रिानिक माध्यमों, जो उनके ग्राहक है, को तत्काल सम्प्रेषित कर देती हैं। विश्व भर में संचालित सांस्कृतिक गतिविधियों, क्रियाकलापों की सूचनाएं एवं समाचार भी ये समितियाँ विभिन्न माध्यमों को सम्प्रेषित करती रहती हैं जिससे अन्तर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार अन्तरसांस्कृतिक संचार पर समाचार समितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

17.2 समाचार समिति का अर्थ एवं महत्व

समाचार संकलन प्रेषण एवं वितरण में समाचार समितियों का प्रमुख योगदान होता है। साधन सम्पन्न प्रेस भी देश-विदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना संवाददाता नहीं रख सकता। समाचार समितियाँ समाचार पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, इण्टरनेट, सरकार एवं विविध व्यावसायिक घरानों को समाचार उपलब्ध कराती है। समाचार समितियों द्वारा फीचर सेवा, फोटो सेवा, आदि भी सुलभ करायी जाने लगी हैं। टी0 वी0 के लिए समितियाँ न्यूज कैपसूल भी उपलब्ध कराने लगी हैं।

17.2.1 समाचार समिति का अर्थ

समाचार समिति को समाचारों का अढ़तिया कहा जाता है। यूनेस्को ने सन् 1952 में समाचार समिति को इस प्रकार से परिभाषित किया है - "समाचार समिति

ध्यम है, जिसका प्रमुख उद्देश्य - चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो-समाचार समाचार विषयक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण या उन्हें समाचार संस्थाओं को, विशेष परिस्थिति में निजी व्यक्तियों को भी इस से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक विविध एवं नियमानुकूल तियों में, मूल्य के एवज में जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ण एवं निष्पक्ष सेवा प्राप्त हो " 'इनसाइक्लोपीडिय ब्रिटानिका' ने समिति को इस प्रकार परिभाषित किया है-

"वह समिति जो कि समाचार पत्र, पत्रिकाएँ क्लब, संगठनों व निजी व्यक्तियों तारों, पाण्डुलिपियों, टेपमशीन, प्रतिलिपियों और कभी-कभी टेलीफोन द्वारा समाचार त करती है। समाचार समितियाँ स्वयं समाचार प्रकाशित नहीं करती वरन निजी र पर अपने ग्राहकों को सूचनाएं प्रदान करती हैं।

ए मैनुअल आफ न्यूज एजेन्सी रिपोर्ट के अनुसार "समाचारों का प्रसार समाचार मितियों का प्राथमिक कार्य हैं।" डी0 एस0 मेहता ने समाचार समिति को इस प्रकार रिभाषित किया है- "समाचार समिति का आधार-भूत कार्य समाचार एवं सम सामयिक टनाओं के समाचार विवरण का प्रेषण समाचार पत्रों एवं अपने ग्राहकों को करना "

उपर्युक्त परिभाषाओं के आलोक में कहा जा सकता है कि समाचार समितियों ा मुख्य कार्य समाचार प्राप्त करना, तथा समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, रेडियो, टी0वी0 और जनसंचार के अन्य साधनों को समाचार वितरित करना है।

7.2.2 समाचार समितियों का महत्व

समाचार समितियों का स्थान समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से बड़ा है क्योंकि ये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंचार माध्यमों को समाचार सम्प्रेषित करती है जिससे पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य जनसंचार माध्यमों का कलेवर बनता है। समितियाँ द्रुतगति से सत्य एवं निष्पक्ष समाचारों को संग्रहित एवं प्रेषित करती हैं। पत्रकारिता के स्तरोन्नयन के साथ ही पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य माध्यमों को विश्व भर की जानकारियाँ बड़ी कुशलता एवं शीघ्रता से उपलब्ध करा देती है। समाचार पत्र जिस मूल्य पर अपने निजी संवाददाताओं से समाचार प्राप्त कर सकते हैं उससे भी कम मूल्य पर ये समितियाँ पत्र-पत्रिकाओं को समाचार उपलब्ध करा देती है। समाचार-पत्र अपने संसाधनों एवं सामर्थ्य से जितना समाचार एकत्र कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक समाचार ये समितियाँ उपलब्ध करा देती हैं। राजसत्ता के नियंत्रण से मुक्त समाचार समितियाँ समाचारों का चयन तथ्यों के आधार पर करती हैं, जो अद्यतन एवं निष्पक्ष होते हैं। समितियाँ अफवाहों पर आधारित अपुष्ट समाचार नहीं देती हैं और न ही इनका कार्य क्षेत्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और खोजी समाचार प्रसारित करना है। इनकी सम्पादकीय नीति नहीं होती है। इनका मूल काम दैनन्दिन घटनाओं का समाचार देना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है।

17.3 अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्व में व्यावसायिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप समाचारों के संकलन एवं वितरण के लिए विशेष संगठनों की आवश्यकता महसूस की गयी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1820 में एसोसिएशन आफ मार्निंग न्यूज पेपर्स नामक संस्था न्यूयार्क में गठित की गई। सहकारिता के आधार पर यूरोप से आने वाली रिपोर्ट का संकलन यह संस्था करती है। इंग्लैण्ड में भी इसी प्रकार की एक संस्था के माध्यम से समाचार पत्रों को संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट सुलभ होने लगी। आधुनिक समाचार समितियों के श्री गणेश का श्रेय एक युवा फ्रांसीसी चार्ल्स हवास को प्राप्त है। उसने 1825 में पेरिस में एक न्यूज ब्यूरो की स्थापना की। चार्ल्स हवास ने विभिन्न प्रकार के समाचारों के संकलन एवं सम्प्रेषण के लिए संवाददाताओं की नियुक्ति की। इस कार्य के लिए प्रारम्भ में डाक सेवा का सहारा लिया। किन्तु 1837 में तार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप अपनी समाचार समिति के लिए तार का भी इस्तेमाल करने लगा। सन् 1840 में हवास ने पेरिस, लन्दन और ब्रुसेल्स के बीच प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग करके एक नया प्रयोग किया। हवास की सफलता से प्रेरित होकर उसके एक कर्मचारी वर्नाड वोल्फ ने 1849 में वोल्फ एजेन्सी के नाम से समाचार सेवा प्रारम्भ की तथा एक अन्य कर्मचारी जर्मन युवक जूलियस राइटर ने 1850 में व्यापारिक समाचारों के लिए लन्दन में एक आफिस खोला तथा समाचार संकलन के लिए तार व्यवस्था और रेल प्रणाली का भरपूर उपयोग किया। यूरोप की इन तीन प्रमुख समितियों 'हवास', 'वोल्फ' और 'रायटर' ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य का विस्तार करना आरम्भ किया।

यूरोप के समाचार समितियों के जन्म और विकास से विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर समाचार समितियाँ गठित होती गयीं। अमेरिका में 1848 में न्यूयार्क के कुछ समाचार पत्रों ने 'हार्वट न्यूज एसोसिएशन' के नाम से एक संस्था कायम की जो अपनी निजी नौकाओं से विभिन्न देशों से आने वाले जहाजों तक पहुँचकर समाचारों को प्राप्त करती थी। न्यूयार्क में ही 1850 में 'जनरल न्यूज एसोसिएशन' के नाम से एक तार समाचार एजेन्सी की भी स्थापना हुई। 1857 में अमेरिका की दोनों समाचार समितियों को मिलाकर 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' का जन्म हुआ। इसी प्रकार 'टेलिग्राफिका स्टेफनी इटली' (1853 से 1945), 'वेस्टर्न एसोसिएट प्रेस' अमेरिका (1959 से 1859) तथा 'प्रेस एसोसिएशन इंग्लैण्ड' (1868 से अभी तक) की स्थापना हुई।

समाचारों के लिए समाचार-माध्यमों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरोप की तीनों एजेन्सियों 'हवास', 'रायटर' एवं वोल्फ,' ने 1865 में समाचारों के आपसी आदान-प्रदान के समझौते किए। 1872 में अमेरिका का 'नेशनल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस' भी इस समझौते में शामिल हो गया। इन समितियों ने पूरे विश्व को चार भागों में बाँट लिया तथा अपने-अपने क्षेत्र में समाचारों के संकलन एवं वितरण का

कार प्राप्त कर लिया। 'हवास' का क्षेत्र फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीट्ज़रलैण्ड मध्य-दक्षिणी अमेरिका, 'रायटर' का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य, टर्की व सुदूरपूर्व, ' का क्षेत्र जर्मनी, आस्ट्रिया नीदरलैण्ड, स्कैंडिनेविया, रूस व वालकान तथा ल न्यूयार्क एसोसिएटेड प्रेस', का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका था। यह समझौता तक चला। इसके बाद प्रत्येक समाचार समिति ने स्वतंत्र रूप से स्वयं को गठित ा।

3.1 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्वकी अनेक समाचार समितियों ने अपना कार्य क्षेत्र एक से अधिक देशों फैला लिया है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व समाचार न्सी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। यूनेस्को ने 1952 में वित्तीय संसाधन, शल संवाददाता और सुसंगठित सम्प्रेषण सुविधाएँ आदि की दृष्टि से सर्वेक्षण करके समितियों को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के रूप में पाया वे हैं- ए0 पी0 आई0 मेरिका), आई0 एन0 एस0 (अमेरिका), यू0 पी0 आई0 (अमेरिका, रायटर (ब्रिटेन), 0 एफ0 पी0 (फ्रांस) और तास (रूस)। वर्तमान में चार एजेन्सियों का अन्तराष्ट्रीय तर समाचार सम्प्रेषण में प्रभुत्व है, जो इस प्रकार है-

ए0पी0- विश्व की प्रमुख चार बड़ी एजेन्सियों में से एक ए0 पी0 की स्थापना सन् 1848 में न्यूयार्क के 6 समाचार पत्रों में सहकारिता के आधार पर की थी। प्रारम्भ में जलयानों से व्यावसायिक समाचार प्राप्त करने तक सीमित था। समाचार सम्प्रेषण के खर्चों को घटाने के लिए इसने अमेरिका में वेस्टर्न ए0 पी0, सदर्न ए0 पी0 और न्यू इंग्लैण्ड ए0 पी0 की स्थापना हुई किन्तु 1892 में इनका आपस में विलय हो गया और नया नाम एसोसिएटेड प्रेस रखा गया। प्रारम्भ में ए0पी0 ने अपने ग्राहकों पर अन्य समाचार समितियों से सेवा न लेने का प्रतिबन्ध लगा रखा था किन्तु बाद में यह प्रतिबन्ध खत्म हो गया। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक माध्यमों की सदस्यता से नियंत्रित यह एक सहकारी समाचार समिति ही है। ए0 पी0 की उन्नत तकनीकों से परिपूर्ण लगभग 100 देशों में समाचार समितियाँ फैली हुई है तथा डेढ़ हजार से भी अधिक समाचार पत्र और पांच हजार से अधिक रेडियो और टी0वी0 संस्थान इसके सदस्य हैं। इसके ग्राहकों को सदस्य कहा जाता है। सरकार सहित किसी भी संस्था से ए0पी0 अनुदान नहीं लेता।

वित्तीय बजट की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एजेन्सी ए0 पी0 के पास हजारों कर्मचारी एवं लाखों संवाददाता है तथा विश्व के अनेक समाचार समितियों से समाचारों के लेन-देन का समझौता है। मोर्स तकनीक को टेलीप्रिंटर में बदलने, टाइप सेटर टेप के माध्यम से समाचार देने, चित्र प्राप्ति प्रेषण के लिए लेजर किरणों का प्रयोग करना तथा उपग्रहों का उपयोग करने में ए0 पी0 को प्रथमता प्राप्त है। वर्तमान में सभी कार्य स्वचालित मशीनों एवं उपकरणों द्वारा सम्पादित हो रहा है। इस समिति को 31 बार पुलिट्ज़र पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ए0 पी0 ने व्याख्यात्मक एवं खोज

परक रिपोर्टिंग के साथ ही विज्ञान, धर्म संस्कृति आदि की रिपोर्टिंग के लिए विद्या विशेषज्ञों को रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया है। रूसी संवाद समिति इतर तास, फ्रांसिसी संवाद समिति ए0एफ0 पी0 तथा भारतीय संवाद समिति यू0 एन0आई0 के साथ समझौता है। पहले इसका मुख्यालय इलिनाय में था किन्तु वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। इस समिति में डा0 अलेक्जेंडर जोन्स, डेनियल एच0 क्रेग और जेम्स डब्ल्यू0 साइमन्टोन का योगदान अविस्मरणीय है।

यू0पी0आई0-अमेरिकी समाचार समिति यू0पी0आई0 विश्व की सबसे बड़ी स्वतंत्र समाचार समिति है, जिसकी स्थापना एडवर्ड विलियम स्क्रिप्स ने एसोसिएटेड प्रेस से प्रेरणा लेकर 1907 में की थी। तब इसका नाम यूनाइटेड प्रेस एसोसिएशन था। सन् 1958 में विलियम रेण्डोल्फ हार्ट की समाचार समिति 'इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस' का इसमें विलय होने से इसका नाम 'यूनाइटेड' प्रेस इन्टरनेशनल' कर दिया गया। ए0 पी0 के वर्चस्व को तोड़ने के लिए इस समाचार समिति की स्थापना की गई थी।

विभिन्न प्रकार के समाचारों के लिए इस समिति की कई सहायक समितियाँ हैं। इसकी सहायक समितियों में यू0पी0 आई0 समाचार चित्र सेवा,टी0वी0 न्यूज फिल्म सर्विस, आडियो सर्विस, यू0पी0 आई यूनी स्टाक्स सर्विस, स्पेशल वाशिंगटन वायर, यू0पी0 आई0 इण्टरनेशनल फीचर्स तथा यू0पी0आई0 यूनीकाम न्यूज आदि प्रमुख है। यू0पी0आई0 की उपरोक्त सहायक समितियाँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों, श्रव्य क्षेत्रों, स्टाक मार्केट, जलयानों, फीचर सेवा तथा अनाजों और आर्थिक समाचारों के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

यू0पी0आई0 ने कम्प्यूटर आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न विश्वभर में लगभग 90 से अधिक कार्यालय खोल रखे है। साथ ही अमेरिका के सभी प्रमुख नगरों में इसका ब्यूरो कार्यालय है। देश-विदेश में इसके कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। इसकी व्यापकता यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और आस्ट्रेलिया तक है। इसके समाचारों में समग्रता एवं विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है।

रायटर- रायटर की स्थापना एक्स ला चैपल में सन् 1850 जूलियस रायटर नामक उद्यमी ने किया था। हवास में प्रशिक्षित जर्मन युवक रायटर ने 1849 में कबूतरों द्वारा ब्रुसेल्स से स्टाक एक्सचेंज का भाव प्रसारित करना आरम्भ किया। कबूतरों के अलावा वह कार सेवा, रेलसेवा एवं विशेष दूतों की सहायता से भी समाचार प्राप्ति-प्रेषण का कार्य करता था। 1851 में लन्दन-पेरिस के बीच 'केबल' सेवा प्रारम्भ हो जाने पर उसने लन्दन से व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ किया। 1899 में रायटर की मृत्यु हो गयी तथा 1925 तक रायटर प्राइवेट कम्पनी के रूप में चली। इसके बाद समाचार पत्रों द्वारा इसका पेपर शेयर होल्डर बनने, 1941 में ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने तथा आधा शेयर 'न्यूज पेपर्स प्रोपराइटर्स एसोसिएशन' को बेच देने से यह ब्रिटिश प्रेस की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में एक ट्रस्ट बन गया।

7 में 'आस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस' और 'न्यूजीलैंड प्रेस एसोसिएशन' भी 'रायटर ट' के सदस्य बन गये। 1949 में प्रेस ट्रस्ट आफ इंण्डिया' भी इस समूह में शामिल गया।

समाचार संकलन हेतु रायटर ने सबसे पहले पेरिस में अपने-अपने क्षेत्र के शिष्ट अनुभवी 6 व्यक्तियों को संवाददाता के रूप में नियुक्त करके उनको विषय (Beat) सौंपा। रायटर के विस्तृत नेटवर्क से उसकी कीमत बढ़ गयी। जो समाचार पहले रायटर की सेवा लेने से इनकार कर दिए थे उनकी आगे चलकर रायटर से लेना मजबूरी हो गयी। अमेरिकी गृहयुद्ध के नवीनतम समाचार एवं अब्राहम कन की हत्या की सबसे पहले खबर देने से इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गयी। एक य रायटर समाचार प्राप्ति-प्रेषण का पर्याय बन गया और उसका विश्व व्यापी नेटवर्क गया। केंट कपूर का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है-

"रायटर सचमुच समाचार जगत के चौराहे पर बैठा है और सारे यातायात नियंत्रण रखता है।"

"रायटर ट्रस्ट" का उद्देश्य समाचार एजेन्सी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त ने और सेवा की निष्पक्षता बनाए रखना है। यह लाभ रहित संगठन है और इसकी य समाचारों पत्रों, संवाद एजेन्सियों, इलेक्ट्रानिक माध्यमों एवं अन्य ग्राहकों से ी है। रायटर अत्याधुमिक सुविधाओं से युक्त समाचार एजेन्सी है। इसने यूरोप हित दुनियाँ के प्रमुख स्थानों में अपने हजारों संवाददाता, छायाकार, कैमरा मैन युक्त कर रखे हैं। लगभग 100 ब्यूरो केन्द्र विश्व भर में है। यह लगभग 160 स्टाक र्केट से सूचना ग्रहण करती है और 80 लाख शब्द से भी अधिक विभिन्न भाषाओं पत्रों में छपते हैं। रायटर ने सर्वप्रथम एजेन्सी समाचारों के वाद एजेन्सी का नाम ा प्रारम्भ किया। इसका मुख्यालय 85, फ्लीट स्ट्रीट, लन्दन में है।

ए0एफ0पी0-सन् 1835 में विश्व दिख्यात हवास समिति को 1940 में फ्रांस जर्मनी का अधिकार हो जाने के बाद, समाप्त कर दिया गया और हवास के ही छ कर्मचारियों ने लन्दन और अल्जीरिया में स्वतंत्र रूप से दो अलग-अलग समाचार मितियों का गठन किया। 1944 में युद्ध समाप्ति और पेरिस मुक्ति के बाद वहाँ के माचार पत्र और दोनों समाचार समितियों ने मिलकर ए0एफ0पी0 की स्थापना की। का पूरा नाम एजेन्सी फ्रांस प्रेस है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा हवास की परिसम्पत्तियाँ ा सौंप दी गई।

ए0एफ0पी0 एक स्वायत्तशासी समाचार समिति है जिसका संचालन 8 सदस्यीय रा किया जाता है। 1957 में पारित नियमों के अनुसार दैनिक पत्रों, इलेक्ट्रानिक ध्यमों सार्वजनिक सेवा और व्यावसायिक पत्रकारों के दो-दो प्रतिनिधि-परिषद के दस्य होते हैं। फ्रांस सरकार से इसे अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान में डेढ़ सौ से

अधिक देशों में 70 से अधिक समाचार समितियाँ और हजारों ग्राहक इस समिति है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न ए0एफ0पी0 का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क चौबीस घंटे समाचारों के अतिरिक्त फीचर, चित्र, व्यापारिक एवं वित्तीय समाचार एवं सिण्डिकेट लेख सेवा भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

17.3.2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टी0वी0 एजेन्सियाँ

प्रमुख प्रेस एजेन्सियों की भांति कुछ विश्वस्तरीय टी0वी0 न्यूज एजेन्सियाँ भी है, जो निम्नलिखित हैं-

विसन्यूज - इसका पूरा नाम विजन न्यूज हैं। यह टी0वी0 समाचार संवाद समिति है जो लन्दन में स्थित है। यह टी0 वी0 एजेन्सी रायटर्स, आस्ट्रेलिया प्रसारण संगठन, कनाडा प्रसारण संगठन, वी0पी0सी0 तथा न्यूजीलैण्ड टी0वी0 के सहयोग से संचालित होती है। बी0वी0सी0 द्वारा 1957 में स्थापित इस एजेन्सी के पास समाचारों हेतु चार नियमित दैनिक सेटेलाइट फीड्स है। तीन लन्दन और एक न्यूयार्क से संचालित होता है। वीडियो कैसेटों द्वारा नजदीक के अन्य ऐसे टेलीविजन स्टेशनों तक इसकी सेवाओं का विस्तार किया जाता है जो सीधे - सीधे सेटेलाइट से समाचारों को प्राप्त नहीं कर सकते।

यू0पी0आई0टी0एन0-यू0पी0आई0टी0एन0 एक बहुराष्ट्रीय टी0वी0 एजेन्सी है जो विसन्यूज की मुख्य प्रतिद्वन्दी है। अमेरिकन प्रेस एजेन्सी यू0पी0आई0 और ब्रिटिश इण्डिपेण्डेन्ट टेलीविजन (आई0टी0एन0) का नाम मिलाकर इसका नाम पड़ा है। यू0पी0आई0टी0एन0। वर्तमान में लगभग 80 देशों के 200 टेलीविजन केन्द्र इसके ग्राहक हैं। विश्व की 90 प्रतिशत घटनाओं का इसके द्वारा प्रसारण किया जा रहा है। न्यूयार्क वाशिंगटन लन्दन, पेरिस, रोम, हांगकांग, फ्रैंकफर्ट आदि शहरों में इसका कार्यालय है। यह भी सूचना सम्प्रेषण में सेटेलाइटों का उपयोग करती है।

17.3.3 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियाँ

विश्व की प्रमुख अन्तराष्ट्रीय समाचार समितियों के अतिरिक्त विश्व भर में अन्य हजारों राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और सरकार नियंत्रित संवाद समितियाँ भी हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों से समाचारों का आदान-प्रदान करके समाचारों का प्राप्ति-प्रेषण करती है। इस प्रकार की समितियाँ निम्नलिखित हैं।

भारतीय समाचार समितियाँ - भारत में समाचार समिति के जन्मदाता के0 सी0 राय है। इन्होंने तीन प्रमुख अंग्रेज पत्रकारों काट्स, वग, डलास, के सहयोग से 1905 में एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया की स्थापना की। इसने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में अपनी शाखा खोली। 1915 में रायटर द्वारा ए0पी0आई का अधिग्रहण करके के0 सी0 राय को उपेक्षित कर दिया गया। राय ने इण्डियन न्यूज एजेंसी की स्थापना की। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में सदानन्द ने 'फ्री प्रेस एजेन्सी' का गठन किया।

्[1933 में वी0 सेन गुप्ता ने 'युनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया' नामक प्रेस एजेन्सी का ...न किया।

सन् 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव में कार्य करने वाली प्रेस ...न्सियों से मुक्ति दिलाने हेतु राष्ट्रीय ग और राष्ट्रीय गौरव के अनुरूप समाचार देने ...ली एजेन्सी की आवश्यकता महसूस होने पर कुछ लोगों ने मिलकर प्रेस ट्रस्ट आफ ...ण्डिया' के नाम से एक नये समाचार समिति का गठन किया। इसकी स्थापना 27 ...ास्त 1947 को हुई। इसका संक्षिप्त नाम पी0टी0 आई0 है। पी0टी0आई0 ने एसोसिएटेड ...न आफ इण्डिया को खरीद लिया। वर्तमान में यह एशिया की सबसे बड़ी प्रेस ...न्सी है। इसका रायटर से अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की खरीद एवं भारतीय समाचारों ... बिक्री का समझौता है। इसके अलावा ए0पी0 (अमेरिका) ए0एफ0पी0 (फ्रान्स) ...रतास (रुस), पी0ए0पी0 (पौलैण्ड), यम0टी0आई0, (हंगरी) से भी समाचारों के ...दान-प्रदान का समझौता है। यह समाचार सेवाओं के अतिरिक्त आन लाइन फोटो ...वा, मैग, ग्राफिक्स, विज्ञान सेवा, आर्थिक सेवा, डाटा, इण्डिया, स्क्रीन आधारित ...ून-स्कैन तथा स्टाक-स्कैन सेवाएं भी प्रदान करती हैं। इसका टेलीविजन विंग- ...0टी0आई0टी0वी0 है। यह अंग्रेजी में समाचार देती है। इसका मुख्यालय बम्बई में ... पी0टी0आई0 की हिन्दी समाचार सेवा भाषा (1986) है। भारत में 100 कार्यालय ... साथ ही विश्व के अधिकांश बड़े शहरों में इसके संवाददाता है।

समाचार के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च 1961 ...ो यू0एन0आई0 की स्थापना पी0टी0आई0 के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य ... किया गया। इसका रायटर के अतिरिक्त विश्व की कई एजेन्सियों से समझौता है। ...टेलाइट, इण्टरनेट आदि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से सम्पन्न यह एजेन्सी समाचार ...त्रों के अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन, सरकारी विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दूतावासों, ...टलों एवं शैक्षिक संस्थानों को यह समाचार उपलब्ध कराती है। इसने 1992 में ...हली बार टेलीप्रिंटर से उर्दू समाचार भेजकर उर्दू सेवा प्रारम्भ की । यह वित्तीय ...णिज्यिक संगठनों हेतु यूनीफिन स्टाक ब्रोकरों के लिए 'यूनीस्टाक' और टेलीविजन ...वा भी प्रदान करती है। यह समाचार फिल्में, न्यूज क्लिस, वृत्तचित्र, राष्ट्रीय फोटो ...वा, समसामयिक लेख सेवा, फोकस सेवा, यूनीस्कैन के नाम से स्कैन सेवा भी ...पलब्ध कराती है। विश्व के अन्य क्षेत्रों के अलावा खाड़ी देश इसके पुराने ग्राहक हैं। ...सका पूरा नाम 'यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया है। यह अंग्रेजी भाषा में समाचार ...षित करती है। इसकी हिन्दी समाचार समिति 'यूनीवार्ता' (1982) है। यह एशिया ...ी तीसरी बड़ी समाचार एजेन्सी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

इसके 'हिन्दुस्तान', नामक भारतीय भाषा की संवाद समिति की स्थापना 1948 ... राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार धारा से प्रभावित लोगों ने किया। किन्तु प्रतिद्वन्दी ...माचार समितियों की प्रतिस्पर्धा में यह टिक न सका और बन्द हो गया। 1966 में ...रतीय भाषाओं की एक और समिति 'समाचार भारती' का गठन हुआ किन्तु वह भी ...न्द हो गयी। 1975 के आपात काल में सभी समितियों का विलय करके 'समाचार'

का गठन हुआ किन्तु आपात काल के वाद पुनः विघटन हो गया। वर्तमान में पी0टी0आई0, यू0एन0आई0, भाषावार्ता के अतिरिक्त अनेक प्रान्तीय क्षेत्रीय समाचार समितियाँ कार्यरत हैं। किन्तु उपरोक्त चार का ही वैश्विक विस्तार है।

अन्य देशों की समाचार समितियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय समाचार समितियों का गठन किया। उनकी संख्या इस समय एक हजार से भी अधिक है। ये समाचार समितियाँ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों पर निर्भर करती है और उनसे अनुबन्ध भी रहता है कि प्रमुख अन्तराष्ट्रीय समाचार समितियाँ उनसे राष्ट्रीय समाचार लेती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार देती हैं। इनमें से अनेक राष्ट्रीय समितियाँ आंशिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती हैं किन्तु अधिकांश समितियाँ अपने देश की सीमा के भीतर ही कार्य करती हैं। एक ओर ये समितियाँ विश्व के समाचारों को जन समुदाय तक पहुँचाने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं के मुख्य प्रवाह स्थानीय समाचारों को भी सम्मिलित करने का कार्य करती है। ऐसी समाचार समितियों में जापान की क्योदों और 'जी0जी0प्रेस', चीन की 'सिन्दुआ', ताइवान की 'सी0 एन0ए0' (सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी), पश्चिम जर्मनी डी 'डी0पी0ए0' दक्षिण अफ्रिका का 'साया' (साउथ अफ्रेकन प्रेस एसोसिएशन), मिस्र की 'मेना' (मिडिल ईस्ट-न्यूज एजेन्सी), कुवैत की 'कूना' (कुवैत न्यूज एजेन्सी), इरान की 'इरना' (ईस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी), अरब की 'अरब न्यूज एजेंसी,' डेनमार्क की 'रिट्ज ब्यूरो', इटली की 'अंसा', (एजेन्सी नेशनल स्टांप एसोसिएशन), कनाडा का कनाडियन प्रेस', पाकिस्तान की 'ए0पी0पी0' (एसोसिएटेड प्रेस आफ पाकिस्तान), यूगोस्लाविया की 'तानजुग', एल्जीरिया की 'अल्जीरियाई प्रेस सर्विस, मलेशिया की 'विरनामा', इराक की 'इराकी न्यूज एजेन्सी', क्यूबा की 'प्रीन्सा लैटिना', नेपाल की 'राष्ट्रीय संवाद समिति', तन्जानिया की शिहाता', घाना की घाना न्यूज एजेन्सी,' पोलैण्ड की पी0ए0पी0 सूडान की 'सूडान-न्यूज एजेंसी', जाम्बिया की जाम्बिया न्यूज एजेन्सी', इण्डोनेशिया की 'एन्टारा, बाँग्लादेश की 'बँगला देश संवाद सेवा' चेकास्लाविया की 'सी0ई0टी0ई0के0ए0', मोरक्को की 'मोरक्को प्रेस एजेन्सी', केन्या की केन्या न्यूज एजेन्सो' आदि प्रमुख हैं।

सरकारी समाचार समितियाँ

विश्व में सर्वप्रथम 'ट्रांस ओसियन' की स्थापना 1915 में जर्मनी में हुई जिसका उद्देश्य युद्ध का प्रचार करना था। सोवियत संघ में 1918 में एक संवाद समिति गठित हुई जो 1925 में 'तास', के नाम से परिवर्तित हो गई।

'तास' अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समितियों में एक है। अपने प्रारम्भिक दौर में यह एजेन्सी साम्यवादी क्रान्ति से प्रभावित थी। सोवियत संघ के गृह विभाग के अधीन कार्यरत यह एजेन्सी देश के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रचार-प्रसार में लगी रही। यह विश्व के सभी साम्यवादी गणराज्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समिति बन गई। रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक आदि भाषाओं में समाचार प्रेषण करने वाली

ैनिश, अरेबिक आदि भाषाओं के समाचार प्रेषण करने वाली यह बहुभाषी समाचार स्था है। इसने साम्यवादी देशों के साथ ही अन्य गैर-साम्यवादी देशों में अपने संवाददाता खे थे। 'तास' के सहयोग के अन्य समाचार समितियाँ भी थी, जिसमें प्रमुख 'नोवोस्ती स एजेन्सी', (ए0पी0एन0) इंजवेस्तिया' 'सोवियत प्रेस न्यूज', आदि थे। सोवियत घ के विघटन के वाद 'तास' एवं ए0पी0एन0 के संगठनात्मक ढांचे में भी-परिवर्तन आ। दोनों को मिलाकर एक नई समाचार समिति 'इतर' (द इन्फारमेशन टेलेग्राफ जेन्सी आफ रशिया), का गठन हुआ। बाद में 'तास' के महत्व को समझते हुए सका नाम 'इतरतास' कर दिया गया।

पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद एवं सोवियत संघ के प्रभाव के कारण वहाँ ी सरकारों ने पश्चिमी समितियों के प्रभावों से मुक्त अपनी सरकारी राष्ट्रीय समाचार मितियाँ गठित की जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए 'तास' से सम्बद्ध थी। पोलेण्ड ी 'पी0 ए0 पी0, हंगरी की एम0 टी0 आय0 रुपमानिया की 'एगर प्रेस एजेन्सी' चीन ी 'नवचीन समाचार एजेन्सी' आदि प्रमुख साम्यवादी देशों की समाचार समितियाँ ीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इनकी नियुक्ति एवं प्रबन्ध भी प्रायः सरकार ्र प्रतिनिधि सूचना मंत्री के हाथ में रहता है। सोवियत संघ के विघटन एवं पूर्वी ्रोपीय साम्यवादी देशों में व्यवस्था परिवर्तन का प्रभाव इन समितियों पर भी पड़ा।

7.4 अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं समाचार समितियाँ

विश्व के जिन देशों का नियंत्रण सूचना संचार माध्यमों एवं संचार प्रौद्योगिकी र है उन्हीं देशों के पास शक्ति भी है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना उद्योग पर कुछ ष्ट्रों का नियंत्रण है और ये राष्ट्र लगातार सम्पत्ति सम्पन्न एवं शक्तिशाली होते चले जा हे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जैसे देश सूचना एवं संचार माध्यमों पर नियंत्रण से श्व में अपना वर्चस्व कायम किए हैं वहीं विकासशील देश अशिक्षा, विपन्नता, बेरोजगारी ं राजनैतिक अस्थिरता से त्रस्त है। सूचना विपन्नता विकासशील देशों के आर्थिक कास को प्रभावित कर रहे हैं। विकसित दशों की साधन सम्पन्न समाचार समितियों अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के प्रवाह को असन्तुलित कर दिया है। पश्चिम के विकसित देश ाहते हैं कि सूचना का स्वतंत्र प्रवाह बरकरार रहे जबकि विकासशील देश चाहते हैं कि न्तर्राष्ट्रीय सूचना के स्वतंत्र प्रवाह में सन्तुलन हो।

7.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना-प्रवाह

पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में व्यापार उद्देश्य से पहुँच कर वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक मजोरी का लाभ उठाकर उपनिवेश कायम कर लिया और उन पर आर्थिक एवं राजनैतिक यंत्रण स्थापित करके अपने राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने में जुट गये। कास में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका होने से ये राष्ट्र सूचना तकनीकी के विकास र अधिक ध्यान देने लगे। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी राष्ट्रों का नियंत्रण

होने से सूचना का स्वतंत्र प्रवाह एक तरफा हो गया। बीसवीं सदी के दूसरे दशक में रूस में वोल्शेविक क्रान्ति से साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई और इसमें व्यक्तिगत सम्पदा की अवधारणा समाप्त हो गयी। सम्पूर्ण संसाधनों का प्रयोग सम्पूर्ण समाज के विकास के लिए की जाने की घोषणा की गई। साम्यवादी व्यवस्था में सूचना को गोपनीयता एवं सेंशरशिप पर बल दिया गया जिसका अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों ने विरोध किया। तीसरी दुनियाँ अर्थात् विकासशील राष्ट्रों को अपने खेमें में लेने की प्रतिस्पर्धा पूँजीवादी एवं साम्यवादी देशों में प्रारम्भ हो गयी। इस शीत युद्ध में सूचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण दोनों खेमों ने सूचना एंव संचार तकनीक के विकास पर आपार धन खर्च किया। इस तरह शीतयुद्ध सूचना-युद्ध का पर्याय हो गया। सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शीतयुद्ध समाप्त हो गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अनेक औपनिवेशिक राष्ट्र स्वतंत्र हो गये, किन्तु ये आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े थे कि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में इनका कहीं भी स्थान नहीं था। सूचना पर कुछ विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार होने से सूचना का प्रवाह विकसित से विकासशील देशों की ओर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री विलियम वेन्सि ने पूरे विश्व के देशों में स्वतंत्र सूचना के निर्बाध प्रवाह का समर्थन किया। विकसित देशों ने इस धारणा को नैतिक बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उपयोग किया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया है- "प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो, साथ ही विचार को प्राप्त करने और उसे खोजने का भी अधिकार हो। इसके अलावा व्यक्ति को सीमान्त प्रदेश के साथ किसी भी माध्यम द्वारा सूचना एवं विचार को प्रेषित करने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए।"

इस प्रकार अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों से सूचना समाचारों का प्रवाह एवं विश्लेषण के प्रचार-प्रसार के साथ ही मनोरंजनात्मक सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह सम्पूर्ण विश्व में फैलने लगा। ये सूचनाएं पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टी0 वी0 फिल्म, उपग्रह। कम्प्यूटर, इन्टरनेट के माध्यम से समस्त विश्व में संचारित हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं का प्रवाह अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के विकसित राष्ट्रों से होकर ही शेष विश्व में फैलता है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों की संवाद समितियों एवं अन्य समाचार स्रोतों से दी जाने वाली सूचनाएं विकासशील देशों के अनुरूप नहीं होती है। इन सूचनाओं में विकासशील देशों के नकारात्मक पक्ष को प्रचारित किया जाता है और सकारात्मक पक्ष को या तो दबा दिया जाता है या विकृत कर दिया जाता है। इससे विकासशील देशों ने नई विश्व सूचना व्यवस्था की मांग प्रारम्भ की।

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में विभिन्न संचार माध्यमों के अपने निजी स्रोत एवं विश्व के कोने-कोने मे नियुक्त संवाददाताओं की भूमिका के साथ ही वर्तमान में सर्वाधिक

त्वपूर्ण भूमिका संवाद समितियों की है। अमेरिका की यू0पी0ए0 और ए0पी0 ब्रिटेन रायटर, फ्रांस की ए0एफ0पी0, रूस की इतरतास एवं विसन्यूज तथा यू0पी0आई0टी0 0 अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था के क्षेत्र में प्रभुत्व है। यद्यपि विश्व के अधिकांश ों के पास अपनी समाचार समितियाँ हैं किन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। कासशील देशों की समाचार समितियों का किसी न किसी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार मिति से समझौता है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार की समितियों स विकासशील ों की समाचार समितियाँ वैश्विक सूचना एवं समाचार प्राप्त करती है और अपने की सूचना एवं समाचार को अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों को प्रदान करती है।

इस प्रकार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों की सूचना संग्रह और प्रवाह विकासशील देशों की समितियाँ सर्वाधिक हिस्सेदार है फिर भी सूचनाएँ पश्चिमी ों के अनुकूल प्रसारित होती है। सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह से वैश्विक सूचना के में जो असन्तुलन उत्पन्न हो गया उसे दूर करने के लिए यूनेस्को एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ठनों द्वारा वैश्विक प्रयास प्रारम्भ हुआ। गुट निरपेक्ष समाचार समिति "पूल", मेकब्राइड ीशन और न्यूको (नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था) आदि इसी प्रयास का रणाम है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को संतुलित करने का प्रयास ा।

.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने का वैश्विक प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह के असन्तुलन से क्षुब्ध विकासशील देशों, विशेषकर निरपेक्ष देशों के प्रयास नई व्यवस्था की स्थापना के प्रति एक वैश्विक सहमति बन ई। यद्यपि विकसित देश इस प्रयास को लगातार कमजोर करने का प्रयास अभी भी र रहे हैं। जो यूनेस्को विकसित देशों के प्रभाव के कारण सूचना के स्वतंत्र प्रवाह सिद्धान्त को समर्थन देकर प्रचारित किया उसी यूनेस्को ने सत्तर के दशक गुट रपेक्ष देशों के दबाव में अपनी संचार नीति में परिवर्तन किया। 1968 में पहली बार तरफा और संतुलित समाचार प्रवाह की बात यूनेस्को के मंच से कही गयी, तब से तक सूचना प्रवाह को सन्तुलित करने तथा विकासशील देशों की सकारात्मक गीदारी बढ़ाने का संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच से लगातार प्रयास जारी है।

ई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था

यूनेस्को के मंच से 1968 में पहली बार दोतरफा और संतुलित सूचना प्रवाह बात कही गयी। नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की बात 70 के दशक के द तेजी से की जाने लगी। सन् 1972 में 'जंनसंचार माध्यमों की घोषणा' के प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा 1973 में अल्जायर्स में गुट निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों सूचना के क्षेत्र में व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करने के लिए संचार प्रणालियों के र्गठन की मांग की। उसके कई कारण थे। जैसे-द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नये

स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, सम्पत्ति सम्पन्न एवं शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रों पर नव स्वतंत्र राष्ट्रों की बढ़ती निर्भरता, नये राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ती ताकत आदि। इन्हीं कारणों से नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था को विकसित करने पर बल दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था हो गया। गुटनिरपेक्ष देशों के बढ़ते दबाव को देखते हुए यूनेस्कों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और एक वृहद रिपोर्ट तैयार की, जो इस प्रकार है-

1- विश्व की चार बड़ी समितियों का सूचना पर एकाधिकार है।

2- चार बड़ी संवाद समितियों द्वारा सर्वाधिक सूचनाओं का सम्प्रेषण और प्रसार।

3- गलत सूचनाओं के मुकाबले के लिए समाचारों और विचारों के दो तरफा आदान प्रदान की आवश्यकता ।

4- सूचनाओं को विकृत करने से रोकने के लिए छोटे और निर्गुट देशों की सहमति पर बल दिया गया।

इस रिपोर्ट के बाद 1973 में नई दिल्ली में हुई निर्गुट देशों की बैठक में निर्गुट संवाद संगठन की स्थापना को संशोधनों के बाद स्वीकार किया गया तथा 1976 में नई दिल्ली में निर्गुट देशों के सूचना मंत्रियों की बैठक में इसकी औपचारिक शुरूआत की घोषणा की गई। यूनेस्को ने 1977 में विश्व संचार व्यवस्था के अध्ययन के लिए आयरलैण्ड के पूर्व विदेशमंत्री नोबुल शान्ति पुरस्कार प्राप्त सीन मैक ब्राइट की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय आयोग का गठन किया।

मैकब्राइड आयोग और उसकी रिपोर्ट-

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह के असन्तुलन को दूर करने के लिए निर्गुट देशों के दबाव के परिणाम स्वरूप 1977 में यूनेस्को ने आयरलैण्ड के पूर्व विदेश मंत्री सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर संचार के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र एवं संतुलित सूचना प्रवाह के लिए आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करना था। आयोग ने 1979 में अपना प्रतिवेदन यूनेस्कों को सौंपा दिया। आयोग की संस्तुतियाँ दो भागों में थी। प्रथम खण्ड में सूचना की समस्या एवं विधि पक्ष का आकलन था तथा दूसरे खण्ड में संचार की भावी संभावनाओं एवं परिदृश्य पर विचार किया गया था। आयोग ने जन माध्यमों का विस्तार उनकी आर्थिक स्थिति, संचार नीति, पत्रकार एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, पत्रकारिता के मान्य नैतिक नियम आचार संहिता, समाचार पत्रों की गुणवत्ता में सुधार, फिल्मों के सम्प्रेषण की शैली में सन्तुलन का विकास, विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार संचार नीति का निर्माण, प्रेस परिषदों की व्यवस्था, विज्ञापन एवं प्रसार से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण आदि

षयों को अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किया। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि श्व के प्रत्येक देश में इस प्रकार की संचार व्यवस्था निर्मित हो जिसमें समान रूप भागीदार हो। 1980 में बेलग्रेड सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया।

आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पूरा विश्व दो खेमों में बँट गया। एक खेमे अमेरिका सहित अन्य विकसित राष्ट्र तथा दूसरे खेमें में सोवियत संघ सहित 100 अधिक तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित थे। इस रिपोर्ट के बाद यूनेस्को द्वारा चार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई0पी0डी0सी0) की स्थापना की गई। सका उद्देश्य गरीब देशों में संचार विकास के लिए धन एवं अन्य सहयोग प्रदान रना था। यूनेस्कों ने आयोग की 82 संस्तुतियों में 51 संस्तुतियों को स्वीकार कर या। किन्तु विकसित देशों ने यूनेस्कों पर यह आरोप लगाया कि वह मात्र तीसरी निया के एजेण्डे पर कार्य कर रहा है और विकसित राष्ट्रों के हितों को आघात हुँचा रहा है। 1985 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यूनेस्को से अपने को अलग कर या। अतः यूनेस्को आर्थिक संकट का शिकार हो गया और उसका प्रयास शिथिल गया। इसी क्रम में सोवियत संघ का भी पतन हो गया। जिसमें नई संचार व्यवस्था ा आन्दोलन मृत हो गया। इस तरह संचार की विषमता के उन्मूलन के स्थान पर वतंत्र सूचना प्रवाह की मान्यता के अनुसार पूरी विश्व व्यवस्था कार्य करने लगी।

माचार समिति 'पूल'

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंच से समाचार समिति 'पूल' के गठन का निर्णय लिया गया तथा 20 जनवरी 1975 को यूगोस्लाविया की समाचार समिति तानजुंग ारा 11 अन्य समाचार समितियों के सहयोग से समाचार समिति 'पूल' की नींव रखी यी। 1977 तक 40 गुट निरपेक्ष देश शामिल हो चुके थे। इसका एक अध्यक्ष होता जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह वास्तव में समाचार समिति न होकर माचार समितियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इसका न तो ोई कार्यालय है न ही कोई कर्मी। सूचना आदान-प्रदान का व्यय, प्रेषित करने वाला ेश वहन करता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एवं अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पूल' के सामने अनेक समस्याएँ हैं। यथा-भाषा बहुलता संचार नेटवर्क की कमी, ोग्य एवं प्रशिक्षित पत्रकारों की कमी संसाधनों की कमी, कुछ देशों के पास समाचार समिति का न होना आदि।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन -

सार्क संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन और आसियान आदि भी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

17.5 अन्तर्सांस्कृतिक संचार एवं संवाद समितियाँ

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों एवं अन्य समाचार समितियों के माध्यम से तीव्र गति से चल रही है। आज पूरे विश्व में द्रुत गति से सांस्कृतिक समाचारों का आदान-प्रदान हो रहा है। वर्तमान युग में समाचार समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के समाचारों का प्राप्ति-प्रेषण अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से द्रुत गति से विश्व के कोने-कोने में प्रसारित हो जा रहा है। बड़े-बड़े धार्मिक गुरूओं और उनके संस्थानों का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि आज धार्मिक पत्रकारिता का क्षेत्र ही पृथक हो गया। धर्म से सम्बन्धित संस्थाएं एवं संगठनों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है। समाचार समितियों द्वारा धार्मिक पर्वों त्योहारों, अवसरों एवं सम्मेलनों जैसे कुम्भ मेला, काशी में गंगास्नान, मक्का-मदीना की हज यात्रा, रोम के वेटिकन पैलेस में आयोजित होने वाला बपतिस्मा आदि के अवसर पर समाचारों का सग्रह तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों को सम्प्रेषित किया जाता है। इमामों, पदारियों, शंकराचार्यों एवं अन्य धर्मों के गुरूओं का साक्षात्कार भेटवार्ता आदि समितियों द्वारा प्राप्त करके मीडिया को प्रेषित किया जाता है।

प्रत्येक देश की सरकार सांस्कृतिक मंत्रालयों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। इसके लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं। देश-विदेश में अगणित सांस्कृतिक संस्थाएं एवं उनके कार्यक्रम हैं, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हलचल, गतिविधियाँ एवं क्रिलाकलाप निरन्तर चलते रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। कहीं कला प्रदर्शनी, कहीं कवि सम्मेलन, कहीं विचार गोष्ठी, कहीं संगीत समारोह, कहीं लोकनृत्य, कहीं नाटक, कहीं कला शिविर तो कहीं चित्रकला प्रदर्शनी, कहीं सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव तो कहीं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम निरन्तर चलता ही रहता है। इन समस्त गतिविधियों, हलचलों, क्रियाकलापों एवं आयोजनों की रिपोर्टिंग विश्व भर की संवाद समितियाँ करती हैं और उसे जनसंचार माध्यमों को सम्प्रेषित कर देती है। धर्माचार्यों, साहित्य कारों, संगीतकारों, कलाकारों, नाट्यकर्मियों और लोक-नर्तकों एवं नर्तकियों के साक्षात्कार आदि से इस विधा की विशेष जानकारी को जन-जन सम्प्रेषित करने के लिए समाचार समितियाँ शीघ्रता से वैश्विक स्तर पर प्रसारित करती हैं।

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता को समाचार समितियाँ और तीव्रता प्रदान करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक समाचारों का सम्प्रेषण करती है। समाचार समितियाँ सांस्कृतिक वैश्वीकरण की सशक्त संवाहक हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में विश्व पर्यटन, विश्व संगीत, विश्वकला, विश्व साहित्य, विश्व फैशन, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता तथा विश्व खेलकूद प्रतियोगिता आदि से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों का समाचार समितियों द्वारा वैश्विक स्तर

ट प्राप्ति-प्रेषण होता है। इस अन्तर्सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलता है। लोग विभिन्न स्कृतियों की विशिष्टताओं, आचार-विचार, व्यवहार,प्रथाओं, परम्पराओं, रूढ़ियों, नकाचारों, आदर्शों, विधियों, मर्यादाओं, मान्यताओं, जनरीतियों आदि व्यवहार सम्बन्धी, न सम्बन्धी एंव मूल्य सम्बन्धी पक्ष से परिचित होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के सम्बन्ध ढेरों सूचनाएँ एवं जानकारियाँ समाचार समितियों द्वारा दी जाती है। सांस्कृतिक ाचारों में चित्रों का विशेष महत्व होता है। इससे समाचार में सजीवता आ जाती है। मान समय में समाचार समितियाँ समाचारों के अतिरिक्त लेख सेवा, फीचर सेवा, टो सेवा, टी0वी0 न्यूज सेवा, आडियो सर्विस आदि द्वारा सांस्कृतिक समाचारों के प्ति-प्रेषण के अतिरिक्त, लेख, फोटो आदि भी प्रेषित कर रही है। जिससे अन्तर्सांस्कृतिक ार को नया आयाम मिल रहा है।

कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित समाचार समितियाँ पूरे विश्व में उपभोक्तावादी कृति का प्रसार करने, बाजारवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ा देने वाली खबरों भी वैश्विक स्तर पर प्रसार कर रही है। फैशन शो, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता आदि बढ़ा-चढ़ा कर विश्व स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में ये समितियाँ आज सबसे आगे पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित खबरें, लेख, फीचर, फोटो आदि वक स्तर पर प्रसारित करके अन्तर्सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देने एवं विभिन्न कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया की गति को तीव्रता प्रदान करने में इनका योगदान त्वपूर्ण है।

.6 अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का प्रभाव

विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों, ए0पी0, यू0पी0आई0, रायटर्स, एम0आई0, इतरतास तथा टी0वी0 न्यूज एजेन्सी विसन्यूज एवं यू0पी0 आई0टी0एन0 ः अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जैसे संगठनों का वैश्विक संचार व्यवस्था पर वर्चस्व का कारण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार का प्रवाह एक तरफा एवं असन्तुलित हो है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था पर अमेरिका एवं अन्य विकसित राष्ट्रों का धिकार होने से सम्पूर्ण विश्व उसी ज्ञान एवं जानकारी तथा उन्हीं समाचारों एवं नाओं को प्राप्त कर रहा है जिसे विकसित देश देना चाहते हैं या दे रहे हैं। स्वाभाविक के अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देश उसी सूचना, समाचार ज्ञान एवं जानकारी को विश्व में प्रसारित करेंगे जो उनके हित में है। सांस्कृतिक ज्ञान, जानकारी, समाचारों सूचनाओं का प्रचार-प्रसार भी इससे अछूता नहीं है। अन्तरसांस्कृतिक संचार पर र्राष्ट्रीय समाचार समितियों का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव स्पष्टतया गोचर होता है।

17.6.1 सकारात्मक प्रभाव -

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर संज्ञान और साक्षरता का विकास, मनोवैज्ञानिक आधार पर समता का निर्माण, मानवतावाद का विस्तार एवं धर्म निरेपक्षता में विश्वास, लोकतांत्रिक व्यवस्था का वैश्विक विस्तार, तकनीकी ज्ञान का प्रसार एवं स्वतंत्र सूचना प्रवाह, नये सामाजिक मानकों का विकास, संचार की रिक्तता का उन्मूलन एवं नये संचार समूह का विकास और सामाजिक व्यवहारों में सुधार एवं परिवर्तन आदि के रूप में सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इन प्रभावों के फलस्वरूप नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना एवं नूतन सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो रहा है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों द्वारा तीव्रगति से समाचारों सूचनाओं एवं जानकारियों का प्रसार वैश्विक स्तर हो रहा है। ये सूचनाएं वर्तमान समय में इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीय परिवेश ही नहीं वरन् विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों तक तत्काल प्रसारित हो जा रह हैं। जिससे संचार की रिक्तता का उन्मूलन हो गया है। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को आज अधिनायक वादी शासन व्यवस्था या बन्द सूचना प्रवाह वाले देशों के द्वारा रोक पाना सम्भव नहीं है। सूचनाओं, समाचारों एवं जानकारियों के उन्मुक्त प्रवाह से विश्व में ज्ञान एवं साक्षरता की वृद्धि हुई है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अन्य सामाजिक परिवेशों से तथा उनके मध्य हो रही घटनाओं से दिन प्रतिदिन सूचित होने लगा। इससे साम्राज्यवाद, गुलामी आदि कुरितियों के खिलाफ लोगों के मन में नई चेतना का विकास हुआ। वैश्विक स्तर पर मनोवैज्ञानिक समता मूलक परिवेश का जन्म हुआ। धर्मनिरपेक्षता, विश्वमानवता और मानव अधिकारों के प्रति संचेतना जागृत हुई। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक जागरण के साथ ही तार्किक वैज्ञानिक मानव समाज का जन्म हुआ। इसका समवेत प्रभाव नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों ने एक सांस्कृतिक समूह को दूसरे सांस्कृतिक समूह से जोड़ दिया है, इसके परिणाम स्वरूप अब सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण के नये मानकों का विकास होने लगा है। इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है। अब किसी समाज के अपने मानक एवं नियम मात्र ही उसके संचालन के प्रमुख साधन नहीं रहे वरन् विश्व की संस्थाओं द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुसार वर्तमान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं समाजों का संचालन होने लगा। समाचार समितियों द्वारा प्रेषित सूचनाओं, जानकारियों एवं संचारों से विभिन्न समाजों के व्यवहारों में परस्पर परिवर्तन आये हैं। इस परिवर्तन ने पहनावा, रहन सहन के स्तर, भवनों के मॉडल तथा साज सज्जा एवं दैनिक जीवन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। वर्तमान में एक सांस्कृतिक समूह अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन दूसरे सांस्कृतिक

के आधार पर कर रहा है। इस प्रकार रूढ़िवादी, अन्ध विश्वासी एवं अन्य ाँ धीरे-धीरे महत्वहीन हो रही हैं। पिछड़े एवं शोषित समूहों में नई चेतना का हो रहा है तथा महिला अधिकार सम्बन्धित आन्दोलन इस समय चरम पर है, इस्लामिक देश भी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार समाचार समितियों द्वारा सूचनाओं, समाचारों एवं जानकारियों को तीव्रता से प्रसारित कर रहे आधुनिक ाध्यमों द्वारा विश्व स्तर पर एक मानवतावादी समासिक संस्कृति जन्म ले रही

2 नकारात्मक प्रभाव -

सूचना क्रान्ति के दौर में आधुनिक प्रौद्योगिकी सम्पन्न समाचार समितियों ने एक ओर वैश्विक मानव समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है वहीं दूसरी ओर नकारात्मक प्रभावों से भी मानव जाति को प्रभावित किया है। वर्तमान में पूंजीवाद ारपोरेट स्वरूप विद्यमान है और अधिकतम लाभ के दर्शन पर बाजार टिका है। का एवं विकसित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय समितियाँ कारपोरेट क्षेत्र द्वारा ही नियंत्रित ातः स्वाभाविक रूप से अधिकतम लाभ सम्बन्धी बाजार का दर्शन इन पर भी होता है। इसमें पर्दे के पीछे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह काम करते हैं। आज संस्कृति का करण हो रहा है। संवाद एजेन्सियाँ भी संस्कृति को लाभ-हानि की दृष्टि से ी हैं। संवाद एजेन्सियाँ बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक से जनमानस तैयार करती हैं। जैसे-अभी कुछ वर्ष पूर्व भारतीय सुन्दरियाँ विश्व ी का खिताब जीतती थीं आजकल लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी सुन्दरियों का सुन्दरी खिताब पर कब्जा है। समाचार एजेन्सियाँ विश्वसुन्दरी प्रतियोगिता के म्भावित सुन्दरियों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार प्रारम्भ करके सांस्कृतिक से जनमानस तैयार करती हैं। अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय नियाँ इन्हीं सुन्दरियों को ब्राण्ड अम्बेस्डर बनाकर विकासशील देशों के बाजार पर ा कर रही हैं। इससे बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो रहा इस उपभोक्तावादी नव संस्कृति से परम्परावादी समाज प्रभावित हो रहा है।

उपभोक्तावादी संस्कृति से विश्व समाज में संसाधनों की छीना-झपटी, कलह, कवाद, अश्लीलता, हिंसा, मानवीय संवेदना शून्यता एवं असहिष्णुता आदि का र तीव्रता से हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं। परम्परागत संस्कृतियों एवं लोकाचारों पर निरन्तर कुठाराघात हो रहे हैं। ना का विकसित से विकासशील देशों की ओर एक तरफा प्रवाह से पश्चिमी राष्ट्रों नियंत्रित समाचार समितियाँ विकासशील देशों के सांस्कृतिक गौरव की उपेक्षा क उन देशों के अनुभव, इतिहास एवं संस्कृति को पक्षपातपूर्ण और कभी-कभी बूझकर विकृत ढंग से प्रस्तुत करती है। उन रष्ट्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक, र्थिक उपलब्धियों की घोर उपेक्षा की जाती है।

इस प्रकार पश्चिमी कारपोरेट पूँजीवादी शक्तियों द्वारा नियंत्रित समाचार समितियाँ पूरे विश्व में उपभोक्तावादी उपसंस्कृति का विस्तार करके विषमता मूलक विश्व समाज के निर्माण का प्रयास कर रही हैं जो विश्वमानवता के लिए श्रेयस्तर नहीं है।

17.7 सांस्कृतिक साम्राज्यवाद -

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक - सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिससे हमारी मौलिक चिन्तन, विचार, सोच, रहन-सहन एवं क्रियाकलाप अपनी नहीं रहती। इन सभी चीजों पर किसी अन्य शक्तिशाली संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। वे अपने तौर तरीके से हमें एक नया सोच, चिन्तन, विचारधारा एव जीवन शैली सौंपते हैं और हम स्वेच्छया ग्रहण भी करते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देश कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से आर्थिक लाभ-हानि के दर्शन पर आधारित बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति शेष विश्व पर थोप रहे हैं और विकल्पहीनता के कारण सम्पूर्ण विश्व पश्चिम की सांस्कृतिक विचारधारा एवं चिन्तन को स्वेच्छया ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व पर आर्थिक वैश्वीकरण के गर्भ से उत्पन्न एवं विकसित देशों द्वारा प्रायोजिक एक नई संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो रहा है।

17.7.1 सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रश्न -

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना, शिक्षा एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों पर गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है-"दुनिया एक नये किस्म की सांस्कृतिक कूटनीति की दहलीज पर खड़ी है। "आधुनिक विश्व व्यवस्था पर अपने विस्तृत एवं स्पष्ट अध्ययन में इमैनुअल वालर्स्टीन तीन बुनियादी तत्व पाते हैं।

- एक बाजार जहाँ अधिकतम मुनाफे का हिसाब होता हो, और इसलिए जो थोड़े लम्बे समय के बाद उत्पादक गतिविधि की मात्रा, विशेषज्ञता का स्तर श्रम, सेवा और माल के भुगतान की विधि और प्रौद्योगिक अनुसंधान के उपयोग का निर्धारण करती हो।
- घटती बढ़ती शक्ति के साथ राज्यों के ढांचे की एक शृंखला।
- अतिरिक्त श्रम की लूट जिसमें शोषण की प्रक्रिया दो नहीं, बल्कि तीन स्तरों में सम्पन्न हो।

आज इन्हीं मूल तत्वों के सन्दर्भ में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की समझ की शुरूआत हो सकती है। सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की प्रेरणा व्यापारिक विधानों के साथ ही जन्म लेती हैं, लेकिन इससे घुसपैठ से आहत समाज के परिदृश्य पर पड़ी छाप किसी भी तरह धुंधली नहीं होती। वस्तुतः अगर आहत शक्तियाँ अपने लिए अलग

सांस्कृतिक मूल्य पैदा करना शुरू कर दें तो भी सामूहिक पूंजीवाद की मुनाफाखोरी की भूख जगाने वाली ताकत से नहीं बचा जा सकता है। हरवर्ट आई0 शिलर ने अपने इस कथन से पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लैटिन अमेरिका पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में परिधि के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में प्रसारण पूर्णतः वाणिज्यिक हो गया है और बहुराष्ट्रीय निगमों तथा उनके घरेलू सहयोगियों और समर्थकों की जरूरतों की भरपूर सेवा करता है। उदाहरणार्थ वेनेजुएला के वाणिज्यिक दूरदर्शन के मुख्य भाग में विज्ञापन और हिंसा के साथ आयातित फिल्में भी रहती हैं। एक बार व्यापारिक हो जाने के बाद आर्थिक दबाबों की श्रृंखला यह सुनिश्चित कराती हैं कि दुनिया के सभी प्रसारण माध्यम विश्व पूँजीवाद के गढ़, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन गणराज्य एवं कुछ अन्य, में तैयार सांस्कृतिक सामग्री का प्रसारण करें। यह सांस्कृतिक सामग्री केन्द्र अर्थात् - अमेरिका एवं अन्य विकसित देश से परिधि अर्थात शेष विश्व की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से प्रेषित होती है।

सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की अवधारणा का जन्म उस समय हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त निकट आ रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम हो रहा था। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका का साम्राज्यवादी राज्यारोहण, इन दोनों घटनाओं का ऐतिहासिक मेलमहज संयोग नहीं था। यही वह समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की नीति को आगे बढ़ाया। एसोसिएटेड प्रेस के कार्यपालक प्रबन्धक केंट कयूर वर्षों से यूरोपीय समाचार संघों की सबसे पहले रायटर्स और हवास एण्ड वोल्फ की अन्तर्राष्ट्रीय पकड़ तोड़ने में लगे रहे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार एजेन्सियाँ विश्वव्यापी सूचना के प्रवाह पर व्यापक स्तर पर हावी हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विश्व केबल पर अपना प्रभुत्व एंव वर्चस्व कामय कर लेने से मिली शक्ति के महत्व को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों ने भारी सरकारी अनुदान के बल पर उपग्रह संचार व्यवस्था पर सबसे पहले विकास कर उस पर एकाधिकार कायम कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सूचना के स्वतंत्र-प्रवाह के मुद्दे को अपनी राजनीतिक विचारधारा में शामिल कर लिया। इस सन्दर्भ में कांग्रेस के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिकी देशों के मैक्सिको सम्मेलन में 1945 में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के पक्ष में पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे जुड़े संगठनों का उपयोग अमेरिकी नीति को लागू करने के औजार के रूप में और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय मंच के रूप में हुआ। यूनेस्को के गठन के सबसे पहले दौर के प्रस्ताव को अमेरिकी विशेषज्ञों के पैनल ने तैयार किया था। ये प्रस्ताव सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रचारित करते थे। अमेरिकी सांस्कृतिक प्रचार-

प्रसार के सामानों की बाढ़ और उसके द्वारा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को हड़प लेने की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ एवं गुटनिरपेक्ष देशों की ओर से सांस्कृतिक सम्प्रभुता, सांस्कृतिक गोपनीयता, सांस्कृतिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की सम्भावना की चर्चा सुनाई पड़ने लगी। वस्तुतः सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के परिणाम स्वरूप फिल्म, दूरदर्शन कार्यक्रम, पॉप रिकार्ड और पत्रिकाओं जैसे जनसंचार माध्यमों में मुखरित अमेरिकी संस्कृति के तौर तरीकों से बच पाना मुश्किल है। सोवियत संघ के विघटन ने विरोध के स्वर को मन्द कर दिया।

2.7.2 सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट

वर्तमान समय में अमेरिकी एवं पश्चिमी संस्कृति विकसित देशों की अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्पन्न कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों के माध्यम से बाजारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व विश्व में बढ़ता जा रहा है। विश्व की सूचना एवं समाचारों के एक तरफा प्रवाह को खत्मकर संतुलित एवं मुक्त प्रवाह की स्थापना के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार व्यवस्था की स्थापना की माँग जो जोर-शोर से उठायी गई, उसे सूचना क्रान्ति की ताकत ने ध्वस्त कर दिया। सूचना क्रान्ति की बदौलत विकसित देश विश्व में एक ऐसी सूचना एवं संचार व्यवस्था कायम करने में सफल हुए जो विकासशील देशों की अवधारणा के प्रतिरूप ही नहीं है, बल्कि एक तरफा मुक्त प्रवाह को और भी तेज कर दिया है और आर्थिक उपनिवेशवाद के साथ ही सूचना और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया है। आज विश्व में सूचना और समाचारों का वितरण अमेरिका एवं विकसित देशों की चन्द बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में ही है। चार पश्चिमी समाचार समितियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत समाचारों के प्रवाह पर नियंत्रण रखती हैं। सूचना और समाचारों पर नियंत्रण का अर्थ है विचारों और सोच की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना।

इतिहास साक्षी है कि विभिन्न संस्कृतियों के मेल-मिलाप से सकारात्मक परिवर्तन आये हैं किन्तु आज संस्कृतियों के बीच सामान्य मेल-मिलाप का मामला नहीं रह गया है बल्कि सूचना के हथियारों से लैस शक्तिशाली संस्कृतियाँ कमजोर संस्कृतियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। लोगों की प्राथमिकताओं को तोड़ मरोड़ रही हैं। ताकि वे मुक्त बाजार की आवश्यकता के अनुसार अपने को ढाल सकें। इस पूरी प्रक्रिया में मजबूत संस्कृतियाँ अपने मूल्यों एवं जीवन शैली को कमजोर संस्कृतियों पर थोप रही हैं। भाषा को सांस्कृति का संवाहक कहा जाता है। पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कानपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कहा था विज़ित देशों पर विजेता क्यों अपनी भाषा का भार लादते हैं। इसका उत्तर स्वयं द्विवेदी जी ने दिया- "इसका एकमात्र कारण स्वराज्य और स्वभाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि भाषा गई तो अपनी जातीयता और अपनी सत्ता भी गई समझिये। आज इण्टरनेट अंग्रेजी का सबसे बड़ा संवाहक

न गया है, क्योंकि समस्त आधुनिक ज्ञान किसी एक भाषा में मिल सकता है तो वह भाषा अंग्रेजी है। इससे विश्व की विभिन्न भाषाओं के विलोपीकरण का मुद्दा आ खड़ा हो गया है। स्वाभाविक है कि भाषा के विलुप्त होते ही सांस्कृतिक अस्मिता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार सूचना क्रान्ति के वर्तमान दौर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न विकसित देशों की समाचार समितियों का सूचना तंत्र पर नियंत्रण एवं स्वतंत्र सूचना वाह से सम्पूर्ण विश्व अमेरिका एवं पश्चिमी विकसित देशों का सांस्कृतिक उपनिवेश नने के कगार पर खड़ा है। यदि समय रहते इसका विकल्प नहीं ढूढ़ा गया तो विश्व की सांस्कृतिक विविधता इतिहास की वस्तु बन जाएगी।

7.8 सारांश -

समाचार समितियों को समाचारों का अढ़तिया कहा जाता है। आज विश्व की ार प्रमुख समाचार समितियों-ए0पी0, ए0एफ0पी, यू0पी0आई0 और रायटर्स का अन्तर्राष्ट्रीय ंचार व्यवस्था के क्षेत्र में वर्चस्व होने के कारण सूचना का प्रवाह एकतरफा एवं सतुलित हो गया है अर्थात् विकसित देशों से विकाशील देशों की ओर। यह दुष्प्रभाव म्पूर्ण विश्व पर पश्चिमी संस्कृति के साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में पड़ रहा है। आज ांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट उत्पन्न हो गया है।

7.9 शब्दावली -

बपतिस्मा-इसाई धर्म में दीक्षित होने के अनुष्ठान को कहा जाता है।

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ -

न्दी पत्रकारिता :-विविध आयाम - सं0 डा0 वेद प्रकाश वैदिक- संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व-हरवर्ट आई0 शिलर अनु0 राम कवीन्द्र सिंह

चार माध्यम - खण्ड 19 अंक 1 जनवरी-मार्च 2002 सं0 के0 एम0 श्रीवास्तव

डिया जगत - अंक 2,3 जुलाई-दिसम्बर 2004 एवं जनवरी-जून 2005 - सं0 डा0 अनिल कुमार उपाध्याय।

7.11 सम्बन्धित प्रश्न -

घु उत्तरीय प्रश्न-

- समाचार समिति का अर्थ बताइए।
- ए0 पी0 (एसोसिएटेड प्रेस) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

3- मैकब्राइड कमीशन क्या है ? स्पष्ट करे

4- अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभाव बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1- प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समाचार समितियों पर प्रकाश डालिए।

2- अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह की व्याख्या करें।

3- अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह को संतुलित करने हेतु वैश्विक प्रयास पर प्रकाश डालिए।

4- सांस्कृतिक-साम्राज्यवाद पर लेख लिखिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- पेरिस और ब्रुसेल्स के बीच हवास ने कब प्रयोग किया था-

(क) 1840, (ख) 1850 (ग) 1905, (घ) 1920

2- रायटर की स्थापना हुई थी-

(क) 1849 (ख) 1875 (ग) 1850 (घ) 1900

3- यू0 पी0 आई0 समाचार समिति है-

(क) फ्रांस (ख) अमेरिका, (ग) ब्रिटेन (घ) जर्मनी

4- मैकब्राइड कमीशन का गठन हुए था।

(क) 1949 (ख) 1970 (ग) 1975 (घ) 1977

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- (क) 2-(ग) 3-(ख) 4 (घ)

काई : 18 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

काई की रुपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

18.2.1 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ

18.2.2 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

3.3 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम

18.3.1 प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

18.3.2 विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

18.3.3 सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति एवं अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

18.3.4 विश्व में अन्तःसांस्कृतिक संघर्ष और संचार

.4 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम

18.4.1 पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में परस्पर अन्तर्संघर्ष

18.4.2 धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष

18.4.3 भाषाई संघर्ष

18.4.4 जातीय संघर्ष

18.4.5 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति का परस्पर अन्तर्संघर्ष

18.4.6 आय वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

18.4.7 आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

.5 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम

18.5.1 सकारात्मक परिणाम

18.5.2 नकारात्मक परिणाम

18.6 सारांश

18.7 शब्दावली

18.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

18.9 सम्बन्धित प्रश्न

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित होंगे-

- अन्तार्संस्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम
- अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम
- अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम

18.1 प्रस्तावना

विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संघर्ष को अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही चल रहा है। वैश्विक स्तर पर यह संघर्ष पूर्व और पश्चिम, विकसित और विकासशील देशों के मध्य तथा विभिन्न संस्कृतियों के भीतरी संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। भारत में पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति, धार्मिक साम्प्रदायिक संघर्ष, जातीय संघर्ष , भाषाई संघर्ष, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय संघर्ष, आय एवं आयु वर्ग पर आधारित संघर्ष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में पड़ रहा है।

18.2 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संघर्ष , टकराव एवं विरोध की निरन्तरता मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही चल रही है। इसमें अनेक संस्कृतियां विलुप्त हो गयी, नई संस्कृतियों का जन्म हुआ और अनेक संस्कृतियों का रूपान्तरण हो गया। अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष से विभिन्न संस्कृतियों में परस्पर मेल मिलाप भी हुआ जिससे संघर्षरत संस्कृतियां प्रभावित भी हुई। अतएव अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ एवं उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना समीचीन होगा।

8.2.1 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है- अन्तर + सांस्कृतिक + संघर्ष । इसी खण्ड की अन्य इकाई में अंतर एवं सांस्कृतिक शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। अन्तर शब्द अर्थ मध्य, बीच परस्पर भेद, विभिन्नता आदि हैं तथा सांस्कृतिक शब्द का अर्थ है संस्कृति से सम्बन्धित। संस्कृति शब्द से अभिप्राय उन सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से है जो कि मानव समाज के पास है। यथा, कला विचार, प्रथा, रूढ़ियां, लोकाचार, विश्वास, आदर्श विज्ञान एवं विविध प्रकार के उपकरण आदि। दूसरे शब्दों में जीवन यापन के जितने भी विशिष्ट स्वरुप समाज में विकसित होते हैं उन्हें ही संस्कृति कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत बौद्धिक एवं अबौद्धिक दोनों प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है। संघर्ष शब्द का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

संघर्ष का अर्थ

सहयोग के बाद संघर्ष मनुष्य के सामाजिक संगठन का दूसरा सिद्धान्त है। संघर्ष का अस्तित्व समाज में आदिकाल से पाया जाता है। प्रतियोगिता जब वैयक्तिक हो जाती है और एक प्रतियोगी दूसरे को नुकसान पहुँचाकर लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न संघर्ष का रूप धारण कर लेता है।

संघर्ष की परिभाषा

संघर्ष को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं:

ए.डब्ल्यू. ग्रीन - "संघर्ष दूसरे की इच्छा से जान बूझकर किया गया विरोध है।"

आर. ई. पार्क और ई. डब्ल्यू. वर्गेस - "प्रतियोगिता और संघर्ष विरोध के दो रूप होते हैं, जिसमें प्रतियोगिता अवैयक्तिक होती है, जबकि संघर्ष का रूप वैयक्तिक होता है।"

गिलिन और गिलिन - "संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्य को पाने के लिए विरोधी को हिंसा का भय दिखाकर आवाहन करते हैं।

जोसेफ एच. फिचर - "संघर्ष पारस्परिक अन्तर्क्रिया का एक रूप है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं।"

इस प्रकार संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रमुख रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे का विरोध करते हैं।संघर्ष वैयक्तिक होने के कारण हिंसात्मक टकराव में बदल जाता है। प्रतियोगिता एक निश्चित नियम के अन्तर्गत सामाजिक विकास में सहायक होती है। प्रतियोगिता का विकृत स्वरूप संघर्ष है।

संघर्ष के अनेक रूप हैं। संघर्ष के मुख्य रूप इस प्रकार हैं - प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, बहुसंख्यक संघर्ष और अल्पसंख्यक संघर्ष आदि।

इस प्रकार अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक संस्कृतियों या सांस्कृतिक समूहों के मध्य परस्पर संघर्ष या विरोध या टकराव। दो या दो से अधिक संस्कृतियों के व्यवहार पक्ष, यथा खान -पान, वेष भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, यथा - साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, यथा -समतावाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, अहिंसा, करुणा आदि में अन्तर्विरोध या टकराव उत्पन्न होता है तो हम उसे अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की संज्ञा प्रदान करते हैं।

18.2.2 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि का विभेद एवं अन्तर समाज में संघर्ष की परिस्थितियों को पैदा करते हैं। समाज के साथ सहयोग और संघर्ष का सम्बन्ध आदि काल से ही रहा है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ होने के साथ ही परस्पर सांस्कृतिक संघर्ष एवं अन्तर्किया की शुरुआत हो गयी जो अद्यतन चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेंगी क्योंकि यह सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक प्रक्रिया है।

वैश्विक सन्दर्भ - मानव जाति की उत्पत्ति के साथ ही अस्तित्व एवं पहचान के लिए संघर्ष शुरु हो गया। ऐसा माना जाता है कि नर -वानर परिवार के किसी सदस्य के परिष्कार से मनुष्य का आविर्भाव हुआ। इन्हें प्रारम्भिक पूर्व पाषाण काल में मानव सम प्राणी कहा गया है। मानव संस्कृति के इतिहास का प्रथम अध्याय लिखने वाले पूर्ण मानव न होकर जावा, चीन, यूरोप, अफ्रीका के यही प्राचीन मानवसम प्राणी थे। विद्वानों की मान्यता है कि मध्य पूर्व पाषाणकाल में इन्हीं मानव सम प्राणियों को पराजित करके पूर्ण मानवों ने परिवर्ती पूर्व पाषाण काल में यूरोप सहित विश्व के अन्य भागों में कब्जा कर लिया। पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियां, जिसका पुरातत्ववेत्ताओं ने शैलियन, एब्बोविलियन, अशूलियन, क्लेक्टोनियन, लेवालुआजियन, आरिन्येशियन, सौल्युट्रियन, मैगडेलेनियन आदि नाम दिया है, शिकार एवं पशुपालन पर अवलम्बित थी, किन्तु नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन से परिचित हो गयी। अब स्थायी रूप से एक स्थान पर घर बनाकर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। ताम्र प्रस्तरकाल में मनुष्य ने कबीलाई संस्कृति में एक मुखिया के अधीन अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया तथा कांस्यकाल में नदी घाटियों में नगर क्रान्ति से विभिन्न सभ्यताओं का जन्म हुआ। पाषाण कालीन संस्कृतियों में अस्तित्व की रक्षा के लिए परस्पर संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। कबीलाई संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष के साथ ही सहज सांस्कृतिक मेल मिलाप के भी प्रचुर प्रमाण हैं।

मानव जाति की ऐतिहासिक विकास यात्रा का प्रथम चरण पूर्ण होने पर विभिन्न नदी टियों में नगरीय सभ्यताओं का जन्म हुआ। सभ्यता का आविर्भाव सर्वप्रथम पश्चिमी ाया में दजला और फरात, अफ्रीका में नील तथा भारत में सिन्धु की घाटियों में हुआ। सैन्धव यता, मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता मे प्राचीनतर सभ्यता को लेकर विद्वानों विवाद है। पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता , बेविलोनियन सभ्यता, ाइट सभ्यता, मितन्नी सभ्यात, हित्ती सभ्यता, असीरियन सभ्यता, फिनीशियन सभ्यता, मियन सभ्यता, फ्रीगियन और लीडियन सभ्यता उरर्तु राज्य, उत्तर की बर्बर जातियाँ और के मीड, कैल्डियन सभ्यता, यहूदी सभ्यता आदि प्रमुख हैं। इसी तरह मिस्र की सभ्यता, मिड यूग, मध्य राज्य युग, साम्राज्य युग आदि, ईजियन प्रदेश, यूनान और रोम की सभ्यता, यन सभ्यता, होमर कालीन क्लासिकल यूनान , पेरिक्लज का युग, क्लासिकल युग का सान और रोम का उदय आदि, ईरान की सभ्यता प्राक - हखामशी युग तथा हखामशी आदि, चीनी सभ्यता के विविध चरण तथा भारत की सभ्यता सैन्धव सभ्यता, वैदिक यता, मगध का उत्कर्ष तथा धर्म क्रान्ति आदि चरणों में क्रमिक विकास किया। इन यताओं की लम्बी ऐतिहासिक यात्राएं पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सभ्यताओं के संघर्षों से भरी त्येक परवर्ती सभ्यता ने अपनी पूर्ववर्ती सभ्यताओं को पराभूत एवं विनष्ट करके अपनी ना की । यह संघर्ष क्षेत्र विशेष की पूर्ववर्ती सभ्यताओं में हुआ। दजला फरात की घाटी श्चिमी एशियाई सभ्यताओं का उदय एवं अस्त तो ऐतिहासिक संघर्षों के कारण ही । मिस्र की सभ्यता ने अपना एशियाई विस्तार करके अन्तर्राष्ट्रीय युग की विश्व में ी बार शुरुआत की।

पश्चिमी एशिया विश्व की अनेक महत्वपूर्ण संस्कृतियों की जन्म स्थली रही है। क्षेत्र में ईसाई एवं इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इन दोनों धार्मिक संस्कृतियों को ी समकालीन संस्कृतियों से प्रबल संघर्ष का सामना करना पड़ा। ईसा मसीह को शूली ढ़ाया गया और मुहम्मद साहब को इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए क युद्ध लड़ने पड़े। आगे चलकर ईसाई एवं इस्लाम धर्म भी दो भागों में विभक्त हो गया। ई धर्म में दो सम्प्रदाय हो गये - कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट ! कैथोलिक परम्परावादी ई धर्म को मानते हैं और पोप पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। प्रोटेस्टेंण्ट आत्मशुद्धि पर विशेष देते हैं तथा प्रगतिशील विचारों में विश्वास रखते हैं। आरम्भ में इनके मध्य कई बार और सशस्त्र युद्ध हुए परन्तु अब राजनीतिक चेतना के विकास के साथ इनमें धार्मिक गुता उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म भी आगे चलकर शिया और सुन्नी ाय में विभक्त हो गया तथा इन दोनों सम्प्रदायों में अब भी दंगा फसाद विश्व के न क्षेत्रों में आये दिन होते रहते हैं। ईसाई एवं इस्लाम धर्मों का विस्तार लगभग विश्व भी क्षेत्रों में हो चुका है और उन क्षेत्रों की राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों से प्रायः

टकराव एवं संघर्ष होता रहता है। ईसाई और इस्लाम धर्म के पूर्व बौद्ध धर्म के रुप में एक महान धर्म का उदय हो चुका था जिसके अनुयायी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में करोड़ों की संख्या में हैं इसकी चर्चा हम भारतीय सन्दर्भ में करेंगे।

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरुप कला साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की उन्नति एवं धर्म सुधार आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। ज्ञान का विस्तार हुआ तथा नये -नये वैज्ञानिक आविष्कारों से सर्वांगीण विकास को गति मिली। इस पुनर्जागरण का सम्पूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा। यूरोप के औद्योगिक देशों का सम्पूर्ण विश्व में राजनैतिक एवं आर्थिक उपनिवेश कायम हुआ ।वैज्ञानिक चेतना के उदय के साथ ही सुधारवादियों द्वारा परम्परागत समाज की रुढियों एवं अन्धविश्वासों के उन्मूलन का अभियान तीव्र हुआ, जिससे अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष को नया आयाम मिला।

भारतीय सन्दर्भ

प्राचीन भारत का इतिहास सैन्धव सभ्यता से प्रारम्भ होता है। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, गुंजरात एवं राजस्थान तक था। सैन्धव संस्कृति के वास्तविक निर्माता कौन थे? इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें भूमध्य सागरीय नृवंश से सम्बन्धित मानते हैं तो कुछ लोग द्रविड़ों को इसका निर्माता मानते हैं, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति के लोग लिंगपूजक थे जिसका व्यापक प्रभाव आज भी द्रविड़ संस्कृति पर दृष्टिगोचर होता है। द्रविड़ लोगों को कुछ विद्वान हेलेनिक जाति का मानते है। सैन्धव संस्कृति के लोग कृषि कार्य के प्रारम्भिक विकास कर्ता और कॉस्य धातु तथा कुम्हार के चाक के आविष्कारक थे। सैन्धव सभ्यता उच्च विकसित नगरीय सभ्यता थी। आर्यों के आगमन के पूर्व द्रविड़ों ने अधिकांश इस सभ्यता का विस्तार कर लिया था।

आर्य मूलतः आल्पस पर्वत के पूर्व यूरेशिया के रहने वाले कृषक एवं यायावर चरवाहा जाति के समूह के लोग थे जो भारोपीय भाषा जानते थे।यह भाषा आज भी कुछ भिन्नता के साथ यूरोप, ईरान एवं भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। आर्यों के आक्रमण के बाद द्रविड़ लोग सतपुड़ा पर्वतमाला पार करके भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में चले गये। कुछ द्रविड़ आर्यों के साथ घुल मिल गये। आर्य लोग कई खेमों में आये और स्थानीय निवासियों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। आर्य प्रशिक्षित घोड़ों, घोड़े युक्त रथों एवं उत्कृष्ट हथियारों का प्रयोग करते थे तथा कृषिकार्य की विशिष्ट जानकारी रखते थे। आर्य संस्कृति की विशिष्ट उपलब्धि चार वेद हैं ।वर्ण व्यवस्था , आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ आर्यों की सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार है।रामायण एवं महाभारत में उस समय की घटित घटनाओं का वर्णन मिलता है। षट् वेदांगों में जहां गुह्य सूत्र धार्मिक कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है वहीं धर्म सूत्र में सामाजिक रीति रिवाजों एवं व्यवहारों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल की उत्तरवेद, ब्राहमण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद आदि भारतीय हिन्द दर्शन की शिखर उपलब्धि है।

उत्तर वैदिक कालीन वर्णव्यवस्था ने तत्युगीन समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक ंगतियों एवं तनावों को जन्म दिया। शासक एवं व्यापारिक समुदायों ने ब्राहमण पुरोहित की श्रेष्ठता को नकारना प्रारम्भ कर दिया। विलासिता एवं भौतिक सुख साधनों से पन्न उच्च वर्ग एवं शोषित तथा दलित निम्न वर्ग में समाजिक असमानता के कारण परस्पर व पैदा होने लगा। ऐसे विषम सामाजिक वातावरण में जैन धर्म का उदय हुआ, जिसे पू. पाचवीं शताब्दी में महावीर स्वामी ने उच्च शिखर पर पहुंचाया। महावीर स्वामी के कालीन भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। सत्य अहिंसा, करुणा, समता मानवता के महाप्रचारक गौतम बुद्ध ने आर्य संस्कृति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के लोगों बौद्धधर्म की ओर आकर्षित किया। तत्युगीन अनेक राजतंत्रों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार के एवं राज्य संरक्षण प्रदान करके उसका प्रचार-प्रसार पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण एशिया में किया। बौद्ध धर्म ने सामान्य जन की भाषा पाली भाषा को अपने ार- प्रसार की भाषा बनाया। आगे चलकर बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान में विभक्त कर भारत में महत्वहीन हो गया।

बाह्य आक्रमणों से अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा मिला है। ई. पू. भारत के उत्तर श्चमी क्षेत्र में राजनैतिक उथल -पुथल एवं अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए विदेशी शासकों अनेक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ई.पू. चौथी शताब्दी में कन्दर ने खैबर दर्रे से प्रवेश करके पंजाब पर आक्रमण किया और यूनानी सभ्यता का ार उत्तर पश्चिमी भारत में किया। इसके बाद यूनानी, पार्थियन , कुषाण, शक, हूण, दि जातियों का आक्रमण हुआ और स्थानीय संस्कृति के साथ इनकी संस्कृति का तसंघर्ष तेज हुआ।

पाश्चात्य जगत से सेंट थामस सन् 52 ई. में मालाबार आये और इसी के साथ रत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। इसके बाद सातवीं शताब्दी में अरबी आक्रमण भारत प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर मुहम्मद गजनवी एवं मुहम्मद गोरी ने आक्रमण द्वारा पश्चिमी भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुहम्मद गोरी ने भारत के अनेक हिन्दू सकों को हराकर मुस्लिम शासन की नींव डाली। इसी प्रकार इंग्लैण्ड के ईसाई धर्मावलम्बी पारियों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करके भारत में टिश शासन की नींव रखी। इस्लाम एवं ईसाई धर्मावलम्बियों द्वारा केन्द्रीयशासन के न पर इस्लाम एवं ईसाई संस्कृति का भारत में प्रथम प्रसार हुआ। इस्लाम एवं ईसाई ओं के पूर्व की सैन्धव संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध संस्कृति एवं बाहय आक्रान्ताओं संस्कृति परस्पर मेल- मिलाप द्वारा एक- दूसरे में घुल मिल गयी किन्तु इस्लाम एवं ाई संस्कृति की पृथक पहचान बनी रही।

18.3 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का वैश्विक आयाम

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष को बढ़ावा देने में संचार माध्यमों का योगदान रेखांकित करने योग्य है। प्राचीन काल में जहां परम्परागत माध्यमों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग अपनी संस्कृति को विस्तार प्रदान करने के लिए अन्य संस्कृतियों से वैचारिक संघर्ष करते थे, वहीं आधुनिककाल में उन्नत प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा अन्य संस्कृतियों की तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठता प्रदान करते का संघर्ष तीव्र हो गया है। वैश्विक स्तर पर अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष को कई रूपों में देखा जा सकता है।

18.3.1 प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष एवं संचार

मानव सभ्यता का जन्म पश्चिम एशिया, मिस्र, भारत एवं चीन आदि प्राच्य देशों में हुआ। जिस समय मानव सभ्यता और संस्कृति को जन्म देने वाले इन प्राच्य देशों में धर्म, संस्कृति , साहित्य, कला, ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा था उस समय पश्चिम सघनतम अन्धकार में डूबा हुआ था। कई सहस्राब्दियों तक भूमण्डल के पूर्वांचल की सांस्कृतिक श्रेष्ठता बरकरार रही किन्तु समय ने करवट बदला। यूरोपीय पुनर्जागरण और पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरुप ब्रिटेन, फ्रांस , पुर्तगाल आदि देशों का औपनिवेशिक विस्तार एशियाई देशों में हुआ। इस औपनिवेशिक विस्तार के साथ -साथ अपनी भाषा साहित्य संगीत कला, ज्ञान, विज्ञान एवं जीवन शैली का भी प्रचार- प्रसार तीव्र गति से किया। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरुप नित्य नये- नये आविष्कारों का दौर प्रारम्भ हुआ। इन आविष्कारों के फलस्वरुप जनसंचार के नये -नये माध्यमों का विकास हुआ। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट , मोबाइल आदि से अन्तर्सांस्कृतिक संचार की गति तीव्र हुई। आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनमाध्यमों द्वारा अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया से विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्संघर्ष को नई गति मिली। पाश्चात्य संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से प्राच्य संस्कृति एवं भाषा को बचाने का प्रयास तीव्र हुआ।प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष में पूर्वी देशों के लोगों में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण की चेतना तीव्र हुई। ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में कराये जा रहे धर्मान्तरण का तीव्र विरोध हुआ। अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध ऐतिहासिक आन्दोलन हुए। विदेशी जीवन शैली वेशभूषा एवं खान पान एवं उत्सवों का प्रायः विभिन्न स्वदेशी संगठनों द्वारा विरोध हो रहा है। धार्मिक, सामाजिक सुधारवादी आन्दोलनों द्वारा सांस्कृतिक परिष्कार का क्रम वर्तमान में भी जारी है। विभिन्न सामाजिक

नों द्वारा जनजातीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे के पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित ईसाईयत के प्रचार प्रसार और धर्मान्तरण को रेाका के। प्राच्य-पाशचात्य अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष में पक्ष समर्थन एवं पक्ष प्रचार के लिए ार पत्रों , रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर , इण्टरनेट एवं मोबाइल फोन का ा लिया जा रहा है।

3.2 विकसित एवं विकाशील देशों के मध्य अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

सूचना क्रान्ति के युग में अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सम्पन्न ाध्यमों पर अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों का वर्चस्व एवं एकाधिकार है। आज जनमत को प्रभावित करने वाला इससे बडा कोई भी हथियार नहीं है। अति उन्नत सित देश जनमाध्यमों पर नियन्त्रण करके विश्व के गरीब देशों के सामाजिक ढाँचे को भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबी से जूझते एवं लाचारी से तड़पते हुए अफ्रीकी, नी देशों के अलावा दक्षिण एशियाई देश भी प्रभावित हो रहे हैं। विश्व जनमत को र क्रान्ति के सेतु से बाधने की जो नई शैली हमारे सामने आयी है उसमें समुचित का बाजार गणित भी शामिल है।कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा नियंत्रित एवं अमेरिका सहित विकसित देशों के आधिपत्य में संचालित संचार माध्यमों ने पिछले डेढ़ दशक में उपभोक्ता ति की एक पीढ़ी अथवा एक विशेष वर्ग को विकासशील देशों में तैयार किया है। क्ता वादी संस्कृति ने पूरे विश्व में जनसंस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया है। जन ति के प्रतीकों में अधिकांश उत्पाद एवं जीवन शैली विकसित देशों के हैं। जनसंस्कृति क समाज की उपज है जो पूंजीवाद को पुष्पित और पल्लवित करता है। पुस्तकें, पत्र ाएं, रेडियो,टी.वी., फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, और मोबाइल फोन आदि जन माध्यम ाधन इसके संवाहक हैं। जनसंस्कृति आराम, उपभोग, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिवाद की क जीवनशैली और मूल्यों को प्रोत्साहित करती है।

संचार क्रान्ति के परिणाम स्वरुप जहां एक ओर विश्व की भौतिक दूरी घटी है दूसरी ओर भोगवादी संस्कृति का उदय हुआ है इसने असीमित भोग लिप्सा तथा विसंगत जीवन को बढ़ावा दिया है। विशेषतः विकासशील समाजों की परम्परागत संस्थाओं का चरमराने लगा है तथा नैतिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं प्लेब्याय एवं पेन्ट हाउस की ृतियों का उदय विशेषतः नारी देह का अनिवार्य प्रदर्शन नग्नता को सौन्दर्य मानना , अनुशासन का क्षीण होना, अप्राकृतिक एवं असामान्य यौनाचार साहित्य का अवमूल्यन, ा एवं अपराध में वृद्धि, लक्ष्य भ्रम तथा अन्ततः समाज का दिशाहीन तथा धूरीहीन होना दि सम्भावित खतरों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता विकासशील देशों में महसूस गई। विकासशील देशों में अपनी राष्टीय एवं स्थानीय परम्परागत संस्क्रति के संरक्षण

की चेतना जाग्रत हुई। अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों ने जहाँ एक ओर विकसित देशों की आयातित संस्कृति का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर अपनी परम्परागत संस्कृति के प्रति प्रेम एवं गौरव की भावना को जाग्रत किया। इससे समस्त विकासशील देशों में अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की गति तेज हुई। जनसंस्कृति के प्रतीकों आयातित साहित्य, संगीत कला एवं जीवन शैली तथा अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार का आन्दोलन तीव्र हुआ। सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों ने अपने आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्चे, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, पुस्तकें, पत्र -पत्रिकाओं का प्रकाशन ही नहीं किया वरन् इलेक्ट्रानिक माध्यमों का भी भरपूर उपयोग किया। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिवसेना तथा अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पश्चिम की आयातित संस्कृति वेलेण्टाइन डे का प्रबल विरोध और परम्परागत सांस्कृतिक गौरव को जगाने के उद्देश्य से संस्कार भारती आदि के द्वारा वासन्तिक नवरात्र के प्रथम दिन को नववर्षारम्भ के रुप में मनाना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

इस प्रकार विकसित देशों के जीवन मूल्यों का जो विकासशील एवं अविकसित देशों में तेजी से प्रसारित हो रहा है, का प्रबल विरोध वैश्विक स्तर पर चल रहा है।अमेरिक, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों का शेष विश्व पर सांस्कृतिक आक्रमण जनसंचार माध्यमों एवं संवाद समितियों के द्वारा हो रहा है। इसका प्रतिरोध विकासशील एवं अविकसित देशों में तो हो ही रहा है अपसंस्कृति के प्रचारक विकसित देशों में भी विरोध का स्वर धीरे- धीरे मुखर हो रहा है क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों के सामाजिक जीवन को भी भ्रष्ट कर रही है, जो उन देशों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बनता जा रहा है।

18.3.3 सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति एवं अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह की अवधारणा का जन्म उस समय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम हो रहा था। सन. 1945 में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के पक्ष में अमेरिका को पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच मिला। युद्ध और शान्ति के प्रश्न पर अमेरिकी देशों का मैक्सिको सम्मेलन में 'सूचना तक स्वतंत्र पहुँच' के बारे में कड़ा प्रस्ताव पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इससे जुड़े संगठनों का उपयोग अमेरिकी नीति को लागू करने के औजार के रूप में तथा इससे भी आगे बढ़कर, स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त के प्रचार- प्रसार के लिए प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय मंच के रूप में हुआ। यूनेस्को के गठन के सबसे पहले दौर के प्रस्तावों को अमेरिकी विशेषज्ञों के पैनल ने तैयार किया था, जो सूचना के स्वतंत्र प्रवाह का प्रचारक था। सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त को प्रचारित करने के उद्देश्य से 1946 में यू.एन.ओ. की सामाजिक और आर्थिक परिषद् ने मानवाधिकार पर एक आयोग का गठन किया और सूचना और प्रेस की

ा पर एक उप आयोग के गठन का अधिकार उसे दे दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ वाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया।

सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के सिद्धान्त के विरुद्ध 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध और के दशक के पूर्वाद्ध में विश्व भर में एक नया तेवर दिखाई पड़ने लगा। यह सब की सांस्कृतिक प्रचार- प्रसार के सामानों की बाढ़ और उसके द्वारा राष्ट्रीय संचार ा को हड़प लेने की प्रतिक्रिया में हुआ। 1961 में गुटनिरपेक्ष संगठन का जन्म हुआ 968 में युनेस्को के मंच पर पहली बार दो तरफा एवं संतुलित समाचार प्रवाह की ही गयी। 1970 में यूनेस्को के सोलहवें सम्मेलन में राष्ट्रीय जन संचार नीति निर्माण त कही गयी तथा 1972 में जन संचार माध्यमों की घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकार गया।1973 में अल्जीयर्स में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक में जनसंचार के क्षेत्र में सहयोग तथा जनमाध्यमों के पुर्नव्यवस्थापन की बात कही गयी तथा 1975 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ाचार समिति 'न्यूजपूल' की स्थापना की। 1977 में मैकब्राइड आयोग की स्थापना हुई अपनी रिपोर्ट में नईविश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की बात कही गयी थी। यूनेस्को 30 में नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रम (आई. पी.डी.सी.) की स्थापना की। 1982 में यूनेस्को की चौथे विशेष बैठक रिका ने यूनेस्को से बाहर निकल जाने की धमकी दी। 1983 में यूनेस्को ने सदस्य से आई.पी.डी.सी. की सहायता के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील की। 31 दिसम्बर में अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी तथा 1985 में ब्रिटेन और सिंगापुर ने दस्यता का त्याग किया। आई.पी.डी.सी. का निर्माण तीसरी दुनिया के देशों में संचार र्क को बढ़ाने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से हुआ था। इस कार्य के लिए एक सौ यन डालर की आवश्यकता थी जबकि उसे पाँच मिलियन डालर ही उपलब्ध हो पाया। रिका ने सहायता देने से इन्कार कर दिया।

विकासशील देशों द्वारा संतुलित और मुक्त सूचना व्यवस्था के जवाब में विकसित का तर्क था कि सूचना का मुक्त प्रवाह होना चाहिए । संतुलित एवं मुक्त प्रवाह की करना सूचना समाचारों के मुक्त प्रवाह पर अंकुश लगाना है। वस्तुतः मुक्त एकतरफा संतुलित प्रवाह की बहस के पीछे जो अवधारणाएं हैं वही सूचना युग की सबसे बड़ी त है। किसी भी हालत पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों का द्वन्द्व मुक्त रूप से होता है तो स्वाभाविक है जो शक्तिशाली है विजय उसी की होगी। अवधारणा में कमजोर को मजबूत बना कर प्रतियोगिता का तत्व नहीं हैं वरन कमजोर कमजोर ही बनाए रखते हुए प्रतियोगिता की चुनौती का तत्व प्रधान है। विश्व में सूचना समाचारों का वितरण सम्पन्न देशों की कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में है। का मतलब है विचारों और सोच की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना।स्वतंत्र सूचना प्रवाह अर्थ है केन्द्र (संयुक्त राज्य अमेरिका ,ब्रिटेन फ्रांस,जर्मन गणराज्य एवं अन्य) में तैयार कृतिक सामग्री और अंग्रेजी भाषा का परिधि (शेष विश्व) की ओर समाचार माध्यम

प्रसारण करें क्योंकि सूचना तंत्र पर अमेरिका एवं अन्य विकसित राष्ट्रों का नियंत्रण है।इस संकट से बचाने के लिए विकासशील देशों ने सोवियत संघ के सहयोग से स्वतंत्र एवं संतुलित सूचना प्रवाह की बात कही। वर्तमान समय में भी विकासशील एवं अविकसित देश सूचना के स्वतंत्र प्रवाह से प्रवहमान पश्चिमी संस्कृति से अपनी परम्परागत संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की कूटनीति और अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है।सूचना के हथियारों से लैस शक्तिशाली संस्कृतियों कमजोर संस्कृतियों के लिए संकट उत्पन्न कर रही हैं और कमजोर संस्कृतियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज संघर्षरत हैं।

18.3.4 विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष और संचार

सम्पूर्ण विश्व में औपनिवेशिक काल से अब तक विभिन्न सस्कृतियों के मध्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के क्रम में परस्पर संघर्ष होता रहा है। इसका स्वरूप श्वेत अश्वेत संघर्ष, भाषाई संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, धार्मिक- साम्प्रदायिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, वर्गीय संघर्ष आदि अनेक रूपों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अनेक राष्ट्रों की राष्ट्रीय , क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के भीतर भी आन्तरिक संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। किसी एक ही संस्कृति के भीतर चलने वाले संघर्ष को अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष कहा जाता है।

विश्व की विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों में अन्तःसंघर्ष देखा जा सकता है। ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान तथा हिन्दू धर्म वैष्णव, शैव, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत आदि रूपों में विभक्त होकर परस्पर वैचारिक संघर्ष कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में तो विश्व के विभिन्न भागों में शिया सुन्नी के बीच प्रायः हिंसक संघर्ष होते ही रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, आदि इस्लामिक देशों में भाषिक समुदायों, क्षेत्रीय समुदायों एवं विभिन्न कबीलाई समूहों में हिसकं संघर्ष उन देशों की राष्ट्रीय समस्या बनी हुई जबकि सभी एक ही धार्मिक संस्कृति के सदस्य हैं। इसी तरह भारत में हिन्दू धर्मानुयायियों में भी जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन और संघर्ष देखा जा सकता है। मानवाधिकारों का तथाकथित संरक्षक अमेरिका भी श्वेत अश्वेत संघर्ष से वंचित नहीं है। इसी तरह का संघर्ष सभी विकसित देशों में देखा जा सकता है।एक ही धार्मिक संस्कृति को मानने वाले विभिन्न देशों में भी युद्ध आदि होते रहते हैं। इन संघर्षों में मीडिया की भूमिका कभी निष्पक्ष कभी पक्षपात पूर्ण होती है।

विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष कई रूपों में देखा जा सकता है। जहाँ एक ही धार्मिक संस्कृति के लोग धार्मिक अन्तर्विभाजन, भाषा, राष्ट्र, क्षेत्र, जाति या वर्ग के आधार पर संघर्ष करते हैं वहीं एक ही भाषिक संस्कृति के लोग धर्म,राष्ट्र, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर संघर्ष करते हैं। जहाँ एक ही राष्ट्रीय संस्कृति के लोग धर्म, भाषा,

ति वर्ग के आधार के आधार पर संघर्ष करते हैं वहीं एक ही क्षेत्रीय संस्कृति के ं, भाषा जाति के आधार पर संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार एक ही जाति के लोग षा या क्षेत्र के आधार पर संघर्ष करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त विश्व में अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और अन्तः क संघर्ष के कई आयाम हैं। सभी आयामों में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती संचार माध्यमों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना को ं महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक मीडिया ने ज्ञान का विस्तार किया। सदियों से दलित, शोषित समुदाय में स्वाभिमान एवं सम्मान के भाव को जागृत किया। देशप्रेम एवं सांस्कृतिक गौरव को जाग्रत करने में पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टी0वी0 ादि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास की गौरवशाली से परिचित होने पर लोगों में अपने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृति के मान एवं प्रेम की भावना जगी। किसी भी आयातित संस्कृति से अपनी परम्परागत को बचाने की चेतना जाग्रत हुई। इसी क्रम में अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष की गति ं। इस संघर्ष में अपने पक्ष-समर्थन एवं पक्ष-प्रचार के लिए भी जन माध्यमों का ही लिया जा रहा है। जनसंचार माध्यम अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष के प्रबल संवाहक हैं।

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार का भारतीय आयाम

भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों के योग के दर्शन होते हैं। आर्य, अनार्य, ीक, यूनानी, कुषाण, हूण, पारसी तथा गौड़ आदि विभिन्न संस्कृतियों की विचारधारा । से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। भारतीय संस्कृति में सभी संस्कृतियाँ र भी भारतीय संस्कृति के रूप को बदल न सकी। समन्वय की वृत्ति भारतीय त का प्राण एवं जीवन है। एक विद्वान के अनुसार- "अनेक बाह्य आक्रमण हुए, जातियाँ आयीं और अनेक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ फिर भी अपने देश में ी की आधारशिला को सुरक्षित रखते हुए हमने समय-समय पर इन सब जातियों ने में मिला लिया तथा इनकी सभ्यता को स्थान दिया।"

भारत एक विशाल देश है। अपनी विशालता के कारण ही यह उपमहाद्वीप भी ाता है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती हैं, 179 भाषाएं बोली जाती हैं थानीय भाषाओं की संख्या 544 है। वैदिक धर्म, बौद्धधर्म, जैनधर्म, इस्लाम धर्म, धर्म, पारसी धर्म, सिक्ख धर्म आदि अनेक धर्मों के लोग इस देश में निवास करते भिन्न धर्मानुयायियों एवं सम्प्रदाय वालों के आचार-विचार रहन-सहन एवं भाषा में है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के लोगों के रहन-सहन क्रिया कलाप आदि में विशाल के दर्शन होते हैं। ऐसे तो विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता

है, किन्तु विविधता एवं विभिन्नता का एक प्रतिफल अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष भी है। भारत में धार्मिक, साम्प्रदायिक, भाषायी, क्षेत्रीय एवं जातीय संघर्ष भी समय-समय पर होते रहते हैं।

18.4.1 पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में परस्पर अन्तर्संघर्ष

भारत विभिन्न विचारधाराओं, जातियों, सम्प्रदायों, धर्मों और भाषा-भाषियों का देश है, जहाँ इनमें स्पष्ट रूप से समन्वय परिलक्षित होता है। यह समन्वय टकराहट और समाहार के स्तर से गुजरता हुआ स्थापित होता है किन्तु अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, सांस्कृतिक बुनियाद कमजोर हुई, इन दौरान, भारतीय संस्कृति पर गहरा आधार हुआ। जिस महान-भारतीय संस्कृति ने विभिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक आक्रमण के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक टकराहट से समन्वय किया। जीवन की शुचिता, सच्चरित्रता, त्याग-संयम, प्राणिमात्र के प्रति स्नेह-मैत्री, सहयोग, सहिष्णुता और उदारता की भावना से आप्लावित भारतीय संस्कृति ने विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों और भाषा-भाषियों में सामाजिक समरसता को बनाए रखा। उसी भारतीय संस्कृति में अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति से शत्रुता और कटुता का जहर घोल दिया। समरसता के स्थान पर विभिन्न वाद उत्पन्न हो गये। यथा सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय नवनिर्माण की ओर अग्रसर भारत में अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य विकसित देशों में मानवाधिकार के हनन आदि का प्रश्न उठाकर उसी नीति को बरकरार रखा।

वर्तमान समय में कारपोरेट पूँजीवाद द्वारा नियंत्रित जनसंचार माध्यमों के द्वारा पाश्चात्य विकसित देश अपनी संस्कृति को भारत पर थोपकर इसे अपना सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की मीडिया सामग्री पर शक्तिशाली पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व है। आज पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के बीच सामान्य मेल-मिलाप का मामला नहीं रह गया है बल्कि सूचनाओं के हथियारों से लैस पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति के लिए संकट उत्पन्न कर रही है। समाज संस्कृति के समक्ष उठी चुनौतियाँ और जनसंचार माध्यमों द्वारा हो रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को बौद्धिक वर्ग ने 'सांस्कृतिक आक्रमण' कहा है। भारत गाँवों का देश है। भारतीय संस्कृति का प्राणतत्व ग्राम्य सभ्यता एवं संस्कृति में है। आज जिस प्रकार से संचार माध्यमों पर महानगरीय मानसिकता मुख्य रूप से हावी है, उससे हमारी संस्कृति की अस्मिता संकट में है। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति को केबिल और सेटेलाइट चैनलों ने देश के कोने-कोने में वितरित कर दिया है। देश के दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में जनजातियों एवं आदिवासियों की जीवनशैली में भी फिल्मों के प्रभाव से व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है। पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति से भारतीय समाज में अश्लीलता, हिंसा, अपराध,

ुता एवं संवेदनशून्यता को तेजी से प्रसार हो रहा है। सामाजिव-सांस्कृतिक परिवर्तन ता से प्राचीन परम्पराओं और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का प्रश्न चुनौती. सामने खड़ा है।

भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में प्रदूषण से अपसंस्कृति के विकास, कला-साहित्य, भाषा और संस्कृति की समृद्ध विरासत पर प्रश्नचिन्ह और चुनौतियों ना करने के लिए विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन उठ खड़े हुए हैं। क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की चिन्ता चतुर्दिक दिखाई दे रही है, वह सीमित स्तर पर ही क्यों न हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उसके आनुषंगिक , गाँधीवादी संस्थाओं एवं संगठनों, शिवसेना साहित अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक द्वारा भोगवादी संस्कृति के प्रतीकों का बहिष्कार एवं भारतीय साहित्य कला, भाषा, धर्म, जीवन शैली, दर्शन एवं मनीषा के संरक्षण के लिए व्यापक जनमत करने का प्रयास तीव्र गति से किया जा रहा है। सामाजिक विकृतियों को दूर था ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण को रोकने के लिए आदिवासी एवं जनजातीय चलाये जा रहे सुधारवादी कार्यक्रमों को इसी रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न तिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पक्ष में जनमत करने के लिए सभाओं, पदयात्राओं, शिविरों, सुधारवादी कार्यक्रमों आदि के साथ , पम्पलेट, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों का लिया जा रहा है। एक ओर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण और दूसरी ओर य संस्कृति के संरक्षण की चिन्ता तथा रचनात्मक प्रयास ने अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष ति को अत्यधिक तीव्र कर दिया है। इसे संचार माध्यमों की भूमिका रेखांकित ोग्य है।

2 धार्मिक-साम्प्रदायिक संघर्ष

भारत विभिन्न धर्मावलम्बियों एवं सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों का देश है। में हिन्दू इस्लाम, ईसाई, पारसी, सिक्ख, बौद्ध, जैन आदि धर्मानुयायी प्रमुख रूप ास करते हैं। इन धर्मों को मानने वालों के आचार-विचार, व्यवहार, खान-पान, षा, साहित्य, कला, रीति-रिवाज, लोकाचार, रूढ़ियों, परम्पराओं, आदर्शो, विधियों र्यादाओं में पर्याप्त अन्तर है। भारत का धार्मिक वैविध्य ही प्रायः अन्तर्सांस्कृतिक का कारण बन जाता है। इस अन्तर्सास्कृतिक संघर्ष को हिन्दू - मुस्लिम संघर्ष, ईसाई संघर्ष, हिन्दू-सिक्ख संघर्ष, हिन्दू-बौद्ध सघर्ष, ईसाई-मुस्लिम संघर्ष, मुस्लिम-संघर्ष आदि रूपों में देखा जा सकता है। इन धार्मिक संस्कृतियों का संघर्ष देश के न क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में है, जो क्षेत्र विशेष में रहने वाली धार्मिक संस्कृतियों र्भर करता है।

इंसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अन्तर्गत विविध सम्प्रदायों में भी परस्पर संघर्ष चलता रहता है। जैसे हिन्दू धर्म के अन्तरर्गत, वैष्णद, शैव, अद्वैत द्वैत, एवं विभिन्न पंथ, ईसाई धर्म के अन्तरर्गत प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक, बौद्ध धर्म के अन्तगत महायान एवं हीनयान, जैन धर्म के अन्तर दिगम्बर एवं श्वेताम्बर, इस्लाम में शिया-सुन्नी तथा सिक्खों में नामधारी निरंकारी आदि सम्प्रदायों में प्रायः अन्तसांस्कृतिक संघर्ष दृष्टिगोचर होता है।

धार्मिक साम्प्रदायिक संस्कृतियों के संघर्ष में संचार की भूमिका भी वैविध्यपूर्ण होती है। विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के लोग अपने पक्ष-प्रचार के लिए जन-माध्यमों का उपयोग करते हैं। कभी-कभी जन संचार माध्यम पक्षपातपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं तो कभी अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह संचार माध्यमों के नियामक तंत्र पर निर्भर करता है।

18.4.3 भाषाई संघर्ष

भारत में लगभग 700 से अधिक भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों वाला देश है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है। किन्तु केन्द्रीय सरकार का कामकाज प्रायः अंग्रेजी में ही होता है। अलग-अलग राज्यों की प्रान्तीय भाषा भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी का सघर्ष स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी में सरकारी काम काज किए जाने हेतु जहाँ कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, वहीं तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम भाषी लोग हिन्दी के घोर विरोधी हैं। वे अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ अंग्रेजी का समर्थन तो करते हैं लेकिन हिन्दी उन्हें कत्तई स्वीकार्य नहीं है। बंगला, मराठी, गुजराती, गुरुमुखी, उड़िया, असमी, डोंगरी आदि भाषा भाषियों का हिन्दी से दुराव नहीं है। तमिलनाडु में तो राजनैतिक कारणों से भी हिन्दी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की प्रन्तीय राजनीति का मुख्य मुद्दा ही हिन्दी विरोध है।

भाषिक संस्कृति में अन्तर्संघर्ष को बढ़ावा देने में संचार की भूमिका कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है। जहाँ अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी भाषा के समर्थन में अपने को खड़ा करते हैं, वहीं हिन्दी अखबार हिन्दी के प्रबल समर्थक की भूमिका में नजर आते हैं। तमिल, तेलगू, कन्नड़ एंव मलयालम भाषा की पत्र-पत्रिकाएँ प्रान्तीय स्तर पर अपनी भाषा का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का विरोध करते हैं। टी0वी0 के विभिन्न चैनलों पर हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित हिंग्रेजी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विदेशी टी0वी0 चैनलों से अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है। कम्प्यूटर और इण्टरनेट की तो भाषा ही आज अंग्रेजी बन चुकी है। फिल्मों ने तो हिन्दी का प्रसार भारत के बाहर भी अन्य देशों में

रेडियो और दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हिन्दी या अंग्रेजी में तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम भाषाओं में प्रसारित होता है। जनसंचार माध्यमों का भाषाई वैविध्य से अन्तर्सांस्कृतिक को नया आयाम मिल रहा है।

4 जातीय संघर्ष

भारत में लगभग तीन हजार जातियाँ निवास करती हैं जिनका आचार-विचार हन बोल-चाल, भाषा, रीति रिवाज, लोकाचार आदि अलग-अलग हैं। इन जातियों न्न कारणों से एवं विभिन्न आधारों पर प्रायः संघर्ष होते रहते हैं। कभी सांस्कृतिक ा की रक्षा के लिए, तो कभी जातीय हितों की रक्षा के लिए, तो कभी व्यक्तिगत ं से परस्पर संघर्ष होते हैं। कभी-कभी सरकार की नीतियों के कारण व्यापक स्तर घर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। अभी हाल ही में आरक्षण विरोधी आन्दोलन सकी प्रतिक्रिया में आरक्षण के समर्थन में आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। चार माध्यमों द्वारा दोनों पक्षों को खूब प्रचार मिला। आरक्षण विरोधी समुदाय के का लेख या विचार आरक्षण के विरोध में तथा आरक्षण समर्थक समुदाय के लोगों आरक्षण के समर्थन में लेख या विचार ने पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रानिक माध्यमों प्ति स्थान ग्रहण किया।

किसी क्षेत्र विशेष में अन्य क्षेत्रों के लोगों का घुसपैठ बढ़ने पर जातीय असन्तुलन थति में भी अनेक बार जातीय संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। जैसे-असम लादेशी घुसपैठियों को निकालने का असमगण परिषद का आन्दोलन या बम्बई से राठियों को निकालने का शिवसेना का आन्दोलन आदि इसका उदाहरण है। अनेक ासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में किसी बाहरी समुदाय के व्यक्ति के प्रवेश करने पर भी उस आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के लोग हिंसक प्रतिरोध पर उतारू हो जाते सी स्थितियों में जनसंचार माध्यमों का दृष्टिकोण क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जित हो जाता है। महाराष्ट्र या असम के जनमाध्यम शिवसेना या असमगण परिषद न्दोलन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रीय इस के संचार माध्यम विविधता में ा के दर्शन का प्रचारक बन जाते हैं।

1.5 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति का परस्पर अन्र्तसंघर्ष

भारत विभिन्न विचारधाराओं, जातियों, सम्प्रदायों, धर्मों और भाषा-भाषियों का होते हुए भी 'विविधता में एकता' के सांस्कृतिक अनुशासन से आबद्ध है। यही ासन भारतीय समाज और राष्ट्रीय संस्कृति की विशिष्टता एवं रचनात्मक ऊर्जा है। निवेशिक काल में हमारे 'विविधता में एकता' के सांस्कृतिक अनुशासन को भंग

करने का ब्रिटिश नीतियों द्वारा प्रयास किया गया। आजादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति के प्रति आकर्षण या लगाव से क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। आगे चलकर क्षेत्रीय संस्कृति का राष्ट्रीय संस्कृति से टकराव एवं संघर्ष प्रारम्भ हुआ। क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर राजनैतिक पहचान बनाने का संघर्ष विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर हुआ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण के सभी राज्यों का पुर्नगठन इसी आधार पर हुआ। अभी हाल में उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड का गठन भी क्षेत्रीय आन्दोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। बोडो आन्दोलन, गोरखा लैण्ड और लद्दाख आदि क्षेत्रों में इसी तरह के आन्दोलन प्रायः चलते रहते हैं। विदर्भ एवं तेलंगाना का आन्दोलन भी क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर राज्य के गठन का है। कुछ आन्दोलन तो हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को ही चुनौती दे रहे हैं जैसे काश्मीर का आतंकवाद। जनमाध्यमों की भूमिका भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आधार पर विभक्त हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसी खबरों को तोड़-मरोड़ कर विश्व के समक्ष प्रस्तुत करती हैं तथा साथ ही मानवाधिकारों के हनन का प्रश्न भी उठाती है।

18.4.6 आय वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

भारत में आय वर्ग के आधार पर भी अर्न्तसांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। आय वर्ग के आधार पर भारतीय समाज उच्च, मध्यम, एवं निम्न वर्ग के रूप में विभक्त है। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार रखने वाला वर्ग उच्च वर्ग है, जो पश्चिम की आयातित भोगवादी संस्कृति को लगभग अपना चुका है। दूसरा वर्ग वह है जो उच्चवर्ग की इच्छा पर निर्भर करता है और दिन भर काम करने के बाद भी कठिनता से रोटी को प्राप्त करता है, वह निम्न वर्ग है और जो अपनी परम्परागत संस्कृति को ढो रहा है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग और सामने आया जो मध्यम वर्ग कहा जा सकता है। मध्यम वर्ग पश्चिम की उपभोक्ता वादी संस्कृति को अपनाने और अपनी परम्परागत संस्कृति को बचाने के अन्तर्द्वन्द से ग्रस्त है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भी अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है।

18.4.7 आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष

आयुवर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष को पीढ़ियों के अन्तर्संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। युवाओं और बुजुर्गों के सांस्कृतिक सोच में परस्पर प्रबल विरोध है। जहाँ एक ओर युवा वर्ग के खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार पर पश्चिम की आयातित उपभोक्तावादी संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है और वह जनसंस्कृति के प्रतीकों को अपनाने के लिए आतुर हैं, वहीं बुजुर्ग पीढ़ी अपनी परम्परागत

ा, विज्ञान, रीति-रिवाज, युक्तियाँ, परम्पराएँ, लोकाचार, रूढ़ियों, आदतों, विधियों, र्शों, मान्यताओं, रहन-सहन, आचार-विचार और जनरीतियों को बचाने के लिए व्याकुल और अपनी राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्कृति संरक्षण की चिन्ता से ग्रस्त है। यह पीढ़ियों द्वन्द्व प्रत्येक घर में रोज चल रहा है। आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष दबाव में पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं, जिससे समाज में अवसाद बढ़ रहा है।

.5 अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में खाई पड़ रहा है।

.5.1 सकारात्मक परिणाम

सांस्कृतिक संघर्ष, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का एक दूसरे के निकट सम्पर्क में ने और उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होने से होता है। प्रत्येक समूह दूसरे पर अपनी संस्कृति दने का प्रयत्न करता है, लेकिन संघर्ष में जो समूह दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, की संस्कृति हारे हुए समूह द्वारा ग्रहण की जाने लगती है। पर-संस्कृति ग्रहण वास्तव सांस्कृतिक संघर्ष के बाद की स्थिति है। जब एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक शेषताओं का ग्रहण करने लगता है तो इसी दशा को हम पर-संस्कृति ग्रहण करते हैं। ह स्थिति एक दूसरे से भिन्न, दो समूहों को एक दूसरे के निकट लाती है। इसका कारात्मक परिणाम परस्पर एक-दूसरे की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने की क्रिया में कुछ नवीन जीवन मूल्यों को अपनी संस्कृति में समाविष्ट करने के रूप में ष्टिगोचर होता है। जैसे-समतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और विश्वमानवतावाद, मानवाधिकार दि नवीन जीवन मूल्यों को विश्व की अधिकांश संस्कृतियों ने अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष परिणाम स्वरूप स्वीकार किया है। अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप नये ज्ञान-ज्ञान की जानकारी वैज्ञानिक चेतना का उदय अन्ध विश्वासों की समाप्ति, तार्किक ढंग विचार करने की प्रेरणा आदि पाश्चात्य संस्कृति से पूरे विश्व ने ग्रहण किया। पश्चिमी माज ने भी पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के तरीकों, संगीत, भोजन आदि दूसरी सभ्यताओं तत्वों को स्वीकार किया।

8.5.2 नकारात्मक परिणाम

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों के मध्य कभी-भी हिंसक झड़पें भी हो जाती है। यह संघर्ष धार्मिक-साम्प्रदायिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, ाषाई संघर्ष आदि अनेक रूपों में देखा जा सकता है। संघर्ष के हिंसक हो जाने पर ार्मिक-साम्प्रदायिक, जातीय, भाषाई एवं क्षेत्रीय संस्कृतियों में स्थायी शत्रुता एवं दुराव त्पन्न हो जाती है। जब यह शत्रुता एवं दुराव आतंकवाद का रूप ग्रहण कर लेती है तब

सम्पूर्ण मानवता के लिए घातक बन जाती है। आतंकवाद राष्ट्रीय सम्प्रभुता को चुनौती देने लगता है और वैश्विक चिन्ता का विषय बन जाता है। आज इसी तरह के आतंकवाद से सम्पूर्ण विश्व पीड़ित है। चाहे शक्ति एवं सम्पत्ति से सम्पन्न अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी आदि देश हों या भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान सऊदी अरब एवं अन्य इस्लामिक देश या शक्ति और सम्पत्ति से विपन्न अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देश हों। अन्तरसांस्कृतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप विश्व के छोटे एवं मझोले देशों की भाषा का विलोकीकरण भी वैश्विक चिन्ता का विषय है। यह सब अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष के नकारात्मक परिणाम का आयाम है।

18.5 सारांश

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य परस्पर संघर्ष को कहा जाता है। यहां संघर्ष मानव जाति की उत्पत्ति के साथ ही प्रारम्भ होकर अब तक चल रहा है। अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का वैश्विक आयाम प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष, विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक वर्चस्व की कूटनीति, विश्व में अन्तः सांस्कृतिक संघर्ष आदि रूपों में देखा जा सकता है। इस संघर्ष का भारतीय आयाम पाश्चात्य-भारतीय सांस्कृतिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, धार्मिक-साम्प्रदायिक संघर्ष, भाषाई-संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, आय या आयु वर्ग पर आधारित अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। जहाँ एक ओर इसका सकारात्मक परिणाम ज्ञान, विज्ञान, तर्क एवं चेतना के उदय के रूप में देखा जा सकता है वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक टकराव के रूप में देखा जा सकता है।

18.7 शब्दालवी

प्राच्य संस्कृति - इसका अर्थ पूर्व से सम्बन्धित है अर्थात् पूर्व के भारत, चीन मध्य एशिया दक्षिणपूर्व एशिया, एवं पूर्वी एशिया जिनकी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति हैं।

पाश्चात्य संस्कृति - अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों की भोगवादी नवीन संस्कृति।

18.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

दृश्य-श्रव्य एवं जनसंचार माध्यमः नई सदी की चुनौतियाँ - डा0 कृष्णकुमार रत्तू

दूरदर्शन एवं सामाजिक विकास - डा0 जयमोहन झा

विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ - श्री राम गोयल

भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास - रति भानु सिंह नाहर
यूनान का इतिहास - डा शैलेन्द्र प्रसाद पान्चरी
माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व - हरबर्ट आई0 शिलर, अनु0 -राम कवीन्द्र सिंह

सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

अन्र्तसांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ बताइए।

प्राच्य एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

भारत में भाषाई संघर्ष को स्पष्ट करें।

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष का नकारात्मक परिणाम बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

अन्तर्सांस्कृतिक संर्घष की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालिए।

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार के वैश्विक आयाम की व्याख्या करें।

अन्र्तसांस्कृतिक संघर्ष और संचार के भारतीय आयाम पर प्रकाश डालिए!

अन्तर्सांस्कृतिक संघर्ष और संचार के परिणाम पर प्रकाश डालिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

संघर्ष का अर्थ होता है-

(क) परस्पर विरोध (ख) परस्पर समन्वय (ग) परस्पर सहयोग (घ) परस्पर सह-अस्तित्व

सैन्धव सभ्यता है-

(क) चीनी (ख) भारतीय (ग) अमेरिकी (घ) रूसी

वेदों की संख्या है -

(क) तीन (ख) पांच (ग) सात (घ) चार

महायान शाखा है-

(क) जैनधर्म (ख) हिन्दू धर्म (ग) बौद्ध धर्म (घ) ईसाई धर्म

ष्ठ प्रश्नों के उत्तर-

1- (क) 2- (ख) 3-(घ) 4- (ग)

इकाई : 19 आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

इकाई की रुपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 आधुनिक प्रौद्योगिकी

19.2.1 आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरुप

19.2.2 संचार क्रान्ति

19.3 आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्तरसांस्कृतिक संचार

19.3.1 अन्तरसांस्कृतिक संचार में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका

19.3.2 आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

19.4 वैश्वीकरण

19.4.1 वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा

19.4.2 वैश्वीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां

19.4.3 वैश्वीकरण की व्यापकता

19.5 वैश्वीकरण और अन्तर सांस्कृतिक संचार

19.5.1 वैश्वीकरण के समय में अन्तर सांस्कृतिक संचार

19.5.2 वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

19.6 सारांश

19.7 शब्दावली

19.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

19.9 सम्बन्धित प्रश्न

) उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे-

आधुनिक प्रौद्योगिकी का रुप स्वरुप

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

वैश्वीकरण का अर्थ, प्रवृत्ति एवं व्यापकता

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

प्रस्तावना

यूरोपीय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रान्ति से विश्व में आधुनिक युग का प्रारम्भ अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव इतिहास को नया आयाम प्रदान किया। टेलीफोन, , टी.वी., फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि के आविष्कार ने विश्व में संचार क्रान्ति को दिया। जनसंचार के अत्याधुनिक साधनों से विश्व एक ग्राम के रुप में परिवर्तित होने लगा हद स्तर पर वैश्वीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः वैश्वीकरण उपनिवेशवाद और द का नया संस्करण है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के परिणामस्वरुप सांस्कृतिक संचार को एक नया आयाम मिला। जहां एक ओर वैश्विक संस्कृति का र हुआ वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली।

2 आधुनिक प्रौद्योगिकी

मानव जाति के इतिहास में यूरोपीय पुर्नजागरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के गर्भ धुनिकता का जन्म हुआ। यूरोपीय पुनर्जागरण का निहितार्थ ज्ञानोदय, विज्ञान और ाकी का विकास, विवेकीकरण और तर्कणा द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों में बुनियदी ान करना। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो वास्तव में आधुनिक ज्ञान न और प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नया आयाम किया है।यातायात, चिकित्सा और संचार आदि क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी ने नई को जन्म दिया।

2.1 आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरुप

किसी में क्षेत्र के चर्हुमुखी विकास में संचार माध्यमों की महती भूमिका होती है। काल में संदेश और समाचार सम्प्रेषण के लिए भाव संकेतों का प्रयोग किया जाता था। चलकर मनुष्य ने सम्प्रेषण के लिए भाषा एवं लिपि का विकास कर लिया। भाषा का स मानव जाति के विकास में एक युगान्तकारी कदम था। लिपि के आविष्कार के बाद

चीन में कागज का आविष्कार हुआ और चीन तथा कोरिया में लकड़ी के ठप्पों की सहायता से छपाई का प्रयास भी हुआ। इसी के साथ संचार माध्यमों का आधुनिक युग प्रारम्भ हुआ।

मुद्रण -

पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में जान गुटेनवर्ग प्रिन्टिंग प्रेस बनाने और उससे पुस्तक छापने में सफल हुआ। मुद्रण की तकनीक में निरन्तर सुधार होने से रोटरी मशीन लिथोप्रिन्टिंग प्रेस, आफसेट मशीन के रुप में मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास होता रहा। मुद्रण के विभिन्न अंगों में भी तकनीक विकास के साथ निरन्तर सुधार होता रहा है।कम्पोजिंग भी पहले हाथ से होती थी किन्तु अब मशीन से होने लगी। मशीन कम्पोजिंग में भी कई प्रकार की मशीनें आती हैं। यथा - 1. एक एक अक्षर को कम्पोज करने वाली मशीन 2. एकपंक्ति को कम्पोज करने वाली मशीन 3. फोटो टाइप सेटिंग ४. कम्प्यूटर कम्पोजिंग।

टेलीप्रिन्टर -

सन 1832 सैमुअल मोर्स द्वारा संदेश भेजने की नई तकनीक ने संचार सेवा के नये आयाम खोल दिये। इसमें सन्देश सम्प्रेषण मोर्स कोड से होता था। आगे चलकर मोर्सकोड का स्थान ऐसी मशीनों ने ले लिया जो सन्देश सम्प्रेषण लिखित रुप में करने लगीं। इन्हें टेलीप्रिन्टर नाम दिया गया। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरुप स्वचालित एवं कम्प्यूटराइज्ड बहुभाषी मशीनों का प्रयोग होने लगा।

टेलीफोन -

अलेक्जेण्डर ग्राहम बेल ने सन 1867 में टेलीफोन का आविष्कार करके संचार सेवाओं में नये युग का सूत्रपात किया। नित्य नई तकनीक से आधुनिकीकरण अब भी जारी है। वीडियो टेलीफोन के माध्यम से अब आवाज के साथ तस्वीर भी देखी जा सकती है।

सेल्यूलर फोन -

यह मोबाइल फोन है इसमें संदेश संप्रेषण रेडियों तंरेगों द्वारा होता है।

टेलीकान्फ्रेन्स सेवा -

इसमें विभिन्न स्थानों पर बैठे व्यक्ति उसी तरह बातचीत करते हैं जैसे एक स्थान पर बैठकर लोग आपस में बात करते हैं।

रेडियो -

यह जन संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावी साधन है। उपग्रह सेवाओं और डिजिटल तकनीक से रेडियो प्रसारण का प्रभाव और बढा है।

टेलीविजन -

रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं वहीं टेलीविजन मे आवाज के साथ -साथ चित्र भी देख सकते हैं यह जन संचार का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है।

ग्राफ -

विश्व में सिनेमा लाने वालों में मिलोबी (फ्रांस) एडीसन (अमेरिका) और प्रमुख रुप से न्धु (फ्रांस) ही रहे हैं। यह जनसंचार का शक्तिशाली माध्यम है। फोटोग्राफी के र ने सिनेमेटोग्राफ के आविष्कार को संभव किया।

फैक्स के माध्यम से ग्राफ, चार्ट, फोटो, लिखित या छपित सामग्री को टेलीफोन न के साथ लगी एक विशेष मशीन से एक से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।

रेडियो तकनीक पर आधारित होने से इसे रेडियो पेजर भी कहा जाता है। इसके से अति संक्षिप्त संदेश एक पेजर धारी द्वारा दूसरे पेजर धारी को भेजा जाता है।

र -

कम्प्यूटर के आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति को जन्म दिया। इसमें एक कलकुलेटर , टाइप राइटर और टेलीविजन का मिला जुला रुप देखा जा सकता है। संख्याओं को जोड़ने-घटाने, लिखित सामग्री और आकड़ों को विश्लेषित एवं क्रमबद्ध था भविष्य के लिए संचित रखने और दर्शाने की क्षमता होती है।

सूचनाओं, संदेशों और दस्तावेजों आदि का प्रेषण ई-मेल के द्वारा एक कम्प्यूटर से म्प्यूटर में कर सकते हैं। इसके लिए एक कम्प्यूटर एक मोडम, और एक टेलीफोन की आवश्यकता होती है।

क्स्ट -

इसमें टेलीविजन प्रसारण केन्द्र पर संदेशों को एक कम्प्यूटर में संचित कर लिया इसे डाटा बेस कहते हैं। इस सूचना का प्रसारण टेलीविजन नेटवर्क द्वारा किया जाता

टेक्स्ट -

विडियो टेक्स्ट प्रणाली में कम्प्यूटर डाटा बेस में संचित लिखित एवं चित्रित सूचनाओं लीफोन लाइन के माध्यम से टी.वी. स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है।

संचार प्रणाली -

इस प्रणाली के माध्यम से हम दूरस्थ देशों तक समाचार ,चित्र, संदेश, सूचनाएं आदि त कर सकते हैं। इससे उपग्रहों पर निर्भरता घटी है।

निकनेट -

नेशनल ईंर्मफॉरमेशन सेन्टर नेटवर्क का संक्षिप्त नाम निकनेट है। यह उपग्रह पर आधारित कम्प्यूटर द्वारा समाचार सम्प्रेषण का नेटवर्क है।

इनमार सेट -

इन्टरनेशनल मेरीटाइम सेटेलाइट सामुद्रिक उपग्रहों पर आधारित सूचना सम्प्रेषण का नेटवर्क है।

आई. एस.डी.एन. -

इस मल्टीमीडिया टेलीकाम सेवा में कोई भी व्यक्ति ध्वनि, दृश्य, आँकड़े डिजिटल रुप में भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। इसमें सम्प्रेषण की गति वर्तमान गति से कई गुना अधिक है।

लेजर काम -

यह दूर संचार का एक ऐसा अत्याधुनिक साधन है जिसमें एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह के बीच लेजर सिगनल द्वारा ट्रान्सीवर के माध्यम से संदेशों का आदान- प्रदान होता है।

हस्तधारित उपग्रह चालित सेवा -

हस्तधारित यंत्र की सहायता से हम सीधे उपग्रहों से जुड़कर उसके माध्यम से अपना संदेश गंतव्य तक सम्प्रेषित करते हैं।

इन्टरनेट -

यह सूचना आदान -प्रदान करने का इन्टरनेशनल नेटवर्क है। इसमें सम्पूर्ण विश्व के कम्प्यूटर एक दूसरे से जुडकर नेटवर्क बनाए हैं। इस सुविधा के लिए एक कम्प्यूटर , एक मोडम, एक आई.एस.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन , आवश्यक सॉफ्टवेयर और किसी बुलेटिन बोर्ड सर्विस से संयोजन आवश्यक है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार की आधुनिक प्रौद्योगिकी नित्य नूतन स्वरुप को ग्रहण कर रही है। दिन प्रतिदिन नये- नये आविष्कार एवं नये प्रयोग हो रहे हैं। मानव जाति तीव्र गति से ज्ञान- विज्ञान की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर है। विश्व को ग्राम बनाने की संकल्पना चरितार्थ हो रही है।

19.2.2 संचार क्रान्ति

संचार क्रान्ति ने दुनियां में नई जान फूंक दी है। १९६० के दशक के बाद सेटेलाइट क्रान्ति ने जन संचार माध्यमों की नई- नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। टेलीविजन, कम्प्यूटर

ट, माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, टेलीटेम्स, माइक्रोतन्त्रों आदि एक के बाद एक तकनीकों विष्कार हुआ। इसीलिए वर्तमान युग को आई. टी.युग के नाम से जाना जा रहा है। क संचार तकनीक का मूल आधार है कम्प्यूटर। तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता तकनीक आधार पर पांच पीढियों तक कम्प्यूटर की विकास यात्रा देखी जा सकती है।वर्तमान यूटर की पांचवीं पीढी नैनो सेकेण्ड (सेकण्ड का 1/1000000000वां) में कार्य करती एक सेकेण्ड में 30,00,000 आपरेशन पूरे कर लेती है।

इण्टरनेट विश्व का सबसे बडा कम्प्यूटर नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के कोने कोने में है। इण्टरनेट के उपकरण और सेवाओं में ई-मेल, W.W.W., एफ टी पी , टेलनेट, गोफर, वेरोनिका बेस, आई.आर.सी. आदि प्रमुख है। इण्टरनेट ने समय और दूरी को क संकुचित करके विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलेक्स चना और संचार तकनीक पुराने पड़ते जा रहे हैं। ई-मेल , ई-फैक्स, सेल्यूलर फोन, स, कम्प्यूटर डेटा बैंक आगे बढ रहे हैं। इण्टरनेट ने ई-जर्नलिज्म, ई-बैंक्रिग, ई-कामर्स, ा आदि को बढ़ाया है। संचार क्रान्ति ने युगान्तकारी परिवर्तन उपस्थित किया है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्तरसांस्कृतिक संचार

आधुनिक युग में नवीन प्रौद्योगिकी अन्तर्सांस्कृतिक संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है टा सा आविष्कार हमारे जीवन में सैकड़ों नई परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। प्रौद्योगिकीय हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कितना अधिक प्रभावित करता है इसका पिछले १५० वर्षों के इतिहास से सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। मैकाइवर और लिखा है कि जब किसी भी नई मशीन का आविष्कार होता है तो वह अपने साथ क जीवन में एक नया परिवर्तन लाती है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन का प्रभाव पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रौद्योगिकी विकास के पूर्व पारम्परिक मूल्यों द्वारा व्यवहारों त्रण रखने वाले आत्म निर्भर ग्रामीण समुदाय में जो न्यूनाधिक स्थिर था और जिसके क सम्बन्ध एवं आवश्यकताएं संकुचित थे, नयी प्रौद्योगिकी का विकास होने से कारी परिवर्तन उत्पन्न हुए। प्रौद्योगिकी के कारण नये कारखानों का घुलना, नगरीकरण, ता की समाप्ति , स्त्रियों को नौकरी में आने की प्रेरणा, बाजार का विकास, जाति की शिथिलता और नई संस्थाओं का जन्म आदि से सामाजिक जीवन में नया परिवर्तन इस परिवर्तन के फलस्वरुप अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया भी तीव्र हुई।

.1 अन्तर सांस्कृतिक संचार में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका

अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया विश्व में कबीलाई संस्कृति से आज तक निरन्तर ी है। पहले प्राचीन एवं परम्परागत माध्यमों से विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया

र सांस्कृतिक संचार के विभिन्न
ग

सम्पन्न होती थी और उसकी गति अत्यन्त धीमी थी। पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के बाद नये नये वैज्ञानिक आविष्कार हुए और अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया तीव्र हुई। प्रौद्योगिकी प्रगति ने सामाजिक सम्बन्धों में बहुत वृद्धि कर दी। प्रौद्योगिकी प्रगति होने से सामान्य श्रमिक को प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों के साथ कार्य करना पडता है, यात्रा में सैकड़ों व्यक्तियों के साथ ट्रेन में बैठना पड़ता है, पार्कों में सैकडों व्यक्तियों से अनुकूलन करना होता है। इस प्रकार अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ निरन्तर तीव्र हो रही है। प्रौद्योगिकी प्रगति के परिणामस्वरुप श्रम का नवीन संगठन, श्रम विभाजन, सामाजिक सम्बन्धों का विस्तार गांव का नगरीकरण, गतिशीलता में वृद्धि, विभिन्न आर्थिक वर्गों का निर्माण, प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा से समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से विभिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया भी तीव्र हुई।

नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने अन्तरसांस्कृतिक संचार को नया आयाम प्रदान किया। रेडियो,टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर, सिनेमा, वायरलेस, टी.वी., कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, माइक्रोचिप्स, टेलीटेक्स, माइक्रो तरंगे आदि तकनीक के आविष्कार से मानव जाति ने आई. टी. युग में प्रवेश किया। सूचना युग की प्रौद्योगिकीयों ने 'सूचना हाइवेज' और 'सूचना सुपर हाइवेज' को जन्म दिया है। परिणामस्वरुप सूचना हाइवेज और सूचना सुपर हाइवेज से विश्व की समस्त सूचनाएं समाचार एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी लोगों को घर बैठे तत्काल प्राप्त हो जा रही है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्पन्न जनसंचार माध्यम लगातार दे रहे हैं। जहां एक ओर हम इलेक्ट्रानिक माध्यमों से विश्व की अन्य संस्कृतियों के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, जैसे--खान पान, वेश भूषा आदि, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, जैसे-- साहित्य, विज्ञान, संगीत आदि तथा मूल्य सम्बन्धी पक्ष, जैसे-- समतावाद मानवतावाद,धर्म निरपेक्षतावाद आदि से लगातार परिचित हो रहे हैं, वही दूसरी ओर इण्टरैक्टिव मीडिया, जैसे -मोबाइल फोन, फैक्स पेजर, मोडम, कम्प्यूटर और इण्टरनेट से स्वयं अन्य संस्कृतियों के सम्बन्ध में प्रचुर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।इण्टरनेट तो नेटवर्कों का भी नेटवर्क है जो कि हमें बिना किसी भेद भाव के एक साथ सम्पूर्ण विश्व से एक समान रुप से जोड़ता है। इण्टरनेट पर समस्त विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की वृहद जानकारी, सांस्कृतिक गतिविधियों और विभिन्न संस्कृतियों के व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, ज्ञान सम्बन्धी पक्ष एवं मूल्य सम्बन्धी पक्ष का प्रचुर ज्ञान उपलब्ध है। किसी भी देश की संस्कृति, साहित्य , कला, धर्म, आचार विचार, रहन -सहन , खान- पान, वेश- भूषा, ज्ञान -विज्ञान से सम्बन्धित प्रचुर जानकारी उस देश की वेब साइटपर उपलब्ध है विश्व को कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से उसे घर बैठे प्राप्त कर सकता है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान किया। आज आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के मध्य ज्ञान सूचना एवं जानकारी के आदान -प्रदान तथा अन्तर्क्रिया की गति बहुत तीव्र हो गयी। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में तीव्र गति से अन्तर्सास्कतिक सम्प्रेषण के फलस्वरुप सांस्क्रतिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति

है तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्कृतियों को भी वैश्विक पहचान मिल रही

2 आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक रात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। अतः दोनों दृष्टियों से अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने ाव का अध्ययन करना समीचीन होगा।

सकारात्मक प्रभाव

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने अन्तर्सांस्कृतिक संचार की गति को अत्यन्त तीव्र कर । इसके परिणामस्वरुप ज्ञान का विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। सामाजिक, ‌ और राजनीतिक जागरुकता से सांस्कृतिक परिदृश्य बदल रहा है। आधुनिक सूचना की ने विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान की है, वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की को विकसित किया है तथा तर्क पूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि की है। फलस्वरुप जहां समाज में अन्धविश्वास रुढ़ियों और पूर्वाग्रहों के प्रति कमी आयी वहीं ओर विभिन्न समाजों में जातीय विभेद धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कटुतापन भी कम हुआ श्व के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा आपस में आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेया करने से विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी का र्सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक प्रभाव को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देख हैं-

1. ज्ञान का विस्तार
2. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जागरुकता से बदलता सांस्कृतिक पारिदृश्य
3. विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान की।
4. वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की प्रवृत्ति को विकसित किया।
5. तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि की है।
6. अन्धविश्वासों , रुढ़ियों, पूर्वाग्रहों, जातीयविभेद, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक ता में कमी आयी।
7. विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा परस्पर अन्तर्क्रिया करने से विश्व वता की अवधारणा का विकास हुआ।

ख. नकारात्मक प्रभाव

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जहां एक ओर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा को जन्म दिया। इसने संगठित अपराध में वृद्धि की है। माफिया एवं आतंकवादी मोबाइल फोन, कम्प्यूटर आदि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी आपराधिक घटना ओं को अन्जाम दे रहे हैं जिससे समाज में तनाव, अन्तर्कलह एवं भय का वातावरण व्याप्त हो जा रहा है। आज सूचना समाज में व्यक्ति की अस्मिता खो रही है। मानवीय संवेदन शून्यता बढ रही है ।कलह, आतंकवाद और संसाधनों की छीना झपटी से असहिष्णुता, असहनशीलता, अन्तर्संघर्ष और शोषण की वृद्धि हो रही है। आर्थिक तनाव के चलते पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं जिससे अवसाद बढ़ रहा है । परम्परागत संस्कृतियों , परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात हो रहा है। विकसित देश सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढावा देकर अपसंस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर नकारात्मक प्रभाव बिन्दुवार निम्नलिखित हैः-

1. संगठित अपराध में वृद्धि
2. साइबर क्राइम जैसी नई अवधारणा को जन्म।
3. सूचना समाज में व्यक्ति की खो रही अस्मिता।
4. मानवीय संवेदनशून्यता में वृद्धि
5. कलह,आतंकवाद, संसाधनों की छीना झपटी से बढ़ती असहिष्णुता और असमानता।
6. आर्थिक दबाव के चलते टूट रहे पारिवारिक सम्बन्धों से बढ़ता अवसाद।
7. परम्परागत संस्कृतियों , परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात।
8. पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक आक्रमण से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विस्तार।
9. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सूचना तंत्र पर नियंत्रण होने से उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार एवं अपसंस्कृति का फैलाव।

19.4 वैश्वीकरण

वैश्वीकरण एक जटिल राजनीतिक , आर्थिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समय और दूरी का राष्ट्र- राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। उदारीकरण एवं निजीकरण से अभिन्न सम्बन्ध है। इसके अन्तर्गत बाजारों , वित्त एवं प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण हो रहा है।

.1 वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा

वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार है - अविश्वम्, विश्वम्, यथा स्यात तथा इति रणम्। इसका अर्थ है - जो विश्व नहीं है, वह जैसे विश्व बन जाय, वैसा करना रण है। विश्व शब्द की व्युत्पत्ति विश धातु में 'व' प्रत्यय लगाने पर होता है। तथा च्वि' प्रत्यय लगाने पर वैश्वीकरण बनता है। वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन ग अनुवाद है जिसका अर्थ है पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया।

वैश्वीकरण एक नयी अवधारणा है जिससे कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक प्रस्तुत पाया है । कुछ लोग भ्रमवश हमारे ऋषियों-मुनियों की प्राचीन संकल्पना 'वसुधैव कम' तथा अथर्ववेद में हमारे ऋषि की 'विश्वम् भवत्येक नीड्म' का स्वप्न वैश्वीकरण गर्थ देखते हैं परन्तु दोनों संकल्पनाओं में अन्तर है। कुटुम्बीकरण योग पर आधारित है श्वीकरण भेग पर आधारित है। वैश्वीकरण के बारे में विद्वानों में मत-भिन्नता है।कुछ उपनिवेशवाद के आरम्भ होने के साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ मानते हैं विद्वान वैश्वीकरण की जड़ आधुनिकता में मानते हैं। कुछ विद्वान वैश्वीकरण को एक मवधारणा के रुप में स्वीकार करते हैं।

वैश्वीकरण की कतिपय परिभाषाएं निम्नलिखित हैं थामस फ्राइड मैन - 'वैश्वीकरण में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण है।' इण्डा और रोसाल्डो वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक र्थों के माध्यम से विश्व अत्यधिक अन्तर्सम्बन्धित हो रहा है।' स्टुअर्ट हाल - 'नये स्थान समय में संस्कृतियों और समुदायों के एकीकरण और उसे जोड़ने वाले तथा दुनिया को ास्तविकता और अधिकाधिक अन्तर्सम्बन्धित बनाने वाले अर्थ में वैश्वीकरण को देखा कता है।'

एन्थोनी गिडेन्स - ' विभिन्न व्यक्तियों ओर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई परिकता एवं अन्योन्याश्रितता ही वैश्वीकरण है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैश्वीकरण द्वारा जहाँ एक ओर विश्व बाजार, आर्थिक नीतिक और सामाजिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के एकीकरण अन्तर्वेशन हो रहा है वहीं दूसरी ओर राज्य, राष्ट्र की प्रभुसत्ता और स्वदेशीयता का करण भी हो रहा है। समय और दूरी का बहुत तीव्र गति से संकुचन हो रहा है।

.2 वैश्वीकरण को कुछ विद्वान उपनिवेशवाद से जोड़ते हैं तो कुछ विद्वान वैश्वीकरण को ुनिकता के वर्चस्व का परिणाम मानते हैं । अतः उपनिवेशवाद एवं आधुनिकतावाद की सभी त्तियों का वैश्वीकरण में विद्यमान होना स्वाभाविक है। वैश्वीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां नलिखित हैः -

आर्थिक उपनिवेशवाद

विश्व में सत्रहवीं शताब्दी में साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप उपनिवेशवाद प्रारम्भ हो गया था। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देश इंग्लैण्ड, फ्रांस, आदि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों को कालोनी बनाकर वहां से कच्चा माल लाते थे और औद्योगिक उत्पादन के बाद उत्पादित माल उन्हीं कालोनियों में बिक्री हेतु भेजते थे। इस प्रकार विश्व के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उपनिवेशवाद के साथ वैश्वीकरण भी प्रारम्भ हो गया। वर्तमान में विश्व के विकसित देश वैश्वीकरण के माध्यम से विकासशील एवं पिछडे देशों को आर्थिक उपनिवेश बनाने की होड़ में लगे हैं। यद्यपि इस उपनिवेशवाद की प्रकृति पूर्व के उपनिवेशवाद से भिन्न हैं। आज यह काम बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं और ध्यातव्य है कि इन कम्पनियों में विकसित देशों का शेयर अधिकांश है ।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

वैश्वीकरण के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का विश्व पर वर्चस्व स्थापित हो रहा है। आज टी.वी. चैनलों के माध्यम विदेशी संस्कृति सीधे हमारे शयनकक्ष में प्रवेश कर रही हैं, जो हमारे परम्परागत संस्कृति पर वर्चस्व स्थापित कर रही है। यद्यपि वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न देशों की स्थानीय संस्कृति को भी वैश्विक पहचान मिल रही है किन्तु बाजार- वाद और उपभोक्तावाद के कारण विकसित देशों की उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व विश्व में बढ़ता जा रहा है।

बाजारवाद

विश्व में राजनीतिक उपनिवेशवाद का सन 1980 के दशक में आर्थिक उपनिवेशवाद के रुप में पुनर्जन्म हुआ जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इस व्यवस्था में विश्व बाजार का एकीकरण प्रारम्भ हुआ। आज अधिकांश देशों के माल की खपत हेतु अधिकांश देशों के बाजार खुले हैं। यद्यपि विकासशील एवं पिछड़े देशों के लोगों को इस व्यवस्था में कार्य के नये- नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथापि बाजार के दबाव में राष्ट्र राज्य की नीतियां प्रभावित हो रही हैं। औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों का विश्व बाजार पर वर्चस्व कायम है। पिछड़े एवं गरीब देशों के कराड़ों लोगों की बाजार में भागीदारी महत्वहीन है।

उपभोक्तावाद

वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद को बढावा दिया है। उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसा व्यवहारहै जो कि वस्तुओं को खरीदते - प्रयोग करते, मूल्यांकन करते नष्ट करते तथा वस्तुओं से जुड़ी सेवाओं के बारे में आकांक्षाएं रखते समय उपभोक्ता द्वारा व्यवहार में प्रकट होता है।किसी भी मनुष्य के मनुष्यपक्ष पर उसके उपभोक्ता के पक्ष को हावी कराने की प्रक्रिया से उपभोक्तावाद

होता है। वैश्वीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति उपभोक्तावाद है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व बाजार का एकीकरण किया है। उदारीकरण एवं मुक्त स्था ने कारपोरेट पूंजीवाद का विश्व में विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया। वैश्वीकरण वाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विविध काल खण्डों में पूंजीवाद का विविध आयाम माया। यह व्यापारिक पूंजीवाद से प्राम्भ होकर क्रमशः भू सम्पदा पूंजीवाद , औद्योगिक , राज्य पूंजीवाद, ठीकेदारी पूंजीवाद , कारपोरेट पूंजीवाद में रुपान्तरित होते हुए आज ण की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में अस्तित्ववान है।

ाद

समाज विज्ञान ने व्यक्तिवाद को एक ऐसे विचारधारा के रुप में स्थापित किया जो , उपयोगितावाद, स्वहितवाद, स्वतंत्र अनुबन्ध, स्वतंत्र उद्योग, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र था अहस्तक्षेप आदि तत्वों पर आधारित है। वैश्वीकरण जहां एक ओर राज्य के हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवाद को बढावा दे रहा है। सन 1991 में संयुक्त त संघ के विघटन से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मार्ग की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई जीवाद तथा व्यक्तिवाद के तीव्र प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

वर्चस्व

वैश्वीकरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति भाषाई वर्चस्व है। वैश्वीकरण से कमजोर देशों की मार खा गयीं।आज इन्टरनेट में आने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि आधुनिक ज्ञान किसी एक भाषा में मिल सकता है तो वह भाषा अंग्रेजी ही है। रण का सबसे प्रभावी और उदीयमान उपकरण इन्टरनेट अंग्रेजी का सबसे बड़ा वाहक या है। इससे भाषाओं के विलोपीकरण का मुद्दा आ खड़ा होता है।

साम्राज्यवाद

संचार क्रान्ति ने विश्व का स्वरुप ही बदल दिया है। जन संचार के अत्याधुनिक साधन रण के प्रमुख निर्वाहक हैं। विश्व में एक कोने से दूसरे कोने तक तत्काल सूचनाएं पहुंच इस क्रम में राष्ट्र और राज्य की सीमाएं गौण हो गई हैं। टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, जन, रेडियो, डिजिटल माइक्रो साफ्ट , आप्टिकल फाइबर केबल , डाटकाम, इन्टरनेट, वेयर , हार्डवेयर आदि नवीनतम संचार उपकरण पुराने तकनीकों से कहीं अधिक शाली हैं। इन्टरनेट के कारण ई- मेल , ई -कामर्स, ई -बैंकिंग, ई -लर्निंग, आदि का चलन हुआ। आज विश्व दो भागों में विभक्त हो गया है।एक सूचना सम्पन्न विश्व , दूसरा विपन्न विश्व-वैश्वीकरण के दौर में जो समाज सूचना सम्पन्न होगा उसी का वर्चस्व होगा। वैश्वीकरण से सूचना साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

वैश्वीकरण की इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त मानवाधिकार, निजीकरण, उदारीकरण,राष्ट्रवाद का बहिष्करण, आउट सोर्सिंग, जन संस्कृति का प्रसार आदि प्रवृत्तियां भी वैश्वीकरण में दृष्टिगोचर होती हैं।

19.4.3 वैश्वीकरण की व्यापकता

वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि विविध आयाम हैं। इसके माध्यम से विश्व अत्यधिक अन्तर्सम्बन्धित हो रहा है। वैश्वीकरण मानव जीवन के सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसकी व्यापकता एक छोटे से गांव से लेकर सम्पूर्ण विश्व तक तथा व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन तक है। इसकी व्यापकता का सम्यक् मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करना समीचीन होगा।

राजनीतिक वैश्वीकरण

वैश्वीकरण ने सम्पूर्ण विश्व में राजनैतिक व्यवस्था के एकीकरण को तीव्र कर दियाहै। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के पूर्व तीन खेमों में बंटा हुआ तथा दो महाशक्तियों के शीतयुद्ध से संतुलित शक्ति वाला विश्व सन 1991 में संयुक्त सोवियत संघ के विघटन से एक आयामी हो गया। इससे उत्साहित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय देशों के सहयोग एवं समर्थन से एक नई राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत की। उदारीकरण की नीति, मुक्त बाजार व्यवस्था तथा खुली अर्थ व्यवस्था के रूप में एक नयी राजनीतिक प्रक्रिया का शुभारम्भ हुआ। लोकतंत्र की विचारधारा पर आधारित विश्व राजनीति का एकीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त प्रयास भूमंडलीकरण की ओर बढते विश्व का परिचायक है। अभी हाल ही में नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्वापसी और राजशाही की शक्ति को नगण्य करने का संवैधानिक प्रयास विश्व जनमत के दबाव का ही परिणाम है। राजनीतिक वैश्वीकरण का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि विश्व के शक्तिशाली विकसित देश वैश्विक शान्ति सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना एव मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर विकासशील एवं अविकसित देशों की आन्तरिक राजनैतिक व्यवस्था में सैन्यशक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ की आड़ में हस्तक्षेप करके कठपुतली राजनैतिक नेतृत्व को सत्ता सौंप कर वहाँ की अर्थव्यवस्था एवं बाजार पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान एवं इराक की घटना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी क्रम में इरान, उत्तरी कोरिया आदि अनेक देशों को चेतावनी दी जा रही है । विकसित देशों के द्वारा स्वार्थसिद्धि के लिए किया जा रहा यह प्रयास विश्व में एक नये अन्तरसंघर्ष को जन्म दे रहा है। जो विश्व मानवता के लिए घातक है।

श्वीकरण

क वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं - खुला, उदार, मुक्त बाजार र। वैश्वीकरण के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उस देश और क्षेत्र पैठ बनाने के लिए प्रयासरत हैं जहां श्रम सस्ता है। इससे राष्ट्र- राज्य की आर्थिक ा प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष , विश्व व्यापार संगठन आदि संगठन विभिन्न देशों की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का कर रहे हैं। आज सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में तथा बाजार को इसके के रूप में स्वीकार्यता बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों में चलने वाले नों एवं गतिविधियों द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का हो रहा है। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया न को उदारवाद की ओर अग्रसर होना पड़ा।

क सांस्कृतिक वैश्वीकरण

वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता का द्योतक ाजिक सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया एकपक्षीय नहीं है। वैश्विक संस्कृति अनेक क एवं सांस्कृतिक समिश्रण का परिणाम है। विभिन्न टी.वी. चैनल्स, इन्टरनेट, , फोन, पेजर, फैक्स , कम्प्यूटर, दृश्यश्रव्य माध्यम सांस्कृतिक वैश्वीकरण के निर्वाहक हैं। विश्व पर्यटन, विश्व संगीत, विश्व कला, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिताएं, विश्व साहित्य, विश्व धर्म, विश्व फैशन आदि ने सांस्कृतिक रण को तीव्रता प्रदान की। आज हम जहां एक ओर वैश्विक संस्कृति से प्रभावित हो वहीं दूसरी ओर हमारी स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही हैं। विश्व एक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है।

5 वैश्वीकरण और अन्तरसांस्कृतिक संचार

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता और न्याश्रिता ही वैश्वीकरण है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्र में र अन्तर्सम्बन्ध को अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तीव्र गति प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के इतना निकट आ गये हैं कि किसी भी देश में घटित ाओं , गतिविधियों और क्रियाकलापों का प्रभाव तत्काल अन्य देशों में देखा जा सकता है। र्ण विश्व अर्थ, व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को व दे रहा है। वैश्वीकरण के दौर में इसी पारस्परिकता , अन्योन्याश्रिता और सहभागिता न्तरसांस्कृतिक संचार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

19.5.1 वैश्वीकरण के समय में अन्तर्सांस्कृतिक संचार

वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई अन्तर्सम्बन्धता का द्योतक है। इस अन्तर्सम्बन्धता को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में विभिन्न टी.वी. चैनल्स, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, सांस्कृतिक समिश्रण के सशक्त साधन हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी भिन्न - भिन्न संस्कृतियों के मध्य अन्तर्क्रिया को गति प्रदान कर रहे हैं। विश्व की अधिकांश संस्कृतियों की खिड़की दूसरी संस्कृतियों के लिए वैश्वीकरण की दौर में खुल गयी हैं और अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आकाशीय मार्ग द्वारा एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में प्रवेश कर रही है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है। इण्टरनेट के तीव्र विस्तार के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। जिन देशों में वैश्वीकरण की तीव्रता का दर उच्च है, उन्हीं देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का दर भी उच्च है। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही अन्तरर्सांस्कृतिक संचार को तीव्र गति मिल रही है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के अलावा वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में लोगों के उत्प्रवास, आउट सोर्सिंग, विश्व पर्यटन, विश्व फैशन, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व साहित्य , विश्वसंगीत, विश्व कला, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, विश्व खेलकूद प्रतियोगिताएं, वैश्विक राजनीतिक संस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार एवं वाणिज्य, क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठन आदि ने भी अन्तरसांस्कृतिक संचार को एक नया आयाम प्रदान किया है, जिससे सांस्कृतिक वैश्वीकरण की गति को तीव्रता प्राप्त हुई है। विश्व बहुत तेजी से एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर है।

19.5.2 वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव

वैश्वीकरण के दौर में आज मानव जीवन के अनेक पक्ष हजारों मील दूर स्थित समाज के सामाजिक ताने बाने से प्रभावित हो रहे हैं। विश्व की विभिन्न संस्कृतियां आपस में अन्तर्किया कर रही है। इस प्रकार एक विश्ववादी सामान्य जीवन शैली की स्वीकारोक्ति बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से विश्व एक एकिक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का दूसरा पक्ष यह भी है कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जूझ रही है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भाषाई वर्चस्व और पश्चिम के सांस्कृतिक आक्रमण से अनेक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियां अपने संरक्षण की समस्या से ग्रस्त हैं। जहां एक ओर ज्ञान के विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास, जातीय एवं साम्प्रदायिक कटुता समाप्त हो रही है वहीं दूसरी ओर परम्परागत संस्कृतियों, परम्पराओं और लोकाचारों पर कुठाराघात भी हो रहा है। जहाँ एक ओर विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी

क्तावादी संस्कृति का विस्तार एवं अपसंस्कृति का प्रसार भी हो रहा है। जहां एक की दूरियां सिकुड़ रही हैं वहीं दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति की दूरियां बढ़ रही हैं। विस्तृत हो रहा है और हृदय संकुचित हो रहा है। इस प्रकार वैश्वीकरण का तिक संचार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहा है।

सकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का अन्तर सास्कृतिक संचार पर पडने वाले सकारात्मक प्रभावों का निम्नलिखिति शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :-

संस्कृति का विस्तार

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी और जनसंचार के द्वारा अन्तर सांस्कृतिक संचार की गति में आयी तीव्रता से सांस्कृतिक वैश्वीकरण या तीव्र हो गयी है। एक ओर जहां हम पश्चिमी विकसित देशों विशेषकर अमेरिकी से प्रभावित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति का प्रभाव भी पश्चिमी देशों पर है। जहां मैकडोनाल्ड, कोकोकोला, फास्टफूड, संस्कृति जैसे गिने -चुने जन - संस्कृति ों को विकासशील और पिछड़े देशों ने अपनाया वहीं पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के संगीत, भोजन, धर्म, आदि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को अमेरिका और यूरोप ीकार किया। अमेरिका और योरोप में शाकाहारी भोजन के प्रति रुझान बढ़ रहा है। रोप और अमेरिका में शाकाहारी और भारतीय व्यंजनों वाले रेस्टोरेन्ट तेजी से खुल ारतीय फैशन एवं धर्म के प्रति आकर्षण पश्चिम में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय का पश्चिमी देशों पर प्रभाव आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ उत्प्रवास ,आउटसोर्सिंग श्व पर्यटन के माध्यम से पड़ रहा है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या एकपक्षीय नहीं है। सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी स्वीकृति एक नई समिश्रित संस्कृति उत्पन्न कर रही है। इस नई समिश्रित वैश्विक संस्कृति को संचार क्रान्ति, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विश्व बाजार का एकीकरण, विधि व्यवस्था का एकीकरण, ष्ट्रीय वित्तीयसंस्थाएं एवं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास प्रदान कर रहा है।

, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान

वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान तथा राष्ट्रीय ति को वैश्विक पहचान मिल रही है । आज से कुछ दशक पूर्व तक जिन स्थानीय एवं संस्कृतियों के बारे में लोग जानते तक नहीं थे उसके बारे में ढेर सारी जानकारी न समय में इन्टरनेट पर उपलब्ध है और आधुनिक जनसंचार माध्यमों द्वारा उसका क प्रचार- प्रसार निरन्तर जारी है। यह वैश्वीकरण की देन है कि बिसमिल्लाह खान, पं० कर और छत्तीसगढ जैसे दूरस्थ क्षेत्र की रहने वाली तीजन बाई की आज वैश्विक

पहचान बन पाई है। जातियों, जनजातियों, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय संस्कृतियों को जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान प्रदान कर रहे हैं।

जन संस्कृति का प्रसार

वैश्वीकरण ने जन संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मोबाइल, फोन जैसे जन माध्यमों को देखने पढ़ने अथवा सुनने के फलस्वरूप एवं वृहद विजातीय समाज में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का उदय जन संस्कृति के नाम से जाना जाता है जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। आज पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में चाय, काफी, मीट, मछली,साबुन, तेल, कास्मेटिक्स, दंतमंजन, फास्टफूड, कोको कोला, मैकडोनाल्ड आदि का प्रयोग आम हो गया है। प्रौद्योगिक द्वारा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने से स्त्रियां चहारदीवारी से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आ गयी हैं। परिवार के जो मनोरंजन कार्य थे वह सिनेमा ग्रह , क्लब, दूरदर्शन आदि ने ले लिया है। प्रेम विवाह , विलम्ब विवाह की संख्या बढ़ती जा रही है। आज विश्व के प्रत्येक समाज में केक काटकर जन्म दिन मनाने की परम्परा दिखलाई पड़ रही है। ये जनसंस्कृति के कुछ चुनिन्दा उदाहरण एवं प्रतीक हैं। जो वैश्विक समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं।

ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप लोगों में ज्ञान का विस्तार एवं वैज्ञानिक चेतना का संचार हुआ जिससे एक ओर सामाजिक , राजनीतिक, आर्थिक जागरुकता एवं विकास की प्रक्रिया को गति मिली वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक द्वन्द्व से मूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित हुई और तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समाज की गतिशीलता में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरुप अन्धविश्वास, रुढ़िवादिता, जातीय विभेद, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कटुता एवं अस्पृश्यता का अन्त हुआ।

विश्व मानवता की अवधारणा का विकास

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा , विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व बाजार और विधि व्यवस्था का एकीकरण,संचार क्रान्ति, उत्प्रवास, पर्यटन, वैश्विक संगठन,सम्मेलन एवं खेल- कूद आदि प्रतियोगिताएं, जन संस्कृति का प्रचार प्रसार और वैश्विक संस्कृति के विस्तार से विश्व मानवता की अवधारणा का विकास हुआ है।

ख) नकारात्मक प्रभाव

वैश्वीकरण का अन्तर सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है -

क साम्राज्यवाद

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सूचना क्रान्ति के उपरान्त संस्कृतियों के बीच सहज लाप या संवाद नहीं हो रहा है। बल्कि सूचना क्रान्ति के हथियारों से लैस पश्चिमी और देशों की ताकतवर प्रभुत्ववादी संस्कृति सांस्कृतिक आक्रमणों के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृतियों घोंटने में लगी हुई है। यद्यपि इस आक्रमण को पश्चिमी देशों द्वारा समरुपीकरण का ा जा रहा है। किन्तु इसमें सार्थक लेन- देन के तत्व नदारद हैं।यह प्रक्रिया एक तरह स्कृतिक साम्राज्यवाद ही है। आज विकासशील देशों के लोग अपनी माटी और से कटते जा रहे हैं और पश्चिम की आयातित संस्कृति विविध कारणों से स्वीकार ा रहे हैं। वैश्वीकरण ने पश्चिम के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को एक नया आयाम प्रदान ।

कृति का प्रसार

वैश्वीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास -शील देशों में अपसंसस्कृति ार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जनसंचार माध्यमों द्वारा हिंसा, अश्लीलता,नग्नता, न जिस तरह से परोसा जा रहा है वह अपसंस्कृति का समाज में प्रसार कर रहा है। इट चैनलों द्वारा आकाशीय मार्ग से विदेशी संस्कृति सीधे हमारे शयन कक्ष में प्रवेश कर नई पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। इससे हमारे सामाजिक नैतिक एवं सांस्कृतिक का क्षरण हो रहा है।

वर्चस्व

वैश्वीकरण का एक दुष्परिंणाम यह हुआ कि कमजोर देशों की भाषाएं विलुप्त होने ार पर हैं। वैश्वीकरण का सबसे प्रभावशाली एवं उपयोगी उपकरण इण्टरनेट आज का सबसे बडा संवाहक बन गया है। इस व्यवस्था में अपनी अस्मिता बनाए रखने के ण्टरनेट में आना होगा ओर इण्टरनेट में आने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी। आज सारा ारा आधुनिक ज्ञान अंग्रेजी भाषा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार -वाणिज्य की भाषा भी अंग्रेजी जा रही है। विश्व के लगभग सभी देशों में साइनबोर्ड या बिल बोर्ड द्विभाषी हो गये हैं एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय और दूसरी भाषा अंग्रेजी। ऐसी स्थिति में हिन्दी, जो देश की रिक शक्ति है पर उतना संकट नहीं है जितना दुर्बल कमजोर एक कम आबादी वाले की भाषाओं पर है। आज भाषाओं के विलोपीकरण और अंग्रेजी के वर्चस्व का मुद्दा आ हो गया है।

क्तावादी संस्कृति का विस्तार

वैश्वीकरण ने उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। आज विश्व अर्थव्यवस्था, ज्य, व्यापार और विश्व बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण है। उसे अपने

उत्पाद को बेचने के लिए बाजार चाहिए तथा उपभोग करने वाले लोगों का समूह चाहिए। अतः बहु राष्ट्रीय कम्पनियां आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी मनुष्य के मनुष्य पक्ष पर उसके उपभोक्ता पक्ष को हावी कराकर उपभोक्ता -वाद को बढावा दे रही है। विदेशी कम्पनियों ने जनता को उपभोक्ता बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम के हर हथकण्डे और हथियारों का जमकर प्रयोग शुरु कर दिया। आय एवं आयु के साथ - साथ अन्य समस्त पक्षों को आधार बनाकर उपभोक्ताओं के लिए सर्वेक्षण, विपणन उत्पाद बिक्री आदि की रणनीतियां बनने लगी। आज संचार के सभी माध्यम नागरिकों को उपभोक्ता बनाने में जुटे हैं। परम्परागत भारतीय समाज में अभौतिक संस्कृति का वर्चस्व था किन्तु उपभोक्तावाद ने व्यक्ति की भौतिकता सम्बन्धी अनन्त भूख को पैदा कर दिया। उससे हमारे परम्परागत मूल्य प्रकारान्तर से प्रभावित हो रहे है।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या

वैश्वीकरण के दौर में सूचना हथियारों से लैस संस्कृतियां अन्य संस्कृतियों के अस्तित्व पर खतरे के बादल की तरह मंडरा रही हैं। मानव सभ्यता का इतिहास विविध संस्कृतियों का संगम रहा है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच स्वस्थ संवाद और पारस्परिक प्रभाव के बल पर ही मानव सभ्यता की उपलब्धियों में सभी किसी न किसी रूप में हिस्सेदार रहे हैं। यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आज आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने मानव समाजों और संस्कृतियों के सहज और स्वाभाविक विकास में आक्रामक हस्तक्षेप से उथल- पुथल पैदा करके लोगों को अपनी माटी एवं संस्कृति से कटने को मजबूर कर दिया है। इससे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। वैश्विक संस्कृति के विस्तार, जनसंस्कृति के प्रसार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भाषाई वर्चस्व से परम्परागत संस्कृतियों , परम्पराओं एवं लोकाचारों पर कुठाराघात हो रहा है। समाज का एक वर्ग पश्चिम की आयातित संस्कृति से प्रभावित हो रहा है, वही दूसरा संवर्ग ऐसे लोगों का है जो अपनी स्थानीय परम्परागत संस्कृति के संरक्षण को अपरिहार्य मानता है ऐसे में सांस्कृतिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।इस प्रकार. आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है।

19.6 सारांश

इस इकाई के अन्तर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी के रुप स्वरूप को बताया गया है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटर, इण्टरनेट , मोबाइल फोन, टी.वी. चैनल्स द्वारा संचार क्रान्ति की विवेचना करते हुए उसका अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। आधुनिक सूचना एवं संचार

की वैश्वीकरण के संवाहक हैं। वैश्वीकरण का अर्थ, प्रवृत्तियां एवं व्यापकता पर डालते हुए उसका अन्तर सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों अध्ययन एवं विवेचन किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण ने जहां एक न का विस्तार किया, वैज्ञानिक चेतना, वैश्विक संस्कृति , जनसंस्कृति का प्रसार किया री ओर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई साम्राज्यवाद, अपसंस्कृति , उपभोक्तावादी का विस्तार भी किया। इस प्रकार हम आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण का सांस्कृतिक संचार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देख सकते हैं।

शब्दावली

अन्तर्वेशन - समावेश करना

बहिष्करण - बहिष्कार करना

अन्तर सांस्कृतिक संचार- दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मध्य संवाद या सम्प्रेषण

सन्दर्भ ग्रन्थ

वैश्वीकरण एवं समाज - डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय

ई जर्नलिज्म - डॉ. अर्जुन तिवारी

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनमाध्यम - डॉ. हरिमोहन

संचार माध्यम - सं. अभिलाषा कुमारी

सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

संचार क्रान्ति क्या है?स्पष्ट करें ।

आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार को स्पष्ट करें।

बाजार वाद से क्या तात्पर्य है ?

उपभोक्तावादी संस्कृति पर टिप्पणी लिखें ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

आधुनिक प्रौद्योगिकी के रुप- स्वरुप पर प्रकाश डालिए।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का अन्तरसांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना

3. वैश्वीकरण की व्यापकता पर प्रकाश डालिए

4. वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए।

19.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रिन्टिंग प्रेस के आविष्कारक थे -

(अ) जी. मारकोनी ब) जे. गुटेनवर्ग स) थामस अल्वा एडिसन

द) जान लोगी वेर्यड

2. टेलीफोन के आविष्कारक थे -

अ) सी. सोल्स ब) चार्ल्स टाउन्स स) जान नेपियर

द) एलेक्जैण्डर ग्राहम बेल

3. मोबाइल फोन है -

अ) प्रिन्ट मीडिया ब) इलेक्ट्रानिक मीडिया

स) इन्टरैक्टिव मीडिया द) ट्रेडिशनल मीडिया

4. वैश्वीकरण का अंग्रेजी में अनुवाद है -

अ) ग्लोबलाइजेशन ब) ग्लोबल स) ग्लोब

द) ग्लोबलाइज

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ब) 2. (द) 3. (स) 4. (अ)

ई : 20 धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक दबाव एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा

ी रुपरेखा

उद्देश्य

प्रस्तावना

दबाव का अर्थ एवं दबाव समूह

20.2.1 दबाव का अर्थ

20.2.2 दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा

20.2.3 दबाव समूह की प्रकृति, विशेषताएं एवं वर्गीकरण

20.2.4 दबाव समूह एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार

धार्मिक दबाव और अन्तरसांस्कृतिक संचार में बाधा

20.3.1 धार्मिक आधार पर जनसंख्या का वितरण

20.3.2 अल्पसंख्यक मनोविज्ञान

20.3.3 धर्म प्रसार एवं धर्मान्तरण

20.3.4 धार्मिक प्रतीकों एवं क्रियाओं का दबाव

20.3.5 धार्मिक मताग्रहों का दबाव

20.3.6 धार्मिक संगठनों एवं संस्थाओं का दबाव

20.3.7 धार्मिक आतंकवाद

आर्थिक दबाव और अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा

20.4.1 कारपोरेट पूंजीवाद का दबाव

20.4.2 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव

20.4.3 प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज

राजनैतिक दबाव एवं अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा

20.5.1 सरकार और उसकी नीतियाँ

20.5.2 शासन व्यवस्था का दबाव

20.5.3 राजनीतिक दलों एवं संगठनों का दबाव

20.5.4 राजनीतिक विचार धाराओं का दबाव

20.5.5 अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव

20.6 सारांश

20.7 शब्दावली

20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

20.9 सम्बन्धित प्रश्न

20.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययनोपरान्त आप निम्नलिखित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे--

- दबाव का अर्थ और दबाव समूह
- धार्मिक दबाव और अन्तरसांस्कृतिक संचार में बाधा
- आर्थिक दबाव और अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा
- राजनैतिक दबाव और अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधा

20.1 प्रस्तावना

दबाव समूह आधुनिक लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। विश्व के प्रायः प्रत्येक देश में समान हित वाले व्यक्ति अपने को समूहों में संगठित करके अपने हितों एवं स्वार्थों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। यही कार्य जब किसी सांस्कृतिक समूह के लोग करते हैं तो अन्य संस्कृतियों से सहज मेल मिलाप में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दबावों से अन्तर सांस्कृतिक संचार में बाधित होता है। अपने हितों एवं स्वार्थों की रक्षा के लिए धार्मिक दबाव समूह, आर्थिक दबाव समूह एवं राजनैतिक दबाव समूह विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर अन्तर्क्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं।

20.2 दबाव का अर्थ एवं दबाव समूह

आधुनिक लोकतंत्र में दबाव एवं दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विकास के साथ -साथ दबाव समूहों या हित समूहों का भी विकास हुआ। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। यद्यपि दबाव समूह राजनीति शास्त्र के सैद्धान्तिक अध्ययन का विषय है, तथापि यह विषय मानव जीवन के

क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे धार्मिक जीवन हो या सामाजिक जीवन, आर्थिक हो या राजनीतिक जीवन। यहाँ तक कि मनुष्य की सांस्कृतिक गतिविधियां, क्रिया आचार- विचार एवं संचार को भी प्रभावित करता है।

.1 दबाव का अर्थ

'दबाव' शब्द भाषा व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा पुलिंग हैं जिसका अर्थ है- दबाने की या भाव, रोब, दाब, प्रभाव, चॉप, भार, आतंक आदि। दबाव को अंग्रेजी भाषा में ure कहा जाता है ।

दबाव को शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं- दबाव या या भाव है जिसके द्वारा किसी अन्य पर रोब, दाब या प्रभाव स्थापित किया जा सकता व किसी अन्य व्यक्ति या व्यवस्था को अपनी इच्छानुसार कार्य, व्यवहार या आचरण बाध्य करता है।

.2 दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा

राजनीति विज्ञान में दबाव समूह को हित समूह भी कहा जाता है। व्यक्ति अपने हितों क्षण और सम्वर्धन के लिए समूहों में संगठित होकर दबाव की नीति अपनाते हैं तब में इसे हम सक्रिय लोगों के समूह की संज्ञा देते हैं। आज समाज के विभिन्न स्तरों पर जो लिए जाते हैं वे बड़े पैमाने पर विभिन्न समूहों तथा हितों के बीचं निरन्तर संघर्ष का ही न होते हैं वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जनता और शासन के बीच सूत्र का काम करते हैं। यद्यपि राजनीतिक दल जनता के हितों को पूरा करने का कार्य हैं और सरकार पर दबाव भी डालते हैं, तथापि उनका कार्य निष्पक्ष भाव से न होकर हितों पर आधारित होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की पूर्ति राजनीतिक दल र पाते हैं। अतः कुछ वर्ग अपना औपचारिक संगठन बना लेते हैं तथा शासन की नीतियों ावित करते हैं। इस प्रकार के संगठनों को दबाव समूह के नाम से पुकारा जाता है।

राजनीति विज्ञान में अन्य अवधारणाओं की तरह दबाव समूह की अवधारणा भी ग्रस्त है।कुछ विद्वान इन्हें हित समूह कहना अधिक उचित समझते हैं। इन विद्वानों में आमंड, रोमन कोकोविज तथा हिचनर व हार्बोल्ड प्रमुख हैं। बहुलवादी दबाव समूह ल समूह कहना पसन्द करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें दबाव समूह ही कहना पसन्द करते विद्वानों में बी. ओ. के. (कनिष्ठ) हैरी एकस्टीन, पिनाक और स्मिथ है। कुछ विद्वानों ने मूह (Lobby groups) शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ऐसे संगठनों का दबाव समूह ही अधिक उचित होगा। दबाव समूह को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया

माइनर वीनर - "हित या दबाव गुटों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधिनिर्माण एवं सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं।'

हिचनर और हबोल्ड -"राजनीतिशास्त्र के सन्दर्भ में इस (हित समूह शब्द) का प्रयोग हम एक से उद्देश्य वाले गैर सरकारी लोगों के ऐसे किंसी समूह के लिए करते हैं जो राजनीतिक कार्यवाही द्वारा सरकारी नीति को प्रभावित करके अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। यदि और अधिक सरल शब्दों में कहा जाय तो वह समूह जो सरकार से कुछ अपेक्षा रखता है हित समूह कहलाता है। "

कार्टर और हर्ज - "एक स्वतंत्र समाज के हित समूहों को स्वतंत्र रूप से संगठित होने की अनुमति होती है और जब ये समूह सरकारी तंत्र या प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार कानूनों , नियमों, लाइसेंसों, करारोपण तथा अन्य विधायी और प्रशासकीय कार्यों को अपने अनुकूल ढालने की चेष्टा करते हैं तो स्पष्टतः ये हित दबाव समूहों में बदल जाते हैं। "

ऑडिगार्ड - "एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हों तथा अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं शासन को प्रभावित करने का प्रयास करें।"

एम. जी. गुप्ता - "दबाव या हित समूह एक ऐसा माध्यम है जिससे सामान्य उद्देश्य वाले व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक मामलों की कार्यविधि को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जाता है।"

वी. ओ. की -"हित समूह ऐसे असार्वजनिक संगठन हैं जिनका निर्माण सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।"

एच. जेगलर -"यह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के सन्दर्भ को सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किए बिना भी, प्रभावित करना चाहता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में 'संगठन' शब्द पर विशेष बल दिया गया है जिससे ये परिभाषाए सीमित हो गयी हैं। आधुनिक राज शास्त्र केवल औपचारिक रुप से संगठित हित समूहों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं मानता। आर्थर वेंटले ने हित की परिभाषा संगठन के आधार पर न करके क्रिया के आधार पर की है। क्रिया के आधार पर हित की परिभाषा करने वाले अन्य राजनैतिक विचारकों में स्टीफेन एल. वास्वी , आमंड एवं पावेल तथा फ्रांसिस केसिल्स प्रमुख हैं।

इस प्रकार जहाँ हित समूह की आधुनिक परिभाषाओं के अन्तर्गत उसका संगठित

ोई आवश्यक नहीं है वहीं पुरानी परिभाषाओं में उसका संगठित होना आवश्यक बताया । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हित या दबाव समूह उन व्यक्तियों का एक ऐसा या सामयिक समूह है जो पारस्परिक कार्य व्यापार तथा लाभ के बन्धनों से जुड़े हैं न्हें इन बन्धनों की जानकारी भी रहती है। ये हमेशा उन कार्यों को करते हैं जो हित हने के नाते करने चाहिए।

.3 दबाव समूह की प्रकृति , विशेषता एवं वर्गीकरण

दबाव समूह की प्रकृति विशेषता, वर्गीकरण एवं कार्यप्रणाली पर विचार करना समीचीन

समूह की प्रकृति

दबाव समूह याय हित समूह का रुप ऐच्छिक या गैर राजनीतिक होता है। इनकी सदस्यता धार इनके सदस्यों के मध्य समान हित की चेतना है दबाव समूहों के संगठन का मौलिक सामाजिक सांस्कृतिक , आर्थिक तथा व्यावसायिक होता है। अतएव इनके संगठन का राजनीतिक न होते हुए भी अन्ततोगत्वा राजनीति को प्रभावित करने लगते है।। ये तिक दल नहीं होते लेकिन राजनीतिक दलों की तरह संगठित अवश्य होते हैं जिनकी सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता , प्रतिष्ठा और साधन होते हैं।

समूह की विशेषताएं

दबाव समूह के स्वरुप को समझने के लिए इनकी विशेषताओं का ज्ञान अनिवार्य है विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(1) सीमित एवं विशेष उद्देश्य (2) संगठित तथा असंगठित स्वरूप (3) सीमित ता (4) राजनीति एवं शासन से परोक्ष सम्बन्ध (5) निजी हितों से सम्बन्ध (6) निक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग (7) लोकतंत्रीय तथा औद्योगिक समाजों निवार्यता (8) स्वरुप की भिन्नता ।

समूहों का वर्गीकरण

(1) लोकार्थी एवं स्वार्थी (2) औपचारिक एवं अनौपचारिक (3) प्राकृतिक तथा क (4) अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक (5) स्थानीय तथा देशव्यापी ।

डेल का वर्गीकरण - ब्लाण्डेल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण उसके निर्माण के प्रेरक तत्वों धार पर किया है, जो इस प्रकार हैं - (1) साम्प्रदायिक समूह (क) रूढ़िगत या प्रथागत (ख) संस्थात्मक समूह । (2) संघात्मक समूह (क) संरक्षणात्मक समूह (ख) नात्मक समूह।

आमण्ड का वर्गीकरण - आमण्ड ने समूहों की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार हैं - (1) संस्थात्मक (2) संघात्मक (3) असंघात्मक (4) प्रदर्शनात्मक

दबाव समूहों के साधन और तरीके

दबाव समूहों द्वारा अपनाये जाने वाले साधन इस प्रकार हैं - (1) संगठन निर्माण (2) सामूहिक प्रचार (3) पत्र- पत्रिकाएं (4) जन सम्पर्क (5) राजनीतिक दलों के अन्दर क्रियाशील रहना (6) परोक्ष रुप से चुनाव में भाग लेना (7) हड़ताल तथा प्रदर्शन (8) हिंसा (9) अहिंसक सविनय अवज्ञा (10) न्यायालयों द्वारा दबाव (11) ऑकड़ा प्रकाशन (12) गोष्ठियों का आयोजन (13) प्रकोष्ठ क्रिया (14) मुख्य कार्यपालिका पर दबाव (15) कर्मचारी तंत्र पर दबाव ।

दबाव समूहों की कार्य प्रणाली

राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों क्री भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। शासन की नीतियों को अपने पक्ष में बनवाने के लिए हर दबाव व समूह प्रयत्नशील रहता है। शासन के कार्य एवं नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कर्मचारीतंत्र से सम्बन्ध स्थापित करते हैं । स्वयं सफल न होने पर ये निर्वाचन , जनमत तथा राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दबाव समूहों का आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन पर इनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सभी देशों में ये अध्ययन के विषय बन गये हैं। विद्वानों ने इन्हें अनेक नाम दिया है किसी ने दलों के पीछे सक्रिय जन कहा है , तो किसी ने विधान मण्डल के पीछे विधान मंडल कहा है । यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसे अदृश्य सरकार कह दिया है इस प्रकार दबाव समूह आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गये हैं।

20.2.4 दबाव समूह एवं अर्न्तसांस्कृतिक संचार

दबाव समूह का प्रभाव अर्न्तसांस्कृतिक संचार पर भी पडता है। विभिन्न सांस्कृतिक समूह जहां एक ओर अपनी संस्कृति के विस्तार का प्रयास करते हैं वहीं दूसरी ओर किसी वाहन संस्कृति के प्रभाव से अपनी संस्कृति के बनाये रखने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं । इससे विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर मेल मिलाप में बाधा उत्पन्न होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध तरीकों से सरकार पर भी दबाव बनाए रखते हैं। दबाव समूह अपने सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए सरकारी नीतियों एवं योजनाओं को प्रभावित करते हैं। चूंकि दबाव समूह राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय है। अतः इनका दबाव राजनीतिक व्यवस्था पर ही अधिक होता है और यह लोकतंत्रात्मक एवं औद्योगिक समाजों में ही सक्रिय होते हैं। जहां

यक तंत्र हैं, वहां दबाव समूह की सक्रियता शून्य होती है अर्न्तसांस्कृतिक संचार की में बाधा मात्र दबाव समूह से ही नहीं वरन् सरकार से भी उत्पन्न होती है। विभिन्न देशों नकीय व्यवस्था भी कभी- कभी अन्तर सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया में बाधक बन । इस प्रकार अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा के कारक केवल दबाव समूह ही नहीं है, न्य कारकों से भी सांस्कृतिक आदान - प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। अतः दबाव समूह प्रणाली अन्तर्सांस्कृतिक संचार के सम्बन्ध में राजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भिन्न है । कार पर दबाव बनाकर ही अर्न्तसांस्कृतिक संचार में बाधा नहीं उत्पन्न की जाती, वरन् ारणों से भी सांस्कृतिक मेल मिलाप में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

3 धार्मिक दबाव और अर्न्तसांस्कृतिक संचार में बाधा

वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों व के परिणामस्वरूप अर्न्तसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। स्कृतिक संचार की सहजता को बाधित करने में धार्मिक दबावों को कई रूपों में देखा ता है। धर्माधारित संख्या बल और उसका वितरण, अल्पसंख्यक मनोविज्ञान, धर्मप्रसार र्मान्तरण, धार्मिक प्रतीक, धार्मिक मताग्रह, धार्मिक रीति- रिवाजों , लोकाचारों, परम्पराओं, , विधियों, मान्यताओं, प्रथाओं, धार्मिक संगठनों एवं संस्थाओं तथा धार्मिक आतंकवाद संस्कृतियों के सहज मेल मिलाप में बाधा उत्पन्न करते हैं। सरल समाज में सांस्कृतिक - प्रदान की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है किन्तु जटिल समाजों में यह प्रक्रिया अत्यन्त गति से सम्पन्न होती है और उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

3.1 धार्मिक आधार पर जनसंख्या का वितरण

धार्मिक आधार पर जनसंख्या के वितरण से अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बहुधा बाधाएं हो जाया करती हैं। किसी क्षेत्र- विशेष में यदि किसी धार्मिक समुदाय के लोग अधिक में निवास करते हैं तो प्रायः किसी अन्य धर्म की धार्मिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों ा उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। बहुसंख्यक वर्ग अपनी प्रथाओं, रूढ़ियों, ारों एवं विश्वासों के विपरीत किसी अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित होने का करता है। और उसे प्रायः रोकने का प्रयास करता है। इस तरह का प्रयास सम्पूर्ण ख्यक वर्ग नहीं अपितु धर्मान्ध लोग करते हैं। भारत में मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी, ईसाई पूर्वोत्तर भारत एवं केरल तथा कुछ हिन्दु बहुल क्षेत्रों में इस तरह का प्रयास देखा जा है। कभी कभी कट्टरपंथियों का विरोध इतना उग्र हो जाता है कि अन्य धर्मावलम्बियों लायन करना पडता है या उन्हें जबरन खदेड़ दिया जाता है । धार्मिक आधार पर ख्या बल के वितरण का प्रभाव जनसंचार माध्यमों पर भी पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों के ारों में बहुसंख्यक वर्ग की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों पर टीका टिप्पणी प्रकाशित र उन अखबारों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रानिक

माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को भी विरोध का सामना करना पडता है। इस तरह के प्रयास अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं।

20.3.2 अल्प संख्यक मनोविज्ञान

किसी क्षेत्र विशेष में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में बराबर अपनी सुरक्षा के प्रति भय बना रहता है। यह भय उन्हें आक्रामक बना देता है, जो अन्ततोगत्वा धार्मिक कट्टरता में परिवर्तित हो जाती है। धार्मिक कट्टरता के गर्भ से ही आतंकवाद का जन्म होता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं और मान्यताओं को बहुसंख्यक वर्ग की सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रभाव से बचाये रखने का प्रयास करता है। वह अपनी धर्म संस्कृति में किसी बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। कभी- कभी बाहय हस्तक्षेप का प्रतिरोध हिंसक साधनों से भी करता है। यहाँ तक कि जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित सांस्कृतिक कार्यक्रमो का भी इस आधार पर विरोध या बहिष्कार किया जाता है कि वह उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रतिकूल है। पत्र -पत्रिकाओं की प्रतियों को फाड़ना, जलाना,रेडियो एवं दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रदर्शन करना, इन पर रोक लगाने के लिए आन्दोलन करना आदि अल्पसंख्यक मनोविज्ञान की सहज परिजाति है। इस प्रकार अल्पसंख्यक मनोविज्ञान अन्तर्सांस्कृतिक संचार की सहज प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने का महत्वपूर्ण कारक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थ में संवैधानिक उपबन्धों एवं सरकार की नीतियों द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण एवं सम्वर्धन का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है सरकार द्वारा विशेष अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा भी अल्पसंख्यक मनोवि ान के विकास में सहायता मिलती है।

20.3.3 धर्मप्रसार एवं धर्मान्तरण

धर्म विशेष का प्रचार प्रसार एवं धर्मान्तरण का कार्यक्रम भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार प्रायः बाधक बन जाता है। भारत आदिवासी एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ईसाई मिशनरि द्वारा लम्बे समय से धार्मिक प्रचार- प्रसार एवं धर्मान्तरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण का कार्यक्रम पोप तथा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा समर्थित अत्यन्त सुनियोजित एवं संगठित तरीके से चलाया जा रहा है। वर्तमान में सम्पूर्ण पूर्वोत्त भारत, केरल तथा देश के अधिकांश आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्मानुयायि की बढ़ी हुई जनसंख्या इसी प्रयास का परिणाम है। इसकी प्रतिक्रिया में हिन्दू संगठनों द्वा अपने मूल धर्म में पुर्नवापसी का कार्यक्रम भी तीव्र गति से संचालित हो रहा है। विश्व के अनेक हिस्सों में इस्लाम धर्मानुयायियों द्वारा भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस्लाम ध अपनाने के लिए प्रेरित करना इसी तरह का प्रयास है।

विश्व के विभिन्न भागों में धर्मान्तरण का कार्यक्रम वैचारिक प्रयासों की अपेक्षा लोभ लालच एवं बलात प्रयासों से अधिक हो रहा है। कभी -कभी धर्मान्तरण के लिए हिंसा व

ी लिया जाता है। इस तरह के धार्मिक प्रचार- प्रसार एवं धर्मान्तरण के कार्यक्रम कृतिक संचार की सहज प्रक्रिया को बाधित करते हैं, क्योंकि यह प्रयास विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर सम्प्रेषण नहीं अपितु अपने मूल धर्म एवं संस्कृति को किसी अन्य धर्म एवं संस्कृति को अपनाने की क्रिया है। अतएव वर्तमान में वैश्विक धर्मान्तरण से किसी समाज या समुदाय के मूल धर्म और संस्कृति के विलोपीकरण आ खड़ा होता है। धर्मान्तरण को पश्चिमी जनमाध्यमों का प्रबल समर्थन प्राप्त है और ावित राष्ट्रों की मीडिया राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर इसे बहस का मुद्दा बनाकर ब्ल· विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार धर्मान्तरण के द्वारा अन्तर्सांस्कृतिक संचार की क प्रक्रिया बाधित हो रही है।

4 धार्मिक प्रतीकों एवं क्रियाओं का दबाव

र्मों के धार्मिक प्रतीकों एवं क्रिया का दबाव भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न । प्रत्येक धर्म के धार्मिक प्रतीक, अनुष्ठान, कर्मकाण्ड, पूजा पद्धति , रूढ़ियाँ, परम्परा, र एवं विश्वास आदि अलग-अलग हैं । कोई भी धर्म अपनी धार्मिक परम्पराओं पर ह्य प्रभाव या हस्तक्षेप को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अपने धर्म कृति के भीतर व्याप्त कुरीतियों को अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों से प्रेरित होकर देर किसी भी प्रयास को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। धार्मिक, सामाजिक कुरीतियों करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को भी प्रबल का सामना करना पड़ता है। जैसे आनन्द मार्गियों का सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक एवं कपालों के साथ ताण्डव नृत्य, दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा, हिन्दू और मुस्लिम ों में हो रहे पशुबलि, मुस्लिम सम्प्रदाय में बहुपत्नी प्रथा, हिन्दू समुदाय में सती प्रथा न्दिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश पर रोक आदि कुरीतियों को धार्मिक कवच प्रदान करके भी सुधारवादी आन्दोलन या सरकारी प्रयासों का प्रबल विरोध देखा जा सकता है।

जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचारित सुधारवादी दृष्टिकोण एवं विचारधाराओं को भी रोध का सामना करना पड़ता है। किसी धर्म विशेष में व्याप्त विकृतियों पर पत्र ों एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा की गयी टीका -टिप्पणी पर आन्दोलनों एवं प्रदर्शनों या जाने वाला विरोध आज सर्वत्र देखा जा सकता है। सलमान रशदी एवं तसलीमा की पुस्तकों को जलाना,प्रतिबन्ध लगाना और फतवा जारी करना इसका प्रत्यक्ष ा है। शाहबानों प्रकरण में संर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुस्लिम महिला कानून निष्प्रभावी करना धार्मिक दबाव का ही परिणाम है।इसी तरह हिन्दू समुदाय भी किसी त संस्कृति को सहजता से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अनेक यूरोपीय उत्सवों का जैसे वेलेन्टाइन डे आदि तथा धर्मान्तरण के विरुद्ध कानून बनाने के लिए हिन्दू समाज कार पर निरन्तर दबाव को इसी रूप में देखा जा सकता है। ईसाई धर्मावलम्बी ी एवं यूरोपीय समुदाय एवं मीडिया गैर- ईसाई धार्मिक प्रतीकों एवं क्रियाओं को

विद्रूपित करके विश्व के सम्मुख निरन्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। हिन्दू देवी -देवताओं के चित्रों को आन्तरिक वस्त्रों पर छापना, विकृति स्वरुप को अखबारों एवं पुस्तकों में प्रकाशित करना, मुहम्मद साहब का मखौल उड़ाने के उद्देश्य से चित्रों को छापना आदि के द्वारा विश्व स्तर पर धार्मिक कटुता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अन्तर्सांस्कृतिक संचार की सहज प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक प्रतीकों और क्रियाओं का दबाव भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार में महत्वपूर्ण बाधक हैं ।

20.3.5 धार्मिक मताग्रहों का दबाव

धार्मिक मताग्रहों के दबाव से भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया बाधित होती है। धार्मिक मताग्रहों का संचार माध्यमों पर प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, गोधरा काण्ड या साम्प्रदायिक दंगों के समय पत्र -पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले समाचारों एवं लेखों में धार्मिक मताग्रहों का दबाव स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में पश्चिमी मीडिया एवं शेष विश्व की मीडिया के दृष्टिकोण का अन्तर धार्मिक मताग्रहों के दबाव का ही परिणाम है। किसी भी धार्मिक मामले में मीडिया के नियामक तंत्र द्वारा अपने धार्मिक पक्ष को प्रस्तुत करके दूसरे पक्ष को दबा देना उसके धार्मिक मताग्रह को ही उजागर करता है। मीडिया की यह प्रवृत्ति अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधक है, क्योंकि वैश्विक समाज को सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के दृष्टिकोण एवं पक्ष की सही जानकारी नहीं हो पाती हैं ।

20.3.6 धार्मिक संगठनों एवं संस्थाओं का दबाव

धार्मिक क्रियाओं से सम्बन्धित विचारों के अनुसार ही प्रत्येक धर्म में संस्थाएं पायी जाती है। इन संस्थाओं में उन व्यक्तियों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है जो धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न कराते हैं; पुरोहित, पादरी, ओझा, आदि इन्हीं में आते हैं। भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्धन, जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व तथा ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक कार्यों का प्रबन्धतंत्र भी कभी -कभी अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधक बन जाता है। जैसे वाह्य धर्म या संस्कृति के प्रभाव को ग्रहण करने वाले स्वधर्मियों को काफिर, तनखइया या धर्म द्रोही घोषित करना या स्वधर्मियों सहित विधर्मियों के विरुद्ध भी किसी धर्म विरुद्ध कार्य को रोकने के लिए फतवा जारी करना आदि अन्तर्सांस्कृतिक संचार के बाधक तत्व हैं। इस तरह के फतवा अन्तर्सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देने वाले जनमाध्यमों के विरुद्ध भी जारी होते हैं।

.7 धार्मिक आतंकवाद

वर्तमान समय में अन्तर्सांस्कृतिक संचार का सबसे बड़ा बाधक विश्वव्यापी धार्मिक ाद है। धार्मिक कट्टरता या धार्मिक संकीर्णतावाद के गर्भ से धार्मिक आतंकवाद का आ। धार्मिक कट्टरता या धार्मिक संकीर्णवाद एक ऐसा आन्दोलन या आस्था है जो क धर्मग्रन्थों या प्रकट धर्म को मौलिक तत्वों की ओर लौटने का आग्रह करता है। क्षीकरणवाद को चुनौती देने वाले कट्टरवादी आन्दोलन का जन्म 1920 में यूनाइटेड में प्रोटेस्टैण्ट ईसाइयों के एक समूह द्वारा हुआ जिसमें आधुनिकता की बुराइयों को तथा बाइबिल की आलोचना करके ईसाई व्यवहार तथा विश्वास के मूल की ओर लौटने वान किया गया, जो उनके आदर्श अतीत की बुनियाद थे। 1979 में इरान में हुई क क्रान्ति ने सर्वप्रथम कट्टरवाद पद का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। आगे चलकर र्मिक राष्ट्रवादिता के रूप में परिवर्तित होकर धार्मिक आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर धार्मिक आतंकवाद की गहरी जड़ें इस्लामिक दुनिया में है। इसके तीन रूप हैं- एक रूप है जिसका नमूना अल्जीरिया, सउदी अरब, थाईलैण्ड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ादि देशों में देखा जा सकता है, दूसरा रूप क्षेत्रीय है, जिसका नमूना कश्मीर, चेचेन्या, , फिलिस्तीन आदि में मिलता है तथा तीसरा रुप वैश्विक है जिसका नमूना 11 सितम्बर ो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और 2005 में लन्दन बल विस्फोट के रुप में देखा गया। आम मुसलमानों से कुछ भी लेना-देना नहीं हैं। इस तरह की आतंकवादी प्रवृत्तियां अन्य धर्मों में भी दृष्टिगोचर जैसे पूर्वोत्तर भारत में ईसाई धर्मानुयायियों द्वारा चलाया जा रहा अलगाववादी आन्दोलन, में तमिल उग्रवदियों का आन्दोलन या उड़ीसा में एक हिन्दू उग्रवादी द्वारा ईसाई पादरी को नलाये जाने की घटना आदि प्रमुख हैं। धार्मिक आतंकवाद को धर्म एवं संस्कृति के संस्थान के नाम पर चलाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक आतंकवाद को अपने स्वधर्मियों द्वारा भी पूर्णतः मान्यता हीं है किन्तु आतंकवादियों की धार्मिक अतिवादिता एवं हिंसक घटनाओं द्वारा भय का ण बनाए जाने से अन्तरसांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न होती है । आतंकवादियों द्वारा रीति, रिवाजों एवं परम्पराओं को मनवाने के लिए प्रायः फतवा जारी करना, धार्मिक पर ड्रेस कोड को लागू करना, विधर्मियों की सामूहिक हत्या करना और उन्हें अन्यत्र के लिए मजबूर करना आदि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में परस्पर अन्तर्क्रिया को बाधित ।आतंकवादियों के कृत्यों की निन्दा करने एवं विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों में परस्पर मेल- की भावना को सम्वर्धित करने वाले मीडिया -कर्मियों को भी अपनी जान देकर अपने की कीमत चुकानी पड़ती है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में पंजाब केशरी के सम्पादक

लाला जगत नारायण और उनके पुत्र रमेश चन्द्र को कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद होना पड़ा। विश्व के अनेक देशों में मीडिया कर्मियों को आतंकवादी हिंसा का शिकार होना पड़ा। इनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि विभिन्न देशों की सरकारों पर यह सीधे हमला बोल दे रहे हैं। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर आज धार्मिक आतंकवाद अन्तर्सांस्कृतिक संचार में सबसे बड़ा बाधक है, जो वैश्विक समस्या बन चुका है।

20.4 आर्थिक दबाव और अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा

अन्तर्सांस्कृतिक संचार की सहजता को बाधित करने में आर्थिक दबावों की भूमिका भी आज वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो गई। वैश्वीकरण के दौर में जहां एक ओर कारपोरेट पूंजीवाद और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं संगठनों का दबाव विभिन्न संस्कृतियों के सहज मेल- मिलापों में बाधक बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज आर्थिक पिछड़ेपन से रूढ़िग्रस्त है और किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अतः ऐसे बन्द समाज में भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है।

20.4.1 कारपोरेट पूंजीवाद का दबाव

सामान्यतः पूंजीवाद का अर्थ है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, विवेकीकरण के आधार पर गणना करना, विलम्बित संतुष्टि के माध्यम से सम्पत्ति का संचयन करना, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धों का पृथक्करण, औपचारिक रूप से स्वतंत्र श्रम, कच्चे माल के लिए बाजार का एक नेटवर्क, श्रम उत्पादन करना और एक वृहद वित्तीय व्यवस्था। पूंजीवाद कुछ वर्षों की नहीं वरन् कई शताब्दियों की देन है। जिसकी विकास यात्रा गुणात्मक वर्गीकरण की दृष्टि से व्यापारिक पूंजीवाद, भूसम्पदा पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद के रूप में तथा मात्रात्मक वर्गीकरण की दृष्टि से ठेकेदारी पूंजीवाद और कारपोरेट अथवा एकाधिकार पूंजीवाद के रूप में दृष्टिगोचर होता है ।वर्तमान में पूंजीवाद का कारपोरेट स्वरुप विद्यमान है। कारपोरेट पूंजीवाद अधिकतम लाभ के दर्शन पर टिका है। यह दर्शन संस्कृति को भी लाभ एवं हानि की दृष्टि से देखता है। आज संस्कृति का पण्यीकरण हो रहा है। कारपोरेट पूंजीवाद के प्रतीक बहुराष्ट्रीय निगम है।

बहुराष्ट्रीय निगमों को अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। सूचना क्रान्ति के दौर में विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आज सूचनातंत्र पर नियंत्रण है। अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता प्रतिष्ठान अपने नियंत्रण वाले शक्तिशाली सूचनातंत्र से उन्हीं सूचनाओं और जानकारियों को वितरित करता है जो उसके व्यापक हितों की पूर्ति में सहायक होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित सूचना तंत्र लोगों की प्राथमिकताओं को तोड़ - मरोड रही है। ताकि वे मुक्त बाजार की आवश्यकता के अनुसार अपने को ढाल सकें।

प्रक्रिया में शक्तिशाली संस्कृतियां अपने मूल्यों एवं जीवन शैली को कमजोर यों पर थोप रही हैं। इससे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का संकट उत्पन्न हो गया।

विकासशील एवं अविकसित देशों के लोगों में अपने उत्पादित माल के उपभोग की उत्पन्न करने के लिए संवाद एजेन्सियों , पत्र- पत्रिकाओं इलेक्ट्रानिक माध्यमों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ले रहीं हैं ताकि इन देशों के बाजार पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो सके। समाचार एजेन्सियों एवं जनमाध्यमों पर विकसित देशों का नियंत्रण है। त देश सुनियोजित ढंग से विकासशील देशों की युवतियों को मिस यूनिवर्स चुनकर ना ब्रांड अम्बेस्डर बनाकर पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का इन देशों में विस्तार कर र साथ ही साथ उन देशों की भाषाओं एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग उपभोक्तावादी के विस्तार के लिए कर रहे हैं।

सांस्कृतिक स्तर पर सूचना क्रान्ति ने बहुरंगी विश्व को एक ही रंग में रंगने का बीड़ा है। सोवियत व्यवस्था के पतन के उपरान्त वैश्वीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था ही का एक मात्र मॉडल है, जिस माडल को सातवें , आठवें दशक में विकासशील देशों उपनिवेशवादी रास्ता करार देकर अस्वीकृत कर दिया था, उसे ही आज वे सभी देश कर अपना रहे हैं। आज विश्व में तेजी से जन संस्कृति का प्रसार हो रहा है। जन के प्रतीकों में अधिकांश पश्चिमी देशों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्पाद हैं।

कारपोरेट पूंजीवाद द्वारा सम्पूर्ण विश्व में सांस्कृतिक समरूपीकरण का प्रयास चल यह सांस्कृतिक समरुपीकरण पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का नया संस्करण है शेष- विश्व की संस्कृतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः इसे अन्तर्सांस्कृतिक ी सहज प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें विकसित देशों की यों का शेषविश्व की संस्कृतियों के साथ सहज मेल -मिलाप की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं है। अपितु विकसित देशों की सूचना प्रौद्योगिकी से सम्पन्न संस्कृतियां शेष विश्व की विपन्न संस्कृतियों पर सांस्कृतिक आक्रमण कर रही है। इस प्रकार कारपोरेट पूंजीवाद म्पूर्ण विश्व को पाश्चात्य संस्कृति में रंगने का प्रयास अन्तर्सांस्कृतिक संचार की क्रिया में सबसे बड़ा बाधक है। आज विश्व की कमजोर संस्कृतियां विलुप्त होने की र है।

.2 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी वित्तीय एजेन्सियों पर विकसित देशों का नियन्त्रण र्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , विश्व बैंक और डब्लू. टी.ओ. आदि संस्थाएं वैश्वीकरण की प्रमुख के रूप में क्रिया शील है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं के दबाव में गैट लागू हुआ। ट्रेडमार्क द्वारा विभिन्न देशों के उत्पादों पर एकाधिकार का षडयंत्र किया

गया। कृषि क्षेत्र विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी विशाल मानवपूंजी कृषि पर ही मुख्य रूप से निर्भर है। कृषि की प्रधानता से इन देशों की संस्कृति ग्राम्यसंस्कृति है। अतः विश्व के लिए कृषि क्षेत्र को मुक्त करना इन देशों की अर्थव्यवस्था एवं परम्परागत संस्कृति के लिए आत्मघाती होगा। दिसम्बर 2003 में कानकुन सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों पर अपने कृषि क्षेत्र को भी खोलने का दबाव पड़ा किन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इनकार कर दिया। यह दबाव विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से डाला गया।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विकाशील देशों पर अनेकानेक दबावों के माध्यम से उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के विपरीत समझौता करने के लिए विकसित राष्ट्र दबाव डालते रहते हैं। विश्व के लिए कृषि क्षेत्र को मुक्त करने काअर्थ है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को नष्ट करना है इसी तरह विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष विकसित देशों की सांस्कृतिक एजेण्डा को पूरे विश्व में लागू करने के लिए विकासशील एवं अविकसित देशों पर आर्थिक दबाव बनाये रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से लैस पश्चिमी विकसित देश पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति को विकासशील एवं अविकसित देशों पर थोपने के लिए विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को साधन के रुप में प्रयोग करते हैं। विकसित देशों के सांस्कृतिक विस्तारवाद में बाधक देशों पर इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें पश्चिमी देशों के अनुकूल आचरण करने पर बाध्य कर दिया जाता है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की नीतियां विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर अन्तर्क्रिया को बढ़ावा देने के स्थान पर पश्चिमी देशों की संस्कृतियों को थोपने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सकल पूंजी में अधिकांश इन्हीं पश्चिमी विकसित राष्ट्रों की है। अतः सम्पन्न देशों के इशारे पर चलना इन वित्तीय संस्थाओं की मजबूरी है अन्यथा इनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्वायत्तता मात्र दिखावा है। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति एवं जनसंस्कृति के विस्तार का साधन बन कर इन संस्थाओं द्वारा अन्तर्सांस्कृतिक संचार की स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों के मध्य परस्पर सहज अन्तर्सम्बद्धता को बढ़ावा देने की इन संस्थाओं से अपेक्षा करना व्यर्थ है।

20.4.3 प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज

प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधक है, क्योंकि इस तरह का समाज आर्थिक विपन्नता एवं रुढ़िवादिता से ग्रस्त होता है। ऐसे समाज को समाजशास्त्री बन्द समाज की संज्ञा प्रदान किए हैं जो शीघ्रता से किसी भी परिवर्तन को

हीं करता है। यह समाज विकासात्मक नीतियों एवं योजनाओं को भी जल्दी स्वीकार ता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाली आदिवासी जातियों एवं जनजातियों की रम्पराएं लोकाचार, रुढ़ियां, प्रथाएं और मान्यताएं अलग -अलग होती हैं। ऐसे समाजों समाज भी कहा जाता है, इनमें परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। दूर -दराज क्षेत्रों में रहने वाली कुछ ऐसी अदिवासी जनजातियां भी हैं जो सभ्य समाज के आज भी दूर रहना चाहती हैं । सभ्य समाज उनसे सम्पर्क करने का प्रयास करता ी- कभी वे हिंसक प्रतिरोध भी करते हैं। इसी प्रकार कृषि पर आधारित ग्रामीण तो आदिवासी जन जातियों की भांति बहुत जटिल तो नहीं हैं, फिर भी अपनी परम्परागत पर किसी वाह्य हस्तक्षेप को शीघ्रता से स्वीकार नहीं करता।जहाँ नगरों में विभिन्न यों के मेल मिलाप से एक नई उपसंस्कृति विकसित हो चुकी हैं वहीं ग्रामीण समाज रम्परागत संस्कृति का मोह नहीं छोड़ पा रहा है।

इस प्रकार प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज अन्तर्सांस्कृतिक संचार की को तीव्र गति प्रदान करने में बाधक हैं क्योंकि वह आज भी अपनी रूढ़िवादी एवं ादी संस्कृति को मजबूती से पकड़े हुए हैं।

राजनैतिक दबाव और अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा

राजनैतिक दबावों से भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार बाधित होता है। विभिन्न संस्कृतियों मिलाप को राजनैतिक दबाव कई रुपों में प्रभावित करता है। सरकार और उसकी शासन व्यवस्था, राजनैतिक दल और संगठन, राजनीतिक विचारधाराएं और ट्रीय कूटनीति आदि से किसी न किसी रूप में अन्तरर्सांस्कृतिक संचार की स्वाभाविक बाधित होती है।

.1 सरकार और उसकी नीतियाँ

विश्व के अनेक देशों की सरकारी नीतियाँ अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न ं। किसी भी देश की सरकार पर उस देश के लोगों का दबाव अपनी सभ्यता , और भाषा को संरक्षण प्रदान करने हेतु बना रहता है। यू० ए० की संचार नीतियां जनक रूप से संरक्षणवादी हुई है साथ ही दूसरों के घरेलू बाजार में घुसपैठ को बढ़ावा है। फ्रांस , कनाडा, सहित अनेक पूर्वी देशों तथा इण्डोनेशिया एवं सिंगापुर सहित के बहुत सारे देश ऐसी संचार नीतियों के निर्माण हेतु आशा लगाये हैं जो उनके देश ट्रीय अस्मिता एवं एकता को सुनिश्चित करेगी। 1989 में यूरोपीय संघ द्वारा जारी जुअल नियम के मुख्य तीन चरण हैं जो अमेरिका मीडिया के आक्रमण के विरुद्ध को संचालित करते हैं। यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करते हुए फ्रांस ने फ्रेंन्च उद्योग को सब्सिडी के साथ अनुदान देना शुरु कर दिया, जिससे अमेरिकी सिनेमा से

फ्रेंच सिनेमा की सुरक्षा हो सके। अपनी जनसंख्या पर से पश्चिमी टेलीविजन ब्राडकास्टिंग के प्रभाव को कम करने के लिए इण्डोनेशियन सरकार ने 1960 में अपना सेटेलाइट छोड़ा। वोलिबिया, कोलम्बिया, इक्वाडोर और वेनिजुएला जैसे कई देश आयात पर रोक लगा रहे हैं और अपने टेलीविजन स्टेशनों को इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि कुल कार्यक्रमों का अधिकांश हिस्सा देशी कार्यक्रमों से पूरा करें। मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टाइना, यूरुग्वे तथा कुछ अन्य देश सामुदायिक मीडिया की भूमिका सुनिश्चित करने वाले नियमों का निर्माण कर रहे हैं। ईरान की राष्ट्रीय टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान ब्राडकास्टिंग में घरेलू कार्यक्रमों की वृद्धि की जा रही है। समाचार सूचना तथा डॉकुमेन्ट्री आदि इस्लामिक समुदाय के ढांचे के अन्तर्गत बनाए तथा प्रसारित किए जाते हैं। इसी तरह के प्रयास अन्य इस्लामिक राष्ट्र भी कर रहे हैं। भारत में भी विदेशी चैनलों के प्रसार को रोकने के लिए केबुल टी.वी. अधिनियम बना। इस प्रकार वाह्य संस्कृतियों से अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्व के अधिकांश देश अपनी स्वतंत्र संचार नीति निर्माण को प्रमुखता प्रदान कर रहे हैं ।

20.5.2 शासन व्यवस्था का दबाव

विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न- भिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं।कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था, कहीं साम्यवादी व्यवस्था है तो कहीं अधिनायक तंत्र।ये सभी शासन व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में अन्तर्सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यद्यपि विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है फिर भी, जहां पश्चिमी देश शेष विश्व पर अपनी संस्कृति थोपकर विभिन्न संस्कृतियों के सहज मेल- मिलाप को बाधित कर रहे हैं वहीं विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश जनमत के दबाव में पाश्चात्य संस्कृति के प्रसार को रोकने के लिए नित्य नये -नये कानून पारित कर रहे हैं ।

अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में तो किसी भी तरह के वाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता चाहे राजतंत्र में व्यक्ति का अधिनायकवाद हो या साम्यवादी व्यवस्था में दलीय अधिनायकवाद हो या सैन्य शासन हो। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में जनता की स्वातंत्र्य चेतना को दबाए रखने के लिए उसे आयातित विचारों एवं संस्कृतियों के सम्पर्क से दूर रखने के लिए तरह -तरह के हथकण्डे अपनाये जाते हैं। जनमाध्यमों पर सेंसरशिप लागू रहता है, जनता को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है तथा तानाशाह के आदेशों को शिरोधार्य करना पड़ता है, अनेक मुस्लिम देशों में मजहबी शासन व्यवस्था है। वहां की शासन व्यवस्था मजहबी नियमों से संचालित होती है। जनता को इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए मजहबी नेताओं द्वारा फतवे जारी कर दिए जाते

व्यवस्था में किसी वाह्य संस्कृति का प्रवेश ही असम्भव है।

इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न- भिन्न शासन व्यवस्थाओं के बावजूद किसी रूप में अन्तर्सांस्कृतिक संचार बाधित होती है तथा जन माध्यमों को राष्ट्रीय कानूनों त अपने कार्यक्रमों, सूचनाओं एवं समाचारों का प्रकाशन तथा प्रसारण करना

3 राजनीतिक दलों एवं संगठनों का दबाव

किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनैतिक दलों एवं संगठनों का महत्वपूर्ण होती है। राजनैतिक दलों का गठन विचारधाराओं के आधार पर होता तांत्रिक प्रणाली में राजनैतिक दलों के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन होता है। राओं के आधार पर गठित राजनैतिक दल मोटे तौर पर तीन रूपों में दृष्टिगोचर होते पंथी, दक्षिणपंथी, और मध्यममार्गी। दक्षिण पंथी दल एवं संगठन घोर राष्ट्रवादी होते नमें अपनी संस्कृति, धर्म एवं राष्ट्रीयता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता होती है। दक्षिण किसी वाह्य संस्कृति के अतिक्रमण का घोर विरोध करते हैं। भारत में भाजपा, , मुस्लिम लीग, आदि राजनैतिक दल एवं राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ जैसे संगठन टे के हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में नाजीवादी और इटली में फासीवादी घोर राष्ट्रवादी थे। भारत के दक्षिणपंथी दल लोकतांत्रिक साधनों से अपने लक्ष्य ओर अग्रसर है जब कि जर्मनी और इटली के दक्षिण पंथी ताना शाहों ने क्रूरता और का भी सहारा लिया। विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह के दल एवं संगठन मौजूद हैं। क देशों में अधिकांश संगठन एवं राजनीतिक दल इस्लाम के नियमों के अनुकूल व्यवस्था के हिमायती हैं। इन देशों में इस्लाम धर्म एवं संस्कृति की विचारधारा ही राजनीति की मुख्य धारा है।इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त पश्चिमी देशों में भी ा - स्वरुप दक्षिण पंथी विचारधारा तेजी से जोर पकड़ रहा है।

विश्व के विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्न - भिन्न विचारधाराओं वाले क दल किसी न किसी रुप में अन्तर सांस्कृतिक संचार को प्रभावित करते हैं। थी दल अपनी संस्कृति, अपने धर्म एवं राष्ट्र के प्रति घोर आग्रही होते हैं तथा किसी र्म, संस्कृति के अतिक्रमण का प्रबल विरोध करते हैं। जैसे भाजपा एवं शिवसेना यकों के तुष्टीकरण का घोर विरोध करते हैं तथा हिन्दूराष्ट्रवाद उनका मुख्य क एजेण्डा है वहीं वाम पंथी एवं मध्यम मार्गी दलों का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास र भी अल्प संख्यकों की ओर विशेष झुकाव बना रहता है। इस प्रकार सभी राजनीतिक र सांस्कृतिक संचार की सहज प्रक्रिया को किसी न किसी रुप में बाधित करते हैं। क देशों एवं संगठनों को बड़ी मुश्किल से जन- समर्थन प्राप्त हो पाता है। इन देशों

के राजनीतिक दलों का मुख्य एजेण्डा ही गैर - इस्लामिक विचारधारा का विरोध है। देशों में गैर इस्लामिक विचारधारा के प्रतीकों को भी नष्ट कर देने का जनदबाव राजनीतिक दलों एवं संगठनों पर बना रहा है।अफगानिस्तान में बुद्ध प्रतिमा को नष्ट कर देना इसका प्रमाण है । इस्लामिक देशों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रायः आतंकवाद का भी सहारा लिया जाता है। पश्चिमी देशों में भी धार्मिक सांस्कृतिक अतिवादिता बढ़ती जा रही है। जनमाध्यमों पर भी इन विचारधाराओं का प्रबल प्रभाव है। अखबार एवं अन्य माध्यम भी इन वैचारिक दलों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर कई खेमों में बंटकर अपने खेमे की विचार धारा का संवाहन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्सांस्कृतिक संचार की सहजता बाधित होती हैं।

20.5.4 राजनीतिक विचारधाराओं का दबाव

राजनीतिक विचारधाराओं एवं सिद्धान्तों का दबाव भी अन्तर्सांस्कृतिक संचार को बाधित करता है। सम्पूर्ण विश्व की राजनीति वैचारिक दृष्टि से मोटे तौर पर दो भागों में बंटी है :- पूंजीवाद एवं साम्यवाद । पूंजीवाद सिद्धान्त को मानने वाले शिविर को साम्राज्यवादी तथा साम्यवादी सिद्धान्त को मानने वाले शिविर को साम्राज्य विरोधी शिविर कहा गया है। इन दोनों शिविरों से पृथक एवं स्वतंत्र रहने वाले राष्ट्रों को तटस्थ कहा जाता है।1949 में माओ ने घोषणा की थी - "तटस्थता धोखे की टट्टी है और तृतीय वर्ग की कोई सत्ता नहीं है।" तटस्थ देश इन दोनों विचारधाराओं के समिश्रित राजदर्शन एवं अर्थव्यवस्था को अपनाये हैं।

पूंजीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि अमेरिका एवं विकसित राष्ट्र हैं जो अपनी संस्कृति को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस समाचार माध्यमों एवं समाचार समितियों द्वारा शेष विश्व पर थोपने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं । इनका उद्देश्य विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का सहज सम्मिलन नहीं, अपितु अन्य संस्कृतियों को नष्ट करके पश्चिम के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को स्थापित करना है। साम्यवादी विचारधारा के प्रतिनिधि पूर्व सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय लोकतंत्र एवं चीन है, जो किसी भी वाह्य संस्कृति के प्रभाव से देश को बचाए रखने हेतु मजबूत किलेबन्दी किए हैं। इन देशों का राज्य नियंत्रित जन माध्यम उन्हीं समाचारों एवं विचारों को सम्प्रेषित करता हैं जिसकी अनुमति राज्य देता है। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं से अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया बाधित होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी खेमा कमजोर हो गया और विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गयी। इसके परिणाम -स्वरुप पश्चिम के विकसित देश पूरे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति में रंग देने को आतुर है। इस व्यवस्था में अन्य संस्कृतियों के लिए कोई स्थान नहीं हैं।

20.5.5 अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव

अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबावों का प्रभाव अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच कूटनीतिक द्वन्द विगत कई

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह के मुद्दे पर चल रहा है। जहां एक ओर अमेरिका एवं अन्य विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के स्वतंत्र प्रवाह का प्रबल समर्थन कर रहे हैं, वहीं ल एवं अविकसित देश विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से सूचना के स्वतंत्र एवं संतुलित जोर दे रहे हैं।

र्तमान समय में सूचना एवं समाचारों का वितरण समृद्ध देशों की कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय के हाथ में है। समाचारों के प्रवाह पर पश्चिमी देशों की समाचार समितियों का है जिसका मतलब विचारों एवं सोच की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करना है। सूचनातंत्र ण से विकसित देश पूरे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने का बीडा उठा रखे मी देशों का अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सूचना के स्वतंत्र प्रवाह का पुरजोर समर्थन करना क वर्चस्व स्थापित करने का कूटनीतिक प्रयास है। वहीं दूसरी ओर विकासशील एवं त देशों का वैश्विक स्तर पर नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की मांग 70 के बाद तेजी से की जाने लगी है। विकासशील देशों के कूटनीतिक प्रयास के परिणाम- यूजपूल की स्थापना, मैकब्राइड कमीशन का गठन एवं यूनेस्को द्वारा नई विश्व वं संचार व्यवस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई. पी.डी.सी.) की स्थापना की ग्रपि सोवियत संघ के विघटन के बाद विकासशील देशों के प्रयास को झटका लगा, भी भी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंचों से विकासशील देश अपने हितों की रहे हैं।

सोवियत संघ के विघटन के बाद विकासशील देशों का कूटनीतिक प्रतिरोध कमजोर पाश्चात्य विकसित देश अपने कूटनीतिक प्रभाव से सूचना के स्वतंत्र एक तरफा यथा स्थिति बनाए रखने में सफल होते नजर आ रहे हैं। इसके परिणाम- स्वरुप कृतिक संचार की प्रक्रिया बाधित हो रही हैं।

सारांश

अन्तर्सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया बाधित करने के अनेक कारक हैं। यदि धार्मिक उत्पन्न बाधाओं को देखा जाय तो उसमें धार्मिक आधार पर जनसंख्या का वितरण, यक मनोविज्ञान, धर्मप्रसार एवं धर्मान्तरण, धार्मिक कार्य एवं प्रतीक, धार्मिक मताग्रह संस्थाएं एवं धार्मिक आतंकवाद प्रमुख हैं। आर्थिक दबावों में कारपोरेट पूंजीवाद, ीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव एवं प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर समाज , मुख्य न्र्सांस्कृतिक संचार को बाधित करते हैं। राजनैतिक दबावों में सरकार और उसकी शासन व्यवस्था राजनैतिक दल एवं संगठन, राजनीतिक विचारधाराएं एवं अन्तर्राष्ट्रीय आदि प्रमुख हैं जो सांस्कृतिक मेल- मिलाप में कभी -कभी बाधक बन जाते हैं।

20.7 शब्दावली

कूटनीति - राजनय, व्यवहार कौशल, दांव पेंच की चाल, छिपी हुई चाल।

20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

राजनीतिक सिद्धान्त - गांधी जी राय

राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त - प्रो. रघुवीर सिंह तोमर

20.9 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. दबाव का अर्थ बताइये ।
2. दबाव समूह की विशेषताएं बताइये ।
3. अल्पसंख्यक मनोविज्ञान पर संक्षिप्त लेख लिखें ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के बारे में लिखें ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. दबाव का अर्थ बताते हुए दबाव समूह पर प्रकाश डालिए।
2. धार्मिक दबाव का अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर प्रभाव की व्याख्या करें।
3. आर्थिक दबाव किस प्रकार अन्तर्सांस्कृतिक संचार में बाधा उत्पन्न करता है। स्पष्ट करें।
4. राजनैतिक दबावों का अन्तर्सांस्कृतिक संचार पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट करें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. दबाव है

(क) संज्ञा (ख) क्रिया (ग) सर्वनाम (घ) विशेषण

२. 'दबाव समूह' अध्ययन का विषय है

(क) विज्ञान (ख) कला (ग) राजनीति शास्त्र (घ) साहित्य

३. धार्मिक आतंकवाद जन्म लेता है

(क) धार्मिक समरसता से (ख) धार्मिक कट्टरता से

(ग) साम्प्रदायिक सद्भाव से (घ) जातीय सद्भाव से

४. "तटस्थता धोखे की टट्टी है और तृतीय वर्ग की कोई सत्ता नहीं है कहा था

(क) मार्क्स (ख) लेनिन (ग) स्टालिन (घ) माओत्से तुंग

प्रश्नों का उत्तर

१. (क) २. (ग) ३. (ख) ४. (घ)

Notes

M.J.M.C. -06

विश्व-संचार : अवधारणा एवं आयाम

तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

ण्ड

05

श्वीकरण एवं मीडिया

काई-21 5

स्कृति, संचार एवं लोक माध्यम

काई-22 19

गीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं : अन्तर सांस्कृतिक संचार
उपकरण के रूप में

काई-23 40

व संस्कृति का संवाहक मीडिया

काई-24 52

न्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था

काई-25 73

श्वीकरण : त्रिविध आयाम

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा	-	पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी	-	हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा	-	पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह	-	पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार	-	हिन्दुस्तान (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. ए. के. सिंह, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2013
मुद्रक : नितिन प्रिन्टर्स, 1 पुराना कटरा, इलाहाबाद।

ड-5 खण्ड परिचय : 'वैश्वीकरण एवं मीडिया'

'वैश्वीकरण एवं मीडिया' के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं :-

1- संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम

2- संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएँः अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में

3- नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

4- अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था

5- वैश्वीकरण : विविध आयाम

संचार मानव की मूलभूत आवश्यकता है, संचार से ही संस्कृति प्रवहमान रहती है। मनुष्य संचार अपनी संस्कृति से दूसरों को परिचित कराता है तथा दूसरी संस्कृतियों से वह स्वतः परिचित होता है। संगीत, नृत्य, संचार के प्रमुख प्रभाकारी उपकरण हैं।

सम्प्रति नव संस्कृति का प्रभुत्व है जिसमें प्राचीनता का लोप और आधुनिकता का वर्चस्व है। ोगीकरण एवं अर्थव्यवस्था नव संस्कृति के आधार हैं। समय के प्रवाह और नित-नूतन संचार रणों के आविष्कार ने अन्तर राष्ट्रीय संचार को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। आर्थिक उदारीकरण के दौर ा विश्व अर्थ आधारित हो गया है। मैकब्राइड आयोग गुटनिरपेक्ष समाचार समिति पूल नई विश्व ा एवं संचार व्यवस्था की जानकारी इस खण्ड में दी गई है। अंतिम इकाई में आधुनिक वैश्वीकरण विविध आयामों पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है।

खण्ड- 5

"यह (संचार पर नियंत्रण) विश्व व्यापार के सर्वेक्षण की क्षमता प्रदान करता है........उन गतिविधियों में तेजी ला देता है जो उसके नियंता के हित में होती है।"
बिजनेस वीक (अमरीका)

● ● ●

"बड़े बड़े कारखानों में बने उपभोक्ता सामानों के लिए बनी बाजार व्यवस्था अब दुनिया के पैमाने पर विचार, स्वाद, पसंद, श्रद्धा और विश्वास की बिक्री के लिए इस्तेमाल की जा रही है।"

● ● ●

"विकसित पूंजीवाद के वर्तमान दौर में सूचना का उत्पादन और विराम एक अनिवार्यता है। "

● ● ●

"पाश्चात्य विकसित राष्ट्रों में बने संवाद, विचार, अवधारणा, जीवन-शैली और सूचना तकनीक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे जा रहे हैं। विश्व स्तर पर उनका अन्धानुकरण भी हो रहा है।"

● ● ●

"No distance breaks the tie of blood; Brothers are brothers evermore.

- Keble

काई - 21 संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम

ाई की रूपरेखा

.0 उद्देश्य

.1 प्रस्तावना

.2 संस्कृति

21.2.1 संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति

21.2.2. भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि

21.2.3 भारतीय संस्कृति में लौकिकता

21.2.4 लोक संस्कृति की विशेषता

.3 संस्कृति एवं संचार का अन्तर्सम्बन्ध

.4 लोक माध्यम

21.4.1 लोक संचार (माध्यम) की विशेषता

21.4.2 लोक माध्यमों के प्रकार

21.4.3 लोक माध्यमों की उपयोगिता

.5 सांस्कृतिक संचार और लोक माध्यम

.6 सारांश

.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

.8 प्रश्नावली

21.8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

21.8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

21.8.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

21.8.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

21.0 उद्देश्य

संस्कृति संचार एवं लोक माध्यम इस इकाई का उद्देश्य आपको संस्कृति, विशेषकर भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से समझाना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे -

1. संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में
2. संस्कृति और संचार के अन्र्तसम्बन्ध के बारे में
3. लोक माध्यमों के बारे में
4. संस्कृति और संचार के सन्दर्भ में लोक माध्यमों की उपयोगिता के बारे में

21.1 प्रस्तावना

संस्कृति का सीधा सम्बन्ध मानव समाज से हैं और संचार मानव की मूलभूत आवश्यकता है। संचार के द्वारा ही संस्कृति सतत् प्रवाहमान रहती है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण संचार के द्वारा ही सम्भव है। मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभव को विरासत में प्राप्त हुई पारम्परिक संस्कृति में जोड़ कर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है। इस प्रकार पारम्परिक संस्कृति काल के प्रवाह के साथ समृद्ध होती जाती है। संस्कृति के संरक्षण और हस्तान्तरण में संचार के लोक माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक माध्यम क्या है, उनकी क्या विशेषता है तथा संचार क्रान्ति के वर्तमान युग में संस्कृति के संचरण में उनकी क्या भूमिका है, इन्हीं सब बातों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में आप करेंगे।

21.2 संस्कृति

सामान्य रूप से संस्कृति का तात्पर्य संस्कार से लिया जाता है। जिस मानव समाज का आचरण जितना अधिक संस्कार- युक्त होता है उस समाज की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध होती है। साहित्यिक एवं दार्शनिक अर्थों में संस्कृति का तात्पर्य शिक्षण-प्रशिक्षण से प्राप्त शिष्ट एवं नैतिक आचरण से लिया जाता है। समाज वैज्ञानिकों एवं मानव शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य ने जीवन यापन के लिए जो तरीके अपनाए वे ही कालान्तर में संस्कृति के नाम से जाने गए। हर पीढ़ी ने इसमें अपने देश, काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन किए और इस प्रकार समय के साथ संस्कृति समृद्ध होती गई। संस्कृति सीखी जाती है।मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस परिवेश में पलता है, जहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, समाज में जो व्यवसाय अपनाता है उन सभी का प्रभाव उस पर पड़ता है । इस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन काल में ही अनेक प्रकार के सांस्कृतिक समूहों के सम्पर्क में आता है, प्रभावित

है और आवश्यकतानुसार अपनाता है।इस प्रकार मनुष्य संचार के द्वारा अपनी संस्कृति रों को परिचित कराता है और दूसरी संस्कृतियों से परिचित भी होता है।

.1 संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति

मानव जीवन में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सन्दर्भ में तो का सम्पूर्ण जीवन संस्कृति के घेरे में बंधा हुआ है। भारतीय संस्कृति में धर्म का पूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति धर्म के आवरण से ढकी हुई है। इसकी प्राचीनता दित है-

भारत में चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के राज ालय से प्राप्त एक वंशावली को अपने ग्रन्थ में लिखा है। जिसमें 154 राजाओं के राज्यकाल वर्ष 3 माह तक के शासन को मेगस्थनीज ने उदधृत किया है। इसमें एक आश्चर्य की , माह की भी गणना की गयी।चन्द्रगुप्त के शासन काल (321 ई. पू.) को लगभग 2324 त चुके हैं। इस प्रकार सन् 2005 तक भारत का कुल इतिहास (मेगस्थनीज को जोड़कर) वर्ष का हुआ। (मेगस्थनीज की सूचना के अनुसार 6451 + 321 ई. पू. मेगस्थनीज का समय + ईसा पूर्व से अब तक 2005 वर्ष) जबकि इतिहास ईसा पूर्व 5550 वर्ष और न 2005 वर्ष जोड़कर कुल 7555 वर्ष का इतिहास हुआ। इस प्रकार भारत का इतिहास के इतिहास से (8777--7555= 1222) वर्ष प्राचीन है।

धार्मिक सम्प्रदायों में हिन्दू पारसी, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान प्रमुख है। भी इन्हीं की शाखाएं हैं। इन धार्मिक सम्प्रदायों में पारसी धर्म से ही क्रमशः यहूदी, तथा मुसलमान धर्म हुए हैं। बौद्ध और जैन धर्म, हिन्दू धर्म की शाखा के रूप में हैं। धर्म का ग्रन्थ जेंद अवेस्ता और हिन्दू धर्म के ग्रन्थ वेद में परस्पर समानता है। पारसी न्थों में पूर्वी हिन्दू व पश्चिमी हिन्दू नाम से भारतीय एवं पारसीक जातियों के लिए उल्लेख है। इन दोनों का हिन्दू रक्त एक ही है किन्तु इनका भौगोलिक क्षेत्रीय विभाजन पूर्वी और पश्चिमी हिन्दू के नाम से उल्लेख किया गया है।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव इससे समझा जा सकता है कि मिस्र में एल -अर्मना स्थान में मिट्टी की पट्टिका खण्ड पर बेबिलोनिया की लिपि प्राप्त हुई है। जिस पर नाम से मिलते जुलते नाम हैं- जो बेबिलोनिया नरेशों के हैं- अर्तमन्य, अजीविय, त, शुतर्न आदि।

1400 ई. पू. एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से एक लेख मिला है जिसमें देवताओं के नाम इन्द्र, मित्र, वरुण, नासत्यौ (अश्विन कुमार) का नाम मिलता है। यूनान, रोमा सब मिट गए जहाँ से" पर हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीनतम होने के बाद आज मिट है, अमर है।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय संस्कृति जिसे प्राचीन समय से हिन्दू संस्कृति कहा गया, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यहीं के देवताओं को देवता मानकर सभी सभ्यताओं में पूजा गया। अतःहिन्दू संस्कृति या भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्व की आदि संस्कृति है।

21.2.2 भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि

विदेशी इतिहासकारों ने भारत को एक देश न मानकर अनेक देशों से युक्त, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा। उन्होंने भारत को अजायबघर (संग्रहालय) कहा, जहाँ भिन्न -- भिन्न जातियाँ, भाषाएँ एवं रीति- रिवाज के लोग रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को ही भारत कहा गया है जिसमें छः देश हैं।

1. भारत 2. बंग्लादेश 3. भूटान 4. नेपाल 5. पाकिस्तान 6. अफगानिस्तान

भारतीय उपमहाद्वीप ही भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि है।

विदेशी इतिहासकारों ने कई देशों का समूह कहा, उनका यह कथन भ्रामक है। क्योंकि हमारी संस्कृति, एक है, भारत, विविधता में एकता का जीता - जागता उदाहरण है।

विष्णु पुराण में लिखा है -

"उत्तरम् यत् समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम्

वर्षम् तद् भारतम् नाम भारतीयत्र सन्तति।"

"यह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहा जाता है जहाँ की सन्तानें भारतीय कहलाती हैं।"

कालिदास ने लिखा है -- "पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डण्डा।"

भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत द्वारा साइबेरिया की ठण्डी हवाओं से अपने देश की रक्षा होती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा भारत का उत्तरी मैदान या गंगा यमुना का मैदान संसार का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट (गौरी शंकर) हैं। उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रेणियों में खैबर, बोलन, गोमल, कुर्रम, टोची, आदि ऐतिहासिक दर्रे हैं। ऋग्वेद में मूजवन्त नामक हिमालय की चोटी का उल्लेख है । जो "सोम" के लिए प्रसिद्ध थी।

हिन्दू शब्द की उत्पत्ति "सिन्धु" से ही हुई है। फारसी में हिन्दू, यूनानी में इंडोस, हिब्रु में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीन में हिएन--तू या तिएन--चू आदि । इन सभी शब्दों की

त्ति सिन्धु नदी के सिन्धु शब्द से हुई है जिसका प्रयोग उन्होंने भारत के लिए या भारतीयों लिए किया। सिन्धु नदी के सिन्धु शब्द से हिन्दू बना और हिन्दुओं के रहने के स्थान अरबवासियों ने हिन्दुस्तान कहा। पश्चिमी लोगों ने सिन्धु को हिन्दू या इन्दू कहा। इसी इन्दू को इन्डु , इण्डस या इण्डोस कहा और इसी शब्द से इण्डिया बना। भारत को डया यूनानियों ने कहा।

विष्णु पुराण में लिखा है कि "वह देश जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के ण में स्थित है उसे भारतवर्ष कहा जाता है जहाँ की संतानें भारतीय कहलाती है।"

मनुवंशी ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा।

ीन भारत का क्षेत्रीय विभाजन

प्राचीन भारतीय साहित्य में भारत का क्षेत्रीय विभाजन इस प्रकार है--

आर्यावर्त - 150 ई.पू. के समय आर्यावर्त प्रदेश दक्षिण में विन्ध्य पर्वत से उत्तर में हिमालय पर्वत तक तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ी (कालक वन) से पश्चिम में अरावली की पहाड़ी (आदर्शावली) तक था।

ब्रह्मवर्त - ऋग्वैदिक काल में सरस्वती (घग्घर) एवं द्वषद्वती (चैतंग) नदियों के मध्य का भूभाग। ऋग्वैदिक काल में दशराज्ञ युद्ध (ऋग्वेद का 7वां मण्डल) इसी क्षेत्र में हुआ था।

मध्य देश - सिन्धु नदी व गंगा नदी के बीच का भू -भाग

उत्तरापथ - विन्ध्य के उत्तर भू- भाग से हिमालय तक का प्रदेश।

दक्षिणापथ - विन्ध्य के दक्षिण एवं कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा गया

पूर्वी देश -गंडक नदी (सदानीरा नदी) के पूर्व के क्षेत्र को पूर्वी देश कह गया।

बह्मर्षि देश - थानेश्वर (दिल्ली के पास) से पूर्व में राजमहल की पहाड़ी (भागलपुर) तक।

2.3 भारतीय संस्कृति में लौकिकता

देश काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ भिन्न हुआ करती विश्व की समस्त प्राचीन संस्कृतियों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो प्रत्येक की संस्कृति में भारतीय संस्कृति के बीज निहित मिलते हैं। मिस्र, असीरिया, ईरान, लोनिया, चीन और रोम की संस्कृति बहुत पुरानी मानी जाती है। किन्तु इन देशों में प्राप्त तत्व सामग्री में भारतीय संस्कृति का व्यापक और प्रमुख प्रभाव है। मिस्र का हीलोलिन

(हलिन), ईरान का अहुरमज्द (असुरमहत्), मिस्र का ओसारिस (उषारस) आदि भारतीय वैदिक देवता है। पाली ग्रन्थ 'बाबरू जातक' में बेबीलोनिया की कथाएँ हैं। वहाँ मयूर पक्षी नहीं होता था, वह यहीं भारत से ले जाया गया है। संस्कृति की परिभाषा या उसका स्वरूप अध्ययन से नहीं वरन् अनुभव से जाना जाता है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है, इतना कह देने या सुन लेने मात्र से गुड़ का मिठास का परिचय नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करने से माधुर्य का वास्तविक बोध होता है।

'संस्कृति' में परिवर्तन और परिवर्द्धन काल- क्रमानुसार हुआ करते हैं किन्तु उसकी सत्ता सदैव अक्षुण्ण रहा करती है। संस्कृति मरती नहीं, मिटती नहीं। इतिहास के उदय काल से अब तक की भारतीय संस्कृति का समालोचन करने से यह बात बहुत सरलता से स्पष्ट होती है। वैदिक युग में वैदिक (आर्य) और अवैदिक (अनार्य) दो संस्कृतियों का संघर्ष भारतवर्ष में रहा। तमिल संस्कृति जिसे द्रविड़ सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है, से वैदिक संस्कृति का सर्वप्रथम संघर्ष आरम्भ होता है। उपनिषद् काल, स्मृति काल, सूत्रकाल, पुराणकाल, तंत्रकाल, बौद्धकाल और मध्य काल से अब तक लगातार यह संस्कृति संघर्ष चल रहा है, किन्तु इतने पर भी हमारी भारतीय संस्कृति विनष्ट नहीं हुई। हाँ, विकास भले ही इसमें उत्पन्न हो गये हैं। यूनान, मिस्र, रोम और चीन की प्राचीन संस्कृतियां लुप्तप्राय हो गयी हैं, किन्तु हमारी भारतीय संस्कृति अपनी सत्ता ज्यों की त्यों सुरक्षित बनाये हुए हैं, इसलिए कि भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक संस्कृति है । यही इसका वैशिष्ट्य है।

भातीय लोक संस्कृति की आत्मा साधारण जनता है, जो नगरों से दूर गांवों, वन - पर्वतों में निवास करती हैं। 'आत्मौपम्येन सर्वत्र' यही भारतीय लोक संस्कृति का सिद्धान्त है।इसी सिद्धान्त का स्वभावतः पालन करती हुई भारतीय साधारण जनता ब्रह्मतत्व और मायातन्त्र को अनजाने समझती हैं। भारतीय ग्रामवासिनी -संस्कृति के मूलाधार , जिन्हें आजकल की परिभाषा में अपढ़ बनेचर कहा जाता है, भारतीय संस्कृति के जीवित, जाग्रत प्रहरी हैं। जिस मायातत्व को हर्बर्ट स्पेन्सर आजीवन समझने में असमर्थ रहा, उसे हमारे अपढ़ भारतीय किसान सरलता से समझते हैं। भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षक, प्रतिष्ठापक ये ग्रामीण, परमहंस अथवा अबोध बालक की भाँति स्वयं अपने को कुछ भी नहीं समझा करते। इनमें मर्म ओर वास्तविक स्वरूप का अध्ययन मननशील विद्वान ही समझते हैं। लोक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को जो सब से महत्वपूर्ण दान दिया है, वह है, 'आत्मीयता'। अपने समान सभी को समझना यह भाव भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की संस्कृति में नहीं है। बहुत दिन पहले जर्मन तत्ववेत्ता पॉलडूसेन भारत आया हुआ था।

21.2.4 लोक संस्कृति की विशेषता

भारतीय लोक संस्कृति की यह अनवद्य विशेषता कथा- प्रणाली द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं, तीर्थाटन, व्रत, उत्सव और पर्वों की जो प्रणाली परम्परागत

ो आ रही है, उसी से लोक संस्कृति का सम्पादन हुआ है। इस प्रशस्त प्रणाली ने, भारतीय वन, भारतीय संस्कृति और भारत देश को प्राणवान् एवं जाग्रत बनाये रखने में बड़ा 'योगदान ा है। कैलाश से कन्याकुमारी और परशुराम कुंड (आसाम) से सिन्धु तक की भाषा, रहन न की विभिन्नता होते हुए भी तीर्थाटन प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न बनाये हुए लोकगीत, लोकचित्र, लोकनृत्य, लोकाभिनय और लोकचर्चाएँ आदि सभी कथाप्रणाली से द्भूत हैं। इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक इतिहास को जनसाधारण के मानस पट ऐसा अंकित किया है कि उसे काल , परिस्थिति की हरताल मिटा नहीं सकती। कवीन्द्र न्द्र जब प्रथम बार यूरोप भ्रमण करने गये थे, उसी यात्रा के प्रसंग में उन्होंने 'यूरूप प्रवास और यूरोप' यात्री डायरी दो पुस्तकें भी लिखी है। लिवरपूल या मैनचेस्टर के देहातों में घूमते टैगोर ने रास्ता चलते हुए कुछ लोगों से पूछा कि - 'तुम ईसाई हो ? उन्होंने कहा कि 'हमने पकी बात नहीं समझी।' टैगोर ने कहा कि 'तुम ईसा क्राइष्ट को जानते हो?' उन लोगों ने ा कि 'क्या वह कोई कुली हैं'? अपने देवता और धर्म के प्रति इस प्रकार की अज्ञानता उस की साधारण जनता की है, जो आज विश्व में अपनी सभ्यता की उच्चता का ढिंढोरा पीट ा है। लेकिन भारत के जंगली अपढ़ व्यक्ति से भी यदि राम और कृष्ण के संबंध में पूछा य तो वह व्यास, वाल्मीकि और तुलसी के भावों के साकार रूप प्रस्तुत कर देगा, क्योंकि क संस्कृति द्वारा वह शिक्षित और चैतन्य बनाया गया है। लोक संस्कृति में ऐसे प्राणदायी त हैं जो भारतीय जन जीवन और भारतीय संस्कृति को सशक्त एवं प्राणवान् बनाये हुए

लोक संस्कृति और लोकेतर संस्कृति में उतना ही अन्तर है जितना श्रद्धा और तर्क, हज और सजावट में होता है। लोक संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती है; लोकेतर स्कृति आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत बल्बों से प्रदीप्त रों में निवास करती हैं। लोक संस्कृति के उपासक या संरक्षक बाहर की पुस्तकें न पढ़कर दर की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके हृदय सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदैव फूले रहते हैं लोकेतर स्कृति के उपासकों संरक्षकों में धन, पद, शिक्षा का स्वाभिमान रहता है; उनके हृदयों में तर्क चिनगारियाँ सुलगती रहती हैं। लोक संस्कृति की शिक्षा प्रणाली में श्रद्धा भक्ति की थमिकता रहती है। उसमें अविश्वास, तर्क का कोई स्थान नहीं रहता। इसी से ज्ञान और द्धि की सहज प्राप्ति भी होती है। 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः' यह सिद्धान्त क संस्कृति के उन्नायक भगवान कृष्ण के मुख से उच्चरित हुआ है। लोक संस्कृति में श्रद्धा वना की परम्परा शाश्वत है; वह अन्तः सलिला सरस्वती की भाँति जनजीवन में सतत ाहित हुआ करती है।वस्तुतः लोक संस्कृति एवं लोकेतर तथा विश्व की सभी संस्कृतियों बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही यह विभिन्न रूप धारण रता है। जैसे जल वास्तव में एक ही है, किन्तु उसके बूंद नीम के वृक्ष में पड़कर कड़वाहट ा करते हैं और आम के वृक्ष में पड़कर वही रसाल बन जाते हैं। यह बीज लोक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति और भारत देश को जीवन्त बनाये हुए हैं, इसलिए कि इसमें

जीवन हैं, प्राणद स्पर्श और समन्वय के अनंत स्रोत हैं अतएव इस यथार्थ संस्कृति का संरक्षण संवर्द्धन करना हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है।

21.3 संस्कृति और संचार का अन्र्तसम्बन्ध

संस्कृति और संचार दोनों का सम्बन्ध मनुष्य से है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वतः हस्तान्तरित नहीं होती बल्कि संचार के माध्यम से अगली पीढ़ी तक हस्तान्तरित की जाती है। एक नवजात शिशु अपने परिवार की संस्कृति अपने माता पिता के मौखिक संचार से सीखता है। जब वह स्कूल जाता है तो उस समूह की संस्कृति सीखनी पड़ती है। उच्च शिक्षा के लिए वह विश्वविद्यालय में जाता है और वहां की संस्कृति से परिचित होता है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात समाज में वह किसी न किसी व्यवसाय में लगता है और एक नए प्रकार की व्यवसायिक संस्कृति से परिचित होता है। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान उसे मौखिक और लिखित (मुद्रित) संचार माध्यम से होता है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट होता है कि संस्कृति की निरन्तरता बनाए रखने के लिए संचार आवश्यक है।

एक संस्कृति अपने प्रचार प्रसार के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करती है। संचार के द्वारा ही मनुष्य विभिन्न संस्कृतिययों के गुण -दोष की विवेचना करने में सक्षम होता है। इस गुण- दोष विवेचन के आधार पर ही हम किसी संस्कृति को श्रेष्ठ बता सकते हैं। यह क्षमता भी मनुष्य को संचार माध्यमों से ही प्राप्त होती है।

जिस समाज (देश) की संस्कृति जितनी समृद्ध होगी वहां के संचार माध्यम भी उतने ही परिष्कृत होंगे। परिष्कृत संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार- प्रसार करके हम इसकी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं। संस्कृति ही मनुष्य के जीवन स्तर में परिवर्तन लाती है। संचार माध्यमों के द्वारा दूसरी श्रेष्ठ संस्कृति के बारे में जानकर हम उसे अपना सकते हैं। संस्कृति और संचार दोनों ही विकास की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति और संचार मानवीय परिप्रेक्ष्य में एक- दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।

21.4 लोक माध्यम

संचार के लोक माध्यम आदि काल से ही अस्तित्व में है। जन सामान्य ने आदिम युग में संचार के लिए गीत, संगीत, संकेतों, प्रतीकों आदि का आश्रय लिया था और ये माध्यम आज भी यथावत प्रचलित हैं। मुद्रित माध्यम शिक्षित समाज में संचार की भूमिका निभाते हैं किन्तु लोक माध्यम शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही समाज में सन्देश सम्प्रेषित करने में समर्थ हैं। संचार के लोक माध्यमों में गीत संगीत, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक नाट्य, धार्मिक कथा प्रवचन, वार्ता, पर्यटन, यात्रा वृत्तान्त आदि लोक माध्यमों के प्रचलित रूप हैं।

माध्यमों की यह अद्भुत विशेषता होती है कि जिस समाज में सन्देश का सम्प्रेषण ा होता है उस समाज की भाषा और परिवेश में ही सन्देश प्रसारित किए जाते हैं। यही ण है कि लोक माध्यम सन्देश सम्प्रेषण में सार्थक और प्रभावी भूमिका का निर्वहन हैं। लोक माध्यमों की पहुँच सर्वत्र है। यह भी इनकी सार्थकता का ही प्रमाण है।

4.1 लोक माध्यमों की विशेषताएं

लोक संचार एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। इसमें न तो व्यावसायिक अथवा कुशल षक होते हैं और न स्पष्ट एवं सुनिश्चित संचार। इसमें सामाजिक स्थिति एवं सम्बन्ध के र पर सम्प्रेषण की प्रक्रिया सम्पादित होती हैं। लोक संचार की विषयवस्तु भी उसी सामाजिक श से जुड़ी होती है। इसमें सम्प्रेषक एवं श्रोता की सामाजिक स्थिति के अनुरूप संचालित है। इसमें घटना के स्रोत से भी जुड़ाव रहता है।'

यदि सामाजिक व्यवहार को देखें तो स्पष्ट होता है कि वर्तमान समाज में लोक संचार क्रिया विद्यमान हैं। इसे हम आधुनिक संचार प्रक्रिया की समानान्तर प्रक्रिया कह सकते स की कुछ प्रमुख विशेषताएं (Characteristics) इस प्रकार हैं--

निरंतरता (Continuity) :- लोक माध्यम की मुख्य विशेषता निरंतरता है। यह किसी सी रूप में प्रत्येक समय अथवा समाज में हमें प्राप्त होती है।

व्यवसाय रहित (Non professional):- लोक संचार मूलतः गैर व्यवसायिक प्रकृति ोता है। इसमें आधुनिक व्यावसायिक संचार प्रक्रिया की भांति नियोजन आदि नहीं । यह वास्तव में समाज की स्वतः स्फूर्त सम्प्रेषण व्यवस्था का अंग होता है।

यान्त्रिकता रहित (Non Mechanical) :- लोक संचार प्रक्रिया में अति यान्त्रिकता योग नहीं होता। समाज अपने उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के अनुरूप इसे संचालित है। यान्त्रिकता की स्थिति में यह लुप्त हो जाता है।

परस्पर की सम्बद्धता (Close Relationship):- इस प्रकार की संचार व्यवस्था में द्ध लोगों में परस्पर निकट का सम्बन्ध होता है। परस्पर की अनुभूति एवं भावना के आधार स के श्रोता तथा सम्प्रेषक परस्पर जुड़े होते हैं।

निरपेक्ष संदेश (Absolute Message):- लोक संचार में संदेश का स्वरुप निरपेक्ष आदर्शात्मक होता है। क्योंकि नकारात्मक संदेशों की मात्रा परम्परागत सम्प्रेषण प्रक्रिया ीं हो सकती है। इससे भी यह स्पष्ट है कि परम्परागत संचार के संदेश निरपेक्ष होते हैं।

लगाव एवं आकर्षण (Attachment and Attraction) :- लोक संचार के प्रति सम्बद्ध के लोगों में लगाव एवं आकर्षण का भाव पाया जाता है। लोग परम्परागत संचार के ों के अनुरूप अपना मार्ग भी तय करते हैं।

(छ) व्यवहार का नियंत्रण (Control of Behaviour):- लोक संचार प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक समाज में मानव व्यवहार का नियंत्रण किया जाता हैं। यह संचार उचित- अनुचित सत्य - असत्य आदि रूपों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है।

(ज) सामाजिक स्तर का प्रभाव (Impact of Social Status):- लोक संचार में सामाजिक स्तर की भी भूमिका मुख्य होती है। इसी स्तर के अनुसार परम्परागत सम्प्रेषण प्रक्रिया में सूचनाओं का आदान- प्रदान होता है।

(झ) परम्परागत संदेश (Traditional Message):- लोक व्यवहार , मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा आदि से सम्बद्ध संदेश प्रचारित तथा प्रसारित होते हैं। इसमें धार्मिक कहानी किस्से आदि भी सम्मिलित हैं।

(ञ) परम्परागत माध्यम (Traditional Media):- परम्परागत संचार के वाहक या माध्यम भी परम्परागत होते हैं । आधुनिक समय में भी हम उनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे नृत्य, नाटक, कठपुतली, रामलीला, मूर्ति, कथा, वार्ता, संगोष्ठी, उत्सव, भंगाड़ा, ढोल, बांसुरी, आदि। परम्परागत माध्यमों का महत्व वर्तमान में भी है ।

21.4.2 लोक माध्यमों के प्रकार

लोक माध्यमों के प्रकार को हम निम्नलिखित विवरण के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं ।

परम्परागत माध्यमों के संदर्भ में भी भ्रम की स्थिति विद्यमान है। परम्परागत संचार माध्यमों के गर्भ से ही आधुनिक संचार माध्यमों का विकास हुआ है। परम्परागत माध्यमों के जितने प्रकार हैं, उतने ही प्रकार आधुनिक संचार माध्यम के भी हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं।

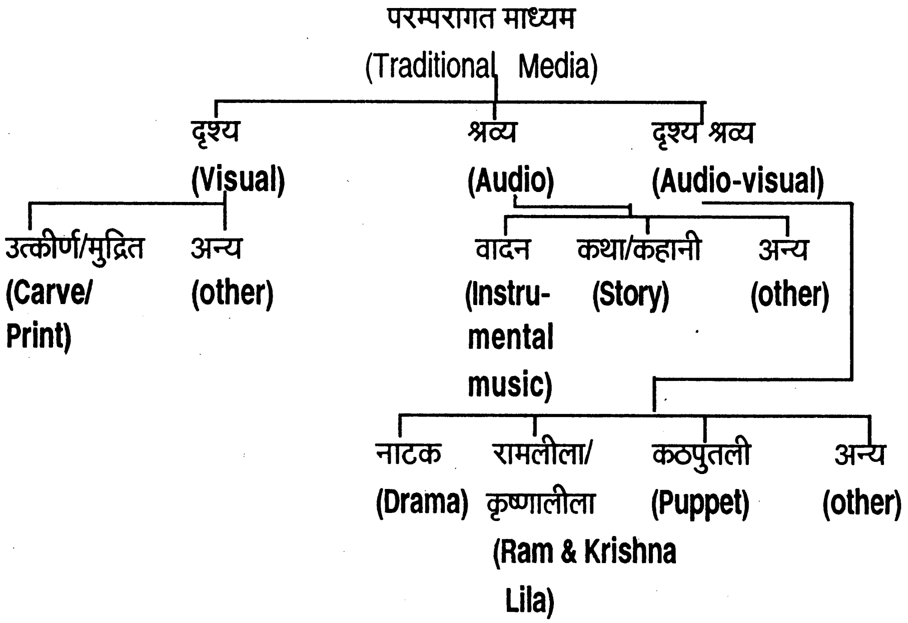

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि परम्परागत माध्यमों की प्रकृति दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य -
ां।

3 लोक माध्यमों की उपयोगिता

परम्परागत और आधुनिक माध्यम जिन सूचनाओं, विचारों को सम्प्रेषित करते हैं उनकी
ण्यॉं हैं। दृश्य और अदृश्य। आधुनिक माध्यम केवल दृश्य कोटि की सूचनाएं सम्प्रेषित
ों ही समर्थ हैं जबकि पारम्परिक माध्यम दोनों कोटि की सूचनाएं सम्प्रेषित कर सकती
ा और दूरी की दृष्टि से भी वह अत्यधिक सक्षम हैं मानव मन को प्रभावित करने में
गत मीडिया आधुनिक मीडिया से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।

घोर जंगलों में रहने वाली कुछ जन जातियों को छोड़कर संसार के प्रायः सभी लोग
क मीडिया के प्रभाव में हैं। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो आधुनिक
के प्रभाव से अछूता हो।आज किसी व्यक्ति का प्रबुद्ध कहलाना इस बात पर निर्भर
है कि वह कितने प्रकार की सूचना तथा किसी विषय की 'अद्यतन' सूचना से कितना
है। आज के युग में ज्ञान- विज्ञान की विलक्षणता इसके प्रचार- प्रसार की क्षमता तथा
ल्याण की शक्ति सभी संचार माध्यमों पर आश्रित हैं। यह सत्य है कि धार्मिक फिल्मों
देवताओं के सन्दर्भ में अथवा विचारों के प्रत्यक्षीकरण के अर्थ में 'दर्शन' की वह अनुभूति
सकती जो देव मन्दिरों में अथवा देवता या ज्ञान के प्रत्यक्ष होने पर होती है।इसी प्रकार
ार्डर द्वारा ध्वनित मंत्रों में मनुष्य द्वारा उद्घोषित मन्त्रों की शक्ति नहीं रहती। दर्शन
अनुभूति तभी होगी जब दर्शन और दृश्य का अन्तर , ज्ञाता और ज्ञेय का अन्तर समाप्त
मंत्र की पूर्ण शक्ति तभी प्रकट अथवा क्रियात्मक होगी जब मंत्र और मंत्र के उद्घोषक
एकरूपता स्थापित हो जाये।दो समधर्मी वस्तुओं का ही एक- दूसरे में पूर्ण विलय
ा।

मनुष्य की चेतना शक्ति और मशीन की इलेक्ट्रानिक शक्ति समधर्मी नहीं हैं।अतः
ी किसी भी अवस्था में आधुनिक मीडिया मनुष्य की आध्यात्म शक्ति का सृजन नहीं
ता। यह मनुष्य के बाह्य जगत में तात्कालिक सुविधा दे सकता है किन्तु अन्तर्जगत
को स्पर्श नहीं कर सकती। यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक मीडिया ने जीवन
- व्यस्त कर दिया है। इस निराशाजनक कल्पना से त्रस्त मनुष्य को पारम्परिक
से ही राहत मिल सकती है।पारम्परिक माध्यमों के सार्थक सन्देश सम्प्रेषण और
मता में कमी नहीं आई है बल्कि इन माध्यमों के कुशल उपयोग में कमी आई है। इन
की व्यापक प्रभाव क्षमता का सार्थक उपयोग इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा किया जा

रहा है।आज सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए सरकारी, इलेक्ट्रानिक माध्यम लोक- संगीत एंव लोक- नृत्य जैसे पारम्परिक माध्यमों का भरपूर प्रयोग करते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम , टीकाकरण, पोलियो-उन्मूलन आदि कार्यक्रमों की जानकारी क्षेत्रीय जनता को इन्हीं माध्यमों द्वारा उपलब्ध होती है। कठपुतली के स्थान पर टेलीविजन पर प्रदर्शित होने वाली कार्टून फिल्में लोकप्रिय होती जा रही हैं। नाटकों का स्थान धारावाहिकों ने ले लिया है। पारम्परिक माध्यमों का जो विकसित रूप हमें आज के तीन -चार दशक पूर्व तक दिखाई देता था। निश्चित रूप से उसमें कमी आयी है। इस कमी का एक प्रमुख कारण संचार के क्षेत्र में आयी क्रान्ति है। संचार क्रान्ति के इस युग में परिष्कृत इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा पारम्परिक माध्यमों को प्रासंगिक बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। पारम्परिक माध्यमों पर, सार्थक सन्देश प्रेषण की दृष्टि से, इलेक्ट्रानिक माध्यमों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। यह इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि संचार के पारम्परिक माध्यम जनमानस की भावनाओं के काफी निकट हैं और सार्थक सन्देश सम्प्रेषण में आज भी उसी प्रकार समर्थ हैं जिस पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों के विस्तार से पूर्व थे।

21.5 सांस्कृतिक संचार और लोक माध्यम

लोक माध्यम संस्कृति का संवाहक होता है। संस्कृति का सतत् प्रवाह लोक माध्यमों के द्वारा ही सम्भव है। गीत संगीत, लोक संगीत, लोक कलाएं, धार्मिक कथाएं आदि सभी संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती हैं। संस्कृति को लोक माध्यमों के द्वारा ही समृद्ध किया जा सकता है। लोक का मतलब सामान्य जन होता है। सामान्य जन के बीच संचार के द्वारा ही वैचारिक आदान-प्रदान होताहै। इस वैचारिक आदान- प्रदान से ही संस्कृति का प्रचार- प्रसार होता है। आज के संचार क्रान्ति के युग में भी जब भी सफलतापूर्वक और कुशलता -पूर्वक सांस्कृतिक संचार करते हैं तो हमें इन लोक माध्यमों का ही आश्रय लेना पड़ता है। लोक माध्यम के द्वारा हमें जिस समाज में सांस्कृतिक संचार करना होता है उस समाज के सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप और उस समाज की भाषा में ही हम सन्देश प्रसारित करते हैं।यही सांस्कृतिक संचार में लोक माध्यमों की महत्ता और उपयोगिता को स्पष्ट करता है।

21.6 सारांश

इस इकाई में आपने संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति और विशेष कर लोक संस्कृति के बारे में विस्तार से जाना। लोक माध्यमों के प्रकार, उनकी विशेषता, उनकी उपयोगिता और सांस्कृतिक संचार में लोक माध्यमों की उपयोगिता का विस्तार से अध्ययन किया।

7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता - डॉ.अर्जुन तिवारी
2. जन संचार : कल और आज - डॉ. मुक्ति नाथ झा
3. जन संचार के सिद्धान्त - डॉ. ओम प्रकाश सिंह

8 प्रश्नावली

8.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

भारतीय संस्कृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें।

लोक माध्यमों के प्रकार बताएं।

लोक माध्यम और संस्कृति का क्या सम्बन्ध है?

8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

भारतीय संस्कृति में लौकिकता को स्पष्ट करें।

लोक संस्कृति की विशेषताएं बताएं।

लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

संचार क्रान्ति के वर्तमान युग में लोक माध्यमों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

लोक माध्यमों का सांस्कृतिक संचार में क्या योगदान है? स्पष्ट करें।

8.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

I). हिमालय को कहा जाता है:

(क) हिम का कारखाना (ख) नगाधिराज

(ग) हिम खण्ड (घ) इनमें से कोई नहीं

II) 'हिन्दू' शब्द निकला है --

(क) सिन्धु से (ख) हिन्दूवी से

(ग) हिन्दुस्तान से (घ) हिन्दूस्थान से

III) कठपुतली है :

(क) एक लोक माध्यम (ख) एक सिनेमा

(ग) एक नाटक (घ) इनमें से कोई नहीं

21.8.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

(i) ख

(ii) क

(iii) क

काई - 22 संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं : अन्तर सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में

ाई की रूपरेखा

0 उद्देश्य

1 प्रस्तावना

2 पारम्परिक जन माध्यम

22.2.1 उद्भव एवं विकास

22.2.2. महत्व एवं प्रासंगिकता

3 सांस्कृतिक संचार के उपकरणः संगीत , नृत्य एवं नाट्य

4 संगीत एवं संस्कृति

22.4.1 संगीत का स्वरूप

22.4.2 संगीत के प्रकार

22.4.3 संगीत और सांस्कृतिक पहचान

5 नृत्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि

22.5.1 नृत्य की अवधारणा

22.5.2 नृत्य के प्रकार

22.5.3 नृत्य का संस्कृति से सम्बन्ध

6 नाट्य कलाएं एवं संस्कृति

22.6.1 नाटक

22.6.2 धार्मिक नाट्य

22.6.3 लोक नाट्य

7 सारांश

8 सन्दर्भ ग्रन्थ

9 प्रश्नावली

22.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

22.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

22.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

22.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

22.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि किस प्रकार संगीत, नृत्य एवं नाट्य संचार के उपकरण के रूप में काम करते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे -

* संचार के पारम्परिक माध्यमों का आज के युग में क्या महत्व है?
* संगीत विविध रूपों में किस प्रकार से संचार का कार्य करती है?
* नृत्य की प्रमुख विधाएं कौन -कौन सी हैं तथा उनका क्या सांस्कृतिक महत्व है?
* नाट्य कलाएं सन्देश सम्प्रेषण में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं?

22.1 प्रस्तावना

मानव सभ्यता का जब विकास हुआ और उसने संचार के महत्व को जाना तभी से सन्देशों के आदान -प्रदान के नए- नए तरीके अपनाये जाने लगे। भाषा के आविष्कार के साथ सन्देश सम्प्रेषण की प्रक्रिया भी विकसित हुई। मनुष्य ने अपने वैचारिक आदान- प्रदान के लिए गाना आरम्भ किया । कालान्तर में गाने के निश्चित नियम बनाए गये। यही नियमबद्ध गान ही आगे चल कर संगीत के नाम से जाना जाने लगा। हर्ष की अभिव्यक्ति मनुष्य पहले उछल- कूद कर किया करते थे। यही उछलना कूदना जब लयबद्ध हुआ तो नृत्य की उत्पत्ति हुई और आज यही नृत्य मनोरंजन और संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में विख्यात है। यही स्थिति नाटकों की है। मूल रूप से मनोरंजन के निमित्त उत्पन्न हुई संचार की यह विधा कालान्तर में वैचारिक आदान- प्रदान की संवाहक बनी। इस प्रकार संगीत, नृत्य और नाट्य संचार के प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित हुए। इन्हीं तथ्यों का विस्तार से अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा ।

22.2 पारम्परिक जन माध्यम

22.2.1 उद्भव एवं विकास

चर- अचर सभी सम्प्रेषण करते हैं। यही नहीं मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, जैसे-कीट, पतंग, पशु- पक्षी आदि वे सभी प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक सम्पर्क द्वारा सूचना सम्प्रेषित करने में समर्थ हैं। ये सभी अपने -अपने समूह में दृश्य, स्पर्श, श्रवण शक्ति, कंठ ध्वनि अथवा

ाविक बुद्धि के बल पर सूचना का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी में सूचना सम्प्रेषण की शक्ति इनमें नहीं होती है। यही असमर्थता इन प्राणियों को मनुष्य लग करती है। मनुष्य का यह विशेष गुण है कि वह अपना अनुभव ज्ञान सम्प्रेषित ा है। सामूहिक सम्प्रेषण से मानव संस्कृति की सृष्टि होती है और इसमें निरन्तरता बनी है।

आदि कालीन मानव समाज में जब शिक्षा का प्रसार नहीं था तब जीवनयापन के शिकार, जातीय सुरक्षा के लिए युद्ध , प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए देवयोनियों ाथ सम्पर्क तथा सामूहिक जीवन में त्वरित एवं गोपनीय सूचनाओं का सम्प्रेषण करने ाए, कंठ ध्वनि, वाद्य यन्त्र, नृत्य एवं प्रतीक आदि का आश्रय लिया जाता रहा। संरचना ृष्टि से आदिम समाज की पारम्परिक मीडिया साधारण है परन्तु प्रभाव शक्ति की दृष्टि लक्षण है। आज जिन आदिम जातियों का आधुनिकीकरण हो चुका है उसमें भी अपने ाजिक विकास एवं राजनीतिक आन्दोलनों को प्रखर बनाने के लिए सार्थक संवाद षण परम्परागत गीत -संगीत के द्वारा ही किया जाता है। निरक्षर आदिम संस्कृति की या तथा साक्षर एवं सभ्य संस्कृति की मीडिया मूलतःअभिन्न हैं।

इस प्रकार आदिम समाज में उत्पन्न हुई मीडिया जिसे हम पारम्परिक माध्यम के से जानते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हुई आज भी जीवन्त है जब तक मानव समाज का अस्तित्व रहेगा ये माध्यम अपनी उपयोगिता बनाए रखने क्षम रहेगे।

2.2. महत्व एवं प्रासंगिकता

आधुनिक साक्षर समाज भी संगीत, नृत्य, नाटक और प्रतीकों द्वारा वैचारिक सम्प्रेषण ा है।परम्परागत माध्यम पूर्ण रूप से मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था पर आश्रित है।इसके रीत आधुनिक माध्यम स्वतः चालित,जटिल यन्त्रों पर निर्भर है। किसी भी मीडिया की लता और सक्षमता इस बात में निहित होती हैं कि वह किस प्रकार की सूचना, कितनी , कितनी दूरी और कितनी गहराई से सम्प्रेषित कर पाती है।

आधुनिक माध्यमों की सीमित सम्प्रेषण क्षमता कई सन्दर्भों में देखी जा सकती है। हरण स्वरूप नृत्य, नाटक, संगीत जैसी पारम्परिक मीडिया का प्रभाव दीर्घकालीन और ःरूपी होता है जबकि टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्र जैसी आधुनिक ाया का प्रभाव तात्कालिक और बाह्य रूपी होता है। इन दोनों मीडिया की वास्तविक ता को समझने के लिए नाटक और सिनेमा की तुलना की जा सकती है। नाटक में नेता और दर्शक एक दूसरे से प्रत्यक्ष एवं जीवन्त रूप से जुड़ जाते हैं। अभिनेता दर्शक प्रतिक्रिया और संवेदनशीलता के अनुसार अपने को सुव्यवस्थित करता है। दर्शक भी

अभिनेता के जीवन्त स्वरूप से प्रभावित होकर सत्यता का अनुभव करने लगता है। दर्शक, अभिनेता और कथावस्तु के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति दर्शक और चित्रपट पर प्रदर्शित अभिनेता के बीच नहीं बन पाती है।जीवन्त दर्शक और निर्जीव चित्र के बीच संवेदनात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता । दृश्य के बीच दर्शक सीधे कथावस्तु से जुड़ता जाता है और अपने आप में उद्वेलित होता रहता है। दर्शक की संवेदनशीलता अपेक्षित प्रतिक्रिया के अभाव में शीघ्र ही बेकार (निष्प्राण) हो जाती है। वैज्ञानिक उपकरणों की विशेषता के कारण सिनेमा अधिक लोकप्रिय बन चुका है। सिनेमा की लोकप्रियता से यथार्थ में इसका आकलन नहीं किया जा सकता कि यह नाटक से अधिक कुशल एवं प्रभावकारी हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि परम्परागत और आधुनिक मीडिया मानवीय सन्दर्भ में अतुलनीय एवं एक- दूसरे के विपरीत हैं। परम्परागत माध्यमों में सम्प्रेषक, सम्प्रेष्य और सम्प्रेषित समरस होकर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। आधुनिक माध्यम निर्जीव उपकरण, अविकसित नये मूल्य और जीवन्त दर्शक के बीच समरसता स्थापित नहीं कर पाते । मन के सूक्ष्म तरंगों को,रसबोध की शक्ति को, आन्दोलित करने वाला मानव स्पर्श का स्थान कभी भी मशीन नहीं ले सकती। आधुनिक मीडिया का सम्प्रेषण सही और तात्कालिक होता है। स्थान विस्तार की दृष्टि से भले ही यह अति व्यापक हो, किन्तु काल -क्रम की दृष्टि से परम्परागत माध्यम अधिक दीर्घकालीन हैं।सम्प्रेषण के तात्विक भेद की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक माध्यम सूचना प्रधान है जबकि परम्परागत माध्यम ज्ञान प्रधान।

22.3 सांस्कृतिक संचार के उपकरण संगीत, नृत्य एवं नाट्य

सांस्कृतिक संचार के उपकरण के रूप में संगीत, नृत्य एवं नाट्य का महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये तीनों संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट करते हैं।

संगीत

संगीत से केवल आनन्द की अनुभूति ही नहीं होती बल्कि इसकी स्वर लहरियां मानसिक स्थिति की भी सूचक होती हैं। संगीत मनुष्य के मनोभावों को भी प्रभावित करता हैं। यह मानवीय आत्मा में भक्तिमय अनुभूतियां भर देता है। संगीत के स्वरों के आरोही अवरोही क्रम एक प्रकार की गति का आभास कराते हैं। मनुष्य की संवेदनाओं में भी इसी प्रकार की गति होती है। दोनों में सादृश्य एवं समानता होने के कारण ही ध्वनिमय रागिनियाँ मानव मन को प्रभावित करने में सफल होती हैं। लय और राग का संयमित सामन्जस्य ही प्रभावकारी होता है । यही कारण है कि संगीत प्रिय होता है ओर सन्देश सम्प्रेषण में प्रभावी भूमिका भी निभाता है।

नृत्य

संगीत की ही भांति नृत्य भी सांस्कृतिक संचार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नर्तकों एवं नर्तकियों की वेष -भूषा उनका नृत्य प्रदर्शन सभी उनकी सांस्कृतिक परिवेश

नुरूप होते हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति को नृत्य के माध्यम से सम्प्रेषित कर वे मनोरंजन ाथ -साथ संस्कृति के संचरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

क

नाटकों का उद्भव ही मनोरंजन के निमित्त हुआ है। नाटक के पात्रों की वेश- भूषा, द की भाषा, स्टेज का निर्माण, मंच सज्जा आदि सभी उस वर्ग .विशेष की संस्कृति को ता है जिनके द्वारा नाटकों का मंचन होता है। पात्र अपने अभिनय एवं वाक्पटुता से उस कृति को जीवन्त कर देता है जिसके लिए नाटकों का मंचन किया जाता है। नाटकों के दर्शकों का मनोरंजन तो होता है साथ- साथ उनमें वांछित सन्देश का सम्प्रेषण भी ा जाता है।

.4 संगीत एवं संस्कृति

संगीत जीवन के ताने बाने का वह धागा है जिसके बिना जीवन सत् ओर चित् का होकर भी आनन्दरहित रहता है तथा नीरस प्रतीत होता है। यह न तो सामान्य शिक्षण वा व्यसन -पूर्ति की वस्तु हैं और न ही कठिन परिश्रम के परिहारार्थ साधारण सा मनोरंजन । संगीत ईश्वरीय वाणी है। अतः वह ब्रह्मरूप ही है । शास्त्रों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म , अखण्ड अद्वैत होते हुए भी परब्रह्म और शब्द ब्रह्म इन दो रूपों में कल्पित होता है। शब्द को भली- भाँति जान लेने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से संगीत- ट ध्वनि आन्दोलनों का परिणाम है। दो वस्तुओं की टक्कर अथवा रगड़ पास की वस्तु आन्दोलित करती है तथा जल तरंग की भांति वह वायु वातावरण में कम्पन उत्पन्न करती हमारे कर्ण रन्ध्रों में प्रवेश कर प्रकृति प्रदत्त कर्णयन्त्र को स्पन्दित करती है जिससे री चेतना को ध्वनि का अनुभव होता है। जब तक हमारे कर्ण -यन्त्र वातावरण में उत्पन्न दोलनों को ग्रहण नहीं करते तब तक हमारे लिए ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं होता। पि विश्व नाद से भरपूर है किन्तु हम अपने कर्ण यन्त्रों की सीमित शक्ति के कारण सबका श्रवण नहीं कर पाते।

इसी प्रकार हमें इंजन की छिक- छक रेल पटरियों की खट-खट, घोड़े के टाप आदि ी में कुछ ऐसी प्रबल तथा अबल ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी जो अपना समूह बताती तथा - दूसरे से विभक्त होती रहती है और हमारे कानों को तुष्टि प्रदान करती है। पहले प्रबल खण्ड अबल गति खण्ड के छोटे- छोटे विभाग निर्मित होते हैं। फिर क्रमशः विभाग विस्तृत लगते हैं। प्रबल अबल गति खण्डों का यह चक्र हमारे जीवन के चारों ओर सहस्त्रों रूपों विद्यमान हैं। संगीत के स्वरों में प्रबलत्व तथा अबलत्व के कारण छोटे बड़े स्वर समूह र्मित होते रहते हैं जो हमारे भावों के उद्घाटन में सहायक बनते हैं। इन लय खण्डों के हों का विस्तार ही भारतीय संगीत में आगे चलकर ताल के रूप में प्रस्फुटित हुआ। सृष्टि समस्त अन्तर- बाह्य व्यापार के शाश्वत नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए जब हम

संगीत अथवा अन्य किसी भी विधा में गति के शाश्वत विधान की प्रतिष्ठा कर पाते हैं तो हम स्वभावतः सन्तोष, शान्ति तथा पूर्णता की भावना से ओत- प्रोत हो उठते हैं। संगीत का दूसरा तत्व है स्वर, स्वर समूह अथवा धुन विशेष, जिसमें प्रकृति का व्यापक स्वरूप परिलक्षित होता है ।वृक्षों में पत्तों के सूख जाने पर हरे पत्ते लहलहा उठते हैं, पर्वतों पर हिमपात होता है और फिर वह ग्रीष्म में जल बनकर बह जाता है। समुद्र की भाप मेघ का रूप धारण कर धरती को सींचती है, और फिर नदी के रूप में बहते हुए समुद्र में पुनः मिलती हैं। उक्त सभी वस्तुओं में हम जिस प्रकार एक का उतार और दूसरे का चढ़ाव देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वरों में भी आरोहण- अवरोहण के रूप में यह क्रम सदा विद्यमान रहता है, जो विशेष आनन्द और नवीनता का हेतु है। कुशल कलाकार अपने संगीत में स्वर प्रतीकों से इन सभी अनुभूतियों को व्यक्त करता हुआ प्रकृतिजन्य आनन्द को अपने स्वरों में समेटकर विश्व को विभोर कर देता है।

22.4.1 संगीत का स्वरूप

श्री अर्नेस्ट हंट (H. Earnest Hant) ने अपनी पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ म्यूजिक' में लिखा है, "संगीत केवल सामान्य ध्वनि नहीं है, अपितु यह सूक्ष्म अन्तर्वृत्तियों के उद्घाटन का सबल साधन है।" भारतीय विद्वानों ने भी संगीत को हृदयगत भावों के उदघाटन का सबल साधन माना है। प्राणी मात्र की रोदन चीत्कार और हास्य इत्यादि क्रियाओं से जनित ध्वनियों का निर्वाध, निरपवाद एवं अव्यभिचारित रूप से सदा एक जैसी रही है। विभिन्न भावों को प्रकाशित करने वाली ये ध्वनियां सम्भवतः संगीत की उत्पत्ति में मूल हेतु हैं। भारतीय मनीषियों ने संगीत को हृदयगत भावों के उद्घाटन का सफल साधन मानते हुए इसे धर्म , अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय भी माना है। आचार्य शारंगदेव ने संगीत की महत्ता का वर्णन करते हुए धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए संगीत को उपयुक्त बताया है। भारत में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि परम्पराओं में अनेक विषयों पर मतभेद रहते हुए भी संगीत का महत्व निरपवाद माना गया है। यह भारतीय संगीत की अध्यात्म निष्ठा का परिणाम है।वस्तुतः न केवल संगीत अपितु भारत की प्रत्येक कला का चरम लक्ष्य इस आध्यात्मिक निष्ठा की प्राप्ति ही रहा है। संगीत का सम्बन्ध वेदों से है अतएव यह अनादि है इसका न आदि है और न अन्त। संगीत के सम्बन्ध में यह कोई नहीं कह सकता कि इसका प्रारम्भ कब से हुआ तथा अन्त कब होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई यह नहीं बता सकता कि जन्म- मरण की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ हुई तथा कब तक चलती रहेगी। फिर भी भारतीय परम्परानुसार जिस प्रकार वेद प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी माने जाते हैं, उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में दो आदि देव माने जाते हैं देवाधिदेव शंकर तथा सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी। कुछ विद्वानों का मत है कि संगीत का जन्म ओम् शब्द के गर्भ से हुआ, ओम शब्द एकाक्षर होकर भी अ् उ म् इन तीन ध्वनियों से निर्मित हुआ है। तीनों अक्षरों के संयोग से इसकी ध्वनि एक ही अक्षर के समान होती हैं। ओम् शब्द संगीत के

का उपकरण है। समस्त कलाएं ओम् के विशाल गर्भ से आविर्भूत हुई हैं। जो ओम् की
ना कर पाते हैं, वे ही वास्तव में संगीत का यथार्थ रूप समझ पाते हैं। इसमें लय, ताल,
सभी कुछ हैं।

"गीतं वाद्यं त ा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते"।

गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों कलाओं का सामुहिक नाम संगीत हैं। अर्थात संगीत के र्गत ये तीनों कलाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार संगीत के मूल तत्व ही रूप, भेद तथा , भेद से गीत, वाद्य तथा नृत्य के मूल तत्व कहे जा सकते हैं। इन तीनों के मूल ार स्वर तथा लय हैं जो नाद एवं गति के परिष्कृत रूप हैं । नाद एवं गति अति सूक्ष्म से सार्वकालिक हैं। अर्थात् न इसका आदि है न अन्त। संगीत की यह सम्मोहिनी शक्ति के मूल से ही आयी है।

4.2 संगीत के प्रकार

सार्वभौम रूप से संगीत के दो प्रकार दिखाई देते हैं। वे निम्न लिखित हैं :

शास्त्रीय संगीत

शास्त्रीय संगीत संगीत की वह विधा है जिसमें गायन, वादन और नृत्य के कुछ निश्चिंत न और मानक हैं। किस समय किस राग का गायन वादन होगा यह भी निर्धारित होता र्व निर्धारित नियमों एवं मानकों में किसी प्रकार का परिर्वतन सम्भव नहीं होता। रागों क्लिष्टता, भावाभिव्यक्ति की जटिलता शास्त्रीय संगीत का मूल तत्व हैं इसे समझने के श्रोता दर्शक में उच्च स्तर का कला संस्कार अपेक्षित होता है। शिष्ट, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत ज में ही इसका प्रचलन होता है क्योंकि यह आम जन की समझ से परे होता है।अतः कहा जा सकता है कि समाज के विशिष्ट वर्ग में जिस संगीत का प्रचलन है वही शास्त्रीय त है।

लोक संगीत

आदि मानव के मस्तिष्क में जब से चेतना जागृत हुई, उसने अपनी हर खुशी,हर गम अपनी हर प्रकार की प्रतिक्रियाओं को ध्वनि का सहारा लेकर मुक्त कंठ से व्यक्त । इन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होने लगी। अभिव्यक्ति और घटना के सम्बन्ध के आधार र्थबोध होने लगा और इन्हें संज्ञा दी जाने लगी।

अबाधित गति से चली आ रही यह मानवी प्रक्रिया विभिन्न दलों, समूहों, बस्तियों, यों आदि के द्वारा चीखने चिल्लाने से ऊपर उठकर गति में, आकर्षक स्वर समूहों में होने लगी तो जनमानस की धुनें उभरने लगी। कालान्तर में इसे जब शब्दों का आवरण गया तो ये 'लोकगीत' नाम से कहलाने लगे।

लोक शब्द का अर्थ जन, संसार और समाज होता है। जो लोग आडम्बर और परिष्कार से दूर रहकर अपनी पुरानी स्थिति में ही रहते हैं उन्हीं को लोक की संज्ञा दी गयी है। लोक संस्कृति में लोक साहित्य, लोक जीवन के रीति -रिवाज और लोक जीवन में प्रचलित विश्वास सम्मिलित होता है। लोक संगीत लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए ही लिखे गये एवं गाये गये गीत हैं। लोक संगीत लोक जीवन की अनायास प्रवाहात्मकता की अभिव्यक्ति है जो सुसभ्य प्रवाह से दूर रहकर आदिम अवस्था के करीब रहते हैं। शास्त्रीय विधि -विधानों से हटकर मानव जब आनन्दातिरेक से छन्दोबद्ध वाणी सहज ही अभिव्यक्त करता है तो वही लोक संगीत होता है ।

लोक संगीत के सन्दर्भ में भारतीय समकालीन संगीतकारों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। पं0 रविशंकर के अनुसार लोकधुनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वह है जिसका मूल सूत्र भक्ति रस है। इसमें हरिकथा से लेकर रामायण तक गायन होता है। दूसरे भाग में गांव के गीत आते हैं जो अलग- अलग अवसरों पर गाये जाते हैं। इसमें हिमाचल और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत भी सम्मिलित हैं। तीसरे भाग में गोंड़, भील,संथाल, नागा तथा भरिया आदि आदिवासियों के लोक- गीत आते हैं। रविशंकर का यह भी कहना है कि विश्व में लोकधुनों का अदभुत मेल हैं। ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।मेक्सिकन धुन सुनने पर तमिलनाडु के लोक गीतों की याद आती है। जार्जियन धुनें महाराष्ट्र की लोकधुनों से मिलती -जुलती हैं।

इसी क्रम में प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व का मानना है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से हुई है। कुमार गंधर्व ने लोक धुनों की विशेषताओं को इस प्रकार से उल्लिखित किया हैः-

1. साधारणतया ऐसी लोकधुनों जो चार या पांच स्वरों तक सीमित हैं।

2. लयबद्ध लोक धुनें

3. समय के अनुकूल स्वरों का प्रयोग करने वाली लोक धुनें

4. रागों के कलात्मक मिश्रण वाली लोकधुनें

5. अलग- अलग प्रसंगों के अनुरूप स्वर रचना वाली लोक धुनें

6. धुन एक ही हो परन्तु जिस पर भिन्न -भिन्न गीत गाये जाते हैं जिससे रूप में परिवर्तन होता है।

7. नादमय लोकधुनें आदि ।

इन समकालीन विद्वानों के मतों की पुष्टि हमें हजारों वर्ष पूर्व भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र में लोक शब्द की व्याख्या से मिलती है। लोक शब्द की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए भरतमुनि ने लिखा है कि ''अपने ग्रन्थ में मैने जो कुछ नहीं कहा है, वह बुद्धिमानों को लोक से ग्रहण कर लेना चाहिए।

.3 संगीत और सांस्कृतिक पहचान

शास्त्रीय संगीत का जैसे -जैसे विकास होता गया वैसे- वैसे ही यह वर्ग विशेष तक
 होता गया। इस वर्ग विशेष में केवल शास्त्रीय संगीत के साधक, उनकी शिष्य परम्परा,
क और आश्रयदाताओं का ही समावेश हुआ। जन सामान्य से वह दूर होता गया।परन्तु
संगीत में यह सीमितता नहीं आ सकी। अवकाश के क्षणों में, उत्सवों, पर्वों में, जन्म-
के समय, शादी ब्याह के अवसरों पर लोग गीत गाते ही रहे, सुनने वाले झूमते ही रहे
शिष्ट व सभ्य समाज इससे कटता रहा।राज परिवार की महिलाएं अपने मनोरंजन
ए गायक, वादक, नर्तक -नर्तकियों का दल रखने लगीं। कालान्तर में इसे जीविका के
अपनाने वालों का दल बन गया। इस प्रकार लोक संगीत सभ्य कहे जाने वाले सामाजिक
परे हट गया।

लोकगीत अधिकांशतः सामूहिक होते हैं।जीवन की सरलता के समान ही सहज स्वर
यों, सरल धुनों और गीत के बाकी के चरणों को पहले चरण और अन्तरा की तरह
ो जाना परम्परा हो गयी । इससे दल के लोगों के लिए उस गीत का गाना बजाना
न हो गया।

ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में भावों के उन्मुक्त प्रकाशन का अवसर यदि हर जगह
ा पाया जाने लगा तो अवसर विशेष, संकट विमोचन, आभार प्रदर्शन आदि के गीत
वताओं के लिए गाये बजाये जाने लगे। भक्ति, उपासना, कर्मकाण्ड के साथ साथ अन्ध-
सों की आधार शिला पर त्रस्त मानव की शान्ति के लिए किये जाने वाले स्वर प्रयोग,
और गीत लोकगीतों के अंग बन गये। इसके लिए प्रान्त और भाषा की दीवार का कोई
हीं रहा । देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी गूंज अपने ढंग से सुनाई देती है।
के विभिन्न भागों में प्रकृति की शोभा अलग अलग ढंग से लोगों को आकर्षित करती हैं
ब्रह्मपुत्र तट की हो या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके की हो, उसका सम्मोहन दोनों
पने -अपने ढंग से रिझाता है। बरसात की ओट में नई फसल का संकेत प्रेम गीतों में
ा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सावन की फुहारों में गमकती कजली का स्वर भी
है। डोगरी गीत (कश्मीर) बाथरी(बनजारा गीत) का भी अपना अलग महत्व है।

अवधी, ब्रज, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊँनी, बुन्देलखण्डी, आसामी, डोगरी, पंजाबी
भाषाओं में रचे गीतों में ग्राम्य जीवन की झांकी मिलती है। नगरों में प्रायः खड़ी बोली
म्परिक गीत मिलते हैं । लोक में प्रचलित गीत, लोक सर्जित गीत, लोक विषयक

में लोक मानस की लयात्मक अभिव्यक्ति, लोक कामना की स्वतः स्फूर्तिजन्य अभिव्यक्ति
क जीवन की छाया प्राप्त होती है। लोक गीतों में सामूहिक प्रवृत्ति अधिक व्यापक
है। अकृत्रिमता, सामूहिक भाव भूमि, परम्परात्मकता तथा संगीतात्मकता ही लोकं गीतों
शेषता है। समाज में लोकतंत्र की भावना को पुष्ट करने में लोक गीतों की रचनात्मक

भूमिका है। लोकगीतों की रचना व्यक्ति नहीं समूह करता है और यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो वह समूह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है।

22.5 नृत्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि

22.5.1 नृत्य की अवधारणा

नृत्य कला संगीत की एक विधा है। मनुष्य प्राचीन काल से ही नृत्य कला के माध्यम से अपने जीवन के सुख- दुःख व्यक्त करता रहा है। नृत्य चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य , उसमें संगीत का समन्वय लयबद्धता बरकरार रखने के लिए अवश्य किया जाता है, यह संगीत गायन या वादन किसी भी रूप में हो सकता है।

नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य दो प्रकार के होते हैं। ताण्डव और लास्य। ताण्डव देवताओं के लिए पवित्र है और उनके मनोरंजन का कार्य करता है। इसे भगवान शंकर ने किया था और मानव को सौंप दिया। ताण्डव नृत्य में क्रिया एवं संवेदनाओं का निरूपण अत्यन्त शक्ति एवं पौरुष के साथ किया जाता है। लास्य नृत्य अत्यन्त आकर्षक एवं कोमल होता है और भावों की अभिव्यक्ति अत्यन्त कोमलता से की जाती हैं। यह नृत्य मानव के मनोरंजन के लिए हैं।

22.5.2 नृत्य के प्रकार

भारत में शास्त्रीय नृत्य की चार शैलियां प्रचलित थीं। कत्थक, कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी। सन् 1958 में संगीत नाटक अकादमी ने आन्ध्र प्रदेश के कुचीपुड़ी और उड़ीसा के ओडिसी नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार भारत में शास्त्रीय नृत्य की छः शैलियां प्रचलित हैं जो इस प्रकार से हैं -

1. भरतनाट्यम् - नृत्य की इस शैली का विकास तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मन्दिरों में हुआ। इस नृत्य की सम्पूर्ण शब्दावली और तकनीक नाट्यशास्त्र पर आधारित है। आरम्भ में यह नृत्य मन्दिरों की महिला नर्तकियों (देवदासियों) द्वारा मन्दिर की सेवा, विवाह और धार्मिक आयोजनों के अतिरिक्त राजाओं के मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस नृत्य का प्रथम सार्वजनिक आयोजन 1930 में किया गया। इस नृत्य का प्रदर्शन बिना रुके लगभग 2 घन्टे तक चलता है।मंच के पिछले हिस्से में नर्तक- नर्तकी को संगीत प्रदान करने के लिए वाद्य यन्त्रों को बजाया जाता है। वाद्य यन्त्रों का संचालन एवं गायन का कार्य साधारणतया नर्तक के गुरु द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है, पैर घुटनों से विशेष प्रकार से झुके होते हैं। और हाथ, कंधे और गर्दन विशेष प्रकार से गतिमान रहते हैं। इस नृत्य शैली का आरम्भिक नाम 'दासी अट्टम' था। देवदासियों की नृत्य शैली होने के कारण यह उपेक्षित होती हुई लुप्त हो गई थी। 20वीं

ाब्दी में रवीन्द्रनाथ टैगोर, उदयशंकर और मेनका जैसे कलाकारों , मनीषियों के क्षण में इस नृत्य कला का पुनरुद्धार हुआ और इसे भरत नाट्यम नाम से प्रतिष्ठित ा गया। 20वीं सदी में तमिलनाडु की रुक्मिणी देवी प्रथम प्रख्यात नृत्यांगना हुई। यह य कला आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान बन चुका है।

कथकली - कथकली का उद्‌भव और विकास भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में ा।इसकी तकनीक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है किन्तु विषय -वस्तु रामायण, भारत और शैव साहित्य से ली जाती है। कथकली भी मन्दिर से जुड़ा हुआ नृत्य है जिसका र्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं की भूमिका लड़के निभाते हैं। कली नृत्य का प्रदर्शन खुले आकाश के नीचे होता है जो रात भर चलता है।इस नृत्य में अत्यन्त उत्साहपूर्ण और भड़कीली होती है। इसमें शरीर एवं चेहरे की भाव भंगिमाओं विशेष महत्व होता है। नर्तक अति आकर्षक श्रृंगार का प्रयोग करते हैं। जिसके लिए कई लग जाते हैं। कथकली का अर्थ कहानी - नाट्य होता है और इसकी विषय -वस्तु भी र्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है।

कत्थक - कत्थक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मूलतः यह भरत के ट्यशास्त्र पर आधारित हैं किन्तु दक्षिण भारत के नृत्यों की भांति यह मंदिरों पर आश्रित नहीं ऐतिहासिक दृष्टि से कत्थक का उद्‌भव वैदिक युग से माना जाता है जब कथावाचक - घूम कर कविता, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से रामायण, महाभारत की कथा सुनाया ते थे। कालान्तर में राज्याश्रय पाकर मुगलकाल में यह कला खूब विकसित हुई। धीरे- र इसमें धार्मिक आख्यानों के साथ साथ लौकिक विषयों को भी शामिल किया जाने लगा। चलकर कत्थक जयपुर और लखनऊ घरानों में विभक्त हो गया। जयपुर घराने में स्थानी सिद्धान्तों का समावेश किया जाने लगा। लखनऊ घराने के जनक के रूप में ब वाजिद अली शाह का नाम लिया जाता है। इनके संरक्षण में यह कला खूब विकसित और इसने उत्कृष्टता प्राप्त की। आज यह उत्तर भारत की विशिष्ट नृत्य शैली के रूप विकसित हैं।

मणिपुरी - मणिपुरी नृत्य का उद्‌भव और विकास उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में ा। यह नृत्य शैली भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है किन्तु यह भारत के य शास्त्रीय नृत्यों से पूर्णतया भिन्न है। मणिपुर में यह नृत्य सामुदायिक है और धार्मिक वन का अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न त्यौहारों के समय खुले आकाश के नीचे इसका प्रदर्शन या जाता है। मणिपुरी के विषय मुख्यतया कृष्ण की रासलीला पर आधारित होते हैं।

मणिपुरी नृत्य अति आकर्षक एवं तकनीकी दृष्टिकोणों से अन्य शास्त्रीय नृत्यों अपेक्षा सरल नृत्य है।इसमें हाथों का उपयोग मूक अभिनय करने के स्थान पर केवल

श्रृंगारिकता के लिए किया जाता है। पैरों की गति अत्यन्त कोमल होती है और अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भांति पैरों को जमीन पर पटका नहीं जाता। मणिपुरी नृत्य की सबसे विशेष बात शरीर की अत्यन्त आकर्षक एवं मृदु गति होती है। जो इसे एक विशिष्ट सौन्दर्य प्रदान करती हैं।

5. **कुचीपुड़ी** - यह भारत की प्रधान शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक हैं। दक्षिण भारत का प्रारम्भिक नृत्य नाट्य 'शिव- लीला नाट्यम' था जिसे भगवान शिव से सम्बन्धित मिथकों पर आधारित नाटकों को कहते थे। दक्षिण भारत में वैष्णववाद के उदय के पश्चात् भक्ति आन्दोलन के कवि ग्रामीण क्षेत्रों में कृष्ण लीला का वर्णन एक नए तरीके से करने लगे। जिसमें गीत, संगीत और नाटक का अदभुत समन्वय होता था। इस नृत्य नाट्य रुप का नामकरण कुचीपुड़ी किया गया। कुचीपुड़ी में नृता, नृत्य और वाचिक अभिनय का अदभुत समन्वय होता है। वाचिक अभिनय के कारण यह केवल नृत्य न होकर नृत्य नाटिका में परिवर्तित हो जाता है।

कुचीपुडी कलाकारों के लिए तेलगू एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा गायन का ज्ञान अनिवार्य होता है। इस नृत्य के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रदर्शन खुले आकाश के नीचे केवल रात्रि के समय ही होता है। आधुनिक युग के कुचीपुड़ी कलाकारों में लक्ष्मी नारायण शास्त्री, चिन्ताकृष्ण मूर्ति, राजा एवं राधा रेड्डी प्रमुख हैं।

6. **ओडिसी** - यह भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हाल के वर्षों में इसका पुनरुत्थान हुआ है। ओडिसी उड़ीसा (कलिंग) की प्रधान नृत्य शैली है। इसका उद्‌भव और विकास ई. पू. दूसरी शताब्दी से माना जाता है। यह अत्यन्त शैलीबद्ध नृत्य हैं। यह मुख्यतः नाट्यशास्त्र और अभिनव दर्पण पर आधारित है किन्तु इसमें कुछ उड़िया ग्रन्थों के तत्वों का समावेश भी है। इस नृत्य की अपनी तकनीकी शब्दावली हैं। उदाहरणस्वरुप इसमें चार पाद भेद (पैरों की मौलिक स्थिति), पांच मौलिक भूमि (नृत्य के समय नर्तक जिस तरह गति करता है), आठ, मौलिक बेलि (नृत्य की मौलिक गति के साथ संयुक्त मुख्य शारीरिक स्थिति), आदि होते हैं। ओडिसी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व 'भंगी 'और 'कर्ण' होते हैं। ओडिसी में विभिन्न शारीरिक भंगिमाओं में शरीर की साम्यावस्था का विशेष महत्व होता है। ओडिसी में संगीत शुद्ध होता है। इस संगीत में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैलियों का आकर्षण होता है। इसके वाद्य यन्त्रों में मरडोला (ड्रम), गिनी (छोटे मंजीरें) और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। आचार्य केलुचरण महापात्र ने इस नृत्य शैली के पुनरुत्थान में विशेष योगदान किया। उन्होंने ही इसको ओडिसी नाम दिया। संयुक्ता पणिग्रही, सोनल मानसिंह, मिलानी दास, प्रियम्बदा मोहन्ती, मधुमिता राउत आदि ओडिसी की प्रमुख कलाकार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक नृत्य की भी अनेक शैलियां चलित हैं। जिनमें केरल का 'मोहिनी अट्टम,' पंजाब का 'भांगड़ा,' गुजरात का 'गरबा', मिजोरम 'बम्बू डांस' अत्यधिक प्रचलित और लोकप्रिय हैं।

.5.3 नृत्य का संस्कृति से सम्बन्ध

नृत्य का संस्कृति से बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है। नृत्य के अनेक प्रकार हैं। प्रत्येक कार का नृत्य अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण ही जाना जाता है। नर्तक -नर्तकियों की । भूषा, ताल वाद्यों के प्रकार सभी नृत्य शैली के अनुरुप होते हैं और नृत्य शैली उस क्षेत्र संस्कृति के अनुरुप होती हैं जिस क्षेत्र की ये उपज होती हैं । उदाहरण के लिए कत्थक य उत्तर भारत की संस्कृति का प्रतिबिम्ब है तो कुचीपुड़ी , मोहिनी अट्टम , कथकली र भरत नाट्यम दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान है। ओडिसी नृत्य में हमें वंश प्रदेश ड़ीसा) की संस्कृति देखने को मिलती है।

लोक नृत्यों में भी क्षेत्रीय लोक संस्कृति के ही दर्शन होते हैं।पात्रों की वेश -भूषा, यन वादन सभी क्षेत्र विशेष की संस्कृति ही दर्शाते हैं।भांगड़ा नृत्य चाहे कहीं भी हो हमें न्त पंजाब की संस्कृति का आभास होता है। इसी प्रकार तमाशा में महाराष्ट्र की, गरबा में नरात की, जात्रा में बंगाल की,छाऊ में आसाम की संस्कृति स्पष्ट झलकती है चाहे इनका र्शन कहीं भी हो। ये सभी तथ्य इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि नृत्य का संस्कृति से रा सम्बन्ध होता है।

.6 नाट्य कलाएं एवं संस्कृति

नाटकों के बारे में कहा गया हैं कि --

श्रमार्तानां, दुःखार्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनाम।
विश्रामजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति ।।

अर्थात् श्रम, दुःख तथा तप के परिश्रम से थके हुए तपस्वी जनों के विश्राम एवं नोरंजन के निमित जो कार्य किये गये उन्हें नाटक कहा गया है। अर्थात नाटक के मूल में नोरंजन का तत्व निहित हैं । नाटक मनोरंजन का एक सर्वसुलभ साधन है। इसके माध्यम शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्ग का स्वस्थ मनोरंजन किया जा सकता है। सूचनाओं विचारों के सार्थक सम्प्रेषण में नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

.6.1 नाटक

भारत वर्ष में नाट्य कला का उदय वैदिक काल के पूर्व से ही माना जा सकता है । ी देवताओं का विभिन्न रूपों में अवतरित होकर तदनुरूप आचरण करना नाट्यकला का

ही परिचायक है।भारत में व्यवस्थित नाट्य कला का आरम्भ भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र से माना जाता है। इसके पश्चात अनेकों मनीषियों ने अपनी विभिन्न रचनाओं से नाट्य कला को समृद्धता प्रदान की। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नाटकों का एक मात्र प्राचीन एवं पूर्णतया व्यावहारिक लक्षण ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ में नाट्य प्रस्तुति के विविध पक्षों और व्यवहारों का सर्वांगीण विश्लेषण किया गया है। नाट्य शास्त्र में नाट्यकला के सिद्धान्त पक्ष के साथ नाट्य प्रयोग और अभिनय के विविध प्रकार लोकधर्मी और नाट्यधर्मी वृत्तियां और प्रवृत्तियां, नाटक में संगीत और नृत्य का प्रयोग तथा रंग प्रदर्शन के कुछ व्यवहार का स्पष्ट और व्यवहारिक विवेचन है।नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचनीय ग्यारह विषयों का उल्लेख किया है--

रसाः भावाह्यभिनयाः धर्मी, वृत्तप्रवृत्तयः ।

सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रंगश्च संग्रहः ।। ना. शा. 6.10

अर्थात रस तथा भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्तियां और प्रवृत्तियां नाट्य सफलता के लिए अनिवार्य तत्व, वाद्य तथा मौखिक संगीत और नाट्य में उनका एकजुट प्रयोग रंग - संग्रह है।

अति प्राचीन काल से प्रवाहित भारत की नाट्य धारा का क्रम कभी भंग नहीं हुआ। यहाँ का नाट्य इतिहास संस्कृत के शास्त्रीय क्लासिकी युग से भी पहले आरम्भ होता है। जब आद्य नाट्य का प्रचलन था और उसका धीरे-धीरे शास्त्रीयकरण हो रहा था। गुप्तकाल तक संस्कृत नाटकों का काफी विकास हुआ। धीरे-धीरे इन नाटकों का केन्द्रीय संश्लिष्ट रूप बिखरने लगा और आद्य नाट्य रूपों की मूल परम्पराएं उस पर हावी होने लगी। इस तरह अनेक रुपाकृतियों वाले क्षेत्रीय पारम्परिक नाट्य कला का विस्तार होने लगा। इस परिवर्तन का मूल कारण भाषा का बदलाव था जो अब संस्कृत की जगह नव विकसित क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित कर रहा था। भक्तिकाल में काशी में रामलीला के रूप में एक ऐसा विलक्षण नाट्यरूप विकसित किया जो पूरे भारत में अकेला है। औपनिवेशिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर उस युग के अन्य लेखकों ने अपनी नाट्य रचनाओं का उपयोग सामाजिक सरोकार की चेतना के तहत जन जागरण के लिए किया।

22.6.2 धार्मिक नाटक

12वीं शदी के आस -पास इस्लामी आक्रमण और शासन के आरम्भिक दौर में हिन्दुत्व का भी अन्त होने लगा था। इस्लामी करण की प्रक्रिया के चलते हिन्दू धर्मावलम्बी प्रताड़ित होने लगे थे। हिन्दुओं के धर्म -कर्म में व्यवधान पड़ने लगा, मन्दिर तोड़े जाने लगे। इन सबका दुष्परिणाम यह रहा कि हिन्दू समाज में धर्म में आस्था के प्रति उदासीनता का उदय होने लगा। इस उदासीनता के कारण आगामी पीढ़ी अपनी धार्मिक मान्यताओं से अनभिज्ञ होने लगी। इन सब कारणों से भारतीय रंगमंच सर्वाधिक प्रभावित हुआ। लगभग एक शताब्दी तक चले

ामीकरण की प्रक्रिया के कारण अनेकों नाट्य कर्मियों ने अन्य व्यवसाय अपना लिये। ों शदी में इस नवीन विजातीय तत्वों के प्रति शक्तिशाली प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। इस क्रिया में भारत में जो भक्ति आन्दोलन उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव भारतीय समाज और कृति पर गहरा पड़ा। इस भक्ति आन्दोलन का पारस प्रभाव रंगमंच पर भी पड़ा। परम्परा से आ रहे भारतीय नाट्यकला को भक्ति आन्दोलन ने इस प्रकार नये रुपरंग में संवारा कि य कला के एक नये युग का आरम्भ हो गया। जात्रा, रामलीला, रासलीला, नृसिंह लीला, क्या नाट, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला आदि धार्मिक नाट्य रुप भक्ति आन्दोलन की ही हैं।

भक्ति आन्दोलन के साथ नाट्य रूपों के इस पुर्नजीवन के दो प्रमुख कारण थे। एक व धर्म में ईश्वर, मानव रूप में अवतरित होकर भक्तों के कष्ट निवारण कर उन्हें आनन्दित ते हैं, इस तथ्य को प्रचारित करना। दो, भक्ति पद्धति जिस रागात्मिका वृत्ति पर आधारित लीलानुकरण को उसका साधन बनाना। भक्ति आन्दोलन के पुरस्कर्ताओं ने नाट्य रूप को र- प्रसार माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने का सफल प्रयास किया। आरम्भ में संस्कृत भाषा धार्मिक नाटकों का आश्रय लिया गया। किन्तु सामान्य जन का आश्रय लेकर चलने वाले क्त आन्दोलन के लिए संस्कृत नाट्य प्रयोग की अप्रासंगिकता को आचार्यों ने शीघ्र ही अनुभव लिया और भक्ति साहित्य के साथ धार्मिक नाटकों के लिए भी जन भाषा को स्वीकार या गया। भक्ति आन्दोलन ने नाट्य शिल्प और पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। से बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि नाट्य कर्म परम्परागत नाट्यकर्मी जातियों के हाथ से निकलकर य रुप से ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। इसका कारण यह था कि पारम्परिक रंगजीवी तियों का सामाजिक स्तर निम्न कोटि का था और राम, कृष्ण आदि की भूमिका ग्रहण कर के बाद अभिनेताओं में उसी प्रकार का देवत्व प्रतिष्ठित माना जाता था जिस प्रकार की देव प्रतिमाओं में, अतः पूज्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त ये भूमिकाएं दूसरे कैसे ग्रहण कर कते थे। दूसरा बड़ा परिवर्तन स्त्री भूमिकाओं के लिए अभिनेत्रियों की लम्बी परम्परा खत्म जाना है। आचार्यों को आशंका थी कि स्त्रियों के धार्मिक नाटकों से सम्बद्ध होने पर में विकृति और चारित्रिक पतन अनिवार्य है। परिणामस्वरूप भक्ति रंग आन्दोलन से स्त्रियां तः निष्कासित कर दी गई और नारीपात्रों का अभिनय कम उम्र के लड़कों से कराया जाने ा। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था नाट्य शास्त्रीय पद्धतियों का सरलीकरण और उनमें क नाट्य के तत्वों का समन्वय। विद्वानों ने नाट्य शास्त्र के अनेक तत्व सरलीकृत के लिए और लोक नाटयों से भी कुछ तत्व लेकर एक सरल किन्तु प्रभावशाली नाट्य ति विकसित की।

धार्मिक नाटक मुख्य रूप से वैष्णव काव्य पर आधारित हैं। यह कई दिनों तक श्रृंखला में चलने वाली नाट्य कला है। इसमें कथा के घटना स्थल के अनुरूप अभिनय स्थल में परिवर्तन होता है। अभिनय मुद्राएं, रूप, सज्जा और वर्ग योजना नाट्य शास्त्र की रूढ़ियों आश्रित होने पर भी बहुत सरलीकृत रूप में स्वीकृत की गई है। उत्तर भारत में भक्ति

मूलक रंगरूपों में रासलीला और रामलीला तिशेष रूप से लोकप्रिय हुई। कृष्ण भक्ति से सम्बद्ध रासलीला का प्रादुर्भाव ब्रज मण्डल से हुआ और कुछ समय पश्चात यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित हो गया। अवतारवाद के पोषक धर्माचार्यों ने काशी में वामन लीला, नृसिंह लीला और रामलीला जैसे धार्मिक नाट्य रूपों को प्रचलित किया। इनमें से रामलीला का विस्तार तो पूरे भारत एवं विदेशों तक में हुआ किन्तु वामन लीला और नृसिंह लीला काशी क्षेत्र में ही सिमट कर रही गई।

भक्ति आन्दोलन ने जिन नाट्यरूपों की उत्पत्ति की उनमें रामलीला का स्थान सर्वोपरि है। रामलीला भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। रामलीला आरम्भ करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को है। रामलीला स्थापित करने के लिए तुलसीदास ने व्यापक स्तर पर परिश्रम किया। इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित रामलीला संघर्षों की कहानी रही, मूल्यों को विघटित होने से बचाने का प्रयास रहा। उनका यह प्रयास समाज में चेतना जागृत करने का एक अद्वितीय उदाहरण बना। रामलीला के साथ गोस्वामी तुलसीदास का नाम भी जुड़ गया। रामलीलाओं का न केवल आधार तुलसीकृत रामचरित मानस है बल्कि लीला पद्धति पर भी रामचरित मानस का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।इन लीलाओं के माध्यम से अनेक लोगों में बचपन से ही अभिनय कला के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। लीला प्रदर्शन के समय बिकने वाले मुखौटे, तीर धनुष तथा तलवार आदि खिलौने के रूप में बच्चे खरीदते हैं तथा उनसे लीलाभिनय दुहराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बच्चों में अभिनय कला के बीज सहज रूप से अंकुरित हो जाते हैं। इन लीलाओं की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

22.6.3 लोक नाट्य

लोक नाट्य - भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अनेक छोटे राज्यों का उदय हुआ। राज्य सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण के कारण संस्कृतज्ञों का अभाव होने लगा और संस्कृत भाषा का राजकीय संरक्षण भी समाप्त होने लगा। राज दरबारों में संस्कृत की अपेक्षा जन भाषा का संरक्षण आरम्भ हुआ। कला संस्कार से रहित सामान्य- जन शास्त्रीय नाट्य प्रदर्शनों में रूचि नहीं ले पाते थे। जन भाषा भी क्रमशः परिवर्तित होती हुई संस्कृत से बहुत दूर हो गयी थी। शास्त्रीय नाट्य कर्मी तत्कालीन समाज का संरक्षण प्राप्त करने में विफल रहे। इसके परिणाम -स्वरूप नाटकों का प्राचीन शास्त्रीय कलात्मक पक्ष विलुप्त होने लगा। नाट्यकर्मियों को प्राप्त होने वाली शासकीय वृत्ति समाप्त हो गई। इस बदलते परिवेश ने नाट्य जगत में काफी हलचल पैदा की। नाट्य कर्मियों ने अन्य व्यवसायों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इसी दौर में कुछ नाट्य कर्मियों ने परिवर्तन की इस चुनौती को स्वीकार किया और नये परिवेश में समायोजन द्वारा अपनी रक्षा का प्रयास किया। इन नाट्य कर्मियों ने जन भाषा के माध्यम से रंगमंच को ग्रामीण जनता से जोड़ने का प्रयास किया। इन नाट्यकर्मियों ने पहले से चली आ रही लोक नाट्यों की परम्परा

ल मिलकर उसी प्रकार के नाट्य प्रयोगों से अपने को सम्बद्ध कर लिया। इस प्रकार ण अर्थव्यवस्था में उनकी जीविका का भी प्रबन्ध हो गया। इस प्रकार के व्यवसायिक य कर्मियों की जाति का उल्लेख मध्यकालीन साहित्य में भगत, भेषधर, नट, विट और चार्य आदि के रूप में मिलता है। इनके अतिरिक्त कथक और गंधर्व नामक रंगजीवी तियों का भी उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन साहित्य में स्वांग, तमाशा, भगत, नौटंकी दि जिन परम्परागत जन नाट्यों का उल्लेख मिलता है उसमें अभिनय इन्हीं जातियों के यकर्मी किया करते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित इन जन- नाट्यों को ही लोक ा, लोक नाट्य आदि कहा जाता हैं इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

नौटंकी - 12वीं सदी तक उत्तर भारत के नाट्य कर्मियों ने किसी न किसी रूप में, कों में जन भाषा का प्रयोग आरम्भ कर दिया था। इस्लामी संस्कृति के अक्रमण के स्वरूप यह प्रयोग परम्परा का रूप नहीं ग्रहण कर सकीं। ये नाट्यकर्मी आजीविका तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उन्मुख हुए और वहाँ की संस्कृति में रंगमंचीय क्रियाओं को जीवित किया। इस प्रकार की रंगमचीय क्रियाओं को नौटंकी की संज्ञा दी गयी। नौटंकी माध्यम से आजीविका का प्रबन्ध करने वाली पेशेवर जातियों का उदय हुआ। भारतीय त्रीय रंगमंच की अभिनेत्रियों ने भी इन लोक नाट्यों को अपनाकर अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त की। नौटंकी में गीत, संगीत, नृत्य और नाट्य सभी का समन्वय होता है। इसके द पद्यात्मक होते हैं। इसकी भाषा ग्रामीण जनता की आम बोल चाल की भाषा होती है। सके कारण यह ग्रामीण जनमानस में काफी लोकप्रिय हुई। नौटंकी की उपयोगिता इसके य काल से लेकर आज तक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में यह सर्वाधिक कप्रिय हैं।

ग्रामीण एवं अशिक्षित जनता में लोकप्रिय नौटंकी की कथावस्तु अधिकांशतः ऐतिहासिक पौराणिक होती हैं। ग्रामीण जन में मनोरंजन के प्रमुख साधन के रुप में प्रतिष्ठित इस ा का प्रयोग स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रीय जागरण के निर्माण में सफलतापूर्वक किया। तंत्रता के पश्चात जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास एवं साक्षरता भियान के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए इस कला का प्रयोग अब भी जारी है। ा की सरलता और जन भाषा होने के कारण यह ग्रामीण जनता में सार्थक सन्देश सम्प्रेषण प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम है। नौटंकी व्यवसाय में लगे लोगों ने आधुनिक परिवेश के कूल परिवर्तन करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने का सफल प्रयास किया है।

भाँड - भांड़ शब्द संस्कृत साहित्य के 'भाण' का अपभ्रंश है। संस्कृत साहित्य में दृश्य य एकांकी, जिसमें हास्य की प्रधानता होती है, को 'भाण' कहा जाता था। समरूपता के रण ही भांड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। इस्लामी संस्कृति के बर्बर आक्रमण और इस्लामीकरण तीव्र प्रक्रिया से अपनी प्राण रक्षा हेतु बहुत से नाट्यकर्मी इस्लाम धर्म ग्रहण कर मुसलमान गये। इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावना को आघात पहुँचाए बिना अपने नाट्यकर्म से का स्वस्थ मनोरंजन आरम्भ किया। इस पारम्परिक अभिनय प्रणाली को जिसमें निम्न

स्तर का हास्य होता था, भांड़ कहा गया। शासकीय संरक्षण और प्रोत्साहन मिलने के कारण इस कला का समुचित विकास हुआ। विधा के आधार पर इसके प्रदर्शनकारी नाट्यकर्मी भी भांड़ कहलाने लगे। धीरे- धीरे मुगल दरबार में इन्हें काफी महत्व मिलने लगा। भांड़ की यह परम्परा मध्यकाल से लेकर आज तक समयानुकूल परिवर्तनों के साथ चली आ रही है। आरम्भिक दौर में ये एकल अभिनय का ही प्रदर्शन करते थे। कालान्तर में इन्होंने अपने अभिनय को गीत- संगीत के साथ जोड़ कर एक टोली बना ली और समूह में प्रदर्शन करने लगे। भांड़ों की इस टोली को भांड़ मण्डली कहा जाने लगा। भांड़ अभिनय कला की वह परम्परा है जिसके माध्यम से किसी भी सन्देश का, हास्य व्यंग्य का सहारा लेकर, क्षेत्र की जनता तक सहजता से सार्थक सम्प्रेषण किया जा सकता है। आज भी विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विकास तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के सरकारी प्रचार माध्यम संचार के इन्हीं माध्यमों का सहारा लेते हैं।

तमाशा- तमाशा महाराष्ट्र की प्राचीनतम लोक नाट्यशैली है। 'तमाशा' पारसी शब्द है। जिसका शब्दिक अर्थ होता है मनोरंजन यह महाराष्ट्र का एक आकर्षक लोक रंगमंच है। यह एक सशक्त, विषयगत, दर्शनीय, संगीतमय हास्य प्रदर्शन है। तमाशा एक सामूहिक लोक कला है। इसके कलाकारों को 'फद्द' कहा जाता है। समूह का नेता सरदार कहलाता है। वह प्रबंधक के साथ निर्देशक भी होता है तमाशा प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में नर्तकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह एक कुशल नृत्यांगना होती है। महिला पात्र की अनुपलब्धता की स्थिति में नर्तकी की भूमिका पुरूष पात्र भी निभाते हैं।

सोलहवीं शताब्दी के पूर्व केवल महाराष्ट्र में प्रचलित तमाशा आज भारत की लोक कलाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। आजादी की लड़ाई में नेताओं ने राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने के लिए इस माध्यम का भरपूर प्रयोग किया। आज भी इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियों, टी.वी. के द्वारा इस आधार पर अनेक कार्यक्रम बनाए हैं जो भाषायी बाधा के बावजूद दर्शकों द्वारा पसन्द किये जाते हैं।

भवाई - परिधान, वेष भूषा एवं रंगमंच की दृष्टि से यह गुजरात की लोक कला है। इसमें नाटक , संगीत, स्वांग, संवाद, करतब, जादू एवं आशुरचना आदि का समावेश होता है। भवाई की विषय वस्तु ऐतिहासिक एवं सामाजिक होती है। और यह स्थानीय जीवन और घटनाओं से सम्बद्ध होती है। भवाई प्रदर्शन के लिए किसी पूर्व निर्मित मंच की आवश्यकता नहीं होती । किसी भी ऊंचे चबूतरे या स्थान का प्रयोग भवाई प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। जहाँ पर भवाई का प्रदर्शन होता है वहाँ ग्रामीण जन समूह कलाकारों के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाता है। यही जन समूह दर्शक होता है। इसके लिए किसी विशेष परिधान, स्थान अथवा समय की आवश्यकता नहीं होती। यह कभी भी, कहीं भी प्रदर्शित किया जा सकता है। संगीत वाद्यों एवं तेज आवाज में गायन के साथ दो तीन कलाकार इस कला का

ान आरम्भ करते हैं। तमाशा की ही भांति भवाई का आरम्भ भी गणेश वन्दना से ही है।

भवाई कलाकारों के समूह गाँव- गाँव घूमते रहते हैं और उत्सुक ग्रामीण जन को ुल्क, स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करा f हैं। भवाई का प्रभावी प्रयोग किसी सन्देश के विपक्ष में जनमत तैयार करने में, सन्देश के सार्थक सम्प्रेषण में एवं व्यंग्य के संचार किया जाता है। आज भी गुजरात एवं राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में भवाई की लोक ता बनी हुई है।

ा - जात्रा अथवा यात्रा का तात्पर्य समारोह अथवा जुलूस से होता है। बंगाल, उड़ीसा आस पास के क्षेत्रों में यह एक नृत्य नाट्य के रूप में प्रचलित हैं। मन्दिरों एवं अन्य पूजा ों के लिए प्रस्थान करने से पूर्व भक्तगण टोलियों में सड़कों पर नाचते गाते थे। कालान्तर ही नृत्य गान एक लोक रंगमंच के रूप में विकसित हुआ। सत्कर्म एवं दूष्कर्म के अच्छे- परिणामों का चित्रण इस लोक रंगमंच में होता है जो जनता को शिक्षित और प्रेरित भी ता है।

जात्रा के पात्र पारम्परिक होते हैं। इसमें 'सेवक' और उसकी 'पत्नी' हास्य उत्पन्न ने और नाटक को गतिशील बनाने का कार्य करते हैं। गरीबी, शोषण, श्रमिक एवं निम्न के दुःख दर्द , जैसी सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं तथा विदेशी शासन जैसी स्याओं को प्रकट करने में जात्रा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। जात्रा में हास्य के ए एक विदूषक, पारम्परिक संगीत वाद्य, तबला, हारमोनियम, ड्रम, मजीरा, तुरही, आदि ा पशुओं एवं देव दानवों के प्रतीक चित्र आदि जात्रा के ऐसे आवश्यक अंग हैं जो इसे ान्य जन में लोकप्रिय बनाते हैं और सशक्त जनाकर्षण पैदा करते है।।

जात्रा के विषय अत्यनत लोकप्रिय रहे हैं। और आज भी यह मनोरंजन के एक माध्यम रूप में जीवन्त हैं। अनेक नाट्य मंडलियां जात्रा के विभिन्न नये रूपों पर प्रयोग कर रही है। कार भी इस दिशा में प्रयासरत है ताकि विकास योजनाओं की जानकारी सामान्य ा तक पहुँचाई जा सके।

किथा - आन्ध्र प्रदेश की यह एक उत्तम प्रदर्शनात्मक लोककला है। इस लोक मंच के र्शन के लिए किसी विशाल स्टेज की या विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती। बुर्रा (दुन्दुभी) के साथ तीन कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह साधारण लोक ट्य आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण समुदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज के भौतिकवादी युग भी यह आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सार्थक सन्देश सम्प्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार के पारम्परिक माध्यमों में लोक नाट्यों का विशेष महत्व होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित लोक नाट्य इस प्रकार से हैं--

रामलीला , रासलीला, नौटंकी (उत्तर प्रदेश), तमाशा (महाराष्ट्र) माच (मध्य प्रदेश) नकल (पंजाब) भवाई (गुजरात) जात्रा (बंगाल, उड़ीसा), ख्याल (राजस्थान) अंकियानाट (असम) कुडियट्टम (केरल) जन- जीवन के उल्लास को अभिव्यक्त करने एवं प्रभावी सम्प्रेषण में इन लोक नाट्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

22.7 सारांश

इस इकाई में आपने यह अध्ययन किया कि संगीत नृत्य और नाट्य क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका उद्‌भव कब और किन परिस्थितियों में हुआ। इस सब अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है कि संगीत, नृत्य और नाट्य का सम्बन्ध सांस्कृतिक अस्मिता से होता है और ये संस्कृति के प्रमुख संवाहक के रुप में कार्य करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संगीत, नृत्य एवं नाट्य कलाएं सांस्कृतिक संचार में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में क्रियाशील रहती है।

22.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता : डॉ. अर्जुन तिवारी
2. जन संचार समग्र : डॉ. अर्जुन तिवारी
3. जन संचारःकल और आज : डॉ. मुक्ति नाथ झा
4. अर्न्तसांस्कृतिक संचार : डॉ. मुक्ति नाथ झा

22.9 प्रश्नावली

22.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संगीत के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
2. लोक माध्यमों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए।
3. लोक नाट्य क्या है? इनके प्रकार बताएं।
4. शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लोक माध्यमों के उद्भव एवं विकास को स्पष्ट करते हुए बताएं कि क्या ये ध्यम आज भी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं?

2. धार्मिक नाट्य कलाओं पर प्रकाश डालिए।

3. लोक नृत्य एवं लोक नाट्य में क्या अन्तर है?

4. लोक नाट्यों के प्रमुख प्रकार का वर्णन करें?

.9.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

1. तमाशा किस प्रान्त का लोक नृत्य है?

(क) अरुणाचल (ख) मध्य प्रदेश (ग) महाराष्ट्र (घ) उड़ीसा

2. गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या है?

(क) गरबा (ख) जात्रा (ग) तमाशा (घ) छाऊ

3. भांगड़ा किस प्रान्त की नृत्य शैली है?

(क) छत्तीसगढ़

(ख) उत्तरांचल (ग) झारखण्ड (घ) पंजाब

4. कत्थक भारत के किस क्षेत्र की नृत्य शैली है।

(क) पूर्वी, (ख) पश्चिमी (ग) उत्तर (घ) दक्षिण

1.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. ग 2. क. 3. घ 4. ग

इकाई -23 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

इकाई की रूपरेखा

23.0 उद्देश्य

23.1 प्रस्तावना

23.2 नव संस्कृति

23.2.1 नव संस्कृति : अर्थ, अवधारणा

23.2.2. नव संस्कृति के कारक

23.3 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

23.3.1 पारम्परिक मीडिया

23.3.2 प्रिन्ट मीडिया

23.3.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया

23.4 नव संस्कृति का सशक्त संवाहक : सेटेलाइट मीडिया

23.5 नवसंस्कृति - सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में

23.6 सारांश

23.7 शब्दावली

23.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

23.9 प्रश्नावली

23.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

23.9.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

23.9.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

23.9.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

23.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको नव संस्कृति के बारे में विस्तार से समझाते हुए यह स्पष्ट करना है कि किस प्रकार संचार माध्यम नव संस्कृति को समाज में संचारित करते हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप --

नव संस्कृति की व्याख्या कर सकेंगे।

नव संस्कृति के संचार में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।

सेटेलाइट माध्यमों की उपयोगिता स्पष्ट कर सकेंगे।

सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में नव संस्कृति को स्पष्ट कर सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

संचार एक सहज प्रवृत्ति है। संचार ही जीवन है, संचार शून्यता ही मृत्यु है। आधुनिक न जीवन की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का ताना बाना संचार साधनों द्वारा सुव्यवस्थित है। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति ,सभ्यता और संस्कृति के विकास का ध्यम है। असभ्य को सभ्य, संकीर्ण को उदार तथा नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व क्ति संचार में ही निहित है। इसके बिना मानव गरिमा की कल्पना नहीं हो सकती । चार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है, सांस्कृतिक परिवर्तन ी आधारशिला है तथा वर्तमान नव संस्कृति का सशक्त संवाहक है। इन्हीं सब बातों का स्तार से अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा।

3.2 नव संस्कृति

3.2.1 नव संस्कृति : अर्थ एवं अवधारणा

आदि काल से चली आ रही संस्कृति की मुख्य धारा देश- काल, परिस्थितियों के अनुरुप रिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण है सांस्कृतिक हस्तान्तरण । प्रत्येक ीढ़ी, पारम्परिक संस्कृति में जो उसे विरासत में मिलती है, अपने ज्ञान और अनुभव को जोड़ती ै। इस प्रकार वह प्राचीन संस्कृति में अपने ज्ञान अनुभव जोड़कर अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करती हैं। सांस्कृतिक हस्तान्तरण का यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी अबाध गति से चलता रहता है। स हस्तान्तरण की प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब प्राचीन संस्कृति अपने मूल स्वरूप ें परिवर्तित हो जाती है। यही परिवर्तित संस्कृति समाज में नव संस्कृति के रुप में प्रतिष्ठित ोती है। नव संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति की नवीनता से है। मानव का यह स्वभाव रहा है के वह समयानुकूल परिवर्तनों को अपनी सुविधानुसार आत्मसात करता है।

आधुनिक युग की जीवन शैली इतनी जटिल हो गयी है कि मनुष्य कम से कम समय ें ही अपने सारे निर्धारित कार्य सम्पन्न करना चाहता है। इस आपा- धापी और समयाभाव का प्रभाव उसकी जीवन शैली पर पड़ता है और वह जीवन -यापन की प्राचीन मान्यताओं को भुलाकर अपनी सुविधानुसार जीवन शैली अपनाता है। इस प्रकार उसके दैनिक आचरण के तरीके बदल जाते है। खान पान , पहनावा, संस्कार आदि सभी परिवर्तित हो जाते हैं। आज के

मनुष्य के पास भोजन करने तक का समय नहीं है किन्तु जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता को देखते हुए उसने 'फास्ट फूड' संस्कृति अपना ली। इसमें भोजन बनाने, खाने और उसे पचाने में अपेक्षाकृत कम श्रम, समय व्यय करना पड़ता है। आवश्यक पौष्टिक तत्वों का समावेश करके वह कम समय में ही अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। यही स्थिति पहनावे की भी है। पारम्परिक वेश भूषा की जटिलता को त्यागकर कुछ भी पहन लेने की संस्कृति का विकास हुआ। रेडीमेड वस्त्रों का प्रचलन बढ़ा। इन सबके साथ मनुष्य की जीवन शैली भी बदल गई है।

आज के वैज्ञानिक युग में मानव जीवन का हर पक्ष वैज्ञानिक उपकरणों पर निर्भर हो गया है मनुष्य की उपकरणों के प्रति बढ़ती निर्भरता भी सांस्कृतिक परिवर्तन का ही सूचक हैं। इस प्रकार उपर्युक्त स्वरूपों में परिवर्तित संस्कृति ही समाज में नव संस्कृति के रुप में प्रतिष्ठित होती है। अर्थात नव संस्कृति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह संस्कृति है जिसमें प्राचीनता का लोप और आधुनिकता का वर्चस्व होता है।

23.2.2 नव संस्कृति के कारक

नव संस्कृति के अनेक कारक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

1. **आधुनिकता -** नव संस्कृति में प्राचीन प्रचलित पारम्परिक मान्यताओं के स्थान पर आधुनिक मान्यताएं स्थापित हो जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिक तत्वों का समावेश हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के साथ जीवन जीने का आदी हो जाता है मनुष्य और उसे पुरानी जीवन शैली के स्थान पर आधुनिक को अपनाने में कोई समय नहीं लगता।

2. **औद्योगीकरण -** आज का युग औद्योगीकरण का युग है। आज का विश्व औद्योगिक विकास से विविध रुप से त्रस्त है क्योंकि वह मानवीय श्रम शक्ति को क्षीण कर प्राकृतिक सम्पदाओं को नष्ट करता हुआ समाज को सुविधाभोगी बना रहा है। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर नव संस्कृति की स्थापना हो रही हैं वहीं समाज की नैतिकता, आस्था और मान्यताएं नष्ट हो रही हैं। इसके बावजूद नवसंस्कृति के विस्तार में औद्योगीकरण ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

3. **अर्थव्यवस्था -** वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां मनुष्यों को स्वार्थी बनना पड़ता है। जन- जन को जमीन से जोड़ कर विकास की गति बढ़ाने की अवधारणा का लोप हो गया है। पहले व्यक्ति स्वतः समाज में अपने अर्थ का बँटवारा करता था तथा ऐसा करने में उसे सुख और शान्ति मिलती थी परन्तु आज का मनुष्य समाज के लिए कुछ नहीं सोचता। उसका मानना है कि उसके द्वारा अर्जित धन सम्पत्ति में समाज क्यों भागीदार बने। पाप और पुण्य रूपी आस्था का नियन्त्रण समाप्त हो गया और इसी कारण मनुष्य स्वार्थ प्रिय हो गया। यह नव संस्कृति की ही देन है।

ान- पान - हमारे पूर्वजों ने पारम्परिक संस्कृति की खान- पान व्यवस्था हमें सौंपी थी। अन्न-याग और अन्न के बँटवारे को पूर्वजों ने व्रत त्यौहार से जोड़ा था। अन्न का त्याग व्रत के ाध्यम से होता था तो अन्न का बँटवारा हर रसोई में बनने वाले पदार्थों से। रसोई में बनने ाले व्यंजन का हिस्सा जानवरों से लेकर मनुष्य तक को लगता था। कोई भी व्यक्ति किसी ी घर से बिना कुछ खाये नहीं जाता था। इन सबके पीछे मात्र यही अवधारणा थी कि माज के हर व्यक्ति को अन्न की प्राप्ति हो।

नव संस्कृति ने खान- पान की अवधारणा में आमूल परिवर्तन किया है। अब फास्ट ूड का प्रचलन बढ़ा है, रसोई की अवधारणा ही परिवर्तित हो गई है। आज के मनुष्य के पास तना भी समय नही है कि वह बना के खाने में समय दे सके। इसीलिए उसने विकल्प के रुप ं फास्टफूड परम्परा को अपनाया । उसकी नजर में पारम्परिक रसोई की अवधारणा अब ोई मायने नहीं रखती। रसोई का तात्पर्य वह आत्म तुष्टि से लगाता है और वह चाहे जिस ूप में भी उसे प्राप्त हो। यह सब नव संस्कृति को और भी बढ़ावा देने वाली बातें हैं।

संस्कृतियों का अन्धानुकरण -

हाल के दशक में संस्कृतियों के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति की स्वच्छन्दता और उन्मुक्तता का अनुकरण पूर्वी संस्कृति के युवा वर्ग में तेजी से हो रहा है। वे अपनी पुरानी पारम्परिक संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों का त्याग कर तेजी से पश्चिमी संस्कृति के आदर्शों को अपना रहे हैं। वहीं पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारतीय आध्यात्मिक पारम्परिक संस्कृति के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात कर रहे हैं। इस प्रकार ये दोनों संस्कृतियां एक- दूसरे का अन्धानुकरण कर अपनी मौलिकता का त्याग कर एक नई संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। यह नई संस्कृति वर्तमान आधुनिक समाज में नव संस्कृति के रुप में प्रतिष्ठित हो रही है।

इस प्रकार नव संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार हो रहा है। यह किसी एक देश विशेष या संस्कृति विशेष के साथ नहीं हो रहा है। बल्कि यह सांस्कृतिक परिवर्तन नव संस्कृति के रूप में विश्व व्यापी हो गये हैं अतः नव संस्कृति आज के युग में विश्व व्यापी अवधारणा बन गई है। इनके कारक भी ऐसे हैं जो सार्वभौम रुप से संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं।

23.3 नव संस्कृति का संवाहक मीडिया

मीडिया प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग के कारण मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। इसका प्रभाव समाज की अर्थ- व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा है। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में मीडिया ने एक विशेष स्थान अर्जित कर एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया है। यह नई व्यवस्था ही आधुनिक संस्कृति है जिसे नव संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है और इस संस्कृति का जन्म, संरक्षण एवं पोषण सब कुछ मीडिया द्वारा ही हो रहा है। यह इस बात

का स्पष्ट प्रमाण है कि मीडिया नव संस्कृति की सशक्त संवाहक है। मीडिया के विविध रूपों के विश्लेषण से इस स्थिति को और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

23.3.1 पारम्परिक मीडिया -

पारम्परिक मीडिया ग्राम्य संस्कृति की उपज है। इसकी मौलिकता तथा विश्वसनीयता असंदिग्ध है। पारम्परिक मीडिया देशवासियों के धार्मिक , सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन के अत्यन्त निकट होते हैं। इनकी विषय - वस्तु जन सामान्य की परम्परा, रीति- रिवाज, उत्सव और समारोह से सम्बद्ध बातें होती हैं जिसमें रोचकता और अपनापन होता है। लोक कलाओं का उद्भव और विकास अनपढ़, अकृत्रिम ग्रामीण जनता के बीच हुआ। ग्रामीण परिवेश में उद्भूत संचार के पारम्परिक माध्यमों में पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों से तादात्म्य स्थापित कर लेने की अदभुत क्षमता होती है। जैसा कि मैकब्राइड आयोग का कथन है कि --

"जन सामान्य के प्रति अपने व्यापक आकर्षण और लाखों निरक्षर लोगों के गहनतम संवेगों को छूने के अपने गुण की दृष्टि से गीत और नाटक का माध्यम अद्वितीय होता है।"

विश्व के सभी अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में, नशा उन्मूलन, साक्षरता अभियान, पोलियो उन्मूलन, एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों की सफलता बहुत हद तक इन पारम्परिक माध्यमों पर ही निर्भर करती है। धार्मिक अन्धविश्वास, कुपोषण, दहेज आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागृति पैदा करने में पारम्परिक माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पारम्परिक मीडिया की इस प्रभाव क्षमता से प्रभावित होकर इलेक्ट्रानिक मीडिया भी इसे आत्मसात कर रही हैं।

पारम्परिक मीडिया अपनी संस्कृति का सफलतापूर्वक संचार करती है। यही कारण है कि नवीन सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रचा -प्रसार भी पारम्परिक मीडिया द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नव संस्कृति के संवहन में पारम्परिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

23.3.2 प्रिन्ट मीडिया

प्रिन्ट मीडिया (पत्रकारिता) को स्पष्ट करते हुए डॉ. अर्जुन तवारी ने लिखा है कि लोक मानस की अभिव्यक्ति की जीवन्त विधा ही पत्रकारिता है जिससे सामयिक सत्य मुखरित होते हैं समय और समाज के सन्दर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। जन संवेदना के संचार का सर्वसुलभ प्रभावकारी जन माध्यम ही पत्रकारिता है। युगबोध के प्रमुख तत्वों के साथ ही मानवता के विकास और विचारोत्तेजन का राजमार्ग ही पत्रकारिता है जिससे जन -जीवन पल- पल पर उद्वेलित होता रहता है ।

माज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के चलते मानव ंघर्ष , क्रान्ति ,प्रगति, दुर्गति से प्रभावित जीवन सागर में उठने वाले ज्वार भाटा को दिग्दर्शित रने वाली पत्रकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो चुकी है। जनता, समाज, राष्ट्र और विश्व को रीबी का भूगोल, पूंजीपतियों का अर्थशास्त्र और नेताओं का समाजशास्त्र पढ़ाने में पत्रकारिता ी सक्षम है। इस जीवन्त विद्या से जन -जन के सुख- दुःख, आशा, आकांक्षा को मुखरित किया जाता है ।

पत्रकारिता अपने सांस्कृतिक परिवेश से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। समाचार त्रों के आकार- प्रकार, मेक अप और प्रस्तुतीकरण में निरन्तर हो रहे परिवर्तन सांस्कृतिक रिवर्तन के ही परिचायक हैं । वर्तमान समय की पत्रकारिता में तकनीकी और प्रौद्योगिकी रिवर्तन स्पष्ट है। भारतीय परिवेश में जिस हिन्दी भाषा में ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म और रचनात्मक सृजन के मानदण्ड रचे गये हों उसके लिए यह स्वाभाविक है कि अब वह आधुनिक तकनीकों से अपना तालमेल बनाए। आधुनिक तकनीक नव संस्कृति की संवाहक हैं और उनसे तालमेल बिठाकर पत्रकारिता भी नव संस्कृति की संवाहक बन गयी है।

सूचना तकनीकी के अधिकाधिक प्रयोग और विशेष रुप से इंटरनेट के विस्तार के कारण सारी दुनिया के दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आ रहा है। जिस गति से विश्व में सूचनाओं का आदान -प्रदान हो रहा है उसी अनुपात में इंटरनेट एक क्रान्तिकारी माध्यम के रूप में उभर रहा है। इसका लोगों , परिवारों, पूरे समाज, अर्थ व्यवस्था और देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। प्रिन्ट मीडिया भी इससे अछूती नहीं है। प्रिन्ट मीडिया में काम करने वाले लोग दिनोंदिन अपनी जानकारी और स्रोतों के लिए इन्टरनेट को अपनाने लगे हैं। राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय स्तर का शायद ही कोई ऐसा समाचार पत्र हो जिसने इन्टरनेट को न अपनाया हो।

इस प्रकार नव संस्कृति की पहचान बन चुकी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का आश्रय लेकर अब प्रिन्ट मीडिया भी अपने प्राचीन मूल्यों, आदर्शों को संशोधित करके सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन का व्यवसाय करने लगी है। पहले पाठकों की रुचि परिष्कृत करने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था । अब पाठकों की रुचि का सर्वेक्षण करके उसके अनुरुप समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाने लगा है। पाठकों की रूचि नव संस्कृति को अपनाने की ज्यादा है इसीलिए अब समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं स्वयं को नव संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके प्रिन्ट मीडिया नव संस्कृति की प्रमुख संवाहक बन गई है। प्रिन्ट मीडिया के द्वारा शिक्षित जनमानस की विचारधारा में परिवर्तन लाकर उन्हें नव संस्कृति के प्रसार में वैचारिक योगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि प्रिन्ट मीडिया आधुनिक युग में नव संस्कृति की प्रमुख संवाहक है।

23.3.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया

संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों में रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन अन्य की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वसुलभ है। इनके द्वारा सांस्कृतिक संचार का कार्य विश्व व्यापी और प्रभावी हो गया है। इनका क्रमशः विश्लेषण करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि नव संस्कृति के संवहन में इनकी क्या उपयोगिता है।

रेडियो - वर्तमान संचार क्रान्ति की अग्रदूत सूचना प्रौद्योगिकी ने रेडियो को एक नए दौर में पहुँचा दिया है। इससे रेडियों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार हुआ है, श्रोताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अपने श्रोताओं तक सूचनाओं के प्रसार तथा शिक्षा प्रद एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास में रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है ।

रेडियो प्रसारण की भाषा सरल और सुबोध होती है। इसके श्रोताओं में शिक्षित-अशिक्षित सभी वर्ग के लोग होते हैं। भाषा व्यक्ति के अभावों की सहचरी होती है। वह अभिव्यक्ति का कारण है, परिणाम नहीं। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ कहने को आतुर रहता है। उसके अपने अभाव, अपूर्णता और असफलताएं उसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए बेचैन किए रहती हैं। मनुष्य -मनुष्य के बीच भाषा भावनात्मक रिश्ता कायम करती है। और इस प्रकार वह समाज का निर्माण करती है। भाषा सही अर्थों में मनुष्य का परिचय-पत्र होती है। रेडियो प्रसारण मे हम इसी भाषा की तलाश करते हैं जो व्यक्ति के लौकिक जीवन की सच्ची संवाहिका बने। प्रसारण की भाषा में स्वाभाविकता, ओज, प्रभाव और चुटीलापन आदि का समन्वय होता है इसीलिए श्रोता उसे रुचिपूर्वक सुनता है। यही कारण हैं कि रेडियो सन्देश जन जन को प्रभावित करके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कारक बनते हैं।

अपनी सुलभता और प्रसारण क्षमता के कारण रेडियो एक सर्वसुलभ संचार माध्यम हैं। इसके द्वारा समाज में हो रहे अभिनव परिवर्तनों का प्रचार प्रसार करके समाज में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि नव संस्कृति के प्रचार -प्रसार में रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करता है।

सिनेमा का प्रयोग प्रायः मनोरंजन के लिए ही किया जाता है। इसकी आवश्यकता की अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति थक जाता है, अवकाश के समय कुछ मनोरंजन चाहता है।ऐसे समय में सिनेमा का चलायमान चित्र अपने कथानक में दर्शक को समेट लेता है। वस्तुतः दर्शक तन -मन से चित्र पट में अपने को खो देता हैं । जो चित्र और संवाद सिनेमा में दिखाई और सुनाई पड़ते हैं, वे उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव कभी- कभी तो क्षणिक होता है। परन्तु कभी - कभी तो इसका प्रभाव स्थायी रुप से पड़ता है। मानव मन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता के कारण सिनेमा जन संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है।

सिनेमा में विज्ञान की शक्ति और कला का सौन्दर्य होता है। यह मस्तिष्क को खुराक है। और हृदय को आन्दोलित करता है। सिनेमा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली यम है। जो किसी घटना अथवा विचार को मनोरम ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यक्ति के ःकरण को स्पर्श कर उसे सकारात्मक भूमिका के लिए उत्प्रेरित करने में सिनेमा की वपूर्ण भूमिका है। वस्तुतः सिनेमा मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है। बल्कि यह अतीत का लेख, वर्तमान का चितेरा और भविष्य की कल्पना है। व्यक्ति , समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण का महत्वपूर्ण दायित्व सिनेमा ही निभाता है।यह ऐसा प्रभावकारी माध्यम हैं जो क्षत -अशिक्षित, धनी- निर्धन, नर -नारी तथा सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। ीय एकता, अछूतोद्धार, नारी जागरण, अन्याय, शोषण , भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, दायवाद, जैसे प्रश्नों पर जन- जन को जागृत करने वाला माध्यम सिनेमा ही है, ललित ओं के संगम के रुप में प्रदर्शित सिनेमा सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना साधन तो है ही, जनता को प्रशिक्षित करने की भी उसमें अदभुत क्षमता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपने इन बहुआयामी गुणों के कारण सिनेमा सांस्कृतिक संचार का सशक्त माध्यम है और नव संस्कृति का सफल संवाहक भी है।

विजन - आधुनिक संचार क्रान्ति में टी.वी. की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टी.वी. ी राष्ट्र की प्रगति का प्रामाणिक व्याख्याता है। यह राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप का दर्पण मनुष्य के दैनिक जीवन में टी. वी. की घुसपैठ ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है जिस गति से वर्तमान में टी. वी. का विकास हुआ है उसी गति से विश्व की संस्कृति भी परिवर्तित हुई है। ालिल्कता, घनिष्ठता और विश्वसनीयता के कारण टी. वी. सामाजिक और सांस्कृतिक र्तन लाने में सर्वाधिक सशक्त भूमिका का निर्वाह करता है।

टी. वी. के साथ ही केबिल टी. वी. के विकास ने नये संस्कृति के प्रचार- प्रसार में क और सकारात्मक भूमिका निभाई हैं। वर्तमान समय में टी. वी . एक साथ आदर्श शिक्षक, स अभिकर्ता, मनोरंजनकर्ता और सूचनादाता के रुप में समाज का निर्माता और संस्कृति संवाहक हैं। हर देश की युवा पीढ़ी के आचरण में टी. वी. की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है कारण आज की युवा पीढ़ी को टी. वी. जनरेशन की संज्ञा भी दी जाती हैं । यह सब तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि नव संस्कृति के संवाहक के रुप में टी. वी. की भूमिका वपूर्ण है।

रेडियों , टी. वी. और सिनेमा के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक माध्यम यूटर है।आज के मनुष्य के दैनिक जीवन का हर पल कम्प्यूटर नियन्त्रित हो गया है। यूटर और वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व में नव संस्कृति के प्रचार- प्रसार में रात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चाहे पारम्परिक मीडिया हो, प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी प्रसार सीमा के अन्तर्गत अपने प्रभाव क्षमता का पूर्ण उपयोग करके नव संस्कृति का संवहन करते हैं।

23.4 नव संस्कृति का सशक्त संवाहक -सेटेलाइट मीडिया

आज का युग संचार क्रान्ति का युग है संचार क्रान्ति और सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर पल को अपने नियन्त्रणं में ले रखा है। संचार क्रान्ति का मूल आधार अन्तरिक्ष में स्थापित उपग्रह हैं जो सेटेलाइट मीडिया के नाम से विख्यात हैं। सभी संचार उपकरण और विश्व व्यापी संचार व्यवस्था अब पूर्ण रुप से सेटेलाइट मीडिया पर आश्रित हो गयी हैं सेटेलाइट के अभाव में संचार क्रान्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं।

मानवीय विकास और औद्योगिक क्रान्ति ने समूचे विश्व परिवेश को प्रभावित किया। निःसन्देह संचार जगत भी इससे अछूता नहीं रहा, बल्कि संचार प्रक्रिया इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई। यह प्रभाव अपेक्षाकृत सकारात्मक अधिक है। तकनीकी विकास के कारण संचार जगत में जो युगान्तरकारी बदलाव आये , उनका सीधा सम्बन्ध -अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण से हैं। उपग्रहों के कारण वायु तरंग पर बैठकर न सिर्फ ध्वनि बल्कि चित्र में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते पहुँच जाते हैं। इस प्रगति ने संचार को आकाशीय बना दिया आज हम Information age (इनफारमेशन एज) में जी रहे हैं। सूचना ही आज शक्ति है। जिसके पास त्वरित सूचना प्राप्त करने के साधन हैं। वह इस युग में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह त्वरित सूचना अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से सम्भव हो सकी है।

प्रश्न उठता है कि आखिर उपग्रह क्या है? दरअसल ग्रह और उपग्रह आकाश में स्थित एक पिण्ड हैं जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर निश्चित स्थिति पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमता रहता है। पृथ्वी के अलावा आठ अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इन ग्रह -उपग्रहों को सूर्य का परिवार भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों तरफ चन्द्रमा घूमता रहता है । आकाशीय उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राकृतिक उपग्रह, जैसे -पृथ्वी , चन्द्रमा और दूसरे कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं - 1. कक्षीय उपग्रह -यह लगातार पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। 2. भू-स्थिर उपग्रह - इन्हें संचार उपग्रह भी कहते हैं यह पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थित रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है किसी प्रकार भी ग्रह के चारों ओर जब कोई आकाशीय पिण्ड एक निश्चित कक्षा में घूमता रहता है तो उसे उपग्रह कहते हैं।

सन 1957 में विश्व का पहला उपग्रह आकाश में भेजा गया। विकास के अगले चरण में दिसम्बर 1968 में पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके द्वारा चौबीस घण्टे

चना प्रसारण सुविधा मिल सकी। अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित रने के लिए राकेट की सहायता ली जाती हैं । इस राकेट को लांचर कहते हैं। पृथ्वी की क्षा में स्थापित कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगता है। घूमने के साथ उपग्रंह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से संतुलित करता है, जिससे उपग्रह नीचे न आकर ातार अपनी कक्षा में घूमता रहता है।

• उपग्रहों ने संचार की दुनिया को आज काफी विस्तृत कर दिया है। इसके लिए विषुवत् ा के ऊपर एक निश्चित ऊँचाई पर उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहेां को स्थिर उपग्रह कहते हैं। ये प्रसारण में सहयोग देते हैं । यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के किसी त में एक जगह पर रिथर होता है तो वह पृथ्वी के साथ- साथ घूमने लगता है। इस प्रकार ग्रह की परिक्रमा करने का समय तथा पृथ्वी का स्वयं अपनी कक्षा में घूमने का समय बर होता है। इन्हीं को संचार उपग्रहों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। उपग्रह संचार ध्यम में सबसे पहले पृथ्वी से कोई भी संकेत उपग्रह की ओर भेजा जाता है, उपग्रह इन्हें ण करते हैं फिर इनका आवर्धन करते हैं, इसके बाद उपग्रह इन्हें विभिन्न दिशाओं में भेज हैं। इन संकेतों को पृथ्वी पर स्थित प्रसारण केन्द्र ग्रहण कर उन्हें प्रसारित करते हैं। इस ह से संचार प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं।

भारत में अंतरिक्ष संचार प्रणाली का शुभारम्भ सन 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ाठन के साथ ही हो गया। सन 1962 में थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र सन 7 में अहमदाबाद स्थित प्रायोगिक उपग्रह संचार भू -केन्द्र की स्थापना के बाद भारत को रिक्ष विज्ञान में अनेक सफलताएं मिली। सन 1965 में उपग्रह संचार में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नेट के माध्यम से व्यवहार में लाया गया, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को संचार उपग्रह सुविधा प्रदान करना था। इसके लगभग 75 उपग्रह अंतरिक्ष में हैं।

अन्तरिक्ष में स्थित संचार उपग्रहों ने समस्त संचार उपकरणों एवं संचार के इलेक्ट्रानिक यमों को एक विशेष गति दी है । इस गति से संचार की सार्थकता सिद्ध हुई और विश्व ग्राम परिकल्पना साकार हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि सेटेलाइट मीडिया अर्थात उपग्रह र माध्यम विश्व में नव संस्कृति के सर्वाधिक सशक्त संवाहक है।

.5 नव संस्कृति :सांस्कृतिक परिवर्तन के रुप में

निरन्तरता, प्रवाहात्मकता तथा हस्तान्तरण संस्कृति का प्रथम और अनिवार्य गुण श - काल, परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती हुई संस्कृति कभी- कभी अपना मूल प खो देती है। संस्कृति में जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो प्राचीनता के पोषक इसे संस्कृति की संज्ञा देते हैं। उन्हें संस्कृति में आए इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई है। नयी जीवन शैली, खान -पान, आचरण के तरीके ये सब प्राचीनता से समन्वय स्थापित कर पाते।उनमें द्वन्द होता है जिसकी परिणति सांस्कृतिक संघर्ष में होती हैं।

इस सांस्कृतिक संघर्ष में संचार माध्यम मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे समाज को प्राचीन संस्कृति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, परिवर्तित संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराते हैं तथा दोनों में सामन्जस्य बिठाने का कार्य करते हैं।इस प्रकार प्राचीनता के पोषक जो इस सांस्कृतिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे थे, मीडिया के द्वारा ज्ञान होने पर उसे स्वीकार कर लेने में नहीं हिचकिचाते । इस प्रकार एक वर्ग की अपसंस्कृति और दूसरे वर्ग की नव संस्कृति के मध्य एक सामंजस्य बन जाता है तथा धीरे - धीरे समाज का हर वर्ग इस सांस्कृतिक परिवर्तन को स्वीकार कर उसे नव संस्कृति के रुप में अपना लेता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की यह स्थिति हर 100 - 200 वर्ष में बनती है। आधुनिकता और परम्परा के मध्य द्वन्द होता है और फिर नव संस्कृति के रुप में एक नयी संस्कृति का जन्म होता है।हजारों वर्षों से सांस्कृतिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया चली आ रही है और अनन्त काल तक चलती भी रहेगी।

इस प्रकार हम पाते हैं कि नव संस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में समाज में स्थापित होती है और समाज के हर वर्ग द्वारा स्वीकार की जाती है।

23.6 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि नव संस्कृति क्या है इसके क्या कारण तथा परिणाम हैं तथा किस प्रकार संचार के पारम्परिक माध्यम , मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रानिक माध्यम नव संस्कृति के संवाहक की भूमिका निभाते हैं ।

आपने यह भी जाना कि सेटेलाइट क्या हैं और इनके द्वारा नव संस्कृति का संवहन किस प्रकार से होता है। नव संस्कृति वस्तुतः कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि देश- काल, परिस्थति के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही नव संस्कृति है। यह परिवर्तन जब तीव्र गति से होता है तो इसे नव संस्कृति ही कहा जाता है। अन्यथा मन्द गति से होने वाला परिवर्तन केवल सांस्कृतिक परिवर्तन ही कहा जाता है।

23.7 शब्दावली

23.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सम्पूर्ण पत्रकारिता : डॉ. अर्जुन तिवारी
2. जनसंचार समग्र : डॉ. अर्जुन तिवारी
3. जनसंचार:कल और आज : डॉ. मुक्ति नाथ झा

.9 प्रश्नावली

.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नव संस्कृति का क्या तात्पर्य है।
2. नव संस्कृति की संवाहक पारम्परिक मीडिया किस प्रकार से है।
3. सेटेलाइट मीडिया क्या है? संक्षप्ति चर्चा करें।

9.2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न

1. नव संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कारक बताएं।
2. नव संस्कृति का संवाहक मीडिया किस प्रकार से है?
3. नव संस्कृति क्या है? यह सांस्कृतिक परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न हैं?

9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

नव संस्कृति का संवाहक है-

(क) कठपुतली (ख) कुम्भ मेला

(ग) सेटेलाइट माध्यम (ग) इनमें से कोई नहीं

फिल्म है -

(क) इलेक्ट्रानिक मीडिया (ख) नाट्य परम्परा

(ग) मुद्रित माध्यम (घ) इनमें से कोई नहीं

.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

(ग) 2. (क)

इकाई - 24 अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 अन्तर्राष्ट्रीय संचार की अवधारणा

24.3 अन्तर्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने वाले कारक

 24.3.1 सम्प्रभुता

 24.3.2 राष्ट्रीय शक्ति

 24.3.3 राष्ट्रीय हित

24.4 अन्तर्राष्ट्रीय संचार और राजनीतिक विचारधाराएं

24.5 अन्तर्राष्ट्रीय संचार की प्रक्रिया

24.6 मीडिया का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

24.7 मीडिया की अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता

24.8 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना राजनीति

 24.8.1 मैक ब्राइड आयोग

 24.8.2 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का न्यूज पूल

 24.8.3 नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था

24.9 अन्तर्राष्ट्रीय संचार का महत्व

24.10 अन्तर्राष्ट्रीय संचार की वर्तमान स्थिति

24.11 सारांश

24.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

24.13 प्रश्नावली

 24.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

 24.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

24.13.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

24.13.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

.0 उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको अन्तर्राष्ट्रीय ार के विभिन्न पक्षों से अवगत कराना है।इस इकाई के सम्यक् अध्ययन से आप जान कगे।

अन्तर्राष्ट्रीय संचार क्या है? इसकी प्रक्रिया तथा इसका क्या महत्व है?

अन्तर्राष्ट्रीय संचार की सुगमता के लिए किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सूचना राजनीति के बारे में विस्तार से जान सकेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय संचार का महत्व तथा वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जान कगे।

.1 प्रस्तावना

संचार मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य देश, या, समाज और प्रकृति के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। मनुष्य की इसी उत्सुकता ने भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया है।।आविष्कार और शोध की सतत् क्या से गुजरते हुए आज मनुष्य जिस युग में जी रहा है उसे संचार क्रान्ति का युग कहा ा है।संचार क्रान्ति के इस युग में मानव जीवन का हर पल संचार उपकरणों की गिरफ्त । मानवीय आवश्यकता की दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर ज्ञान- विज्ञान की तमाम कारियां आज सूचना प्रौद्योगिकी के चलते अत्यल्प समय में ही हमें उपलब्ध हो जा रही संचार उपकरणों ने मानव जीवन के हर पल को उजागर कर दिया है। अब तो विकास, वहन, विज्ञान एवं तकनीक यहाँ तक कि युद्धोपयोगी उपकरण भी संचार आधारित हो हैं।

राष्ट्र का निर्माण मनुष्य द्वारा ही होता है।राष्ट्र की सीमा में रहकर मनुष्य अपने ीय संविधान के अनुरुप जीवन यापन करता है। संविधान की सीमा में ही संचार माध्यम शों का सम्प्रेषण करते हैं जिस प्रकार मानव जीवन संचार उपकरणों पर निर्भर हो गया सी प्रकार राष्ट्रीय अस्मिता भी संचार उपकरणों पर आश्रित हो गयी है। संचार माध्यम दो राष्ट्रों के मध्य मैत्री और सौहार्द के प्रमुख स्तम्भ हैं वहीं अब यह युद्ध के 'कारण' एवं वपूर्ण तथा प्रभावी 'उपकरण' भी बनते जा रहे हैं। संचार तकनीक की दृष्टि से हम सम्पूर्ण व को दो भागों में बाट सकते हैं। एक ओर उन्नत संचार तकनीक वाले देश हैं जो उन्नत

तकनीक के आधार पर सूचना साम्राज्यवाद का विस्तार करते चले जा रहे हैं तो दूसरी ओर अल्प विकसित संचार तकनीक वाले देश हैं जो अपने सीमित संसाधनों के बल पर सूचना साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्पूर्ण विश्व जिस प्रकार का दो गुटों में विभक्त था उसी प्रकार गुट आज भी विद्यमान है। अन्तर केवल कारण का है, पहले का विभाजन राजनीतिक आधार पर शक्ति सन्तुलन के लिए था जबकि वर्तमान विभाजन का आधार केवल संचार तकनीक हैं ऐसी स्थिति में युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाने के लिए तथा विश्व में शान्ति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संचार की महत्ता एवं आवश्यकता स्वतः सिद्ध है।

24.2 अन्तर्राष्ट्रीय संचार की अवधारणा

अन्तर्राष्ट्रीय संचार की अवधारणा का विकास मानव सभ्यता के विकास से सम्बद्ध है। मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ ही दुनिया की अन्य सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के बारे में जानना चाहा। जानकारी की इसी लालसा ने अनेक प्रकार के संचार माध्यमों को भी विकसित किया। आरम्भिक दौर में पर्यटन ही अन्तर्राष्ट्रीय संचार का एक मात्र माध्यम था। मनुष्य जल- थल मार्ग से समूह के रुप में यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान वे जहां अपने बारे में बाह्य जगत को बताते थे वहीं बाह्य जगत के समाचार, लौटने के बाद अपने समूह को बताते थे। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत से अपने समूह का संचार के माध्यम से तादात्म्य स्थापित करते थे। कालान्तर में कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने संचार माध्यम के रूप में मुद्रित सामग्री, समाचार, पत्र- पत्रिकाएं आदि को प्रचलित किया।

समाचार -पत्रों के आरम्भिक दौर में अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की जानकारी के लिए पत्र संचालक अपने प्रतिनिधि बन्दरगाहों पर नियुक्त करते थे। ये प्रतिनिधि आने वाले नाविकों एवं यात्रियों से देश- विदेश के समाचार प्राप्त कर उन्हें अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते थे बाद में समाचार पत्रों ने विदेशों में भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने आरम्भ किए। इस प्रकार विदेशों से प्राप्त समाचारों का प्रकाशन समाचार पत्रों में होने लगा। समाचार संकलन की इस प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता था और प्रामाणिकता भी संदिग्ध रहती थी।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को जानने की आवश्यकता ने संचार वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने और नए तरीके अपनाने को विवश किया। कालान्तर में टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस आदि के आविष्कार ने इस प्रक्रिया में गति पैदा की। अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को एक स्थान पर एकत्रित कर उसे समाचार पत्रों तक वितरित करने के लिए एक इकाई के गठन की जरूरत महसूस की गई। 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' कि उक्ति चरितार्थ करते हुए एक निष्पक्ष समाचार समिति की स्थापना की परिकल्पना ने जन्म लिया। आरम्भ में कुछ समाचार पत्रों ने सहकारी आधार पर इस प्रकार की समिति का गठन किया किन्तु उनके द्वारा समाचारों

सदस्य समाचार -पत्रों तक ही सीमित किए जाने से अन्य समाचार- पत्रों के प्रसारण प्रभावित लगे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गये।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय संचार की उपयोगिता को कार करते हुए ब्रिटेन ने इस दिशा में सार्थक पहल की। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति टेन को एक शक्तिशाली, साधन सम्पन्न और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर शासकीय त्रण कायम करने के लिए तमाम तरह के तकनीकी प्रयास किए। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व के पूर्व ही समुद्र के भीतर केबिन लाइन बिछाकर तथा रेडियो के आविष्कार के तुरन्त अपने उपनिवेशों को रेडियो सुविधा से सम्पन्न करके इसमें श्रेष्ठता हासिल कर ली। इस र जहां उसने अपने सैन्य संचार प्रणाली का विकास किया वहीं अपने विकसित संचार मों से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों का प्रचार प्रसार भी करने लगा।

अन्तर्राष्ट्रीय संचार की दिशा में सार्थक पहल करने का श्रेय पॉल जूलियस रायटर प्त है।रायटर नामक संवाद समिति की स्थापना करके इस व्यक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय र को एक नई दिशा एवं गति प्रदान की । यद्यपि इसके पूर्व ब्रिटेन की मार्कोनी वायर त, फ्रांस की हावास और जर्मनी को वोल्फ समाचार समिति तथा अमेरिका की ए.पी. ने स दिशा में प्रयास किया किन्तु सर्वाधिक सफलता रायटर को ही प्राप्त हुई।इसका कारण यह था कि रायटर ने अपने जन्मकाल से ही पारम्परिक, समसामयिक और धुनिक संचार साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया।प्रारम्भ में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा समाचार रित करने से लेकर, प्राप्त सरकारी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए नए- नए आविष्कारों के अपनी सेवाएं किसी भी देश एवं समाचार पत्र को देने में इसने कोई पक्षपात नहीं किया। रिक समाचारों को प्रमुखता से वितरित करने में यह संस्था अग्रणी रही। इस प्रकार र ने निष्पक्ष रूप से अपने ग्राहकों की सेवा करते हुए विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय संचार की गिता एवं महत्ता स्थापित की।

समय के प्रवाह और नित नए संचार उपकरणों के आविष्कार ने आज के युग में ष्ट्रीय संचार को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आज आर्थिक उदारीकरण के दौर में वेश्व अर्थ आधारित हो गया है। कौन सी वस्तु किस देश में अच्छी और सस्ती है यह । अब श्रम साध्य नहीं रहा। किस देश में बाजार की सम्भावनाएं प्रबल हैं, कहां उन्नत न हैं इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न देश संचार साधनों योग जहाँ अपने हित साधन में करने लगे हैं वहीं बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विकास की होड़ कता को त्याग कर अपना राष्ट्रीय हित और स्वार्थ सर्वोपरि रखने की प्रवृत्ति का तेजी से न हुआ। ऐसे में यह भी आवश्यक हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक नैतिक संहिता का निर्माण हो तथा वह सभी देशों के लिए बाध्यकारी हो। यदि ऐसा नहीं हुआ न के द्वितीय खाड़ी युद्ध में जिस तरह से पूरे विश्व की मीडिया दो खेमों में बंटी नजर

आयी वैसी स्थिति विश्व स्तर पर स्थायी रूप से हो जायेगी जो निश्चित रुप से अन्तर्राष्ट्रीय संचार के मूल स्वरूप को विकृत कर देगी। विश्व शान्ति सौहार्द और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सार्थकता अन्तर्राष्ट्रीय संचार के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके सकारात्मक पक्ष के विकास नितान्त आवश्यकता है जो नैतिक आचार संहिता के द्वारा ही सम्भव है।

24.3 अन्तर्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने वाले कारक

अन्तर्राष्ट्रीय संचार का स्वरुप, देश- काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। सामान्यतया मानव समाज बाह्य कर्म विधियों से शासित होता है जिसका क्षेत्र मानव स्वभाव है। समाज का परिष्कार करने के लिए मानव जीवन जिन कानूनों की परिधि में रहकर अपना कार्य संचालित करता है उसकी जानकारी अति आवश्यक है। अपने देश के साथ उन देशों के कानून की भी जानकारी मनुष्य के लिए आवश्यक है जिनसे हमें संचार की आवश्यकता महसूस होती है।

आदि काल से, जब से, चीनी, भारतीय और ग्रीक दर्शनों ने राजनीतिक विधियों के अन्वेषण की कोशिश की है, तबसे मानव स्वभाव, जिसमें राजनीतिक विधियों की जड़ें हैं, अपरिवर्तित ही रहा हैं। नवीनता राजनीति में एक आवश्यक गुण नहीं है और न ही प्राचीनता कोई अवगुण। यह तथ्य कि राजनीति का कोई सिद्धान्त शताब्दियों पहले विकसित हुआ था इसलिए वह अप्रासंगिक है, गलत है। उदाहरण के लिए शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त जो सदियों पहले विकसित हुआ था, आज भी प्रासंगिक है।राजनीति का कोई भी सिद्धान्त विवेक व अनुभव की द्विविध परीक्षा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। प्राचीन होने के कारण त्याज्य है यह विवेकमय तर्क नहीं बल्कि आधुनिकतामय दुराग्रह हैं जो वर्तमान की अतीत पर श्रेष्ठता को मान कर चलता है। तथ्यों को निश्चित करने तथा विवेक द्वारा उनमें सार प्रदान करने में ही सिद्धान्त निहित होता है।किसी देश की विदेश नीति का चरित्र केवल किए गये राजनीतिक कार्यों की परीक्षा तथा उन कार्यों के पहले से जाने हुए परिणाम के द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार हम राजनीति वेत्ताओं के कृत्यों और उनके अवश्यम्भावी परिणामों से उनके उद्देश्यों का भी अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय संचार को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक 'राजनीति' ही है। संक्षेप में हम अन्तर्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं।

24.3.1 सम्प्रभुता

सम्प्रभुता किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता का परिचायक होती है। अपनी भौगोलिक सीमा की परिधि में तथा वैदेशिक सम्बन्धों के मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र को होती है। इसी स्वतंत्रता को सम्प्रभुता की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में

ी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप, सम्प्रभुता का अतिक्रमण माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार ंचारकर्ता का यह दायित्व होता है कि वह प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की सम्प्रभुता का सम्मान और किसी भी दशा में उसका अतिक्रमण न करे। इसी प्रकार अपनी राष्ट्रीय सम्प्रभुता रक्षा और सम्मान करना भी संचारकर्ता का दायित्व होता हैं।

.3.2 राष्ट्रीय शक्ति

शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन मानव स्वभाव है और राष्ट्र भी एक व समूह होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो यां आर्थिक को त करना तथा इसमें निरन्तर वृद्धि करते रहना चाहता है। शक्ति विस्तार के साथ उसका र्शन भी आवश्यक होता है। यदि सभी राष्ट्र इस प्रक्रार शक्ति संचय, प्रसार एवं प्रदर्शन में जाएंगे तो यह विश्व एक युद्ध का मैदान बनकर ही रह जायेगा। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय ार के द्वारा जहां एक ओर राष्ट्रीय शक्ति का संरक्षण और संवर्धन होता है वहीं शक्ति र्शन की होड़ में लगे राष्ट्रों को युद्ध की विभीषिका में फँसने से भी रोका जा सकता है। ारकर्ता को न केवल दूसरे राष्ट्रों की बल्कि अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के मय सन्तुलन यम कर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का भी प्रसार करना होता है।

.3.3 राष्ट्रीय हित

किसी भी राष्ट्र के लिए उसका राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। यह तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय ार में भी प्राथमिक रुप से सवीकार्य है। किसी भी संचारकर्ता के लिए उसका राष्ट्रीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय हित का संरक्षण और उसका सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय ार का प्रथम दायित्व होता हैं।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संचार को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले क आर्थिक और तकनीकी है। जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित और सुदृढ़ होती है। के संचार माध्यम भी उन्नत तकनीक का प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय संचार में महत्वपूर्ण ाका निभाते हैं और अपनी बात अपेक्षाकृत ज्यादा क्षेत्र तक प्रसारित कर पाते हैं। उन्नत नीक और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाले देश संचार साधनों का प्रयोग अपने हित संवर्धन में रता से करते हैं। हाल के द्वितीय खाड़ी युद्ध में पाश्चात्य देशों की मीडिया द्वारा जो प्रसार ियान चलाया गया उससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत युद्ध का कारगर विरोध नहीं कर सका। जबकि के पश्चात वास्तविक स्थिति का पता चलने पर उन देशों की जनता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय त में भी व्यापक विरोध हुआ।

.4. अन्तर्राष्ट्रीय संचार और राजनीतिक विचारधारा

अन्तर्राष्ट्रीय संचार में राजनीतिक विचार धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिन्तन का इतिहास दो विचारधाराओं के संघर्ष की कहानी

है, जो अपने- अपने मानव समाज और राजनीति के स्वरुप के विचारों में मौलिक रूप से भिन्न हैं। एक का विश्वास है कि एक विवेकी और न्यायानुसारी चरित्रपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो सर्वत्र मान्य आदर्शों से ली गयी हैं, यहीं और अभी ही प्राप्त की जा सकती है। यह मानव स्वभाव की आधारभूत अच्छाई और अनन्त विकास को अंगीकार करती है। सामाजिक अवस्था के तर्कयुक्त मानदण्डों तक पहुँचने की असफलता के लिए ज्ञान और समझ का अभाव, अप्रचलित सामाजिक संस्थाओं या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों अथवा समुदायों की अतिनीचता को ही दोषी ठहराती हैं। इन कमियों के निवारण के लिए यह शिक्षा सुधार एवं शक्ति के यत्र- तत्र उपयोग में विश्वास करती है।

दूसरी विचारधारा इस बात में विश्वास करती हैं कि संसार जैसा तार्किक दृष्टिकोण से अपूर्ण है मानव स्वभाव के अन्दर स्वतः वर्तमान शक्तियों का प्रतिफल है। संसार को उन्नत करने के लिए उन शक्तियों के साथ काम करना है, न कि उनके विरोध में। स्वभावतः विरोधी स्वार्थों तथा आपसी झगड़ों से पूर्ण होने के कारण नैतिक सिद्धान्त कभी भी पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किए जा सकते केवल उनमें अस्थायी सन्तुलन ही स्थापित किए जा सकते हैं। यह विचारधारा नियंत्रण और सन्तुलन में ही सारे सत्तावादी समाजों का विश्वव्यापी आदर्श मानती हैं। यह ऐतिहासिक पूर्वकालीन उदाहरणों से पुनर्विचार की बात करती है और सम्पूर्ण अच्छाई की प्राप्ति के स्थान पर कम दोष को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है।

मानव स्वभाव जैसा वस्तुतः है, और ऐतिहासिक प्रगति का क्रम जैसा कि वास्तव में होता है उसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक रूप से पड़ता है। राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक सिद्धान्त निरूपित किए हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संचार की दृष्टि से एच.जे. मार्गेन्थाउ द्वारा निरूपित राजनीतिक यथार्थवाद का सिद्धान्त ही सर्वथा प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है।

24.5 अन्तर्राष्ट्रीय संचार प्रक्रिया

अन्तर्राष्ट्रीय संचार की प्रक्रिया का आंकलन हम इसके प्रभाव के साथ कर सकते हैं जो द्विस्तरीय होता है। प्रथम, प्रसारण/प्रकाशन की अन्तर्वस्तु का हस्तान्तरण तथा द्वितीय श्रोताओं/ दर्शकों पर उसका पड़ने वाला प्रभाव/इन अन्तर्वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह निम्नलिखित प्रकार से होता है।

1. **राष्ट्रीय** - जब विदेशी प्रसारण सामग्री राष्ट्रीय प्रसारण द्वारा प्रसारित होते हों।

2. **द्वितीपक्षीय** - जब कार्यक्रम बनाए और प्रसारित किसी देश में किए जाएं और पड़ोसी देश द्वारा उसे सीधे प्राप्त कर प्रसारित किए जाते हों।

3. **बहुपक्षीय** - जब कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण बिना किसी देश-विशेष के दर्शकों/

ाओं को ध्यान में रख कर किए जायें।

उक्त प्रक्रिया को निम्नलिखित चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है-

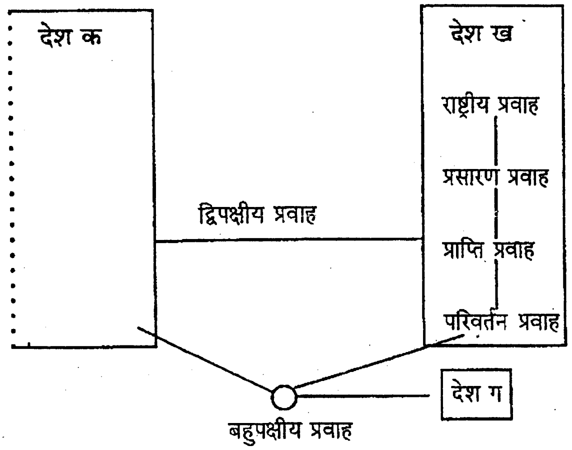

चित्र के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तीन राष्ट्रों के मध्य संचार का प्रवाह कैसे ा है। चित्र के अनुसार देश क मीडिया सम्बन्धी विषयों का प्रमुख निर्माता (उत्पादक) और ातिक देश है तथा ख और ग आयातक देश। पर राष्ट्रीय प्रभाव को तीन लाइनों में राष्ट्रीय, क्षीय और बहुपक्षीय रूप में दर्शाया गया है।प्रथम, राष्ट्रीय प्रभाव आयात के आधार पर र्य करता है और जो वास्तव में ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्रीय मीडिया व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय करण, मीडिया अन्तर्वस्तु के आयात के द्वारा होता है। द्वितीय, द्विपक्षीय प्रभाव प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय मीडिया व्यवस्था अपने आडिएन्स को अन्तर्राष्ट्रीय दिशा में ावित करता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब ऐसा होता है तो हम इसे प्रभावों का तर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं जो संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है। शेष दो, द्विपक्षीय बहुपक्षीय प्रक्रियाएं हैं।द्विपक्षीय प्रवाह प्रायः पड़ोसी राष्ट्रों में होता है जहां संस्कृति , भाषा, ्भव तथा सामाजिक संरचना में प्रायः कुछ समानताएं होती हैं। बहुपक्षीय प्रवाह एक देश ीधे कई देशों में होता है और यह अपेक्षाकृत कम प्रभावी होता है। ऐसी स्थिति प्रायः पारम्परिक यमों के सन्दर्भ में देखने को मिलती हैं जिससे प्रभावित होने वाले आडिएन्स की संख्या ी कम होती है। यद्यपि इन्टरनेट के विकास ने बहुपक्षीय प्रवाह को और भी व्यापक दिया है फिर भी इसकी प्रभाव क्षमता का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।

.6 मीडिया का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

मीडिया का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कोई नई बात नहीं हैं । 19वीं शताब्दी के मध्य में ही बड़े समाचार पत्रों ने तार प्रणाली का प्रयोग करके, समाचार समितियों के माध्यम से म विश्व की सूचनाएं प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया था। 20वीं शताब्दी में विभिन्न कारों ने राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सहायता से अपनी नीतियों का प्रचार-र आरम्भ कर दिया था। रेडियो , टी.वी. और उपग्रह संचार व्यवस्था के आविष्कार ने

अन्तर्राष्ट्रीय संचार को और भी सरल बना दिया। अब सिनेमा, संगीत, ड्रामा आदि के माध्यम से संस्कृतियों का भी प्रसार होने लगा और संचार माध्यमों ने राष्ट्र की सीमाएं लांघ कर अपना अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिखाना शुरु कर दिया।अब कोई भी कार्यक्रम खासकर टी.वी. , अन्तर्राष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने लगे हैं।

1970 में आयी तकनीकी क्रान्ति ने टेलीविजन प्रसारण को विश्व व्यापी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसके परिणाम स्वरुप राष्ट्रों की सीमाएं लांघ कर टेलीविजन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया और राष्ट्र की सीमा के भीतर इस अन्तर्राष्ट्रीयकृत टेलीविजन प्रसारणों को रोक पाना मुश्किल हो गया। सही मायने में यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय संचार की प्रक्रिया आरम्भ हुई, क्योंकि प्रसारणकर्ता अब श्रोता/दर्शक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गये। इसी क्रम में कम्प्यूटर और इन्टरनेट का विकास भी एक सशक्त माध्यम के रुप में हुआ। अब कम कीमत में अधिक प्रभावी ढंग से संचार का कार्य सम्भव हो गया और यही मीडिया जगत की तकनीकी क्रान्ति, जिसे हम संचार क्रान्ति कहते हैं, की विशेष उपलब्धि रही। संचार क्रान्ति ने मीडिया उद्योग को विकसित करने में भी सक्रिय योगदान किया। अब सम्पूर्ण विश्व का मीडिया उद्योग कुछ गिने चुने लोगों द्वारा ही संचालित किया जाने लगा है। मीडिया उद्योग समूहों ने अपने कार्यक्रमों के उत्पादन वितरण (निर्माण एवं प्रसारण) का विश्व व्यापी संजाल (नेटवर्क) स्थापित कर लिया है।

विश्व जनसंचार (Global Mass Communication) एक बहुपक्षीय अवधारणा है जिसमें ज्ञान के विविध स्वरूपों का समन्वय है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं-
-

1. मीडिया चैनलों और प्रकाशनों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के पाठकों/ दर्शकों तक सीधा वितरण एवं प्रसारण होता है। इसके अन्तर्गत विदेशी पुस्तकों एवं समाचार पत्रों का वितरण , उपग्रह प्रणाली द्वारा रेडियों और टी.वी. के कार्यक्रमों का प्रसारण शामिल है।

2. कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे, एम.टी.वी. (योरोप), सी.एन.एन. (इन्टरनेशनल) बी.बी.सी. (वर्ल्ड) आदि के प्रसारण शामिल हैं।

3. अनेक प्रकार के संचार माध्यमों, जैसे सिनेमा, संगीत, टी.वी. कार्यक्रम, पत्रकारिता से सम्बद्ध वस्तुएं आदि, की विषय- वस्तु जो आयातित होकर घरेलू मीडिया द्वारा प्रसारित/ प्रकाशित की जाती है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय समाचार चाहे वे विदेश के बारे में हों अथवा विदेश में तैयार की गयी हों, जिसका उपयोग घरेलू (राष्ट्रीय) मीडिया द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मीडिया के क्षेत्र में वैश्विक (ग्लोबल) और राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर कोई विभाजक रेखा का अस्तित्व नहीं है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी अन्तर्राष्ट्रीय संचार की एक नियामक इकाई बनती जा है। वैश्विक जनसंचार की अनेक समस्याओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध सांस्कृतिक ज्यवाद से है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को मीडिया साम्राज्यवाद के रुप में भी देखा जा ा हैं ।वर्तमान असन्तुलित शक्ति - व्यवस्था वाले विश्व में विकसित देश अपनी विकसित या का सहारा लेकर अपनी संस्कृति, जिसे उपभोक्तावादी संस्कृति कहना ज्यादा क्त होगा, का व्यापक रूप से प्रचार -प्रसार कर रहे हैं तथा विकासशील देशों को अपने कृतिक साम्राज्य में समाहित करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

7 मीडिया की अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि समाचार और सूचना तथा मनोरंजन के विश्व व्यापार में रिका सहित मात्र कुछ देशों का ही वर्चस्व है। अन्य देश इन देशों पर न केवल मीडिया उत्पादों ए निर्भर हैं बल्कि आर्थिक सन्दर्भ में भी निर्भर हैं। निर्भरता सिद्धान्त के प्रतिपादकों के ार निर्भरता सम्बन्धों के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं, विचारों एवं संस्कृति के क्षेत्र ा परिपक्व एवं समृद्ध हों तभी इस प्रकार के स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता मॉडल, मोवलाना

(International Communication Dependency Model, Mowlana)

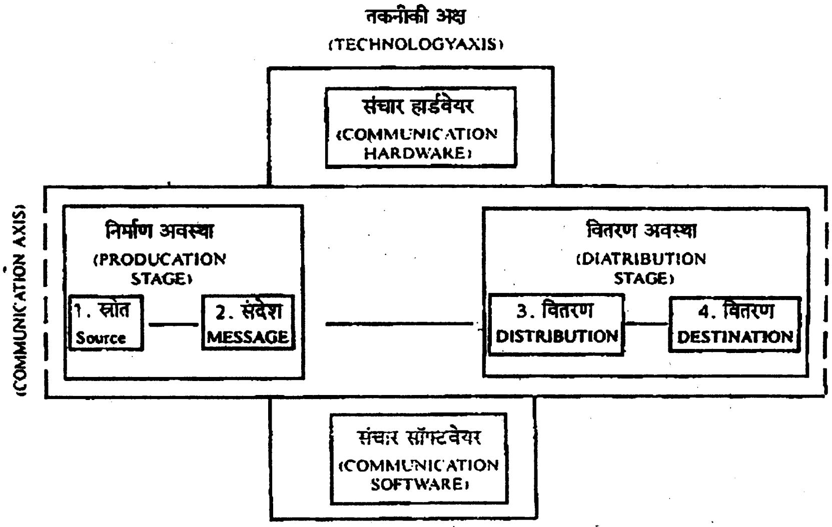

मोवलाना (Mowlana) ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार के विभिन्न स्वरूपों का गहन विश्लेषण क एक निर्भरता मॉडल प्रस्तुत किया। उक्त मॉडल में दो आयाम महत्वपूर्ण हैं जो निर्भरता वायत्तता को स्पष्ट करते हैं। वे आयाम तकनीकी अक्ष और संचार अक्ष हैं।

मॉडल के अनुसार प्रेषक (1) से प्राप्तकर्ता (4) तक एक पारिवारिक वातावरण बन है जहां उत्पादन (3) और वितरण (4) व्यवस्था तकनीकी मध्यस्थ की भूमिका निभाते

हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संचार, राष्ट्रीय जन माध्यमों की जटिल व्यवस्था के विपरीत चार अवस्थाओं से होकर प्रवाहित होता है। ये चार अवस्थाएं उद्भव (Origination) उत्पादन (Production) वितरण (Distribution)एवं प्राप्तिकरण (reception) हैं। ये सभी अवस्थाएं देशों की संगठनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्न- भिन्न होती हैं। किसी देश से मीडिया उत्पाद का आयात करके एकदम भिन्न मीडिया व्वस्था द्वारा उसे उन दर्शकों/श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है जो मौलिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते। सिनेमा और टेलिविजन के मामले में यह बात पूर्णतया लागू होती है। ये निर्मित किसी देश में , वहां की भाषा एवं परिवेश में होते हैं और वितरित अन्य देशों में। इस तथ्य से यह तो स्पष्ट होता ही है कि मीडिया के सन्दर्भ में उत्तर- दक्षिण और पूर्व -पश्चिम आपस में सम्बन्धित हो जाते हैं।

तकनीकी अक्ष से देखने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अवस्था, दो प्रकार के विशेषज्ञों अथवा पूंजी पर निर्भर करती हैं। एक का सम्बन्ध हार्डवेयर से होता है और दूसरे का सॉफ्टवेयर से।हार्डवेयर के अन्तर्गत कैमरा, स्टूडियो, मुद्रण यंत्र, कम्प्यूटर इत्यादि आते हैं इन्हें हम उत्पादन से सम्बन्धित उपकरण भी कह सकते हैं।सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत विषयवस्तु, प्रबन्धन, प्रस्तुतीकरण, विशेषज्ञ, एवं मीडिया संगठन की नियमित कार्य प्रणाली आदि शामिल हैं। उक्त सभी उत्पादन सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हैं। वितरण सम्बन्धी हार्डवेयर के अन्तर्गत ट्रान्समीटर, संचार उपग्रह, परिवहन तथा रिकार्डिंग उपकरण आते हैं जबकि वितरण सॉफ्टवेयर में प्रचार, विज्ञापन, प्रबन्धन, विपणन एवं शोध सम्बन्धी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं । दोनो ही अवस्था में (वितरण एवं उत्पादन) संचार प्रक्रिया आन्तरिक एवं बाह्य मीडिया व्यवस्था से प्रभावित होती है। उत्पादन प्रक्रिया उत्पादक देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है जबकि वितरण अथवा विपणन प्रक्रिया को देश की अर्थव्यवस्था एवं मीडिया विशेष का बाजार प्रभावित करता है।

संचार क्रान्ति के वर्तमान युग में मीडिया एक नव स्थापित उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। विश्व बाजार व्यवस्था के आधुनिक युग में मीडिया अपने उत्पाद को विश्व के उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का हर सम्भव प्रयास करती है। इसके लिए उसे राष्ट्रों की सीमा लांघनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में अन्य उद्योगों की ही भांति मीडिया की निर्भरता भी अन्य देशों पर बढ़ती जा रही है। कोई देश मीडिया सम्बन्धी उपकरणों में विकसित है तो किसी के पास समृद्ध बौद्धिक क्षमता है। मीडिया में दोनों की ही आवश्यकता है इसलिए संचार को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने में निर्भरता सिद्धान्त की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता।

24.8 अन्तर्राष्ट्रीय सूचना राजनीति

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा प्रसारित सूचनाओं एवं मीडिया के राजनीतिक इस्तेमाल की घटनाएं बड़ी पुरानी बात हो गई हैं। मीडिया के राजनीति प्रयोग की घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त शीत युद्ध के काल में सार्वाधिक हुई। शीत युद्ध के दौरान

की घटनाओं को पाश्चात्य देशों की मीडिया द्वारा तोड़-मरोड़ कर प्रसारित किया जाने इसका मुख्य कारण पाश्चात्य देशों और विशेषकर अमेरिका की विदेश नीति रही है। ा सभी पाश्चात्य देशों की मीडिया ने अमेरिकी विदेश नीति के प्रभाव में रहकर काम । इसके परिणामस्वरूप गुट निरपेक्ष देशों और पाश्चात्य देशों, विशेषकर अमेरिका के वैचारिक मतभेद की खाई विस्तृत होने लगी। ईरान, निकारागुआ, क्यूबा, और वियतनाम देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप को पश्चिमी मीडिया द्वारा जिस प्रकार से जायज ठहराया ह निरपेक्ष देशों के लिए चिन्ता का एक बड़ा कारण बना।

इस विवाद के हल के लिए तथा सूचना के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रवाह के विषय में ष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार विचार विमर्श किए गये। इस विचार विमर्श में गुट निरपेक्ष और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने भी सहयोग तथा इस सन्दर्भ में उभर रहे मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया।

द्वितीयविश्व युद्ध के पश्चात विश्व के दो तिहाई देशों के समक्ष, आर्थिक, सामाजिक जनीतिक विकास की समस्या थी जबकि विकसित राष्ट्र वैयक्तिक स्वतंत्रता और उद्यमों के विकास के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी स्थिति में दो पृथक प्राथमिकताओं वाले का समूह बन गया। एक समूह विकासशील देशों का था जिसे द्वि- ध्रुवीय विश्व में दोनों े समान दूरी बनाते हुए अपने समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करना था जबकि दूसरा उन विकसित राष्ट्रों का था जो विकास में सहयोग के नाम पर अपना साम्राज्य अथवा विस्तार करना चाहते थे।

विकास के विस्तार में एक सहायक उपकरण के रूप में संचार माध्यमों की उपयोगिता ीकार करते हुए विकासशील राष्ट्रों ने इस ओर ध्यान देना शुरु किया। तकनीकी । के साथ संचार माध्यमों की प्रभाव क्षमता का भी विस्तार हुआ। एक साथ करोड़ों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण संचार की मूलभूत सुविधाओं का तेजी से र किया जाने लगा। इस विस्तारिकरण में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान तृतीय विश्व की ग्रामीण आबादी तक आसान पहुँच के कारण रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विश्व में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार शहरों में टेलीविजन का भी बढ़ा। 1980 से उपग्रह प्रसारण व्यवस्था आरम्भ होने के साथ रेडियो और टेलीविजन ारण एवं प्रभाव क्षमता का तेजी से विस्तार हुआ और तीसरी दुनियां के लोगों ने इसे । के एक माध्यम के रुप में स्वीकार कर इसकी उपयोगिता में वृद्धि की।

संचार माध्यम विकास में कई प्रकार से योगदान करते हैं। वे वैचारिक दृष्टिकोण में न करने की क्षमता रखते हैं, नयी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं तथा व्यवहार में भी न कर सकने की क्षमता रखते हैं। भारत में साइट (Satelite Instructional Television iment) का प्रयोग इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार द्वारा संचार ों के इस बहुआयामी उपयोग के सार्थक परिणामों से प्रेरित होकर अनेक देशों ने

शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग किया। विकास की गति को बढ़ाने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है और इसके अनेक उदाहरण भी हैं। संचार माध्यमों की विकासात्मक उपयोगिता और महत्व ने भी विकरित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य दूरी बढ़ाई। विकसित देशों ने संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति, व्यापार, शिक्षा आदि का प्रचार - प्रसार प्रारम्भ किया जबकि विकासशील राष्ट्रों की प्राथमिकताएं भिन्न थीं। इस कारण दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद उभरने लगे। इस मतभेद की खाई को पाटने में संयुक्त राष्ट्र ने निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किया।

अपनी स्थापना के प्रारम्भिक दौर में संयुक्त राष्ट्र के सामने विश्व के दो भाग में विभक्त होने की समस्या का सामना करना प्रथम चुनौती भरा कार्य था। सदस्यों की सीमित संख्या और उन पर भी साम्यवादी पूर्व और पूँजीवादी पश्चिम का प्रभाव इस समस्या के समाधान में सबसे बड़ी बाधा थी।किन्तु शीघ्र ही सदस्य देशों की संख्या में वृद्धि और संख्या बल के आधार पर गुट निरपेक्ष- राष्ट्रों का वर्चस्व, संयुक्त राष्ट्रकी शान्ति प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाने लगे। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणापत्र का निर्माण किया जिसमें शान्ति, विकास, सहयोग एवं सह अस्तित्व को प्रमुखता से स्थान दिया गया। इसी घोषणापत्र में मानवाधिकार, अभिव्यक्ति एवं सूचना की स्वतंत्रता तथा शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

सूचना की स्वतंत्रता के बारे में संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र (संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन की लिखित अभिव्यक्ति 59-1) जो 1946 में जारी किए गये, में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के बारे में स्पष्ट किया है कि -

All states should proclaim Policies under which the free flow of information within countries and across frontiers, willl be protected. The right to seek and transmit information should be insured in order to enable the public to ascertain facts and appraise events.

इसके दो वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र ने जेनेवा में 'सूचना की स्वतंत्रता ' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सूचना के स्वतंत्र प्रवाह पर विभिन्न देशों ने अपने विचार स्पष्ट किए। किन्तु वैधानिक और वैचारिक मतभेदों के कारण इस सम्मेलन में कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं हो सका।

अन्तरिक्ष में स्पुतनिक--1 के प्रक्षेपण के साथ ही सूचना प्रवाह के क्षेत्र में अन्तरिक्ष के स्वतंत्र और समान उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रयास शुरू किए। इस सन्दर्भ में 1959 में एक समिति बनाई गयी। इस समिति का नाम बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की समिति (Committee on Peaceful uses of outer Space COPUOS) रखा गया। इसके अधीन दो उपसमिति गठित की गई जिसमें से एक का सम्बन्ध इसके वैधानिक और तकनीकी पक्ष से था जबकि दूसरे का वैधानिक पक्ष से । संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अन्तरिक्ष (Outer

ce) सम्बन्धी समझौते 1967 के प्रथम अनुच्छेद में इसे (The Province of all Manbind) त किया गया ताकि सम्पूर्ण मानवता के लिए इसका सार्थक प्रयोग किया जा सके। इसी में संचार की व्यवस्था सीधे उपग्रह के द्वारा किये जाने (DBS- Direct Broadcast Satelite) न्दर्भ में विवाद उत्पन्न होने लगा क्योंकि इस मामले में तकनीकी रूप से विकसित देशों, षकर अमेरिका का वर्चस्व संचार जगत में बढ़ने की आशंका बलवती होने लगी। ान्तर में संयुक्त राष्ट्र के अथक प्रयास से इस विवाद का निपटारा हो सका और सर्वमान्य म इस सन्दर्भ में बनाए गये। इसके बावजूद विकासशील देश इस आशंका से ग्रसित थे विकसित राष्ट्र अपनी उन्नत तकनीक वाली संचार व्यवस्था के साथ उनकी आर्थिक ाजिक, और राजनीतिक विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते थे।

8.1 मैकब्राइड आयोग

1976 में नैरोबी में हुए यूनेस्को के सामान्य अधिवेशन में सूचना एवं संचार जगत की गतियों को दूर करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किया । इसी को क्रियान्वित करते हुए सीन मैकब्राइड (आयरलैण्ड) की अध्यक्षता में एक 15 ्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में विश्व के चुने हुए संचार विशेषज्ञ ाक्षाविद्, पत्रकारिता एवं प्रसारण के विशेषज्ञ आदि शामिल थे। कनाडा के विश्व विख्यात रविद् मार्शल मैकलूहन भी इस आयोग के सदस्य थे।आयोग की प्रथम बैठक 1977 के में हुई जिसमें मानवता की सेवा में संचार (Communication in the Service of kind) शीर्षक से प्रकाशित एक आयरिश पत्रिका के लेख के सन्दर्भ में आयोग के अध्यक्ष ाइड ने चार प्रश्न विचारार्थ प्रस्तुत किये। वे इस प्रकार से हैं-

1. What is meant by free and balanced flow of information?

2. What does a *New world information order* mean and what is nter-relationship with the new international economic order?

3. How may the *right to communicate* with all its ethical and legal ications.He achieved as a new line of thought and action in the whole munication field?

4. How can the objectivity and independence of the Media be ured and protected?

इन प्रश्नों के आलोक में आयोग की कई बैठकें विश्व के विभिन्न स्थानों में हुई। अनेक ों/ विवादों के बावजूद कोई आम सहमति न बन सकी। आयोग के पश्चिमी राष्ट्रों के यों ने यूनेस्को सचिवालय के द्वारा अंतरिम रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार कराया किन्तु ार भी आम सहमति न बन सकी।

1978 में आयोजित (पेरिस) यूनेस्को के सामान्य अधिवेशन में भी इस विषय पर जोरदार बहस हुई। इसी सन्दर्भ में अमेरिका , फ्रांस, श्रीलंका, टयूनीशिया और वेनेजुएला द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत यह प्रस्ताव भी बहस का विषय बना रहा जिसमें कहा गया था कि -

Propose Concrete and Practical measus leading to the establishment of a more just and effactire world information order.

इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संचार माध्यमों की भूमिका के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र तैयार हो सका। इस सम्मेलन में संचार के क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीय समयोग का, यूनेस्को के माध्यम से एक प्रारूप तैयार हो गया।

मैकब्राइड आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। (Many Voices, One world) शीर्षक से प्रस्तुत यह विस्तृत रिपोर्ट पांच भागों में थी। रिपोर्ट का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ भाग में वर्तमान में चल रही संचार व्यवस्था, संसाधन, आधारभूत सुविधाएं नीतियां एवं मानक की विस्तार से चर्चा की गई हैं। पांचवें भाग में निष्कर्ष , सुझाव एवं इस विषय में आगामी अध्ययन से सम्बद्ध विषयों की विस्तृत विवेचना की गयी है।आयोग ने संचार के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार के लिए 82 संस्तुतियां की हैं । रिपोर्ट में संचार माध्यमों के विकास , प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में संचार माध्यमों की उपयोगिता एवं विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जन माध्यमों की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट पर यूनेस्को के सामान्य अधिवेशन में विस्तार से चर्चा करते हुए तत्कालीन महानिदेशक ने कहा था कि --

The report may be regarded as a first stage in the endeavour tobe made by the international community as a whole to consider in practical terms the challenges we have to face and the ways in which we might act in concert to meet them.

24.8.2 गुट निरपेक्ष समाचार समिति पूल

गुट निरपेक्ष समाचार समिति पूल उन गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार समितियों के बीच समाचारों के आदान - प्रदान की व्यवस्था है जो समाचारों की प्राप्ति के सन्दर्भ में लम्बे समय तक असन्तुलन और पक्षपात के शिकार रहे हैं। इस पूल का जन्म एक लम्बे एवं सतत् प्रयास के परिणाम स्वरूप 1976 में हुआ। 1976 से 1979 तक भारत इस पूल का प्रथम अध्यक्ष रहा। यह पूल सम्पूर्ण विश्व में कार्यरत है और चार महाद्वीपों, एशिया, पूर्वी योरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक इसका कार्य- क्षेत्र है। पूल के द्वारा चार भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी समाचार प्रेषित किए जाते हैं।

पूल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक निर्वाचित संस्था है जिसका

ध्यक्ष निर्वाचित होता है। इस संस्था को समन्वय समिति कहा जाता है। पूल की अध्यक्षता न वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होती है तथा यह समिति के साथ ही चलती है। समिति ा चयन क्रम से होता हैं। सदस्यों का चयन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, निरन्तरता, सक्रिय सहभागिता ौर क्रम के आधार पर होता हैं।

पूल की स्थापना से अब तक आम सभा की 6 बैठकें हो चुकी हैं। समन्वय समिति ी 17 नियमित ओर एक विशेष बैठक हो चुकी है। पूल के सदस्य देशों का महासम्मेलन हरान (ईरान) में जून 1992 में हुआ था। इस समय ईरान की समाचार समिति इरना ने गोला की समाचार समिति अंगोस से पूल की अध्यक्षता ग्रहणकी थी। समन्वय समिति की क विशेष बैठक बेलग्रेड में सितम्बर 2000 में हुई थी। इस बैठक की मेजबानी इंडोनेशिया ी समाचार समिति तानजुंग ने की थी।वर्तमान समय में पूल की समन्वय समिति में ारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, उत्तर कोरिया, कुवैत, सीरिया, मंगोलिया, बहरीन, फगानिस्तान, लेबनान, ओमान, (एशिया से) अंगोला, अल्जीरिया, बुरकीना फासो, ांगो,इथियोपिया,मिस्र, घाना, गिलीविसाड, मोरक्को , मोजम्बिक, नामीबिया, सेनेगल, सूडान, जानिया, ट्यूनीशिया, जाम्बिया, (अफ्रीका से) बोलीबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, ्रीनाम, वेनेजुएला (लैटिन अमेरिका से) और युगोस्लाविया (योरोप से) देशों का प्रतिनिधित्व ।

भारत जहाँ एक ओर इस पूल का संस्थापक अध्यक्ष रहा है वहीं दूसरी ओर इसके ठन, विस्तार और विकास में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में न्यूज पूल स्क का संचालन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (पी.टी.आई.) द्वारा किया जाता है। यह एजेन्सी निक आधार पर पूल के सदस्यों से समाचार प्राप्त करती हैं और सदस्य देशों को भारतीय माचार उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय में बाहर से प्रतिदिन लगभग 15 -20 हजार शब्द . टी. आई. को प्राप्त होते हैं और पी.टी. आई.द्वारा लगभग 8-9 हजार शब्द प्रतिदिन बाहर जे जाते है। कुछ समाचार समितियों के साथ उपग्रह, स्थलीय एवं ई.- मेल संचार के द्वारा माचारों का आदान- प्रदान किया जाता है, उनमें अंतारा (इंडोनेशिया), बेरनामा (मलेशिया) . एस.एस. (बांग्लादेश), जी. एन.ए. (बहरीन), मेप (मोरक्को), मोंटसेम (मंगोलिया) नाम्पा ामीबिया), प्रेंसा लाटिना (क्यूबा), आर. एस. एस. (नेपाल), साना (सीरिया) और बी.एन.ए. वियतनाम) प्रमुख हैं।

समाचार पूल संचालन के भाग के रूप में गुटनिरपेक्ष देशों के प्रशिक्षुओं को पत्रकारिता ा प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में समाचार एजेन्सी पत्रकारिता ा नियमित पाठ्यक्रम चलाया जाता है।इस प्रकार भारत में पूल के सदस्यों के प्रशिक्षण ी भी व्यवस्था करते हुए पूल को सक्रिय और समर्थ बनाने में अपनी सक्रियता बढ़ाई है।

24.8.3 नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था (NWICO)

यूनेस्को संचार व्यवस्था से सम्बद्ध मामलों में विशेष रुचि लेने लगी थी क्योंकि इसके द्वारा उसके लक्ष्यों की प्राप्ति सुगमता से संभव थी। सूचना व्यवस्था से जुड़े विषयों के विचार विनिमय का एक सशक्त केन्द्र यूनेस्को बना। उसने विश्व में नयी सूचना और संचार व्यवस्था (New World Information and Communication Order) स्थापित करने के लिए अनेक सम्मेलन आयेजित किए, आयोग गठित किए और उनके सुझावों निर्णयों को क्रियन्वित करने के प्रयास किए।

नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की आवश्यकता 60-70 के दशक में महसूस की गई। इसका आधार तीसरी दुनिया के देशों द्वारा, सूचना के प्रवाह में विकसित एवं विकासशील देशों में असन्तुलन , पक्षपात एवं विचारों के भिन्नता के कारण, सूचना के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रवाह के लिए प्रयास करना था। गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही स्तर पर सूचना प्रवाह में भेद किया जाता था। सूचनाओं के लिए पश्चिमी संवाद समितियों पर निर्भरता भी इसका प्रमुख कारण थी । इस व्यवस्था में बहस के दौरान सूचना की स्वतंत्रता, राष्ट्रों के मध्य संचार का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचना प्रवाह और सूचना को विकास के एक साधन के रूप में मानना, जैसे विषयों को शामिल किया गया। विकासशील देशों ने इस बहस को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन जी-77, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनेस्को आदि में चर्चा का विषय बनाया। अल्जीरिया में हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की चतुर्थ सम्मेलन में (5-9 सितम्बर 1975) एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग सर्वप्रथम की गई। इस सम्मेलन में 75 सदस्य देश 24 पर्यवेक्षक देश और 3 आस्ट्रिया, फिनलैण्ड और स्वीडेन अतिथि देश के रूप में शामिल हुए। इसी विषय पर 1976 में ट्यूनिस एवं कोलम्बो में सम्मेलन हुए, जुलाई 1976 में नई दिल्ली (भारत) में भी इस विषय पर गहन मंत्रणा हुई और एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के न्यूज पूल के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

यूनेस्को के सामान्य अधिवेशन 1980 में नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था (NWICO) के लिए निम्नलिखित उद्देश्य एवं दिशा निर्देश निर्धारित किए गये।

1. वर्तमान संचार व्यवस्था में व्याप्त असन्तुलन को समाप्त करना।

2. एकाधिकारी, सार्वजनिक, निजी और अति केन्द्रीकृत व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना।

3. विचारों एवं सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह एवं विस्तारीकरण के मार्ग में आने वाली आन्तरिक एव बाह्य बाधाओं को दूर करना।

4. सूचना के साधनों एवं माध्यमों की संख्या में वृद्धि करना।

5. सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

6. पत्रकारों एवं जनमाध्यमों से जुड़े लोगों की उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित

ना।

विकासशील देशों को उनकी क्षमता के अनुरूप उपकरण, प्रशिक्षण आदि में वृद्धि ना और आधारभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप संचार व्यवस्था विकास करना।

विकसित राष्ट्रों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करने की भावना (यथार्थ) जागृत करना।

एक- दूसरे की सांस्कृतिक पहचान और प्रत्येक राष्ट्र को अपने व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक हित के बारे में विश्व को सूचित करने के अधिकार का सम्मान करना।

सूचना के अन्तर्राष्ट्रीय आदान -प्रदान के सन्दर्भ में वैयक्तिक अधिकारों का सम्मान ा।

प्रत्येक व्यक्ति की सूचना एवं संचार व्यवस्था में सहभागिता के अधिकार का न करना।

नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के लिए संघर्ष विकासशील देशों के आर्थिक, जिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति को बढ़ाने वाला अस्त्र (साधन) है। इसी कारण सशील देश इस व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं।

9 अन्तर्राष्ट्रीय संचार का महत्व

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निरन्तरता भी संचार माध्यमों रस्पर निर्भरता पर ही आश्रित होती है। एक देश की मीडिया के द्वारा दूसरे देश की ा को सूचना देने से ही सतत् समाचार प्रवाह सम्भव हो पाता है, इसके लिए न केवल ओं एवं समाचारों का संकलन अनिवार्य है बल्कि उसे आडिएन्स तक पहुँचाना भी उतना वश्यक हैं। इस प्रक्रिया में भी मीडिया की परस्पर अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता स्पष्ट होती

मीडिया के अन्तर्राष्ट्रीयकरण अथवा वैश्वीकरण में सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न स्वाभाविक है। मीडिया उत्पाद के निर्यातक देश अपने उत्पाद अपने सांस्कृतिक में तैयार करते हैं जबकि आयातक देश उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। इस आयातक देश के समक्ष अपनी सांस्कृतिक पहचान के खोने का भय बना रहता है। परिवेश में विश्व के विकसित देश मीडिया के द्वारा अपने उत्पाद का निर्यात एक परोक्ष सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को स्थापित करने में लगे हुए हैं। विकसित जन- द्वारा अपनी संस्कृति और उस परिवेश में बने कार्यक्रमों के प्रचार- प्रसार से ये देश

अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में अपना व्यापक प्रचार अभियान चलाते हैं जिससे अन्य समृद्ध संस्कृति वाले देश के नागरिक भी इन उन्मुक्तताओं को स्वीकार कर अपने सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विस्तार होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संचार अथवा वैश्विक जन संचार आज मानव जीवन का अपरिहार्य अंग बन चुका है । विगत पांच दशकों से इस दिशा में निरन्तर प्रगति हुई है। आज की वैश्विक परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि मनुष्य विश्व की अद्यतन घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने को हर पल उत्सुक रहता है। यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक भाग का नागरिक शेष विश्व की सूचनाओं एवं संस्कृतियों से अवगत होता रहता है। इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं आधुनिक संचार उपकरण जिसमें टी. वी., सेल फोन, कम्प्यूटर एवं मल्टी मीडिया तथा इन्टरनेट आदि शामिल हैं। इन संचार उपकरणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना अब और भी सरल होता जा रहा है। कारण यह है कि वर्तमान विश्व में मुक्त बाजार व्यवस्था लागू है और मीडिया उत्पाद भी उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में आ गये हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वर्तमान विश्व में लोगों ने सूचना का अधिकार को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए अधिक से अधिक सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया । तीसरा कारण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है तकनीकी विकास अब आधुनिक संचार उपकरणों ने सूचना प्रवाह में समय और दूरी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सामान्य जन तक कम कीमत में संचार की समस्त सुविधाओं की उपलब्धता ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार और वैश्विक जन संचार को और भी प्रभावी, सरल और सहज बना दिया हैं।

24.10 अन्तर्राष्ट्रीय संचार की वर्तमान स्थिति

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद वर्तमान विश्व में पाश्चात्य मीडिया का वर्चस्व सार्वाधिक है। इसका ज्वलन्त उदाहरण प्रथम खाड़ी युद्ध , अफगानिस्तान युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध में अमेरिकी मीडिया द्वारा प्रसारित सूचनाएं हैं। इन भ्रामक सूचनाओं के प्रतिकार - स्वरुप जब तक क्षेत्रीय मीडिया अलजजीरा ने युद्ध की वास्तविक तस्वीर दिखानी शुरु की तो उसके कर्मियों एवं दफ्तर पर हमला किया गया। द्वितीय खाड़ी युद्ध में तो अमेरिका ने एक तरह से अघोषित सेन्सरशिप लागू कर रखा था। अमेरिकी मीडिया ने अपनी नीति के अनुरूप वही सूचनाएं प्रसारित की या होने दी जो अमेरिकी शासन की नीतियों के अनुरूप थी। इसके विपरीत जब किसी मीडिया कर्मी ने चाहे वह किसी भी देश का रहा हो, वास्तविक सूचनाएं प्रसारित करने का प्रयास किया तो उसे सेंसर और शस्त्र बल से दबाने का पुरजोर प्रयास

ा गया। ये सब घटनाएं ये स्पष्ट करती हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सूचनाओं के राजनीतिक माल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे जहां एक ओर सूचनाओं ,समाचारों का स्वतंत्र और निष्पक्ष र बाधित होता हैं वहीं सूचना प्राप्त करने के वैयक्तिक अधिकारों का हनन भी होता तः इस सन्दर्भ में किए गये अब तक के सभी प्रयास इस दिशा में उठाया गया पहला ा प्रतीत होता है। मंजिल तक पहुँचने के लिए और भी सार्थक प्रयास किए जाने आवश्यक ससे विकसित देशों द्वारा जनमाध्यमों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। ही सैन्य बलों द्वारा जन माध्यमों को प्रभावित करने की एक नई प्रवृत्ति द्वितीय युद्ध में ज्यादा देखने को मिली और विश्व भर की मीडिया इससे प्रभावित हुई। इस त को पत्रकारिता जगत में जड़ित पत्रकारिता (Embaded journalism) का नाम दिया संचार जगत को इस उभरती नई दुष्प्रवृत्ति से भी बचाने की आवश्यकता हैं।

11 सारांश

इस इकाई में आपने अध्ययन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय संचार की अवधारणा क्या है ी प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं कैसे और किस हद तक र्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित कर करती हैं। सूचना प्रवाह के क्षेत्र में बढ़ रही अन्तर्राष्ट्रीय ता के साथ -साथ अन्तर्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। ा विस्तार से आपने अध्ययन किया। अन्तर्राष्ट्रीय संचार का आज के तनावपूर्ण रण में क्या महत्व है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसका गम्भीर अध्ययन किया।

12 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	जन संचार समग्र	:	डॉ. अर्जुन तिवारी
2.	अन्तर्राष्ट्रीय संचार एवं प्रमुख देशों की संचार व्यवस्था	:	डॉ. मुक्ति नाथ झा
3.	मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड	:	सी. मैक ब्राइड

3 प्रश्नावली

24.13.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित क्या है?
2. सम्प्रभुता से क्या तात्पर्य है?
3. अन्तर्राष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें।

24.13.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय संचार की अवधारणा स्पष्ट करें ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना राजनीति क्या है?विस्तार से व्याख्या कीजिए?
3. नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था पर एक समीक्षात्मक निबन्ध लिखें।

24.13.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

1. पाल जूलियस रायटर ने किस संवाद समिति की स्थापना की थी?

   (क) तास (ख) रायटर (ग) ए.पी. (घ) बी.बी.सी.

2. मैक ब्राइड आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट किस वर्ष दी ?

   (क) 1977 (ख) 1979 (ग) 1980 (घ) 1982

3. गुट- निरपेक्ष राष्ट्रों के न्यूज पूल की स्थापना का वर्ष क्या है?

   (क) 1970 (ख) 1972 (ग) 1974 (घ) 1976

4. गुट- निरपेक्ष राष्ट्रों के न्यूज पूल का प्रथम अध्यक्ष कौन देश था?

   (क) भारत (ख) ईरान (ग) इण्डोनेशिया (घ) ब्राजील

24.13.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. ख
2. ग
3. घ
4. क

ाई - 25 वैश्वीकरण : विविध आयाम

ई की रूपरेखा

) उद्देश्य

प्रस्तावना

2 वैश्वीकरण की अवधारणा

3 वैश्वीकरण के विविध आयाम

25.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण

25.3.2 सांस्कृतिक वैश्वीकरण

25.3.3 राजनीतिक वैश्वीकरण

4 वैश्वीकरण और संचार

5 वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण

6 वैश्वीकरण और मास मीडिया (जन माध्यम)

7 वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद

3 सारांश

) शब्दावली

0 सन्दर्भ ग्रन्थ

1 प्रश्नावली

25 11.1लघु उत्तरीय प्रश्न

25.11.2दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

25.11.3बहु विकल्पीय प्रश्न

25.11.4बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

.0 उद्देश्य

पाठ्यक्रम की इस इकाई का उद्देश्य आपको वैश्वीकरण के विविध - स्वरूपों से अवगत ना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे-

* वैश्वीकरण के बारे में
* आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में,
* आधुनिकीकरण और उपभोक्तावाद के बारे में,
* जन माध्यम एवं संचार को वैश्वीकरण ने कितना प्रभावित किया है, इसके सन्दर्भ में।

25.1 प्रस्तावना

हजारों वर्ष पूर्व भारतीय साहित्य में पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानते हुए 'वसुधैव कुटुम्बकम् ' की अवधारणा विकसित की गई थी। मानव-मानव एक समान का नारा देकर मानवीय संवेदनाओं को आधार बनाकर विकसित हुई उस अवधारणा को हम वर्तमान वैश्वीकरण का आरम्भिक रूप भी कह सकते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण 1990 के दशक की उपज है और इसका मूल आधार 'अर्थ' है।जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ (GATT) की पूर्व में चली आ रही व्यवस्था ने उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था से गुजरते हुए अब वैश्वीकरण का रूप ले लिया है। वर्तमान वैश्वीकरण ने समय और स्थान की दूरी को मिटा दिया है किन्तु दिलों के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं यह भी एक तथ्य है।वर्तमान वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक , सांस्कृतिक, राजनीतिक संचार आदि सभी क्षेत्रों पर समान रूप से पड़ा है। इन्हीं सब बिन्दुओं पर विस्तार से इस इकाई में चर्चा की गई है जो वैश्वीकरण के विविध आयामों को समझने में सहायक होगी।

25.2 वैश्वीकरण की अवधारणा

वैश्वीकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के भिन्न- भिन्न मत हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन कोटियों (School of Thought) में विभक्त करके देखा जा सकता है। इन तीनों की क्रमवार विवेचना निम्नलिखित है:

कुछ विद्वान मानते हैं कि वैश्वीकरण कोई नयी प्रक्रिया नहीं है।उपनिवेशवाद (Colonization) के आरम्भ होने के साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गयी थी। दुनिया में सत्रहवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद की एक नीति के रूप में उपनिवेशवाद आरम्भ हो गया था। इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे अनेक देशों ने यूरोप तथा एशिया सहित दुनिया के तमाम देशों को अपनी कालोनी बना लिया था। उपनिवेशवाद के अधीन देशों (कालोनियों) से कच्चा माल (Raw materials) उपनिवेशवादी देशों में जाया करता था। इससे औद्योगिक उत्पादन होता था। उत्पादित माल पुनः (बिक्री) हेतु उन्हीं कालोनियों में आया करते थे। इस प्रक्रिया में विश्व के बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई। दुनिया के विभिन्न देश निकट आये। विश्व अर्थ- व्यवस्था का एकीकरण आरम्भ हुआ। यद्यपि इसमें एकीकरण की प्रकृति कुछ

थी। इस प्रकार से उपनिवेशवाद के आरम्भ के साथ -साथ वैश्वीकरण का भी आरम्भ ा।

विद्वानों की एक दूसरी कोटि है जो उक्त विचारों से सहमत नहीं है। वे मानते हैं कि निक युग के विकास का मुख्य परिणाम दुनिया का एकीकरण था। अतः वैश्वीकरण की आधुनिकता में विद्यमान रही हैं। इस कोटि के विद्वान आधुनिकता में आई तेजी को करण के रूप में देखते हैं। आधुनिकीकरण का सम्बन्ध प्रौद्योगिकीय आविष्कारों तथा गिक क्रान्ति से है। उपनिवेशवाद और आधुनिकीकरण के बीच गहरा रिश्ता है, जो सम्पूर्ण पर आधुनिकता के प्रभावों के विस्तार के माध्यम से दुनिया को संकुचित कर रहा है नजदीक ला रहा है। ये विद्वान मानते हैं कि प्रौद्योगिकीय आविष्कारों के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी (I.T.) में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण को तथा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से इस कोटि के विद्वान आधुनिकता में आई को वैश्वीकरण के रूप में देखते हैं।

विद्वानों की एक तीसरी कोटि है जो उक्त दोनों विचारों से असहमत हैं। इस कोटि के न वैश्वीकरण को एक नयी अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि, ा , वैश्वीकरण पूर्णतया एक नई प्रक्रिया नहीं है; तथापि; इसे उपनिवेशवाद और निकीकरण के सदृश्य भी नहीं माना जा सकता है। इस कोटि के विद्वान मानते हैं कि के दशक से द्विआयामी विश्व का परिदृश्य बदलने लगा। संयुक्त सोवियत संघ के न के बाद से एक ऐसे अनियंत्रित पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसे कोई चुनौती देने नहीं रहा। परिणामस्वरूप एक आयामी विश्व प्रभावी हो गया।पूंजीवाद ने विश्व के वित्र पर अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत । इस नवीन परिवर्तित व्यवस्था के साथ अपने को पुनर्समायोजित करने का दुनिया यास किया। नयी आर्थिक नीति (NEP) तथा उदारीकरण कार्यक्रमों (Liberalisation rammes) का परिचय देने वाला संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP) किया गया। दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विशेष रूप से इण्टरनेट ने वैश्विक सम्बन्धों तथा सम्पर्कों तीव्रता को और अधिक बढ़ा दिया। बेहतर सम्भावना की तलाश में लोग उत्प्रवासित लगे। इसके परिणामस्वरूप एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक बुनियादी पुनर्संरचना र्माण की वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही एक प्रकार श्विक परिस्थिति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही एक प्रकार के वैश्विक करण का विकास हुआ। यह विकास राष्ट्र राज्य की सीमाओं को लांघकर हुआ है। करण वास्तव में बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। इसमें दुनिया आकार से सूक्ष्म आकार में सिकुड़ रही हैं; जिससे, हम सभी दुनिया के एक कोने से कोने में तत्काल तथा कम से कम लागत में पहुंच सके। पूर्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय

व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से घरेलू राजनीतों, आर्थिक नीतियों तथा सभी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को स्वरूप प्रदान कर रही हैं।

अतः वैश्वीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण हो रहा है। विश्व का ऐसा संकुचन हो रहा है जिसके प्रत्येक कोने में हम इतनी जल्दी और सस्ते में पहुंच जायें जितने में पहले कभी सम्भव नहीं था। पूर्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतों, आर्थिक - नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी सम्बन्धों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

25.3 वैश्वीकरण के विविध आयाम

वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि विविध आयाम हैं। ये सभी आपस में अन्तर्सम्बन्धित तथा परस्पर निर्भर है। इनमें से किसी एक आयाम का स्वतंत्र मूल्यांकन मात्र आंशिक अथवा एकांकी तथ्य को उद्घाटित करता है। इसका सम्यक मूल्यांकन समग्रता तथा सभी आयामों का समावेश, की वकालत करता है, तथापि आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वैश्वीकरण के अर्थ को स्पष्ट करना समय की मांग हैं।

25.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण

आर्थिक वैश्वीकरण को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों में चलने वाले आन्दोलनों द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता हैं। सम्पूर्ण विश्व को एक समग्र इकाई के रूप में तथा बाजार को इसके एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं - खुला, उदार, मुक्त बाजार तथा मुक्त व्यापार।इसे अन्तर्राष्ट्रीय निवेश और तात्कालिक पूँजी के प्रवाहों द्वारा चिन्हित किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थ - व्यवस्थाएं श्रेष्ठ आर्थिक परिधियों में आ रही हैं और इनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वित्तीय बाजारों की दुनिया से एकीकरण हो रहा है जो कम्प्यूटर के माध्यम से तत्काल सम्पन्न होता है।

विदेशी सीधा निवेश की गति तथा इसके विस्तार और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तात्कालिक पूँजी के प्रवाह को आर्थिक वैश्वीकरण के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उस देश और क्षेत्र में पहुँचने के लिये प्रयासरत है जहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध है। इससे राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) जैसी आर्थिक तथा इससे सम्बन्धित इकाईयों की भूमिका बढ़ रही है। ये वैश्विक

न विभिन्न देशों की नीतियों तथा कार्यक्रमों के निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे विश्व बैंक तथा आई. एम.एफ. जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर विभिन्न देशों की रभूत सुविधाओं के विकास का दायित्व बढ़ रहा है। इस क्रम में विभिन्न राष्ट्र राज्य सीमाओं से लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना कार्य क्षेत्र तथा निवास परिवर्तित कर रहे र अपने आप को एक नये सांस्कृतिक परिवेश में समयोजित कर रहे हैं।

2.सांस्कृतिक वैश्वीकरण - यह सम्पूर्ण विश्व में बढ़ी हुई सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धता द्योतक है। लोगों के उत्प्रवास, पर्यटन, वैश्विक अर्थ- व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं कारण दुनिया के विभिन्न भागों में सादृश्य जीवन पद्धति के रूप में इसे देखा जा सकता वैश्वीकरण क्षेत्रीय संस्कृति के लिये विकल्प उपलब्ध कराता है। मानव अधिकारों, तंत्र, बाजार अर्थ व्यवस्था, उत्पादन के नये तरीकों, उपभोग हेतु नये उत्पादों तथा विश्राम आदतों आदि के विचारों को क्षेत्रीय संस्कृति के नवीन दृष्टिकोण द्वारा उपस्थित किया ा है; इससे नई संस्कृति की समझ, राष्ट्रीयता, दुनिया में 'स्व' एक विदेशी हेतु क्या है? नागरिक हेतु क्या है? लोगों की राजनीतिक भागीदारी कैसे हो? तथा सामाजिक जीवन के विविध पक्षों आदि का आविर्भाव होता है।

वैश्वीकरण घनिष्ठ रूप में आधुनिकता से जुड़ा है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है यह पश्चिम द्वारा फैलाया जा रहा है। यह तकनीकी, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक समक्रमण nchronization) के माध्यम से एकता और मानकीकरण को प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिक षण कर्ताओं के विदेशी प्रभावों को उद्घाटित करता है। ऐसा नहीं है कि अपने सांस्कृतिक ों , प्रथाओं और तरीकों की कमजोरी के कारण सिर्फ गैर - पश्चिमी समाज ही अमेरिकी न पद्धति से प्रभावित हुए हैं; बल्कि पूर्वी दर्शनों और प्रबन्धनों के तरीकों, संगीत, भोजन दि जैसे दूसरी सभ्यताओं के तत्वों को अमेरिका तथा यूरोप ने भी स्वीकार किया है। इस र से सांस्कृतिक प्रभावों की दोहरी स्वीकृति एक नई वैश्विक संकट संस्कृति (Global rid culture) अर्थात् एक सम्मिश्रण (A. melange) को उत्पन्न करती है।

सामान्यतया कहा जाता है कि आज वैश्वीकरण के कारण अमेरिकी संस्कृति दुनिया हावी हो रही है, जबकि यह कथन तथ्यपरक नहीं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा ता है। मैकडोनाल्ड (McDonalds), कोका कोला और फास्ट फूड संस्कृति जैसे चुनिंदा न संस्कृति के प्रतीकों के साथ एक तात्कालिक वैश्विक अमेरिकन संस्कृति के विरुद्ध दलील जाती है। कि गैर अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों द्वारा इस संस्कृति को सांस्कृतिक स्वीकृति है। अमेरिका और यूरोप में निम्न मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय लोग इन उत्पादों के य ग्राहक हैं। इसमें सांस्कृतिक आधार हैं जबकि, बहुत सारे गैर पश्चिमी तथा गैर अमेरिकी ों में इन उत्पादों के मुख्य ग्राहक उच्च वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग के सदस्य हैं; इनमें सर्वाधिक वर्ग है; जो अपने आप को आधुनिक (कुछ हद तक पश्चिमी) समझते हैं) ये इस खाद्य

वस्तुओं को खाने -पीने के लिये ऐसे रेस्टोरेन्टों, होटलों तथा अन्य स्थानों पर जाते हैं जहाँ परिवार का नियंत्रण न हो; ऐसे स्थान के चयन का कारण सांस्कृतिक स्वीकृति नहीं है।

दूसरी ओर अमेरिका तथा यूरोप में शाकाहारी भोजन के प्रति रूझान बढ़ रहा है। विभिन्न शोध तथा पत्र -पत्रिकाओं से प्राप्त तथ्य बताते हैं कि आज यूरोप और अमेरिका में शाकाहारी तथा भारतीय व्यंजनों वाले रेस्टोरेन्ट तेजी से खुल रहे हैं तथा इनमें बिक्री की दर लगातार बढ़ रही है।

अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक पक्षीय नहीं है। भूमण्डलीय संस्कृति अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं का परिणाम है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हैं। इनमें से एक आयाम नव संस्कृतिकरण (Neo culturation) है; इसमें नवीन संस्कृति तत्वों को अपनाने, सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है।

विभिन्न टी.वी. चैनल्स, इण्टरनेट, मोबाइल फोन आदि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सशक्त निर्वाहक हैं। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में आकाशीय मार्ग से प्रवेश कर रही है। इसे कुछ हद तक जन स्वीकृति प्राप्त है। टेलीविजन , इण्टरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर की संस्कृति दूसरे क्षेत्र के निवासियों के घर में आकाशीय मार्ग से सीधे प्रवेश कर रही है। दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों के वातायन सामान्यतया दूसरी संस्कृतियों के लिये खुल गये हैं।

विश्व पर्यटन, विश्व खेलकूद प्रतियोगिताएं, विश्व कला, विश्व संगीत, विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, विश्व फैशन, विश्व साहित्य, विश्व धर्म आदि ने भी सांस्कृतिक वैश्वीकरण की गति को तीव्रता प्रदान किया है।

25.3.3 राजनीतिक वैश्वीकरण

ऐतिहासिक संदर्भ से। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि अधिराष्ट्रीय राजनीतिक संरचना (Supranational Political Structure) के द्वारा एक विश्व समाज (World society) प्रस्तुत किया जायेगा। इन विद्वानों की दलील रही है कि तुलनात्मक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर शासन की निर्भरता बढ़ेगी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों द्वारा इसमें वृद्धि होगी; इस प्रकार से स्वतंत्रता घटेगी। अतः प्रश्न यह खड़ा होता है कि वैश्वीकरण के दौरान राष्ट्र राज्य का क्या होगा? क्या इसका महत्व घटेगा? क्या ये अन्ततः अप्रचलित हो जायेंगे और इनका स्थान विश्व शासन (World governance) ले लेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Interstates Systems) में शासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी; जबकि, राजनीतिक संघटनों का कार्य सम्पादनीय स्वरुप तुलनात्मक दृष्टि से कम सफल होगा। इसका कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन्स जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों

निर्माण राष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ही है; जबकि, गैर सरकारी संस्थाओं (नागरिक हों तथा NGO's आदि) की भागीदारी के लिए सम्मिलित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय त में एक राज्य की वैधता का प्रमुख स्रोत उसे दूसरों द्वारा मिलने वाली स्वीकृति होती है। : एक राष्ट्र- राज्य को उसके घरेलू परिप्रेक्ष्य में मिलने वाली स्वीकृति की तुलना में र्राष्ट्रीय स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। इस अन्तर्राज्यीय व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण निधित्व के नियमों के फैलाव से सम्बन्धित था।

अब वैश्वीकरण और राष्ट्र- राज्य का विश्लेषण प्रासंगिक है। राष्ट्र को इस प्रकार भाषित किया गया है; एक समान संस्कृति, भाषा, इतिहास और परम्परा वाले लोग जो राजनीतिक व्यवस्था में (जर्मन मॉडल) अथवा एक इच्छा शक्ति (फ्रेंच मॉडल) में जीते हैं। इटेड स्टेट्स (U.S.) और दूसरों के बीच अर्थ की भिन्नता से सम्बद्धता प्राप्त होती है। (We)" नागरिक हैं; जिन्हें कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त हैं; जो उनसे (Them) जो शी हैं, से पृथक करते हैं जबकि, आरोपित सम्बन्ध परम्परागत समाजों को जोड़ने वाले हैं। नागरिकों में भातृत्व नैसर्गिक गुण नहीं होता है, बल्कि उसकी कल्पना करना है; इसे कृतिक और राजनीतिक सम्बन्धित बनाना पड़ता है; जिससे वो आपस में एकता का निकट महसूस करें। इसे भजनों, झंडा, पासपोर्ट आदि जैसे प्रतीकों और एक स्पष्ट विदेशी की खा द्वारा प्राप्त किया जाता है।

अतः सही मायने में राष्ट्र -राज्य को एक 'कल्पित समुदाय' के रूप में देखा जाता है। न्य (Common)नृजाति अथवा सांस्कृतिक विरासत की कल्पना क्षैतिज एकता और देश के रूप में समान्य सामानों हेतु संयुक्त प्रयास को पैदा करती है। जबकि , राष्ट्र राज्य यूरोपीय मॉडल मुख्य रुप से ज्ञानोदय के मूल्यों, उदारता, व्यक्तिवाद, मानवता, हिंसा पर का अधिकार, लोकतांत्रिक संरचना, शक्ति का पृथक्करण, विधि का शासन,गोपनीयता/ (Privacy) का संरक्षण, प्रेस की स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं, भागीदारी, ने -जुलने की स्वतंत्रता आदि पर आधारित हैं। यह सामान्यतया एक अच्छे शासन की ताएँ हैं।

समुदाय, समाज और राष्ट्र राज्य की धारणा नैतिक दृष्टि से आपस में अन्तर्सम्बन्धित म्परागत समाजों में मानव प्राणी सामाजिक सम्बन्धों के एक बंद जाल में रहा करते थे; के पास न तो अपेक्षित चेतना होती थी और न ही अकेले क्रिया करने की सम्भावना। निक समाजों में नैतिक क्रिया जो समुदायों और समाजों के लिये लाभकारी होती हैं शा अहंवादी तथा व्यक्ति विशेष के लाभ वाली प्रतियोगिताओं से सम्पन्न होती हैं वे अहंवादी तथा व्यक्ति विशेष के लाभ वाली प्रतियोगिताओं में सम्पन्न होती हैं। लोग देश के लिये जान क्यों कुर्बान कर देना चाहते हैं, यह बात सिर्फ नैतिक धरातल पर मझी जा सकती है।

पश्चिमी योरोप में आधुनिकीकरण के दौरान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक प्रतिनिधयों के रूप में अगुआ राष्ट्र- राज्य वैश्विक और स्थानीय पहचानों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं।

अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक मिश्रित प्रक्रिया है। इसकी असाधारण उपस्थिति और प्रभाव प्रत्येक समाज की ऐतिहासिकता द्वारा संचालित होते हैं। इसकी कुछ सार्वभौमिक विशेषताएँ होती हैं, यह समाज और उसकी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को समान तरीके से प्रभावित नहीं करता है। वैश्वीकरण की मिश्रित प्रकृति इसकी उपस्थिति को रेखांकित करने वाली प्रक्रियाओं के उप- सेटों (Sub-sets) के प्रकारों में दिखती है। इसमें सम्मिलित होते हैं; संचार के साधन और प्रौद्योगिकी में समकालीन क्रान्ति, वित्त और पूँजी की गति की उच्च तीव्रता और बाजारों के विस्तार, कार्य की बढ़ी हुई गतिशीलता, कार्मिकों के उत्प्रवास, अन्तर्सांस्कृतिक सम्पर्कों को बढ़ाने वाला उदीयमान वैश्विक डायेस्फोरा (Global diaspora) आदि ।

25.4 वैश्वीकरण और संचार

मानव समाज में सम्प्रेषण की प्रक्रिया इसके आरम्भिक काल से विद्यमान रही है। मानवीय समूहों में सामाजिक अन्तक्रिया की प्रक्रिया वाणी, अथवा भाषा अथवा संकेतों अथवा लिपि के माध्यम से सम्पन्न होती रही है। सम्प्रेषण के उच्च रूप, जिसे भाषा अथवा लिपि कहते हैं, के माध्यम से ही मानव एक दूसरे से अपने अनुभवों, विचारों, विश्वासों और भावनाओं के आदान- प्रदान द्वारा समान क्रिया कलापों तथा भावनाओं को जन्म देने में सफल हुआ है। अतः मानव समूहों में सम्प्रेषण एकता तथा संस्कृति की निरन्तरता के संचरण का मुख्य तत्व है। संस्कृति के रूप में मानव के पास जो सामाजिक विरासत है, उस सबका आधार मानवीय सम्प्रेषण का प्रमुख रूप भाषा है। मानव ने भाषा का निर्माण करके अन्तः क्रिया की समस्या को हल कर लिया है। मानव समाज ने अपनी विकास यात्रा के दौरान प्रगति के रास्ते तलाशे। इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 16वीं शताब्दी के बाद से आरम्भ हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्क, विवेकीकरण, ज्ञानोदय का विकास हुआ। इसने मानव समाज के सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में सूचना एवं जनसंचार की नई तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। 20वीं शताब्दी के अर्द्धशतक तक इस क्षेत्र में आविष्कारों का ताँता लगा रहा। नई -नई तकनीकें विकसित होती गयी। रेडियो, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, समाचार पत्र- पत्रिकाएँ, सिनेमा, वायरलेस, आदि अनेकानेक माध्यम विकसित हुए जिनसे जन संचार का कार्य व्यवस्थित ढंग से आरम्भ हुआ। 1960 के दशक के बाद सेटेलाइट क्रान्ति ने जनसंचार माध्यमों की नई -नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। टेलीविजन, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, टेलीटेम्स, माइक्रो तरंगें आदि अनेकानेक एक के बाद एक तकनीकों का आविष्कार हुआ। इसे आई.टी. युग (Information Technology era)के रूप में जाना जा रहा है।

संचार क्रान्ति ने दुनिया में नई जान फूंक दी है। जनसंचार के अत्याधुनिक साधन
करण के प्रमुख निर्वाहक हैं। ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तत्काल सूचनाएं
ा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्र- राज्य की सीमाएं गौण हो गई हैं। विश्व एक ग्राम बन गया
ंचार क्रान्ति ने युगान्तरकारी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है। इसके अधिकाधिक प्रयोग
शेष रूप से 'इण्टरनेट' के तीव्र विस्तार के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में मानव गतिविधियों
न्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं इसका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्थाओं ,राजनीतिक
स्था सांस्कृतिक व्यवस्था, एवं प्रशासनिक आदि समस्त व्यवस्थाओं पर व्यापक रूप से
है। व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में इस नई प्रौद्योगिकी ने एक उल्लेखनीय
स का मार्ग प्रशस्त किया है। इस क्रम में ई वाणिज्य, ई कामर्स, ई बैंकिंग आदि के
म से वैश्विक व्यापार एवं वाणिज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ई- शिक्षा ने अविश्वसनीय
ते शिक्षण के नए -नए आयामों का विकास किया है। ई- जर्नलिज्म ने समय और दूरी
त कर दी है।

टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, टेलविजन, रेडियो, डिजिटल माइक्रो साफ्ट, आप्टिकल
र, केबल, डाटकाम, इन्टरनेट, साफ्टवेयर, हार्डवेयर अर्थात नवीनतम संचार उपकरण
तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावकारी हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र भी कई गुना अधिक विस्तृत
आधुनिक संचार तकनीक का मूल आधार है- कम्प्यूटर । इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा
टर नेटवर्क है। जो पूरी दनिया के कोने -कोने में फैला हैं। इससे दुनिया की दृष्टिकोण में
ादी परिवर्तन आ रहा है। ई बैंकिंग, ई - लर्निंग धड़ल्ले से हो रहा है। कोई व्यक्ति दुनिया
सी कोने में बैठकर हजारों मील दूर दूसरे कोने से धनराशि जमा कर सकता और
ल सकता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे हजारों मील दूर से
ण प्राप्त कर सकता है। विभिन्न टी. वी. चैनल्स द्वारा प्रतिपल हमारे घर के अन्दर
ा के सभी कोने के समाचारों का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसके माध्यम से
एक परिवार में सिमट सा गया है। सेटेलाइट ने दुनिया के तार को एक में पिरो दिया हैं
ई. टी. अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के अधिकांश उपकरण
स का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आई. टी. (Information
ology) के सूचकों के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ों से वैश्वीकरण के बारे में एक प्रस्थापना
की जा सकती है।

5. वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के बीच गहरा सम्बन्ध है। आधुनिकीकरण को कुछ
ों ने एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है और कुछ विद्वानों ने इसे एक प्रतिफल
में स्वीकार किया है। एक प्रकिया के रुप में आधुनिकीकरण का अगला चरण वैश्वीकरण
क प्रतिफल के रूप में अगला प्रतिफल वैश्वीकरण है।

आधुनिकीकरण (Modernization) : यह राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास की एक ऐसी मिली जुली पारस्परिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथा समकालीन अविकसित समाज अपने आपको विकसित करने में संलग्न रहते हैं। जहाँ कहीं, जब कभी और जिस किसी संदर्भ में इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी मूल आत्मा तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा परिष्कृत तकनीक से जुड़ी रही है। परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया के रुप में, आधुनिकीकरण एक विशिष्ट वांछित प्रकार की तकनीक तथा उससे सम्बन्धित सामाजिक संरचना, मूल्य व्यवस्था, प्रेरणाओं तथा आदर्श नियमाचारों का एक पुंज है, जो पारम्परिकता से भिन्न होता है। अलग- अलग क्षेत्रों में आधुनिकता का जो आशय है उसका सार निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ठ किया जा सकता है : (1) राजनीतिक आधुनिकीकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, संसद, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान जैसी प्रमुख संस्थाओं की मांग करता है। विधि का शासन सुनिश्चित करने पर बल देता है। (2) सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य लौकिकीकरण (सेक्युलराइजेशन) की प्रक्रिया को उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ावा देने से है। (3) आर्थिक आधुनिकीकरण का आशय श्रम विभाजन, प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तनों से सम्बन्धित है, (4) सामाजिक आधुनिकीकरण का आशय विवेकीकृत, तर्कणापूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उत्तरोत्तर साक्षरता में विकास, बढ़ता हुआ नगरीकरण तथा पारम्परिक सत्ता का ह्रास का संकेत देता है। इन सभी परिवर्तनों को बढ़ते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक वैभिन्नयीकरण के संदर्भ में देखा जाता है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आधुनिकता के उक्त चारों बिन्दुओं का एक नया संशोधित संस्करण वैश्विकवाद हैं तथा इसे गतिशील बनाए रखने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण है। इसे बिन्दुवार इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है : (1) राजनीतिक आधुनिकीकरण ने विधि का शासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। सार्वभौमिकीकरण आधुनिकीकरण की विशेषता है, जिसने राजनीतिक आधुनिकीकरण को वैश्विक पैमाने पर फैलाया तथा राजनीतिक वैश्वीकरण को उत्पन्न करने की पृष्ठभूमि तैयार की। (2) सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को उर्जा प्रदान की। (3) श्रम विभाजन प्रबन्धन की नवीन तकनीकों का प्रयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तनों वाली आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने इनके वैश्विक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। समय और दूरी समाप्त कर दी। जिससे आर्थिक वैश्वीकरण का आरम्भ हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था , विश्व बाजार व्यवस्था तथा विश्व प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने वैश्वीकरण की गति तीव्र की। उदारीकरण तथा मुक्त बाजार व मुक्त अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण को बल प्रदान किया। (4) उत्तरोत्तर साक्षरता में विकास, बढ़ता हुआ नगरीकरण, पारम्परिक सत्ता का ह्रास और विवेकीकृत, तर्कणापूर्ण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले सामाजिक आधुनिकीकरण ने इन्हें वैश्विक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। परिणामस्वरूप सामाजिक

रण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस क्रम में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि
ीकरण की उक्त चारों कोटियों ने अपने अगले चरण में वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त
बकि सम्बन्धित विशेषताओं में भिन्नता भी प्रकट होती गयी।

आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण प्रक्रियाएं एक युग विशेष की प्रतीक हैं। इसे
क रुपान्तरण के आइने में देखा जा सकता है। मार्टिन एलब्रो (Martin Albrow)
ी प्रसिद्ध पुस्तक 'ग्लोबल एज' (Global Age, State and Society Beyond
ity) मे ऐतिहासिक रुपान्तरण का एक गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

आधुनिकता के रुप में वैश्विक युग और वैश्विकवाद, आधुनिकता है। वास्तव में इसे
युग में पहचानने का एक कारण यह हैं कि "वैश्विक युग" वह सम्पूर्ण कड़ी है जो
के साथ शुरु होती है तथा वैश्वीकरण के माध्यम से आगे बढ़ती है। मार्टिन एलब्रो के
यदि, किसी को वैश्विक कहा जाए तो इसका यह अर्थ है कि वह आधुनिक है।
ा तरह से तोड़ी - मरोड़ी गई चेतना के रुप में वैयक्तिक वैश्विकता की चाहत की
ी जा सकती है जो आधुनिकतम फैशन के अन्तर्गत वैश्विक बनाने के द्वारा वैश्विक
ाक को आत्मसात करने का गुण रखती है। किन्तु, जिस प्रकार से समाज, वैज्ञानिक
प्रकार के आधुनिक व्यक्तित्व को देखते हैं उससे एक प्रभावशाली वैश्विक व्यक्तित्व
ं जा रहा है। यह भी एक ऐसा कारण है जिससे वैश्विक युग वैयक्तिक के सम्मुख
प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक' संदर्भ, 'आधुनिक' के अर्थ की विभिन्न योजनाओं में विद्यमान रहते हैं।
' समय के संदर्भ से ऊपर होता है, आविष्कार तथा अप्रचलन पर जोर देता है,
ी पुराने को स्थानान्तरित करता है तथा अस्वीकार करता है, स्वागत और नियंत्रण
इसलिए विस्तार करता है। 'आधुनिक' के लिए दूरी इसके समय के उत्पादन और
ा परिणाम होती है। 'वैश्विक' दूरी की सीमा से ऊपर होता है।

जीवन के अनुभवों से निकलने वाले अर्थों के एक सामान्य भण्डार पर अनुभवकर्ता
कर्षित करते हैं। यहाँ तक कि उत्पादों द्वारा भी इनके प्रतीकों को निर्धारित किया
कोका कोला द्वारा वैश्विकता की खोज नहीं की गई थी, बल्कि हर जगह इसकी
सुनिश्चित की गई थी। पूँजीवाद ने इसे लाभ के लिए प्रेरित किया, और हर जगह
टलिंग प्लांट बैठाए गये। आज यह वैश्विकता का प्रतीक बन चुका है। 'वैश्विक'
' में अब इसके वाहक हो गये हैं। जो मानवता के वाणिज्यीकरण से हुआ है।

सके अतिरिक्त वैश्विकवाद ने दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। सामान्यतया नारी
तथा मानव अधिकार को भी इसी रूप में देखा। इस तरह से, ये पुराने आधुनिक
में समाहित हो गये, जो अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द तथा शान्ति
पर आधारित हुए। सार्वभौमिकता का अर्थ है हर, समयों तथा स्थानों के सत्य नियमों
, विशेष रूप से मानव अधिकारों के व्यापक क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीयता के संदर्भ में

मानवता के समुदायों में विश्वास जो आधुनिकता के विस्तार के मुख्य अंश थे। किन्तु,दोनों में, एक आशावादी प्रगतिशीलता तथा मूर्त आदर्शवाद रहा, जो धर्म - परायण तथा अयथार्थवादी का वैश्विकता के भौतिक संदर्भों के साथ तुलना में अक्सर प्रकट हुए।

जब पृथ्वी की समीपता (Sinitude) और वैश्विक ताकतों की विशेष रूप में शक्ति और बाजारों की वास्तविकताओं के बीच संघर्ष हुआ तो पुनर्वितरण के लिए संघर्ष में व्यवहारिक और सीधी भागीदारी, अनुदान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार हेतु विश्व स्तर पर विशेष पहल के लिए पुराने आन्दोलनों को नए के अनुरूप समाहित किया गया। इसके चलते मूल्यों तथा दृष्टिकोणों की क्षेत्रीय तथा स्थानीय परिभाषाओं के संदर्भ में सभी प्रकार के आन्दोलनों के (आपरेशन) संचालन हेतु पृथ्वी एक वास्तविक फ्रेम (खाका) के रूप में बदल गई। इस संदर्भ में वैश्विक आन्दोलन स्थापित हुए तथा इनका वैश्विक स्तर पर संस्थाकरण हुआ।

दुनिया के स्तर पर हो चुका रुपान्तरण वैश्वीकरण है, जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर परिवर्तन को अग्रसारित कर रहा है अब यह एक गम्भीर सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐसा पैमाना हो गया है जिसके आधार पर इसकी पहचान की जाती है । किसी चीज को विश्लेषित , अन्वेषित और व्याख्यायित होने के बजाए समय और वैश्वीकरण को व्याख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवन के किसी क्षेत्र में किसी समकालीन परिवर्तन की व्याख्या के रूप में वैश्वीकरण से अपील करने पर यह शैक्षिक स्तरों और पत्रकारिता पूर्ण टिप्पणी में व्याप्त होती हैं। इस रूप में यह जादुई गुण ग्रहण करता है जो सार्वभौमिक ज्ञानोदय उपलब्ध कराने में एक बौद्धिक पारस पत्थर की भूमिका में होता है। किन्तु, यह अन्धाधुन्ध प्रयोग, इसकी सीमा के बजाए अद्यतन समझदारी (Current Understanding) की सीमाओं को प्रदर्शित करता है। यह कैसे और क्यों अपील करता है तथा कर्मकाण्ड, कुछ नई और रहस्यपूर्ण ताकतों की प्रार्थना से परे हमारे विचारों का विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान करता है, इन बातों की प्रशंसा करने के लिए वैश्वीकरण के विचार की आलोचनात्मक अवधारणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है।

25.6 वैश्वीकरण और मास मीडिया (जन माध्यम)

वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। यह दो विरोधाभासी शक्तियों द्वारा चिन्हित की जाती है। यह एक तरफ तो अत्यधिक आर्थिक विस्तार और प्रौद्योगिकीय आविष्कारों की शक्ति वाली प्रक्रिया है; जब कि दूसरी ओर यह बढ़ती विषमता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हलचल और वैयक्तिक परकीयकरण की विशिष्टताओं को प्रस्तुत करती है।

मास मीडिया कावैश्वीकरण इस घटना का एक आन्तरकि भाग है जो उसी वैचारिकी, संगठनों तथा ताकतों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। डिजिटल क्रान्ति और नई संचार प्रौद्योगिकी

नीतिक विचार और समाज में शक्ति की संरचना को प्रभावित किया है। इसने ऐसे ी शक्ति को बढ़ाया है जो सूचना को त्वरित ढंग से फैला सकते हैं, नियंत्रित करते हैं त्यधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उपलब्ध करा सकते हैं।

मात्रा और प्रकार की दृष्टि से मानव संचार का विस्तार हो रहा है तथा कम समय में दूरी तय हो रही है। यह वैश्विक समझदारी, समानता और समरसता में योगदान दे रहे

कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इलेक्ट्रानिक संचार का यह आशय नहीं है कि इससे संचार और सहयोग में सिर्फ वृद्धि ही हो; बल्कि इसका आशय यह भी है कि परिवार, मुदाय जैसी परम्परागत संरचना की तुलना में मास मीडिया, राष्ट्र राज्य और वैश्विक स्था की प्रासंगिकता को स्थापित किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के उत्पन्न होने करण की प्रक्रिया को ऊर्जा मिलेगी जिससे सरकार, ट्रांसनेशनल निगमों तथा मीडिया को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। अतः वैश्वीकरण वास्तव में जनसंचार विकास के लिए एक पूर्वपेक्षा (Pre requisite) तथा कारण दोनों ही हैं।

मास मीडिया से वैश्वीकरण के परिणामस्वरुप स्थानीय से वैश्विक स्थानान्तरण । सामान्यतया इसे लाभकारी माना जा रहा है। किन्तु , सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विवेचना के क्रम में एक उदाहरण उल्लेखनीय है । सन् 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स के विभाग ने "मास मीडिया के वैश्वीकरण (Globalization of Mass Media) पर र्ट प्रस्तुत की थी। इसमें इस बात का उल्लेख है कि मीडिया बाजार का उदारीकरण दोनों ही वैश्वीकरण को व्यवसायिक इण्टरप्राइजेज के रूप में देखते हैं; जो देश की के पार उनकी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं तथा अप्रत्यक्ष रुप से उनके सामाजिक, क मूल्यों का प्रचार- प्रसार कर रहे हैं। यह विवरण सही है; किन्तु इसमें पश्चिम में ले सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभावों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही क दुनिया में इसके कारण समता तथा जनतंत्र के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभावों का किया गया है।

रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तव त को धीरे -धीरे नीचे लाएंगे। इसमें यह भी सुझाया गया है कि नई संचार प्रौद्योगिकी डिया विद्यमान संरचना तथा मूल्यों को फैला रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली मुक्त बाजार प्रणाली एवं पूंजीवादी उदार जनतंत्र पर बल देते हैं।

मास मीडिया के वैश्वीकरण से सम्बन्धित हमारे विमर्श में जनांकिकी पक्ष की क उपेक्षा की जाती है; जबकि मास मीडिया के वैश्वीकरण की विवेचना जनांकिकी आवश्यक है। आगामी कुछ दशकों में ही सिर्फ चीन और भारत की जनसंख्या दुनिया

की सम्पूर्ण जनसंख्या की आधी हो जायेगी। जनसंख्या का यह आंकड़ा बाजार के भौगोलिक तथा आर्थिक आधार के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। जनसंख्या का यह आँकड़ा मास मीडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मास मीडिया का त्वरित विस्तार इस अनुमान पर निर्भर करता है कि सूचना स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक होती है। इस विचार को वैश्वीकरण की प्रक्रिया में साझीदार संगठनों तथा कम्पनियों द्वारा आवर्धित (Magnified) किया जाता है ; जबकि सूचना को आकार प्रदान करने में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा की जाती है। सरकारी अधिकारियों, नेटवर्क प्रबन्धकों तथा मीडिया प्रबंधकों एवं क्रियान्वयन अधिकारियों तथा वितरकों द्वारा प्रतिदिन इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार के एवं कौन से समाचारों को प्रसारित करना है एवं प्रमुखता दी जानी है। इसमें राजनीतिक, व्यवसायिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण विशेषरूप से प्रभाव डालते हैं। यह तय किया जाता है कि जनता के बीच किस प्रकार के विचार, मूल्य और मानक खड़े किये जाने हैं।

मास मीडिया को विविधता, जनतंत्र तथा प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तीकरण के एक साधन के रूप में देखा जाता है। जबकि, अयोग्य वैश्विक निगमों की आशावादी छवि एवं उनकी साझीदारी वैश्वीकरण के एक भाग पर निर्भर करती है; जिसकी सामान्यतया मीडिया द्वारा उपेक्षा की जाती है।

सूचना क्रान्ति तथा मास मीडिया के विस्तार के फलस्वरुप बहुत सारे अनिच्छित एवं अनावश्यक अप्रत्यक्ष प्रभाव (side effects) होते हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इस पर सरकार, विज्ञापनों तथा समाज की अन्य शक्तिशाली संस्थाओं का नियंत्रण होता है। वैश्वीकरण अक्सर ऐसे मार्ग के रूप में चित्रित किया जाता है जो सूचना प्रसारण के प्रकारों (variety) को सम्मिलित करने के माध्यम से हमारी संस्कृति की विविधता तथा समृद्धि को बढ़ाता है।

वैश्विक मीडिया अधिकांशतया पश्चिमी उत्पादों तथा हालीवुड (Hollywood) मूल्यों के प्रभाव में रहते हैं। अमेरिकी टेलीविजन तथा चलचित्रों (movies) के माध्यम से प्रसारित होने वाले समाचार अधिकांशतया विज्ञापन अभिमुख होते हैं। राजनीतिक भागीदारी तथा सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ाने बाले समाचारों को प्रसारित करने वाले मास मीडिया के दावे अब संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत से लोग टेलीविजन और प्रिन्टमीडिया में सनसनीखेज विविधता की कमी की शिकायत करते हैं। वास्तव में, पर्याप्त मात्रा में चलने वाले टेलीविजन और केबल चैनल्स जिनसे यह उम्मीद की गयी थी कि वे विविध प्रकार के तथा उपभोक्ताओं

संद के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, उन्होंने किसी एक विषय की सूक्ष्म सीमा के अन्तर्गत विस्मयकारक संख्या में कार्यक्रमों को परोसा है। मीडिया ने दुनिया की बहुत सीमित उग्र छवि प्रस्तुत की है।

एक प्रकार की मूक सेंसरशिप (Silent censorship)विद्यमान है। इसमें ऐसा यकरण किया जा चुका है कि जिससे मीडिया गेटकीपर्स (media gatekeepers) के म से सूचना प्रवेश पा सके। मीडिया नियंत्रण की यह एकाग्रता मीडिया में व्यवस्था की य आलोचनाओं की ही स्वीकृति देती है। वैश्वीकरण और त्वरित व्यवसायिक तथा की विस्तार के प्रभावशाली दृष्टिकोण की आलोचना को सुझाए जाने वाले विकल्पों तिक्रिया अथवा अव्यवसायिक होने के रूप में चित्रित किया जाता है।

संचार विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि औद्योगिकृत दुनिया में विकसित हो रही या पर निर्भरता बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगी। "नवीन (The new) ", "आधुनिक ern) " तथा "समस्याओं का प्रौद्योगिकी समाधान" में एक प्रकार का अंधविश्वास पैदा रा है तथा परम्परागत मूल्यों और संरचना का क्षरण हो रहा है जिसे शताब्दियों में ग मिली थी। लोग प्रतिक्रिया में अपनी देशी परम्पराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों को त्याग तथा इन्हें अपने जीवन में अप्रासंगिक मान रहे हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में अत्यधिक प्रचलित धारणा यही है कि इसके अनियंत्रित मुक्त बाजार , कम्पनियों के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता तथा सूचना का एक प्रवाह प्रस्तुत किया जायेगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ (Adam Smith) का सिबुल हैंण्ड (Invisible) सूचना का प्रवाह और विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य का मार्ग र्धारण का यही अनुमान लगाता है।

यह विचार, व्यवसायिक सूचना और विस्तार के मुक्त प्रवाह के साधन के रूप में रित हो रहा है ।आज, व्यवसाय, सरकारी संरचनाएं और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियाँ इतनी हो चुकी हैं कि वे लोगों की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के प्रति लम्बे अर्से तक रार और जवाबदेह नहीं हैं। मीडिया एक ओर लगातार केन्द्रित करती है, जबकि दूसरी समानान्तर, दर्शकों की एक बड़ी संख्या पर जीवित रहती है। व्यक्ति विशेष के लिए उत्पन्न और वितरित करने वाले तत्वों और व्यवस्था को प्रभावित करना कठिन है। कॉर्टेन (Corten) इस बात के लिए चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति विशेष (Individuals) के अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं की नीतियों, उद्देश्यों तथा दिशाओं ावित करने की क्षमता बहुत कम होती है।

वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद

औद्योगिक समाज ने मनुष्य के उपभोग की चेतना में वृद्धि की है। आधुनिक अमेरिकी रोपीय समाज ने इस चेतना में और अधिक वृद्धि की है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने

विश्व बाजार को क्रियाशील किया है, इस क्रम में जहाँ एक ओर नए- नए बाज़ार की तलाश हो रही है, वहीं दूसरी ओर नए- नए बाजार निर्मित किये जा रहे हैं। जनसंसार के माध्यमों द्वारा व्यक्ति के उपभोग की चेतना को उत्पन्न किया जा रहा है जिससे इन नए बाजारों के माल की खपत हो सके। बहुराष्ट्रीय निगमों, ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा भी मनुष्य के उपभोग की भूख को उत्पन्न किया जा रहा है। इस प्रकार से उपभोगवाद की चेतना का विस्तार हो रहा है । उपभोग करने वाला उपभोक्ता है। अतः उपभोक्तावाद की अवधारणा को अत्यधिक बल मिल रहा है। उपभोक्तावाद को समझने के लिए सर्वप्रथमक यह समझना होगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता व्यवहार कैसा होता है आदि ।

हम सबमें एक स्थाई तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपसी विभिन्नताओं के बावजूद हम सब उपभोक्ता हैं। खाद्य सामग्री, वस्त्र, मकान, आवागमन, शिक्षा, अन्याय उपभोगकारी वस्तुओं , अवकाश, आवश्यकताएं, विलासिताएं, सेवाएं तथा विचार आदि सभी का हम उपयोग एवं उपभोग करते हैं।एक उपभोक्ता के नाते हम सब देश के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह भूमिकां स्थानीय ,राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हो सकती है। खरीददारी के सम्बन्ध में हमारे द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव कच्चे मालों की मांग पर भी पड़ता है, साथ ही श्रमिकों के रोजगार तथा संसाधन लगाने, कुछ उद्योगों की सफलता एवं विफलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

आज व्यापार में सफलता के लिए व्यापारियों को अपने उपभोक्ता के बारे में उसके सभी पक्षों की जानकारी रखना होगा जैसे उपभोक्ता क्या चाहता है? क्या सोचता है,कैसे काम करता है, अपना खाली समय कैसे बिताता है तथा इसके अतिरिक्त उसे इस बात की जानकारी भी रखनी होती है कि कैसे व्यक्तिगत या समूहगत प्रभाव उपभोक्ता के निर्णयय को प्रभावित करता है।

उपभोक्ता का व्यवहार उपभोग के दो पक्षों को दर्शाता है जो अधोलिखित है (क) व्यक्तिगत उपभोक्ता (ख) संगठनात्मक उपभोक्ता ।

(क) व्यक्तिगत उपभोक्ता (The Personal Consumer): जो अपने व्यवहार /प्रयोग तथा सेवा के लिए वस्तुओं को खरीदता है या तो घर में प्रयोग अथवा दूसरों को देने के लिए इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता इस कोटि के अन्तर्गत आता है। इसमें उपभोगकारी वस्तुओं का इस्तेमाल व्यक्ति ही करता है जिसे हम अन्तिम प्रयोक्ता (End users) कहते हैं।

(ख) संगठनात्मक उपभोक्ता (Organizational Consumer): जो अपने व्यापार को चलाने के लिए (लाभ अथवा हानि) सरकारी एजेन्सियों (स्थानीय, राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रय) एवं संस्थान (शिक्षण संस्थाएँ, जेल, सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय अस्पताल) को चलाने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदते हैं; उन्हें हम संगठनात्मक उपभोक्ता कहते हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व बाजार का एकीकरण किया है। उदारीकरण तथा मुक्त
वस्था ने कारपोरेट पूँजीवाद का विश्व में विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
ीय निगम , ट्रांसनेशनल निगम तथा अन्य राष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पाद और सेवाओं
व स्तर पर मुहैय्या करा रहे हैं। आज अधिकांश निगम (Corporation) अपने उत्पाद
रे देशों में बेच रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय निगमों/ बहुराष्ट्रीय निगमों के संचालन के परिणामस्वरुप बाजार की
ली में " Glocal" (Global + Local = Glocal) जैसे शब्द जुड़ गऐ हैं। इसका अर्थ
कि निगम अथवा कम्पनियाँ वैश्विक एवं स्थानीय चीजों को मिश्रित करके लाभ उठा
हैं। यह एक नई चुनौती है जिसका एक विशेष अर्थ है। इसे यूरोप के एकीकरण द्वारा
जा सकता है। यूरोप के विविध देशों को एक बाजार के रुप में परिवर्तित करके एक
ा निर्मित की गयी है। इसीलिए सन 2001 में यूरोप के सभी देशों के लिए एक सामान्य
non)मुद्रा 'यूरो' को भी स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से North American
Trade Agreement (NAFTA) जो कि अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको को सम्मिलित
निर्मित किया गया है। तथा इसके अन्तर्गत 400 मिलियन उपभोक्ता मुक्त बाजार व्यवस्था
में संयुक्त कर दिए गये हैं। एशिया के संदर्भ में आसियान (ASEAN) (Association
uth East Asian Nations) बनाया गया है। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड,
न्स, मलेशिया, ब्रूनेई (Brunei) तथा वियतनाम को सम्मिलित करने का प्रयास
। इस समूह के माध्यम से एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (Asian Free Trade Area)
क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

विश्व स्तर पर व्यापार के बहुत सारे कारण हैं । बहुत सारे निगम यह समझते हैं कि
ार के बाजार में उनके व्यापार को बढ़ावा देने की अपार सम्भावनाएं एवं अवसर उपलब्ध
कि उनके देश का बाजार, उनके उत्पादों से परिपूर्ण हो चुका हैं। यह चेतना इन निगमों
बात के लिए बाध्य करती हैं कि वे वैश्विक व्यापार का विस्तार करें तथा अपने नए
ाहक बनाएं। दूसरा उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि पूरे विश्व में विदेशी उत्पादों की माँग
ा हैं। तथा उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इस स्थिति ने विशेष रूप से विकासशील
एक नए मध्यम वर्ग को उत्पन्न किया है।

इस प्रकार से भारत में उपभोक्तावाद अस्तित्ववान था; किन्तु विगत डेढ़ दशक पूर्व
रत ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो विदेशी निवेश, विदेशी कम्पनियाँ भारत में तेजी
ी विस्तार की सम्भावनाएँ तलाशने लगे। इस क्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में
को उपभोक्ता बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम के हर हथकंडे और हथियारों का
प्रयोग शुरु हो गया ।आय और आयु के साथ साथ अन्य समस्त पक्षों को आधार
उपभोक्ताओं के लिए सर्वेक्षण , विपणन, उत्पाद, बिक्री आदि की रणनीतियाँ बनने
बहुराष्ट्रीय तथा ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा भारतीयों को उपभोक्ता के रुप में परिवर्तित

करने के लिए प्रयास किया जाने लगा। आज सरकारी दूरदर्शन हो अथवा निजी टी.वी. चैनल अथवा सरकारी रेडियो हो अथवा निजी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, सभी विज्ञापन के अर्थशास्त्र से संचालित हो रहे हैं; जो नागरिकों को उपभोक्ता बनाने में जुटे हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होने के पुर्व भी भारत में उपभोक्तावाद था; किन्तु उसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता था; जबकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बांद से भारत में बढ़ रहे उपभोक्तावाद से देशी और विदेशी दोनों अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित हो रही हैं। परम्परागत भारतीय समाज में अभौतिक संस्कृति का वर्चस्व था, जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यक्ति संतुष्ट रहता था, किन्तु उपभोक्तावाद ने व्यक्ति की भौतिकता सम्बन्धी अनन्त भूख को पैदा कर दिया हैं। परिणामस्वरूप भौतिकतावादी अंधी तथा अन्तंहीन दौड़ में भारतीय जनता भी दौड़ना शुरु कर दी है।

25.8 सारांश

इस इकाई में आपने वैश्वीकरण की अवधारणा को समझा। वर्तमान वैश्वीकरण के विविध स्वरूपों , खासकर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से जाना। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर का अध्ययन किया। उपभोक्तावाद का विस्तार से अध्ययन किया तथा वैश्वीकरण का संचार और जन माध्यमों के ऊपर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है इसका विस्तार से अध्ययन किया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्वीकरण ने संचार माध्यमों का आश्रय लेकर पूरे विश्व को एक गांव के रुप में परिवर्तित कर दिया है। इस विश्व ग्राम में मनुष्य की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधन सभी वैश्विक हो गये हैं।

25.9 शब्दावली

1.	उपनिवेशवाद	:	साम्राज्यवाद
2.	प्रौद्योगिकीय	:	तकनीकी
3.	सांस्कृतिक सम्प्रेषण	:	सांस्कृतिक संचार
4.	सार्वभौमिकीकरण	:	समस्त विश्व के लिए किया गया

25.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	जन संचार समग्र	:	डॉ. अर्जुन तिवारी
2.	वैश्वीकरण एवं समाज	:	डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय
3.	अन्तर्राष्ट्रीय संचार	:	डॉ. मुक्ति नाथ झा

1 प्रश्नावली

1.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वैश्वीकरण क्या है? स्पष्ट कीजिए।
2. राजनीतिक वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करें ।
3. आर्थिक वैश्वीकरण की व्याख्या कीजिए।
4 उपभोक्तावाद क्या है? इसके कितने प्रकार हैं।

1.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विविध आयामों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण में क्या अन्तर है। विवेचना कीजिए ।

वैश्वीकरण ने संचार और जन माध्यमों को किस रुप में प्रभावित किया है, स्पष्ट करें।

1.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

NEP है -

(क) नयी आर्थिक नीति (ख) नयी ई-मेल नीति

(ग) नयी समानता नीति (घ) इनमें से कोई नहीं

विश्व एक ग्राम बन गया है-

(क) टेलीफोन के कारण (ख) ग्रामोफोन के कारण

(ग) संचार क्रान्ति के कारण (घ) बेतार के तार के कारण

'ग्लोबल एज' के लेखक हैं-

(क) मक्लूहान (ख) मार्टिन एलब्रो

(ग) मैक्डूगल (घ) इनमें से कोई नहीं

1.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

(क) 2. (ग)

(ख)

Notes